(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6] नवम् विधान सभा के षष्ठम सत्र का तीसवां दिवस [संख्या 18

मंगलवार,

24 मार्च, 1992

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 9 मार्च, 1992)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 212 श्री जोगेश्वर गर्ग।

(अनुपस्थित) (कृपया आगे देखिए)

श्री रामनारायण वर्मा।

केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित बजट

515. **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवा): क्या मुख्य आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1989-90 व 1990-91 एवं 1991-92 में केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत योजनावार कितने कितने रुपये बजट में स्वीकृत किये गये थे तथा कितने-कितने रुपये खर्च किये गये? विभागवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं में किन-किन योजनाओं में कितना प्रतिशत रूपया केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाता है और कितना प्रतिशत रुपया राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है?

राज्य मन्त्री, आयोजना विभाग (श्री मदनमोहन सिंघल) : (1) केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के लिए वर्ष 1989-90, 1990-91 एवं 1991-92 में विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर योजनान्तर्गत मदवार, क्षेत्रवार व विभागवार प्रावधान एवं व्यय की सूचना परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली योजनावार, केन्द्रीय राशि के प्रतिशत की सूचना परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है। शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी द्वारा दी गई सूचना में सदन के माननीय सदस्यों की जिस तरह से शासन द्वारा अवहेलना की जा रही है उसकी तरफ ध्यान दिलाऊंगा। शासन द्वारा जो वाउचर जारी किये गये हैं उसमें 1992 तक का ब्यौरा केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं का दिया गया है और जो इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है और उसकी सूचना सदन की मेज पर रखी गई है उसमें जनवरी तक का ब्यौरा दिया गया है। सबसे पहले तो मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप इसके लिए राज्य सरकार को प्रताड़ित करने का कष्ट करें....

श्री अध्यक्ष : कौन से साल की, जनवरी तक का ?

श्री रामनारायण वर्मा : यह इसी साल का। हमें जो विवरण दिया गया है उसमें फरवरी, 92 तक का ब्यौरा दिया गया है और यह जो सूची दी है उसमें पहला परिशिष्ट जनवरी, 92 तक का दिया है। प्रगति विवरण विशिष्ट योजना एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, राजस्थान जयपुर का दिया गया है उसमें परिशिष्ट 1 में माह फरवरी, 92 तक का खर्चा दिया गया है। यह पहले जारी हुआ है और जो रिप्लाई दिया गया है वह बाद में दिया गया है। इस तरह से शासन सदन की अवहेलना करे....

श्री अध्यक्ष : यह जो तथ्य इसमें दिये हैं वे इसमें शामिल हैं ?

श्री रामनारायण वर्मा : हैं। उसका इसमें दे देते कोई दिक्कत नहीं। बाकी अलग-अलग किताबें जारी होती हैं। अगर इसमें एक-दो पाइन्ट्स का है तो वह मो दिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अब आप सवाल पूछिये।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं सबसे पहले तो इसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। क्या यह सही है कि ग्राम विकास से संबंधित जो मुख्य योजनाएं हैं उन योजनाओं में खर्च कम किया गया और उससे ग्रामीण विकास को ठेस लगी ? इसी तरह से 100 प्रतिशत जहां केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं में पैसा देती है उन सब मदों में अनुसूचित जाति, जन जाति के सघन विकास के लिए मक्का प्रदर्शन का हो या चावल मिनिक्टिस प्रदर्शन का हो या विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम का हो, या भूमि उपयोग बोर्ड (लैण्ड यूज बोर्ड) का हो, या वह भले ही चम्बल की घाटी परियोजनाओं का हो इस तरह की जो भी केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं का है, विकेन्द्रीकृत पीपल्स नर्सरी का हो, या लघु वनों का हो, उसमें खर्चा कम क्यों किया गया है या उसमें पूरा ध्यान क्यों नहीं दिया गया, इस बात को बताने का कष्ट करें।

श्री मदनमोहन सिंघल : माननीय अध्यक्ष जी, पहली बात तो यह है कि यह जनवरी, 1992 तक के व्यय का खर्चा दर्शाया गया है। त्रैमासिक समीक्षाओं की जो बैठकें होती हैं उसमें यह आंकड़े और सूचना एकत्रित हो पाती हैं। यह जो सूचना है यह जनवरी, 1992 तक की सूचना है ?

श्री अध्यक्ष : आपने जो विवरण छपवाया है उसमें फरवरी, 92 लिखा हुआ है, सूचना यहीं तक की है।

श्री मदनमोहन सिंघल : हां जी। दूसरा जो इन्होंने यह कहा कि विभागों द्वारा खर्चा नहीं किया गया है, इसके खर्चे की जो जिम्मेदारी है, योजनाएं अलग विभागों द्वारा बनाई जाती हैं विभागों द्वारा ही इस पर खर्चा किया जाता है....

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, आखिर योजना विभाग इसकी मानिटरिंग करता है या नहीं करता है ? अध्यक्ष महोदय, अगर आप देखेंगे, जनवरी, 92 तक के जो आंकड़े यहां पर प्रस्तुत किये गये हैं कई मदों के अन्दर तो 50 प्रतिशत और 40 प्रतिशत खर्चा किया है। कहीं 35 प्रतिशत किया है। कहीं पर भी 80 प्रतिशत या 75 प्रतिशत खर्चा नहीं किया है। तो रिमेनिंग टू मन्थ्स के अन्दर जो इस बात की उम्मीद की जाती थी कि बराबर से खर्चा होता चला जायेगा तो आपका योजना विभाग दूसरे विभागों पर क्या मानिटरिंग करता है ? क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि योजना विभाग का इस बात का दायित्व है कि नहीं, जो विभागों में धनराशि आंवटित की गई है वे सही रूप से खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ? क्या आपका विभाग इस प्रकार की मानिटरिंग करता है या नहीं करता है, यह बताने की आप कृपा करें।

श्री मदनमोहन सिंघल : मानिटरिंग होती है। इस संबंध में यदि आपकी कोई शिकायत है कि इस तरह से खर्चा नहीं किया है....

श्री प्रद्युम्न सिंह : मानिटरिंग करते हैं तो आप यह देखें....(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप देखें बहुत लम्बी सूची है। अगर आप देखें, जो यह सरकार दम भरती है कि ग्रामीण विकास के बारे में, हर मद के अंदर इतनी जबरदस्त पैसे की बचत करने की इन्होंने चेष्टा की है, अलाटमेंट दुनिया भर का हो गया और खर्चा कुछ किया नहीं....

श्री अध्यक्ष : यह मानिटरिंग नहीं करते हैं असली बात यह है। यह तो केवल फिगर्स लेते हैं, रुपया देते हैं कितना खर्चा हुआ उसका फिगर इनके पास आ जाता है, मानिटरिंग जिसको आप कह रहे हैं वह मानिटरिंग यह नहीं करते हैं, दे आर नाट डूइंग...

श्री प्रद्युम्न सिंह : तो माननीय मंत्री महोदय, आप यह बता दीजिये कि विभागों के ऊपर ...

श्री अध्यक्ष : वर्मा जी को पूछने दीजिये।

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार सदन के प्रति उत्तरदायी है जिस ढंग से जवाब आ रहा है मैं उस पर कमेन्ट्स नहीं करते हुए...

श्री अध्यक्ष : आपने जो आंकड़े मांगे इन्होंने आंकड़े दे दिये....

श्री रामनारायण वर्मा : मैं तो एक ही बात निवेदन करना चाहूंगा। क्या यह सही है कि जिस वर्ष केन्द्रीय-प्रवर्तित योजनाओं में राशि कम खर्च की जाती है उसी रेश्यो में अगले वर्ष हमें कम राशि मिलती है....

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

(5)

श्री मदनमोहन सिंघल : विभिन्न योजनाओं में विभिन्न प्रतिशत है इसकी लम्बी सूची है....

श्री अध्यक्ष : वह आपसे इतना ही पूछ रहे हैं कि इस साल आप जितना खर्च करोगे अगली साल केन्द्रीय सरकार उससे ज्यादा आपको नहीं देगी। जैसे इन्होंने 100 रुपये दिये और आपने 50 रुपये ही खर्च किये तो अगली साल आपको 50 रुपये से अधिक नहीं मिलेगा, 100 नहीं मिलेंगे।

श्री मदनमोहन सिंघल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको विभागीय सूचना दे देता हूं वर्ष 1989–90 में प्रवर्तित योजनाओं का मूल बजट 395.49 करोड़ रुपये था...

एक माननीय सदस्य : अपने को घाटा होगा, यह समझे ही नहीं।

श्री मदनमोहन सिंघल : 1989–90 में मूल बजट जो दिया हुआ है उसमें 456.34 करोड़ रुपये की सूचना है और यह सूचना जनवरी, 1992 तक की है....

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, आप इस प्रश्न को रहने दीजिये, तैयारी करिये, आज आपने तैयारी कुछ नहीं की है। स्थगित करता हूं।

श्री चुन्नीलाल।

श्री चुन्नीलाल : प्रश्न संख्या 516।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप समझा दें वरना फिर यह गलती कर देंगे।

यह जरूरी नहीं है आप यहां पर हर समय सदन में हाजिर ही हों....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह पूछ लें मैं जवाब दे दूंगा।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप सारे विभाग अपने पास रख लेते, यह सारे खर्चे की बचत हो जाती।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जवाब दे दूं तो आपको क्या आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष : आप तो दे ही सकते हैं, सदन यह चाहता है कि मंत्री जी तैयार होकर जवाब दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

सहकारी संस्थाओं में मुख्य कार्यकारी के पद

516. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सहकारी संस्थाओं में मुख्य कार्यकारी के पद पर चयन हेतु नियम प्रसारित किये गये हैं ?

(2) क्या उक्त नियमों में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, राज्य भूमि विकास बैंक व केन्द्रीय सहकारी बैंक में कार्यरत अधिकारियों को ही मुख्य कार्यकारी के पद पर चयन हेतु योग्य माना गया है और भूमि विकास बैंकों के कार्यरत अधिकारियों को मुख्य कार्यकारी के पद पर चयन हेतु पात्र नहीं माना गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के सहायक प्रबन्धक केन्द्रीय सहकारी बैंकों के शाखा

(श्री चुन्नीलाल)

प्रबन्धकों तथा सहकारी भूमि विकास बैंकों के शाखा सचिवों व सुपरवाइजर्स का वेतनमान एक समान है? यदि हां, तो फिर भूमि विकास बैंकों के अधिकारियों को मुख्य कार्यकारी के पद पर चयन हेतु पात्र क्यों नहीं माना गया है?

(4) क्या यह सही है कि रजिस्ट्रार द्वारा भूमि विकास बैंकों की कुछ शाखाओं को बन्द करने एवं स्ट्रेन्थ से अधिक स्टाफ की छंटनी करने हेतु समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, और इस कमेटी द्वारा की गयी रिपोर्ट की क्रियान्विति 15 मार्च, 1992 से पूर्व चाही गयी है?

(5) यदि हां, तो ऐसा क्यों? जो कर्मचारी छंटनी से बेरोजगार होंगे उनके नियोजन के बारे में क्या सरकार कोई विचार रखती है?

(6) जिन भूमि विकास बैंकों में स्ट्रेन्थ से ज्यादा स्टाफ है क्या उनका समायोजन इन बैंकों में जो विभागीय स्टाफ प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है उन्हें प्रतिनियुक्ति से वापस लिया जाकर अधिक स्टाफ का समायोजन इन पदों के विरुद्ध किया जाना सम्भव है? यदि नहीं, तो क्यों?

सहकारिता मंत्री (श्री चतुर्भुज वर्मा) :

(1) जी हां।

(2) जी हां। शीर्ष सहकारी बैंक, राज्य भूमि विकास बैंक व केन्द्रीय सहकारी बैंकों के जिस वेतनमान तक के अधिकारियों की चयन हेतु पात्रता रखी गयी है उनसे प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के अधिकारियों के वेतनमान कम होने के कारण उनकी चयन हेतु पात्रता नहीं रखी गयी है। चूंकि प्राथमिक भूमि विकास बैंकों का केन्द्रीय सहकारी बैंकों में विलीनीकरण पर विचार किया जा रहा है, अतः वैसे भी प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के सचिवों के लिए शीर्ष सहकारी बैंक व केन्द्रीय सहकारी बैंक व राज्य भूमि विकास बैंक के किसी भी अधिकारी का विशेष चयन नियमों के अन्तर्गत चयन नहीं किया जाएगा।

(3) उपरोक्तानुसार।

(4) जी हां, चूंकि अधिकांश प्राथमिक भूमि विकास बैंक घाटे में चल रहे हैं, अतः मितव्ययता की दृष्टि से खण्डीय संयुक्त रजिस्ट्रार के स्तर पर समीक्षा कमेटी का गठन किया गया है। उक्त कमेटी की रिपोर्ट फरवरी, 1992 में देने एवं उस पर सचिव, भूमि विकास बैंक स्तर पर दिनांक 15-3-1992 तक कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

(5) केन्द्रीय सहकारी बैंकों/प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति एवं व्यय भार वहन करने की क्षमता की दृष्टि से किसी भी शाखा को समाप्त करने एवं सम्बन्धित संस्था में किसी पद की समाप्ति के लिए अपने स्तर पर वैधानिक प्रक्रिया पूरी करते हुए कार्यवाही अपेक्षित है। चूंकि भूमि विकास बैंक स्वायत्तशासी संस्था हैं, अतः राज्य सरकार का उनमें छंटनी होने वाले कर्मचारियों के नियोजन हेतु कोई निर्देश नहीं दिये जा सकते। यदि कोई संस्था अपने

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

रिक्त पद पर अन्य ऐसे छंटनीशुदा कर्मचारी को लेना चाहे तो नियमानुसार रजिस्ट्रार द्वारा इसके लिए अनुमति दी जा सकती है।

(6) यदि सम्बन्धित बैंक का प्रबन्धक किसी पद विशेष के लिए स्टाफ आवश्यकता से अधिक समझे और उन पदों पर विभागीय स्टाफ प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हो तो बैंक के अनुरोध पर विभाग द्वारा ऐसे स्टाफ को प्रतिनियुक्ति से वापस लिया जा सकता है।

श्री चुन्नीलाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने खण्ड 4 में उत्तर दिया है कि आपने 15 मार्च तक अधिकारियों को निर्देश दिये थे। क्या आपके आदेशों की अधिकारियों द्वारा पालना कर दी गयी ?

श्री चतुर्भुज वर्मा : बजट सैशन था और विलीनीकरण की प्रक्रिया चल रही है, सारी बातें देखी जा रही हैं। अगर 10-5 दिन में ....

श्री अध्यक्ष : नहीं, वे क्या पूछ रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज वर्मा : उन्होंने पूछा कि 15--3 तक पूरी प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी ?

श्री अध्यक्ष : आज 24 तारीख है।

श्री चतुर्भुज वर्मा : आज 24 तारीख है, लेकिन बजट सेशन चल रहा है और मेरा अधिकारियों से सम्पर्क कम हो पा रहा है। आज डिमाण्ड है और सारे प्रश्न अनवरत आते जा रहे हैं, इसलिए समय का अभाव था। इस महीने में हम पूरी कर लेंगे।

श्री चुन्नीलाल : एक दूसरा प्रश्न और है, अध्यक्ष महोदय।

क्या भूमि विकास बैंकों और केन्द्रीय सहकारी बैंकों में अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारियों-अधिकारियों को पदोन्नत किया है ? अगर पदोन्नत नहीं किया तो उसका क्या कारण है ?

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय सदस्य ने जो पदोन्नति का पूछा, हमने सामंजस्य बैठाने के लिए सब जगह आदेश दे दिये हैं। लेकिन आपके पूछने का या तो मतलब यह है कि अधिकारी जो एम.डी. स्तर के चुने जाएंगे उनके अन्दर चयन करने का या बैंक के अन्दर पदोन्नति देने का है, यह स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : यह आपने पूछा नहीं इसलिए इससे सम्बन्धित नहीं है। श्री विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : भूमि विकास बैंक और सहकारी बैंक, दोनों ही, जो प्रदेश में चल रहे हैं घाटे में चल रहे हैं और दोनों का एक ही उद्देश्य है अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण देना। दोनों बैंक प्रदेश में अलग-अलग शाखा के रूप में चल रहे हैं, जिन पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और बेशुमार स्टाफ लगा हुआ है। क्या जनहित में दोनों का विलय करके एक करने का विचार है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : सिद्धान्ततः हम इसके पक्ष में हैं, लेकिन कर्मचारियों का थोड़ा विरोध हो रहा है। उनकी समझाइश की कार्यवाही चल रही है। जिस दिन वे समझ जाएंगे, दोनों को कर देंगे।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : फिर कर्मचारियों को ही समझायेंगे, सदस्यों को नहीं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कर्मचारियों का नाम लेकर आपको भी समझा रहा हूं।

रामगढ़ पंचायत (मसूदा) का देवीसागर फीडर

517. **श्री किशनगोपाल कोगटा** (मसूदा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या रामगढ़ पंचायत (मसूदा) अजमेर की देवीसागर फीडर पर विभाग ने कार्य स्वीकृत कर प्रारम्भ किया था ?

(2) क्या देवीसागर फीडर का कार्य पूर्ण हो गया है ?

(3) विभाग ने अब तक कितनी राशि इस फीडर पर खर्च की है ?

(4) क्या सरकार इस फीडर की उपयोगिता को देखते हुए पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा ?

सिंचाई मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी हां, अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत यह कार्य शुरू करवाया गया था।

(2) जी नहीं।

(3) अब तक 3.26 लाख रुपए व्यय किये जा चुके हैं।

(4) जी हां. वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य पूर्ण कराना सम्भव हो सकेगा।

श्री किशनगोपाल कोगटा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मसूदा की विचित्र स्थिति है। तीन चौथाई पहाड़ी क्षेत्र है और एक चौथाई कृषि विस्तार क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र का सारा पानी बहकर चला जाता है। मेरे क्षेत्र में दो बांध-देवीसागर बांध और जालिया बांध हैं। वे जब से बने हैं पानी उनमें भरा नहीं। पिछली सरकार ने एक योजना बनाकर जो पहाड़ी क्षेत्र का पानी बहकर चला जाता है उसको टर्न करके पानी रोकने के लिए देवीसागर फीडर बनायी और 3-4 लाख रुपए खर्च भी किये। लेकिन थोड़ा-सा काम अधूरा रहने से वह सारी योजना बेकार और पानी बहकर चला जाता है। पानी का महत्व खेती के लिए भी है और पीने के लिए भी। सरकार की नीति रही है अधूरे कामों को पूरा करने की। मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि इसको इसी वर्ष अगर पूरा कर दें तो जो पानी बहकर चला जाता है वह रुक जाएगा और उसका उपयोग कृषि और पीने में आएगा। मन्त्री महोदय इसका जवाब दें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिन्ता के

(श्री कैलाश मेघवाल)

साथ अपनी चिन्ता जोड़ता हूं क्योंकि अब इसको पूरा करने में लगभग 5 लाख रुपए की आवश्यकता है और 3.26 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसी वित्तीय वर्ष में सिंचाई विभाग या अकाल राहत विभाग के प्रावधानों से इस पांच लाख की मंजूरी देकर इस कार्य को पूरा करा दिया जाएगा।

संगरिया में उचित मूल्य की दुकान में वितरित नित्य उपयोग की वस्तुएं

518. **श्री हेतराम बेनीवाल** (संगरिया) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

संगरिया विधान सभा क्षेत्र के गांवों में कितनी चीनी, गेहूं, मिट्टी का तेल व अन्य उपयोगी वस्तुएं पिछले 6 माह में वितरित की गयीं। माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या राज्य सरकार की जानकारी में है कि ग्रामीण क्षेत्र में जाने वाला राशन बाजारों में ही ब्लैक में बिक जाता है और विभाग का कोई नियन्त्रण नहीं रहता ? राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या ठोस व्यवस्था करने जा रही है ?

खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री (श्री रामकिशोर मीणा) : संगरिया विधान सभा क्षेत्र के गांवों में जितनी चीनी, गेहूं, मिट्टी का तेल व अन्य उपयोगी वस्तुएं पिछले छः माह में वितरित की गयी हैं उनका माहवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। राज्य सरकार की जानकारी में नहीं है कि संगरिया विधान सभा के ग्रामीण क्षेत्र में जाने वाला राशन बाजारों में ही ब्लैक में बिक जाता है। विभाग का पूर्ण नियन्त्रण है। फिर भी राज्य सरकार ने प्रत्येक उचित मूल्य की दुकानों द्वारा वितरण किये जा रहे राशन पर निगरानी रखने के लिए दुकान स्तर पर सतर्कता समितियों के गठन के आदेश दिये हैं तथा माल थोक विक्रेता द्वारा सीधे खुदरा व्यापारी के द्वार पर पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें)

श्री हेतराम बेनीवाल : मैंने पूछा यह था कि गांवों में आप कितनी चीनी का वितरण करते हैं, कितना मिट्टी का तेल वितरित करते हैं और कितना चावल या खाद्य तेल वितरित करते हैं। आपने यह जवाब दिया है कि संगरिया में गांवों में सितम्बर के महीने में 48 हजार लीटर तेल दिया था। यह गांव के कौनसे दुकानदार को दिया ? किस गांव को दिया ? कहीं कोई आपके पास एक भी मिसाल है ? एक भी बता दें, किस गांव में किस जगह तेल वितरण की कोई दुकान, कोई जगह हो। किसी गांव में तो नाम बतायें। असल में आपने पिछले साल...

श्री अध्यक्ष : इसी का जवाब ले लेते हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं एक ही प्रश्न पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष : दूसरा नहीं पूछना है।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैंने गांवों के अन्दर चावल देने का, चीनी देने का या तेल देने का पूछा था। मेरा जवाब बिल्कुल ही उल्टा दिया है इन्होंने। शहर में जो वितरित किया वह लिख दिया। मेरा स्पष्ट उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र में कितना हुआ और शहरी क्षेत्र में कितना हुआ। ग्रामीण क्षेत्र का उत्तर, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने दिया ही नहीं। इसलिए मैं यह पूछना चाहूंगा, इसको स्पष्ट करें कि आपका उत्तर इस सिलसिले में क्या है?

श्री रामकिशोर मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, शहरों में और गांवों में कोई अन्तर नहीं है। जितनी भी आपके निर्वाचन क्षेत्र में राशन की दुकानें कार्यरत हैं उनको टोटल 48 किलो लीटर...

श्री हेतराम बेनीवाल : किसी गांव में कोई दुकान है क्या? यही तो मैं पूछ रहा हूं।

श्री रामकिशोर मीणा : दुकानें हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : कौनसे गांव में? नाम बताओ न आप एक भी। एक भी नाम बता दें जिस गांव में मिट्टी के तेल की दुकान है। मैं कह रहा हूं लालगढ़ में नहीं, नगराना में नहीं है, किशनपुरा में नहीं है। मिट्टी के तेल के डिपो कहां हैं, यह बता दीजिए आप।

श्री रामकिशोर मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दो साल से एक भी जगह का आपने मुझे नहीं बताया कभी कि कोई किसी गांव में नहीं पहुंच रहा है।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैंने तो पूछा सवाल आपको। मेरा निवेदन यह था, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि सारा माल ब्लैक में बिकता है। सारा माल जो गांवों के कोटे का है वह ब्लैक में बाजार में ही बिकता है दुकानों के अन्दर। यह मेरा एलीगेशन है। आपने इसकी जांच करायी? सतर्कता समितियां बनायीं, सतर्कता समिति में कौनसे सदस्य हैं, वह तो बताइये।

श्री रामकिशोर मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस पूरे प्रकरण की जांच करवा लेता हूं। यदि किसी प्रकार का कहीं पर ब्लैक हुआ है....

श्री हेतराम बेनीवाल : नहीं, नहीं, आप यह आश्वासन दीजिये, कि गांव के अन्दर जो डिपो है, वह डिपो कौन ले गया? वहां से ले जाने वाला कौन है? कहां चला गया? किस गांव में चावल गया? यह इन्क्वायरी कीजिये। आपको जवाब ही यह देना चाहिये था, आपने जवाब तो यह दे दिया।

श्री रामकिशोर मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां अधिकृत राशन विक्रेता हैं जो प्रत्येक पंचायत में 2,000 से 2,500 के बीच में हैं।

श्री अध्यक्ष : हेतरामजी, आप बैठिये। ऐसा था कि 10-5 गांव के नाम बताते कि....

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं चैलेंज करता हूं कि एक भी गांव का नाम बता दें। किस गांव को चावल दिया, वह बता दें।

श्री रामकिशोर मीणा : वह शाम तक उपलब्ध करा दूंगा ।

श्री हेतराम बेनीवाल : गांव में, है ही नहीं व्यवस्था । माननीय अध्यक्ष महोदय, गांव के अन्दर सिवाय चीनी के, और चीनी भी....

श्री अध्यक्ष : जब तक उत्तर नहीं देते हैं, मान लेते हैं कि नहीं हैं । जब वे नाम बता देंगे तो मान लेंगे कि हैं । हो गया । अब उनके पास फिगर नहीं हैं तो आप क्या करोगे ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि गेहूं, चीनी और चावल के जो होलसेल डीलर आपके हैं, वे इसी चालू वित्तीय वर्ष में जिला प्रशासन ने क्रय-विक्रय संघों की डीलरशिप हटा करके प्राइवेट डीलर्स को आवंटित किये और उन प्राइवेट डीलर्स ने तहसील स्तर पर सारा माल शहर में ही ब्लैक कर दिया । गांव में ले जाकर उसको वितरित नहीं किया ।

दूसरा, मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि इस चालू वित्तिय वर्ष में जो केरोसिन के डीलर्स जिला प्रशासन ने नियुक्त किये हैं, वे 80 फीसदी डीलर्स शहरी क्षेत्र के निवासी हैं ? ग्रामीण क्षेत्र के कोई डीलर थे, उनको भी हटाने का आपने काम किया । ग्रामीण क्षेत्र में एक भी डीलर आपने नहीं रखा ।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से केवल यह जानकारी चाहूंगा चूंकि यह ग्रामीण क्षेत्र के सम्बन्ध में सवाल है, यह बात ठीक है.....

श्री अध्यक्ष : आप रिपीट मत करिये । नया पूछना । वह तो रिपीट मत करना । वह तो और पूछेंगे हेतरामजी । आप कोई नयी बात करिये ।

डा. चन्द्रभान : गेहूं और चीनी के डीलर सहकारी समिति के लोग भी है और प्राइवेट लोग भी हैं लेकिन जहां तक केरोसिन तेल का सवाल है, उसके डीलर आप अलग से नियुक्त करते हो । वे लोग कहते हैं कि हमको इसमें लाभ नहीं है । गांव में जहां बिजली आ गई है, वहां पर केरोसिन की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी शहर में है क्योंकि शहरों में स्टोव के माध्यम से लोग खाना बनाते हैं । फिर भी आवश्यकता रहती है तो ग्रामीण इलाकों में या तो जिन लोगों के पास गेहूं, चीनी और चावल की डीलरशिप है, तो उनको केरोसिन का डीलर बना दीजिये या अलग से बनाइये । इस सम्बन्ध में झुंझुनू के जिला कलक्टर से मेरी बात हुई.... ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । आपका सवाल हो गया । आप सवाल तो पूछ रहे हैं कम और सजेशन ज्यादा दे रहे हैं ।

डा. चन्द्रभान : सरकार ने अलग से निर्देश दिये हैं कि उचित मूल्य की दुकानों के साथ देंगे । आप केरोसिन के डीलर गांव में और मुख्य रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर नियुक्त करेंगे क्या ? जब नियुक्त ही नहीं है तो जवाब क्या देंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री हेतरामजी ।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में इन्होंने यह कहा है कि विभाग का पूर्ण नियंत्रण है और, राज्य में प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर सतर्कता समिति बना दी है। अगर सतर्कता समिति तहसील स्तर पर या विधान सभा क्षेत्र के स्तर पर बनाई है माननीय मंत्री महोदय के निर्देश के अनुसार तो मैं उस विधान सभा क्षेत्र का एम. एल. ए. हूं, उसकी कोई सूचना नहीं है, किसी मीटिंग में आज तक नहीं बुलाया गया कि सतर्कता समिति की कोई मीटिंग हो रही है या कोई मीटिंग है। मैं माननीय खाद्य मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि उचित मूल्य की दुकानें जो कोआपरेटिव सोसाइटीज की थी, वे ट्रांसफर की जा रही हैं प्राइवेट लोगो को और जितने डीलर हैं केरोसिन के, टोटल प्राइवेट हैं और वे डीलर्स मिट्टी का तेल डीज़ल में मिलाते हैं। इसकी शिकायत हुई है, जांच हुई है, वहां पर जांच करके एडिशनल एस.पी. ने कई चालान किये हैं और डी. एस. ओ. ने चालान किये हैं। खाद्य मंत्रीजी कहते हो कि कोई शिकायत ही नहीं आई। डी. एस. ओ., सादुलशहर ने समिति से लेकर प्राइवेट को दिया।

श्री अध्यक्ष : वह तो नियंत्रण की बात हुई ना। चालान हुआ है, वह नियंत्रण ही तो है।

श्री हेतराम बेनीवाल : नियंत्रण नहीं, जवाब दिया है कि कोई ऐसी शिकायत नहीं आई और मैं कह रहा हूं कि उनको कैंसिल करके दूसरों को दिया गया राशन बाजार में बिक गया।

श्री अध्यक्ष : वह तो डी. एस. ओ. लैवल पर हो गया। इनके पास काहे को शिकायत जायेगी ? डी.एस.ओ. लैवल पर चालान कर दिया। They have taken action. D. S. O. is empowered to take action.

श्री हेतराम बेनीवाल : डी.एस.ओ. इम्पावर्ड है। डी. एस. ओ. इनके अधीन काम करता है मेरे प्रश्न के जवाब में इन्होंने कहा कि कोई शिकायत नहीं आई, गड़बड़ी की कोई शिकायत नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : इनके पास नहीं आई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : आपकी तरफ से शिकायत नहीं आई, यह कहा है।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं कह रहा हूं कि डिपो ही नहीं खुला।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, बिराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री रामकिशोर मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया था कि जो होलसैलर डीलर नियुक्त कर रहे हैं, कोआपरेटिव सोसाइटीज के स्थान पर प्राइवेट को हम नियुक्त कर रहे हैं। सबसे पहले प्राथमिकता कोआपरेटिव सोसाइटीज को है। वे जब लिखकर दे देते हैं कि हम इस व्यवसाय को नहीं करेंगे, उसके बाद ही टेण्डर्स के द्वारा प्राइवेट डीलर्स को हम अपाइण्ट करते हैं। उसमें भी जब कोई माल ले जाते हैं और कोई गड़बड़ी करते हैं तो उसको हम पकड़कर जो कानूनी

(श्री रामकिशोर मीणा)

प्रावधान है, उसके तहत कार्यवाही करते हैं।

श्री अध्यक्ष : शहरी और ग्रामीण के बारे में पूछा है।

श्री रामकिशोर मीणा : शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे वितरण का मापदण्ड है, वह एक ही है।

श्री अध्यक्ष : डीलर के लिये कहा गया कि गांव में भी शहर के डीलर हैं। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मार्केटिंग सोसाइटी को जयपुर जिले से हटाकर आपने जयपुर के डीलर को अपाइण्ट किया है। यह बिल्कुल असत्य भाषण कर रहे हैं आप। आपका चौमूं में जो होलसेल डीलर था, वह सारा गेहूं जयपुर में ब्लैक करके चला गया। जिला प्रशासन को शिकायत हुई। आप असत्य भाषण कर रहे हैं। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : गांव के लोग तो शहर में आकर तेल ले जाते हैं। डीलर आपके सब शहर के अन्दर हैं, गांध में है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रभान, आप जवाब दीजिये। मंत्रीजी के जवाब की जरूरत नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जवाब दीजिये। तो फिर आप जवाब सुनिये। आप भाषण क्यों देने लगे बीच में। रामेश्वरजी के सवाल के पीछे-पीछे आपने भाषण देना शुरू कर दिया।

डा. चन्द्रभान : भाषण नही दिया मैंने, अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : मेरा निवेदन है कि इस आदत से थोड़ा बचिये। आप बैठिये। आप एक बात हजार बार कहेंगे तो बात तो एक ही है। आपने इनके ध्यान में ला दिया कि गांव में गांव के डीलर होने चाहिए। जहां कोआपरेटिव सोसाइटिज लेती है उनको दिया जाना चाहिये। ये खुद इस बात को मंजूर करते हैं कि जहां कोआपरेटिव सोसाइटिज लेती हैं वहां कोआपरेटिव सोसाइटी को देंगे, जहां गांव के डीलर होंगे, वहां गांव के डीलर को देंगे। अब इसमें अन्तर कहां रहा? अब नहीं है तो इसकी स्पेसिफिक शिकायत करिये कि अमुक गांव के अन्दर गांव का आदमी लेने को तैयार है मगर आपने उसको अपाइण्ट नहीं किया और शहर का कर दिया। अमुक जगह पर कोआपरेटिव सोसाइटी लेने को तैयार है, आप उसको नहीं दे रहे हैं और शहर के लोगों को दे रहे हैं। यह तो स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गये। जनरल बात में दोनों एग्रीड हैं आप के सजेशन से सरकार एग्रीड है। वे डिसएग्री तो कर नहीं रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : नहीं, उन्होंने जवाब गलत दिया है। इन्होंने कहा है कि गांव में दिया नहीं है, यह स्पष्ट करें कि नहीं दी है। यह ठीक है, आनी चाहिये नीति। (व्यवधान)

श्री रामकिशोर मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके निर्वाचन क्षेत्र में कितनी दुकान हैं, इसकी सूचना नहीं है। मैं शाम तक सारी सूचना, जितने भी गांव हैं, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। जो मुझे सूचना दी गई है उसमें यदि कोई गलती है....

श्री हेतराम बेनीवाल : मिट्टी के तेल की दुकान।

श्री रामकिशोर मीणा : हां, मिट्टी के तेल की।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री जितेन्द्र सिंह।

श्री हेतराम बेनीवाल : मंत्रीजी, जिन्होंने गलत जवाब दिया है, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : गांवों में केरोसिन आयल के डीलर है क्या? राजस्थान में कहीं भी कोई केरोसिन आयल का डीलर नियुक्त किया है क्या? पूरे राजस्थान में बता दो। किसी गांव में किया है क्या? (व्यवधान)

श्री रामकिशोर मीणा : किया है। हमने जहां पर भी ग्रामीण क्षेत्र वाले लेने को तैयार है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आपने देख लिया कि हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं कि नहीं है।

श्री हेतराम बेनीवाल : इधर नहीं है, उधर है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : डीलर तो हैं, दुकान नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। डा. जितेन्द्र सिंह।

जैसलमेर में जिला विकास अभिकरण द्वारा व्यय की गई राशि

519. श्री जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जैसलमेर जिले में पिछले एक वर्ष में जिला विकास अभिकरण के द्वारा किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि खर्च की गई? सूची सदन की मेज पर रखे।

(2) उपरोक्त कार्यों से कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए एवं कितने व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ?

राज्य मंत्री, विशिष्ठ योजना संगठन (श्री मान्धाता सिंह) :

(1) जैसलमेर जिले में पिछले वर्ष 1990-91 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा कराये गये कार्य एवं उन पर व्यय की गई राशि की सूची परिशिष्ट "अ" पर सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त कार्यों से 662 व्यक्ति प्रत्यक्ष तौर पर लाभान्वित हुए एवं कार्यों से 17,79,081 मानव दिवसों का सृजन किया गया।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(14)

श्री जितेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला विकास अभिकरण द्वारा जो कार्य कराये गए हैं उनका विस्तार से विवरण परिशिष्ट में दिया गया हैं, परन्तु निर्बन्ध राशि का कहीं भी विवरण नहीं है। मुझे खेद है कि इसकी सूचना आनी चाहिए, क्योंकि इसमें डिस्क्रेशनरी पावर्स ज्यादा होते हैं और उस सूचना का पूरी तरह से प्रश्न के उत्तर में लोप कर दिया गया है।

श्री मान्धाता सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं उनको भिजवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री परसादीलाल मीणा।

ग्राम बाड़ा (दौसा) में सवर्णों द्वारा भूमि पर अतिक्रमण

520. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या दौसा जिले की लालसोट तहसील के ग्राम बाड़ा में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों को आबंटित भूमि पर उच्च जाति के लोग जबरन कब्जा कर खेती करते हैं जिसकी जिलाधीश दौसा को कई बार शिकायत करने पर भी मदद नहीं मिली है ?

(2) ग्राम बाड़ा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने आवेदकों को भूमि आबंटित है तथा कितने लोगों के खिलाफ न्यायालय में मामला विचाराधीन है ?

(3) क्या जिन लोगों के खिलाफ न्यायालय में मामला नहीं है उन्हें भी प्रशासन जान-बूझकर मदद नहीं कर रहा है ?

राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति दौसा की बैठक दिनांक 2.8.1991 में विधान सभा क्षेत्र लालसोट के विधायक महोदय ने अवगत कराया कि ग्राम बाड़ा पंचायत महारिया में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों को आबंटित भूमि पर सवर्ण जाति के लोग काश्त नहीं करने देते जिस पर तहसीलदार, लालसोट को धारा 183 (बी) के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये हैं।

(2) ग्राम बाड़ा तहसील लालसोट में अनुसूचित जाति के 5 एवं अनुसूचित जन जाति के 18 आवेदकों को वर्ष 1988-89 में भूमि आबंटित की गई है। इन 23 आबंटियों में से 18 आबटियों ने सक्षम न्यायालयों में वाद/निगरानी दायर की है, जो सभी विचाराधीन हैं।

(3) जी नहीं।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि खण्ड (1) में जो जिलाधीश ने धारा 183 (बी) में कार्यवाही करने के लिए तहसीलदार को पत्र लिखा उस पर तहसीलदार ने क्या कार्यवाही की ? दूसरा, खण्ड दो में इन्होंने कहा है कि वाद दायर किये गये हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि किस की तरफ से वाद दायर किए गए हैं, क्या किसी न्यायालय का उसमें स्थगन आदेश है ? यदि न्यायालय का आदेश हुआ है, मान लें कि आदेश था तो किस तारीख को हुए ?

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 183 (बी) के लिए आदेश जरूर दिए गए लेकिन कहे 23 आवंटियों में से अधिकांश ने दावा दायर कर रखा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, पहले तो 183 (बी) का पूछ रहे हैं कि तहसीलदार ने उसमें क्या किया ?

श्री परसादीलाल मीणा : तहसीलदार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री गंगाराम चौधरी : तहसीलदार ने 183 (बी) के अन्तर्गत किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की। इसका कारण अर्ज कर देता हूं कि इन 23 में से 1 से 3 तक जो सूची मैंने दे रखी है, वह सूची आपको मिली होगी ?

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, कोई सूची नहीं मिली मुझे।

श्री गंगाराम चौधरी : इन 23 में से 3 आदमियों का खुद का कब्जा है, 7 ने बोर्ड आफ रेवेन्यू से स्टे ले रखा है और 11 ने ए. सी. एम. कोर्ट से....

श्री अध्यक्ष : यह स्टे किसने ले रखा है ? जिनको अलाटमेंट किया उन्होंने या किसी दूसरों का कब्जा था उन्होंने ले रखा है ?

श्री गंगाराम चौधरी : मेरे पास डिटेल नहीं है लेकिन जो सूचना मुझे मिली है उस हिसाब से कलक्टर ने बताया है कि आवंटियों ने खुद ने स्टे ले रखा है.... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आवंटियों ने खुद ने कब्जा मांगा है आपकी सतर्कता समिति की मीटिंग में, वह तो खुद आवंटन चाहते हैं वह खुद कैसे स्टे लेंगे ?

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करूं कि 188 (बी)... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : क्या आप यह अनुभव करते हैं कि इस सवाल का जवाब ठीक नहीं है ? आप इसकी जांच कर लीजिए और जानकारी करके दे दीजिए जवाब। पूरी जांच करिए यह तो एपेरेंटली कामनसेंस को अपील नहीं करती है कि जिनको अलाटमेंट हुआ है वह स्टे लेंगे ? यह देखिये कामनसेंस की बात है। आप पता कर लीजिए और पता करके जवाब दे दीजिए।

श्री गंगाराम चौधरी : मैं अर्ज करूं कि परमामेंट इंजेक्शन के लिए 188 (बी) में दावा किया...(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : किसने दावा किया है ? यह तो बतावें कम से कम।

श्री गंगाराम चौधरी : 188 में.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थगित कर देता हूं आगे के लिए आप पता कर लीजिये। नेक्स्ट। श्री भंवरलाल।

छापरताल वन अभयारण्य

521. **श्री भंवरलाल** (सुजानगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) छापरताल वन अभ्यारण्य केन्द्र

(16)

(श्री भंवरलाल)

में कुल कितने हिरण हैं ? अन्तिम बार हुई गणना और पिछले 5 वर्षों की हरिणों की गणना के अनुसार गणना तिथि दर्शाते हुये हिरणों की संख्या क्या रही है ? इनमें काले हिरण कितने हैं तथा अन्य प्रकार के कितने ?

(2) इस वन अभ्यारण्य केन्द्र में अन्य कौन-कौन से व कितनी संख्या में देशी व विदेशी पक्षी मौजूद हैं ?

(3) क्या सरकार ने इस एशिया प्रसिद्ध अभ्यारण्य केन्द्र (काले हिरणों के लिये) के विशेष रूप से विकास की कोई योजना बनाई है ? यदि नहीं, तो क्या कोई योजना तैयार करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या और कब ?

(4) सरकार ने इस अभ्यारण्य केन्द्र की जानकारी देश के अन्य भागों की जनता को देने के क्या प्रयास किए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) छापर में हिरणों के चारे, पानी की सुलभता के लिये सरकार ने पिछले इस वर्षों में कितना-कितना बजट रखा ? हिरणों की संख्या के अनुपात में यह राशि क्या पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या बजट में बढ़ाने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन राज्य मंत्री (श्री जीवराम कटारा) : (1) तालछापर वन्य जीव अभ्यारण्य में 1419 हिरण हैं। अन्तिम बार गणना 28 मई, 1991 में हुई है और पिछले पांच वर्षों की हिरणों की गणना के अनुसार गणना तिथि दर्शाते हुए हिरणों की संख्या निम्न प्रकार रही है:—

क्र.सं.	गणना तिथि	काले हिरण	चिंकारा	योग
1.	3-5-1987	2300	—	2300
2.	1-5-1988	1000	—	1000
3.	20-5-1989	936	—	936
4.	9-5-1990	1305	2	1307
5.	28-5-1991	1417	2	1419

(2) अभ्यारण्य केन्द्र में पक्षियों की गणना नहीं की जाती है। तालछापर अभ्यारण्य में देखे गए देशी व विदेशी पक्षियों की लिस्ट सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" में रख दी गई है।

(3) जी हां। इस अभ्यारण्य के प्रबन्धन व विकास के लिए प्रबन्ध योजना बनाई गई है।

(4) जी नहीं। अभ्यारण्यों के प्रचार

(जीवराम कटारा)

का कार्य पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। वन विभाग द्वारा नहीं।

(5) तालछापर अभ्यारण्य के पशु व पक्षियों को चारा, दाना के लिये पिछले दस वर्षों में निम्न प्रकार बजट आवंटन किया गया है :—

क्र.सं.	वर्ष	आवंटित राशि (लाखों में)
1.	1982-83	0.05
2.	1983-84	0.10
3.	1984-85	0.10
4.	1985-86	0.15
5.	1986-87	0.14
6.	1987-88	0.12
7.	1988-89	0.15
	+	0.90 (अकाल राहत)
8.	1989-90	0.20
9.	1990-91	0.40
10.	1991-92	0.30

इन हिरणों को प्राकृतिक रूप से तन्दरुस्त बनाये रखने के लिए उक्त राशि पर्याप्त है। अभ्यारण्यों में वन्य जीवों को चारा, दाना तभी दिया जाता है, जब प्राकृतिक विपदा के कारण चारे की कमी हो।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री भंवरलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से प्रश्न करना चाहूंगा कि राजस्थान की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी गेम्स सैंक्चुरी तालछापर है और....

श्री अध्यक्ष : काले हिरणों की ओर तो बड़ी बहुत हैं पर स्पेसिफिक काले हिरणों की।

श्री भंवरलाल : मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन भी काले हिरणों का ही है....

श्री रामसिंह विश्नोई : यह सही नहीं है साहब। सैंक्चुरी तो है काले हिरण और भी जगह ज्यादा है। आपका यह कहना सही नहीं है कि तालछापर में ही है। ताल छापर में तो करोड़ों-लाखों रुपये खर्च करके....

श्री अध्यक्ष : अच्छा किया आपने मंत्री जी का भार हल्का कर दिया।

श्री रामसिंह विश्नोई : हां मंत्रीजी की और आपकी, दोनों की बात सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आगे पूछिये।

श्री भंवरलाल : मेरा निवेदन यह है कि चाहे सबसे बड़ी गेम्स सैंक्चुरी नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी 1987 से लेकर अब तक यानि 1987 के अन्दर 300 की नफरी हुई थी वह घटते-घटते कम होती जा रही है, ऐसा क्यों है? दूसरा मेरा निवेदन यह है कि उसमें मादा हिरण कितने हैं और नर कितने हैं? तीसरा मेरा निवेदन यह है कि इस अभ्यारण्य के प्रबंधन के विकास के लिए योजना बनाई है तो क्या योजना बनाई है?

(18)

श्री अध्यक्ष : बैठिये। आपने तीन सवाल पूछ लिये हैं। दूसरी सप्लीमेंटरी भी गई आपकी।

श्री जीवराम कटारा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संख्या घटती जा रही है यह सही नहीं है। यह संख्या 1987-88 में जरूर घटी है लेकिन 1990 में सख्या में बढ़ोतरी हुई है। 1987-88 में प्राकृतिक विपदाओं के कारण से माइग्रेशन हुआ है और उसकी वजह से वापिस नहीं आने की वजह से संख्या घटी है। माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न किया है कि नर और मादा कितने हैं उस सम्बन्ध में मेरे पास जानकारी नहीं है। अगर वह चाहेंगे तो मैं जानकारी दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह जानकारी उनको खूब है।

श्री अध्यक्ष : नहीं वह योजना के बारे में पूछ रहे हैं कि योजना क्या है?

श्री जीवराम कटारा : इसके प्रबन्धन के लिए 45 लाख रुपये की योजना विचाराधीन है। केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजी गई है।

श्री अध्यक्ष : आपका क्या सवाल रह गया है, आपने तीन सप्लीमेंटरी पूछ लिए हैं दो की जगह।

श्री भंवरलाल : खंड है साहब, इसके आधार पर मेरा निवेदन है कि 1983 से 1992 तक इन्होंने जो सूची मुझे दी है चारे और पानी की उसमें कोई लम्बी-चौड़ी बढ़ोतरी नहीं की गई है जबकि खुराक बढ़ती जा रही है। पैसा भी बढ़ता जा रहा है, कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। मेरा निवेदन है कि हिरणों के चारे की व्यवस्था के लिए क्या योजना है, उसमें बढ़ोतरी करने का विचार है या नहीं?

श्री अध्यक्ष : वर्ष 1987-88 में जहां बारह हजार थे, वहां 1989-90 में बीस हैं, 1990-1991 में चालीस हजार हैं।

श्री भंवरलाल : 1991-92 में वापिस कम कर दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, तीस हजार ही कर दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : आप चारे में इण्ट्रेस्टेड हैं कि हिरणों में?

श्री भंवरलाल : चारे में। हिरणों के लिए जो चारा और पानी की व्यवस्था करने का है। मेरा निवेदन है कि वह जो हिरण हैं वह हिरण बाहर निकल जाते हैं उनका शिकार हो जाता है। हिरणों के कम होने का कारण है कि वहां से हिरण बाहर निकल जाते हैं, लोग उनको मार देते हैं, उनका शिकार करते हैं उस कारण से उनके चारे पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : विश्नोई जी।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में विश्नोई बाहुल्य क्षेत्रों में और दूसरी जगह भी हैं, काफी जगह पर हैं। वहां पर हजारों की संख्या में काले हिरण भी हैं और अन्य प्रकार के हिरण भी हैं। काले हिरण का मतलब ही मादा है इसलिए यह तो माननीय सदस्य को अपने

(श्री रामसिंह विश्नोई)

आप ही हो जाती है कि काले हिरण का मतलब ही मादा हिरण होता है....(व्यवधान)—

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं, नहीं, नहीं है।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह गलत है।

श्री भंवरलाल : अध्यक्ष महोदय, यह सही नहीं है कि काले हिरण नर भी हैं, मादा भी है यह रामसिंह जी विश्नोई का कहना असत्य है...(व्यवधान)...

श्री देवीसिंह भाटी : मादा काले रंग की नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्द सिंह गुर्जर। (अनुपस्थित)

स्थगित

(6 मार्च, 1992)

(प्रश्न संख्या–185 कृपया आगे देखें।)

डाक्टर उजला अरोड़ा।

आदर्श कारागार, जयपुर के निवर्तमान संभागीय आयुक्त की रिपोर्ट

522. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि निवर्तमान संभागीय आयुक्त श्रीवास्तव की आदर्श कारागार, जयपुर की वर्ष 1989 की रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गई थीं उनकी अनुपालना नहीं की गई है ?

(2) क्या जेल में इस कारण नशा आदि करने से जुआ की आदतों में बढ़ोतरी हुई है तथा अन्य अपराधों में भी वृद्धि हुई है ?

(3) संभागीय आयुक्त की उक्त रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें तथा यह भी बतावें कि दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ उल्लेखित सिफारिशों के आधार पर क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या और कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्यमंत्री कारागार (श्री जीवराम कटारा) :

(1) केन्द्रीय कारागृह, जयपुर, में दिनांक 29-11-89 को हुई घटनाओं की जांच रिपोर्ट तत्कालीन संभागीय आयुक्त श्री श्रीवास्तव द्वारा अप्रेल, 1990 में दी गई थी जिस पर कार्यवाही विचाराधीन है।

(2) जी नहीं।

(3) संभागीय आयुक्त की उक्त रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है। जांच प्रतिवेदन जो विचाराधीन है, के आधार पर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि यह जो

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

विचाराधीन कार्यवाही है, आपने इस सारी रिपोर्ट का अध्ययन किया होगा....

श्री अध्यक्ष : आपने किया कि नहीं किया ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने कर लिया और बड़ी जल्दी में किया हैं। अभी मिली थी तब मैंने देखा मान्यवर मन्त्री महोदय बताएं कि इस रिपोर्ट में जिन-जिन जेल के नियमों की अवहेलना की गई है उसमें आप सीधी कार्यवाही भी कर सकते हैं, आपने क्यों नहीं की कृपया बताएं। गार्ड के साथ उन लोगों को जिनको मारा गया था, जिनके फ्रेक्चर थे उनको आपने क्यों नहीं भिजवाया और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आपने कार्यवाही क्यों नहीं की ?

नम्बर, दो में आपने यह उत्तर दिया कि जी नहीं, डाक्टर सक्सेना की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि वहां पर नशे की आदतों का लोग शिकार हैं। मैं आपको पढ़कर सुना दूं आर. के. सक्सैना, चिकित्सा अधिकारी ने एक गोपनीय पत्र दिनांक 21.4.90 को प्रस्तुत किया जिसमें जेल में मेडिकल डाइट में हेरा फेरी, बन्दियों के साथ जुआ खेलना, नशीली वस्तुओं का इस्तेमाल करना, बैरकों में अधिक संख्या में बन्दियों का रखा जाना जो आपने खुद स्वीकार किया है कि एक ही बैरक में बहुत ज्यादा....

श्री अध्यक्ष : यह स्वीकार नहीं किया है। यह चार्जेज हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तथा रेमिशन में हेर फेर, पेन्शन आदि में गड़बड़ी इन सब मामलों को जब आपके सामने लाया गया तब आपने इतने दिनों में क्या कार्यवाही की, मन्त्री महोदय बताएं यदि नहीं की तो क्यों नहीं की ?

श्री जीवराम कटारा : अध्यक्ष महोदय, जैसा जांच रिपोर्ट में देखा होगा कि जांच रिपोर्ट में यह है कि, प्रारम्भ में जांच रिपोर्ट में दोषी या अनियमितता के विरुद्ध लिखा गया लेकिन जो अन्तिम सार के रूप में निर्णय दिया है उसमें किसी के विरुद्ध में भी कोई ऐसा मामला जो जांच के लिए बने ऐसा नहीं आया है इसलिए सरकार इसका परीक्षण कर रही है कि किसी के विरुद्ध कोई स्पेसिफिक केस बने उसके आधार पर ही यह कार्यवाही की जायेगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि इसमें आपने साफ लिखा कि चोटें लगी हैं, फ्रेक्चर हुए हैं और उन्होंने यह लिखा है कि डराने धमकाने की वजह से किसी ने जेल में साक्षी नहीं दी। तो मैं पूछना चाहूंगी कि ऐसा वातावरण उपलब्ध कराने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के खिलाफ आपने कार्यवाही क्यों नहीं की जिन्होंने इतना भय उत्पन्न किया कि चोटें होते हुए भी उनकी जांच नहीं की जा सकी और उन्होंने गवाही नहीं दी।

श्री अध्यक्ष : आपने यह रिपोर्ट पढ़ी कि नहीं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने रिपोर्ट पढ़ी है ?

श्री अध्यक्ष : ऐसा है इसमें निष्कर्ष में लिखा है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि दिनांक 19.11.89 को जेल में तथाकथित मारपीट की घटना की शिकायत का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने से सारहीन पाई गई।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने यही कहा आपसे कि सत्यनारायण पारीक को यह कह दिया गया जिसने खुद शिकायत की थी....

श्री अध्यक्ष : आपके सामने रिपोर्ट है ना।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पेज नम्बर 7, पैरा नम्बर 4 में इसमें लिखा गया कि मैंने गलती से शराब के नशे में यह गवाही दी थी।

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका सवाल। क्या सवाल है आपका ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : सवाल यह है कि जेल का वातावरण गलत है, जेल में अपराध होते हैं, अपराधों को इग्नोर किया जाता है उनको डरा धमका कर उनके साक्ष्यों को नहीं लिया जाता और वहां पर नशे की लत डाली जाती है और सारा जेल का वातावरण खराब है। आप कार्यवाही करेंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : आपका भाषण समाप्त नेक्स्ट श्री अमीन खां।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, इस स्थिति को सुधारने के लिए मन्त्री महोदय से तो कहें उन्होंने साक्ष्य के अभाव में तो कह दिया लेकिन जेल का वातावरण इतना खराब है, मैं आपसे क्या बताऊं....

श्री अध्यक्ष : आप कितनी बार कहेंगी इस बात को। आप दिन भर यही बात कहती रहें तो आपकी बात अपने पास है. आपने सरकार के ध्यान में ला दिया बहुत अच्छा किया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आपके माध्यम से कहना चाह रही हूं कि आप ही कम से कम उनको कहें इस बारे में।

श्री अध्यक्ष : अब आप मेरे माध्यम से भी कह चुकी, सीधी भी कह चुकी अब और कौनसा तरीका है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं वहां रह चुकी हूं, मैं वहां का वातावरण देख चुकी हूं....

श्री अध्यक्ष : और भी बहुत से लोग रहे हैं।

श्री अमीन खां जी।

फतेहगढ़ (जैसलमेर) में छात्रावास खोलना

523. **श्री अमीन खां (शिव)** : क्या समाज कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार जैसलमेर जिले की

(श्री अमीन खां)

सब तहसील फतेहगढ़ में राजकीय छात्रावास खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) उस क्षेत्र की अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान के लिए सरकार की क्या योजना है ?

(3) जिला बाड़मेर के सीमावर्ती ग्राम गडरारोड के छात्रावास में पानी व बिजली की व्यवस्था क्यों नहीं है ?

(4) शिव का राजकीय छात्रावास मूंगा गांव में क्यों चलाया जा रहा है ? सरकार तहसील मुख्यावास पर छात्रावास भवन कब तक बनाने का विचार रखती है ?

राज्य मन्त्री, समाज कल्याण (श्री कुन्दन लाल मिगलानी) :

(1) जी हां। यह क्षेत्रीय आवश्यकता तथा राज्य के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

(2) अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का विवरण परिशिष्ठ "अ" पर उपलब्ध है।

(3) जिला बाड़मेर के गडरा रोड छात्रावास में वर्तमान में विद्युत एवं पानी के कनेक्शन नहीं हैं किन्तु लालटेन से प्रकाश की व्यवस्था की जा रही है तथा पानी की व्यवस्था भी पास के ही सार्वजनिक नल से की जाती है। विद्युत एवं पानी की व्यवस्था हेतु जिलाधिकारी को निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

(4) शिव में छात्रावास हेतु किराए का उपयुक्त भवन उपलब्ध नहीं होने के कारण मूंगा में छात्रावास चलाया जा रहा है। शिव में उपयुक्त किराए का भवन उपलब्ध होते ही छात्रावास को स्थानान्तरित कर दिया जावेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री अमीन खां : अध्यक्ष महोदय, खण्ड एक में राजकीय वित्तीय संसाधनों पर निर्भर बताया है। क्या मन्त्री महोदय यह सीमावर्ती और फतेहगढ़ सब तहसील का चार हजार वर्ग किलोमीटर का एरिया यहां अनुसूचित जनजाति के लिए आप यह उपयुक्त समझते हैं कि यहां के पिछड़े हुए लोगों को छात्रावास जरूरी है और आपके बजट में भी छात्रावासों की व्यवस्था है। यह बोर्डर एरिया है, पिछड़ा एरिया है और चार हजार फतेहगढ़, जैसलमेर की सब तहसील का वर्ग किलोमीटर के एरिए में छात्रावास खोलने का गम्भीरता से विचार करते हैं ?

नम्बर दो, आपने अनुसूचित जाति की योजनाओं का विवरण दिया है वह भी सन्तोषजनक नहीं है।

नम्बर तीन, गडरारोड़ में 80 बच्चे पढ़ते हैं, 80 बच्चों और गडरा रोड़ गांव का विद्युतीकरण हुआ है सन् 1985 में और 1985 से 1992 तक उस छात्रावास में कनेक्शन नहीं दिया जाना भारी अनिय-

(श्री अमीन खां)

मिलता और प्रशासन की लापरवाही नहीं है? और वहां पानी का नजदीक कतई कनेक्शन नहीं है। वहां एक फोरेस्ट की नर्सरी है। उस नर्सरी से वह बच्चे पानी लाते हैं और गांव में सात साल से विद्युत होने के बाद में लालटेन से कैसे 80-80 बच्चे पढ़ेंगे इस पर गम्भीरता से आप विचार करके तत्काल कोई व्यवस्था करेंगे?

आपने यह फरमाया कि जिलाधीश को निर्देश दिए हैं। जिलाधीश को आप बताएँ क्या निर्देश दिए हैं, कब तक और कैसे व्यवस्था की जाएगी? शिव में अध्यक्ष महोदय, जो छात्रावास खोला है वह बोर्डिंग सुपरीन्टेन्डेन्ट बाड़मेर का रहने वाला और उसका मूंगा गांव में रिश्तेदार रहता है। उस रिश्तेदार के मकान को लाभ देने के लिए मूंगा गांव को छात्रावास ले गए हैं और शिव से मूंगा पांच किलोमीटर है। शिव में मकान देने के लिए किराए पर भी लोग तैयार हैं। शिव तहसील हैडक्वाटर है, पंचायत समिति हैड क्वाटर है। वहां पूर्व में दलित वर्ग संघ की एक संस्था की जमीन है, छात्रावास बना पड़ा है और सीनियर हायर सैकेण्ड्री स्कूल भी है, तहसील हैडक्वार्टर भी है। यह विभाग के बोर्डिंग सुपरीन्टेन्डेन्ट हैं उनकी लापरवाही है। और अपने परिवार के आदमी को लाभ देने के लिए उन्होंने यह काम किया है तो क्या आप इसमें सख्त कार्यवाही करने के निर्देश देंगे। मकान नहीं मिलेगा तो इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, छात्रावास खोलने के लिए माननीय सदस्य ने चाहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज तक इनकी तरफ से वहां छात्रावास खोलने का कोई भी प्रस्ताव अभी तक नहीं मिला है यदि प्रस्ताव आ जाये तो संसाधन जुटा लिये जायेंगे। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि बोर्डर एरिया में पहले भी जहां 60 छात्रावास खोले गये हैं, बोर्डर एरिया को प्रमुख रखा गया है और इसके लिये भी प्रमुख रखा जायेगा। उसके बाद... (व्यवधान) प्रस्ताव आ जायेगा तो खुल जायेगा। उसके बाद गडरारोड छात्रावास के बारे में माननीय सदस्य जानना चाहते हैं मैंने इस चीज को स्वीकार किया है कि वहां पर उस छात्रावास में कनेक्शन ना लाइट का है क्योंकि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना के तहत इस छात्रावास को बनाया गया था उसमें पानी का और बिजली का कनेक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। मगर इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दिनांक 13-3-92 को 17027 के ऊपर यह आदेश जारी कर दिये गये हैं कि तुरन्त प्रभाव से पानी और लाइट का कनेक्शन ले लिया जावे और की गई कार्यवाही से अवगत करवायें। उसके बाद मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि शिव की और मूंगा के छात्रावास की बात है, मैं चाहूंगा कि शिव में अगर यह मकान उपलब्ध करवा देते हैं, जिस रोज मकान उपलब्ध करवा दें उसी रोज छात्रावास की शिफ्ट कर दिया जायेगा और जिसने अपने ही हित में कोई कार्यवाही करने की चेस्टा की है उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। यह मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं।

(२५)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप सन्तुष्ट हैं। श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

स्थगित प्रश्न

(10 मार्च, 1992)

डेयरी फैडरेशन में प्रतिनियुक्त अधिकारी/ कर्मचारी

257. **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (झुन्झुनु) एवं **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या डेयरी फैडरेशन में विगत पांच वर्षों में अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी/कर्मचारी लगाये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस विभाग से किस-किस पद पर किन-किन अधिकारियों/कर्मरियों को लगाया गया है ?

(2) क्या इन अधिकारियों ने प्रतिनियुक्तियों के दौरान अपने पैतृक विभाग से पूर्ण सेवा निवृत्ति ले ली है ? कितने अधिकारी पेन्शन का लाभ ले रहे हैं ? उनके नाम पद सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त अधिकारियों ने डेयरी फैडरेशन को अपने-अपने पैतृक विभाग से पूर्ण सेवा निवृत्ति लेने की कोई लिखित सूचना दी थी तथा डेयरी फैडरेश ने इससे सरकार को सूचित किया ? यदि हां, तो कब ?

(4) क्या डेयरी फैडरेशन ने सरकार के नियमों के विरूद्ध उन सेवा निवृत्त अधिकारियों को वेतन पूर्ण पेन्शन का लाभ सहित देने का प्रस्ताव रखा था ? उपरोक्त अवधि में किन-किन अधिकारियों को इस प्रकार का लाभ दिया जा चुका है ? डेयरी फैडरेशन को जितनी राशि इस पर व्यय करनी पड़ी ? क्या इससे राज्य सरकार को सूचित किया गया था ? क्या डेयरी फैडरेशन इस प्रकार के प्रस्ताव पारित कर उस पर अमल करने का अधिकार रखता है ?

(5) इस प्रकार के वेतन व पेन्शन एक साथ देने पर डेयरी फैडरेशन को अब तक कुल कितनी हानि उठानी पड़ी है ? सरकार ने अब तक इस पर क्या कार्यवाही की है ?

राज्य मंत्री, दुग्ध विकास (श्री उम्मेद सिंह) : (1) जी हां, अन्य विभागों से विगत पांच वर्षों में प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं, चूंकि सूची में उल्लेखित अधिकारियो को सेवानिवृत्ति की आवश्यकता नहीं थी। पेंशन लाभ का प्रश्न नहीं है। राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आने के लिए राज्य सरकार की सेवा से सेवानिवृत्ति की आवश्यकता नहीं है।

(3) आवश्यकता नहीं थी।

(4) इसकी आवश्यकता नहीं है।

(5) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

(25)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे भी अधिकारी और कर्मचारी राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन में हैं जो 1980 से 1985 के मध्य डेयरी में प्रतिनियुक्ति पर आये और प्रतिनियुक्ति पर आने के बाद उन्होंने अपने मूल विभाग से कम्पलसरी रिटायरमेंट ले लिया। आज वह डेयरी से तो वेतन ले रहे हैं और अपने मूल डिपार्टमेंट से पेन्शन लेकर दोहरा लाभ ले रहे हैं। इससे डेयरी को कितने लाखों रुपयों का अब तक नुकसान हुआ? ऐसे लोगों की शिकायतें आपको इन्डिविशुअल भी मिली हैं, विधायकों ने भी आपको पत्र लिखे हैं, अखबारों में खूब छपी है इसमें आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं? ऐसे कितने अधिकारी हैं और इससे डेयरी को कितना आर्थिक नुकसान हुआ यह बतायें।

श्री उम्मेद सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पांच वर्ष का पूछा है। इन पांच वर्षों में कोई अधिकारी, कोई भी कर्मचारी सेवा निवृत्त नहीं हुआ है, न पेन्शन का फायदा उठा रहा है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह तो आपने कह दिया। यह तो मेरी समझ में आ गया। मैं यह पूछ रहा हूं कि 1980 से 85 के बीच में भी इस तरीके के कोई अधिकारी या कर्मचारी हैं जिनकी शिकायत आपको कई बार दी गयी है।...(व्यवधान)...जांच की बात नहीं हैं। आप इस तरीके से दबायेंगे नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सीधा-सीधा भ्रष्टाचार का मामला है और ऐसे लोग मौजूद हैं जो दोहरा लाभ आज भी ले रहे हैं और एक ही वेतनलाभ दिखाकर उससे आयकर को भी नुकसान हो रहा है। आपके राज्य के राजस्व को नुकसान हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। आपने सवाल गत पांच वर्षों का पूछा है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सप्लीमेन्ट्री तो पूछ रहा हूं मैं।

श्री अध्यक्ष : जब आप स्पेसिफिक वर्ष पूछते हैं तो मंत्री उसी का जवाब देंगे। आप 100 साल पहले का पूछ लेंगे तो...

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : 100 साल का नहीं पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आपने पांच वर्षों का पूछा है। पांच का जवाब दे दिया, आपने पूछा 1980 से 85, वह पांच से ज्यादा 10 का हो गया। 10 का आपने पूछा नहीं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं कुछ नाम बताता हूं जो दोहरा लाभ ले रहे हैं। मैंने 10 का पूछा था, यह कह कर कि लम्बा हो जायेगा पांच का कर दिया गया। मेरा मूल प्रश्न मंगवा कर देख लें, आप, अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं इनके पास पास सप्लीमेन्ट्री में जवाब है आप देने दीजिए इनको।

श्री अध्यक्ष : मंत्री को बाध्य नहीं किया जा सकता वह पांच साल का ही बतायेंगे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने 10 का पूछा था अध्यक्ष महोदय, इसको पांच का किया गया। मैं नाम बता रहा हूं ऐसे...

श्री अध्यक्ष : इनके पास सवाल पांच का है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं इनको जानकारी दे रहा हूं। इनके नोटिस में यह बात तो है...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : आपको बता देंगे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ मुझे बताने का सवाल नहीं है। हमें कोई पर्सनली किसी से कुछ नहीं है। मैं तो राज्य सरकार को जो नुकसान हो रहा है आर्थिक रूप से और जो दोहरा लाभ ले रहे हैं..

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी इसकी जांच करा लेंगे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : जांच कैसे करा लेंगे श्रीमान् मैं मंत्रीजी से पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आपने इनको पूछा है पांच वर्ष का इसलिए मैं कैसे बाध्य करूं कि 10 वर्ष का बताइये।

श्री नत्थीसिंह : इनके ध्यान में है तो बता दें।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : इनको शिकायत भी की गई है इसके सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने साफ कह दिया कि पांच वर्ष में नहीं है।

श्री उम्मेद सिंह : माननीय सदस्य ने पांच वर्ष के लिये कहा है। पांच वर्ष में तो कोई नहीं है लेकिन अखबारों के माध्यम से मुझे शिकायत मिली तो मैंने 21-12-91 को फाइनेन्स सेकेट्री को लिखा, मुख्य मंत्री जी को लिखा और डेयरी एम.डी. को लिखा कि इसकी जांच की जाये। जांच चल रही है वित्त सचिव के लेबल पर और जांच आने पर किसी भी अधिकारी ने अगर पेन्शन और वेतन दोनों का फायदा लिया है तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी...(व्यवधान)

श्री जगमालसिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जिसका सवाल है उसको सन्तुष्ट हो जाने दीजिए।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं यह कह रहा हूं...(व्यवधान)...

श्री उम्मेदसिंह : मैं यह कह रहा हूं कि जांच वित्त सेकेट्री के लेवल पर चल रही है उसकी जांच रिपोर्ट आने पर जो भी अधिकारी दोषी पाया जायेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं यह कह रहा हूं कि पांच वर्ष का प्रश्न छपा है इसलिये पांच वर्ष का जवाब दे दिया। मैं इससे अलग हटकर कह रहा हूं कि इसी सदन के माननीय सदस्यों ने मंत्रीजी को इस सम्बन्ध में लिखित में शिकायत की। मुख्य मंत्रीजी को भी शिकायत की। मुख्य मंत्रीजी ने उसका जवाब दिया उक्त विधायकों को कि प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

को-आपरेटिव डेयरी के निजी सचिव श्री सुरेन्द्र कुमार और अन्य कर्मचारी जो दोहरा लाभ ले रहे हैं इनके सम्बन्ध में आपका शिकायत पत्र प्राप्त हुआ। मैं इस पर आवश्यक कार्यवाही करवा रहा हूं। उसके बाद इस पर कार्यवाही नहीं हुई। तीन वर्ष बीत गये उस पर भी कार्यवाही नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : तारीख कौनसी है ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह लिखा गया 1989 में और इसका जवाब दिया गया उसी वक्त। माननीय काली चरण जी सर्राफ का पत्र...(व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रश्न को छोड़िये। शिकायत तो इनके पास आ गई, तीन वर्ष बीत चुके हैं लेकिन उस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की। आज भी अनेक कर्मचारी दोहरा लाभ ले रहे हैं। उसका जवाब देने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : हो गया इसका जवाब। 1989 में शिकायती पत्र दिया है उसमें क्या हुआ उसका पूछ रहे हैं ..(व्यवधान)

श्री उम्मेदसिंह : जांच चल रही है। उसकी जांच रिपोर्ट अभी मुझे प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : जांच चल रही है क्या ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : कब तक हो जायेगी। तीन साल से चल रही है। यह भी बता दें। इस पर कब तक कार्यवाही हो जायेगी।

श्री उम्मेदसिंह : आपने जिन अधिकारियों के बारे में पूछा। ऐसे 67 अधिकारी आये हैं डेपुटेशन पर, पैतृक विभाग से। चार अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने पेन्शन प्राप्त की है उसमें तीन आदमियों ने पेन्शन देना शुरू कर दिया है एक के कागज बन गये हैं। उसकी स्वीकृति हो चुकी है। आपको बता दिया जांच करने के लिए मैंने वित्त सचिव को लिखा। उनकी पेन्शन बन्द कर दी गई है और जांच रिपोर्ट आने के ऊपर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी और जो पेन्शन ले रहे हैं वह पेन्शन वापस ली जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक...

श्री अध्यक्ष : आप नहीं चाहते कि अगला सवाल लें।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं यह चाहता हूं कि जिन अधिकारियों के नोटिस में यह बात थी कि यह दोहरा लाभ ले रहे हैं उनके खिलाफ भी क्या आप कार्यवाही करेंगे ? जिन्होंने जानबूझ कर दोहरा लाभ दिया है।

श्री उम्मेदसिंह : निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री जगमालसिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछना चाहा था...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 9 मार्च, 1992)

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मचारियों के सेवा नियम

212. **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर) : क्या विशिष्ट योजना-संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने जिला ग्रामीण-विकास अभिकरण के कर्मचारियों हेतु सेवा नियम बनाये हैं ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या इन कर्मचारियों पर राजस्थान सेवा नियम लागू होते हैं ?

(3) क्या इन कर्मचारियों को पेन्शन का लाभ दिये जाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर सरकार कब तक निर्णय लेने का विचार रखती है ।

उत्तर

(1) जी नहीं, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण केन्द्रीय सरकार के मिनिस्ट्री आफ रूरल रिकन्स्ट्रक्शन के पत्र क्रमांक एस–11011/43/81–आई आर डी–11 दिनांक 10 मार्च, 1981 में दिये गये निर्देशों के अनुसार रजिस्ट्रेशन आफ सोसाइटीज एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है । अभिकरणों को शाषी परिषद अपने कर्मचारियों के सन्दर्भ में नियुक्ति प्राधिकारी होने के नाते उनके सेवा विनियम बनाने एवं लागू करने के लिये सक्षम है । राज्य सरकार के स्तर से एकरूपता की दृष्टि से सेवा विनियमों का एक माडल तैयार कर 1983 में अभिकरणों को भेजा था ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 6 मार्च, 1992)

रोजगार प्रेरक योजनायें

185. **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या मुख्य (वित्त एवं आयोजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्तमान सरकार द्वारा रोजगार प्रेरक योजनाओं के सम्बन्ध में सुझाव हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था ? यदि हां तो उक्त कमेटी की रिपोर्ट व उस पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या नवीन रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकार कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से घटाकर 55 वर्ष करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य में बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन कर पूर्ण रोजगार प्रदान करने के अवसरों के लिए सुझाव देने हेतु प्रो. वी. एस. व्यास की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था । समिति का प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्राप्त हो गया है

मुख्य (वित्त एवं आयोजना) मंत्री

जिस पर राज्य सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है। तथा सदन की राय जानने के लिए रिपोर्ट इसी सत्र में प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव है।

(2) जी नहीं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या-796

(स्थगित)

राज्य को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

797. **श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (सोजत): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर राज्य सरकार को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मिलेगी? यदि हां, तो कुल कितनी राशि मिलेगी और किन-किन विभागों को कितनी-कितनी राशि 8वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मिलेगी? पिछले वित्त आयोग की सिफारिशों की तुलना में कितनी राशि अधिक मिल सकेगी?

(2) क्या यह सही है कि मरुस्थलीय इलाकों के विकास हेतु पर्वतीय स्थलों के विकास की पद्धति पर केन्द्रीय सहायता मिलेगी? यदि हां, तो कुल कितनी-कितनी राशि किन-किन विभागों को मिलेगी! सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि नवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार (वर्ष 90-95) में अधिक केन्द्रीय सहायता प्राप्त होगी। नवें वित्त आयोग के आधार पर मिलने वाली केन्द्रीय सहायता का विवरण निम्न प्रकार है :—

	(राशि करोड़ रु. में)
(1) करों और शुल्कों में हिस्सा	4613.83
(2) सहायता अनुदान (आयोजना भिन्न व आयोजना के अन्तर्गत)	1446.79
(3) क्रमोन्नत कार्य हेतु सहायता	—
(4) राहत व्यय हेतु अनुदान	465.00
	6525.62

आठवीं पंच वर्षीय योजना 1990-95 के स्थान पर 1992-97 से आरम्भ होगी। वर्ष 1995 से 1997 के लिये अभी केन्द्रीय सहायता के निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। विभागवार विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है। प्रतिवर्ष के व्यय अनुमानों के अनुसार विभागवार राशि आवंटित की जाती है। योजनान्तर्गत कार्यक्रम की रूपरेखा योजना आयोग से प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित कराई जाती है तथा उसी के अनुसार प्रावधान किये जाते हैं।

(वित्त मंत्री)

पिछले वित्त आयोग की तुलना में 4849.45 करोड़ रुपये की अधिक राशि प्राप्त होगी।

(2) मरुस्थलीय इलाकों के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार से राशि 100 प्रतिशत सहायतार्थ प्राप्त होती है। वर्ष 91-92 में राशि रुपये 38.00 करोड़ आवंटित है।

1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिये 19.50 लाख रुपये आवंटित किये जाते हैं। एक जिले को 5.00 करोड़ से अधिक का आवंटन नहीं किया जा सकता है। यह राशि उद्यान, सिचाई, भूमि भू-संरक्षण, वानिकी, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिक, भू-जल विभाग व पंचायत समितियों को आवंटित की जाती है। राशि आवंटन करने के माप दण्ड निम्न प्रकार है :—

मृदा तथा जल संरक्षण	15 प्रतिशत
जल स्रोत	20 प्रतिशत
वानिकी	40 प्रतिशत
अन्य (पशुओं को पीने का पानी)	15 प्रतिशत
प्रशासनिक व्यय	10 प्रतिशत

प्रशासनिक व्यय में बढ़ोतरी

798. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में योजना मद एवं गैर योजना मद का प्रशासनिक व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है ?

(2) प्रशासनिक व्यय में बढ़ोतरी के क्या कारण हैं ? प्रशासनिक व्यय कम करने के लिए गत दो वर्षों में क्या-क्या उपाय किये गये ?

(3) क्या यह सही है कि प्रशासनिक व्यय अधिक से अधिक 10 प्रतिशत होना चाहिए ? दस प्रतिशत तक प्रशासनिक व्यय लाने के लिए सरकार क्या उपाय करने जा रही है ?

उत्तर

(1) राज्य का वर्ष 1991-92 का अनुमानित प्रशासनिक व्यय 1329.76 करोड़ रुपये हैं जो कुल योजना एवं गैर योजना व्यय का लगभग 24.93 प्रतिशत है।

(2) प्रशासनिक व्यय में बढ़ोतरी मुख्य रूप से वेतन, मजदूरी, चिकित्सा पुनर्भरण एवं यात्रा व्यय में वृद्धि के कारण हुई है। महंगाई बढ़ने के कारण महंगाई भत्ते में वृद्धि हुई है।

प्रशासनिक व्यय कम करने के लिए गत दो वर्षों में जो प्रयत्न किये गये वह निम्न हैं :—

1. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री श्री ललित किशोर चतुर्वेदी की अध्यक्षता में एक वित्त शीर्ष समिति का गठन किया गया।

[आदेश क्र.प. 6(9) प्र.सु./3/90 दि : 5-4-90]

2. विकास आयुक्त श्री राजेन्द्र जैन की अध्यक्षता में एक मितव्ययता समिति का गठन किया गया।

[आदेश क्र.प. 6(9) प्र.सु./3/90 दि : 5-4-90]

(वित्त मंत्री)

3. सभी प्रशासनिक सचिवों को अपने अधीन विभागों के व्यय का पुनरीक्षण करने के लिये निवेदन किया गया।

(3) राज्य का प्रशासनिक व्यय उपरोक्तानुसार 24.93% है जिसे एक साथ कम किया जाना सम्भव नहीं है। प्रशासनिक व्यय में धीरे-धीरे कमी आवे, इसके लिये राज्य सरकार सतत् प्रयत्नशील रही है।

(आदेशों की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

सहायक लेखाधिकारियों के रिक्त पद

799. श्री कुबेर सिंह (फलासियां) : क्या मुख्य मंत्री (वित्त) यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सहायक लेखाधिकारियों के रिक्त पदों के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक अगस्त, 1991 में हो चुकी है? यदि हां, तो क्या चयनित व्यक्तियों को पदोन्नति कर दी गई? यदि नहीं, तो पदोन्नति नहीं करने के क्या कारण है?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रभावित व्यक्तियों द्वारा उच्च न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने पर उन्हें 1-4-91 से पदोन्नति देने का निर्णय किया जा चुका है? यदि हां, तो क्या सरकार उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित लेखाकारों को पदोन्नत करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक और कितने व्यक्तियों को पदोन्नत कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। पदोन्नति का मामला अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) मामला अभी विचाराधीन है।

सैलस टैक्स एन्टीइविजन विंग की उपयोगिता

800. श्री दिलसुखराय चौधरी (फतेहपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में व्यापारियों की निगरानी के लिए बिक्री कर विभाग ने सैलस टैक्स एन्टीइविजन विंग चला रखी है? यदि हां, तो स्थानीय जिला बिक्री कर अधिकारी के होते हुए इस शाखा की क्या उपयोगिता है?

(2) क्या यह सही है कि विगत वर्षों में सीकर शहर में एन्टीइविजन सी. टी. ओ. एवं ए. सी. टी. ओ. के विरोध में दो बार सीकर बन्द हुआ था? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) रजिस्टर्ड व्यापारियों हेतु स्थानीय स्टाफ के होते हुए एन्टीइविजन विंग की क्या उपयोगिता है?

उत्तर

(1) हां। यह सही है कि राज्य के व्यापारियों के निगरानी के लिए बिक्रीकर विभाग ने सैलस टैक्स एन्टीइविजन विंग

(वित्त मंत्री)

चला रखी है तथा कुछ जिलों में नियमित वाणिज्यिक कर अधिकारी के होते हुए वाणिज्यिक कर अधिकारी, एन्टीइविजन नियुक्ति की गई हैं ताकि करापवंचन व्यवसायी/व्यक्तियों परिवहन कर्त्ताओं की की अवैधानिक गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके।

(2) यह सही है कि विगत वर्ष 1991 में एन्टीइविजन अधिकारियों के विरोध में दो बार (दो बार) सीकर बन्द हुआ था। प्रथम बार दिनांक 27-9-91 को मैसर्स इण्डिया मोटर्स, सीकर की चैंकिग के विरोध में सीकर आटोमोबाईल्स डीलर्स एसोसियेशन के द्वारा दिनांक 28-9-91 एवं 29-9-91 को मोटर पार्टस की दुकानें बन्द रखी गई तथा उनके समर्थन में दिनांक 30-9-91 को सीकर बाजार बन्द रहा। [दूसरी] बार दिनांक 11-12-91 को वाणिज्यिक कर अधिकारी, एन्टीइविजन झुन्झुनू द्वारा मैसर्स पवनकुमार प्रदीपकुमार सीकर की चैंकिग करने और करापवंचन का अभियोग बनाने के विरोध में हुए झगडे के बाद दिनांक 12 व 13 दिसम्बर, 91 को सीकर बन्द रहा। वाणिज्यिक कर अधिकारी, एन्टीइविजन झुन्झुनू द्वारा उक्त झगड़े के सम्बन्ध में पुलिस कोतवाली सीकर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, जिसकी जांच लम्बित बताई गई है।

(3) प्रथम प्रश्न में उत्तर दिया गया है। इसके अलावा यह विंग विभाग का काउन्टर चैकिंग का कार्य भी करता है। कार्य की अधिकता के कारण नियमित वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा ऐसे व्यवसायियों/व्यक्तियों पर विशेष निगरानी रखना पूरी तरह सम्भव नहीं होता है। एन्टीइविजन विंग द्वारा करापवंचन व्यवसायी और परिवहन कर्त्ताओं की अचानक जांच कर मामले बनाए जाते हैं, जिनसे राज्य सरकार को राजस्व आय में वृद्धि हुई है तथा इससे राज्य सरकार को बिक्री-कर से होने वाली आय पर भी परोक्ष रूप से अच्छा प्रभाव पड़ा है। यह व्यवस्था अन्य राज्यों में भी है।

राटामलवाली (लूणकरणसर) के ध्वस्त किले का मुआवजा

801. **श्री मोहनलाल** (कपासन): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आबाद गांव राटामलवाली, तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर के ध्वस्त किले की मुआवजा राशि का भुगतान कितनी राशि का, किस व्यक्ति ने लिया ?

(2) उक्त ध्वस्त किले तथा उस ग्राम को सरकारी नियंत्रण में कब लिया गया था ?

(3) क्या उक्त ध्वस्त किला राज्य सरकार की सम्पत्ति थी ?

उत्तर

(1) तहसील लूणकरणसर के गांव राटामलवाल में ध्वस्त किले के नाम से कोई सम्पत्ति दर्ज नहीं है और न ही रिकार्ड के अनुसार राटामलवाली के ध्वस्त किले का मुआवजा जारी हुआ है।

(राजस्व मंत्री)

(2) ग्राम राटामलवाली में कोई किला स्थित ही नहीं है, अतः सरकारी नियन्त्रण में लेने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(3) मौके पर कोई किला ही नहीं अतः ध्वस्त किला, राज्य सरकार की सम्पत्ति होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

वेतनमान 2200–4000 के पदों में पदोन्नति अवसर का अभाव

802. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या मुख्य मंत्री (कार्मिक) यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वेतनमान 2200-4000 में ऐसे अनेक पद हैं जिनके लिये पदोन्नति का कोई अवसर नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि ऐसे पदों पर कार्यरत अनेकों अधिकारियों की नियुक्ति के बाद उसी पद पर कार्य करते हुये उन्हें 15 वर्ष से अधिक हो चुके हैं ?

(3) क्या सरकार ऐसे पदों पर नियुक्त अधिकारियों को चयनित वेतनमान देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। जिन आर. ए. एस. अधिकारियों का सेवा अभिलेख खराब है, केवल उन्हीं को पदोन्नति से वंचित रखा गया है।

(3) राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला से वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नति दी जाती है। चयनित वेतन श्रृंखला में पदोन्नति पर केवल वरिष्ठ वेतन श्रृंखला के अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाता है।

लेखा संवर्ग के पदों पर हुई पदोन्नतियों में अनियमितता

803. **श्री भरोसी लाल** (हिण्डौन) एवं **श्री निर्भय लाल** (रूपवास) : क्या मुख्य मंत्री (कार्मिक) यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोष एवं लेखा विभाग में वर्ष 1980 से 1990-91 तक लेखाकार/सहायक लेखाधिकारी पदों पर पदोन्नतियों में हुई अनियमितताओं की जांच कर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (क-5) द्वारा दिनांक 2–11–1991 को जांच रिपोर्ट जारी की गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने दिनांक 28-11-1991 को कोष एवं लेखा विभाग में वर्ष 1980 से 1990 91 तक पूर्व आयोजित डी. पी. सी. बैठकें रिव्यू/रिओपन करने के निर्देश जारी किये हैं ? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें। राज्य सरकार कब तक उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, । कोष एवं लेखा विभाग के लेखाकारों एवं सहायक लेखाधिकारियों के पदों पर पदोन्नति के संबंध में निदेशालय द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर जांच प्रतिवेदन सभापति, अनु. जाति कल्याण समिति को दिनांक 2-11-91 को भेजा गया था । इसकी प्रति सदन की पटल पर प्रस्तुत है ।

(2) जी हां । प्रश्न के प्रथम भाग के संबंध में अनुसूचित जाति कल्याण समिति द्वारा लिए गये निर्णय की अनुपालना में वर्ष 1980 से 1991-92 तक के वर्षों हेतु विभागीय पदोन्नति समिति का पुनरावलोकन करने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने की कार्यवाही करने हेतु कार्मिक (क-5) विभाग के पत्र दिनांक 28-11-91 द्वारा निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग को निवेदन किया गया । पत्र की प्रति सदन की पटल पर प्रस्तुत है । प्रश्न के अन्य भाग में जिसमें उक्त आदेशों की पालना कब तक सुनिश्चित करने हेतु पूछा गया है के संबंध में निवेदन है कि कार्मिक (क-5) विभाग के निरीक्षण प्रतिवेदन में मुख्यत: रिक्त पदों के निर्धारण संबंधी मामले उठाये गये थे । कार्मिक (क-5) विभाग द्वारा तैयार किया गया प्रतिवेदन निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग को दिनांक 18-7-91 को उनकी टिप्पणी हेतु भेजा गया था । निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग ने अपने पत्र दिनांक 10-9-91 के द्वारा कार्मिक विभाग के प्रतिवेदन से असहमति प्रकट की और निवेदन किया कि कार्मिक विभाग के प्रतिवेदन के संबंध में एक बैठक बुलाई जावे ताकि वास्तविक स्थिति का आंकलन किया जा सकें । चूंकि कार्मिक (क) विभाग के प्रतिवेदन में पदों के निर्धारण संबंधी मामले उठाये गये थे, अत: यह निश्चिय किया गया कि इस प्रकरण को सुलझाने के लिए एक समिति का गठन किया जावे जिसमें कार्मिक (क-2) विभाग के उप सचिव (जो इस प्रकरण में संबंधित है) को भी सम्मिलित किया जावे । अत: निम्न अधिकारियों की एक समिति गठित की गई :—

1. उप शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग ।

2. उप शासन सचिव, कार्मिक (क-5) विभाग ।

3. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग ।

4. सहायक शासन सचिव, वित्त विभाग ।

उक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जिसे, सभापति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति, राजस्थान विधान सभा जयपुर को दिनांक 28-2-92 को भेजा जा चुका है (प्रति संलग्न है) समिति के प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि जो पदोन्नतियां हुई है उनमें आरक्षित वर्ग के हितों को किसी प्रकार से जाने अथवा अनजाने में आघात नहीं पहुंचाया गया है और यदि विभागीय पदोन्नति समिति की पिछली बैठकों का पुनरावलोकन किया जाता है तो इस वर्ग के कुछ व्यक्तियों का

(मुख्यमंत्री)

जिन्हें पदोन्नति का लाभ प्राप्त हो चुका है, उससे भी उन्हें वंचित होना पड़ेगा। अनुसूचित जाति कल्याण समिति से निवेदन किया गया है कि समिति द्वारा 1991-92 की चयन समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन पर जो रोक लगाई गई है उसे हटा लिया जावे। समिति दिनांक 28-2-92 को भेजी गई रिपोर्ट से सहमत नहीं है और अभी पत्र व्यवहार चल रहा है।

(रिपोर्ट की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मिट्टी के तेल में मिलावट

804. **श्री शिवजीराम** (जहाजपुर): क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि थानाधिकारी फागी, जयपुर ग्रामीण ने दिनांक 19 जून, 1991 की रात्रि को करीब एक बजे चित्तौड़ा रेनवाल मांजी स्थित पेट्रोल पम्प मैसर्स ओम चौधरी मोटर्स पर मिट्टी के तेल का टैंकर आर. एम. डी. 3895 को मिलावट करते हुए पकड़ा था और दिनांक 20 जून, 1991 को उप-खण्ड अधिकारी, सांभर मौके पर आये थे? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार इस प्रकरण में कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। दोषियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही नहीं करने पर तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सांभर, तत्कलीन प्रवर्तन अधिकारी, सांभर एवं थाना प्रभारी अधिकारी, फागी के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

(2) प्रश्न के भाग (1) में अंकित अधिकारियों द्वारा पैट्रोल पम्प पर डीजल के टैंक में मिलावट करने का प्रकरण दर्ज नहीं करने के कारण पैट्रोल पम्प के विरुद्ध प्रमाण के अभाव में अब कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है।

राज्य में दलहन एवं तिलहन को स्टॉक सीमा पर प्रतिबन्ध

805. **श्री दिलसुख राय चौधरी** (फतेहपुर):—क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में दलहन एवं तिलहन की स्टॉक सीमा पर प्रतिबन्ध लागू है? यदि हां, तो क्या यह प्रतिबंध व्यापारियों द्वारा स्वयं के खरीदे हुए माल पर ही लागू है?

(2) क्या यह सही है कि किसान की उपज का मूल्य सही नहीं मिलने से कई बार बिक्री उसी रोज नहीं होती है? यदि हां, तो क्या किसान को उपज का दलाल द्वारा अमानत पट्टी काट कर स्टॉक में दर्ज किया जाता है? यदि हां, तो, क्या किसान की बिक्री रहित उपज प्रतिबन्ध स्टॉक में शामिल नहीं होती? यदि हां, तो इससे

(श्री दिलसुख राय चौधरी)

सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य में काफी व्यापारी सिर्फ दलाल का ही कार्य करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार कृषि जिन्सों की आड़त करने वाले व्यापारियों को आवश्यक वस्तु अधिनियम लाइसेन्स से मुक्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह प्रतिबन्ध यदि कोई व्यापारी स्वयं के खरीदे दलहन एवं तिलहन के साथ-साथ कमीशन ऐजेन्ट का कार्य भी करता है और कमीशन का माल उसके गोदाम में 15 दिन से अधिक अवधि के लिए संग्रहीत होता है, तो उस पर भी यह प्रतिबन्ध लागू होता है।

(2) यह सही है कि किसान की उपज का मूल्य सही नहीं मिलने, कई बार बिक्री उसी रोज नहीं होती है। दलाल का मण्डी में कोई कारोबार स्थल नहीं होता है। अतएवं दलाल द्वारा अमानत पट्टी काट कर किसान की उपज को अपने स्टॉक में दर्ज करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) राज्य में दलाल, आड़तिया व डीलर के एक समान कार्य नहीं है। आड़तिया व डीलर को राज्य सरकार द्वारा निश्चित् सीमा से अधिक मात्रा का कारोबार करने पर राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980 के अन्तर्गत लाइसेन्स लेना आवश्यक है किन्तु केवल दलाली करने वालों के लिए उक्त आदेश के तहत लाइसेन्स लेना आवश्यक नहीं है।

मन्दिर ललित किशोर, चौड़ा रास्ता, जयपुर की सम्पत्ति

806. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मन्दिर ललित किशोर, चौड़ा रास्ता, जयपुर देवस्थान विभाग की सम्पत्ति है ? इस मन्दिर की सीमायें क्या हैं ? इसकी सीमाओं और क्षेत्र के मूल नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मन्दिर के भीतरी चौक के ऊपर वाली पूरब और पश्चिम की दोनों छतों को पुस्तकालय के विस्तार हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री जयपुर राज्य ने 1945 में आरक्षित कर दिया था ? और सार्वजनिक निर्माण विभाग ने निर्माण का नक्शा भी प्रस्तुत किया था ?

(3) क्या यह सही है कि मन्दिर की पूर्व एवं पश्चिम दिशा की छतों पर उसके बाद अतिक्रमण हुआ है ? यह अतिक्रमण और निर्माण कब-कब और किसकी स्वीकृति से तथा किसके द्वारा किया गया है ? पूर्ण विवरण और नक्शा सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या मन्दिर में निर्माण कार्य स्वयं विभाग कराता है या सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कराया जाता है ? मन्दिर में नीचे की दुकानों का फैलाव

(श्रीमती उज्जला अरोड़ा)

और छतों पर अतिक्रमण का निर्माण किसके द्वारा और कब-कब किया गया? पूर्ण ब्योरा सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि इस मन्दिर का मूल और प्रारम्भिक रूप से पृथक् रास्ता पश्चिम की ओर निर्धारित था? उसे क्यों बन्द कर दिया गया? मन्दिर के इस पृथक् द्वार पर दुकान बनवाने की स्वीकृति कब और किसके द्वारा दी गई?

(6) मन्दिर की कितनी सम्पत्ति और क्षेत्र किस-किस को कब-कब से कितने-कितने किराये पर हैं और किराये की राशि किसे प्राप्त होती है? प्राप्त राशि का उपयोग किस प्रकार किया जाता है?

(7) क्या यह सही है कि मन्दिर में जाने आने तथा व्यापारियों के लिए भी पुस्तकालय के प्रवेश द्वार का ही उपयोग किया जा रहा है? क्या पुस्तकालय में शान्तिपूर्ण अध्ययन, सुरक्षा और व्यवस्था के लिए यह उपयुक्त है?

उत्तर

(1) जी हां। मन्दिर श्री ललितकिशोर जी चौड़ा रास्ता, जयपुर राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी का मंदिर है। जो राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के अन्तर्गत पंजीकृत भी है।

इस मंदिर की सीमायें निम्न प्रकार हैं:—

उत्तर में:-फुटपाथ सरकारी (त्रिपोलिया बाजार)

दक्षिण में:-हवेली व्यासान

पूर्व में:-मकानात मंदिर

पश्चिम में:-चौड़ा रास्ता बाजार

नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) तत्कालीन जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री द्वारा मंदिर के भीतरी चौक की ऊपरी छतों को पुस्तकालय के विस्तार हेतु आरक्षित करने के किसी आदेश के बारे में देवस्थान विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

(3) मंदिर की छतों पर अतिक्रमण की सूचना की शिकायत देवस्थान विभाग में प्राप्त नहीं हुई है। सुपुर्दगार/प्रन्यासियों के अनुसार मौके की जांच अनुसार सन् 1963 में पश्चिमी छत को आलोक गर्ग को किराये पर दिया गया है। श्री गर्ग ने पूर्ण पश्चिमी छत पर टिनशेड डालकर निर्माण करवाया है। पूर्वी छत पर कोई निर्माण या अतिक्रमण नहीं हुआ है।

(4) मंदिर में निर्माण न तो देवस्थान विभाग द्वारा करवाया जाता है ना ही सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण एवं मरम्मत इत्यादि स्वयं सुपुर्दगार/प्रन्यासी करवाते है। प्रन्यासियों द्वारा दी गई सूचनानुसार मंदिर की दुकानों का फैलाव व छतों पर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है।

(5) सन् 1925 के सेटिलमेंट के नक्शे के अनुसार मंदिर में पश्चिम की ओर

(देवस्थान मंत्री)

अलग से रास्ता होना नहीं दर्शाया गया है। अतः ऐसा प्रतीत नहीं होता कि मंदिर का रास्ता अलग से था। अतः रास्ता बन्द करके दुकान निर्माण करने का प्रश्न ही नहीं है।

(6) मंदिर की सम्पदा में कुल किरायेदारों एवं किराये सम्बन्धी सूची संलग्न है। किराये की राशि वंशपरम्परागत प्रन्यासी लेते आ रहे है। प्राप्त राशि का उपयोग इस मंदिर की मरम्मत सेवा-पूजा व भोग-राग आदि के प्रबन्ध में किया जाता है। किरायेदारों के पास भवन का क्षेत्रफल एवं कब्जा कब से है इसकी सूचना सुपुर्दगार/प्रन्यासीयों द्वारा प्रेषित नहीं की गयी है।

(7) यह सही है कि पुस्तकालय व मंदिर में आने जाने के लिए सदैव से ही एक ही मुख्य द्वार है। मंदिर व पुस्तकालय का एक ही मुख्य द्वार होने से पुस्तकालय में अध्ययन में बाधा पड़ने की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। पुस्तकालय की सुरक्षा हेतु अलग से पहरेदार नियुक्त है।

(विवरण व नक्शे की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

विभिन्न परियोजनाओं से अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन

807. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत चार वर्षों में प्रति वर्ष अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किस-किस परियोजना के अन्तर्गत किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गत दो वर्षों में अतिरिक्त क्षमता सृजन करने के लिए कितनी-कितनी राशि का किस-किस सिंचाई परियोजना में आवंटन किया गया और उसके क्या परिणाम रहे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत चार वर्षों में जिन परियोजनाओं में सिंचाई क्षमता अर्जित की गई उनकी परियोजना वार सृजित सिंचाई क्षमता का विवरण परिशिष्ट "अ" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) गत दो वर्षों में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजन के लिए जिन परियोजनाओं पर बजट आवंटित किया गया एवं सिंचाई क्षमता सृजित की गई उसकी सूचना परिशिष्ट--"ब" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

चूरू जिले के अकाल ग्रसित राजस्व ग्राम

808. **श्री भंवरलाल** (सुजानगढ़) : क्या बाढ़ एवं अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू जिले में इस वर्ष कितने राजस्व ग्रामों को अभावग्रसित किया गया है ? तहसीलवार ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री भंवरलाल)

(2) तहसीलवार कितने गांवों में अकाल राहत कार्य खोले गये हैं तथा कौन कौन से गांवों में क्या-क्या कार्य शुरू किये गये हैं ?

(3) इस वर्ष जिला चूरू में अकाल राहत कार्यों पर कितना रुपया खर्च किया गया ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) अभी तक पूरे गांवों में अकाल राहत नहीं खोले जाने के क्या कारण हैं तथा अब कब तक अकाल राहत कार्य खोल दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) चूरू जिले की तहसील सरदारशहर के 145 गांव रतनगढ़ के 69 गांव एवं डूंगरगढ़ के 72 गांव कुल 286 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है । तहसीलवार सूची परिशिष्ट—"अ" पर संलग्न है ।

(2) तहसीलवार स्वीकृत किये गये राहत कार्यों की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है ।

(3) राहत कार्य इसी पक्ष में आरम्भ किये गये हैं । अतः पक्ष के अन्त में भुगतान किया जावेगा । अब तक कोई भुगतान नहीं किया गया है ।

(4) चूरू जिले की प्रभावित तहसीलों में जवाहर रोजगार योजना—द्वितीय के नाम से राहत कार्य खोले जाने की स्वीकृति दी है तथा मार्च, 92 के लिए 10,000 श्रमिकों की सीमा निर्धारित की है । चूरू जिले की शेष तहसीलों में राहत कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में कार्यवाही विचाराधीन है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

गंग कैनाल की जलापूर्ति में ह्रास

809. श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री गंगानगर जिले की गंग कैनाल को पानी देने वाली बीकानेर कैनाल में पानी प्रसार की क्षमता में पिछले पांच वर्षों में कितना ह्रास हुआ है । पूरे क्षेत्र को सिंचित करने व सभी कार्यों के लिए पूरा पानी देने के लिए कितना पानी इसमें चलना चाहिए ?

(2) इसके जीर्णोद्धार हेतु आवश्यक राशि, समय व आंठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित राशि का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

(3) गंग कैनाल को पानी देने वाली बीकानेर कैनाल का निर्माण कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) गंगानगर जिले की गंग कैनाल के पंजाब में स्थित भाग में आकल्पिक 80 क्यूसेक्स के ह्रास की बजाय लगभग 400-500 क्यूसेक्स ह्रास हो रहा है ।

(सिंचाई मन्त्री)

. बीकानेर कैनाल की पूर्ण क्षमता बुर्जी 45 पर 2720 क्यूसेक्स है तथा राजस्थान सीमा पर 2640 क्यूसेक्स है। यदि यह पानी राजस्थान को मिलता रहा तो इस पूरे क्षेत्र को सिंचित करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

(2) इस परियोजना पर वर्ष 1991-92 के अन्त तक 21.42 करोड़ रुपये व्यय हो जावेगा। पंच वर्षीय योजना में खर्चे के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। आवश्यकता अनुसार इस राशि को घटाया/बढ़ाया जा सकेगा।

(3) गंग कैनाल को पानी देने वाली बीकानेर नहर का पुन: निर्माण प्रारम्भ होने के पश्चात 4–5 वर्षों में करना सम्भव हो सकेगा।

बांसवाड़ा जिले में एनिकट निर्माण कार्य

810. श्री सोमा (बागीडोरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बांसवाड़ा जिले के लिए वर्ष 1991-92 में कितने एनिकट बनाने का प्रस्ताव था ?

(2) किन-किन एनिकटों के निर्माण कार्य पूरे किये गये ?

(3) कौन-कौन से एनिकट निर्माणाधीन हैं तथा कितने अधूरे पड़े हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1991-92 में कोई एनिकट बनाने का प्रस्ताव नहीं है। सामान्यतया यह कार्य डी. आर. डी. ए. द्वारा कराया जाता है।

(2) प्रश्न नहीं उठता है।

(3) कोई एनीकट निर्माणाधीन नहीं है। पूर्व के जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत चालू किये गये तीन एनिकट अपूर्ण हैं।

बांसवाड़ा जिले की दायीं व बायीं मुख्य नहरों की सीपेज से क्षति

811. श्री सोमा (बागीडोरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बागीडोरा क्षेत्र में उदेला माइनर, केसरपुरा से टोडी पाडला, सारनपुरा, छोटी बस्सी आदि माइनरें अधूरी पड़ी हैं ? अब इनका निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जावेगा ?

(2) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले में दायीं व बायीं मुख्य नहरों एवं उनकी माइनरों से पानी सीपेज हो रहा है तथा इससे अधिकांश गरीब काश्तकारों की भूमि खराब हो रही है तथा भूमि उपयोगहीन हो रही है ? क्या राज्य सरकार ऐसी भूमि के काश्तकारों को कोई मुआवजा या सहायता देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) यदि नहीं, तो क्या इस सीपेज को रोकने का कोई उपाय करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। निर्माण कार्य प्रगति पर है व आगामी रबी से पूर्व पूर्ण कर सिचाई सुविधा उपलब्ध करादी जावेगी।

(2) माही परियोजना की बायीं एवं दायीं नहर एवं वितरिकाएं/उप वितरिकाएं कच्ची एवं भराई में होने के कारण कुछ रिसाव होता है। परन्तु इस रिसाव के कारण कृषकों की किसी भी भूमि को कोई नुकसान नहीं हुआ है न ही कोई भूमि उपयोगहीन हो रही है। अतः मुआवजा/सहायता देने का प्रश्न ही नहीं है।

(3) जी हां। बजट की उपलब्धता के अनुसार नहरों के संवेदनशील स्थानों पर लाइनिंग का कार्य करवाया जा रहा है।

पटवारी व जिलेदारों के रिक्त पद

812. **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवां): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में सिचाई विभाग के अधीन कितने पटवारी कार्यरत हैं ?

(2) पटवारी से जिलेदार में पदोन्नति हेतु क्या प्रक्रिया निर्धारित की हुई है ? आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) पटवारी तथा जिलेदार के कितने कितने पद रिक्त हैं इन पर सरकार कब तक नियुक्ति करने का विचार रखती है।

(4) क्या वर्ष 1991 में जिलेदार पद पर पदोन्नति के लिए प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किए गए थे ? यदि हां, तो वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति न करके प्रार्थना-पत्र आमंत्रित करके पदोन्नति के पीछे विभाग की क्या मंशा है ? प्रार्थना-पत्र आमंत्रित करने से सम्बन्धित आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि स्नातक स्तर तक शिक्षित कर्मचारियों से प्रार्थना-पत्र आमंत्रित करने हेतु प्रसारित आदेश प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक भी उपखण्ड कार्यालयों में नहीं पहुंच सके ? यदि हां, तो किस-किस उपखण्ड कार्यालय में उक्त आदेश नहीं पहुंचे ?

उत्तर

(1) राज्य में सिचाई विभाग के अधीन 1,500 पटवारी कार्यरत हैं।

(2) नियमों में जिलेदार के रिक्त पदों के 25 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाने हैं। नियमों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) पटवारियों के लगभग 16 पद और जिलेदार के 45 पद रिक्त हैं। जी हां, सरकार इन्हे शीघ्र भरने हेतु विचार रखती है। जिलेदारों को पदोन्नति का मामला, नियमों में संशोधन के लिए कार्मिक विभाग में विचाराधीन है।

(4) वर्ष 1991 में जिलेदार पद पर पदोन्नति के लिये प्रार्थना पत्र आमंत्रित नहीं किये गये थे। सीधी भर्ती के लिये प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये गये थे।

(सिंचाई मन्त्री)

(5) कुछ उपखण्डों में आदेश देर से प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसलिये देर से प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्रों को भी स्वीकार किया गया है। विलम्ब के कारण कोई प्रार्थना पत्र निरस्त नहीं किया गया है।

(नियमों की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

पंचायत समिति आनन्दपुरी की माही नहर का अपूर्ण निर्माण कार्य

813. **श्री सोमा** (बागीडोरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

क्या यह सही है कि पंचायत समिति आनन्दपुरी की माही नहर (केनाल) अधूरी पड़ी हुई है? यदि हां, तो इसका कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा?

उत्तर

जी हां। नहर पर कार्य चल रहा है। इस नहर का कार्य यदि आवश्यकतानुसार बजट उपलब्ध होता रहा तो 1996-1997 में पूर्ण करवा दिया जायेगा।

गजनाई (पाली) बांध का पुनर्निर्माण कार्य

814. **श्री खंगार सिंह चौधरी** (खारची) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार पाली जिले के गजनाई बांध के पुनः निर्माण का कार्य कब तक आरम्भ करने का विचार रखती है?

(2) इस बांध के निर्माण में कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है?

(3) क्या इस बांध के निर्माण की फाइनल रिपोर्ट मय तखमीना के तैयार कर ली गई है? यदि हां, तो किन कारणों से आज तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया?

उत्तर

(1) गजनाई बांध का पुनः निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप शुरू किया जा सकेगा।

(2) बांध के निर्माण हेतु मौजूदा दरों पर रुपये 191.855 लाख व्यय होने का अनुमान है।

(3) जी हां। बांध का आकलन विचाराधीन है। यह बांध पूर्व में टूट गया था अतः पुनः प्रारम्भ कराने से पूर्व सभी प्रकार की जांच कराना आवश्यक है।

बस्सी के "खारली प्रोजेक्ट" पर व्यय राशि

815. **श्री कन्हैयालाल** (बस्सी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बस्सी विधान सभा क्षेत्र की खारली नदी पर "खारली प्रोजेक्ट" नामक एक योजना स्वीकृत है? यदि हां, तो यह योजना कब स्वीकृत हुई तथा इसके लिए सरकार ने अब तक कितना धन मुहैया करवाया और उसमें से कितनी राशि अब तक व्यय हुई?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा धन उपलब्ध कराये जाने की तुलना

(श्री कन्हैयालाल)

में कार्य बहुत कम हुआ है और विभाग के अभियन्ताओं द्वारा उपलब्ध धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच करवाई या करवाने जा रही है ?

(3) क्या यह भी सही है कि अभियन्ताओं द्वारा भारी मात्रा में सीमेंट लोहा एवं पत्थर आदि खरीदा है ? यदि हां, तो कब-कब और कितना-कितना तथा खरीदा गया सामान कहां गया ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां, यह योजना वर्ष 1987-88 में स्वीकृत हुई है । इस योजना के लिए सरकार ने रुपये 50 लाख आवंटित किये हैं जिसमें से राशि रुपये 37.57 लाख व्यय किये जा चुके हैं ।

(2) जी नहीं, वर्ष 1990-91 तक उपलब्ध कराई गयी राशि के अनुरूप कार्य करवाया गया है, वर्ष 1991-92 में ठेकेदार एवं विभाग के बीच कुछ विवादों के कारण कार्य बन्द रहने के कारण उपलब्ध राशि के अनुरूप कार्य नहीं हुआ है । कार्य ठीक प्रकार से नहीं किये जाने बाबत एक शिकायत राज्य अन्वेषण ब्यूरो में प्राप्त हुई थी जो अभी उनके पास विचाराधीन है ।

(3) इस योजना के आवश्यकतानुसार 3100 थैले सीमेन्ट खण्डीय स्टोर से कार्य पर मार्च, 91 में निर्गमित किया गया था । यह सीमेन्ट कारली बांध के कार्य आरम्भ नहीं होने के कारण कानोता बांध के कार्य पर ले जाया गया है, लोहा व पत्थर नहीं खरीदा गया है ।

आसीन्द के तालाबों एवं बांधों की मरम्मत पर व्यय

816. **श्री लक्ष्मीलाल** (आसीन्द) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आसीन्द तहसील में सिंचाई विभाग के अधीन कौन-कौन से बांध या सिंचाई के तालाब है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त बांधों अथवा तालाबों की नहरों की खराब स्थिति को ठीक करने के लिये वर्ष 1985 से अब तक प्रत्येक वर्ष में कितना-कितना व्यय किया गया ? प्रत्येक बांध या तालाब वाइज सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार का मरम्मत के अभाव में क्षतिग्रस्त पालों तथा नहर के रख-रखाव पर तुरन्त ध्यान देकर उचित बजट का प्रावधान करने का विचार है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) आसीन्द तहसील में सिंचाई विभाग के कुल 58 बांध/तालाब है जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) आसीन्द तहसील के बांध/तालाबों व उनकी नहरों के रख-रखाव पर वर्ष

(सिंचाई मंत्री)

1985 से आज तक प्रत्येक वर्ष में निम्नानुसार व्यय हुआ है।

वर्ष	रख-रखाव पर किया गया व्यय (लाखों में)
1985-86	4.72
1986-87	4.21
1987-88	4.11
1988-89	5.50
1989-90	5.86
1990-91	5.36
1991-92	6.84

(3) समिति वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने की वजह से मरम्मत/रख-रखाव पर सीमित बजट उपलब्ध हो पाता है। अधिकांश राशि वर्कचार्ज स्टाफ के वेतन में ही खर्च हो जाती है। अतः अति आवश्यक कार्यों के लिए ही राशि आवंटित करना संभव होता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ व फतेहपुर तहसीलों में अकाल राहत कार्य

817. **श्री दिलसुख राय चौधरी** (फतेहपुर) : क्या बाढ़ एवं अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ एवं फतेहपुर तहसीलों के कई ग्रामों में किसानों ने इस वर्ष जितना बीज बोया था उतनी भी पैदावार नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस क्षेत्र के ग्रामीणों को राहत प्रदान करने के लिए कोई अकाल राहत कार्यक्रम प्रारम्भ किये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अविलम्ब राहत कार्य प्रारम्भ करके ग्रामीणों को राहत प्रदान का करने विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

सीकर जिले की तहसील लक्ष्मणगढ़ एवं फतेहपुर के कई ग्रामों में फसल का खराबा 75% से 100% का हुआ है। राज्य सरकार ने अभी केवल एक फसली मरुस्थलीय जिलों और जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अभाव स्थिति की घोषणा की है। लक्ष्मणगढ़ व फतेहपुर तहसीलों में अभाव स्थिति की घोषणा विचाराधीन है अगले 15 दिन में इन क्षेत्रों में कार्य प्रारम्भ कर दिये जायेंगे।

ग्राम मोडारिया (डेगाना) में तालाब निर्माण कार्य

818. **श्री रिछपालसिंह** (डेगाना) : क्या बाढ़ व अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह भी सही है कि वर्ष 1987-88 में अकाल राहत कार्यों के दौरान पंचायत समिति डेगाना (नागौर) द्वारा ग्राम मोडारिया, तहसील डेगाना के तालाब का निर्माण करवाया गया था ? यदि हां, तो उक्त कार्य की स्वीकृत राशि कितनी थी ? उस राशि में से कितनी राशि का भुगतान किया गया ? कितनी राशि का भुगतान

(श्री रिछपालसिंह)

अभी तक बकाया है? बकाया राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

यह सही है कि वर्ष 87-88 में अकाल के दौरान पंचायत समिति डेगाना द्वारा ग्राम मोडारिया में राहत कार्यों के अन्तर्गत तालाब का निर्माण कार्य करवाया गया था। कार्य की स्वीकृत राशि 1.00 लाख रुपये थी। मूल्यांकन के अनुसार कुल कार्य 9890 रुपये का हुआ था। इसमें से श्रम के पेटे 7840/– रुपये का भुगतान बकाया है। जिसके तुरन्त भुगतान के सम्बन्ध में जिला कलक्टर नागौर को लिखा गया है।

अकाल ग्रस्त जिलों में सस्ते चारे की व्यवस्था

819. **श्री हेतराम बेनीवाल** (संगरिया): क्या बाढ़ एवं अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के कुल कितने जिलों में अकाल है तथा उनमें चारे की क्या स्थिति है? क्या सरकार ने किसी जिले में सस्ते चारे को उपलब्ध करवाने का प्रबन्ध किया है?

(2) क्या बाड़मेर जैसलमेर, बीकानेर चूरू व गंगानगर अकालग्रस्त हैं तथा क्या वहां चारे का भाव डेढ़ रुपया प्रति किलो है?

(3) क्या यह भी सही है कि किसानों ने महंगे चारे के अभाव में पशुधन विशेष कर गायों व बछड़ों, बछड़ियों को छोड़ दिया है और वे आवारा घूम रहे हैं?

(4) क्या इन आवारा छोड़ी गई गायों को हजारों की तादाद में बूचड़ खानों में भेजने के लिए प्रदेश से बाहर भेजा जा रहा है? क्या कुछ गायों को पाकिस्तान की ओर भी धकेल कर कुछ तत्व पैसा कमा रहे हैं?

(5) क्या यह सही है कि शहरों के आसपास के गांवों से पशुधन शहरों में छोड़ा जा रहा है और वहां से तस्करी हो रही है? क्या सरकार को इसकी जानकारी है?

(6) बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू व गंगानगर में राज्य सरकार ने गायों के लिए चारे का क्या प्रबन्ध किया है? राज्य सरकार ने अब तक कितने चारे के डिपो खोले हैं? उन पर कितना चारा उपलब्ध है?

उत्तर

(1) राज्य में अब तक 5594 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है, शेष प्रस्तावों का परीक्षण किया जा रहा है। राज्य में चारे की स्थिति अधिकतम जिलों से संतोषप्रद है।

(2) बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर तथा चूरू जिले की तहसील सरदारशहर, डूंगरगढ़, रतनगढ़ को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। जिला चूरू की अभावग्रस्त तहसीलों में, चारे का भाव 140/– रुपये से

(बाढ़ एवं अकाल राहत मंत्री)

150/– रुपये प्रति क्विंटल है। अन्य जिलों में भाव इससे कम है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

(6) जिला बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू व गंगानगर में पशुओं को चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में कार्यरत सहकारी समितियों/स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से बिना लाभ बिना हानि के आधार पर चारे की व्यवस्था करने हेतु ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु 102.60 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है उक्त जिलों में चारा डिपोज कार्यरत है। राज्य सरकार ने कोई चारा डिपो सरकारी तौर पर नहीं खोले हैं। चारे की व्यवस्था स्वयंसेवी संस्थाओं व सहकारी संस्थाओं द्वारा कराई गई है। इन सस्थाओं के चार डिपो पर चारे के उपलब्धि प्रतिदिन घटती-बढ़ती रहती है।

पाली, उदयपुर तथा चित्तौड़ जिलों की पंचायत समितियों में एनीकट व बांध निर्माण कार्य

820. **श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (सोजत) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली, उदयपुर व चित्तौड़ जिले में किस-किस पंचायत समितियों में वर्ष 1989 से अब तक एनीकट बांध, बाढ़ व बचाव कार्य क्षतिग्रस्त अपूर्ण व नये कार्यों की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गई ? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं व कितने कार्य अपूर्ण हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ जिले में 1989 से अब तक एनिकट, बांध, बाढ़ बचाव कार्य क्षतिग्रस्त, अपूर्ण व नये स्वीकृत कार्यों की संख्या का पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर है। परिशिष्ट–"अ"

(2) स्वीकृत कार्यों में से पूर्ण हो चुके व अपूर्ण रहे कार्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" में ही दर्शाया गया है जो सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

भू-आवंटन पर प्रतिबन्ध

821. **श्री टीकमचन्द कान्त** (रेवदर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकार के भूमि आवंटन पर रोक किस-किस जिले में, कब से व क्यों लगाई गई है ? आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य

(श्री टीकमचन्द कान्त)

सरकार ने मात्र अलवर जिले पर ही सितम्बर, 1990 से उक्त रोकें लगा रखी हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीबी की रेखा से नीचे के चयनित व्यक्ति व भूमिहीनों के हित में उक्त रोक को हटाने या इसमें शिथिलता देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अलवर जिले में अलवर नगर विकास न्यास क्षेत्र व उसके बाहर की समस्त सिवाय चक/राजकीय भूमि का आवंटन, राज्य सरकार के आदेश क्र.प. 1 (233) राज/ग्रुप-3/90 दिनांक 7-9-90 द्वारा अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया था, लेकिन आदेश क्र.प. 1 (233) राज/ग्रुप-3/90 दिनांक 19-4-91 द्वारा रीको द्वारा चाही गई/प्रस्तावित भूमि को छोड़कर शेष सिवाय चक/राजकीय भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में लगाई गई रोक समाप्त कर दी गई है। आदेशों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

जयपुर जिले में जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र व उसके बाहर की समस्त सिवाय चक/राजकीय भूमि का आवंटन राज्य सरकार के आदेश क्र.प. 1 (226) राज/ग्रुप-3/90 दिनांक 3-9-90 के द्वारा अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया था, लेकिन आदेश क्र.प. 1 (226) राज/ग्रुप-3/90 दिनांक 26-4-91 द्वारा रीको द्वारा चाही गई/प्रस्तावित भूमि को छोड़कर शेष सिवाय चक/राजकीय भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में लगाई गई रोक समाप्त कर दी गई है। आदेशों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

मरुस्थलीय जिलों जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, नागौर, पाली, बीकानेर व चूरू में भूमि के कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन पर, आदेश क्र.प. 6(9) राज/ग्रुप-4/76 दिनांक 21-4-76 के द्वारा रोक लगी हुई है, लेकिन उक्त प्रतिबन्ध अंत्योदय योजना हेतु चुने गये परिवारों को भूमि आवंटित के लिए लागू नहीं है। आदेशों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

निजी वन विकास हेतु राज्य सरकार के आदेश क्र.प. 6(15) राज/ग्रुप-4/86 दिनांक 30-7-90 द्वारा आवंटन पर रोक लगाई गई है, लेकिन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की परियोजनाओं हेतु वृक्ष उत्पादक सहकारी समितियों को निजी वन विकास हेतु भूमि आवंटन पर यह रोक लागू नहीं है। आदेशों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

राज्य सरकार द्वारा अलवर तथा जयपुर जिलों में सिवाय चक/राजकीय भूमि के आवंटन पर लगाई गई रोक, आदेश क्र.प. 1 (233) राज/ग्रुप-3/90 दिनांक 19-4-91 व आदेश क्र.प. 1 (226) राज/ग्रुप-3/90 दिनांक 26-4-91 द्वारा तुरन्त प्रभाव से आंशिक रूप से हटा ली है।

(राजस्व मंत्री)

(3) जी हां।

अलवर तथा जयपुर जिलों के लिए लगाई गई रोक को आंशिक रूप से हटा दिया गया है। अब केवल उन भूमियों पर रोक लागू है, जिन्हें रीको ने उन्हें आवंटित करने हेतु प्रस्तावित किया हुआ है।

मरुस्थलीय जिलों में/निजी वन विकास हेतु भूमि आवंटन पर लगी रोक को हटाये जाने के वर्तमान में कोई विचार नहीं है।
(आदेशों की प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राष्ट्रीय संगीत विद्यालय बाड़मेर आवंटित भूमि का स्थगन

822. **श्री अमीन खां** (शिव) :—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय संगीत विद्यालय, बाड़मेर हेतु मरुधर लोक कला केन्द्र को मोजा बाड़मेर के खसरा नम्बर 1650 में तीन बीघा चौदह बिस्वा जमीन जिला कलक्टर बाड़मेर द्वारा सन् 1988 में आवंटित की गई थी? यदि हां, तो क्या उसके पश्चात् उस जमीन के आवंटन को राजस्थान सरकार के उप-शासन सचिव-राजस्व/ग्रुप-3/के आदेश दिनांक 29-10-1988 द्वारा स्थगित किया गया? यदि हां, तो किस आधार पर और क्यों?

(2) क्या यह सही है कि इस संबंध में रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य बाड़मेर वस्तुस्थिति की जांच करने गये थे? यदि हां, तो कब व उनकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार द्वारा प्रथम किस्त के रूप में स्वीकृत 3 लाख की राशि का उपयोग उक्त जमीन के अभाव में नहीं हो पाया है? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि जिला कलक्टर, बाड़मेर के आदेश क्र. 5341 दिनांक 30-7-88 द्वारा मौजा बाड़मेर शहर के ख. नं. 1650 किस्म गै. मु. माखर की 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि राष्ट्रीय लोक संगीत विद्यालय हेतु मरूधर लोक कला केन्द्र, बाड़मेर को आवंटन की गई थी। उसके पश्चात् विधानसभा तारांकित प्रश्न सं. 27/राम/राजस्व द्वारा-श्री गंगाराम चौधरी, सदस्य, राज. विधानसभा के प्रश्न के उत्तर में दिये गये आश्वासन के आधार पर राजस्व (ग्रुप-3) विभाग के आदेश क्र. प. 4(106) राज./3/88 दिनांक 29-10-88 के द्वारा उक्त तीन बीघा 14 बिस्वा भूमि के आवंटन को स्थगित किया गया है।

(2) जी हां। जांच वर्ष (मार्च), 1989 में की गई है। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

(रिपोर्ट की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या 823
(स्थगित)

झुन्झुनू की ग्राम पंचायत माखर में काटली नदी की भूमि

824. **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (झुन्झुनू) :—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने झुन्झुनू जिले की ग्राम पंचायत माखर में काटली नदी की गैर मुमकिन काश्त की भूमि की किस्म परिवर्तित कर काश्त योग्य बारानी भूमि की है ? यदि हां, तो कब तथा कितनी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार को काटली नदी की ही ग्राम पंचायत इस्लामपुर की गैर मुमकिन काश्त भूमि जिसका खसरा नम्बर 517 है किस्म परिवर्तन करने का प्रस्ताव झुन्झुनू के उप खण्ड अधिकारी से प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त भूमि की किस्म परिवर्तित कर प्रत्येक वर्ष के आवंटन की औपचारिकता से क्षेत्रिय लोगों को कब तक राहत दिलायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां।

झुन्झुनू जिले की ग्राम पंचायत माखर की काटली नदी की गैर मुमकिन काश्त की 158 बीघा भूमि की किस्म जिला कलक्टर, झुन्झुनू के आदेश संख्या 2665-68/राजस्व दिनांक 10-6-66 के द्वारा परिवर्तित कर काश्त योग्य बारानी भूमि की गई थी। उक्त आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

(2) जी हां।

ग्राम पंचायत इस्लामपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 517 रकबा 550 बीघा भूमि की किस्म परिवर्तन के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जो राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

सवाई माधोपुर के ग्राम नादोती वासी का लम्बित पेन्शन प्रकरण

825. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) :—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

जिला सवाई माधोपुर की तहसील नादोती के ग्राम नादोती की गुलाब देवी पत्नी श्री घनश्याम शर्मा के पेंशन प्रकरण राजस्व विभाग ग्रुप नम्बर (1) में रुका हुआ है ? यदि हां, तो सरकार उक्त पेंशन प्रकरण का निपटारा कब तक करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जिला सवाईमाधोपुर की तहसील नादोती के ग्राम नादोती की गुलाब देवी पत्नी श्री घनश्याम शर्मा का कोई पेंशन प्रकरण राजस्व (ग्रुप-1) विभाग में रुका हुआ नहीं है। किन्तु उनके पति श्री घनश्याम शर्मा पटवारी का असाधारण अवकाश दिनांक 11-3-74 से 15-6-82 तक स्वीकृत करने का प्रकरण राज्य स्तर पर विचाराधीन है।

लालसोट तहसील में नदी के पेटे की भूमि के आवंटन में विलम्ब

826. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) :—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री परसादीलाल मीणा)

(1) दौसा जिले की लालसोट तहसील में कृषि योग्य तालाबी नदी पेटा जिसका अस्थाई आवंटन किया जाता है उसका विवरण गांव वार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रशासन की लापरवाही तथा निष्क्रियता के कारण नियमानुसार अस्थाई आवंटन समयावधि में नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो पूर्व के आवंटी से किसी प्रकार का जुर्माना पेनल्टी स्वरूप वसूल नहीं किया जावेगा, केवल वास्तविक लगान ही वसूल किया जाता रहेगा ?

(3) क्या लालसोट तहसील में अस्थाई आवंटियों के खिलाफ इस प्रकार के मामलों में पेनल्टी जुर्माना कायम किया है यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दौसा जिले की लालसोट तहसील में कृषि योग्य तालाबी नदी पेटा जिसका अस्थाई आवंटन किया जाता है, कि ग्रामवार सूची परिशिष्ट-1 संलग्न है।

(2) जी नहीं। जब भी तालाबी पेटा/नदी पेटा तल भूमि पानी से खाली होकर उपलब्ध होती है, समयावधि में उसका नियमानुसार आवंटन किया जाता है, यदि अपरिहार्य कारणों से आवंटन नहीं हो पाये और पूर्व में आवंटी भूमि पर काश्त कर लेता है तो ऐसे मामलों में उससे नियमानुसार सामान्य निर्धारित दर से लगान वसूल योग्य होता है शास्ति वसूल नहीं की जाती है।

(3) तहसील लालसोट में ग्राम महारिया, अलीपुरा व निजामपुरा में सन् 88-89 में 13 आवंटियों से अस्थाई आवंटन की सूचि तहसील कार्यालय में समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण, शास्ति आरोपित की गई थी। जुर्माना राशि को लगान में समायोजन करने की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

(सूची विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसील व नायब तहसील स्थापित करने के प्रस्ताव

827. **श्री बालचन्द आर्यवीर**(डग) :– क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में तहसीलें तथा नायब तहसीलें स्थापित करने के लिए किन-किन जिलों से किन-किन स्थानों के प्रस्ताव आये हैं ? उनको कब तक स्थापित कर दी जावेगी ?

(2) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले से डग कस्बे में नायब तहसील के प्रस्ताव आये हुये हैं ? उसे स्थापित करने के आदेश कब तक कर दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) राज्य में तहसीलें तथा उप तहसीलें स्थापित करने के लिए विभिन्न जिलों से प्राप्त प्रस्ताव की सूची संलग्न है। नई तहसीलें, उप तहसीलें स्थापित करने के समस्त प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं।

(राजस्व मंत्री)

(2) जी हां। समस्त प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–11 देखें)

ग्रामदानी (शाहबाद) में भू-ग्रावंटन

828. **श्री हेमराज** (किशनगंज) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बहराई ग्राम, तहसील शाहबाद में ग्रामदानी ग्राम कब घोषित किया गया व उसका क्षेत्रफल कितना है ?

(2) ग्रामदानी में भू-ग्रावंटन के लिए कौनसी कमेटी है तथा उसके कौन-कौन से सदस्य हैं, सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) ग्रामदानी ग्राम बहराई में कब-कब भूमि ग्रलॉट की गई तथा कौन-कौन उस समय सदस्य थे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) भूमि ग्रावंटन केम्प कब हुग्रा ? किस-किस केम्प में किस-किस किसान को कितनी भूमि ग्रलॉट की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या ग्रलॉट की गई भूमि पर ग्रादिवासी काबिज है ?

(6) क्या बहराई ग्राम के ग्रलावा कुछ सरकारी कर्मचारी, ग्रधिकारी या ग्रन्य व्यक्तियों को भी ग्रावंटन किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम बहराई तहसील शाहबाद को दिनांक 14–5–86 को ग्रामदानी घोषित किया गया। इस ग्राम का कुल क्षेत्रफल 1991 बीघा 3 बिस्वा है।

(2) ग्रामदानी ग्राम में भू-ग्रावंटन के लिए 9 सदस्यों की कमेटी है जिसकी सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(3) ग्रामदानी बहराई में दिनांक 23–12–88 को भूमि ग्रावंटन हुयी थी जिसमें 7 सदस्य थे। जिनकी सूची परिशिष्ट "ख" पर है।

(4) भूमि ग्रावंटन का केम्प दिनांक 23–12–88 को हुग्रा है उस केम्प में 52 व्यक्तियों को 1057 बीघा 7 बिस्वा भूमि ग्रावंटन हुई है। (परिशिष्ट "ग")

(5) जी, हां।

(6) ग्राम बहराई में गांव के ग्रलावा ग्रन्य 31 व्यक्तियों को भी भूमि ग्रावंटित की गई जिनकी सूची परिशिष्ट "घ" पर है। गांव के बाहर के जिन व्यक्तियों को भूमि ग्रावंटित की गई है उनके ग्रावंटन को निरस्त करने के लिए राजस्थान ग्रामदान बोर्ड से निवेदन किया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

संगरिया में खातेदारी अधिकार प्राप्त काश्तकार

829. **श्री हेतराम बेनीवाल** (संगरिया) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री गंगानगर जिले की संगरिया विधान सभा क्षेत्र के गांवों में कुल कितने भूमिधारी किसान परिवार हैं जिनके नाम से खातेदारी दर्ज है ?

(2) इन खातेदारों के 5 बीघा से कम के कितने खातेदार हैं ? काश्तकारी रिकार्ड के मुताबिक 5-25 बीघा तक, 25 बीघा से 50 बीघा तक 100 बीघा से ऊपर के कितने किसान हैं ?

उत्तर

(1) संगरिया विधान सभा क्षेत्र में भूमिधारी खातेदार किसानों की कुल संख्या 25,773 है।

(2) 5 बीघा से कम के खातेदारों की संख्या 3,614 है। 5 बीघा से 25 बीघा तक के खातेदारों की संख्या 13,552 है, 25 बीघा से 50 बीघा तक के खातेदार काश्तकारों की संख्या 7,328 है, 50 बीघा से 100 बीघा तक के खातेदार काश्तकारों की संख्या 1,279 है, 100 बीघा से ऊपर के खातेदारों की संख्या शून्य है।

भरतपुर का केवलादेव घना अभ्यारण्य

830. **श्री सम्पतसिंह** (नगर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भरतपुर केवलादेव अभ्यारण्य को केन्द्र सरकार ने किसी अन्य मुख्य ग्रुप में सम्मिलित किया है ? यदि हां, तो उसके नियम व स्थिति क्या है ?

(2) वर्ष 1991-92 में राष्ट्रीय उद्यान में कितना-कितना पानी आया तथा कितने पानी की आवश्यकता थी ?

(3) घना राष्ट्रीय उद्यान की प्रथम एवं वर्तमान प्रोजेक्ट रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।
प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में वर्ष 1991--92 में 470 एम. सी. एफ. टी. पानी आया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को प्रति वर्ष 500 एम. सी. एफ. टी. पानी की आवश्यकता होती है।

(3) केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसी प्रोजेक्ट में नहीं आता है।

सपोटरा में हैलीकाप्टर द्वारा बीजारोपण

831. **श्री प्रभुलाल** (सपोटरा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(1) सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1980 से अब तक कहां-कहां कितना हेलीकॉप्टर द्वारा बीज डाला गया ?

(2) इस बीजारोपण में वन विभाग ने किस किस वर्ष में किस जगह के लिए खर्च किया ?

(श्री प्रभुलाल)

(3) इस बुवाई की वर्तमान में क्या स्थिति है? बीज उगे या नहीं?

उत्तर

(1) सपोटरा में वर्ष 1980 से अब तक परिशिष्ट "क" में दर्शाये स्थानों पर हवाई बीजारोपण किया गया है।

(2) हवाई बीजारोपण हेतु वन विभाग द्वारा परिशिष्ट "क" में दर्शाये अनुसार व्यय किया गया।

(3) वर्ष 1987 में किये गये सेम्पल सर्वेक्षण के अनुसार प्रति हैक्टर 307 पौधे अंकुरित हुए। वर्तमान में लगभग 10 प्रतिशत पौधे ही जीवित हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

शेरगढ़ (अटरू) अभ्यारण्य में खनन कार्य

832. **श्री मदन दिलावर (अटरू)** : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अटरू तहसील में शेरगढ़ अभ्यारण्य व वन विभाग की जमीन पर कहां-कहां खनन कार्य हो रहा है तथा उसे रोक नहीं पाने के क्या कारण रहे?

(2) क्या खनिज विभाग को वन विभाग में उसकी भूमि पर खनन कार्य करने या पट्टा जारी करने का अधिकार दे रखा है? यदि नहीं तो फिर खनन कार्य होने के क्या कारण है? अब कब तक इस खनन कार्य को रोक दिया जावेगा?

उत्तर

(1) अटरू तहसील में रघुनाथपुरा एवं सूरपा में वन भूमि पर खनन खनिज विभाग द्वारा दिये गये खनन पट्टों एवं न्यायालय के आदेश के कारण हो रहा है।

(2) जी नहीं। वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करके ही वन क्षेत्र में खनन पट्टा स्वीकृत किया जा सकता है। खनिज विभाग द्वारा खनन पट्टों को निरस्त करने व न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश हटाने पर ही खनन कार्य रोकना सम्भव होगा।

टोडाभीम की नर्सरीज में जीवित पौधे

833. **श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)** : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्लांटेशन आर.डी.एफ. बूचोलाई 25 हैक्टर रेंज गंगापुर में कुल कितने पौधे लगाये गये हैं?

(2) क्या यह सही है कि मौके पर इस समय मात्र 5 हजार पौधे ही जीवित हैं जबकि रिकार्ड में 26 हजार 500 पौधे हैं?

(3) क्या यह सही है कि इसका एरिया रिकार्ड में 25 हैक्टर दिखाया गया है? जबकि वास्तविक एरिया 15 हैक्टर भी नहीं है?

(श्री रामस्वरूप मीणा)

(4) प्लांटेशन अम्बाखेड़ा एवं वृन्दावन रेंज बोली में कितने पौधे लगाये गये हैं ? तथा कितने जीवित हैं ?

(5) नर्सरी टोडाभीम के रिकार्ड में कितने पौधे तैयार हैं और मौके पर कितने मौजूद हैं ? क्या सरकार दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) रेंज गंगापुर में आर.डी.एफ. बूचोलाई 25 हैक्टर नाम का कोई प्लांटेशन नहीं है।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(4) रेंज बोली में अम्बाखेड़ा में 27500 तथा वृन्दावन में 16500 पौधे रिकार्ड के अनुसार लगाये गये जिसमें से क्रमशः 16682 एवं 10430 जीवित हैं।

(5) नर्सरी टोडाभीम में रिकार्ड के अनुसार 20000 पौधे तैयार हैं। मौके पर भी 20000 पौधे ही हैं।

वन संरक्षक कार्यालय के कर्मी का वेतन स्थिरीकरण प्रकरण

834. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या श्री मोहनलाल नाटानी, वरिष्ठ लिपिक, कार्यालय वन संरक्षक, कार्य आयोजना वृत्त मिनी सचिवालय, जयपुर का वर्ष 1986 से वेतन स्थिरीकरण नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त कर्मचारी का वेतन स्थिरीकरण कर भुगतान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार वेतन स्थिरीकरण में किये जा रहे विलम्ब को अनुचित मानती है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है ? क्या दोषी के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। श्री मोहन लाल नाटानी, वरिष्ठ लिपिक, कार्य आयोजना वृत्त, मिनी सचिवालय, जयपुर के वर्ष 1986 एवं 1988 के वेतन स्थिरीकरण किये जा चुके हैं।

(2) वेतन स्थिरीकरण किये जा चुके हैं। अतः ऐरियर बिल आदि बना कर भुगतान करने में दो माह का समय लगने की सम्भावना है।

(3) श्री मोहन लाल नाटानी, माह अगस्त, 84 से मई 85 तक की अवधि में स्वेच्छा से अनुपस्थित रहे हैं। इन्हें राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं पुनरावेदन) नियम, 1958 की धारा 17 के तहत नोटिस जारी किया गया।

(वन मंत्री)

इनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों को पूर्णतया प्रमाणित पाये जाने पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचित प्रभाव से रोके जाने, को दण्ड दिया गया तथा इनकी कुल अनुपस्थिति अवधि का अवकाश स्वीकृत करने का निर्णय दिया गया। तत्पश्चात् इनका अवकाश स्वीकृत किया गया।

श्री नाटानी दिनांक 7-6-85 से 17-7-86 तक (406 दिवस) स्वयं की बीमारी के कारण लम्बे अवकाश पर रहे हैं। राज्य सरकार से स्वीकृति की अनुमति प्राप्त होने पर इनका उक्त अवकाश स्वीकृत किया गया।

पुनः श्री नाटानी वर्ष 1987-88 में दिनांक 9-11-87 से 12-7-88 तक बिना अवकाश प्रार्थना पत्रों के स्वेच्छा से अनुपस्थित रहे। इन्हें राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं पुनरावेदन) नियम, 1958 की धारा 17 के तहत नोटिस जारी किया गया। इनसे प्राप्त प्रत्युत्तर पर इन्हें भविष्य के लिए चेतावनी दी गई। उक्त कार्यवाही पश्चात् इनका अवकाश स्वीकृत किया गया। अतः श्री मोहन लाल नाटानी, वरिष्ठ लिपिक द्वारा स्वयं ही बार-बार स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने के कारण उनके वेतन निर्धारण, वार्षिक वेतन वृद्धियां स्वीकृति एवं सेवा सत्यापन आदि में हुए विलम्ब के लिए ये स्वयं ही उत्तरदायी हैं एवं और कोई दोषी नहीं है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

विभिन्न योजनाओं के तहत भवन निर्माण

835. श्री अमीन खाँ (शिव) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्ष 1991 में कुल कितने भवन निर्माण विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत हुए ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बाड़मेर, जैसलमेर में वर्ष 1991 में कुल कितने कार्य विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत किये गये ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला बाड़मेर, जैसलमेर स्वीकृत कार्यों में से कितने पूरे किये गये व कितने अधूरे रहे ? अधूरे कार्य कब तक पूरे करा दिये जायेंगे ?

(4) क्या यह भी सही है कि कई भूतपूर्व सरपंचों ने सरपंच पद से हटने के बाद भी कार्य किये हैं ? यदि हां, तो क्यों व उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई, जिला बाड़मेर, जैसलमेर की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 1991 में विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत भवनों की जिलेवार सूची—परिशिष्ट—"अ" पर—उपलब्ध है।

(2) जिला बाड़मेर, जैसलमेर में वर्ष 1991 में विभिन्न योजनाओं के तहत कुल

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

स्वीकृत कार्य पंचायत समितिवार सूची परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध हैं।

(3) जिला बाड़मेर में स्वीकृत कार्यों में से 640 कार्य पूर्ण किये गये एवं 1453 कार्य अधूरे हैं। जिला जैसलमेर में स्वीकृत कार्यों में से 435 कार्य पूर्ण किये गये एवं 331 कार्य अधूरे हैं। अधूरे कार्यों को आगामी वर्ष में पूर्ण करवाये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(4) जी नहीं। भूतपूर्व सरपंचों ने सरपंच हटने के बाद कार्य नहीं किया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अपूर्ण सड़कों का निर्माण

836. **श्री टीकमचन्द कान्त** (रेवदर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत पिछले वर्ष की अधूरी सड़कों को पूर्ण करने की क्या योजना विचाराधीन है ?

(2) रेवदर विधान सभा क्षेत्र की उन सड़कों का विवरण प्रस्तुत करें जो उक्त योजना में प्रारम्भ की गई थीं और वर्तमान में अधूरी हैं ?

उत्तर

(1) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत पिछले वर्ष की अधूरी सड़कों को इस योजना के अन्तर्गत जिला स्तर पर रक्षित 20 प्रतिशत राशि में से पूर्ण कराने की योजना है।

(2) रेवदर विधान सभा क्षेत्र की सड़कें जो जवाहर रोजगार योजना में प्रारम्भ की गई थी और वर्तमान में अधूरी है, का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	सड़क का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु. में)	व्यय राशि
1.	रामपुरा से मलावा 3 कि.मी	1.40	0.66 लाख
2.	एप्रोच सड़क मटासन 3 कि.मी.	2.00	0.72 लाख
2.	बाट से गुजरात सीमा 3 कि.मी.	1.25	0.45 लाख

ग्राम पंचायत मूंगड़ा (बांसवाड़ा) द्वारा स्वीकृत कार्य

837. **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री बहादुर सिंह)

(1) जिला बांसवाड़ा की तहसील घाटोल, ग्राम पंचायत मूंगड़ा में 1 अप्रेल, 1989 से 31 जुलाई, 1991 तक ग्राम पंचायत द्वारा कराये गये स्वीकृत कार्य कितने थे। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रत्येक कार्य के लिए स्वीकृत एस्टीमेट बजट का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्यों के लिए मजदूरों को किये गये भुगतान की राशि रेट सहित तथा सीमेंट, बजरी, पत्थर, ईंट, कारीगर आदि का अलग-अलग विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि ग्राम मूंगड़ा में नालियों का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा गांवों के व्यक्तियों से जबरन खुदाई का कार्य करवाया एवं जिसका भुगतान किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले की तहसील घाटोल के ग्राम पंचायत मूंगड़ा में एक अप्रेल, 89 से 31 जुलाई, 1991 की अवधि में स्वीकृत कार्य निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	स्वीकृत कार्यों का विवरण	वर्ष 1-4-89—31-3-90	वर्ष 31-4-90 31-7-91	योग
1.	**विद्यालय भवन**			
	नये	3	5	8
	मरम्मत	2	1	3
2.	सड़क कार्य	—	1	1
3.	तालाब घाट	—	1	1
5.	**जवाहर रोजगार योजना सामान्य कार्य**			
	(1) एनीकट	—	4	4
	(2) नाली निर्माण	—	1	1
	(3) स्कूल भवन	—	3	3
	(4) सार्वजनिक कूप	—	5	5
	योग	5	21	26

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

(2) उपरोक्त कार्यों के लिए स्वीकृत एस्टीमेट मय बजट प्रावधान के परिशिष्ट "अ" के कालम 3 पर सलंग्न हैं।

(3) प्रश्न से सम्बन्धित सूचना परिशिष्ट "अ" के कालम 4 एवं 7 से 12 पर उपलब्ध हैं।

(4) हां, ग्राम पंचायत भूंगडा के सरपंच द्वारा नालियों का कार्य कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी तरह का कोई जबरन कार्य नहीं कराया गया तथा श्रमिकों का भुगतान कोई बकाया नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट--14 देखें)

जिला नागौर में मरु विकास योजना एवं जीवन धारा योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्र

838. **श्री मोहन लाल** (परबतसर) :-- क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जिला नागौर में वित्त वर्ष 1991-92 में मरु विकास व जीवनधारा योजना अन्तर्गत कुल कितने कूप निर्माण हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्राप्त आवेदनों की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है? यदि हां, तो पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या कोई आवेदन-पत्र शेष है? यदि हां, तो कितने? पंचायत समितिवार नामवार सूची सदन की मेज पर रखें? शेष आवेदकों की स्वीकृति अब कब तक कर दी जायेगी यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला नागौर में वित्तीय वर्ष 1991-92 में मरू विकास कार्यक्रम व जीवन धारा योजना के अन्तर्गत कूप निर्माण हेतु क्रमशः 132 एवं 574 आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं। पंचायत समितिवार सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध हैं।

(2) प्राप्त आवेदन-पत्रों में से मरू विकास कार्यक्रम व जीवन-धारा योजनान्तर्गत क्रमशः 82 व 262 की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। पंचायत समितिवार सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध हैं।

(3) जी हां। मरू विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 46 एवं जीवन-धारा योजना के अंतर्गत 149 आवेदन-पत्र जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नागौर में अवशेष है। पंचायत समितिवार एवं नामवार सूची परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है। बाकि आवेदन-पत्र क्रमशः 4 एवं 163 स्वीकृति योग्य नहीं होने की वजह से वापिस लौटाएं गये। अवशेष आवेदन-पत्रों की स्वीकृतियां वित्तीय वर्ष 1992--93 में वित्तीय प्रावधानों की सीमा में नियमानुसार जारी की जा सकेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(59)

नागौर सेण्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण

839. श्री गुलाम मुस्तुफा खां (नागौर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, नागौर द्वारा वर्ष 1990-91 1991-92 में किन-किन व्यक्तियों को कितना-कितना ऋण स्वीकृत किया गया? पूर्ण पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बैंक में ऋण स्वीकार करने के मापदण्ड क्या हैं? ऋण स्वीकृति हेतु आवेदन व उन पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी दस्तावेज सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1990-91, 1991-92 में जो ऋण स्वीकार किये गये वे अधिकतर एक ही क्षेत्र के लोगों के थे? यदि हां, तो उच्च अधिकारियों द्वारा इस विषय में क्या कार्यवाही की गई? भविष्य में नागौर जिले के समस्त क्षेत्रों को ऋणों का लाभ मिले इस विषय पर सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की जावेगी?

उत्तर

(1) सहकारी बैंक द्वारा प्रतिवर्ष हजारों व्यक्तियों को ऋण दिया जाता है। अल्प समय में उनकी सूची सदन की मेज पर रखना संभव नहीं हैं। अगर माननीय सदस्य किसी व्यक्ति विशेष की सूचना चाहें तो उन्हें उपलब्ध करा दी जायेगी।

(2) फसली ऋण स्वीकृत करने के मापदण्ड परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

अन्य ऋण कार्य की आवश्यकता रिटर्न आदि को देखकर स्वीकृत किये जाते है। हजारों ऋणियों के दस्तावेज की प्रतियां सदन के पटल पर रखना संभव नहीं हैं।

(3) बैंक से सूचना एकत्रित की जा रही है। सूचना प्राप्त होने पर माननीय सदस्य को अवगत करा दिया जायेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

बालाजी प्रिंटिंग प्रेस सहकारी समिति लि., सिरोही

840. श्री प्रेम सिंह दहिया (भीनमाल): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बालाजी प्रिंटिंग प्रेस सहकारी समिति लि., सिरोही में कुल कितने सदस्य हैं और वास्तव में कितने सदस्य प्रेस में काम करते हैं? क्या किसी एक परिवार विशेष के द्वारा इसके कारोबार पर आधिपत्य जमाया हुआ है?

(2) इस समिति के व्यवसाय में कितनी लाभ-हानि हुई है? क्या इस समिति का निरीक्षण व ऑडिट समय पर होता है? यदि हां, तो इसमें क्या-क्या गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं? लाभ-हानि के विवरण सहित पाई गई अनियमितताओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिरोही जिले में बालाजी प्रिंटिंग

(सहकारिता मन्त्री)

प्रेस सहकारी समिति लि., सिरोही नाम को कोई सहकारी संस्था पंजीकृत नहीं है।

(2) जब इस नाम की समिति रजिस्टर्ड ही नहीं है तो लाभ-हानि, ऑडिट या निरिक्षण का प्रश्न नहीं उठता।

उपभोक्ता संघ द्वारा दवाओं का विक्रय

841. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1975 से दिसम्बर 1991 तक उपभोक्ता संघ की मेडिकल शाखा द्वारा क्रय मूल्यों पर 10 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर औषधि विक्रय की जाती थी !

(2) क्या यह भी सही है कि जनवरी 1992 से उपभोक्ता संघ द्वारा विक्रय मूल्यों में वृद्धि कर दी गयी है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी दवा के विक्रय मूल्य में वृद्धि की गई दवाओं का क्रय मूल्य क्या है व विक्रय मूल्य क्या है पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें व इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

(3) क्या राज्य सरकार ने दवाइयों के खुदरा मूल्यों में वृद्धि न करने के लिए उपभोक्ता संघ को लाखों रुपये दिये हैं ? यदि हां, तो उपभोक्ता संघ ने राज्य सरकार की अनुमति बगैर मूल्य वृद्धि क्यों की ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1975 से विक्रय दर थोक दर पर 10 प्रतिशत मार्जिन एवं टैक्स लगाकर निर्धारित की जाती थी। 1-7-86 से 31-9-86 तक मार्जिन 12 प्रतिशत किया गया था।

(2) विक्रय दर निर्धारण नीति में थोक दर की बजाय अधिकतम खुदरा मूल्य को आधार मानकर, उसमें 2 प्रतिशत की कमी कर टैक्स (जो भी लगता है) विक्रय मूल्य निर्धारण करने का निर्णय जनवरी, 92 में संघ के संचालक मण्डल (प्रशासक) द्वारा लिया गया है। औषधियां सैकड़ो की संख्या में होती है अतः सभी औषधियों के क्रय एवं विक्रय मूल्य उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।

(3) जी नहीं।

तिलम संघ के विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सहायता

842. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तिलहन के क्षेत्र में उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने की दृष्टि से सहकारी क्षेत्र में तिलम संघ की स्थापना की है ? यदि हां, तो क्या इसके विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त की गई है ? यदि हां, तो कितनी राशि की सहायता हमें प्राप्त हुई है ?

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

(2) राजस्थान में कहां-कहां पर तिलम संयंत्र कितनी-कितनी लागत के लगाये जा रहे हैं?

(3) तिलहन के उत्पादन की दृष्टि से कौन-कौन से जिले सर्वाधिक उत्पादन करते हैं?

(4) क्या यह सही है कि उत्पादन की दृष्टि से टोंक जिला भी अग्रणी रहा है और यहां पर तिलम संयंत्र लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसका कार्य कब प्रारम्भ करवाया जायेगा और उसमें कितनी लागत आयेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

इस परियोजना हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से विश्व बैंक से 52.57 करोड़ एवं यूरोपियन आर्थिक समुदाय से 33.15 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई है।

(2) राजस्थान में निम्न स्थानों पर उनके आगे अंकित कीमत के संयंत्र लगाये गए/जा रहे हैं:—

क्र.सं.	स्थान	कीमत करोड़ रुपयों में
1	2	3
1.	कोटा (अ) सोयाबीन प्लांट	30.60
	(ब) मस्टर्ड प्लांट	8.80
	(स) कोटा-रिफाइनरी	10.00
2.	बीकानेर	16.32
3.	जालौर	7.24
4.	फतेहनगर	10.00
5.	श्री गंगानगर	7.92
6.	मेवाड़ सिटी	7.33
7.	गंगापुर सिटी	4.23
8.	झुंझुनू	2.83
	कुल	105.27

(3) श्री गंगानगर, भरतपुर, अलवर, सवाई-माधोपुर, चित्तौड़गढ़ व कोटा, बारां व जयपुर, दौसा सर्वाधिक तिलहन उत्पादन वाले जिले हैं।

(4) टोंक जिला तिलहन उत्पादन में अग्रणी जिला नहीं है। अभी वहां तिलहन संयन्त्र लगाने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

फोरेस्ट न्यू हाउसिंग को-आपरेटिव लि., जयपुर

843. **श्री मदनलाल सैनी** (गुढ़ा): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या फोरेस्ट न्यू हाऊसिंग-को-आपरेटिव सोसायटी लि., जयपुर द्वारा नन्द बिहार गेटोर नामक स्कीम के अन्तर्गत प्लाट काटे गये हैं? यदि हां, तो कुल कितने प्लाट किन-किन को आवंटित किये गये हैं सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस भूमि को राज्य सरकार अधिग्रहण करने का विचार रखती है?

(श्री मदनलाल सैनी)

यदि हां, तो किस प्रयोजनार्थ अधिग्रहण किया जा रहा है ?

(3) क्या समिति द्वारा एक ही प्लाट को कई व्यक्तियों को आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो समिति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? ऐसे आवंटित व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नन्द विहार गेटोर योजना में भू-खण्ड आवंटियों की सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण से प्राप्त जवाब के अनुसार इस भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ अवाप्ति के प्रस्ताव उपरोक्त प्राधिकरण द्वारा नगरीय विकास विभाग को भिजवाये जा रहे हैं। सहकारिता विभाग द्वारा इसके अवाप्ति की कोई कार्यवाही नहीं की जानी है।

(3) समिति द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ऐसा नहीं किया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि., जयपुर

844. **श्री भंवर लाल** (सुजानगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड नेहरू बाजार, जयपुर में राज्य सरकार की रोस्टर प्रणाली के अनुसार सभी वर्गों में कितने पद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के द्वारा भरे जाने के लिये रिक्त हैं !

(2) क्या यह सही है कि बैंक द्वारा वर्ष 1990-91 में विभागीय पदोन्नति कमेटी की बैठक आयोजित की थी ? क्या यह सही है कि रिक्त पद होते हुए भी किसी भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी को पदोन्नति नहीं दी गई ? पदानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को पदोन्नत नहीं करने का क्या कारण था ?

(3) क्या सरकार इस की जांच कर रोस्टर प्रणाली से पदोन्नति का लाभ प्रदान करेंगी ? यदि हां, तो कब ? नहीं तो क्यों ?

(4) क्या सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी जिन्होंने यह गड़बड़ की है ?

उत्तर

(1) दो राज. स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि., जयपुर में राज्य सरकार द्वारा लागू रोस्टर प्रणाली के अनुसार विभिन्न वर्गों में पदोन्नति हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के रिक्त पदों की वर्गवार स्थिति निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	नाम पद	बैकलाग	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4
1.	उप महाप्रबन्धक	1	—

(सहकारिता मन्त्री)

1	2	3	4
2.	क्षेत्रीय प्रबन्धक	1	—
3.	उप प्रबन्धक	2	—
4.	सहायक प्रबन्धक	1	1
5.	लिपिक	1	—

(2) जी हां। केवल महाप्रबन्धक एवं उप महाप्रबन्धक पद हेतु पदोन्नति समिति की बैठक की गई थी। बैंक पदोन्नति नियमों के अनुसार उक्त पदों पर किसी भी अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारी की निर्धारित पात्रता न होने के कारण पदोन्नति नहीं की जा सकी।

अन्य पदों के सम्बन्ध में पदोन्नति समिति की बैठक इसलिए नहीं की गई क्योंकि बैंक में स्वीकृत पदों की आवश्यकता की समीक्षा की जा रही है।

(2) जी नहीं। वैसे भी तत्सम्बन्ध में मामला राज. उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

(4) गलती नहीं होने के कारण किसी के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम द्वारा व्यय की गई राशि

845. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : एवं **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के उत्थान हेतु क्या-क्या कार्य कर रहा है ?

(2) पिछले तीन वर्षों में निगम द्वारा कुल कितनी राशि व्यक्तियों के उत्थान हेतु खर्च की गई ? वर्षवार विवरण नाम मद, आर्थिक लक्ष्य, व्यय, लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या तालिकानुसार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम अनुसूचित जाति के परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में पैकेज आफ प्रोग्राम, शहरी दुकान, आटोरिक्शा, साईकिल रिक्शा, स्काईट, कष्ट मुक्त हुए हरिजनों की पुर्नवास योजना, सामुदायिक पम्पसेट, व्यक्तिगत पम्पसैट, ब्लास्टिंग एवं बोरिंग, ग्रामीण दुकान, शिल्पीशाला, बुनकरशाला, उन्नत कृषि यंत्र, हाथकर्घा, उन्नत नस्ल की गाय, उन्नत नस्ल की भैंसे, मुर्गीपालन, विद्युत कनेक्शन तथा शैक्षणिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण चला रहा है।

(2) पिछले तीन वर्षों में निगम द्वारा किये गये व्यय एवं वित्तीय लक्ष्य निम्नानुसार है—

वर्ष	लक्ष्य	व्यय
88-89	989.00	1073.12
89-90	1399.00	878.18
90-91	1224.90	770.65

मदवार विवरण आर्थिक लक्ष्य तथा व्यय परिशिष्ट "अ" लाभान्वितों की संख्या परिशिष्ट "ब" पर है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

वृद्धावस्था पेन्शन पर व्यय

846. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1989-90 में कितनी धन राशि वृद्धावस्था पेन्शन पर दी गई ?

(2) कितनी धनराशि इस मद में वर्ष 1990-91 व 1991-92 में रखी गई और कितनी 31 दिसम्बर, 1991 तक खर्च की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1989-90 में वृद्धावस्था पेन्शन पर 830.27 लाख रुपये की राशि दी गयी।

(2) वृद्धावस्था पेन्शन हेतु वर्ष 1990-91 में 1385.00 लाख रुपये तथा 1991-92 में 1700-00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। वर्ष 1991-92 में 31 दिसम्बर, 1991 तक 1258.08 लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति

847. **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार की विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने की कोई योजना है यदि हां, तो कक्षावार छात्रवृत्ति की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्तमान मंहगाई में दी जाने वाली छात्रवृत्ति पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो छात्रवृत्ति बढ़ाने की क्या राज्य सरकार विचार रखती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि विकलांग छात्रों को बी. एड. व एम. एड. करने पर छात्रवृत्ति दी जाती है ?

(4) क्या यह सही है कि एम. फिल. करने वाले विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या राज्य सरकार इस विषय में छात्रवृत्ति देने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, कक्षावार छात्रवृत्ति की दरों का विवरण परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) वर्तमान में छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(3) जी हां।

(4) एम. फिल. करने वाले छात्रावासी विकलांग छात्रों को रुपये 240/– प्रतिमाह प्रति छात्र तथा गैर छात्रावासी विकलांग छात्रों को रुपये 170/- प्रतिमाह प्रति छात्र की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा घी का विक्रय

848. **श्री सांवरलाल** (भिनाय) : क्या

(श्री सांवरलाल)

दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा क्या घी बनाकर बेचा जाता है ?

(2) गत छः वर्षों में विभिन्न समय पर घी बेचने की क्या दरें थीं ? गत छः वर्षों में कुल कितने घी का उत्पादन किया गया ? क्या समस्त घी उपरोक्त निर्धारित दरों में बेचा गया ?

(3) क्या घी नीलाम भी किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो किस कारणों से प्रमाणित दर से कम दर पर बेचा गया, बिना नीलामी की प्रक्रिया अपनाए ?

(4) गत छः वर्षों में बेचे गये घी की प्रमाणित दर एवं जिस दर पर बेचा गया उसके अन्तर के कारण कुल कितनी कम राशि डेयरी को प्राप्त हुई ? सम्पूर्ण जानकारी सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) गत 6 वर्षों में विभिन्न समय पर घी बेचने की दरों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(3) गत छः वर्षों में वर्षवार घी के उत्पादन का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है ।

(3) जी नहीं ।

वर्ष 86-87 में अलवर डेयरी संयंत्र पर 38.5 मै. टन घी खराब पाया गया जो कि मानव के खाने योग्य नहीं था । उक्त घी को विभिन्न पार्टियों से दरें आमंत्रित कर के प्राप्त उच्चतम दर रुपये 11.11 प्रतिकिलो से बेचा गया ।

(4) वर्ष 1990-91 में विभिन्न संयंत्रों पर एकत्रित 550 मै. टन घी को बेचने हेतु विभिन्न पार्टियों से दरें आमंत्रित की गई और विभिन्न संयंत्रों के घी के लिए प्राप्त उच्चतम दरें जो निम्न प्रकार है से घी बेचा गया—

क्र.सं.	संयंत्र	विक्रय किये गये घी की मात्रा मै. टन में	प्राप्त उच्चतम दरें रुपये प्रति किलो
1.	जोधपुर	100	48.50 कर सहित
2.	रानीवाड़ा	200	" "
3.	अजमेर	100	48.75 "
4.	अलवर	150	52.82 "

कारणों का विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है ।

वर्ष 1986-87 में अलवर डेयरी को लगभग 14.5 लाख रुपये की कम राशि प्राप्त हुई ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 17 देखें ।)

सवाई माधोपुर एवं टोंक जिलों के दुग्ध अवशीतन केन्द्र

849. **श्री घासी लाल** (टोडारायसिंह): क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर टोंक जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ सवाई माधोपुर में कितने दुग्ध अवशीतन केन्द्र हैं ?

(2) प्रत्येक दुग्ध अवशीतन केन्द्र पर अलग-अलग कितनी-कितनी रजिस्टर्ड दुग्ध उत्पादक समितियां हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार दुग्ध उत्पादक संघ, सवाई माधोपुर का मुख्यालय टोंक में करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर-टोंक जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, सवाई माधोपुर में तीन दुग्ध अवशीतन केन्द्र, मालपुरा, गंगापुर एवं सवाई माधोपुर में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त टोंक में किराए की एक आईस फैक्ट्री का दुग्ध ठण्डा करने हेतु उपयोग किया जा रहा है।

(2) प्रत्येक दुग्ध अवशीतन केन्द्र, पर कार्यरत रजिस्टर्ड दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों/दुग्ध संकलन केन्द्रों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, टोंक सवाई माधोपुर का मुख्यालय सवाई माधोपुर से टोंक स्थानान्तरण करने का कोई विचार नहीं है। क्योंकि सवाई माधोपुर में वर्तमान में संघ मुख्यालय का भवन व अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 18 देखें।)

अल्प बचत योजनान्तर्गत चूरू जिले में जमा राशि

850. **श्री जुबेर खां** (रामगढ़) : क्या अल्प बचत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1989-90, 1990-91 में अल्प बचत योजना के अन्तर्गत चूरू जिले में कितनी राशि जमा हुई तथा इस राशि में से कितना-कितना प्रतिशत किस-किस विकास कार्य के लिये कब-कब उपयोग किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि चूरू में खेल स्टेडियम अल्प बचत राशि की आरक्षित राशि से बनवाने का प्रस्ताव जिला कलक्टर, चूरू ने निदेशालय अल्प बचत को दिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रस्ताव अनुसार कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) चूरू जिले में अल्प बचत योजनान्तर्गत वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 में निम्न प्रकार से राशि जमा हुई :—

(अल्प बचत राज्य मंत्री)

वर्ष	लक्ष्य (लाखों में)	जमा राशि सकल	शुद्ध	प्रतिशत
1989-90	700	1550.87	1092.84	156%
1990-91	1100	2439.43	1575.12	143%

लक्ष्य की उपलब्धि पर जिले के लिए 1 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि देय होती है जिसमें से 25 प्रतिशत राशि निदेशालय में वित्त भवन निर्माण कार्य हेतु आरक्षित की जाती है शेष राशि में से 60 प्रतिशत भाग स्थाई विकास निर्माण कार्य मद के लिए 20 प्रतिशत भाग निदेशालय स्तर पर प्रचार-प्रसार हेतु आरक्षित की जाती है, 10 प्रतिशत भाग जिला स्तर पर प्रचार-प्रसार एवं 10 प्रतिशत भाग नकद पुरस्कार के लिए जिले को दी जाती है।

जिला चूरू में स्थाई निर्माण/विकास कार्य मद के लिए वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 में इस मद में उपलब्ध राशि का विकास कार्यों के लिए कोई उपयोग नहीं किया गया।

(2) हां, यह सही है कि चूरू में खेल स्टेडियम बनवाने के लिए अल्प बचत प्रोत्साहन पुरस्कार नियमावली के अन्तर्गत जिला योजना मद से रु. 15.00 लाख का प्रस्ताव जिला कलक्टर ने विभाग को प्रेषित किया, जो राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

राज्य से ऊंटों की निकासी

851. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान से ऊंटों को बड़ी मात्रा में कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और पश्चिमी बंगाल को बेचा जा रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि वहां इनको मांस के उपयोग की दृष्टि से भेजा जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऊंटों की निकासी पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान से ऊंटों की बड़ी मात्रा में कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में ले जाये जाने की विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

(2) राज्य के पशु मेलों से ऊंटों का क्रय-विक्रय अधिकतर बोझा ढोने एवं सवारी हेतु किया जाता है। मांस के लिए इनका उपयोग करने सम्बन्धी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

शोकाभिव्यक्ति

श्री गुरदयाल सिंह ढिल्लो के निधन पर श्रद्धांजलि

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही खेद का विषय है कि लोक सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री गुरदयाल सिंह ढिल्लो का स्वर्गवास हो गया है।

अध्यक्ष महोदय, श्री ढिल्लो साहब आरम्भ से ही स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे हैं और एक राजनैतिक कार्यकर्त्ता से उभर कर लोक सभा के अध्यक्ष बने हैं। पंजाब विधान सभा के भी वे दो बार सदस्य रहे और पंजाब विधान सभा के अध्यक्ष भी रहे। वहां पर पंजाब में मंत्री भी रहे और इस रूप में सब प्रकार का अनुभव उनको था। पंजाब की समस्याओं से भी वे जुड़े हुए थे। पंजाब की समस्याओं का समाधान कैसे हो, इस दृष्टि से भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे हमारे बीच से चले गये। इसका हमें दुःख है। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने डाक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लों के स्वर्गवास पर जो शोकाभिव्यक्ति प्रकट की है, उसमें मैं अपने आपको और अपने दल को सम्मिलित करता हूं।

डाक्टर ढिल्लो लोक सभा के अध्यक्ष के साथ-साथ पंजाब विधान सभा के अध्यक्ष भी रहे। 15 साल तक उसके सदस्य रहे, वहां मंत्री रहे। वे एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। स्वतंत्रता सेनानी थे, पत्रकार थे। बहुत लम्बा उनका राजनैतिक जीवन था। पंजाब के माने हुए राष्ट्रवादी नेता थे। इसके अलावा भी वे स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी लेने वाले व्यक्ति थे। राइफल शूटिंग में उनकी बहुत दिलचस्पी थी और उसमें बहुत माहिर माने जाते थे और कनाडा में वे भारत के हाई कमिशनर भी रहे। ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व और पुराने राष्ट्रवादी, स्वतंत्रता सेनानी नेता के चले जाने से हम सबको बहुत बड़ा दुःख हुआ है। वे हमारी पुरानी पीढ़ी की उस अन्तिम कड़ियों में से एक थे जिनके कारण से हमारे देश को आजादी प्राप्त हुई है। ऐसे महान व्यक्ति के चले जाने से मुझे और मेरी पार्टी को बहुत बड़ा दुःख हुआ है। मैं अपनी तरफ से शोक व्यक्त करता हूं और भगवान से यह प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शान्ति प्राप्त हो तथा उनके शोक संतप्त परिवार को यह महान दुःख सहन करने की शक्ति प्राप्त हो।

श्री नत्थी सिंह : अध्यक्ष महोदय, श्री गुरदयाल सिंह ढिल्लों जो लोक सभा के अध्यक्ष थे, विधान सभा के अध्यक्ष रहे और स्वतंत्रता सेनानी रहे और आज विशेष रूप से पंजाब में ऐसे राष्ट्रवादी नेताओं की महान आवश्यकता भी है, उनके निधन से एक ऐसी रिक्ति हुई है जो खलने वाली है। उनके निधन पर मैं अपनी ओर से, आपकी ओर से हार्दिक शोक व्यक्त करता हूं और प्रभु से प्रार्थना हूं कि उनकी आत्मा को शांति और उनके शोक संतप्त परिवार को धैर्य प्रदान करें।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से हमारे देश में राष्ट्रीय एकता का संकट उत्पन्न हुआ है, हमारे बीच में उन स्वतंत्रता सेनानियों का रहना, वे जो संघर्ष के लिए लड़े, उनका रहना इस समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। फिर भी धीरे-धीरे करके हमारे बीच से उनका उठ जाना बहुत ही दुःखदायी और हमारे सबके लिए एक ऐसी कमी हो रही है जिसको हमारे लिए पूरा करना सम्भव नहीं।

माननीय ढिल्लों साहब स्पीकर रहे, पंजाब की राजनीति में दिलचस्पी लेकर और पंजाब के वातावरण में राष्ट्रीय एकता की जो भावना है, जो अलगाववादी शक्तियां पंजाब में उदय हुई है जिनसे एक बिखराव की स्थिति पैदा हुई है, उसमें उनके प्रयत्नों, उनकी कोशिशों की बहुत बड़ी कीमत हमारे लिए थी, ऐसे समय में उनका देहावसान हो जाना, हमारे बीच में नहीं रहना सिर्फ पंजाब को ही नहीं, सारे देश को बहुत बड़ा नुकसान है। मैं अपनी ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो कमी हुई है, उसके लिए निश्चित रूप से उनके बताये हुए मार्ग पर चलकर ही हम उस कमी को पूरा कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर सदन के नेता, प्रतिपक्ष दल के नेता, अन्य दलों के नेता ने लोकसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष डा. गुरदयाल सिंह ढिल्लो के प्रति जो शोक एवं संवेदना प्रकट की है, उसमें मैं अपने आपको शरीक करता हूं।

डा. गुरदयाल सिंह ढिल्लों का जन्म 6 अगस्त, 1915 को पंजवर जिला अमृतसर में हुआ। आपकी शिक्षा अमृतसर तथा लाहौर में हुई। आपने बी. ए., एल. एल. बी. एवं एल. एल. डी. की उपाधियां प्राप्त की। आप वर्ष 1969 एवं 1971 में दो बार लोक सभा के अध्यक्ष रहे।

ब्रिटिश शासन के दौरान आपने स्वतंत्रता आंदोलन तथा किसान आंदोलन में भाग लिया और दो बार जेल यात्राएं की। राजनीति में प्रवेश करने के बाद आप कुछ वर्षों तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं अनेक वर्षों तक पंजाब प्रदेश कमेटी और कांग्रेस विधान मण्डल की कार्यकारिणी के सदस्य रहे। वर्ष 1950-51 में पंजाब कांग्रेस अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति के चेयरमैन रहे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी और अमृतसर जिला बोर्ड के भी वर्ष 1946-54 तक सदस्य रहे।

आप वर्ष 1952-67 तक पंजाब विधान सभा के सदस्य रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अनेक समितियों के चेयरमेन रहे। वर्ष 1952-54 में पंजाब विधान सभा के उपाध्यक्ष एवं 1954-62 तक पंजाब विधान सभा के अध्यक्ष पद पर रहे। परिवहन, विमानन, ग्राम विद्युतीकरण, संसदीय कार्य विभाग के मंत्री रहे।

चौथी लोक सभा (1967-70) के सदस्य निर्वाचित होने के बाद आप वर्ष 1968-69 में लोक सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सभापति रहे। वर्ष 1969 में आप लोक सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए तथा वर्ष 1971 में पुनः इस पद के लिए निर्वाचित हुए।

(श्री अध्यक्ष)

आप भारतीय संसदीय ग्रुप तथा सी. पी.ए. की भारतीय शाखा के प्रेसीडेंट रहे। वर्ष 1969 में आपने 57वें अन्तरसंसदीय संघ सम्मेलन की अध्यक्षता की। ओटावा में प्रथम राष्ट्र मण्डलीय सम्मेलन में भाग लिया। वर्ष 1970-71 में आपने द्वितीय राष्ट्र मण्डलीय अध्यक्ष सम्मेलन की अध्यक्षता भी की।

आप पंजाब की अनेक सामाजिक संस्थाओं के अध्यक्ष एवं सदस्य भी रहे। पंजाब विश्वविद्यालय की सीनेट और सिंडिकेट के भी सदस्य रहे।

1982 में आपको कनाडा में भारतीय उच्चायोग का आयुक्त नियुक्त किया गया।

राजनीति में आने से पूर्व आप पत्रकारिता से भी जुड़े रहे। आपने उर्दू दैनिक "शेरे भारत" तथा पंजाबी दैनिक "वर्तमान" में मुख्य सम्पादक के रूप में भी कार्य किया।

रायफल चलाना और यात्रा करना आपका प्रमुख शौक रहा। अपने अध्ययन, गोष्ठियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा विधि सम्मेलनों में भाग लेने के दौरान आपने अनेक देशों की यात्राएं की।

आपका 23 मार्च, 1992 को हृदय गति रुक जाने से नई दिल्ली में निधन हो गया।

मैं दिवंगत श्री गुरदयाल सिंह ढिल्लों को अपनी ओर से और इस सदन के समस्त माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को उनका विछोह सहने की शक्ति दें।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें एवं श्रद्धांजलि अर्पित करे।

(सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री मनीराम सियाग, सदस्य विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में भयंकर अकाल की स्थिति तथा वहां राहत कार्य शुरू करवाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री मोहन लाल चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति दूदू, जिला जयपुर के ग्राम ममाणा, बसपुरा, सिगला व कोरसना को विद्युतिकृत किये जाने के उपरांत भी वहां की जनता को विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री हीरालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई माधोपुर से बामनवास वाया बाहोदा, बरनाला तथा

(श्री अध्यक्ष)

ओली से जयपुर वाया दौसा पथ परिवहन निगम की बसें चलाये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री बिरधा राम चौधरी, श्री हबीबुर्र रहमान और श्री भंवर लाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से उद्योग विभाग द्वारा लवण उद्योग के लिए सब्सिडी से सम्बन्धित जारी आदेश स्पष्ट नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री अमीन खां और श्री रामस्वरूप मीणा सदस्य, विधान सभा की ओर से जैसलमेर तहसील पोकरण में क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना राजमथाई फलसून के 1989 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हो जाने के बाद भी उसकी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर के डूंगर कालेज के तीन हजार छात्रों द्वारा गत एक सप्ताह से आन्दोलनरत होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(1) श्री प्रभुलाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सपोटरा विधान सभा क्षेत्र स्थित कैलादेवी मन्दिर में मेले के समय यातायात, पेयजल, सुरक्षा, रोशनी, सफाई आदि की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि मन्दिर श्री कैलादेवी जी का मेला करौली उपखण्ड में प्रतिवर्ष चैत्र मास में लगता है। इस मेले की सुचारू व्यवस्था हेतु जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर की अध्यक्षता में सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्षों की बैठक आयोजित की जाती है। व्यवस्था से सम्बन्धित सभी बिन्दुओं पर गम्भीरता से विचार-विमर्श किया जाकर मेले में आये यात्रियों को सभी सुविधायें उपलब्ध कराई जाती है। मेले की व्यवस्था श्री कैलादेवी ट्रस्ट एवं ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है, परन्तु देख-रेख की व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन उत्तरदायी रहता है। मेले में यातायात व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, सफाई व्यवस्था तथा विद्युत की व्यवस्था समुचित रूप से की जाती है और इनकी निगरानी भी रखी जाती है। उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

(2) श्री रामनारायण वर्मा और 2 अन्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदेश की सहकारी संस्थाओं में हो रहे भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में। इस स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गई है। यह स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। प्रस्तावक माननीय सदस्य को आज सहकारिता विभाग की मांग पर चर्चा के समय बोलने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि आज कृषि एवं सहकारिता विभाग की मांग पर चर्चा के समय इन दोनों विभागों से संबंधित निम्नांकित सदस्यों को अपने ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के विषय पर बोलने की विशेष अनुमति होगी :—

सहकारिता विभाग

1. श्री मदन दिलावर
2. श्री मदनलाल सैनी
3. श्री लक्ष्मीनारायण दवे
4. श्री चुन्नीलाल गरासिया

कृषि विभाग

1. श्री हेतराम बेनीवाल
2. श्री कालीचरण सराफ
3. श्री हीरालाल आर्य
4. श्री सम्पतसिंह
5. श्री यदुनाथ सिंह
6. श्री रामनारायण वर्मा

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री चुन्नीलाल (खण्डार), सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला सवाई-माधोपुर के थाना मलारना डूंगरी में दर्ज मुकदमा नम्बर 121/91 की कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस की समुचित व्यवस्था न होने के कारण प्रतिपक्ष द्वारा कथित हमला किये जाने के संबंध में।

(2) श्रीमती सुमित्रा सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से रेनवाल तहसील फुलेरा के ग्राम डीसा के दो विद्युत उपभोक्ताओं को अविलम्ब कृषि विद्युत कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के विभिन्न स्थानों पर हो रहे अनाधिकृत खनन, खनन क्षेत्र में अनाधिकृत कब्जे व गलत आवंटन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री रिछपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में रेफरल अस्पताल खोलने तथा इस क्षेत्र में चिकित्सा की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री श्रीचन्द कृपलानी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के चित्तौड़गढ़, कोटा एवं झालावाड़ जिलों के अफीम काश्तकारों की समस्याओं के सम्बन्ध में।

(6) श्री रामनारायण वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले की तहसील हिण्डोली स्थित मरड़िया बांध निर्माण में सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा कथित रूप से सरकारी राशि का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री नारायणलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से आदिवासी बहुल मुख्यालय धरियावद, जिला उदयपुर में ए. सी.एम. कोर्ट खोले जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री मदनलाल सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से मालवीय नगर, जयपुर स्थित सत्कार शापिंग सेन्टर के

(श्री अध्यक्ष)

दुकानदारों द्वारा बरामदों पर अतिक्रमण करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री हीरालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास जल प्रदाय योजना के तहत ग्राम छिड़ोठ, मांदल गांव रामसिंहपुरा बरनाला को, पीने का पानी उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री गोपीराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से सांभर साल्ट लि. को राज्य सरकार के अधीन लेने के सम्बन्ध में।

(11) श्री कन्हैयालाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र बस्सी के ग्राम रामरतनपुरा से हीरावाल तक सड़क निर्माण का कार्य करने वाले मजदूरों की मजदूरी का भुगतान करने व अधिशाषी अभियन्ता के खिलाफ कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

(12) श्री हेमराज मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से किशनगंज व शाहबाद में अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करवाने के सम्बन्ध में।

(13) डा. चन्द्रभान, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला झुन्झुनू के सेठ दौलतराम नोपानी विद्या भवन माध्यमिक विद्यालय, महनसर के अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों को गत 5 वर्ष से वेतन एवं भत्ते नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्री परसादी लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा जिले की विभिन्न नगरपालिका क्षेत्रों में सुलभ शौचालयों का निर्माण कार्य नगरपालिका मण्डल की अनुमति के बिना सुलभ इन्टर-नेशनल से करवाये जाने से हो रही आर्थिक हानि के सम्बन्ध में।

(15) श्री जोगेश्वर गर्ग, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम पंचायत मांडोली, पंचायतसमिति जसवंतपुरा, जिला जालौर के भूतपूर्व सरपंच श्री देवीसिंह द्वारा की गयी कथित अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(16) श्री हीरालाल इन्दौरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंगानगर से हरिद्वार, जोधपुर-डेरा व्यास व रिडमलसर बस सेवाएं शुरू किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी।

माननीय सुरेन्द्र व्यास का 173 का जो नोटिस है उसमें आपने जो आरोप अपने पत्र में लगाये हैं उन तक ही आपको बोलने की मैंने इजाजत दी है। किसी का नाम लेकर आरोप नहीं लगाये जायेंगे। (व्यवधान) जो आपने पत्र में लिखे हैं यदि उसमें नाम लिखा है....

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा का पालन होगा। सिर्फ मेरा...

श्री अध्यक्ष : नाम किसी का भी नहीं लेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन 127 में....

श्री अध्यक्ष : मैंने बता दिया आपको नाम नहीं लेंगे। बाकी आपने जो पत्र में लिखा है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : तिलम् संघ की चर्चा है तो उसके अध्यक्ष का नाम तो आयेगा, बाकी कोई नाम लेने का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नाम नहीं आयेगा, बाकी सब आयेगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष का नाम क्यों नहीं आयेगा अध्यक्ष महोदय,। जब मैंने....

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष आ जायेगा, अध्यक्ष का नाम नहीं आयेगा।

श्री चुन्नीलाल।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल। आप पढ़ना शुरू करिए, आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर पढ़ ही नहीं पाओगे। पढ़िए।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ़ इन्फोर्मेशन। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अच्छा आप बैठिए। श्री लक्ष्मीनारायण दवे। मैं एक-एक को बुला लेता हूं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव कोटड़िया में जो कि मेरे क्षेत्र के पश्चिमी इलाके में है, इस बार महामारी के कारण अनेक व्यक्तियों की वहां पर मृत्यु हो गई। वहां मस्तिष्क ज्वर या ऐसी कोई बीमारी फैली है जिससे लगातार लोग मर रहे हैं। वहां पर चिकित्सा का कोई प्रबन्ध नहीं है, 60 किलोमीटर की दूरी में कोई चिकित्सा उपलब्ध नहीं है इसलिए माननीय चिकित्सा मन्त्री जी से मेरा निवेदन है कि वहां पर चिकित्सा के हिसाब से डाक्टर भेजें ताकि जो लोग मर रहे हैं उनको चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री अमृतलाल परमार। चुन्नीलाल जी, आप बैठिए।

श्री अमृतलाल परमार (बाली) : अध्यक्ष महोदय, मेरे बाली विधान सभा क्षेत्र में फालना के पास एक निबोड़ानाथ का मन्दिर है। जो रमणीय स्थान है। वहां 14 तारीख की रात को करीब 9.30 बजे पूरे जंगल में, पूरे पहाड़ी क्षेत्र के 4 किलोमीटर क्षेत्र में आग लगने से वह जल गया और जलकर भस्म हो गया। अभी तक उसकी जांच नहीं हुई है। वहां पर यह जो हादसा हुआ है, अभी तक उस एरिया में जंगल नहीं जले हैं। वहां पर कुछ असामाजिक तत्व हैं जो कोयला बनाने का धंधा कर रहे हैं इनकी योजना से वो पहाड़ी का पूरा क्षेत्र जल गया है। वहां के जो अधिकारी हैं, अभी तक वे मौन बैठे हुए हैं वे न उसकी जांच कर रहे हैं जिससे उस पूरे क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों में

(श्री अमृतलाल परमार)

असन्तोष फैला हुआ है। अतः इसकी अविलम्ब जांच की जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री कल्ला जी।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, डूंगर महाविद्यालय में 15 मार्च से विद्यार्थियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है।

श्री अध्यक्ष : उनका एडजोर्नमेंट मोशन आ गया ना।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एडजोर्नमेंट मोशन तो हमारा भी दिया हुआ है अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आपका नहीं है, आज आया है। डा. चन्द्रभान का आया है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने, श्री जुबेर खां ने और कई माननीय सदस्यों ने दिया है। (व्यवधान) 15 मार्च से लेकर आज 24 तारीख हो गई वहां हड़ताल चल रही है। बीकानेर के दूसरे कॉलेजों और स्कूलों में भी हड़ताल होने की सम्भावना है। उनकी मांग वाजिब है। वे चाहते हैं कि रिवेल्युएशन का रिजल्ट अभी-अभी 25 फरवरी को अजमेर विश्वविद्यालय ने डिक्लेयर किया है और विद्यार्थियों के पास में 7 मार्च तक उसकी मार्कशीट पहुंची है लेकिन उनको प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। उनके इम्तहान की तारीख 22 फरवरी पहले ही निश्चित की हुयी थी, विद्यार्थियों की इसमें कोई गलती नहीं है। विद्यार्थियों ने आज से लगभग 4 महीने पहले ही रिवेल्युएशन के फार्म भर दिए, निर्धारित फीस भर दी। विश्वविद्यालय ने जो रिजल्ट अक्टूबर में निकालना चाहिए था वह अब फरवरी-मार्च में लड़कों को प्रेषित किया है। इनका प्रवेश न मिलने से आज विद्यार्थी सड़कों पर हैं। प्रथम वर्ष विधि में 5 सेक्शन की जगह है लेकिन वहां पर सिर्फ एक सेक्शन के विद्यार्थी ही आए हैं और 4 सेक्शन खाली पड़े हैं। इसके बावजूद स्नातक व स्नातकोत्तर परीक्षाओं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को जो एलिजिबल हैं उनको विधि क्लासेज में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इस तरह से विद्यार्थियों की कुल 8 मांगें हैं। इस डूंगर महाविद्यालय में पिछले 6 महीनों से जो प्रिंसिपल लगाते हैं वह कभी 2 महीने के लिए तो कभी 4 महीने के लिए आता है। अभी भी वहां कोई स्थायी प्रिंसिपल न होने से वह डूंगर महाविद्यालय घोर अव्यवस्था का शिकार हो रहा है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से, जो उच्च शिक्षा के केबिनेट मंत्री भी हैं, आग्रह करना चाहूंगा कि डूंगर महाविद्यालय में परमानेंट प्रिंसीपल भेजें और विद्यार्थियों के साथ वार्ता कर उनकी समस्याओं का उचित समाधान करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रामनारायण वर्मा।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ऐसा महत्वपूर्ण मसला, जो हिन्दुस्तान के मुख्यमंत्रियों की कान्फ्रेंस हुई थी चार और पांच अक्टूबर को दिल्ली में, उससे

(श्री रामनारायण वर्मा)

सम्बन्धित निवेदन करना चाहता हूं । माननीय अध्यक्ष जी, कल भी यह कहा गया था माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा कि इन आदिवासी हरिजनों को की पोस्ट दे रखी है । मेरे जिले में चार ग्राफिसर हैं–कलक्टर, एस.पी. और दो एस.डी.एम., जो कि की पोस्ट होती है, एक भी आदिवासी हरिजन नहीं है । इसके अलावा चार और पांच अक्टूबर को जो कान्फ्रेंस हुई थी उसमें इम्प्लीमेन्टेशन इन लोगों को, जो बैंक इनकी पोजीशन थी उसको, उसमें भी फिल-अप करने के लिए और नया रिक्रूटमेंट करने के लिए जो आर्डर्स निकले उसके माध्यम से आज की तारीख तक राजस्थान में कोई अपाइंटमेंट्स नहीं दिये गये हैं । यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है । मैं आपके माध्यम से इसको इसलिए ध्यान में लाया हूं कि राजस्थान सरकार और माननीय मुख्य मंत्रीजी काम की व्यस्तता की वजह से हो सकता है कि ध्यान नहीं दे पा रहे हों, इसके बारे में ध्यान देंगे और मुझे उम्मीद है कि यह जो कोटा है रिजर्व क्लासेज का, उसको पूरा किया जायेगा और ऐसे जिलों में, जहां किसी की पोस्ट पर एक भी आदिवासी हरिजन नहीं है उसको अपाइंटमेंट दिया जायेगा । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रामस्वरूप मीणा ।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, दो स्थगन प्रस्ताव मैंने रखे थे । एक तो मेरे यहां जो सड़कों की व्यवस्था बिगड़ चुकी है, हमारे यहां ग्राम एदलपुर है, मातासुला है, साकरवाड़ा है और नांगड़-पालड़ी होते हुए महावीरजी के बारे में, एक इस प्रकार का था, मेरे उसका नहीं आया है । दूसरा मेरा एक पेयजल समस्या के बारे में था....

श्री अध्यक्ष : उसके बारे में आप मेरे से वहां पूछ लीजिए । बैठिये ।

श्री रामस्वरूप मीणा : एक पेयजल समस्या के बारे में है । मेरे क्षेत्र में जो पानी की समस्या है उसके बारे में आप देखिये ।

श्री अध्यक्ष : हां, मेरे से बात कर लेना । बैठिये । श्री चुन्नीलाल ।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

मलारना डूंगरी में मुकदमा सं. 121/91 की सुनवाई में कोर्ट की समुचित व्यवस्था न होना

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जिला सवाई माधोपुर के थाना मलारना डूंगर में मुकदमा नं. 121/91 धारा 363, 366 आई.पी.सी. दर्ज हुआ और पुलिस के उच्चाधिकारियों के निर्देश पर फरियन नाम की एक लड़की को उसके प्रेमी के यहां से पकड़ कर दिनांक 5-9-91 को अदालत कोर्ट नं. 2 में धारा 164 में बयान हेतु लाया गया, फरियन काफी लम्बे समय से उसके प्रेमी के साथ ही रह रही थी इसलिए बयान भी

(श्री चुन्नीलाल)

प्रेमी के पक्ष में ही दिये। पुलिस थाना इन्चार्ज मलारना डूंगर ने अदालत में फरियन के ससुराल वालों का कुछ भुण्ड देख कर पुलिस अधिकारी, सवाई माधोपुर से पुलिस का इन्तजाम करने की मांग की लेकिन पुलिस अधिकारी, सवाई माधोपुर ने फरियन के ससुराल वालों से भारी आर्थिक लाभ ले लिया इसलिए पुलिस व्यवस्था नहीं की। पुलिस व्यवस्था न होने के कारण फरियन के ससुराल वालों ने कोर्ट न. 2 में हमला बोल दिया और थानेदार मलारना डूंगर की मारपीट की एवं फरियन को उठा कर ले गये जिससे सरकार की तौहीन हुई एवं मजिस्ट्रेट को भी शौचालय में घुसना पड़ा। अतः उक्त मामला लोक महत्व का ही अविलम्बनीय है अतः सदन में इस पर पर कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

ग्राम डीसा तहसील फुलेरा में विद्युत कनेक्शन देने बाबत।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये यह निवेदन करना चाहूंगी कि जयपुर जिले के सहायक अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, रेनवाल, तहसील फुलेरा के ग्राम डीसा में पूरा पुत्र श्री बक्साराम तथा नन्दा पुत्र श्री बिरमा, हनुमान पुत्र श्री भैरू के नाम से कृषि कनेक्शन है जिसके खाता संख्या 7/7-223, तथा खाता संख्या 7-222 है तथा मीटर प्रणाली से चालू है। दिनांक 21-2-91 अध्यक्ष महोदय, वह मंत्रीजी तो है ही नहीं, नदारद है।

श्री अध्यक्ष : आपको जवाब मिलेगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मंत्रीजी को चाहिए तो सही, जब उनको पूर्व सूचना है कि इस प्रकार का मैटर है तो रहना तो चाहिए हाउस के अन्दर उन्हें। किसानों को किस तरह परेशान किया जा रहा है, मैं यह बताने जा रही हूं, मुख्य मंत्रीजी, आप सुन लें, आप दे देना जवाब।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी खुद बैठे हैं, मंत्री की क्या जरूरत है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जिनके खाता संख्या जैसे मैंने बताये, इसमें मीटर प्रणाली से चालू है। दिनांक 21-2-91 तथा 6-10-90 को क्रमशः मीटर जलने की सूचना का प्रार्थना-पत्र सहायक अभियन्ता, रेनवाल को दे दिया था तथा मीटर की कीमत के रुपये 490/- जमा करा दिये थे। नये मीटर लगाने के लिए प्रार्थीगणों ने सहायक अभियन्ता, रेनवाल से इस सम्बन्ध में कई बार मीटर लगाने के लिए कहा परन्तु सहायक अभियन्ता यही जवाब देते रहे कि जब आपके पास मीटर की कीमत जमा कराने की रसीद व बिल है तो फिर आपको चिन्ता क्या है, हमारे पास मीटर नहीं है, आते ही आपके लगा देंगे। कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय से सम्पर्क करने पर उन्होंने बताया कि आपके कुएं का मीटर सी.सी.ए. को जारी कर दिया गया है। सम्बन्धित सी.सी.ए. में बार-बार चक्कर लगाये, वह कई दिनों तक तो मिला नहीं। फिर बाद

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

में बोला कि मैं अपने आप लगा दूंगा। यह दोनों व्यक्ति मण्डल कार्यालय से जारी किये गये बिलों का भुगतान नियमित रूप से करते रहे। लगभग पांच हजार यूनिट का चार्ज गत वर्ष तक तथा तीन हजार तीन सौ यूनिट का चार्ज इस वर्ष फरवरी माह, 92 तक दिया जा चुका है। एक उपभोक्ता के मीटर जले डेढ़ वर्ष तथा दूसरे को एक वर्ष से अधिक का समय हो गया है परन्तु मीटर नहीं बदले गये।

पूरा पुत्र श्री बक्साराम ने गत वर्ष छह हजार रुपये तथा इस वर्ष फरवरी माह तक चार हजार आठ सौ रुपये का भुगतान मण्डल को किया है। कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय ने इन्हें 3-9-90 को बताया गया कि संबंधित सी.सी.ए. को मीटर बदलने हेतु दे दिया गया है लेकिन 15-2-92 तक इनका मीटर नहीं बदला गया। दिनांक 15-2-92 को सतर्कता दल सहित सहायक अभियन्ता, रेनवाल दल बल सहित इनके कुओं पर पहुंचे और दोनों कुओं का कनेक्शन काट दिया। बोर्ड, स्टार्टर, केबल, जला हुआ मीटर इत्यादि सारा सामान उतार कर ले गये तथा कहा कि सात हजार पांच सौ रुपये जमा करा देना अन्यथा आपके खिलाफ एफ. आई. आर. बिजली चोरी की दर्ज करवाई जायेगी तथा कनेक्शन भी नहीं जोड़ा जायेगा। दोनों उपभोक्ताओं ने अपनी खड़ी करीब पकने आई फसल को बचाने के लिए रुपये सात हजार पांच सौ सहायक अभियन्ता, रेनवाल के कार्यालय में जमा करा दिये। रसीद सं. 56046/77 द्वारा दिनांक 15-2-92 को यह जुर्माना राशि जमा कराने के बाद भी अभी तक इन दोनों उपभोक्ताओं को वापिस कनेक्शन नहीं दिया। पककर खड़ी फसल के समय पानी के अभाव में इस प्रकार फसल को चौपट कर देना सरासर अन्याय एवं संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है।

मीटर जल जाने पर उसकी शिकायत समय पर कर दी गई। नये मीटर के पैसे 490/– रुपये क्रमश: 6-10-90 तथा 21-2-91 को ही जमा करा दिये गये थे। लगातार सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता, रेनवाल से नया मीटर लगाने के लिए निवेदन करते रहे। लगातार विद्युत मण्डल से जारी बिलों का भुगतान करते रहे फिर सतर्कता दल ने जुर्माना किया तो उसे भी जमा करा दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि इसके बावजूद भी फिर कनेक्शन क्यों काटा गया? यह दोनों उपभोक्ता कनिष्ठ अभियन्ता से लेकर सहायक, अधिशाषी, अधीक्षण, मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक, सतर्कता इत्यादि सब से मिले परन्तु किसी ने इनकी नहीं सुनी और खड़ी फसल पानी के अभाव में जल कर सूख गई। फसल बिल्कुल नष्ट हो गई। इस प्रकार विद्युत मण्डल के अधिकारियों एवं कर्मचारी की लापरवाही एवं गैर जिम्मेदारी के कारण इन दोनों उपभोक्ताओं...

(12.30 म.प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

का बिना इनके किसी कसूर के भारी आर्थिक नुकसान हुआ है जिसकी जिम्मेदारी बिजली बोर्ड की है। मण्डल के अधिकारी व कर्मचारी गरीब, मेहनतकश किसानों का आर्थिक शोषण करते हैं और नाजायज

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

परेशान करते हैं। उनकी अनभिज्ञता से फायदा उठाते हैं। इन उपभोक्ताओं पर सतर्कता दल द्वारा सात हजार पांच सौ रुपये जुर्माने की राशि लगाना अन्याय है क्योंकि शिकायत करने और पैसा जमा कराने के बाद मीटर लगाने की जिम्मेदारी मण्डल की है। मंत्रीजी से मेरा अनुरोध है, वह नहीं हैं, मुख्य मंत्रीजी से है कि इन दोनों उपभोक्ताओं के कनेक्शन अब चार दिन की अवधि में वापस जोड़ दिये जायें अन्यथा फसल के हर्जाने की क्षतिपूर्ति के लिए मण्डल के विरुद्ध न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

खनन क्षेत्र में अनधिकृत कब्जे

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया 295 के अन्तर्गत मेरा निम्न प्रस्ताव है :–
महोदय,

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न खनिजों की लीज स्वीकृत की जाती है। राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 89 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि जिसे भी लीज स्वीकृत की जाती है उसे उस क्षेत्र में से खनिज निकालने का अधिकार है। अगर स्वीकृत क्षेत्र खातेदारी भूमि है तो जिसे लीज स्वीकृत हुई है वह खातेदार से समझौता कर सरपेश भूमि के प्रयोग करने का मुआवजा उसे देगा और समझौता न होने की दशा में जिला कलक्टर को मुआवजा तय करने के लिए आवेदन देगा। परन्तु लीज क्षेत्र में अगर सरकारी भूमि है तो उसे उस भूमि को प्रयोग करने का पूरा अधिकार है। उस स्थिति में कोई भी मुआवजा देय नहीं होगा। जिला कलक्टर, गंगानगर के आदेश के विरुद्ध की गयी अपील में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बालकिशन बनाम स्टेट में यह पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है कि लीज स्वीकृत राज्य सरकार द्वारा ही की जाती है। अतः राजस्व विभाग अलग से किसी तरह का आदेश जारी नहीं कर सकता। अतः राजस्व विभाग को राज्य सरकार के खनिज विभाग द्वारा स्वीकृत आदेश की पालना करनी ही होगी।

परन्तु यह देखा गया है कि राजस्व विभाग खनिज द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में भी अन्य कार्यों के लिए भूमि आवंटन कर देता है। उदाहरण के रूप में जिला जोधपुर के तहसील बिलाड़ा के ग्राम हरियाढाणा क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा राज्य खनिज विकास निगम के माध्यम से किये जा रहे विभागीय खनन वाले क्षेत्र में श्री रामस्वरूप पुत्र श्री मोडाराम जाट को जिला कलक्टर जोधपुर ने चूना-भट्टा बनाने के लिए 2 बीघा जमीन का आवंटन कर दिया गया है। जिला कलक्टर का यह आदेश लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की उक्त धारा 89 की भावना के विरुद्ध है। उसी प्रकार उक्त क्षेत्र व आस-पास के क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर कई व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत कब्जे कर लिये गये हैं, जबकि राज्य सरकार ने वहां चूना पत्थर की खानें स्वीकृत कर रखी है। लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के अन्तर्गत उक्त सभी व्यक्तियों को वहां से बेदखल कर क्षेत्र जिसे लीज स्वीकृत की गई है उसे देना चाहिए। परन्तु राजस्व अधिकारियों व जिला कलक्टर

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

जोधपुर द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। है उन व्यक्तियों से जिन्होंने अनाधिकृत कब्जे कर रखे हैं हर वर्ष खाना पूर्ति हेतु पेनेल्टी वसूल की जाती है, परन्तु उन्हें बेदखल नहीं किया जाता। इसी कारण उस क्षेत्र में खनन नहीं होने के कारण राज्य सरकार को लाखों रुपए की रायल्टी की हानि प्रति वर्ष हो रही है। परन्तु न तो राजस्व विभाग और न ही खनिज विभाग द्वारा इस बारे में कोई कार्यवाही की जा रही है। इस कारण वहां अनाधिकृत खनन दिन व दिन बढ़ता जा रहा है।

मैं राजस्व मंत्री व खनिज मंत्री दोनों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि वे अपने अधिकारियों को निर्देश देवें कि इस बारे में तुरन्त ही आवश्यक कार्यवाही कर स्वीकृत खनन क्षेत्रों में से अनाधिकृत कब्जे हटवायें, गलत आवंटन को रद्द करें व अनाधिकृत खनन को रुकवायें। साथ ही भविष्य में राजस्व विभाग, खनिज विभाग आपसी तालमेल रखें ताकि राज्य सरकार को इस प्रकार से हो रही हानि से बचा सकें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रिछपाल सिंह।

डेगाना में रेफरल अस्पताल खोलने बाबत

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) माननीय : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्या का नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख है।

महोदय,

उपरोक्त विषय में ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) के अनेक ग्राम एवं ढाणियां अभी तक चिकित्सा की सुविधा से वंचित हैं। इनमें प्रमुखतया कालनी, गुडा जोधा, गोल, थाटा, रेवंत, जालसू, खुर्द व खियास आदि हैं। क्षेत्र का डेगाना ग्राम तहसील मुख्यालय है तथा राज्य सरकार की नीति हर तहसील मुख्यालय पर रेफरल अस्पताल खुले होने के बावजूद भी बड़े खेद का विषय है कि अभी तक राज्य सरकार द्वारा डेगाना में रेफरल अस्पताल खोलने की स्वीकृति नहीं दी गई है इसके कारण ग्रामीण जनता हैं भारी रोष व असन्तोष व्याप्त है। विधान सभा क्षेत्र डेगाना के ग्राम की तलसर, खूडी कलां, जाखेड़ा आदि अनेक ऐसे स्थान हैं जहां डॉक्टर बराबर ड्यूटी नहीं करते हैं जिसकी वजह से ग्रामीण जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

उपरोक्त ग्रामों के अलावा अनेक ग्राम एवं ढाणियां ऐसी हैं जहां पर चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है। उनमें नर्सों की नियुक्ति की जावे। कई जगहों पर उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले हुए हैं परन्तु वहां पर ए. एन. एम. के पर रिक्त पड़े हैं। अतः वहां पर शीघ्र नयुक्ति करावें।

ग्राम तिलानेस में उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भवन बना हुआ है परन्तु अभी तक सरकार द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोला गया है। ग्राम रामसरी काफी बड़ा गांव है तथा क्षेत्र के पुन्दलोता ग्राम से एड पोस्ट रेण चला गया है उसको रामसरी में लगाया जावे। अनेक ग्रामों में जन सहयोग द्वारा

(श्री रिछपाल सिंह)

भवन बनाने को तैयार हैं परन्तु सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान करने से ही समस्या का समाधान हो सकता है।

क्षेत्र की ग्रामीण जनता को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की मूलभूत आवश्यकता की सुविधा हेतु आपके माध्यम से मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि डेगाना में रेफरल अस्पताल खोलने की स्वीकृति प्रदान करावें। कई स्थानों पर जन सहयोग द्वारा भवनों का निर्माण कराया जा चुका है तथा कई स्थानों पर ग्रामीण जनता भवन बनाने को तैयार है वहां पर नये उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा अस्पताल खोलने की स्वीकृति प्रदान करावें तथा अनेक जगहों पर जहां ए. एन. एम. एवं अन्य कर्मचारियों के पद रिक्त पड़े हैं उनको शीघ्र भराने की व्यवस्था कराकर ग्रामीण जनता को चिकित्सा की सुविधा मुहैया करावें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री श्रीचन्द कृपलानी।

कोटा, चित्तौड एवं झालावाड़ में अफीम काश्तकारों की समस्या

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम प्रक्रिया 295 के तहत मैं राजस्थान के अफीम काश्तकारों की समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ जिले में अफीम की खेती की जाती है चूंकि मैं जो समस्या उठा रहा हूं यह मामला केन्द्र से सम्बन्धित है इसलिए इस तरह अफीम के काश्तकारों की तरफ केन्द्र सरकार का ध्यान आज तक नहीं गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक प्रकोप में अग्रमी लाइसेंस नवीनीकरण की नीति तय करते समय 10 प्रतिशत से अधिक नुकसान बताना आवश्यक है जिससे फसल आंकलनकर्ता अधिकारी को काश्तकारों को परेशान करने का मौका मिलता है और खूब जमकर भ्रष्टाचार होता है और साथ ही एक पट्टाधिकारी किसान, चाहे उसे कितना ही नुकसान प्राकृतिक प्रकोप से हुआ हो, परन्तु उसे सही होते हुए भी नहीं माना जाता है उसके लिये जिस गांव में नुकसान हुआ है उस पूरे गांव को 10 प्रतिशत से अधिक नुकसान बताना आवश्यक है। इससे भी काश्तकारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है साथ ही सरकार द्वारा किसान को जो भाव दिया जाता है, वह काफी कम है। इसे भी बढ़ाया जाना अति आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, इन समस्याओं का समाधान निम्न प्रकार से होना आवश्यक है :—

(1) राजस्थान के पड़ौसी राज्य उत्तर प्रदेश में 32 किलो ग्राम प्रति हैक्टेयर का औसत है जबकि राजस्थान में यह औसत 38 किलो ग्राम प्रति हैक्टेयर है। यह केन्द्र सरकार की सौतेले पूर्ण व्यवहार की नीति है जबकि राजस्थान के किसानों को सिंचाई के पानी का अभाव है व अफीम में कई तरह की जैसे गये साल सभी मोइला की

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

बीमारी लगी, इस साल भी मोइला की बीमारी लगी है, तरह-तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है।

(2) किसानों को अफीम का सरकारी खरीद मूल्य, लागत से भी कम मिलता है अतः इसे लागत खर्च के अनुपात में बढ़ाया जाना चाहिये।

(3) साथ ही अधिक औसत उपज देने के लिये लाइसेंसों का रकबा बढ़ाया जाना चाहिये।

महोदय, मेरा निवेदन है कि इस संबंध में राज्य सरकार केन्द्र सरकार से आग्रह करे ताकि काश्तकारों को न्याय मिल सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले साल भी हमारे एरिये के किसानों को इतना जबरदस्त नुकसान हुआ कि अभी तक सब इससे संभल नहीं पाये हैं और इस साल भी फसल को मोइला लग गया है ...

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजो। अफीम की पंचायत कर दी है आपने। श्री रामनारायण वर्मा।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई विभाग में

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइण्ट आफ आर्डर। माननीय सदस्य ने केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित कुछ मुद्दे यहां रखे। क्या यह यहां चर्चा के विषय बन सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने केन्द्र सरकार के बारे में नहीं कहा है। यह तो एक नीतिगत बात कही है कि इस प्रकार की बात करें। केन्द्र सरकार के लिए....(व्यवधान).. प्रस्ताव 295 का, केन्द्र सरकार के बारे में नहीं कहा यह स्टेट के लिए भी है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : केन्द्र सरकार की नीति के बारे में....(व्यवधान)....यहां यह नियम आपका जो है 272....

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार की कोई बात नहीं की है माननीय कल्ला जी। आप जो कह रहे हो वह सही है लेकिन इस प्रकार की बात नहीं की है इन्होंने।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नियम 272 में यह प्रावधान है कि विधान सभा के बाहर संसद और केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित मामलों के बारे में विचार नहीं किया जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, इसके बारे में नहीं कहा है। ऐसा नहीं कहा है। माननीय रामनारायण वर्मा।

मरड़िया बांध के निर्माण में सरकारी पैसों का दुरूपयोग

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं 295 के तहत राजस्थान के सिंचाई विभाग में पनप रहे भ्रष्टाचार, जैसा मैंने पहले भी कहा था और उसकी समाप्ति के लिए विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही, इसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मरड़िया

(श्री रामनारायण वर्मा)

बांध (तहसील हिण्डोली) में बांध निर्माण में किए गए भ्रष्टाचार की जांच की जाकर दोषियों को दण्डित करने हेतु यह प्रस्ताव नियम, 295 के अन्तर्गत है।

महोदय,

बून्दी जिले में निर्मित मरड़िया बांध में सिचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा सरकारी राशि का भारी दुरुपयोग किया है तथा "जी" शिड्यूल में दर्शायी गई राशि से ज्यादा खर्च किया है। बांध पर कार्य करने वाले ठेकेदारों को उनके काम से अधिक भुगतान दिया गया है। उदाहरण के तौर पर ठेकेदार मैसर्स चण्डी कंस्ट्रक्शन कम्पनी के "जी" शिड्यूल के मुताबिक हार्ड राक, मजबूत पत्थर कम मात्रा में तोड़ने का आवंटन किया गया था किन्तु भुगतान काफी ज्यादा कर के भारी मात्रा में अधिकारियों द्वारा कमीशन राशि प्राप्त की गयी है। मिट्टी के कार्य एवं पीचिंग कार्य के लिए करीब 1980000=00 की राशि ही भुगतान की जानी थी किन्तु करीब तीस लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया।

बांध के पेटे से मिट्टी उठाये जाने के बावजूद भी दूर से मिट्टी लाना बताकर अधिक भुगतान किया गया। सेडलडेम पर भी "जी" शिड्यूल के आधार पर मिट्टी नहीं मंगाकर दूर से मिट्टी लाना दर्शाया गया और उसमें पीचिंग का कार्य भी सही नहीं किया गया तथा इस तरह का कार्य अन्य ठेकेदारों से करवाकर अधिक भुगतान किया गया। जबकि मूल ठेकेदार से ही कार्य करवाया जाता तो राज्य सरकार को काफी अधिक फायदा होता तथा दूसरे ठेकेदारों से कमीशन लेकर गलत काम करवाया गया। अत्यधिक आइटमों के पेमेन्ट के लिए भी अधिकारी दोषी हैं। मिट्टी का काम्पेक्ट जो पानी डालकर के मिट्टी दबाई जाती है वह भी ठीक ढंग से नहीं किया गया जिससे बांध टूटने का खतरा और पैदा हो गया है। इस बांध के मूल तखमीने में डूब में आने वाले मकानों के मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं होते हुए भी बाद में मकानों के मुआवजे का भुगतान कर दिया गया जबकि ऐसे मकान इस समय भी मौके पर मौजूद हैं, फिर भी इनको मुआवजा राशि भुगतान की गई है। सौभागसिंह नामक व्यक्ति इस समय मौके पर रह रहा है। मरडिया बांध पर समस्त कार्यों के खर्च एवं वास्तविक लागत के लिए सरकार द्वारा, विभाग द्वारा इवेल्यूशन रिपोर्ट भी सिचाई विभाग ने तैयार करवाई थी किन्तु उसके आधार पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है तथा उन कर्मचारियों और अधिकारियों को बचाया जा रहा है। इवेल्यूशन रिपोर्ट की तथा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग (राज्य अन्वेषण ब्यूरो) में चल रही शिकायतों की प्रतियां प्राप्त की जाना भी आवश्यक है ताकि सही स्थिति मालूम हो सके। लाखों रुपये की सरकारी राशि का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ समुचित ठोस कार्यवाही नहीं किया जाना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। जांच करने वाले अधिकारियों की दोषियों के प्रति हमदर्दी और मिलीभगत भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। अतः बांध के मूल तखमीने व "जी" शिडयूल को आधार मानकर किये गये राशि के दुरुपयोग की जांच की जावे तथा दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे।

(श्री रामनारायण वर्मा)

मूल तखमीने व "जी" शिड्यूल की प्रतियों सहित कार्यों के विवरण व किये गये भुगतान को भी सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया जावे, ताकि क्षेत्र के आम नागरिक भी इस भ्रष्टाचार की जांच में आपका सहयोग कर सकें।

आशा है आप इस बारे में और पहले भी मैंने कहा था जिस बांध के लिए, नारायणपुर के लिए, उसके लिए भी कुछ कार्यवाही करने की आप कोशिश करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री कैलाश मेघवाल (सिंचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार और अनियमितता करने वाले किसी भी अधिकारी को मेरे स्तर पर किसी तरह का संरक्षण नहीं मिलेगा। न उनको बचाया जायेगा। वैसे सामान्य प्रक्रिया के अनुसार विशेष उल्लेख का उत्तर तो मैं माननीय सदस्य को भिजवा दूंगा लेकिन आपके माध्यम से भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि यहां जो बात कही जाती है माननीय विधायक के द्वारा, उसको मैं बड़ी गंभीरता से लेता हूं। मैं इस सदन के प्रति उत्तरदायी हूं, माननीय विधायक के प्रति उत्तरदायी हूं कि उन्होंने जो प्रकरण रखा है, उसमें आज ही जांच अधिकारी की नियुक्ति के आदेश देकर जांच करवा ली जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नारायण लाल जी मीणा।

धरियावद में ए.सी.एम. कोर्ट खोलने बाबत।

श्री नारायणलाल मीणा (लसाड़िया) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम प्रक्रिया 295 के तहत आदिवासी बाहुल्य मुख्यालय धरियावद में ए.सी.एम. के पद की आवश्यकता पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

आदिवासी बाहुल्य मुख्यालय धरियावद, जिला उदयपुर में आदिवासी को सस्ता न्याय देने के लिए ए.सी.एम. कोर्ट स्थापित करने का राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने बाबत।

इस क्षेत्र में निम्न बिन्दुओं को ध्यान में लाना चाहूंगा :-

(1) यह एक 90 प्रतिशत आदिवासी वासिन्दों का क्षेत्र है। राजस्व सम्बन्धी छोटे-बड़े सभी प्रकरण की सुनवाई उप जिलाधीश (एस.डी.ओ.) बल्लभनगर में की जाती है। जो कि भौगोलिक दृष्टि से अलग-थलग पड़ता है। गरीब आदिवासी पेशी व अन्य सम्बन्धी कार्यों हेतु आने-जाने की कठिनाई रहती है। आवागमन के साधनों का लिंक भी कतई सही नहीं है। रात्रि विश्राम का बल्लभनगर में आम आदमी का कोई साधन नहीं है। मैं स्पष्टतया: बयान करता हूं कि खाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। सारी परिस्थितियां प्रतिकूल होने के उपरान्त आदिवासियों को अपने प्रकरण की सुनवाई करवाने के लिए बल्लभनगर उप जिलाधीश मुख्यालय कई दिन-रात पड़े रहना पड़ता है। सरकार से प्रार्थनीय निवेदन है कि इन तमाम समस्याओं को

(श्री नारायणलाल मीणा)

मद्देनजर रख कर गरीब को सस्ता एवं शीघ्र न्याय की गुजारिश के तहत ए.सी. एम. कोर्ट धरियावद मुख्यालय पर सृजित करें।

मेरा राज्य सरकार से पुनश्च: निवेदन है कि सांकेतिक परिस्थितियों एवं समस्याओं के अवलोकन से हमारी एवं क्षेत्र की जनता की कठिनाई का सर्वविदित ज्ञान होगा तथा हमारी जिज्ञासा के अनुसार ए.सी.एम. स्थापित कर हमें राहत दिलायेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन लाल सैनी।

मालवीय नगर, जयपुर में सत्कार शापिंग सेन्टर के बरामदों का अतिक्रमण।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा कार्य संचालन प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से आवासन मंत्री महोदय का जयपुर के सत्कार शापिंग सेन्टर, मालवीय नगर की दुकानों के बरामदों में दीवार बनाकर लोहे के शटर लगाकर बरामदों का उपयोग आम जनता के लिए बंद कर देने के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर अपनी सुन्दरता के लिए प्रसिद्ध है। वहीं जयपुर की दुकानें और खरीददारों/उपभोक्ताओं के उपयोग के लिए दुकानों के आगे बरामदों का निर्माण जयपुर के बाजारों की विशेषता रही है। इन बरामदों का जयपुर बरामदों में तो अतिक्रमण कर दुकानदारों ने दुकान का उन्हें भाग ही बना लिया है। न्यायालय के आदेश के बावजूद भी कोई भी सरकार उन्हें खाली कराने का साहस नहीं कर पाई।

मान्यवर, जनता की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने कालोनियों के पास ही शापिंग सेण्टर भी बनाये हैं, इसी प्रकार का एक शापिंग सेण्टर मालवीय नगर में भी बनाया गया। इसका नाम रखा गया, सत्कार शापिंग सेण्टर मालवीय नगर, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया गया, यह एक व्यवसायिक केन्द्र है। यहां लगभग 60 दुकानें हैं। इस शापिंग सेण्टर का निर्माण कराते समय प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखते हुए पांच फुट के बरामदे की व्यवस्था की थी ताकि वर्षा, धूल, धूप, ठण्ड में सामान खरीदते समय जनता खड़ी होकर सामान खरीद सकें।

जयपुर विकास प्राधिकरण ने केवल दुकानें विक्रय की थी, बरामदे नहीं बेचे गये थे। बरामदें उपभोक्ताओं के लिए रखे गये थे। अब तक 18 दुकानदारों ने इन बरामदों के अगल-बगल में निर्माण कर आगे शटर लगा लिये हैं और अन्य शेष दुकानदार अवसर की प्रतीक्षा में हैं कि अवसर आते ही वे भी शटर लगा लेंगे।

मान्यवर, बरामदों में दुकान निर्माण की कार्यवाही जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन निदेशालय के चंद अधिकारियों की शह पर हो रही है। इससे उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन है। प्राधिकरण ने कब्जा किये दुकानदारों की कोई कार्यवाही

(श्री मदनलाल सैनी)

नहीं की है। जिन दुकानदारों ने शटर लगाये हैं, उन दुकानों के नम्बर मैं पढ़ रहा हूं।

नाम	दुकान क्रमांक
1. कान्ता गारमेन्ट	50
2. कनक ज्वेलर्स	51
3. कंचन महत्व	52
4. मनोरंजन वीडियो	53
5. रविराज मेडिकल (चार शटर)	34
6. विजय प्रोविजन (चार शटर)	—
7. आदिनाथ फैन्सी	23
8. सुन्दर किराना	13
9. सैनेन्स वार	14
10. सेवन पर ट्रेनिग कम्पनी	17
11. लश्करी स्टोर	18
12. चोईस पैलेस	27
13. स्टील होम	26

कुल 18 दुकानें हैं। इसके अतिरिक्त दुकान संख्या 19, 20, 21, 29, 30 के दुकानदारों ने भी बरामदों में अवरोध खड़े कर दिये हैं। वहां उपभोक्ता खड़े नहीं हो सकते।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय आवासन मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि 18 दुकानों के बरामदें खाली करवाकर भविष्य में जयपुर शहर की दुकानों के बरामदों पर कोई कब्जा न कर सके, इसकी व्यवस्था करें तथा 18 दुकानों के बरामदों के बन जाने के कारण सम्बन्धित दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल मीणा।

बामनवास जल प्रदाय योजना से गांव बिछोछ मांदल गांव रामसिंहपुरा बरनाला को पानी उपलब्ध कराने सम्बन्धी।

श्री हीरालाल मीणा (बामनवास)। उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख विधान सभा क्षेत्र बामनवास जल प्रदाय योजना के तहत ग्राम बिछोछ मांदल गांव रामसिंहपुरा बरनाला को पीने का पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में। महोदय, उक्त विषय में वास्तविकता यह है कि अब गर्मी के दिनों में उक्त ग्रामों में पीने के पानी का संकट बहुत विकट पैदा हो गया है जबकि पानी मुहैय्या कराने हेतु उपरोक्त ग्रामों में अधूरी पड़ी हुई योजनाओं का कार्य बिल्कुल ठप्प पड़ा हुआ है। न तो बिछोछ पनघट योजना के दूसरे स्रोतों से, न विद्युत कनेक्शन हुआ है और न ही पाइप लाइन व एस.एल.आर. का निर्माण हुआ है। बरनाला से रामसिंहपुरा ठीकरी की दूरी 4 किलोमीटर है जबकि आज तक पाइप लाइन भी नहीं डाली गई है। ग्राम मांदल गांव के लिए डाबर योजना से पिछले 2 साल से पाइप लाइन डाली जा चुकी है परन्तु आज तक पानी उपलब्ध नहीं कराया गया है। ग्राम फुलवाड़ा बाठ सोहन को गोवडी स्वीकृत योजना से जोड़ना प्रस्तावित है लेकिन विगत 5 वर्षों से उक्त योजना से इन ग्रामों को आज तक पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में पुनः उल्लेख कर निवेदन है कि उक्त योजनाओं को यथाशीघ्र युद्ध स्तर पर चालू कर उपरोक्त पानी से

(श्री हीरालाल मीणा)

ग्रस्त ग्रामों को पानी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री गोपीराम।

सांभर साल्ट लिमिटेड को राज्य सरकार के अधीन लेने सम्बन्धी।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत मैं सांभर साल्ट लिमिटेड को पुनः राज्य सरकार के अधीन लेने के क्रम में सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा।

जयपुर जिले में सांभर साल्ट लिमिटेड भारत सरकार का एक उपक्रम है, जिसमें राजस्थान सरकार की भी 40 प्रतिशत पूंजी लगी हुयी है। इस उपक्रम में नमक उत्पादन हेतु सांभर क्षेत्र का लगभग 144 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जहां नमक एवं इसके विभिन्न उत्पाद तैयार किये जाते हैं। राजस्थान सरकार ने इस उपक्रम को जो क्षेत्र नमक उत्पादन हेतु दिया हुआ है वह कृष्णामचारी ट्रिब्यूनल की सिफारिशों के अन्तर्गत 99 वर्ष की लीज पर वर्ष 1960 के बाद दिया गया था ट्रिब्यूनल की शर्तों के अनुसार सांभर साल्ट में राजस्थान सरकार द्वारा लगायी गयी पूंजी पर सांभर साल्ट लि. को राज्य सरकार की पूंजी का डिविडेण्ड कम्पनी के लाभ पर दिया जाना था और क्षेत्र का किराये के रूप में 5.50 लाख रुपये वार्षिक राज्य सरकार को देने का निर्णय किया गया था।

31 मार्च, 1990 तक कम्पनी के लेखों के अनुसार कुल हानि 1.48 करोड़ रुपये है। कम्पनी की उक्त हानि के संबंध में बताया जाता है कि कम्पनी का उत्पादन बढ़ाने के लिये कर्मचारियों द्वारा गम्भीर प्रयास नहीं किये जा रहे हैं ताकि कम्पनी को हो रहे नुकसान को लाभ में परिवर्तित किया जा सके। सांभर साल्ट को हिन्दुस्तान साल्ट को देने के बाद कम्पनी के उत्पादन में लगातार गिरावट आयी है। पहले इसका वार्षिक उत्पादन 2.57 लाख मीट्रिक टन हुआ करता था वह घट कर 1961 से 1970 तक की अवधि में 2.15 लाख मीट्रिक टन हो गया और फिर 1.20 लाख मीट्रिक टन ही रह गया। केवल वर्ष 1980 से 90 की अवधि में कम्पनी के उत्पादन में थोड़ी बढ़ोतरी हुई जो कि 1.48 लाख मीट्रिक टन थी।

राज्य सरकार को इस समय केवल 6.82 लाख रुपये ही वार्षिक कम्पनी से प्राप्त होता है, जिसमें कि क्षेत्र का किराया भी है जबकि पूर्व के वर्षों में सांभर साल्ट से राज्य सरकार को 17.58 लाख रुपये वार्षिक आय होती थी और अब तो कम्पनी में हो रही हानि से राज्य सरकार की कम्पनी में लगायी गयी 40 प्रतिशत पूंजी का डिविडेण्ड भी प्राप्त नहीं हो रहा है। राज्य सरकार की आय में निरन्तर कमी, पूंजी विनियोजन के लाभ नहीं मिलने और कम्पनी के उत्पादन में वृद्धि नहीं होने के मुख्य कारण है कि कम्पनी का प्रबन्ध अकुशल हाथों में है, जिससे कम्पनी के उत्पादन वृद्धि हेतु बिल्कुल भी प्रयास नहीं किये जाते हैं। कम्पनी के अनावश्यक खर्चे और उच्च पदों पर अनावश्यक की गयी भर्ती रहा है। इसके अतिरिक्त सांभर साल्ट के हुये लाभ को हिन्दुस्तान साल्ट द्वारा

(श्री गोपीराम जाट)

अपनी अन्य इकाइयों में हो रहे नुकसान की पूर्ति में लगाना भी एक कारण है जिससे सांभर साल्ट को लगातार घाटे में दिखाया जाकर राज्य सरकार को उसकी आय से वंचित रखा जा रहा है। हिन्दुस्तान साल्ट की अकार्यकुशलता, प्रशासनिक अव्यवस्था, लगातार हानि और अनावश्यक खर्चों में कटौती करने के समय राज्य सरकार को समुचित राजस्व की प्राप्ति हेतु सांभर साल्ट लि. के कर्मचारियों, विभिन्न यूनियनों तथा स्थानीय जनता द्वारा भी कई बार सांभर साल्ट लिमिटेड को राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित किये जाने की मांग की गयी है लेकिन सरकार द्वारा इस पुरानी और न्यायोचित मांग के लिये अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया है। सांभर साल्ट लिमिटेड हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड की एक इकाई होने और भारत सरकार का उपक्रम होने के कारण कम्पनी की अव्यवस्थाओं, अनावश्यक खर्चों, प्रशासनिक कमियों आदि के सम्बन्ध में राज्य सरकार की पूंजी लगी होने के बावजूद भी कोई सीधा दखल नहीं रखती है ताकि कम्पनी के कार्यों पर कुछ अंकुश लगाया जा सके। इस सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताया जाना आवश्यक है जिन पर राज्य सरकार को ध्यान दिया जाना है :—

(1) हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड की तीन इकाईयां मण्डी, खारागोड़ा और रामनगर है। जहां कि उत्पादन ठीक नहीं होने के कारण तीनों इकाइयां प्रतिवर्ष लाखों की हानि देती है जिसकी पूर्ति हिन्दुस्तान साल्ट द्वारा सांभर साल्ट के लाभ से प्रतिवर्ष किया जाकर उक्त इकाइयों को लाभ में बता कर केन्द्र एवं राज्य सरकार को धोखा दिया जा रहा है।

(2) हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड का प्रधान कार्यालय जयपुर में बना रखा है जबकि वास्तव में जयपुर में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सांभर में इसका कार्य क्षेत्र होने के नाते प्रशासनिक और व्यवहारिक दृष्टि से प्रधान कार्यालय की आवश्यकता सांभर में ही है लेकिन अधिकारी वर्ग कम्पनी पर हावी होने के कारण और कम्पनी की लाभ हानि को नजर अन्दाज कर अधिकारियों ने अपनी सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये प्रधान कार्यालय जयपुर में बना रखा है। दो वर्ष पूर्व कम्पनी का प्रधान कार्यालय सांभर स्थानान्तरित किया गया था लेकिन अधिकारियों द्वारा सरकार को गुमराह कर और झूठे आंकड़ों के द्वारा पुनः मुख्य कार्यालय जयपुर में स्थानान्तरित कर लिया। जयपुर में मुख्य कार्यालय होने से अधिकारियों व कर्मचारियों के विभिन्न भत्तों, यात्रा भत्तों तथा भवन किराया और प्रशासनिक व्ययों का कई लाख रुपये का अनावश्यक व्यय बढ़ गया है इस सम्बन्ध में व्यय की पूर्ति हिन्दुस्तान साल्ट द्वारा सांभर साल्ट से हुये लाभ से की जाती है।

(3) सांभर साल्ट द्वारा नमक का उत्पादन व उसके शुद्धिकरण से एक उत्पादन प्राप्त होता है जिसे कि विटर्न कस्ट कहा जाता है जो एक कैमिकल है और कैमिकल होने के कारण इसकी बिक्री पर 25 प्रतिशत टैक्स राज्य सरकार को देय होता है। लेकिन कम्पनी ने उक्त कैमिकल विटर्न कस्ट को सांभर विटन का नाम

(श्री गोपीराम जाट) :

देकर 1000 मीट्रिक टन विटर्न कस्ट बंगलोर की एक कागज फैक्ट्री बालारपुर इण्डस्ट्री तथा तमिलनाडु को अभी गत कुछ माह पहले ही बेचा है जिसका कोई टैक्स आदि राज्य सरकार को नहीं दिया गया है और हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड ने अवैधानिक रूप से लाभ अर्जित कर न केवल राज्य सरकार के राजस्व की हानि की है बल्कि सांभर सल्ट लिमिटेड के लाभ को भी हिन्दुस्तान साल्ट की आय में शामिल कर दिया गया है। हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड द्वारा इस प्रकार के कैमिकल विक्रय किये जाते रहे हैं। जिसका कोई टैक्स राज्य सरकार को नहीं दिया जाता है।

(4) हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड की एक इकाई खारागोडा है जहां कि नमक का उत्पादन समुचित मात्रा में नहीं हो पाता लेकिन खारगोडा इकाई के उत्पादनों से विक्रय की बुकिंग हिन्दुस्तान साल्ट द्वारा की जाकर समस्त आपूर्ति सांभर साल्ट के उत्पादनों से की जाती है और इसकी आय खारागोडा इकाई की बतायी जाकर सांभर साल्ट के मुनाफे को प्रभावित किया जाता है।

(5) इस वर्ष सांभर साल्ट लिमिटेड का वार्षिक लाभ एक करोड़ रुपये लगभग रहा है लेकिन हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड द्वारा सांभर साल्ट के लाभ को प्रधान कार्यालय व अन्य इकाइयों की हुयी हानि में लाभ की राशि का काफी अधिक भाग समायोजित कर लिया गया जिससे कि सांभर साल्ट लिमिटेड का लाभ लगभग 60-65 लाख रुपये ही रह गया है।

कम्पनी की मनमानी, अकार्यकुशलता, उत्पादन की कमी को देखते हुये और राज्य सरकार द्वारा अपनी लगायी गयी पूंजी को सुरक्षित रखते हुये राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति समुचित मात्रा में हो सके और साथ ही नमक उद्योग में लोग श्रमिकों व कर्मचारियों को इनके वास्तविक हकों की रक्षा के लिये सांभर साल्ट लिमिटेड का अधिग्रहण राज्य सरकार को करना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में हिन्दू समाचार पत्र ने भी अपने 20 फरवरी, 1992 के अंक में समाचार देकर कम्पनी की स्थिति का विस्तृत विवेचन करते हुये राज्य सरकार को होने वाली हानि की ओर इशारा किया है साथ ही कर्मचारी यूनियनों व क्षेत्रीय जनता की मांग भी इस उपक्रम को राज्य सरकार के हाथ में लेने के लिये काफी समय से मांग हो रही है। अतः राज्य सरकार को शीघ्र ही सांभर साल्ट लि. को राज्य सरकार के अधीन लेने की कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, 295 के माध्यम से माननीय सदस्य ने सांभर साल्ट को वापस अपने कब्जे में लेने के बारे में जो ध्यान आकर्षित किया है। इस संबंध में आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि आज से कुछ वर्ष पूर्व सेल्फ केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार दोनों के सामने यह विकल्प रखा था कि अगर वह चाहे तो अपने राज्य में स्थित इन स्रोतों को अपने

(90)

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

अधीन ले ले और इसी प्रकार सांभर साल्ट के बारे में कहा था लेकिन जब तत्कालीन सरकारें थी उन्होंने इसको लेने के प्रति गुजरात ने भी और राजस्थान ने भी अपनी अनिच्छा प्रकट की। लेकिन कुछ समय पूर्व से राजस्थान सरकार वापस सांभर साल्ट इसके अधीन आ जाय इस नाते केन्द्रीय सरकार से प्रयत्नशील हैं और पत्र व्यवहार इस बारे में चल रहा है।

(1. 00 मध्याह्न)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री कन्हैया लाल।

फर्जी मस्टररोल के माध्यम से सड़क निर्माण कार्य

(ग्राम रामरतनपुरा से हीरावाल)

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत ग्राम रामरतनपुरा से हीरावाला तक फर्जी अधिशाषी अभिमंता बनकर के फर्जी मेट बनाकर के फर्जी मस्टररोल के माध्यम से जो सड़क का निर्माण कार्य किया और मजदूरों को अब तक कोई भुगतान नहीं हुआ उसके सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदय, बस्सी विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत रामरतनपुरा में आर. एल. ई. जी. पी. (पी. डब्ल्यू. डी.) के अन्तर्गत फर्जी अधिशाषी अभियंता बनकर सड़क निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी गयी तथा फर्जी तरीके से नियुक्त दिनेश कुमार शर्मा को वहां सरकारी मैट नियुक्त किया जाकर ग्राम रामरतनपुरा से हीरावाल तक सड़क निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया। 15-2-90 से 15-3-90 तक यह कार्य चला। शुरूआती दौर में सड़क निर्माण के कच्चे काम पर 80 मजदूरों तथा 6 ट्रेक्टर लाये गये जिनका सम्पूर्ण विवरण कच्चे मस्टररोल बनाकर उसमें अंकित किया गया है। मजदूरों को बार बार मजदूरी भुगतान के आश्वासन दिये गये किन्तु मजदूरों को लगभग एक लाख रुपये की मजदूरी का भुगतान आज दिन तक नहीं किया गया। मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस मामले में अविलम्ब जांच करायें जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अधिशाषी अभियन्ता के पद नाम से फर्जी आदेश किसने जारी किये, तथाकथित सरकारी मैट दिनेशकुमार शर्मा कौन था। तथा वह किसके निर्देशों के अन्तर्गत सड़क निर्माण का कार्य करवा रहा था। साथ ही मजदूरों की बकाया मजदूरी का भुगतान होना भी अति आवश्यक है। ग्राम के गरीब अनुसूचित जाति व जन जाति के व्यक्तियों को जिन्होंने फरवरी से मार्च, 1990 तक कार्य किया, का सम्पूर्ण भुगतान करवाया जावे, फर्जी अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग की फर्जी मोहर व फर्जी मैट कहां से आयी उसकी जांच करायें, मजदूरों को भुगतान कराया जाय और मजदूरों को काम पर लगाने वाले दोषियों के खिलाफ उचित कार्यवाही के आदेश प्रदान करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

यह फरवरी, 90 शायद चुनाव के पहले या उस समय की बात है इस प्रकार की माननीय सदस्य ने सूचना दी है मैं उस सारे केस की जांच कराऊंगा। किसने यह फर्जी-सड़क निर्माण का कार्य करवा दिया और मजदूरों की मजदूरी ले ली। इसकी पूरी जांच की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेमराज मीणा।

किशनगंज व शाहबाद में अकाल राहत कार्य

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : महोदय, किशनगंज व शाहबाद में अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में। किशनगंज, शाहबाद सहरिया बाहुल्य क्षेत्र है यहां की मुख्य आजीविका खेती है। यहां पर 75 प्रतिशत असिंचित भूमि वाले किसान हैं। किशनगंज क्षेत्र में कुछ 199 ग्रामों में से 55 ग्राम ऐसे हैं जहां पर 75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत अकाल है, 65 ग्रामों में से 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत अकाल है। इस प्रकार किशनगंज तहसील में 140 ग्रामों में अकाल है। इसी प्रकार शाहबाद क्षेत्र में 205 ग्राम हैं इनमें से 125 ग्रामों में से 75 से 100 प्रतिशत अकाल है। 80 ग्रामों में 50 से 75 प्रतिशत अकाल है। इनमें से 50 ग्राम ऐसे हैं जहां पर 100 प्रतिशत अकाल है, इन ग्रामों के सभी ग्रामवासी मजदूरी के लिए कोटा, बारां और मध्य प्रदेश में शिवपुरी में पलायन कर गये हैं। पलायन करने वाले गांव है आगरा, रामपुर, कीलवाड़ी, डाग, सनवाड़ा सादड़ी पठारी, उपरेटी, मुहास और क्षेत्रों में मजदूरी के अभाव में भूखमरी फैल रही है। चारे के अभाव में जानवर मर रहे हैं। दोनों पंचायत समिति की जनसंख्या व पशुधन प्रभावित है। जिला कलक्टर बारां के द्वारा भी रिपोर्ट सरकार को भेजी गयी है. परन्तु अभी तक कहीं भी अकाल राहत कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये हैं। मेरी सरकार से मांग है कि तत्काल अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करें एवं चारा डिपो खोले जावें जिससे पलायन रुक सके। अकाल राहत मंत्रीजी को भी पूर्व में लिखकर दिया गया है। इस संदर्भ में अकाल राहत मंत्रीजी कुछ कहें व अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करें।

श्री उपाध्यक्ष : डा. चन्द्रभान।

श्री हेमराज मीणा : अकाल राहत कार्य कब तक शुरू करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं कम्पेल नहीं कर सकता हूं। वह जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं। ऐसी ही परम्परा है। डा. चन्द्रभान।

अध्यापकों एवं कर्मचारियों को वेतन भत्ते का भुगतान

डा. चन्द्रभान (झुंझुनू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सेठ दौलतराम नोपानी विद्या भवन माध्यमिक विद्यालय, महनसर (झुन्झुनू) अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों को गत पांच वर्ष से वेतन एवं भत्ते नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख कर रहा हूं।

(डा. चन्द्रभान)

महोदय, झुंझुनू जिले की सेठ दौलतराम नोपानी विद्या भवन माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालय, महनसर एक पुरानी शिक्षण संस्था है तथा सन् 1956-57 से सरकारी अनुदान प्राप्त संस्था है, वर्तमान में माध्यमिक विद्यालय को राज्य सरकार की ओर से 70 प्रतिशत तथा प्राथमिक स्तर की शाला को 60 प्रतिशत सरकारी अनुदान प्राप्त है। जुलाई, 1987 से इस संस्था के व्यवस्थापकों ने अपने हिस्से की क्रमशः 30 व 40 प्रतिशत धनराशि का भुगतान करना बन्द कर दिया है। विद्यालय के अध्यापक व अन्य कर्मचारी सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि से ही पिछले पांच वर्ष से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। पूर्ण वेतन के अभाव में उनका जीवन यापन करना इस कमर तोड़ महंगाई के युग में कठिन है। जब कर्मचारी अपने वेतन का 70 एवं 60 प्रतिशत हिस्सा ही पाते हैं, उनकी पी. एफ. राशि भी इसी अनुपात में कटती है और राज्य कोष में जमा होती है। इससे कर्मचारियों को तो आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है, साथ ही सरकारी कोष में जमा होने वाली बचत राशि का भी अभाव रहता है। यह एक गम्भीर आर्थिक अपराध है।

व्यवस्थापकों को समय-समय पर बार बार विद्यालय अध्यापकों, कर्मचारियों तथा संस्था प्रधान द्वारा वेतन भुगतान हेतु धनराशि के लिए निवेदन किया गया तथा मेमोरेण्डम दिये गये लेकिन उन्होंने असमर्थता प्रकट करते हुए अपने हिस्से का क्रमशः 30 और 40 प्रतिशत राशि देने से साफ इन्कार कर दिया। शिक्षा विभाग ने मार्च, 1989 से संस्था की प्रबन्ध समिति को अक्षम पाकर निलम्बित कर जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) झुंझुनू को संस्था का प्रशासक नियुक्त कर दिया। प्रबन्ध समिति को भंग कर प्रशासक नियुक्त कर दिये जाने से कर्मचारियों की समस्या का कोई समाधान नहीं निकला तथा प्रबन्धकों में अध्यापकों व अन्य कर्मचारियों के अब तक कुल मिलाकर 4 लाख 42 हजार रुपये बकाया पड़े हैं। कर्मचारियों का पांच वर्ष तक वेतन भुगतान नहीं किया जाना अन्याय एवं अनुचित तो है ही साथ में अनैतिक एवं अमानुषिक कार्य भी है। महनसर विद्यालय के अध्यापक व अन्य कर्मचारी अर्थाभाव के कारण इस मंहगाई के जमाने में अपने परिवारों को चलाने में सक्षम नहीं हैं। वे समय पर वेतन नहीं मिलने से राशन की दुकानों से मिलने वाली खाद्यान्न सामग्री भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं तथा अपने बूढ़े मां-बाप के लिए बीमारी के इलाज हेतु दवाइयों तक का इन्तजाम नहीं कर पाते हैं।

अतः मेरा माननीय शिक्षा मंत्रीजी से आग्रह है कि वे इस मामले में अपने प्रभाव का उपयोग कर विद्यालय के व्यवस्थापकों से कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान करायें अन्यथा इस शिक्षण संस्था को राज्य सरकार अपने अधीन ले। यदि इस संस्था को राज्य सरकार किन्हीं कारणों से अपने अधीन नहीं ले सकती है तो कम से कम इस संस्थान की अनुदान राशि जो 60 प्रतिशत दी जाती है उसे बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया जाय।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री परसादीलाल मीणा।

सुलभ इन्टरनेशनल द्वारा विभिन्न नगरपालिकाओं में सुलभ शौचालय का निर्माण

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा प्रदेश की विभिन्न नगर पालिकाओं में सुलभ शौचालय का कार्य करवाया जा रहा है। विभाग द्वारा इन कार्यों को करवाने के लिए सुलभ इन्टरनेशनल को बी.एस.आर. 91 की रेट के आधार पर 30 प्रतिशत अपर दर में कार्य दिया जा रहा है जबकि इसी नक्शे के मुताविक सुलभ शौचालय का कार्य बी.एस.आर. 91 की रेट से 10 प्रतिशत ऊपर पर लेने को कई ठेकेदार तैयार हैं जिन्होंने विभाग को लिखकर भी दे दिया है। परन्तु दौसा जिले की विभिन्न नगर पालिका मण्डलों द्वारा इस कार्य को बिना नगरपालिका मण्डल के स्वीकृति के ही सुलभ इन्टरनेशनल से कार्य करवाया जा रहा है। बिना नगरपालिका मण्डलों की स्वीकृति के सुलभ इन्टरनेशनल से कार्य करवाने पर रोक लगानी चाहिये तथा सुलभ इन्टरनेशनल के मुकाबले जो भी ठेकेदार उसी प्रकार का कार्य 30 प्रतिशत से कम दर पर करने को तैयार हैं तो उस से करवाया जाना चाहिये। साथ ही सभी नगरपालिकाओं में खुले टेण्डर से नियमानुसार कार्य करवाया जाना चाहिये। विभाग द्वारा सुलभ इन्टरनेशनल से करवाये जा रहे कार्यों को तुरन्त रोककर जनहित में जो कार्य कम दर पर करवाया जा सकता है तो फिर 30 प्रतिशत अधिक दर पर क्यों करवाया जा रहा है।

अतः मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि विभाग द्वारा नगरपालिका मन्डलों में किये जा रहे हस्तक्षेप को रोके तथा नगरपालिका मण्डलों की सिफारिश के आधार पर नियमानुसार टेण्डर आमन्त्रित कर जनहित में खर्च की जाने वाली राशि का सदुपयोग हो सके।

आशा है माननीय मंत्रीजी इसमें हस्ताक्षेप करेंगे तथा इस तरह की होने वाली कार्यवाही को तुरन्त रोकने के आदेश फरमावेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री जोगेश्वर गर्ग।

मांडोला ग्राम पंचायत, पं. स. जसवन्तपुरा, जिला जालौर में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख द्वारा ग्राम पंचायत मांडोली पं. स. जसवंतपुरा, जिला जालौर में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ग्राम पंचायत मांडोली में भूतपूर्व सरपंच श्री देवीसिंह द्वारा निम्नलिखित अनियमितताएं की गयी हैं :—

(1) ग्राम मांडोली के खसरा नं. 688 गैर मुमकिन ओरण, जिसे मामाजी का ओरण कहते हैं, में कुछ लोगों ने अवैध कब्जे किए। ग्राम पंचायत ने अपनी बैठक

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

दिनांक 30-7-88 को प्रस्ताव संख्या 3 द्वारा यह निर्णय लिया कि उक्त अवैध कब्जे तुरन्त हटाए जायं। प्रस्ताव में नामजद सूची भी प्रस्तुत की गई। इस निर्णय के कुछ समय पश्चात् उसी सरपंच ने उन्हीं अतिकर्मियों को स्वयं के हस्ताक्षर से पट्टे जारी कर दिए। इस कार्य हेतु उसने सम्बन्धित व्यक्तियों से भारी रकम रिश्वत के रूप में प्राप्त करके घोषित रूप से अवैध कब्जों को कानूनी मान्यता प्रदान की। ये सभी पट्टे सवर्णों को जारी किए गये।

(2) इसी प्रकार "रामदेव जी का ओरण" नाम से जानी जाने वाली गैर मुमकिन भूमि पर भी उक्त सरपंच द्वारा स्थानीय पटवारी तथा ग्रामसेवक के साथ मिलकर सात-सात हजार रुपये लेकर अवैध कब्जे करवाए गये। उन लोगों को आश्वासन दिया गया था कि शीघ्र ही पट्टे बनाकर दे दिये जायेंगे। इनमें अधिकांश लोग अनुसूचित जाति के गरीब लोग थे।

(3) आपेश्वर मन्दिर तथा दादागुरु मन्दिर के ठीक सामने स्थित खुले मैदान का उपयोग मन्दिर में आने जाने वाले लोगों के बैठने के लिए होता था। उस मैदान में उक्त सरपंच ने अपने भाई को पट्टा दे दिया। इसी प्रकार उक्त सरपंच ने अपनी बेटी तथा अन्य रिश्तेदार यहां तक कि अपने नौकर के नाम की आवासीय भू-खण्डों के पट्टे जारी कर दिये।

(4) कन्या पाठशाला के ऊपर में स्थित आवासीय भू-खण्ड को नीलाम करने का प्रस्ताव पूर्व में लिया गया था। यदि नीलाम बोली लगती तो वह प्लाट कम से कम 90,000) में बिकता, किन्तु उक्त सरपंच ने उक्त प्रस्ताव को प्रस्ताव पुस्तिका से फाड़कर गायब कर दिया तथा वह प्लाट मात्र 51) में अपने भाई ईश्वरसिंह वल्द किशन सिंह को आबंटित कर दिया।

(5) इस सम्बन्ध में मांडोली के नागरिकों ने अनेक बार शिकायतें कीं। किन्तु उक्त सरपंच ने अपने राजनैतिक प्रभाव तथा अन्य तरीकों से अधिकारियों को अपने पक्ष में कर लिया। नागरिकों ने पांच-छः माह पूर्व मुझे भी लिखित ज्ञापन दिया। मेरे लिखने पर जांच हुई तथा अवैध कब्जे हटाने का आदेश हुआ। किन्तु उक्त सरपंच ने न जाने कैसे सारी कार्यवाही को अत्यधिक सीमित रखने का प्रबन्ध कर दिया। कुछ अतिक्रमण हटाये गए किन्तु केवल रामदेव जी के ओरण से और वे भी मात्र अनुसूचित जाति के लोगों के। सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त लोगों पर कतई हाथ नहीं डाला गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राम मांडोली के भूतपूर्व सरपंच श्री देवीसिंह के इन काले कारनामों की विस्तृत जांच करवाई जाये। दोषी पाये जाने पर शीघ्र कानूनी कार्यवाही की जाय। श्री देवीसिंह द्वारा ठगे गये अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के साथ न्याय किया जाए तथा नियमानुसार उनके कब्जों का नियमन किया जाए। सभी अवैध कब्जों को हटवाया जाए। अवैध कब्जों पर किए जा रहे निर्माण कार्यों को तुरन्त रुकवाया जाय।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

उक्त सरपंच द्वारा हड़पे गये बेनामी भू-खण्डों के पट्टे रद्द किये जाकर उन्हें नियमानुसार नीलाम किया जाय। मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार इस दिशा में शीघ्र एवं ठोस कार्यवाही करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हीरालाल इन्दौरा।

गंगानगर से हरिद्वार जोधपुर-डेरा-व्यास व रिडमलसर बस सेवाए संचालित करने के सम्बन्ध में

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव गंगानगर से हरिद्वार जोधपुर-डेरा व्यास व रिडमल सर बस सेवाएं संचालित करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर निवेदन है कि गंगानगर से निम्नलिखित नयी बस सेवाएं गंगानगर के आम यात्रियों के लिए शुरू की जानी अति आवश्यक है :-

(1) **गंगानगर से हरिद्वार बस सेवा** : गंगानगर से हरिद्वार जाने के लिए गंगानगर से कोई भी सीधी बस सेवा व रेल सेवा नहीं है जिस कारण हिन्दुओं के अति विशिष्ट धार्मिक स्थल पर जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी असुविधा रहती है। इस लिए इस सेवा को शीघ्र निम्न मार्ग से संचालित किया जावे :

मार्ग : गंगानगर---संगरिया--डबवाली--सरसा-फतेहाबाद-मूना-डकलाना-रिवाना कैथल-महवा--कुरुक्षेत्र-पीपली-लाडवा-यमुनानगर-सहारणपुर-हरिद्वार।

समय: गंगानगर से हरिद्वार 5.00 बजे सुबह व हरिद्वार से गंगानगर भी सुबह चले। कुल दूरी 545 कि. मी. है।

(2) **गंगानगर-जोधपुर सेवा** : गंगानगर से जोधपुर के लिए सुबह 5.30 बजे के लिए जो गंगानगर आगार द्वारा बस सेवा संचालित की गई थी बहुत ही सही थी। अतः पुनः बस सेवा संचालित की जानी चाहिये क्योंकि गंगानगर के लोगों को उच्च न्यायालय की कोर्ट जोधपुर लगती है।

(3) **डेरा व्यास** : गंगानगर से डेरा व्यास के लिए सीधी बस सेवा की आवश्यकता है क्योंकि डेरा व्यास में राधा स्वामी धर्म के गुरु का डेरा है। गंगानगर के व आस-पास के गांव से इस धर्म के यात्री आते जाते हैं। यह सेवा करणपुर से डेरा व्यास के लिए वाया गंगानगर संचालित होना चाहिये।

(4) **गंगानगर से रिडमलसर** : गंगानगर से रिडमलसर गांव के लिए कोई भी सीधी बस सेवा नहीं है। रिडमलसर से गंगानगर आने के लिए यात्रियों को बहुत परेशानी होती है। अतः इस पुरानी मण्डी को अवश्य गंगानगर जिले से सीधी बस सेवा के कम से कम पांच टाइम सचालित किये जाने चाहिये।

(5) **केसरीसिंहपुर से जोधपुर रात्रि सेवा** : गंगानगर से जोधपुर वाया रायसिंह

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

नगर जो रात्री सेवा 19.30 बजे संचालित की जा रही थी इसे केसरीसिंहपुर से जोधपुर वाया करणपुर संचालित किया जाय। जिससे केसरीसिंहपुर व करणपुर के यात्रियों को उच्च न्यायालय हेतु बस सेवा मिल सके।

धन्यवाद।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

उदयपुर के समीप स्थित जयसमन्द झील के बीच का मगरा होटल बनाने के लिए कम मूल्य में बेच दिये जाने से राजकोष को हुई हानि के बारे में

श्री उपाध्यक्ष : प्रकिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री भंवरसिंह सदस्य, विधान सभा उदयपुर के समीप स्थित जयसमन्द झील के बीच का मगरा होटल बनाने के लिए कम मूल्य में बेच दिये जाने से राजकोष को हुई हानि की ओर राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आर्कषित करेंगे।

श्री भंवरसिंह (नवलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नियम प्रक्रिया 131 के तहत। उदयपुर झीलों की नगरी है और झीलों के कारण उदयपुर की सुन्दरता के लिए विदेशी पर्यटक लोग भी आते हैं। जो जयसमन्द झील है.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने ध्यान आर्कषित कर दिया। आप बाद में बोलेंगे। सवाल अपने तैयार कर लीजिये। माननीय राजस्व मंत्री जी।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैसर्स सिल्वर शैडो एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, उदयपुर द्वारा जिला कलक्टर, उदयपुर को राजस्थान भू-राजस्व (सिनेमा, होटल के निर्माण तथा पैट्रोल पंप स्थापित किये जाने हेतु कृषि भूमि का आबंटन, संपरिवर्तन एवं नियमितिकरण) नियम, 1978 के अन्तर्गत माह अगस्त, 1989 में निम्न लिखित गांवों में उनके सामने अंकित भूमि होटल एवं विलेज काम्पलेक्स बनाने हेतु आबंटन के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया :—

क्र. सं.	नाम ग्राम	खसरा नं.	किस्म	रकबा
1.	बाबा का मगरा तहसील सराड़ा	1	मगरी	103 बीघा
2.	भटवाड़ा तहसील सराडा	1, 5 व 21	मगरी	93 बीघा

जिला कलक्टर, उदयपुर ने इस प्रकरण को माह अक्टूबर, 1989 में राजस्थान सरकार को प्रेषित किया जिसमें तहसीलदार, सराडा की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि जयसमन्द झील के मध्य चट्टानों के दो टापुओं की आकृति में स्थित बनाई गई। यह टापू जयसमन्द बांध से 1½ से 3 किलोमीटर की दूरी पर

(श्री गंगाराम चौधरी)

स्थित है। इसमें टापू गांव मटवाड़ा चढ़ाई पर पर्वत श्रृंखला में विद्यमान है जबकि दूसरा टापू गांव बाबा का मगरा में कुछ अधिकांश भूमि काश्त योग्य नहीं है। इस गांव बाबा का मगरा में 15 बीघा भूमि सन् 1983 में काश्तकारों को आवंटित की गई थी। आवेदित भूमि में से राजस्थान भू राजस्व (सिनेमा, होटल के संनिर्माण तथा पैट्रोल पम्प स्थापित किये जाने हेतु कृषि भूमि का आवंटन सम्परिवर्तन एवं नियमितीकरण) नियम, 1978 के अन्तर्गत विभाग द्वारा परीक्षण किया जाकर नगर आयोजना विभाग के परामर्श एवं वित्त विभाग द्वारा प्रकरण का परीक्षण करने के पश्चात् उक्त नियमों एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 102 के प्रावधानों/शर्तों के साथ मैसर्स सिल्वर शैडो एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, उदयपुर को रिसोर्ट एवं विलेज काम्पलैक्स बनाने हेतु टापू गांव बाबा की मगरी के खसरा नम्बर 1 में से 103 बीघा भूमि निम्नलिखित शर्तों पर आवंटन किये जाने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा, पत्र क्रमांक प. 2(359) राज/ग्रुप-3/89 दिनांक 28-8-1991 द्वारा प्रदान की गयी:—

(1) झील में टापू पर विद्यमान प्राकृतिकी में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। किसी भी चट्टान को काटने की या भूमि को समतल करने की अनुमति देय नहीं होगी। कुल क्षेत्रफल का पांच प्रतिशत से ज्यादा काटेज एवं पक्के रास्ते के लिए काम में नहीं लिया जाएगा। झील में बाढ़ के पानी के उच्चतम स्तर को देखते हुए प्रथम मंजिल तक पक्के निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी। प्रस्तावित निर्माण भूतल से 6 मीटर की ऊंचाई से अधिक नहीं होगा। निर्माण किये जाने वाला भाग क्षेत्र की प्राकृतिक क्षमता एवं स्थानीय प्राकृतिक सौन्दर्य को ध्यान में रखते हुए निर्मित किया जाएगा।

(2) किसी प्रकार का कूड़ा-करकट झील में नहीं फेंका जाएगा। सीवरेज एवं बाहर जाने वाले गन्दे पानी की निकासी हेतु (प्रदूषण नियन्त्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों की पालना की जाएगी। वायुमण्डल को दूषित नहीं किया जाएगा।

(3) यह सिंचाई विभाग की झील है, इसलिए टापू पर जाने के लिए रास्ता सिंचाई विभाग से विचार विमर्श कर काम में लिया जाएगा।

(4) भूमि की कीमत: राजस्थान भू राजस्व (सिनेमा, होटल के संनिर्माण तथा पैट्रोल पम्प की स्थापना हेतु कृषि भूमि का आवंटन, सम्परिवर्तन एवं नियमितीकरण) नियम, 1978 के नियम 9(9) के अनुसार 1500/– रुपये प्रति बीघा से गणना की जाएगी। इस बारे में वर्तमान प्रचलित दर पर भी विचार किया जाएगा।

(5) रूपान्तरण शुल्क: राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-भूमि का आवासीय एवं व्यावसायिक रूपान्तरण/सम्परिवर्तन) नियम, 1971 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित भूमि का कुल रकबा 103 बीघा का छः रुपये प्रति वर्ग की दर से सम्परिवर्तन शुल्क देय होगा।

(श्री गंगाराम चौधरी)

(6) किराया एवं अन्य शुल्क : मुख्य होटल क्षेत्र के लिए राजस्थान भू राजस्व (सिनेमा, होटल संनिर्माण तथा पैट्रोल पम्प स्थापित किये जाने हेतु कृषि भूमि का आवंटन, सम्परिवर्तन और नियमितीकरण) नियम, 1978 के नियम 9ए (3ए) व 9(8) (ए) के अन्तर्गत 4,800 वर्ग फीट का रुपए 720/–प्रति माह की दर से देय होगा।

(ब) काटेज (झोंपड़ी) क्षेत्र के लिए : राजस्थान भू राजस्व (सिनेमा, होटल के संनिर्माण तथा पैट्रोल पम्प स्थापित किये जाने हेतु कृषि भूमि का आवंटन, सम्परिवर्तन और नियमितीकरण) नियम, 1978 के नियम 9ए (3) (11) संपठित राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय अथवा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ कृषि भूमि का सम्परिवर्तन) नियम, 1971 के अनुसार प्लिंथ एरिया (स्थल क्षेत्र) के दुगने क्षेत्र को व्यावसायिक मानते हुए नियमों में उल्लिखित राशि देय होगी। इस भूमि की सालाना लीज की गणना भी की जाकर ली जाएगी।

(स) अन्य क्षेत्र के लिए : राजस्थान भू राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र का आवंटन) नियम, 1959 के नियम 3(5) के अन्तर्गत विकास शुल्क रुपए 100/– प्रति एकड़ एक बार देय होगा, इसके अतिरिक्त रुपए 75/– प्रति एकड़ प्रति वर्ष किराया लिया जाएगा।

(7) राजस्थान भू-राजस्व (सिनेमा, होटल के संनिर्माण तथा पैट्रोल पम्प स्थापित किये जाने हेतु कृषि भूमि का आवंटन, सम्परिवर्तन और नियमितीकरण) नियम, 1978 के नियम 9(ए), (डी) के अन्तर्गत अधिकतम 6 माह की अवधि में आरम्भ किया जाना अनिवार्य होगा, जिसे तीन वर्ष की अवधि के अन्दर पूर्ण कर लिया जाएगा। निर्माण की अवधि बढ़ाने हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति अनिवार्य होगी। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं दिये जाने की स्थिति में भूमि राज्य सरकार में निहित हो जाएगी।

इस स्वीकृति के अनुसरण में जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा मैसर्स सिल्वर शैडो एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, उदयपुर को उनके आदेश क्रमांक एफ. 12/3(3) राजस्व (होटल) 89/3468-74 दिनांक 11-10-1991 द्वारा यह भूमि आवंटन के आदेश प्रसारित किये गये हैं। भूमि की कीमत 1500/– रुपये प्रति बीघा निश्चित की गयी है। जिला कलक्टर, उदयपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार मैसर्स सिल्वर शैडो प्राइवेट लिमिटेड, उदयपुर ने भूमि की कीमत के पेटे राशि 1,54,500/– रुपये जमा करा दी है। अभी तक भूमि का कब्जा मैसर्स सिल्वर शैडो प्राइवेट लिमिटेड को नहीं दिया गया है और न ही पार्टी के नाम से अभी तक कोई नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है।

इस प्रकार विशेष उल्लेख में अंकित बिन्दुओं के सम्बन्ध में इस प्रकरण में वस्तु स्थिति निम्नलिखित प्रकार से है :—

1. जहां तक प्रश्नगत भूमि को लीज पर देने के लिए खुली प्रतियोगिता आयोजित करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में यह

(श्री गंगाराम चौधरी)

उल्लेखनीय है कि राजस्थान भू राजस्व (सिनेमा, होटल के संनिर्माण तथा पैट्रोल पम्प की स्थापना हेतु कृषि भूमि का आवंटन, सम्परिवर्तन और नियमितीकरण) नियम, 1978 में किसी आवेदक द्वारा होटल प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन हेतु आवेदन करने पर खुली प्रतियोगिता आयोजित करने का नियमों में प्रावधान नहीं है।

2. जापान की कोई टीम इस टापू को देखने आने एवं इस भूमि को लेना चाहने के बारे में अथवा अन्य पार्टियों द्वारा इस भूमि को लेने हेतु आवेदन किये जाने की जानकारी उपलब्ध नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में यह कहना सम्भव नहीं है कि जापान की पर्यटन से जुड़ी टीम अथवा स्थानीय अन्य फर्म इस भूमि को लेने में दिलचस्पी रखती थी।

3. जहां तक इस भूमि आवंटन से पूर्व सिचाई विभाग की सहमति प्राप्त करने एवं स्वीकृति प्राप्त करने का प्रश्न है, इस प्रयोजनार्थ निर्धारित नियम राजस्थान भू राजस्व (सिनेमा, होटल के सनिर्माण तथा पैट्रोल पम्प स्थापित किये जाने हेतु कृषि भूमि का आवंटन, सम्परिवर्तन एवं नियमितीकरण) नियम, 1978 के अन्तर्गत होटल प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के इस प्रकरण में आवंटन आदेश की उक्त शर्तों की शर्त संख्या 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि यह सिचाई विभाग की झील है इसलिए टापू पर जाने के लिए रास्ता सिचाई विभाग से विचार-विमर्श कर काम में लिया जाएगा। इस प्रकार सिचाई विभाग के क्षेत्राधिकार का शर्त में समावेश भूमि आवंटन आदेश में भली प्रकार से किया गया है। जिसके अनुसार यह स्पष्ट है कि उन्हें उनके विवेक के अनुसार झील में आने-जाने के लिए रास्ता किस स्थान से दिया जाना है, देने की स्वीकृति देने की स्वतन्त्रता होगी। इस प्रकार भूमि आवंटन में नियमानुसार विधिसंगत प्रावधान का पर्याप्त ध्यान रखा गया है।

4. जहां तक भूमि आवंटन से पूर्व पर्यटन विभाग से स्वीकृति प्राप्त करने का प्रश्न है, राजस्थान भू राजस्व (सिनेमा, होटल के संनिर्माण तथा पैट्रोल पम्प स्थापित किये जाने हेतु कृषि भूमि का आवंटन, सम्परिवर्तन और नियमितीकरण) नियम, 1978 के नियमों में होटल संनिर्माण हेतु भूमि आवंटन के प्रकरणों में पर्यटन विभाग की पूर्व सहमति एवं राय प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है।

5. इस टापू गांव बाबा का मगरा के खसरा नम्बर 1 का कुल रकबा 118.14 बीघा है। इस खसरा नम्बर 1 में से 103 बीघा भूमि का आवंटन मैसर्स सिल्वर शैंडो एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को किया गया है। खसरा नम्बर एक का कुल रकबा 118 बीघा 14 बिस्वा है। इस टापू पर बसे हुए परिवारों के लिए इस खसरा नम्बर में से पूर्व में 15 बीघा भूमि आवंटित है। होटल प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन मैसर्स सिल्वर शैडो प्राइवेट लिमिटेड, उदयपुर को किया गया है। भूमि का कुल क्षेत्रफल 2,66,155.09 वर्ग गज है, तीन लाख वर्ग गज नहीं। भूमि की कीमत जिला कलक्टर के प्रस्ताव दिनांक 10-10-1989

(श्री गंगाराम चौधरी)

के अनुसार ली गयी है। इस प्रकरण में वित्त विभाग की राय के अनुसार भूमि की कीमत, रूपान्तरण शुल्क, किराया एवं अन्य शुल्क की संगणना की गयी है। रूपान्तरण शुल्क राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय अथवा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ कृषि भूमि का सम्परिवर्तन) नियम, 1978 के अनुसार ली गयी है। इस प्रकार ली जाने वाली राशि की संगणना निम्न प्रकार से है:—

क्रम. संख्या	कुल भूमि	दर	राशि
1. भूमि की कीमत	103 बीघा	1500/– प्रति बीघा	1,54,500 रुपये
2. रूपान्तरण शुल्क	2,66,155.09 वर्ग गज	रुपये 6/– प्रति वर्ग गज	15,96,930 रुपये
		कुल	17,51,430 रुपये

इस प्रकार मैसर्स सिल्वर शैडो प्राइवेट लिमिटेड, उदयपुर को होटल रिसार्ट एवं विलेज काम्प्लैक्स बनाने हेतु जयसमन्द झील पर बाबा का मगरा की भूमि 17,51,430 रुपये कीमत एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु राशि जमा कराने की शर्त के साथ भूमि आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त फर्म से मुख्य होटल क्षेत्र 4800 वर्ग फीट का किराया 720 रुपये प्रति माह की दर से देय है। काटेल (झोंपड़ी) क्षेत्र का प्लिंथ एरिया (स्थल क्षेत्र) के दुगने क्षेत्र को व्यावसायिक मानते हुए कृषि भूमि का अकृषि भूमि में सम्परिवर्तन नियम, 1971 के अन्तर्गत उल्लिखित राशि देय होती है। साथ ही भूमि की सालाना लीज की भी संगणना की जाएगी। अन्य क्षेत्र के लिए विकास शुल्क 100 रुपये प्रति एकड़ एक बार होगा। इसके अतिरिक्त 75 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष लिया जाएगा।

बाबा का मगरा टापू की जमीन के खसरा नम्बर 1 में 103 बीघा में सिल्वर शैडो एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, उदयपुर को रह रहे परिवारों को आवंटित इस खसरा नम्बर की 15 बीघा भूमि टापू पर छोड़ कर आवंटन की गयी है। झील के बाहर की सिंचित क्षेत्र की 15 बीघा भूमि आवंटित नहीं की गयी है। बाबा का मगरा टापू की भूमि गैरकाबिल काश्त मगरी (पथरी) किस्म की है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय भंवर सिंहजी, सारी बातें स्पष्ट आ गई। अब सवाल कीजिये आप।

श्री भंवर सिंह: यह मैसर्स सिल्वर शैडो एक्सपोर्ट प्रा. लि. कम्पनी के मालिक कौन-कौन हैं? अभी आप जो बोल रहे हैं कि रास्ता जाने का सिंचाई विभाग का है,

(श्री भंवर सिंह)

उससे बात करके आप तय करेंगे, उस बीच में क्या ऐसे आदेश अधिकारियों को आपने दिये हैं कि दूसरी सड़क बना दी जाय और बिजली की लाइन डाल दी जाय। गरीब लोग वहां बसे हुए हैं, जो मछली वगैरह पकड़कर जीवन यापन करते हैं, वे लोग कहां जायेंगे ? उनका धन्धा उससे चौपट होगा। इसके अलावा, पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण मुद्दा...

श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर) : आदिवासी क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, आपको इसकी क्या चिन्ता ? उन आदिवासियों के लिये हमें चिन्ता है। यह गलत बात कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह विवाद का विषय नहीं है। बिराजिये आप।

श्री भंवर सिंह : आपको गरीबों की चिन्ता है और हमें गरीबों की चिन्ता नहीं। इसके साफ मायने हैं कि आप ऐसे काम चाहते हैं। पैसे वालों को बसाना चाहते हैं और गरीबों को उखाड़ना चाहते हैं। यह बात साबित होती है आपके बयानों से। यह स्थिति आप बनाने जा रहे हैं। वहां का पर्यावरण दूषित होगा, वहां का वातावरण बिगड़ेगा। पैसे वाले जो लोग हैं, जो सरकार के बिल्कुल नजदीक माने जाते हैं, वे लोग इस कम्पनी से सम्बन्धित हैं और उनको बहुत बड़ा फायदा सरकार देने जा रही है। आप सोचिये, 100 बीघा जमीन पक्की और कितनी सस्ती, कैसी स्थिति की जमीन है, क्या उसकी सिचुएशन हैं, लेक पैलेस होटल से भी अच्छा सिचुएशन इस जमीन की है और वह देने जा रहे हैं मिनिमम और थोड़े से पैसों में बड़े-बड़े लोगों को। इसके मायने क्या है ? मेरी समझ में नहीं आता। सरकार उन लोगों की पैसे वालों को, धन्ना सेठों को बड़ा धन्ना सेठ बनाना चाहती है। गरीब लोग जो वहां आबाद हैं, जो वहां रहते हैं, मछली पकड़ने और छोटा-छोटा धन्धा करके जीवन यापन करते हैं, उनको बिल्कुल उखाड़ दिया, वे वहां नहीं रह सकेंगे न वे गरीब वहां घुस सकेंगे। आप जानते हैं कि लेक पैलेस होटल जहां आज बना हुआ है, क्या गरीब उस एरिया में घुस सकते हैं ? नहीं घुस सकते हैं। वही हालात इस एरिया के बनेंगे और जो सुन्दरता है उदयपुर की, वह नष्ट होगी। आप यह बताइये कि कौन-कौन इसमें मालिक हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गम्भीर लालजी क्या आप बोलना चाहेंगे ?

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला होटल की जमीन अलाटमेंट का नहीं है। अब मंत्रीजी तो जा रहे है, हम किससे कहेंगे ? ध्यानाकर्षण तो उनका किया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलो, मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं।

श्री रामनारायण वर्मा : यह मामला होटल की जमीन का अलाटमेंट का नहीं है, यह मामला बहुत बड़े करप्शन और घोटाले का है। पहली चीज। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है कि इसमें लाखों-करोड़ों रुपये का वारा-न्यारा हुआ है। माननीय

(श्री रामनारायण वर्मा)

उपाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि जितना पैसा प्राइवेट कम्पनी से लिया है, उससे अच्छी रेपुटेशन की कम्पनी, उससे बैटर जल्दी रिजल्ट्स देने वाली कम्पनी उससे 20 गुणा ज्यादा पैसा देने की स्थिति में है।

दूसरा मेरा निवेदन है, माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, कोई गलत काम आपकी निगाह में आता है, आप उसको खत्म करते हैं, उसको रिजेक्ट करने की बात करते हैं। क्या कारण है कि इतने दिनों से इस बात की चर्चा है और उसके बाद भी इसके बारे में कागज खारिज नहीं किये गये? ओपन निविदाएं नहीं मांगी गई। अलाटमेंट आफ लैण्ड पर कहीं बेन है, इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं होगा, यदि इतनी बड़ी जमीन, करोड़ों रुपयों की जायदाद सस्ती रेट में देने जा रहे हैं, एक-दो पर्सेण्ट में तो ऐसा नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी हुआ राजस्थान के बड़े-बड़े अखबारों में कि हम इस जमीन को दे रहे हैं, किसी को ऐतराज है क्या? यह पब्लिक प्लेस है, होटल है। ऐसी स्थिति में यह मामला भयंकर करप्शन का है और करप्शन के चार्जेज चूंकि विधान सभा में डायरेक्टली व्यक्तिशः लगाने की बात नहीं करते और नहीं लगाने चाहिये, इस तरह का मामला होने के बाद मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले को रिजेक्ट करके अच्छी होटल कम्पनीज को, विदेश की भी कम्पनी आपकी निगाह में आयी है। ठीक है लिखित में नहीं है। आकर के एप्रोच करके चली गई। अच्छी कम्पनी को, अच्छे रिजल्ट्स देने वाली कम्पनी को क्यों नहीं देना चाहते हैं? इसके पीछे क्या कारण हैं? क्या इस पूरी बात को बताने की आप कोशिश करेंगे?

श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन व्यक्तियों को अलाटमेंट किया गया है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, कौन-कौन व्यक्ति हैं, यह तो मालूम कर लेंगे। मुझे तो मालूम नहीं है और शायद इनको भी मालूम नहीं है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि यह मामला कोई हमारी सरकार के सामने आया हो, ऐसी बात नहीं है। 1989 में तत्कालीन राजस्व मंत्री श्री नरपतराम बरबड़ ने इसका अलाटमेंट कर दिया। क्वेश्चन यह था कि वहां किसी तरह से एरिया डवलप हो। आज आप कहते है कि करोड़ों रुपये देकर और कोई आने वाला तैयार है। राजस्थान के बहुत क्षेत्र ऐसे हैं जिन क्षेत्रों का इस दृष्टि से विकास करना आवश्यक है। लोगों को पकड़कर लाते हैं, वहां भी लोग नहीं आते। आप कह रहे कि कम्पीटिशन में लोग आने को तैयार है। पूरा राजस्थान पड़ा है। राजस्थान में कई ऐसे सुन्दर स्थल हैं, कई किले हैं, कई छोटे-छोटे किले हैं, कई पहाड़ी स्थल हैं। राजस्थान का यदि टयूरिज्म के पोइण्ट आफ व्यू से विकास करना है तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि करप्शन के मामले लगा-लगाकर यदि आप राजस्थान का डवलपमेंट रोकना चाहते हैं, तब तो आपकी मर्जी की बात है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस कम्पनी के कौन मालिक हैं ग्रौर कौन नहीं हैं, न मैं जानता हूं ग्रौर न शायद गंगारामजी जानते हैं। 1989 से फाइल चल रही है। 1989 में रेट तय की थी ग्रौर जो ग्राधार बनाये थे, उसी ग्राधार से केलकुलेट करके सब कुछ किया। मैंने तो ग्रभी फाइल देखी है। वहां पर उस समय कोई डिपार्टमेंट नहीं है, जिस डिपार्टमेंट से इस सम्बन्ध में राय नहीं ली हो। फाइनेंस डिपार्टमेंट को कन्सल्ट किया गया, राजस्व डिपार्टमेंट को कन्सल्ट किया गया, टाउन-प्लानिंग को कन्सल्ट किया गया ग्रौर जिस प्रकार की शर्तें रखी हैं, मैं ऐसा समझता हूं कि इस कुप्रचार के कारण जो शर्तें रखी हैं, उन शर्तों पर वे शायद काम करना चाहे या नहीं करना चाहें, इसके ग्राधार पर विचार करेंगे। जो जमीन बेकार पड़ी है, वहां यदि कोई ट्यूरिस्ट लॉज बनाता है तो उस क्षेत्र के लिये विकास का काम खुलेगा ग्रौर विकास की दृष्टि से लोगों को कई प्रकार का धन्धा मिलेगा। यहां ग्राप क्या कर रहे हैं मछली मारने का काम। मछली मारने का काम ग्रलग है। इस कम्पनी को यहां मछली मारने का या पोचिंग करने का कोई ग्रधिकार नहीं है। यहां सबसे बड़ी एक समस्या थी कि होटल का गन्दा पानी कहां जाय। उसके सम्बन्ध में यह बिल्कुल तय किया है कि जब तक पानी के निकास के बारे में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी ग्रौर पोलूशन बोर्ड से उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तब तक उसको इस प्रकार की इजाजत नहीं दी जायेगी। इन शर्तों पर कोई ग्रा जाय, यह खुशकिस्मती होगी राजस्थान की। इसमें कोई करोड़ों का नहीं मैं तो ग्रापको खुली छूट देता हूं। राजस्थान में इस प्रकार के जितने क्षेत्र हैं, चाहे करोड़पति ग्रायें, चाहे गरीब ग्रायें जो कुछ भी हम डवलपमेंट के पोइण्ट ग्राफ व्यू से रियायत दे सकते हैं, देंगे। रियायतें देने की घोषणा कोई गुपचुप नहीं की है, सार्वजनिक रूप से मैं रियायतें देने की घोषणा कर चुका हूं। ग्राज विधान सभा के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जितने भी इस प्रकार के स्पाट्स हैं, यदि उनके डवलपमेंट के लिये कोई ग्राता है, हमें संकोच नहीं होगा उल्टे हम सुविधाएं देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। (व्यवधान)... ग्रौर क्या रह गया? सारी बातें साफ ग्रा गई हैं। सवाल तो करते जाइये लेकिन सवाल मेटेरियल तो हो।

डा. चन्द्रभान : राजस्थान में होटल विकास का सवाल है।

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस बात को कहा है, इस मामले में मुख्य मंत्रीजी के लैवल पर करप्शन हुग्रा हो या राजस्व मंत्रीजी के लैवल पर हुग्रा हो, यह नहीं है। यह मामला नीचे के ग्रधिकारियों ने जिस तरह से फाइल दी, ग्राज हम उनको प्रोटेक्ट करने की बात नहीं करें...(व्यवधान)....।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ग्रापको यह बता दूं कि इसमें गड़बड़ी हुई है, किसी भी ग्रधिकारी ने की है तो मेरी जिम्मेदारी है, राजस्व मंत्रीजी की जिम्मेदारी है। हम

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लोगों को ला रहे हैं और आप विरोध कर रहे हैं....(व्यवधान).... ।

श्री उपाध्यक्ष : डा. चन्द्रभान ।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान प्रदेश में होटल विकास उन्होंने रियायतें देने की बात कही, हम सब लोग उसका स्वागत करते हैं मैं केवल इतनी ही उनसे जानकारी लेना चाहता हूं कि पूर्व सरकार ने कोई गलती की है या पहले से फाइल चली आ रही है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गलती नहीं की गई थी ।

डा. चन्द्रभान : नहीं गलती की, लेकिन देखिये, अण्डमान निकोबार में भी इसी तरह से कई प्लेसेज का विकास किया जा रहा है लेकिन उसमें एडवरटाइजमेंट हुआ है । यदि सरकार उसका एडवरटाइजमेंट कर देती और यदि कोई नहीं आता तो आप डेढ़ लाख में नहीं इनको 50 हजार रुपये में दे देते लेकिन एडवरटाइजमेंट अखबारों में करने में क्या दिक्कत थी ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने बताया कि एडवरटाइजमेंट करने का वैसे नियमों में प्रावधान नहीं है लेकिन एक एडवरटाइजमेंट नहीं, मैंने कम से कम राजस्थान के विकास के सम्बन्ध में ऐसे लोगों को 100-125 चिट्ठियां लिखी हैं, एक का रेस्पांस नहीं मिलता । मैंने कई किले बताये, कई बावड़ियां बताई कि यहां पर यदि विकास का काम करना चाहते हैं तो सरकार सुविधाएं देगी । आप कीमत लेने की बता कर रहे हैं मैं तो उल्टे सुविधाएं देने की बात कर रहा हूं ।

आखिर राजस्थान का डवलपमेंट करना है तो लोगों को लाना पड़ेगा । लोग अपने आप नहीं आवेंगे । आज न कोई जैसलमेर में अपने आप जायेंगे, न बीकानेर में जायेंगे, न झालावाड़ में जायेंगे, न धौलपुर में जायेंगे, लोगों को पकड़-पकड़ कर ला रहे और उनके ऊपर आप चार्जेज लगायें करप्शन का, कौन राजस्थान में विकास की दृष्टि से यहां आयेगा ? मैं समझता हूं कि इस बात पर थोड़ा गम्भीरता से विचार करें । आप हम पर चार्ज लगाना चाहें कि करप्शन हो गया, अफसरों ने कर दिया, यह कर दिया । आफिसर्स ने कहां करप्शन कर दिया ? 1979 में कलक्टर ने, 1979 में रेवेन्यु मिनिस्टर ने सारी फाइलों को देखकर लिखा है, उसको आगे प्रोसीड किया है । मुझे तो कहीं नहीं लगता है कि करप्शन । मैं समझता हूं कि अब यदि सारा दिमाग ही करप्शन का मामला हो गया तो दुर्भाग्य से राजस्थान का जिस क्षेत्र में हम विकास करना चाहते हैं, विकास नहीं होगा । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्थान में कुछ लोग और आ रहे हैं उनको इस प्रकार की बातें और चर्चा करके डरायें नहीं और राजस्थान के डवलपमेंट में भागीदार बनने दें ।....(व्यवधान) ...।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय पर चर्चा समाप्त हुई । अब मैं अलाऊ नहीं करूंगा । .... श्री भंवर सिंह जी पूछ सकते हैं खाली । माननीय श्री भंवरसिंह जी ।.... (व्यवधान)... ।

श्री रामनारायण वर्मा : ऐसे चर्चा कैसे समाप्त हो गई ? जनरल क्लाजेज एक्ट में भी नोटिफिकेशन का प्रावधान है कि किसी व्यक्ति विशेष को आप कैसे अलाट कर रहे हैं, जनरल क्लाजेज एक्ट और कानून साफ है। ऐसे अधिकारियों को कानून क्यों नहीं बताया ?

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। 1979 से कार्यवाही चल रही है। श्री भंवरसिंहजी क्या पूछ रहे हैं आप ?

श्री दयाराम परमार : आप हमें बोलने नहीं देंगे ? आखिर हम भी कुछ जानकारी रखते हैं, आप कुछ नहीं कहने देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं बुलाऊंगा आपको। पहले वह बोल रहे हैं।

श्री भंवरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अभी नेता महोदय ने बताया करप्शन की बात मैं यों नहीं करता कि जो कानून और नियम आप बनाना चाहते हैं, यदि वह कानून में नहीं होती है बात तो आप कानून बनाकर लागू कर सकते हैं। इतनी बढ़िया जमीन, ऐसी उपयुक्त जगह उसके लिए आप कानून भी बना सकते हैं और नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं।

इसके अलावा अभी आपने श्री बरबड़ साहब का नाम लिया कि पूर्व मंत्री ने ऐसा किया है। राजस्व मंत्रीजी ने जो बयान पढ़ा है उसमें उन्होंने कहा है कि 8-1-1991 को अलाटमेंट हुआ है और इसे वर्तमान सरकार ने किया है इसलिए वह बात इसके बीच में नहीं आती है। जब कोई कम्पनी को जमीन लेने देने का मामला होता है तो इन्ट्रस्टेड व्यक्तियों के दस्तखत होते हैं, उस फर्म के पार्टनर्स वगैरह के नाम होते हैं, एप्लिकेशन देते हैं और आप यह कहते हैं कि हमें नाम का मालूम नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि सरकार को नामों का मालूम नहीं हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री दयाराम जी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं भी हाथ खड़ा कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बुलवा दूंगा आपको। सबको एक साथ बुलवाऊं क्या ?

श्री दयाराम परमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मगरे की जमीन जिस किसी को सरकार ने अलाट कर दी है लेकिन वहां पर 12 परिवार रहते हैं। उनके पास 200 गायें-भैंस, बकरियां वगैरह पशु हैं और मगरे की 118 बीघा जमीन में वह चरते हैं, वहीं बैठते हैं और वही उनकी दुनिया है। चारों तरफ उसके पानी है। फिर आपने 15 बीघा जमीन उनके लिए छोड़ दी है जो जमीन उनके काश्त काबिल में है। आज वहां पर गन्ने की खेती हो रही है, उनके पक्के मकान बने हुये हैं। मवेशियों के लिए आपने कोई जमीन छोड़ी नहीं है, सारी की सारी उनको अलाट कर दी है। दूसरी बात आप यह कह रहे हैं कि वहां पर हम पैट्रोल पम्प लगायेंगे। वहां पर बिना नाव के आदमी कभी जा ही नहीं सकते हैं और आप वहां पर पैट्रोल पम्प लगाने की बात कर रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : किसने कहा पैट्रोल पम्प लगाने का। उन्होंने तो नियम बताया है।

श्री दयाराम परमार : वह और क्या फरमा रहे हैं। वह यह कह रहे हैं कि हम गन्दा पानी निकालने की बात कर रहे हैं। गन्दा पानी आप कहीं नहीं निकाल पायेंगे। 2—2, 3—3 किलोमीटर तक पानी फैला हुआ है इसलिए गन्दा पानी उस होटल का भी उसी तालाब के अन्दर जायेगा। बाहर नहीं जा सकता है इसलिए आपने जो भी जमीन अलाट की है गलत की है और अगर गवर्नमेंट करना ही चाहती है तो खुली निविदाएं करके देनी चाहिए ताकि गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा राजस्व मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माहिर आजाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि विज्ञापन निकालने का कोई नियम नहीं है, माना। लेकिन राज्य सरकार किसी भी चल और अचल सम्पत्ति को, मोटर गैराज के टायर भी नीलाम करती है या गाड़ियां भी नीलम करती है, राजस्थान वित्त निगम पुरानी जो गाड़ियां पकड़ता है उनको भी नीलाम करती है तो उसकी एम. आर. पी. निकाली जाती है, कि इसकी मार्केट री-सैल वैल्यू कितनी है उसका अनुमान और अन्दाजा लगाया जाता है कि इसकी अनुमानित-कीमत इतनी होगी।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उस सम्पत्ति के बेचान करने से पूर्व उसकी मार्केट वैल्यू निकाली गई थी? यदि निकाली गई थी तो उसकी कितनी वैल्यू आई थी? उस हिसाब से किस रेट में दी गई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि भ्रष्टाचार की आढ़ लेकर राजस्थान के विकास को अवरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए लेकिन भ्रष्टाचार करके भी राजस्थान का विकास नहीं किया जाना चाहिए। यह दोनों बातें हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री चुन्नीलाल जी।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जन-जाति क्षेत्र में जयसमन्द के अन्दर जो टापू बाबा मगरे के नाम से है उसको राजस्थान सरकार ने पर्यटन की दृष्टि से देने का निर्णय लिया है। मैं माननीय सदस्याएँ को आपके माध्यम से....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप जबाव दे रहे हैं या सवाल कर रहे हैं? सवाल कर रहे हैं या जबाव दे रहे हैं?

श्री चुन्नीलाल गरासिया : मुझे जो बोलने का अधिकार है उसके तहत बोल रहा हूं। मेरी बात कृपया सुनें। माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि इस तरह की जो मन में भावना आई है मैं समझता हूं कि उन भावनाओं में विरोधाभास है, आपका विरोधाभास जरूर झलक रहा है। क्योंकि जन-जाति क्षेत्र में एक ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है लगभग 1 करोड़ रुपया इसमें खर्च होगा।

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

प्रदूषण और पर्यावरण के हिसाब से वास्तव में नुकसान होगा, स्थापित ट्राइब्ल्स के लोगों का नुकसान होगा। इस सम्बन्ध में मैं सरकार से भी आग्रह करना चाहूंगा कि इम्प्लायमेंट होटल में मिलेगा उसमें वहां के लोगों को प्राथमिकता मिले इससे जन-जाति क्षेत्र में एम्प्लायमेंट का नया साधन जुटेगा। यह मेरे जन जाति क्षेत्र का सदस्य होने के नाते मेरे विचार हैं। माननीय सदस्यों से मैं आग्रह करूंगा कि वह सब विकास के रूप में अपना मानस बनायें और विरोध की जो भावना पैदा की है मैं समझता हूं कि उसमें कोई तथ्य नजर नहीं आता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री गंगारामजी चौधरी, राजस्व मंत्री।

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं नाम बता दूं जो इस फर्म के मालिक हैं श्री सुधीर कांवड़िया, श्री अरुण के. जैन और श्री प्रताप भण्डारी, यह डाइरेक्टर्स हैं इस कम्पनी के।

श्री सुनील विश्नोई : कहां के हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उदयपुर के ही हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : उदयपुर के ही हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मार्केट वैल्यू का सवाल है जिला कलक्टर से रिपोर्ट मांगी गई थी और पहले से भी इस फाइल पर कार्यवाही चल रही थी, अन्तिम रूप से जिला कलक्टर ने 1500 रुपये प्रति बीघा की मार्केट वैल्यू बताई और वही हमने इसमें चार्ज की है।

इसके अतिरिक्त 1989 में पूर्व राजस्व मंत्री श्री नरपतराम बरबड़ ने भी इसमें निर्णय ले लिया था, हालांकि वह जारी नहीं हुआ इसलिए वह रुकी पड़ी थी फाइल। इस वक्त में हमने प्रोसेस करके अन्तिम रूप से इस पर निर्णय लिया है। माननीय सदस्य ने चारागाह की जमीन छोड़ने के बारे में जिक्र किया था। यह गैर-मुमकीन मगरा, जैसा मैंने पहले अर्ज किया, गैर-मुमकीन मगरा दर्ज है। 15 बीघा उन व्यक्तियों को पूर्व में आवंटित थी, शेष बची हुई भूमि आवंटित की गई है। मैं समझता हूं कि अब माननीय सदस्य संतुष्ट हो गए होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय की चर्चा समाप्त हुई।

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री जुबेर खान/श्री अरुणसिंह/श्री राजेन्द्र पारीक / श्री यदुनाथसिंह / डा. चन्द्रभान/ श्री परसादीलाल मीणा / श्री प्रेमसिंह दहिया, सदस्य विधान सभा प्रदेश में लाटरी के माध्यम से जुए को मिल रहे प्रोत्साहन से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्य लाटरी एवं अल्प बचत राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री जुबेर खान।

राजस्थान प्रदेश में लाटरी के माध्यम से जुए को मिल रहा प्रोत्साहन

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रदेश में चल रही लाटरी के माध्यम से सट्टे और जुएं को राज्य सरकार जो प्रोत्साहन दे रही है उस सम्बन्ध में राज्य लाटरी एवं अल्प बचत राज्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री जगतसिंह दायमा (राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत वर्ष के संविधान में लाटरी चलाने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को दिया हुआ है। केन्द्रीय सरकार ने भारत वर्ष की सभी राज्य सरकारों को लाटरी चलाने के लिए अधिकृत किया हुआ है जिसके अनुसार राज्य सरकारें अपनी लाटरी की योजनाएं चला रही हैं।

राजस्थान राज्य की लाटरी वर्ष 1968 में प्रारम्भ की गई थी जिसका प्रथम ड्रा 1-1-1969 को सम्पन्न हुआ था। माह सितम्बर, 1977 में जनता सरकार द्वारा इसे बन्द कर दिया गया था लेकिन राज्य सरकार की विकास की योजनाओं के लिए आय के स्रोत बढ़ाने हेतु वर्ष 1979 में लाटरी योजना पुनः चालू की गई थी और तब से लाटरी योजना निरन्तर चल रही है।

यह कहना गलत है कि राज्य सरकार प्रतिदिन दर्जनों लाटरी निकल रही है। प्रतिदिन एक लाटरी योजना का ड्रा खोला जा रहा है। केवल शुक्रवार को दो योजनाओं के ड्रा खोले जाते हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि लाटरी योजनाओं के शुरू होने से पूर्व भी लोग जुए में पैसा लगाते थे जब से लाटरी योजना चालू हुई इनसे जुआं बाजी का बढ़ता व्यसन कम हुआ है। लाटरी का एक या दो रुपये का टिकट क्रय करने से कमजोर वर्ग की आर्थिक स्थिति खराब नहीं होती है।

इसके अलावा लाटरी योजना इस प्रकार से तैयार की गई है कि दो रुपये मुल्य वाले दस टिकटों पर रुपये 15 का गारन्टेड पुरस्कार जनता को भुगतान किया जाता है। इस प्रकार एक रुपये मूल्य वाले दस टिकटों पर रुपये 6 की गारण्टी पुरस्कार राशि है। इस तरह से लाटरी टिकट क्रय करने से विशेष हानि किसी को भी नहीं होती है। इससे पूर्व में राजस्थान राज्य में अन्य राज्यों के लगभग बारह लाख टिकट प्रतिदिन विक्रय होते थे। एवं राजस्थान राज्य के लगभग दो लाख टिकट प्रतिदिन विक्रय होते थे परन्तु गत तीन वर्षों से राजस्थान राज्य लाटरी की साख से बढ़ोतरी हुई है एवं यहां की लाटरी ने लाटरी जगत में अच्छी पैठ जमाई है। फलस्वरूप वर्तमान में राजस्थान में राजस्थान राज्य लाटरी की लगभग बीस लाख टिकट प्रतिदिन विक्रय होने लगे हैं। अतः समग्र दृष्टि से देखा जाय तो यह अब भी राजस्थान लाटरी टिकटों में लगाए जाने वाली राशि में खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। वरन् अब राजस्थान का रुपया बाहर जाने से रुका है इससे राजस्थान के विकास में लगने वाली राशि में बढ़ोतरी हुई है।

इसके अलावा लाटरी योजनाओं से हजारों आदमियों को रोजगार मिला हुआ

(श्री जगतसिंह दायमा)

है जो राज्य की बेरोजगारी को दूर करने में सहयोग प्रदान कर रहा है। वर्तमान में हजारों बेरोजगार स्नातक इस कार्य को करने में लगे हुए हैं जिसके लिए उन्हें बहुत थोड़ी जगह और पूंजी की आवश्यकता होती है। यदि यह एजेण्ट एक दिन में कम से कम एक हजार का विक्रय कर लेते हैं तो 100 रुपये इनको प्रतिदिन की आय हो जाती है। इस प्रकार लाटरी योजना बेरोजगारों के लिए तो वरदान सिद्ध हुई है। यह सत्य नहीं है कि गरीब एवं मजदूर वर्ग अपनी दैनिक मजदूरी का अधिकांश हिस्सा लाटरी के टिकट खरीदने में लगा देते हैं। यह वर्ग कुछ हिस्सा लाटरी में लगा देता है जिससे कि अगर इन्कम नहीं आए तो उनको बहुत कम नुकसान होता है जो वह वहन कर सकते हैं। यह गलत है कि देहाती और मजदूर वर्ग लाटरी व्यवसाय के कारण बरबाद हो रहे हैं।

भारत वर्ष के संविधान में लाटरी चलन को जुआं अथवा सट्टा नहीं माना है। इसी कारण केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को लाटरी चलाने का अधिकार दिया हुआ है। आज राज्य सरकार को लाटरी चलाने से अच्छी आमदनी हो रही है जिससे देहाती तथा कमजोर वर्ग के लोगों के लिए राजकीय विकास कार्यों को चलाने में सहायता हो रही है। राज्य लाटरी योजनाओं से वर्ष 1988-89 में शुद्ध आय रुपये 3.06 करोड़, वर्ष 1989-90 में रुपये 10.65 करोड़ और वर्ष 1991-92 में 29.77 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है। चालू वित्तीय वर्ष में जनवरी के अन्त तक तो 28.71 करोड़ रुपया हो गया है परन्तु साल के अन्त तक 37 करोड़ का लाभ होने की आशा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री जुबेर खान जी।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने आज हमारे प्रदेश में लाटरी का जो प्रचलन चला है इसके लिए कहा, दलील दी हैं कि यह वरदान साबित हुआ है गरीबों के लिए। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो अभिशाप ही साबित हुआ है। क्योंकि मजदूर अगर बीस रुपए मजदूरी दिन में कमाता है तो वह जब शाम को देखता है चौराहे पर भीड़ लगी रहती है उसको लालच आता है वह टिकट खरीदता है और कभी-कभी तो पूरे पैसे के टिकट खरीद लेता है और उसको मायूसी के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगता। आज यह प्रचलन इतना बढ़ गया है कि यह पहले तो शहरों तक सीमित था और अब कस्बों में, गावों में भी यह जाने लग गया है। बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जो भी पाकेट मनी है, यहां तक कि किताब, कापियों व पैन्सिल के पैसे से लालच में आकर लाटरी खरीद लेते हैं और वह सारा पैसा व्यर्थ जा रहा है। एक तरफ तो बेरोजगारी दूर करने की कहते है, आपको गरीब आदमीयों से पैसा लेकर उसको लाटरी के माध्यम से, जुए से चलाकर के अगर बेरोजगारी दूर कर रहे हैं तो मैं मानता हूं इससे

(श्री जुबेर खान)

बड़ी + + + बात इस सरकार के लिए और हो नहीं सकती । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं कि गांवों में कितने ही नौजवान लड़कों ने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि फीस के पैसों से लाटरियां लगा दी । उसके बाद में एक बार रास्ता भटका तो भटकता ही चला गया ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान में जो लाटरी रोजाना खुलती है जब महीने में पहले खुलती थी तो ऐसी बात नहीं है, पहले भी लोग खरीदते थे लेकिन आम चलन नहीं था । लेकिन जब से रोजाना खुलती है जैसा मन्त्री महोदय ने कहा कि सिर्फ शुक्रवार को दो खुलती है । उपाध्यक्ष महोदय, रोजाना किसी न किसी नाम बदलकर कभी राजमंगल के नाम से कभी पिंक सिटी के नाम से, कभी सुपर लक्ष्मी के नाम से लाटरी निकलती है, यह तो अपने स्टेट की है और बाहर की भी बहुत निकलती है । उपाध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा नुकसान हो रहा है । जिस तरह से इसका असर नौजवानों, गरीब लोगों व मजदूरों के ऊपर पड रहा है इसके लिए सरकार को इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए । इतना ही नहीं जो इन्होंने कहा कि अगर कोई एक रुपये के दस टिकट कोई लगातार खरीदता है तो उसको साढ़े सात रुपए की इनाम गारण्टी होती है और दो रुपए के हिसाब से अगर दस टिकट बीस रुपए के खरीदता है तो 15 रुपए की गारण्टी होती है । आपको यह मालूम है किस तरह का सट्टा हो रहा है और लाटरी पैरेलल चल रही है, अनआफिशियल चल रही है, ब्लैक मार्केट में चल रही है जिसको लोग खाई के नाम से जानते हैं और चकरी से निकाली जाती है । इनके कस्बे तक सट्टा खोर मौजूद हैं वह अपनी बुकिंग करते हैं, सिर्फ टेलिफोन के माध्यम से, लोगों को कोई टिकिट नहीं देते सिर्फ नम्बर बुक कर लेते हैं कि यह नम्बर आएगा तो आपकी जितनी इन्कम बता रहे हैं जितनी टिकटें खरीदी जाती हैं सरकार की लाटरी की उससे दुगुनी, तिगुनी तो यह माफिया जो चल रहा है लाटरी के माध्यम से, खाई के नाम से हर बड़े शहर में, हर जिला हैड क्वार्टर पर चल रहा है और इसकी वजह से नुकसान हो रहा है क्योंकि उसमें आप तो देते हैं 20 रुपए, 15 रुपए और यह कहते हैं कि बीस रुपए पर देते हैं 18 रुपए तो यह निश्चित बात है कि लोग उधर ज्यादा जाएंगे । क्योंकि कोई इसमें पैसा तो लगाते नहीं हैं ।

मेरा आपसे निवेदन है कि आप अल्प बचत के मन्त्री भी हैं अगर आपको इस तरह का ही राजस्व लेना है सरकार के लिए तो कोई अल्प बचत के माध्यम से इन्सेन्टिव स्कीम निकालिए कि गरीब लोग और जो छोटे-छोटे मजदूर लोग डेली पांच-दस रुपए उसमें जमा करें । महीने पर आप उनको ब्याज दीजिए । आपकी सरकार के पास पैसा भी आएगा और उनको भी ब्याज मिलेगा । लेकिन इस सट्टा खोरी के माध्यम से अगर आप इस तरह की बात करेंगे कि हम तो लोगों को वरदान दे रहे हैं इससे आप एक उदाहरण दे दीजिए कि लाटरी के माध्यम से आपके पास कोई

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री जुबेर खान)

तथ्य हो तो कौन आदमी लाटरी से लखपति हुआ और मैं आपका अनगिनत नाम गिना दूं कि जो लोग इससे लखपति हुए हैं। लोग दूधिया जब जाते थे हफ्ते में पैसे लेकर जाते थे बाजार से लालच में आकर लाटरी खरीद ली। लाटरी निकली नहीं, मालूम चला अपना ताम तम्बूरा बेचकर चले गए, पैसा कहां से देंगे। यही स्थिति हो रही है मजदूर जाते हैं शाम को जब उनकी मजदूरी मिलती है तो आधे से ज्यादा की टिकट और यहां तक हो रहा है कि कितना नुकसान हो रहा है। जो नौजवान रिक्शा चलाते हैं, पेट भरकर रोटी नहीं खाते, लाटरी खरीदने के लालच में और कुछ नहीं निकलता। इसमें जो पैसे वाले हैं उनको जरूर फायदा होता है 2-2, 4-4 हजार टिकट खरीद लेते हैं, मैं तो यह कहना चाहता हूं मन्त्री महोदय से कि आपके विभाग के लोग भी मिले हुए हैं, लोगों को पहले से पता चल जाता है आज कौनसा नम्बर निकलने वाला है और उस नम्बर के टिकट पहले ही गायब हो जाते हैं मार्केट से और ब्लैक में बिकते हैं और बड़ी बड़ी पार्टियां उनको खरीद कर रख लेती हैं तो फिर गरीब लोगों को कहां से फायदा मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस बात को इस आधार पर मत लीजिए अगर इस आधार पर लेते हैं कि इससे आय हो रही है तो आप लोगों पर डाइरेक्ट टैक्स लगाने की भी बात कर देंगे एक दिन। यह जुआ चलाकर आप बेरोजगारी दूर करने की बात करेंगे, आप सरकारी राजस्व की बात करेंगे तो यह गलत बात है, इस स्कीम को आप बंद करिए इसके पैरेलल कोई अच्छी स्कीम चलाइए ताकि जहां आपकी अल्प बचत योजना में फायदा हो और कोई बहुत सी आप कोई बाउण्ड सिस्टम चला दीजिए। आपको अगर लाटरी चलानी है आपके संविधान में है और आपके स्टेट में है। आप जैसे पहले आपकी फोर्टनाइटली और मंथली चलती थी वह क्यों नहीं चलाते? आपको रोजाना लाटरी चलाने से क्या फायदा है। मेरा निवेदन है कि यह जो गांवों में प्रचलन चलता जा रहा है इससे शिक्षा के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है क्योंकि इसके माध्यम से लोग निकलते जा रहे हैं। और किसान लोगों में आज कल फसल का टाइम आ रहा है। लोग कितना कितना पैसा इसमें लगा देते हैं। आज आप सड़कों पर निकलिए। चार बजे शाम को सारी सड़कों पर लाटरी के टिकट बिक रहे होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : रिपीटेशन हो रहा है।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है, गुजारिश है आपके माध्यम से कि इसको रुकवाइए। सरकार इसके लिए कोई नई स्कीम लागू करें। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर साहब क्या आप बोलना चाहेंगे?

डा. चन्द्रभान : बोलेंगे कैसे नहीं। पहले अरुणसिंह जी का नम्बर है बाद में ....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : डाक्टर साहब ने चार दिन तक तैयारी की है इसमें।

(2.00 म.प.)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि यह जो लाटरी है ना यह जुए और सट्टे का ही सुधरा हुआ नाम है। मैं सिद्धान्ततः इसके खिलाफ हूं और आप भी सिद्धान्त रूप से इसके खिलाफ होंगे। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह भाग्य के भरोसे जीने वाले लोगों का और बिना मेहनत के कमाने की नीयत रखने वाले लोगों का धन्धा है। इसमें प्रदेश का गरीब इन्सान फंसा हुआ है। जहां तक लाटरी का सम्बन्ध है, जो सरकारी लाटरी है उसके बारे में रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने विस्तार से बता दिया। मैं तो इसके साथ में जो लाटरी के नाम पर अवैध लाटरी का धन्धा चल रहा है उपाध्यक्ष महोदय, उसके बारे में माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक मामला सन् 1990 में अगस्त के महीने में बांसवाड़ा में आया। एक जन समस्या निवारण समिति है उसने बाकायदा एडवरटाइजमेंट किया और कहा कि जो उसमें धन जमा करायेगा 100 रुपया, 50 रुपया उनको फ्रीज मिलेगा, मोटर साइकिल मिलेगी, टेलीविजन मिलेगा और जन समस्याओं के निवारण में ही उस पैसे का उपयोग होगा। वहां के रमेश जी थे उसमें, उस समय माननीय फतेहसिंह जी सरकार में मंत्री थे यह बांसवाड़ा गये वहां के लोग उनसे मिले तो इन्होंने उस पर रोक लगा दी फिर आपका जो अल्प बचत विभाग है उसके 25 अगस्त को दुबारा आदेश गये कि नहीं, यह लाटरी खुलेगी और उसके बाद में वहां के जो प्रबुद्ध नागरिक थे उन्होंने कोर्ट से इस मामले में स्टे ले लिया और वह रुक गई। यह काम पूरे प्रदेश में चल रहा है मंत्रीजी, 10-15 लोग इकट्ठे होते हैं और अपना समूह बना लेते हैं और लाटरी निकालते हैं, सप्ताह की सप्ताह भी निकालते हैं।

मेरे क्षेत्र मण्डावा में भी ऐसा हो रहा है और एक मेरे गांव का नजदीक का व्यक्ति इस कार्यक्रम के तहत 50 हजार रुपये लेकर भाग गया, वह अभी तक वापस गांव नहीं आया और 10-15 आदमी उससे पैसा वसूल नहीं कर पाये हैं।

एक बड़ा किस्सा जयपुर का है इसके बारे में आपसे निवेदन करना चाहूंगा, तीन साल के अखबारों की ये कतरनें हैं, ये सब अखबारों में छप चुका है। मुख्य मंत्रीजी से, पुलिस के डी. जी. से, डी. आई. जी. से, एस.पी. से कलक्टर साहब से, थाने के इन्चार्ज से एक शिवदत्त साहू जो मालवीय नगर में रहते हैं और दूसरे गोविन्द सहाय खूंटटा, ये दो लोग इन लोगों से मिले। आपको प्रतिवेदन भी दिए और पुलिस ने कई बार तो कार्यवाही की, लेकिन वह मिलीभगत से चलता है। चार लोग हैं, इनके नाम हैं प्रकाश शर्मा, महेश शर्मा, हरीश शर्मा और एक इन्हीं के भाई हैं सूर्यकान्त, ये चार लोग मिलकर, इनका एक तो ठेका है जे.के. लोन अस्पताल में साइकिल का और ये रामनिवास बाग में वहां के अधीक्षक से मिलकर वहां जो मोतीडूंगरी थाने के इन्चार्ज रहते हैं उसमें रामनिवास यादव वहां पर एस.एच.ओ. थे,

(डा. चन्द्रभान)

मिलकर बोली के नाम पर लाटरी का धंधा करते हैं और शिवदत्त साहू ने तो आपसे शिकायत की। इसके अलावा 50-60 लोग इससे प्रभावित होकर जयपुर छोड़ गये हैं। लोगों को फंसा लेते हैं कि आप इसमें हिस्सेदार बन जाइये और आपको इतना पैसा मिलेगा। बाद में इन्हीं के ये चारों आदमी अपने दो-तीन आदमियों को रख कर नीची रेट के ऊपर उस लाटरी को छुड़वा लेते हैं और किश्तों के लिये खाली स्टाम्प पेपर भरवाते हैं खाली चैक भरवाते हैं और इन लोगों पर चालीस या पचास मुकदमें हैं चार लोगों पर। ये हिस्ट्री शीटर हैं मोतीडूंगरी थाने के। पुलिस ने कई बार इनके यहां छापे मारे, अवैध लाटरी के कागजात मिले, लाखों रुपये मिले, जेवरात मिले जो कि लोगों के इन्होंने गिरवी रख रखे थे और बाद में इनको छोड़ दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह लोग इतना ही नहीं करते हैं जो लोग इनके चंगुल में फंस जाते हैं उनके साथ में थर्ड डिग्री का बिहेवियर करते हैं, इण्टरोगेशन करते हैं, पिटाई करते हैं, इन लोगों के नंगे फोटो लेते हैं और उनकी गुदा में डण्डा तक चढ़ा दिया जाता है और इस तरह के मामले अखबारों में फोटो सहित छपे हैं। माया जैसी मैग्जिन में इसको कोट किया गया है। मुख्य मंत्रीजी, आपको भी इन लोगों ने निवेदन किया। अब आपकी जानकारी में हो सकता है, न हो लेकिन यह शिवदत्त साहू और इसका बूढ़ा बाप सबके यहां चक्कर काटते घूम रहे हैं इनको आज तक न्याय नहीं मिला तो इस तरह के लाटरी के धन्धे करते हैं उनको तो आप बन्द करवा दीजिए। यह प्रदेश में किसी न किसी रूप में चल रहा है और राम निवास गार्डन का तो मैंने उदाहरण दिया है। ये चारों लोग हैं, पचास मुकदमें इनके नाम हैं और अभी भी इनका धड़ल्ले से धन्धा चल रहा है। यह दोनों फोटो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और आप चाहेंगे तो शिवदत्त साहू और इसके बाप को मैं आपकी सेवा में हाजिर कर दूंगा। इन लोगों की यह स्थिति है कि या तो ये इन चारों लोगों को पैसा दें। इनका मकान भी इन्होंने नाम करवा लिया, बीस हजार रुपये का एक चैक है यू.को. बैंक के नाम पर उस चैक का नम्बर भी इसी अखबार में छपा है, 509046 है, तो इस तरह का जो लाटरी का धन्धा चल रहा है इसको रोकने का कष्ट करें। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय टीकमचन्द कान्त।

श्री टीकमचन्द कान्त : मंत्री महोदय कृपया बताने की कोशिश करेंगे कि क्या इस लाटरी के डाइरेक्टर पिछले चार साल से वहीं हैं और बीच में कभी क्या इनके ट्रांसफर प्रपोजल बने थे फिर भी वह वहीं हैं, क्या यह बात सत्य है? दूसरा यह कि ऐसे कई आरोप छोटे-मोटे अखबारों में पढ़ने को मिलें कि लाटरी चलाने वाली गैंग जिस दिन यह चाहती है कि आज का अन्तिम अक्षर अट्ठा निकले उस दिन अट्ठा निकलता है, सत्ता निकले तो उस दिन सत्ता निकलता है। और इस प्रकार यह लाटरी का धन्धा होता है और कहते हैं कि इसके अन्दर लम्बी चैन है जिसको करीबन-करीबन एक से डेढ़ लाख रुपये, दो लाख रुपये रोज वहां तक पहुंचता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री गुलाबसिंह जी।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : उपाध्यक्ष महोदय, लाटरी में जो अन्तिम अक्षर निकलता है उस अन्तिम अक्षर का जुआ बिल्कुल ऊपर ही ऊपर चलता है, न तो टिकटों का आदान-प्रदान होता है और ऊपर खाली स्लिपों पर नम्बर और टिकिट की संख्या बता दी जाती है और दूसरे दिन ऊपर ही ऊपर लेन-देन होता है जो ऊपर से नीचे तक, छोटे गांवों के स्तर पर भी हो गया है। दूसरी स्थिति यह है, हकीकत है यह कि न तो टिकट देते हैं, खाली नम्बर बता देते हैं कि कल हमारा तीया निकलेगा, जैसे पहले मटका चलता था। सेम वही मटके की सी स्थिति हो गई, लाटरी के नम्बर के टिकट के आधार पर दूसरे दिन उनको पेमेण्ट ऊपर ही हो जाता है। दूसरा, किराने की दुकान या जनरल स्टोर पर कोई महिला, या स्टूडेंट सामान लेने जाता है तो उसको यह कहते हैं कि खुल्ले पैसे नहीं हैं आप टिकट ले जाओ। उससे अगर उसका 10 रुपया खुल भी गया तो उसका चार्म बढ़ता है और हमेशा उसकी लत बन जाती है कि वह हमेशा टिकट ले और तीन बजे तो आपकी लाटरी खुलती है और ढाई बजे यहां से 400 कि.मी. दूर सुमेरपुर में पहले पता चल जाता है फोन पर, अखबार में दूसरे दिन आता है और पेमेन्ट एक दिन पहले हो जाता है उसको आप नियन्त्रित करें। मेरा निवेदन है कि अन्तिम अक्षर खत्म करें तो इससे काफी समस्याओं का समाधान हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माहिर आजाद

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मंत्रीजी ने जवाब दिया और इन्होंने उसके औचित्य पर प्रकाश डाला कि इससे राज्य को 37-38 करोड़ रुपये की आय होती है इसलिये यह दूध देने वाली गाय है इसको बन्द नही किया जा सकता, यह तो एक पक्ष है। अगर केवल आय के लिए ही आप इन सारी चीजों को चालू रखना चाहते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न पूछिये आप। आप प्रश्न पूछना चाहेंगे क्या ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। आप उसकी भूमिका तो सुनिये। भूमिका यह है कि यह तो इन्होंने उसका जवाब दिया जो राज्य सरकार लाटरी चला रही है लेकिन इसके अलावा हजारों नई लाटरियां पूरे राजस्थान के अन्दर, हर छोटे कस्बे में और बड़े शहरों के अन्दर, हर मौहल्ले में चल रही है। कोई मौहल्ला आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां लाटरी प्राइवेट लोग नहीं चला रहे और उसके अन्दर यह सही है कि जो दैनिक मजदूरी पेशा के लोग होते हैं, जो अपना गुजारा नहीं चला सकते अपने अल्प वेतन और अल्प आय में, उनको पांच रुपये का टिकट ले जा, पचास निकल जायेंगे यह कह कर फंसाया जाता है। उससे ऐसा माहौल बिगड़ रहा है कि नैतिकता का तो यह समझ लो कि जनाजा निकल गया तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आपकी जो राज्य की लाटरीज हैं उनके बारे में बताया है और ये जो अवैध लाटरीज हैं, उनको रोकने के बारे में आप क्या

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

कर रहे हैं ? सट्टे चल रहे हैं, मटके, पता नहीं क्या-क्या दुनियां भर के धंधे इसके अन्दर हो रहे हैं. और उपाध्यक्ष महोदय, यह बात तो सही है कि एक अक्षर का पता चल जाता है। कहते हैं कि वहां पर जो घड़ी होती है उसमें कोई वेट लगा देते हैं और बटन दबाते हैं तो उसी जगह जाकर रुकती है, पता पड़ जाता है कि यह अक्षर है। पिछले दिनों चर्चा में यह चीज खूब आई कि लाटरीज विभाग का जो बाबू है, वह तो खुद ही मारुति कार के अन्दर आता है तो यह सही है, आप इसकी जांच कराइये कि क्या ये लिप्त तो नहीं है इसमें। इसकी सारी प्रक्रिया, प्रोसीजर, ढांचा क्या है, उसको मंत्रीजी आप ही देखकर, कहीं इसमें अनियमितता या भ्रष्टाचार हो तो इसकी जांच कराइये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रद्युम्न सिंह जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका लाटरी से क्या लेना देना है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : बदकिस्मती से धौलपुर में यह बीमारी काफी फैल गई है माननीय मुख्य मंत्रीजी....(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि डेली लाटरीज के बारे में काफी सीरीयस कम्प्लेंट्स डिपार्टमेंट को मिली है, क्या आपके द्वारा इसके बारे में कोई जांच कराई गई, यह पूरा स्कैण्डल है माननीय मुख्य मंत्रीजी। जैसा कि ये कह रहे थे इसमें लाखों रुपये रोज का आदान-प्रदान होता है और लोग जो नम्बर चाहते है, वह निकलता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस डेली लाटरी को बंद कर दीजिये। शायद आप बंद नहीं कर पायेंगे और यह प्ली लेंगे कि दूसरे स्टेट्स की लाटरी आकर, डेली लाटरीज यहां आकर बिकेंगी इसलिए हमको नुकसान होगा और यह प्रथा चालू रहेगी तो मेरा सुझाव है, मेरा निवेदन है कि इस लाटरी के डाइरेक्टरेट में नीचे के स्तर पर जो लोग बैठे हुए हैं, उनमें आप आमूलचूल परिवर्तन कर दीजिये। इसमें बहुत बड़ा घपला है, बहुत बड़ा घोटाला है। आप चाहे इसकी जांच करा लें। आप इसकी कोई ऐसी ठोस व्यवस्था कर दें, इसकी प्रक्रिया ऐसी निर्धारित कर दें कि जो स्कैण्डल हो रहा है, यह रुके या आप डेली लाटरी को बंद कर दें। हालांकि पूरे हिन्दुस्तान में बाढ़ आई हुई है डेली लाटरीज की, कोई स्टेट इससे अछूती बची हुई नहीं है यह बात भी सही है लेकिन जो स्टेट लाटरीज हैं, उनको आप रोक सकते हैं। यदि आपके पास कानून है तो उन्हें रोक दीजिये, इसे बंद कर दीजिये अन्यथा आमूलचूल परिवर्तन कर दीजिये इस व्यवस्था के अन्दर जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़े और कुव्यसन से लोग बचें। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय।

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक पाइंटेड सवाल है।....

श्री उपाध्यक्ष : पटवाजी, नहीं नहीं। इसका कोई एण्ड नहीं है।....(व्यवधान)

(श्री उपाध्यक्ष)

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि चर्चा के बाद बोलें।....(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : दो-चार दिन और करलो। उत्तर प्रदेश की सरकार गिरने वाली है। यहां की सरकार गिरने वाली है।.. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अब इनके भाग्य में लिखा है वही होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पटवा साहब।

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लाटरी के तहत, कांस्टिट्वेन्शनली संविधान के तहत हर स्टेट को अधिकार है कि वह लाटरी चलाये। इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन जो यह डेली लाटरीज निकलती हैं, खाई वाले जो धंधा चलाते थे सट्टे का, वह तो कम हुआ लेकिन डेली लाटरीज जो निकलती है उसके कारण कमजोर वर्गों के आदमी को सबसे ज्यादा हानि हो रही है, बरबाद हो रहे हैं, तो क्या सरकार इसको बन्द करने की दृष्टि से विचार करेगी और फिर से समीक्षा करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों मैंने जब शिवगंज का दौरा किया तो मुझे कई कार्यकर्त्ताओं ने मिलकर बताया कि यह क्या हो रहा है। कहां तो सरकार ने मटके बंद किये थे और यह दूसरा सरकारी मटका कहां से आ गया। महिलाएं जाती हैं तो वे भी लाटरी के टिकट लेती हैं, या कोई राशन लेती है तो बदले में लाटरी के टिकट मिल जाते हैं। छोटे बच्चे, किसान, मजदूर जो पैसा कमाता है, इस सट्टे में लगा देता है उपाध्यक्ष महोदय। आखिरी अक्षर का यह सट्टा क्या बला है, हमारी तो समझ में नहीं आया लेकिन लोग यह बार-बार समझा रहे हैं कि ये जो चाहते हैं वही नम्बर निकलता है और रोज के हजारों रुपयों का लेनदेन होता है इसके लिए ऐसी व्यवस्था की जाय कि ये जो चाहते हैं वह नम्बर नहीं निकले और यह सट्टा बद हो नहीं तो उपाध्यक्ष महोदय, विनाश की जड़ों में से आया हुआ पैसा विकास कैसे करेगा, यह समझ से परे है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय मंत्री जी।

श्री जगतसिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से सवाल माननीय सदस्यों ने किये और बताया कि किस तरीके से जनता का नुकसान हो रहा है। मैं नम्बरवार बताना चाहता हूं। रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि गरीब जनता है, लुट रही है, पिट रही है, मजबूरी में ये मर रहे हैं, ज्यादा लाटरी ले रहे हैं तो किसी को हम कम्पेल तो करते नहीं और आपको अचम्भा होगा कि हम 4-5 साल से तो....(व्यवधान) सुनिये तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। उत्तर तो सुनिये। (व्यवधान)

श्री जुबेर खां : बुराई तो अपने आप आ रही है।

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा धैर्य तो रखिये ।

श्री जगत सिंह दायमा : आपने जब कहा तो, मैं चुप था, तो आप मेरी सुन लीजिये । लाटरी शुरू तो मैंने नहीं की, आपने की है । आपकी सरकार ने की है, कहने का मतलब है । मेरी सुन लीजिये और इसमें जो सारा सदन निर्णय करेगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं, मैं तो उसका अनुसरण कर लूंगा, मुझे कोई जोर नहीं आएगा । इसमें मुझे निवेदन करना है कि हम अगर इसको बंद कर दें, हम बंद कर सकते हैं (व्यवधान) हम बंद कर सकते हैं ऐसा प्रावधान है परन्तु दूसरे स्टेट्स की जो लाटरी आ रही है, उसका क्या होगा । आज कानून व्यवस्था की स्थिति तो हमसे सम्भल नहीं रही है, हम घर-घर जाकर के यह देखेंगे कि कौनसी लाटरीज कौन देख रहा है, किस प्रदेश की बिक रही है, कौन नहीं बिक रही है । व्यावहारिक तौर पर मैं सच कहना चाहता हूं कि यह पोसिबल नहीं है और अगर चाहे तो सरकार क्या नहीं कर सकती ? सरकार सब कुछ कर सकती है । सुनिये तो सही, आप आगे सुनिये परन्तु आज हम बंद कर देंगे, अपनी बन्द कर देंगे, दूसरे स्टेट्स की हम बन्द नहीं कर सकते ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको जानकारी होगी, 1977 में बंद कर दी थी । फिर आपने उसे चालू कर दी ।

डा. चन्द्रभान : अब आप दुबारा बंद कर दो ।

श्री मोहम्मद माहिर आज़ाद : 1977 से तो आपने कई चीजों को बंद किया था ...(व्यवधान)...

श्री जगतसिंह दायमा : सबसे बड़ी चिन्ता माननीय सदस्यों ने जाहिर की है कि पहले ही नम्बर का पता लग जाता है, तो, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने 4-5 बार अचानक जाकर के जो मशीन है, मशीन तो क्या कहें, चक्का जो होता है और जो चलता है, उसका निरीक्षण किया । एक-एक बुलट को हिला-हिला कर के, चैन को हिला-हिला करके कि कहीं टूटी तो नहीं पड़ी है, कहीं और कुछ तो नहीं है । मुझे तो कुछ लगा नहीं, फिर भी मैं आपको इन्वाइट करता हूं, अगर आप इसमें किसी तरह की गलती निकाल दें तो हम इसके लिए जिम्मेदार हैं । इस बात का बिल्कुल चेलेंज है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : प्लीज प्लीज । उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने एक बुराई की बात के लिए चैलेन्ज की बात कही है । अब इसमें चैलेंज की बात नहीं । हम चैलेन्ज दें या ये चैलेन्ज दें, चैलेन्ज का सवाल नहीं है लेकिन आपने देखा कि आपके पक्ष के सदस्य भी, हमारे पक्ष के सदस्य भी, पूरे सदन के सभी सदस्य इस मामले में एकमत हैं कि इसमें घपला है, इसमें कहीं न कहीं कोई कमी है और घपले के रूप में यह बात कही है चारों तरफ से । हमने भी जनता से सुना है क्योंकि हममें से तो कोई भी न लाटरी खरीदता है न लगाता है लेकिन आम जनता से यह बात आई है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब एक बार खरीद कर देखो ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब दोनों ही संग चलेंगे तो बेहतर रहेगा माननीय मुख्य मंत्री जी । इसमें कहीं न कहीं कमी है । इसमें

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कहीं क्लेश या अहम की बात नहीं है कि आप चैलेन्ज करें। आपको तो जो विभाग ने कहा वह आपने कह दिया लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि इसमें कहीं न कहीं कमी है, इसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इस दिशा में अगर आप इसमें जांच करा लें तो कहीं कोई बुराई नहीं है इसके अन्दर। मेरा तो आपसे अनुरोध है कि माननीय मंत्रीजी कोई चैलेन्ज की बात यहां नहीं है। एक बुराई को समाप्त करने की बात है। इसमें एक-दूसरे से चैलेन्ज करेंगे तो यह कोई उचित नहीं रहेगा, मैं ऐसा मानता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए थोड़ा चिन्तित हूं कि आप सबने बताया कि इसमें घपलेबाजी हो रही है, आज पूरे राजस्थान में राजस्थान की लाटरी की पहले नम्बर की साख है। यह बन्द भी नहीं हो, सारे स्टेट्स की बन्द नहीं कर पाये और राजस्थान की लाटरी के ऊपर इससे एक तरह का नुकसान हो जाय तो इस लिए मैं कह रहा हूं इस तरह का घपला तो नहीं होता, फिर भी आप कहें तो मैं 5 मेम्बर्स की एक कमेटी बनाने को तैयार हूं, आप आएं, आकर के उसको देख लीजिये, कहीं गड़बड़ी पायेंगे, उसको दूर करने के लिए हम तैयार हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। बिराजिये आप।

डा. चन्द्रभान : वे तो बोल रहे हैं। अवैध लाटरी के बारे में बोलना चाह रहे है और आपने कह दिया कि चर्चा समाप्त हुई।....(व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अवैध लाटरी के बारे में तो बात ही नहीं हुई। यह तो राजस्थान स्टेट की बात हुई है लेकिन जो प्राइवेट लाटरी की बात हो रही है, उसमें ये बोलने जा रहे हैं, और आपने उनको बैठा दिया... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये प्लीज।

डा. चन्द्रभान : मंत्री जी जवाब दे रहे है, उनको आपने बैठा दिया।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह तो सरकारी लाटरी का जवाब हुआ है। प्राइवेट लाटरी, जो अवैध लाटरी चल रही है, उसका क्या कर रहे हैं? उस पर अंकुश लगा रहे हो कि नहीं....

श्री उपाध्यक्ष : हां, सुन लिया। डाक्टर साहब बिराजिये। (व्यवधान)

श्री जगतसिंह दायमा : मैंने तो पहले ही निवेदन किया था उपाध्यक्ष महोदय कि इस तरह की जो प्राइवेट बता रहे हैं कन्सनिंग लाटरी, उसको राज्य में चलाने का किसी को भी हक नहीं दिया हुआ है। अगर इस तरह का मामला हमें मिल जाता है तो आई. पी. सी 294(1) के साथ हम उसको 6 महीने की सजा करवा सकते हैं, इस तरह का प्रावधान है.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री जुबेर खां : मंत्री महोदय जवाब दें कि चकरी घुमाकर निकालते हैं ये कितने

(श्री जुबेर खां)

आदमी हैं जो चकरी घुमाते हैं।

श्री जगतसिंह दायमा। आप आ जाना और देख लेना और चला लेना चकरी।

श्री जुबेर खां : वो तो एक ही आदमी निकालता है उपाध्यक्ष महोदय। उसको पता है किस स्पीड से घुमाना है इसलिए आप काफी लोग उसमें लगायें और रोजाना अलग-अलग लोगों से खुलवायें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, यह अंतिम अक्षर बन्द करवा दें तो बड़ा फायदा होगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज बिराजिए। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

प्रतिवेदन

माननीय श्री भैरोंसिह शेखावत, मुख्य मंत्री, भारत के नियंत्रक--महालेखा परीक्षक के दो प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षा का 31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या-1 (राजस्व प्राप्तियां), एवं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1990 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या-2 (वाणिज्यिक) सदन की मेज पर रखता हूं।

अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री भैरोंसिह शेखावत, मुख्य मंत्री, वर्ष 1991-92 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगे (द्वितीय संकलन) उपस्थापित करेंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1991-92 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगे (द्वितीय संकलन) उपस्थापित करता हूं।

समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह कौशल, सभापति, राजकीय उपक्रम समिति, 1991-92 समिति के 6 प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, राजकीय उपक्रम समिति, 1991-92 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1975-76 से सम्बन्धित राजकीय उपक्रम समिति, 1987-88 के अठारवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

कार्यवाही) विषयक समिति का 34 वां प्रतिवेदन,

(2) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम द्वारा आयातित ट्रैक्टरों के आबंटन से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 1974-75 के पच्चीसवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफ़ारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का 35 वां प्रतिवेदन,

(3) राजकीय उपक्रम समिति, 1984-85 के दसवें प्रतिवेदन (सातवीं विधान सभा) में राजस्थान आवासन मण्डल (भूमि अवाप्ति) से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का 36 वां प्रतिवेदन,

(4) राजस्थान स्टेट टैनरीज लिमिटेड-अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1983--84 से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 1990-91 के प्रथम प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का 37 वां प्रतिवेदन,

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1975-76 में समाविष्ट राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 1984-85 के आठवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का 38वां प्रतिवेदन, एवं

(6) राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल लिमिटेड से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 1978-79 के पांचवे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का 39 वां प्रतिवेदन ।

सूचना

अजमेर में दंगा हो जाने की जानकारी

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान विक्रय-कर (संशोधन) विधेयक, 1992 ।

श्री यदुनाथ सिंह : पाइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन । उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी टेलीप्रिंटर पर सूचना मिली है कि अजमेर में बहुत बड़ा दंगा हो गया है, एक आदमी मर गया है और काफी लोग घायल हुए हैं। वहां बहुत भारी तनाव और बहुत खून-खराबा हो रहा है। मैं चाहूंगा कि सरकार इसकी जानकारी करे और सदन को इसकी जानकारी उपलब्ध करायें ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर सदन में आज ही वक्तव्य आना चाहिए । (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : इतना बड़ा दंगा हो गया है, सरकार स्टेटमेंट दे। (व्यवधान) सरकार को मालूम ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : राजस्थान में एक के बाद एक दंगे होते चले जा रहे हैं। (व्यवधान) यह गूंगी, बहरी सरकार दंगे रोकने में कामयाब नहीं हो रही है ।

डा. चन्द्रभान : माननीय मुख्य मंत्री जी कहां है? इस पर स्टेटमेंट आना चाहिए। (व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : इस पर सरकार की ओर से स्टेटमेंट आना चाहिए।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, आप अभी निश्चित कीजिए और व्यवस्था दीजिए कि सरकार इस पर कितने बजे स्टेटमेंट देगी। (व्यवधान) जब इतना बड़ा दंगा हुआ है, वहां खून-खराबा हो रहा है, एक व्यक्ति मारा गया और सरकार को कोई जानकारी ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह प्रदेश में क्या हो रहा है उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : मैंने कल भी कहा था कि पुलिस का राजनीतिकरण हो रहा है, क्रिमिनलाईजेशन हो रहा है इसलिए दंगे हो रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमने कल पुलिस की डिमाण्ड पर भी वह बात कही थी कि पुलिस का क्रिमिनलाइजेशन, राजनीतिकरण हो रहा है और ये दंगे फैल रहे हैं। आपने टोडारायसिंह की बात को उठाने के लिए इजाजत नहीं दी, आज वहां पर कर्फ्यू लग गया। अजमेर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और यह जान-बूझकर किया जा रहा है। यह सरकार जान-बूझकर इस तरह का वातावरण बना रही है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप विराजें। प्रद्युम्न सिंह जी क्या कह रहे हैं आप?

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्या कह रहे हैं हम? यह आपने सुना नहीं कि हम क्या कह रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : हां फरमाइये ना।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि राजस्थान के अंदर कम्यूनल टेंशन बढ़ रहा है, राजस्थान साम्प्रदायिकता की आग में जलने लग गया है रोज दंगे हो रहे हैं। आज अजमेर के बारे में नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने यह सूचना दी है, सरकार के पास तो पूर्व में सूचना आ गई थी। सरकार का दायित्व था कि सदन चल रहा है, सदन को अवगत कराना चाहिए था लेकिन सोचा कि जब तक बात दबाई जा सके दबानी चाहिए। सरकार की इस नीति की मैं अलोचना करता हूं। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहां पर गृह मंत्री जी हैं नहीं, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि अजमेर में क्या हुआ इसके तथ्यों से सदन को शीघ्र अवगत करायें। यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अजमेर की घटना के सम्बन्ध में मुझे जानकारी है। जानकारी पूर्ण हो जाय, सारे आफिसर्स वहां लगे हुए हैं। मैं 6.00 बजे तक इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक बात है। माननीय शांति लाल चपलोत।

विधायी कार्य

विधेयक पर विचार

राजस्थान विक्रय-कर (संशोधन) विधेयक, 1992

श्री शांति लाल चपलोत (वित्त, आबकारी एवं करारोपण राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विक्रय-कर (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बुलाकीदास जी कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1992 के संबंध में मुझे यह कहना है कि मूल अधिनियम सन् 1954 में बना और इसके बाद समय-समय पर उसमें कुछ संशोधन किए गए। वर्तमान में सरकार ने इसमें जो संशोधन प्रस्तावित किए हैं उसमें खासतौर से 1954 के राजस्थान विक्रय कर अधिनियम संख्या 19 की धारा 2 (ग) में संशोधन करके वाणिज्यिक कर अधिकारी की जगह इन्होंने सहायक आयुक्त को इसमें सम्मिलित करने की बात कही है। इस संबंध में राज्य सरकार को चाहिए था कि समय-समय पर वे अधिकारियों के पदनाम में परिवर्तन करते रहते हैं इसलिए इसमें ऐसा प्रावधान करना चाहिए था कि राज्य सरकार गजट नोटिफिकेशन के आधार पर पदनाम में जैसे-जैसे परिवर्तन होंगे उसकी सूचना गजट में प्रकाशित करके यथासमय इसमें संशोधन करती रहेगी। जहां तक धारा 23 में संशोधन करके इन्होंने 12 पर्सेन्ट से 15 पर्सेन्ट की ब्याज की दर जो बढ़ाई है उसको मैं अनुचित मानता हूं। वैसे ही व्यापारियों पर बहुत अधिक करभार राजस्थान में पड़ा हुआ है। राजस्थान में विक्रय कर की दर अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है और जो कर विवर्तन उपभोक्ताओं पर होता है उसकी भी एक अंतिम सीमा आ चुकी है। 10-10 पर्सेन्ट तक बिक्री कर लग रहा है और यहां पर तो इससे अधिक 12 पर्सेन्ट, 15 पर्सेन्ट बिक्री कर जो दर निर्धारण अलग-अलग वस्तुओं पर की गई और उसके ऊपर ब्याज की दर को बढ़ाकर इन्होंने धारा 23 में जो संशोधन किया है यह उचित नहीं है, इसको 12 पर्सेन्ट ही रखना चाहिए। जब आप राजस्थान विक्रय कर अधिनियम में परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, कुछ मूलभूत बातों के बारे में राज्य सरकार को सोचना चाहिए था। मसलन आज स्टेट का कितना विक्रय कर बकाया है। मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 200 करोड़ से अधिक की राशि विक्रय-कर की बकाया है। बकाया करों की वसूल के लिए राज्य सरकार ने क्या कार्यक्रम बनाया है ? किस तरीके से वह इसकी वसूली करेंगे और साथ-साथ जो बकाया आप वसूल करने जा रहे हैं इसकी बेहतर वसूली के लिए आपने क्या-क्या कदम उठाये हैं ? इसके बारे में, मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री अपना प्रत्युत्तर देंगे तब इस बात के बारे में बतायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि विक्रय कर से संबंधित इन्सपेक्टर्स जो

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

हैं उनकी कोई ड्यूटीज नहीं है जैसे जौहरी बाजार क्षेत्र का कोई इन्सपेक्टर है, मैं समझता हूं, वह कम से कम एक महीने में पांच लाख रुपये कमाता है। इस इन्सपेक्टर के पद को समाप्त कर देना चाहिए, उसकी कोई दायित्व नहीं है, उसकी कोई अकांउन्टेबिलिटी नहीं है। अकांउन्टेबिलिटी नहीं होने के कारण यह सैल्स टैक्स के इन्सपेक्टर्स जहां-जहां राज्य के कोने-कोने में लगे हुए हैं वह अपनी जेब भरते हैं, सरकार को चूना लगाते हैं और निश्चित रूप से हमारे करों का नुकसान करते हैं।

मैं आपको उदाहरण के लिए यह बताना चाहूंगा कि आज बिक्री-कर के सम्बन्ध में जितने भी लक्जरी आइटम्स हैं, खास तौर से प्रसाधन की सामग्री है उसके ऊपर उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जाकर कभी किसी दुकान से कोई वस्तु खरीद लें, कोई भी व्यक्ति पर्ची काट कर नहीं देता, कोई बिल बना कर नहीं देता और इन्सपेक्टर्स के पैसे बंधे हुए हैं, उसके आधार पर इन्सपेक्टर-राज चल रहा है इसलिए इन इन्सपेक्टर्स के पदों को आपको समाप्त करना चाहिए और बिक्री-कर की बेहतर वसूली के लिए आपको सारे राजनैतिक दलों से बातचीत करके और इसके सम्बन्ध में हाउस की एक कमेटी बनाकर जो सुझाव आये, उसके आधार पर बिक्री-कर की बेहतर वसूली के लिए उपाय करने चाहिये। पड़ौसी राज्यों में विक्रय-कर की दरें बहुत साधारण सी है। आज उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, जो हमारे पड़ौसी राज्य हैं, दिल्ली हमारे पड़ौस में है, हरियाणा हमारे पड़ौस में है, यहां पर बिक्री-कर की दरें विभिन्न वस्तुओं पर बहुत कम है। लेकिन हमारे यहां उससे दुगना, तिगुना, चार गुना बिक्री-कर लगता है। ऐसी स्थिति में उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या आप हमारे पड़ौसी राज्यों के समान बिक्री- कर की दरें निर्धारित करने की नीति अपनाना चाहेंगे या नहीं? यदि आप इस तरह से काम नहीं करेंगे तो लोग क्या करेंगे और जो करते आये हैं अपने ऑफिसेज अन्य राज्यों में या उन स्थानों पर, जहां पर बिक्री-कर नहीं लगता है वहां पर अपने हैड ऑफिस बना कर करों की चोरी करते हैं, कर-अपवंचना करते हैं और उसको राज्य सरकार किसी भी तरीके से पकड़ने में असमर्थ रही है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे पड़ौसी राज्यों के मुकाबले में हमको अपनी विक्रय-कर की दरों को संशोधित करना चाहिए और उसके अनुरूप हमारे विक्रय कर की दरें निर्धारित की जानी चाहिए। इसी तरीके से उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार रिसोर्स मोबिलाइजेशन में अपनी प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाई है। अभी जो बजट प्रावधान किये गये उसमें बिक्री-कर के मामले में केवलमात्र पोपुलिस्ट मेजर अपना कर चकला, तवा, निमोली, ऐसे आइटम्स, जिनके ऊपर आज तक किसी ने कर नहीं दिया, उन आइटम्स को तो एक तरह से घोषणा करके वाहवाही लूटने की कोशिश की लेकिन जनता बहुत समझदार है, जागरूक है, अपने अधिकारों के के बारे में जानती है और यह समझती है कि यह सरकार की थोथी घोषणाएं हैं। ऐसी स्थिति में मैं सरकार से यह कहना

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

चाहूंगा कि उनको बजट के पहले दो वर्षों में जो लोग कर दे सकते हैं उनसे कर वसूल करना चाहिए था, टर्न ओवर टैक्स आपको लगाना चाहिए था।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिन फर्मों का टर्न ओवर दो लाख से ज्यादा है उनके ऊपर आप आधा पर्सेन्ट टर्न ओवर टैक्स लगा सकते थे, इससे राज्य सरकार को लगभग 150 करोड़ रुपये की इन्कम हो सकती थी लेकिन इन सब बातों के बारे में वित्त मंत्री जी और वित्त राज्य मंत्रीजी को कोई फुर्सत नहीं है, केवलमात्र अपनी सरकार को बचाने में और राजनीति करने में यह लगे हुए हैं, पता नहीं राज्य कहां जा रहा है। राज्य पिछड़ रहा है रिसोर्स मोबिलाइजेशन में और उसके कारण हमको योजना आयोग से जितनी राशि अधिक मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पा रही है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन में यह सरकार अपने प्रयासों को आगे बढ़ाने में बिल्कुल असफल रही है और यह मैं दावे के साथ चार्ज लगाता हूं सरकार के ऊपर कि इन्होंने दो वर्षों में राज्य का रिसोर्स मोबिलाइजेशन बिल्कुल नहीं किया। जो लोग कर दे सकते हैं उनसे कर नहीं ले रहे हैं और जो गरीब लोग हैं, उनके ऊपर कर का भार निश्चित रूप से पहले ही बढा हुआ है तो इनको उन वस्तुओं के ऊपर कर लगाना चाहिए जो विलासिता की वस्तुएं हैं, जो प्रसाधन सामग्री हैं और ऐसी वस्तुएं हैं जो धनाढ्य लोग उपयोग में लेते हैं। इनके बारे में इनको बिक्री कर के ढांचे में निश्चित रूप से परिवर्तन करना चाहिए।

जहां तक सेल्स टैक्स इन्सेन्टिव देने का प्रश्न है, इसके सम्बन्ध में भी उपाध्यक्ष महोदय, कई प्रकार की विसंगतियां देखने को मिलती है। सेल्स टैक्स इन्सेन्टिव इण्डस्ट्रीज को राज्य सरकार दे रही है और वह कांग्रेस के वक्त में भी दिया जा रहा था लेकिन सेल्स टैक्स इन्सेन्टिव दिये जाने वाली फर्मों के उत्पादन को जब बाजार में विक्रय किया जाता है तो वहां बेचने वाले उसके ऊपर विक्रय कर वसूल कर रहे हैं। इसके ऊपर रोक लगाने का दायित्व किस का है? मैं समझता हूं कि विभाग इसमें पूरीतौर से असफल रहा है और मुझे उम्मीद है कि जिन फर्मों को सेल्स टैक्स इन्सेन्टिव दिया जाता है उन फर्मों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं के ऊपर सेल्स टैक्स का भार उपभोक्ताओं के ऊपर विवृतित नहीं होना चाहिए।

इसी के साथ-साथ उपाध्यक्ष महोदय, कहने को बातें और हैं मैं दूसरी तीसरी स्टेज पर कहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : और आ जायेगी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं आपके माध्यम से अंत में यह बात कहना चाहूंगा कि राजस्थान विक्रय कर(संशोधन) अधिनियम, 1992 को, जो मुद्दे हम लोगों ने उठाये हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर उजला अरोड़ा (अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री कालीचरण सराफ (अनुपस्थित)

माननीय मंत्री महोदय।

श्री शांतिलाल चपलोत (प्रभारी मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कल्ला जी ने जनमत जानने के लिए कहा और कई बातें सुझाव के रूप में भी कही, और दूसरी बातें भी कही हैं। धारा 23 के तहत जो बात कही गई है वह शायद इस बात को या तो ढंग से देख नहीं पाये, वे लोग जिनका पैसा सरकार में जमा है, 12 प्रतिशत ब्याज उस पर सरकार देती थी अर्थात् जिस-जिस को रिफण्ड देना है तो हम लोग उसको 12 प्रतिशत ब्याज देते थे और आजकल सरकार चूंकि 24 प्रतिशत तक ब्याज लेने लग गई है, लोगों को ज्यादा असुविधा न हो इसलिए उस पर्सेंटेज को हमने बढ़ाया है, 12 प्रतिशत की जगह 15 प्रतिशत ब्याज देने की बात सरकार ने कही है। यह अमेण्डमेंट हम लाना चाह रहे हैं। इसके साथ ही आपने रिसोर्स मोबेलाइजेशन के लिए आपने बात कही है। 1990-91 में 650 करोड़ रुपये का हमको सेल्स टैक्स मिला और 1991-92 में हमें उम्मीद है कि 800 करोड़ के आस-पास, तीन-चार दिन और बाकी है अभी और चल रहा है, 800 करोड़ रुपये और 800 करोड़ से ज्यादा ...

श्री बुलाकीदास कल्ला: विक्रय कर बकाया कितना है स्टेट में ?

श्री शांतिलाल चपलोत: हां, वह बता रहा हूं। 800 करोड़ रुपये मिलेगा। पिछले कई वर्षों से जितना सेल्स टैक्स नहीं मिला था, एक-एक साल में हमने डेढ़-डेढ़ सौ करोड़ का सोर्स का मोबिलाइजेशन किया है। मैं यह समझता हूं कि कल्ला साहब जान-बूझकर इस बात को नजर-अन्दाज कर रहे हैं। आपने यह भी फरमाया कि 200 करोड़ के आस-पास सेलस टैक्स बकाया है। ऐसी बात नहीं है। कुल मिला कर 80 करोड़ के आस-पास सेलस टैक्स बकाया है और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसी फर्में भी हैं जो राज्य छोड़ कर चली गई हैं। कोई गुजरात में चली गई, कोई मद्रास में चली गई, कोई तमिलनाडु के आस-पास के क्षेत्र में चली गई, कोई आंध्र में चली गई। ऐसे लोगों का पैसा ज्यादा बकाया है और वहां पर भी हमने इफेक्टिव कार्यवाही करके वहां वकीलों को भी अपाइन्ट किया है और वहां पर किस तरीके से रिकवरी वहां से की जा सकती है उसका पूरा प्रयास हम उसके लिए कर रहे हैं। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने और भी बातें कही है। मैं नहीं समझता कि अभी उसकी कोई बहुत ज्यादा चर्चा की आवश्यकता है पर फिर भी आपने इन्सपेक्टर की पोस्ट के लिए कहा है कि इन्सपेक्टर जेब भरते हैं वगैरह। गवर्नमेंट सर्वेन्ट को किस तरीके से काम में लिया जाय और किस तरीके से इन्सपेक्टर की पोस्ट खत्म करके क्या हम और बना सकते हैं, यह किसी प्रकार का सुझाव आपने नहीं दिया है, यह नहीं बताया है कि इन्सपेक्टर के अलावा कौन ऐसी एजेन्सी होगी जिसके द्वारा टैक्स का निर्धारण कराने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मैं समझता हूं कि किसी प्रकार यह इन्सपेक्टर की पोस्ट को खत्म करना या

(श्री शांतिलाल चपलोत)

इन्सपेक्टर को न रखना, यह ठीक बात नहीं रहेगी। मैं निवेदन करूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने यह भी कहा है कि 2 लाख रुपए पर यदि टर्न ओवर पर आधा प्रतिशत टैक्स लिया जाता तो शायद डेढ़ सौ करोड़ हो जाते, ऐसी बात नहीं है और हमने कन्साइनमेंट टैक्स के लिए भी गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया को कह रखा है। उसके बावजूद भी अभी वहां से नहीं हुआ है। सारे राष्ट्र का सवाल है इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप और हम सब मिलकर के इस टैक्स में जो, जिस तरह के सुधार किये जा रहे हैं, कोई नया टैक्स हमने नहीं लगाया है। आपने यह कहा है कि गरीबों की वाह-वाही लूटने के लिए यह किया है। गरीबों पर नहीं किया है, मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम 500 से 1000 आइटम ऐसे हैं जिन पर हमने टैक्स छोड़ा है। इसमें तवा भी है, मूसला भी है, बेलन भी है, चकला और बिंदियां भी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको विचारार्थ लिया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1992 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

प्रस्ताव कीजिए।

विधेयक का पारण

श्री शांतिलाल चपलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : हां, आप बोलिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जो बिल यहां पर लाये हैं वह एक लिमिटेड परपज के लिए लाये हैं लेकिन आम तौर से परम्परा यह रही है कि जब डिबेट होती है तो बिक्री कर के अन्य पहलुओं के बारे में भी विचार किया जा सकता है, सुझाव दिये जा सकते हैं, तो माननीय मंत्री महोदय, मैं लम्बी-चौड़ी बात नहीं करूंगा, अखबारों में एक खबर आयी थी कि आपके बी.जे.पी. शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री एक साथ बैठ रहे हैं और शायद बैठे भी थे और आपने कर ढांचे को चारों सूबों के तर्क संगत बनाने की बात की थी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, तो आपने उसमें क्या निर्णय लिये और उन निर्णयों के अनुरूप आपने कर प्रस्तावों में क्या संशोधन किया या सिर्फ अखबारबाजी

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

थी, पॉलिटिकल स्टण्ट था ? इसके बारे में आप सदन को अवगत कराने की कृपा करें। तो आप यहां कहें कि निर्णय नहीं लिया गया अगर कोई निर्णय नहीं लिया गया जिससे कि हम को जानकारी हो क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश के बजट में उन्होंने बिक्री कर के ढांचे के अन्दर टैक्स की कुछ रेट्स को वहां कम किया है लेकिन ऐसा आभास होता है कि राजस्थान में आपने उसके अनुरूप यहां पर संशोधन नहीं किया तो आप इसके बारे में हम को अवगत करावें कि वहां पर क्या निर्णय लिये गये या कोरी अखबारबाजी थी ? नम्बर एक।

दूसरी बात मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के अन्दर नये उद्योगों को जो बिक्री कर में आप रियायत देते हैं....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप रियायत देते हैं उससे जो आपके स्टेट के पुराने उद्योग हैं उनके ऊपर खास तौर से कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के जो उद्योग हैं उनके ऊपर एडवर्स अटैक बहुत बुरी तरह से पड़ रहा है। एक तरफ तो आप नयी इंडस्ट्रीज को टैक्स के रूप में इंसेन्टिव दे रहे हैं और सूबे भी दे रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में उन्होंने इस गैप को कम करने की चेष्टा की है उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैंने पूर्व में भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं इस बात को क्योंकि मेरे पास एक रिप्रजेण्टेशन यहां के वेजिटेबिल आयल इंडस्ट्रीज की तरफ से प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर जो टैक्स कन्शेशन नयी इंडस्ट्री, नया कोई वेजिटेबिल आयल मिल आएगा तो 8 प्रतिशत का कम्पलीट सेल्स टैक्स एग्जम्पशन उसको रहेगा और उसकी प्राइस के अन्दर 500 रुपए का एक कनस्तर बिकता है और दूसरे 40 से 45 रुपए का टैक्स इम्पेक्ट आयेगा तो जो पुराने उद्योग हैं उपाध्यक्ष महोदय, वह नये उद्योग के मुकाबले में कैसे सरवाइव कर पायेगा ? इसके बारे में भी आपकी क्या नीति है, आप क्या विचार कर रहे हैं, आप इस बारे में यहां कुछ कह सकेंगे या नहीं कह सकेंगे, यह तो मैं नहीं जानता हूं लेकिन तब भी इस पर आपको विचार करना चाहिए और इस पर आपको निर्णय लेना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैंने दो बजट सत्रों में भी पहले आपसे निवेदन की कि राजस्थान में जो दूसरे स्टेट, खास तौर से मध्य प्रदेश में जो आटोमोबाइल फेयर्स लग रहे हैं वहां से मोटर गाड़ियां धड़ाधड़ राजस्थान में बिक के आ रही हैं क्या कारण है वहां पर हजारों की संख्या में मोटर-व्हीकल, दु-पहिया वाहन बिक रहे हैं ? इसलिए मेरा आपसे बार-बार अनुरोध है कि आप एग्जामिन करायें। इसके बारे में कोई एग्जामिन आपके यहां नहीं हुआ। आप अपनी स्टेट में मध्य प्रदेश के पैटर्न पर आप आटोमोबाइल फेयर्स यहां पर क्यों नहीं लगाते हैं ? जिनका आपको सेल्स टैक्स का, रोड टैक्स का नुकसान हो रहा है, मोटर रजिस्ट्रेशन फीस आपको नहीं मिल रही है लेकिन पता नहीं क्या जिद्द है सरकार की, सोचते हैं कि विधान सभा में कह दिया और मध्य प्रदेश में इतना सक्सेसफुल हो रहा है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

तीनों प्रान्तों में, उपाध्यक्ष महोदय, ग्वालियर बगल में लगता है, भिण्ड लगता है, शिवपुरी लगता है, साल भर मेले लगा करते हैं वहां पर और हर सूबे के लोग खरीद कर ले जाते हैं और हजारों की संख्या में करोड़ों रुपये का बिजनस होता है और मैं सोचता हूं कि एक-आध करोड़ दो करोड़ का सेल्स टैक्स का नुकसान राजस्थान सरकार को तो सेल्स टैक्स के पेटे होता है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस का जो नुकसान, लोग वन टाइम करा रहे हैं वहां पर रजिस्ट्रेशन, तो इसके बारे में भी आपको विचार करना चाहिए। आपको इसमें जिद्द नहीं रखनी चाहिए और आपको विचार करके राजस्थान में भी आप यह परम्परा शुरू करें तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा।

माननीय मंत्रीजी, आपने टैक्स ट्रेण्ड की यहां पर बात कही कि पिछले साल रिसोर्स मोबिलाइजेशन के बारे में कोई आपका बहुत बड़ा एचीवमेण्ट हो तो बताइये। सेल्स टैक्स में 20 प्रतिशत से लेकर 25 प्रतिशत ट्रेण्ड इन्क्रीज तो हर साल रहा है। आप सन् 1967 से फिगर्स उठाकर देख लें उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपका इस 20 प्रतिशत से कुछ अधिक रहा हो या आपका 30 प्रतिशत पहुंचा हो तो तब तो आपका बहुत बड़ा एचीवमेंट माना जायेगा अन्यथा सेल्स टैक्स में 20 प्रतिशत ट्रेण्ड इन्क्रीज तो राजस्थान में कई सालों से होता चला आया है, यह मैं आपसे निवेदन करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आखिर में मैं आप से एक बात निवेदन करूंगा, माननीय मंत्री महोदय, टैक्स कलेक्शन के बारे में जिस तरह से आपने कहा कि आज 80 करोड़ रुपए बिक्रीकर के बकाया है। आप इसकी वसूली के लिए क्या कारगर कदम उठा रहे हैं? इससे हमें अवगत कराने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : कल्ला साहब बोलेंगे ? बोल चुके हैं पहले।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अभी कुछ मुद्दे नये आ गये हैं न।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा, मुद्दे रह गये हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, अभी वित्त राज्य मंत्रीजी ने जो बातें कहीं उनमें मैं आपके माध्यम से उनसे यह जानना चाहूंगा कि 80 करोड़ का बकाया इस साल का है या अब तक का कुल बकाया 80 करोड़ है? अब तक विभिन्न फर्मों में राजस्थान में कुल कितना विक्रय कर बकाया है? दूसरी बात, ब्याज के बारे में आपने धारा 23 में संशोधन करके व्यवहारियों को 12 प्रतिशत से 15 प्रतिशत ब्याज देने की बात कही है उसका वित्तीय भार राजस्थान सरकार पर क्या आयेगा, यह कहीं भी आपने इस बिल में जो वित्तीय व्यवस्थाओं के बारे में अलग से इसमें ज्ञापन होना चाहिए कि आपने इस सम्बन्ध में क्या प्रावधान किया है? पहले आप 12 प्रतिशत ब्याज देते थे अब 3 प्रतिशत ब्याज ज्यादा देंगे तो एक वर्ष में कितना ब्याज अधिक आपको देना पड़ेगा? इसी तरीके से अभी वित्त राज्य मंत्रीजी ने यह

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

कहा कि इन्स्पैक्टर्स को हम कैसे हटायें, तो मैं समझता हूं कि वित्त राज्य मंत्रीजी, आप अपने अधिकारियों से बात करेंगे तो आपको महसूस होगा कि इनकी अकाउ-टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। वाणिज्य कर अधिकारी आपके हर जगह पर हैं और अलग-अलग वाणिज्य कर अधिकारी को आप यह दायित्व दीजिए कि वे कर निर्धा-रण का काम नहीं करते हैं। इन्स्पैक्टर तो केवल चौथ वसूली का काम करते हैं और उनके कारण से कई-कई फर्में तो बिक्रीकर बिल्कुल दे ही नहीं पाती। आप फर्ज कीजिए कि 2 लाख या 5 लाख तक का काम करने वाले व्यवहारियों को कोई छूट दे रखी है तो वे चाहे 50 लाख रुपये तक का काम कर लेंगे तो भी बिक्रीकर आपको एक पैसा नहीं मिलता है इसलिए इस इन्स्पैक्टर राज को खत्म कीजिए और जैसी केन्द्रीय सरकार ने कुछ नयी आर्थिक नीतियां लागू की हैं, राजस्थान में कुछ नयी आर्थिक नीतियां विक्रय कर के सम्बन्ध में आप लागू कीजिए ताकि यह जो इन्स्पैक्टर्स बीसियों सर्किल बनाकर लोगों को लूट रहे हैं, इनका लूटना समाप्त हो सके और चौथ वसूली होना समाप्त हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, वाणिज्यक कर अधिकारी के बिना किसी भी फर्म का कोई इन्सपैक्शन नहीं हो और इनके द्वारा पहले पूर्व में, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं जो हमारे वाहन समय-समय पर चैक किये जाते थे सड़कों के ऊपर, कभी पुलिस के द्वारा, कभी किसी के द्वारा तो राज्य सरकार ने एक व्यवस्था की थी बिक्री कर वाले, ट्रैफिक वाले और अन्य सम्बन्धित एजेन्सीज एक साथ मिलकर एक महीने में 5 या 7 इंस्पेक्शन रखेंगी ताकि कोई भी व्यक्ति लोगों को एक्सप्लायट नहीं कर सके। इस तरह की कोई समा-नान्तर व्यवस्था आप बैठाइये और बैठाकर वाणिज्यक अधिकारी से नीचे कोई भी व्यक्ति फर्मों का इंस्पेक्शन न करे और इंस्पेक्शन का उद्देश्य कर वसूली होना चाहिए, न कि अपने घर को भरने का काम होना चाहिए। यह इंस्पैक्टर जितने भी हैं, मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि एक-एक इन्स्पैक्टर, जौहरी बाजार का कभी वित्त राज्य मंत्रीजी आप व्यापारियों से सम्पर्क करें, आपको महसूस होगा, 4-4, 5-5 लाख रुपया महीना वसूल करता है। ऐसी स्थिति में आपको इंस्पैक्टर्स को समाप्त करके एक नयी व्यवस्था कायम करनी चाहिए। जहां तक इस अधिनियम की अनुसूची की क्रम संख्या 2 पर विद्यमान प्रविष्टि के अनुसार सब्जियों के बीज जब बाजारों में बेचे जायें तो कर से छूट नहीं प्राप्त होगी। अधि-नियम की अनुसूची की क्रम संख्या 2 की विद्यमान प्रविष्टि को संशोधित करके उन सब्जियों के बीजों को भी आपने भूतलक्षी प्रभाव से छूट प्रदान की है। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। जिस दिन से यह संशोधन हुआ....

(2.52 म ॰ प ॰)

(श्री रघुवीर सिंह कौशल, सभापति, पदासीन)

उसी दिन से आपको इसको प्रभावित करना चाहिए। रेट्रास्पेक्टिव इफैक्ट से करने से ऐसा महसूस होता है कि कहीं न कहीं किसी को लाभ देने की बात की जा रही है। कानून जो भी बने, जिस दिन

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

पास हो, अथवा जिस दिन आर्डिनेंस आये, उसी दिन से उसको लागू करना चाहिए। यह भूतलक्षी प्रभाव से जो आपने लागू किया है, उसको मैं उचित नहीं मानता। धन्यवाद।

श्री किशनाराम : माननीय कल्ला साहब कह रहे हैं, पिछले राज में यह मंत्री थे तो इन्होंने इंसपेक्टर वगैरह की पोस्ट जब खाली क्यों नहीं करवाई ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को पता नहीं है, मेरे पास कभी वित्त विभाग नहीं रहा है।

श्री किशनाराम : आप राज में रहे हैं, सरकार में तो रहे हैं, वित्त डिपार्टमेंट ही तो नहीं था।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मैं एक-दो सुझाव देना चाहूंगी। धारा 23 में आप संशोधन लाये हैं कि व्यापारी को 12 से 15 प्रतिशत तक ब्याज आप देंगे और आप जब लेते हैं तो 24 प्रतिशत ब्याज लेते हैं। मेरा आपसे कहना है कि आपने 12 से 15 प्रतिशत बढ़ाया है, आपको कम से कम 18 प्रतिशत जो आप पहले ले चुके होते हैं, वह देना चाहिए, यह मेरा सुझाव है।

करापवंचन शाखा जो है, इसके बारे में मेरा आपसे निवेदन है कि जिसकी भी आपको जांच करनी हो, उसका नाम उल्लिखित किया जाना चाहिए। अगर वह अपना पैसा दे चुका होता है, रिटर्न भर चुका होता है, किताबों में जमा कर चुका होता है, तब उसको परेशान करने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। यदि उसने किताबों में पैसा जमा नहीं किया है और आप नाम लिखकर कराएं तो यह वाजिब होगा, वरना आज तो यह होता है कि किसी की दुकान पर कोई भी आदमी पहुंच जाता है, किसी को परेशान करना होता है। मुझे एक घटना बहुत अच्छी तरह से याद है कि यहां दीवाली के दिनों में सामूहिक रूप से पैसा कमाने के लिए जब इनकी सरकार थी, जो उधर विपक्ष में बैठे हैं, तब उन लोगों ने छापा मारा और व्यापारियों को परेशान करने के लिए किसी न किसी की दुकान में घुस गये, वहां पर कहने लगे, रिकार्ड लाओ। जबकि इनके पास न कोई ऐसा वारण्ट था, न कुछ था कि वह जाकर जांच कर पाते तो मैं कहना चाहूंगी यह उल्लिखित होना चाहिए, आदेशित होना चाहिए कि अमुक दुकान से आपको उसका रिकार्ड देखना है। अन्यथा हर किसी को परेशान करने वाली बात नहीं होनी चाहिए।

आपने धारा 3 में आयातकर्ता को छूट दी है कि 25 हजार से 50 हजार रुपये तक का वह माल ले सकते हैं, मैं कहना चाहूंगी निर्माता को भी वही 50 हजार रुपये है तो इनको एक लाख तक की छूट आपको देनी चाहिए। यह मेरे कुछ सुझाव हैं।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री जी।

श्री शांतिलाल चपलोत : सभापति महोदय, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने फरमाया कि यह मेला लगना

(श्री शांतिलाल चपलोत)

चाहिए, वाकई में बहुत अच्छा सुभाव है और उस पर अब गम्भीरता पूर्वक विचार किया जायेगा। इसके साथ ही....

श्री प्रद्युम्न सिंह : कौनसे सुझाव पर ?

श्री शांतिलाल चपलोत : आपने मेले के लिए कहा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : थैंक यू। धन्यवाद।

श्री शांतिलाल चपलोत : मैं ब्याई सगों का पूरा ध्यान रखता हूं।

श्री सभापति : आप धन्यवाद बहुत उदारता से देते हैं।

श्री शांतिलाल चपलोत : इसके साथ ही आपने यह फरमाया कि इस तरह से जो वाहन आते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा से, उससे टैक्स की चोरी होती है तो उस चोरी को रोकने के लिए 4-3-92 को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि कोई भी व्हीकल आउट साइड का राजस्थान में हम रजिस्टर्ड नहीं करेंगे और जो राजस्थान से परचेज किया जाएगा, उसी को हम करेंगे Sale of whicles would be in this Rajasthan. यह होगा तभी हम यह करेंगे, जिससे इस टैक्स की चोरी पर काफी अंकुश लगेगा। यह जो मेले की बात आपने फरमायी है....

श्री प्रद्युम्न सिंह : मंत्री महोदय एक मिनट, मैं आपको इंट्रप्ट नहीं करना चाहता।

श्री शांतिलाल चपलोत : नहीं, आप फरमायें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं नयी व्हीकल खरीद कर लाया....

श्री सभापति : आप विराज जायें मंत्री जी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय मंत्री महोदय, मैंने नया व्हीकल खरीदा, रजिस्ट्रेशन उस स्टेट

(2.58 म.प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

में करा कर लाया। जब दुबारा बेचूंगा किसी को तभी तो आप रजिस्ट्रेशन की बात कहोगे। मैं उसी स्टेज पर डिस्पोज आफ कर आया, तब आप क्या करोगे ? आप हर चलती गाड़ी को थोड़े ही रोकोगे स्टेट के अन्दर कि मध्यप्रदेश का रजिस्ट्रेशन नम्बर है, किसी के पास हरियाणा का नम्बर है। मैंने मध्यप्रदेश से गाड़ी खरीदी, रजिस्ट्रेशन वहीं हुआ, उस गाड़ी को डिसपोज आफ भी दो वर्ष-तीन वर्ष बाद मैंने वहीं कर दिया, आप मुझे कहां रोकने जा रहे हो उसके ऊपर ? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप आज जो कानून निकालते हो, इसमें वह लोग बचकर निकल जाते हैं। इसमें लोगों का हैरेसमेंट होगा, करप्शन बढ़ेगा। आप सीधा सा अपने यहां आटोमोबाइल फेयर लगा दीजिए, आप देखिए आपकी आमदनी इससे बढ़ने वाली है। एक साल करके तो देख लीजिए मंत्री महोदय। इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री शांतिलाल चपलोत : उपाध्यक्ष महोदय, कल्ला साहब ने फरमाया कि टैक्स में कितना करोड़ रुपया बाकी है और मैंने 80 करोड़ बताया। मैं यह कह रहा हूं कि यह जितना भी बकाया है, वह 5-10 सालों से बकाया है और वह कुल मिलाकर 80 करोड़ बकाया है। इसके साथ ही आपने फरमाया कि ऐसा कौनसा मीर आपने मारा है 15 प्रतिशत, 14 प्रतिशत, 20 प्रतिशत। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वह कितने प्रतिशत बढ़ा है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस वर्ष कुल 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी सैल्स टैक्स में हुई है, पहले के सालों से 14-15 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय-कर (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विक्रय-कर (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया गया। राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1992 माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1992

श्री शांतिलाल चपलोत (विधि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1991 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा। बोलना चाहेंगी ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे एक दो बात ही कहनी है और ज्यादा नहीं है। डवलपमेंट में लीज की राशि को जोड़ना उचित नहीं रहेगा, मैं मान्यवर मंत्री महोदय से कहूंगी कि जरा इसको दिखवा लें, फिर कभी लायें तो ठीक रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कालीचरण सराफ। (अनुपस्थित) श्री बुलाकीदास कल्ला।

(3.00 म.प.)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1992 में 1952 की द्वितीय अनुसूची में कतिपय संशोधन कर विकास प्रभारों के ऊपर स्टाम्प ड्यूटी लगाने का प्रावधान इस एक्ट में किया गया है। मूल अधिनियम 1952 में बना और मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि इस सरकार के आने के बाद स्टाम्प ड्यूटी का भार गरीब तबके के ऊपर पड़ेगा। पिछले दिनों में जब समय-समय पर बजट और अन्य विधेयक पारित किये, उनका अवलोकन करने से यह स्पष्ट मालूम होता है कि यह सरकार पूंजीवादी और पूंजीपतियों की हिमायती सरकार है। मैं इस सम्बन्ध में उदाहरण देकर बताना चाहूंगा कि 10 लाख से ऊपर कोई भी प्रोपर्टी

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

खरीदती है उसमें स्टाम्प ड्यूटी में सरकार ने कोई परिवर्तन नहीं किया लेकिन जो व्यक्ति 40 हजार का मकान, 30 हजार का मकान, 20 हजार का मकान, लाख रुपये का मकान खरीदता है उसकी स्टाम्प ड्यूटी में वृद्धि कर दी है। और अब विकास प्रभार यदि आपको लगाना ही था तो आप लगाते दो लाख के ऊपर जो व्यक्ति प्रोपर्टी खरीद करेगा उस व्यक्ति के ऊपर, विकास प्रभार के ऊपर स्टाम्प ड्यूटी लगायें। लेकिन विकास प्रभार को आपने स्टाम्प ड्यूटी में सम्मिलित करके उस गरीब जनता के साथ धोखा किया है जिनसे आपने भुलावे में लाकर वोट लिये। लोगों ने यह समझा कि आप प्रगतिशील हैं, गरीबों के हिमायती हैं, गरीबों का ध्यान रखेंगे लेकिन आप गरीबों के शोषणकर्त्ता साबित हुये हैं। आज जो व्यक्ति कहीं ढ़ाई गज का झोंपड़ा बनाता है या कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि 50 गज, 100 गज जमीन खरीदता है उसके ऊपर 45 रुपये का विकास शुल्क लिया जाता है और इसको भी स्टाम्प ड्यूटी में सम्मिलित करके उसके ऊपर टैक्स लेना चाहते हैं। तो ऐसा लगता है कि सरकार की जो टैक्सेशन की पालिसी, स्टाम्प ड्यूटी वसूल की जो पालिसी है वह प्रोगेसिव नहीं है। वह पालिसी बिल्कुल दकियानूसी है और मैं इस पालिसी का विरोध करता हूं। चूंकि इस एक्ट में और तो कोई विशेष बातें हैं नहीं विकास प्रभारों को स्टाम्प ड्यूटी में सम्मिलित करने के बारे में कहा कि विकास प्रभार सम्मिलित करके स्टाम्प ड्यूटी ली जायेगी। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि सरकार चेते और चेत कर इस पर पुनर्विचार करे। स्टाम्प ड्यूटी यदि आप विकास प्रभार को सम्मिलित कर लगाना चाहते हैं तो 2 लाख से ऊंची सम्पत्ति का कोई भी विक्रय करें उस पर आप स्टाम्प ड्यूटी में विकास प्रभार को सम्मिलित कर सकते हैं या विकार प्रभार को सम्मिलित करके स्टाम्प ड्यूटी उसके ऊपर लगा सकते हैं लेकिन गरीब लोगों के ऊपर यदि आपने स्टाम्प ड्यूटी विकास प्रभार को जोड़ कर लगाना शुरू किया तो हम इसका निश्चित रूप से विरोध करेंगे। इसलिये मैं उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को एक माह के लिये जनमत जानने के लिये परिचालित करने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री शांतिलाल चपलोत (विधि राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, किसी गरीब पर टैक्स लगाने का प्रश्न नहीं उठता है। यह टैक्स इस बात के लिये लिया जा रहा है कि कई बार औद्योगिक क्षेत्र में प्लाट ले लेते हैं और उस पर विकास शुल्क लगता है उसकी ही राशि वह देता है जो प्लाट की राशि है। उसके साथ-साथ विकास की जो राशि जोड़ी जाती है उसके अनुरूप स्टाम्प ड्यूटी लगनी चाहिये उसी के लिये यह किया गया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में पेज-41 पर यह स्पष्ट कर दिया कि हम रिहायशी प्लाट के लिये किसी प्रकार का टैक्स लगाने नहीं जा रहे हैं, उन लोगों पर जिन के लिये आप फरमा रहे हैं कि आप पैसे वालों से नहीं ले रहे हैं यह उन्हीं

(श्री शांतिलाल चपलोत)

पर भार पड़ेगा। मैं इसका एक्स्ट्रक्ट्स सुना देता हूं। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 के द्वितीय परिशिष्ट के आइटम संख्या 35 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें लीज पर मुद्रांक कर लिये जाने का प्रावधान है। औद्योगिक प्रोजनार्थ आवंटित की जाने वाली भूमि की कीमत, अन्य विकास व्यय के साथ, विकास शुल्क के नाम से वसूल की जाती है। किन्तु न्यायिक निर्णयों के कारण विकास शुल्क पर मुद्रांक कर लिया जाना सम्भव नहीं है। अतः उक्त प्रावधानों में संशोधन प्रस्तावित है जिससे विकास शुल्क पर भी मुद्रांक कर का आरोपण हो सकेगा। इस संशोधन से लीज पर दी जाने वाली आवासिया भूमि के विकास शुल्क पर मुद्रांक कर नहीं लगे, कानून में संशोधन के उपरान्त, आवश्यक अधिसूचना जारी कर दी जावेगी। मैं, अपने बजट भाषण के उपरान्त, राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1992 पुनःस्थापित करूंगा। अर्थात् इसके लिये नोटिफिकेशन निकाल देंगे जो रिहायशी मकान है। किन्तु बहुत बड़े भाग को नहीं जोड़ा जा सकता और आप जानते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपने टैक्स में कितनी बढ़ोतरी की है, किस तरह किया है और कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। बिना ग्रीस गाड़ी चलाना मुश्किल है और दुनिया भर की हमने रियायतें अब के कर प्रस्तावों में दी है। लोगों को बीज में फायदा दिया है। जो बीज इस तरीके से बेचे जाते थे खुले रूप से उन पर टैक्स नहीं था किन्तु थैलियों में जो बिकता था उन पर टैक्स लगता था। उन सबको हमने मुक्त किया है, किसानों को मुक्त किया है। छोटे-छोटे दस्तकारों को मुक्त किया है, सब को मुक्त किया है। तो स्टेट का काम चलाने के लिये आप सबकी सेवाओं की और आपके आदेशों की पालना करने के लिये कि यहां स्कूल खोल दो, यहां होस्पिल खोल दो, यहां यह कर दो, वहां यह कर दो। तो उन सब की पालना के लिये बिना ग्रीस अर्थात् बिना पैसे के नहीं हो सकता है उसी के अनुरूप हमने यह प्रस्तावित किया है और मैं यह समझता हूं माननीय सदस्य गण इसका अनुमोदन फरमायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1992 को जनमत हेतु परिचालित किया जाय ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

(श्री शांतिलाल चपलोत)

कि राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुरा ग्रमीण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि रेवेन्यू कोर्ट ने फैसला किया था कि इस प्रकार से डवलपमेंट राशि लीज की राशि में जोड़ करके नहीं लेनी चाहिये। तो उसके अनुरूप न करके उसके खिलाफ आप जायेंगे फिर चैलेन्ज हो जायेगा। तो मैं समझती हूं कि यह अव्यवहारिक स्थिति आपको उत्पन्न नहीं करनी चाहिये। विकास शुल्क जमा करने के ऊपर जो स्टाम्प ड्यूटी लगाने की आप बात कह रहे हैं वह नहीं करनी चाहिये। इससे कई अव्यवहारिकतायें पैदा होंगी। आप इस पर ध्यान कर लें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ एक दो बातें इनसे जानना चाहूंगा कि विकास प्रभार को स्टाम्प ड्यूटी के लिये जोड़ने के लिये किन-किन राज्यों में ऐसा प्रावधान किया हुआ है या सिर्फ राजस्थान में ही ऐसा हो रहा है। दूसरा, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आप स्माल स्केल इण्डस्ट्री को इससे अलग रखेंगे? भारी उद्योगों के ऊपर आपने विकास प्रभार स्टाम्प ड्यूटी में सम्मिलित करने की बात कही है। तो क्या मैं यह जान सकता हूं कि स्माल स्केल इण्डस्ट्री की परिभाषा में जो इण्डस्ट्री आती है उनको आप इसमें से निकालेंगे। बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किन-किन राज्यों में किया गया है। यह तो काफी जगहों पर है।....

श्री बुलाकीदास कल्ला : जगहों के नाम बताइये।

श्री शांतिलाल चपलोत : हां, मैं बता दूंगा। जहां तक स्माल स्केल इण्डस्ट्री में छूट दी जानी है। यह जो नोटिफिकेशन निकलेगा बाद में अभी पारित करने के पश्चात् उसमें विचार कर लिया जायेगा। स्माल स्केल को छोड़ना है, बड़ों को लेना है, किस तरह करना है। माननीय सदस्यों के सुझावों का उसमें स्वागत करेंगे जब नोटिफिकेशन इस बात का निकलेगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : रिहायशी मकानों पर नहीं लगायेंगे यह घोषणा की है आपने।

श्रीमती उजला अरोड़ा : विधान सभा में जब आप लाये हैं तो आपको सम्पूर्ण लाना चाहिये। विधान सभा को बाई पास करके फिर एक और आदेश निकालेंगे। फिर आप लागू करेंगे। आप इसको सम्पूर्ण रूप से लाते तो कम से कम हमारा दिमाग भी साफ होता कि आप क्या करने वाले हैं। आप इस बात को क्यों नहीं मानते कि आप रेवेन्यू कोर्ट के फैसले के कारण से इसको लाये हैं।... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप फाइनेंस सेक्रेटरी से जवाब दिला दें। मंत्री महोदय वहां जाकर पूछ कर आते हैं। यह हाउस की परम्पराओं के विपरीत है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, पूछने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : तैयारी करके आना चाहिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह आसन की रूलिंग है। ऐसा नहीं हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रद्युम्नसिंह जी, प्लीज।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह परम्पराओं के विपरीत है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : नों-नों विपरीत नहीं है। माननीय मंत्रीजी। जवाब दीजिए।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो किसी प्रान्त में लगता है या नहीं लगता है, इसकी पूरी जानकारी नहीं है। इसका पता लगाया जायेगा। उसके बाद बताया जायेगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कहीं पर भी स्टाम्प ड्यूटी नहीं लग रही है यह राजस्थान में लगती है आप अंदाज लगा लीजिए कि राजस्थान सरकार क्या करने जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : कोई नयी बात नहीं है।

श्री शांतिलाल चपलोत : इससे क्या होता है। हम तो विकास करना चाहते हैं और विकास के लिए कर लगाना चाहते हैं। इसके लिए आपकी सहमति चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय।

अनेक माननीय सदस्य : हां।

अनेक माननीय सदस्य : नां।

अनेक माननीय सदस्य : नोज हैव इट।

श्री उपाध्यक्ष : मैं पुनः पूछ लेता हूं प्रश्न यह कि राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय ?

अनेक माननीय सदस्य : नोज हैव इट (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। घण्टी बजाइये।

(मत विभाजन सूचक घण्टी)

(3. 12 म. प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष पदासीन)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित **किया गया।**

अनुदान की मांगें

मांग संख्या-36 सहकारिता की प्रस्तुति

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 36- सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 78 करोड़, 76 लाख, 50 हजार तक की राशि प्रदान की जाए।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सुनाई नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : दुबारा बोल दीजिए।

श्री चतुर्भुज वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 36- सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 78 करोड़ 76 लाख 50 हजार तक की राशि प्रदान की जाय।

मांग संख्या 37–कृषि की प्रस्तुति

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण विश्नोई।

श्री रामनारायण विश्नोई (उर्जा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 37-कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को 1 अरब 53 करोड़ 76 लाख 47 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जाय ?

मांग संख्या 36–पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 36 मुख्य शीर्षक, सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,'

श्री अमीन खां (शिव)

1. प्रत्येक 200 की जनसंख्या व पटवार मण्डल में एक ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)

2. किसानों को सहकारिता का सही लाभ दिलाने हेतु कारगर कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मी चन्द मेहता (सांचौर)

3. सहकारी समितियों में प्रबन्धकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

4. जालौर जिले में किसानों के माफ किये गये सहकारी कर्जों का मुक्ति पत्र जारी न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर)

5. सहकारिता क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)

6. प्रदेश में कर्ज मुक्ति अभियान चलाने के बावजूद भी पूर्ण रूप से कर्ज माफ करने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

7. प्रदेश की सहकारी समितियों के अध्यक्ष, मंत्री व व्यवस्थापकों द्वारा गबन की गई राशि को वसूल करने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

8. कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के सहकारी क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सहकारी समिति के सदस्यों को खाद व बीज दिलाने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

10. सवाई माधोपुर सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, सवाई माधोपुर में अनुसूचित जाति का नियुक्ति व पदोन्नति में बैकलाग पूरा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)

11. तिलम् संघ में की गई नियुक्तियों में हुयी कथित अनियमितताओं के उपरान्त भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

12. विभाग द्वारा गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा किये गये भू-आवंटन में बरती अनियमितताओं की जांच हेतु लगाये गये शिविरों में भारी भ्रष्टाचार करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा)

13. खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)

14. सहकारीता विभाग एवं इससे सम्बन्धित निगमों, बोर्डों एवं संघों द्वारा प्रदेश की एक फर्म से लाखों रुपयों

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

का माल ऊंची कीमत पर खरीद कर राज्य कोष को हानि पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

15. हाउसिंग कापरेटिव सोसायटी से सम्बन्धित समस्याओं को हल करने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

16. प्रदेश में सहकारिता के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्य सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां)

17. सहकारी आन्दोलन को जन आन्दोलन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. सहकारी क्रय विक्रय समितियों की दयनीय आर्थिक स्थिति को सुधारने के उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. गृह निर्माण सहकारी समितियों के लगाये गये शिविरों में उनके द्वारा की गई अनियमितताएं सामने आने पर भी उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शांति लाल (राजसमन्द)

20. तिलम संघ द्वारा किसानों से सरसों क्रय नहीं करने पर भी उसमें किये जा रहे विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

21. राज्य सरकार द्वारा सहकारिता के माध्यम से ग्रामीणों को समय पर ऋण, खाद, बीज उपलब्ध नहीं कराने, सस्ती आवश्यक सामग्री सहकारी दुकानों पर उपलब्ध नहीं होने, ग्रामीण क्षेत्र में बने गोदामों का उपयोग नहीं करने–ग्राम सेवा सहकारी समितियों के निष्क्रिय हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा)

22. सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र कुमार परमार (आसपुर)

23. डूंगरपुर जिले में सहकारिता विभाग के कर्मचारियों की मनमानी करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)

24. डूंगरपुर जिले में सहकारिता आन्दोलन को गति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

25. डूंगरपुर जिले में सहकारिता के माध्यम से उचित मूल्यों की दुकान खोलकर खाद्य सामग्री, खाद एवं बीज

(श्री नाथूराम अहारी)

वितरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नौरवा)

26. सहकारिता के माध्यम से खाद्य सामग्री का वितरण कराने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिए।

27. सहकारी समितियों का पुनर्गठित कर ग्राम पंचायत हैड क्वार्टर वाईज सहकारी समिति बनाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी)

28. झुंझुनू जिले की पंचायत समिति चिड़ावा को मुकाना ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव में हुई अनियमितता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

29. सहकारी संस्थाओं के बचे हुए चुनावों को अविलम्ब कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

30. इन्द्रगढ़ (बूंदी) तहसील में किसानों को भूमि विकास बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

31. केशवरायपाटन (बूंदी) सहकारी शुगर मिल में किसानों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाने पर भी उसे दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

1. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा)
2. **श्री जीतमल जैन** (अलवर)

32. सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त किये जाने की आवश्कता पर चर्चा के लिए।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर)

33. सहकारी समितियों के चुनाव के लिए बजट में प्रावधान न होने से बांसवाड़ा जिला की लेम्पस सहकारी समितियों का समय पर चुनाव नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

34. राज्य सरकार द्वारा किसानों को समय पर सहकारी ऋण उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

35. बांसवाड़ा जिले में सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक द्वारा किसानों को खाद, बीज वितरण की समुचित व्यवस्था नहीं करने पर भी किए जा रहे विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिए।

36. बांसवाड़ा जिले के राजस्थान सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा 394 बोरी शक्कर का पिछले वर्ष 1991 में चोरी व रसद विभाग बांसवाड़ा द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज करने पर भी कोई अग्रेत्तर कार्यवाही नहीं होने पर भी संघ को दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री सोमा भाई (बागीदोरा)

37. बागीदोरा क्षेत्र में सहकारी समितियों द्वारा कृषकों को समय पर खाद, बीज

(श्री सोमा भाई)

ऋण सुविधा उपलब्ध न कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री भंवरलाल (सुजानगढ़)

38. जिला चूरू में भूमि विकास बैंक व को-आपरेटिव बैंक के जिला स्तरीय चुनाव नहीं होने पर भी किये जा रहे विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिए।

39. भूमि विकास बैंक लि. चूरू की शाखा सुजानगढ़ से हटाने से हो रही असुविधा पर भी किए जा रहे पूंजी विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा)

40. सहकारी क्षेत्र में गुलाबपुरा में स्थित राजस्थान स्पीनिंग एण्ड विविंग मिलस में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच नहीं कराने पर भी किये जा रहे विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये।

41. विभाग द्वारा सहकारी क्षेत्र में विजय नगर (अजमेर) में सूत मिल की स्थापना नहीं करने पर भी किये जा रहे विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये।

42. बी. के. उपभोक्ता भण्डार ब्यावर में असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार पर लगे भ्रष्टाचार की जांच कर दोषी को निलम्बित नहीं करने पर भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

43. क्रय विक्रय सहकारी समिति केकड़ी में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच नहीं होने पर भी दी जाने वाली सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

44. सहकारी समितियों के चुनाव के लिये बजट में प्रावधान न रखने से अपूर्ण चुनावों को पूर्ण न कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप मीणा (रायसिंह नगर)

45. चूरू केन्द्रीय सहकारी बैंक में आडिट द्वारा गबन प्रमाणित किये जाने के पश्चात व संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाये जाने के निर्देश जारी करने के पश्चात भी कार्यवाही नहीं होने पर भी किये जा रहे विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

46. राज्य सरकार द्वारा कृषकों के कर्जे माफी पेटे को-आपरेटिव बैंकों को पूरा धन ना देने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

47. भीलवाड़ा होल सेल भण्डार में मिली भगत से खरीदा गया कपड़ा वर्षों से पोते पड़ा रहने से लाखों के ब्याज की हानि होने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

48. भीलवाड़ा जिले की कई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के आडिट न होने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(श्री बंशीलाल पटवा)

49. भीलवाड़ा जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के घाटे में चलने पर भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

50. ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों द्वारा किये गये गबन की राशि वसूल न करने पर भी दी जाने वाली राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीलाल (आसीन्द)

51. सहकारी संस्थाओं के चुनाव शीघ्र कराने के लिए बजट में प्रावधान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

52. व्यवस्थापकों का स्थाईकरण तथा उनके सेवा नियमों में सुधार कर संस्था के प्रति उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. सहकारी संस्थाओं द्वारा अल्पावधि के ऋणों का समय पर न मिलना और उसका सदुपयोग न करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री घासीलाल चौपड़ा (टोडारायसिंह)

54. भूमि विकास बैंकों से किसानों द्वारा लिए जाने वाले ऋण प्रक्रिया का सरलीकरण नहीं होने से उत्पन्न कठिनाई पर भी किये जा रहे विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री मोतीलाल मीणा (स. माधोपुर)

55. सवाई माधोपुर जिले की ग्राम सेवा सहकारी समिति वरदाला में पूर्व अध्यक्ष द्वारा लाखों रुपये का गबन किये जाने की जांच न करवाने पर भी दी जाने वाली सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

56. सहकारिता में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर काबू पाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. जिला सवाई माधोपुर में ग्राम सेवा सहकारी समिति में 5 से 10 वर्ष तक एक ही जगह पर कार्यरत व्यवस्थापक तथा सहायक व्यवस्थापकों द्वारा गरीब किसानों के नाम से फर्जी ऋण उठा लेने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) :

58. भूमि विकास बैंकों एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों के एकीकरण के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) :

59. नागौर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के व्यवस्थापकों को बिना वजह द्वेषपूर्ण भावना से निलम्बित करने एवं पदावनति करने से उत्पन्न रोष पर भी किए जा रहे विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये।

60. नागौर केन्द्रीय सहकारी बैंक में किये गये गबन घोटालों की जांच नहीं होने पर भी किए जा रहे विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(श्री बिरधाराम चौधरी)

61. नागौर केन्द्रीय सहकारी बैंक में रोक के बावजूद भी अनियमित नियुक्तियां करने पर भी किए जा रहे विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये।

62. नागौर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध नहीं कराने से किसानों को होने वाले नुकसान पर भी किए जा रहे विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्रीमती मदन कौर (गुडामालानी) :

63. भूमि विकास बैंकों में ऑवर हैड खर्च अत्यधिक होने पर भी की जा रही विनियोजन राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

64. विभाग द्वारा गुडामालानी, सिवाना और पचपदरा तहसील क्षेत्रों को जालौर तिलम संघ के अन्तर्गत नहीं लिये जाने पर भी किये जा रहे विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) :

65. केशवरायपाटन सहकारी शुगर मिल में प्रस्तावित डिस्टलरी प्लांट एवं गत्ता प्लांट की शीघ्र स्वीकृति जनहित एवं मिल हित में नहीं दिए जाने पर भी किए जा रहे विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये।

66. केशवरायपाटन क्षेत्र में गृह निर्माण सहकारी समितियों को विभाग द्वारा मान्यता प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. विभाग में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति का आरक्षित कोटा एवं बेकलॉग पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. प्रदेश की सभी स्तर की सहकारी संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिये पद आरक्षित नहीं करने से व्याप्त असन्तोष पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

69. केशवरायपाटन सहकारी शुगर मिल केशवरायपाटन के मिल क्षेत्र 15 से 20 किलोमीटर में कच्चा माल लाने ले जाने हेतु सड़कों एवं कृषक वर्ग को वांछित सुविधा मुहैया नहीं होने पर भी किए जा रहे विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मी नारायण दवे (सोजत) :

70. राज्य में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा राजकीय भूमियों का गलत नामान्तकरण करवाकर भूखण्ड विक्रय करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) :

71. प्रदेश में कृषि सहकारी समितियों द्वारा पूर्णतया असफल सिद्ध होने पर भी किये जाने वाले विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये।

72. प्रदेश में सहकारी समितियों के द्वारा सस्ते मूल्य की वस्तुओं का वितरण कराने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

73. विद्युत सहकारी समिति कोटपुतली

(श्री रामकरण सिंह)

महुवा, टोडाभीम की व्यवस्था भयंकर रूप से बिगड़ जाने पर भी सहायता देने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

74. बांसवाड़ा जिले की सहकारी संस्थाओं में भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने व दण्ड नहीं दिए जाने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

75. प्रदेश में सहकारी समिति पंचायत वाइज खोलने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल (राजसमन्द)

76. सहकारी ऋण वसूली नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा के लिये।

77. सरसों के व्यापक उत्पादन के बावजूद तिलम संघ फतह नगर ईकाई द्वारा सरसों का क्रय प्रारम्भ नहीं करने से किसानों को हो रही आर्थिक हानि पर भी उसमें किये जा रहे विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल)

78. तिलम संघ द्वारा कार्यालय भवन में सजावट के नाम पर किये गये धन के दुरुपयोग एवं खरीद में किये जा रहे घोटालों पर भी किए जा रहे विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये।

79. सरसों व रायड़ा का तिलम संघ, जालौर द्वारा क्रय करने में आ रही बाधा पर भी किए जाने वाले विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री मनीराम (लूणकरणसर)

80. लूणकरणसर पंचायत समिति क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत हैड क्वार्टर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति आवश्यक रूप से गठित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. लूणकरणसर क्षेत्र में लघु सीमांत कृषकों को उत्तम किस्त के बीज एवं खाद एवं कीटनाशक दवाएं सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. बीरजेर पंचायत समिति में पंचायत वार ग्राम सेवा सहकारी समितियां गठित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. ग्राम सेवा सहकारी समितियों में समय-समय पर आडिट आक्षेपों की पूर्ति व बकाया वसूली न होने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण (मेड़ता)

84. सैन्ट्रल कॉ-आपरेटिव बैंक, नागौर द्वारा किसानों के ऋण वितरण में धांधली तथा मनमाने रूप से पक्षपात तरीके से ऋण देने से व्याप्त असंतोष पर भी किए जाने वाले विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये।

85. सहकारी संस्थाओं के चुनावों में व्याप्त धांधली एवं मनमानी कार्यवाही को

(श्री रामकरण)

रोकने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा)

86. सहकारिता में जन मानस को सहभागी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

87. ग्रामों में कृषि सुधार सम्बन्धी विभिन्न भांति के ऋण सहकारिता के माध्यम से उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

88. ग्राम सेवा सहकारी समितियों के मुख्यालय पर सेवाभावी कर्मचारियों के न होने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

89. ग्रामों में बने ग्रामीण सहकारी गोदामों की जीर्ण-शीर्ण हालत को नहीं सुधारने पर भी किये जाने वाले विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

90. सहकारी, बैंक द्वारा कृषकों को मध्यकालीन, अल्पकालीन व दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था आवश्यकतानुसार नहीं किए जाने पर भी किए जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं)

91. बेगूं और रावतभाटा में कुकिंग गैस तथा दवाइयां क्रय-विक्रय सहकारी समिति के माध्यम से उपलब्ध कराने में सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिये ।

92. क्रय-विक्रय सहकारी समिति बेगूं द्वारा निर्मित काटुन्दा मोड़ बीज गोदाम को पूर्ण न करने व निर्माण में किये गये घोटालों की जांच नहीं कराने पर भी दी जा रही सहायता राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा)

93. राजस्थान भण्डार व्यवस्था निगम में हेन्डालेग एजेन्ट द्वारा 480 टीन क्रय कराने पर भी निगम में किए जा रहे विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं)

94. सहकारी समितियों के चुनाव के लिए बजट प्रावधान नहीं रखे जाने से बेगूं तहसील की सांगवा ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा)

95. खादी औद्योगिक उत्पादक सहकारी समिति लि. के व्यवस्थापक के विरुद्ध गबन एवं रिकार्ड में हेराफेरी एवं धन के दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

96. पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. जोधपुर के पूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध आरोप की जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

97. बालोतरा में सहकारी खाद्य भण्डारण की उपयुक्त व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(श्री चम्पालाल बांठिया)

98. अरबन कॉ-आपरेटिव बैंक बालोतरा में अनुसूचित जाति के लिपिक के पद व्याप्त अंकों में छूट नहीं देने से खाली रहने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

99. बाड़मेर जिले में सहकारिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल (परबतसर)

100. दी नागौर सेन्ट्रल कॉ-आपरेटिव बैंक लि. नागौर के घोटालोंव आडिट द्वारा निकाली गई रिक्वरी व अन्य शिकायतों की जांच न किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. सहकारी बैंक नागौर द्वारा तहसील परबतसर में खरीफ की फसल पर समान रूप से ऋण वितरण नहीं करने पर भी किये जाने वाले विनियोजन के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम (जहाजपुर)

102. ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. बिशनिया, भीलवाड़ा के पूर्व व्यवस्थापक द्वारा की गई गबन की राशि की वसूली की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया)

03. जिला श्रीगंगानगर में सादुलशहर की सहकारी दुकान की कार्य प्रणाली में भ्रष्टाचार की जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. गंगानगर के सहकारी होलसेल भंडार की गैस वितरण व्यवस्था में भ्रष्टाचार होने पर भी दी जाने वाले सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

105. सहकारी स्पीनिंग मिल हनुमानगढ़ के भूतपूर्व अध्यक्ष के गबन की जांच व वसूली की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को बैंक से तनख्वाह देकर उन्हें विभाग का कर्मचारी माना जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरोसीलाल (हिण्डौन)

107. हिण्डौन तहसील के ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव में धांधली एवं हिण्डौन तहसील के किसानों से जबरदस्ती ऋण वसूल किये जाने पर भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

108. गृह निर्माण सहकारी समितियों एवं गृह निर्माण ऋणदात्री समितियों में भारी अनियमितताओं पर भी विभाग द्वारा उचित कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न जन-आक्रोश पर चर्चा के लिये।

109. गृह निर्माण सहकारी समितियों को भंग करके शीघ्र चुनाव कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. उपभोक्ता संघ की दुकानों पर और अधिक दवायें उपलब्ध कराने तथा दूर

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

बड़े अस्पतालों के पास चौबीस घंटे चलने वाली अतिरिक्त दुकानें खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. सहकारिता क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर नियन्त्रण में विभाग की अक्षमता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजराज मीणा (टोंगोद)

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग)

112. ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा काश्तकारों को समय पर खाद-बीज हेतु ऋण दिलवाने की तथा सहकारी समितियों का समय पर आडिट करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजराज मीणा (टोंगोद)

113. कोटा जिले में सहकारी संस्थाओं में गबन-घोटाले की राशि की वसूली के लिए प्रभावी कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114. कोटा भूमि विकास बैंक शाखा सुल्तानपुर व सांगोद द्वारा ट्यूब वैल के लिए काश्तकारों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा)

115. सहकारी संस्थाओं के चुनाव में धन के दुरुपयोग व फर्जी कार्यवाहियों को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. सहकार आन्दोलन में आई कमजोरियों एवं व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. जिला झुंझुनूं की कालियासर ग्राम सेवा सहकारी समिति के तुरन्त चुनाव कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण वर्मा (ननवा)

118. सहकारी संस्थाओं के उप नियमों को बदलकर अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति एवं कमजोर वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कम किये जाने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।

119. उपभोक्ता होलसेल भण्डारों के वाहनों के दुरुपयोग से संस्थाओं को हो रहे नुकसान से व्याप्त असन्तोष पर दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

120. कोटा उपभोक्ता भण्डार में दवाइयों की आपूर्ति दवा कम्पनी एवं उसके मुख्य संग्रहकर्ता से नहीं की जाकर प्रबन्धकों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के बाद भी दी जाने वाली सहायता पर चर्चा के लिये।

121. कोटा उपभोक्ता होलसेल मण्डार में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

(श्री रामनारायण वर्मा)

122. कोटा उपभोक्ता होलसेल भण्डार के सम्बन्ध में चल रही जांच कार्यवाही में जांचकर्त्ता अधिकारियों द्वारा दोषियों को बचाने की कोशिश करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री दिलसुखराय चौधरी (फतेहपुर)

123. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर द्वारा पी. डी. पी. एम. कम्पनी की दवाओं पर 12 प्रतिशत छूट की जगह 4 प्रतिशत छूट पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को कोटेशन देकर संघ को 8 प्रतिशत के घाटे से उत्पन्न स्थिति के बाद भी अनुदान देने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

124. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर द्वारा राजापार्क में वातानुकूलित बाजार में दुकानें लेने से संघ में घाटा होने की स्थिति होने के बाद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

125. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर के प्रबन्ध संचालक द्वारा कर्मचारियों व अधिकारियों को डराने-धमकाने से उत्पन्न स्थिति के बाद भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

126. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर द्वारा राज्य सरकार के 2 करोड़ 20 लाख रुपये जो कि खाड़ी युद्ध की समाप्ति पर वापिस जमा कराने थे नहीं कराकर अनियमितता करने से उत्पन्न स्थिति के बाद भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

127. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर के अधिकारियों द्वारा पूर्ण समय कार्यालय में नहीं रहने से एवं इधर उधर निजी कार्य करने पर भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल जैन (अलवर)

128. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर की समस्त शाखाओं के विक्रय केन्द्रों द्वारा समस्त सामग्री पर क्रय दर पर डिस्काउन्ट एवं स्कीम काटकर एवं 10 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर होने वाले मूल्य एवं 1-2-92 से लागू विक्रय मूल्यों में भारी अन्तर के बाद भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

129. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर को डी. एम. एच. एस. (राज.) की सप्लाई में भारी घाटा होने की स्थिति के बाद भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

130. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर द्वारा उपहार की समस्त शाखाओं से समस्त सामग्री महंगी दरों पर विक्रय किये जाने पर

(श्री जीतमल जैन)

भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

131. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर की मेडिकल शाखाओं द्वारा कई दवाइयों के क्रय मूल्य में 100 प्रतिशत से 150 प्रतिशत तक मुनाफा लेकर विक्रय करने पर भी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

132. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर द्वारा नकली दवाइयों की बिक्री ऊपर की ऊपर दवाएँ लाकर करने पर भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल)

133. राजस्थान राज्य उपभोक्ता भण्डार लि. जयपुर की मेडिकल शाखा में बिना बोर्ड के निर्णय एवं बिना राज्य सरकार की अनुमति व नियमों के विरुद्ध रिकार्ड में हेराफेरी से उत्पन्न स्थिति के बाद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

134. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर द्वारा चाकसू क्रय विक्रय संघ की ऑयल मिल लेने से संघ को होने वाली हानि के बाद भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

135. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर द्वारा केन्द्र से मिलने वाले चीनी व्यवसाय हेतु मार्जिन मनी मीटिंग में भाग न लेकर सहकारिता के क्षेत्र को करोडों की हानि पहुंचाने के बाद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

136. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर द्वारा जवाहर नगर जयपुर में होटल व्यवसाय शुरूकर संघ को भारी घाटा पहुंचाने के बाद भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

137. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर में लाखों रुपयों की शार्टेज की राशि की वसूली कर्मचारियों से नहीं करने के बाद भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

138. तिलम संघ की परियोजनाओं हेतु मशीनरी एवं अन्य उपकरण के क्रय में हुई अनियमितताओं के बाद भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

139. तिलम संघ में नियुक्तियों व पदोन्नतियों में हुई अनियमितताओं के बाद भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री गुलाब सिंह (सुमेरपुर)

140. सुमेरपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति

(श्री गुलाब सिंह)

लि. द्वारा संचालित बन्द पड़ी ऑयल मिल में कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों द्वारा प्रतिदिन अनैतिक कृत्य किये जाने से उत्पन्न स्थिति के बाद भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

141. सुमेरपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. द्वारा संचालित ऑयल मिल को पुनः आरम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. सुमेरपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. के संचालक मण्डल का कार्यकाल समाप्त हो जाने के फलस्वरूप बोर्ड भंग कर प्रशासक नियुक्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. सुमेरपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. द्वारा राशन के गेहूं तथा शक्कर को कम मात्रा में तोलने तथा तोलने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने से पूर्व मार्ग में ट्रकों से गेहूं तथा शक्कर निकाली जाने के बाद भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

144. पुराड़ा ग्राम कृषक सहकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा पिछले कई वर्षों से उक्त सहकारी समिति को अपने निजी व्यवसाय की तरह उपयोग करने व आज तक सही ऑडिट नहीं किये जाने के बाद भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री फूलचन्द (नीम का थाना)

145. नीमका थाना उपखण्ड की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के बड़े गांवों में गोदाम न बनने से हो रही हानि पर, भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

146. ग्राम सेवा सहकारी समितियों के सचिवों को नियमित न करने से उनमें फैल रहे असन्तोष पर चर्चा के लिये।

147. ग्राम सेवा सहकारी समितियों के मैनेजरों द्वारा किये गये गबन के खिलाफ कार्यवाही समय पर न होने से हो रहे असन्तोष पर चर्चा के लिये।

148. तिलम संघ झुन्झुनू की सुचारू व्यवस्था न होने पर भी दी जाने वाली सहायता के, औचित्य पर चर्चा के लिये।

149. नीमका थाना उपखण्ड की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में खाद, बीज, चीनी व अन्य सामान का वितरण व्यवस्थित समय पर न होना व अनियमितताओं के कारण वितरण व्यवस्था बिगड़ने के बाद भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा (फागी)

150. जयपुर में गृह निर्माण सहकारी समितियों में हुये घोटालों की

(श्री प्रकाशचन्द-बैरवा)

जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

151. ग्राम पंचायत पीपली व पंचायत हरसुलीयां की ग्राम सेवा सहकारी समिति अलग बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 37 (कृषि) पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-37 मुख्य शीर्षक कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जाय।

श्री अमीन खां (शिव)

1. रेगिस्तानी क्षेत्रों में खरीफ की खेती के लिए किसानों को उन्नत बीज न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)

2. राजस्थान में किसानों को कृषि उपकरण एवं खाद उचित मूल्य पर नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करोली)

3. सवाई माधोपुर जिले में कृषकों को पर्याप्त सुविधाएें नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मी चन्द मेहता (सांचोर)

4. पूर्व सचिव कृषि उपज मण्डी सांचोर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर)

5. चुरू जिले में कृषि के लिए अच्छे किस्म के खाद बीज उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

6. पंचायत समिति खण्डार व पंचायत समिति सवाई माधोपुर में कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा स्वीकृत सड़कें नहीं बनाने के उपरान्त भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

7. उप निदेशक कृषि सवाई माधोपुर द्वारा कृषकों को खाद व बीज वितरण में किये गये लाखों रुपये के घोटालों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची)

8. पाली जिले में क्षारीय व लवणीय भूमि को जिप्सम द्वारा सुधारे जाने एवं क्षारीय व लवणीय भूमि सुधार हेतु ग्राम कास्तकारों को शत प्रतिशत सबसीडी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा)

9. कृषि विभाग के कृषि विस्तार कार्यकर्त्ताओं को पंचायतों से जोड़ने तथा

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

उनके मुख्यालय पंचायत पर अनिवार्य करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. कृषि कार्यकर्त्ताओं और अधिकारियों को ग्रमीण क्षेत्रों एवं जनता की ओर अधिक प्रेरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. पंचायत समिति क्षेत्रों में किसानों के यहां बीज तैयार कराये जावें ताकि लाने व लेजाने में अनावश्यक व्यय भार नहीं बढ़े की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. कृषि अधिकारी जिला व उप खण्ड के कार्य की समीक्षा प्रति माह करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. कृषि विभाग द्वारा समय पर बीज की व्यवस्था तथा एक माह पहले से ही समयानुकूल बीज की जानकारी किसानों को देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)

14. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में चार वर्ष तक की सेवा पूरी करने के उपरान्त कतिपय कनिष्ठ लिपिकों को सेवामुक्त करने एवं व्याप्त भ्रष्टाचार के बाद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

15. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में स्नातकोत्तर कक्षाएं कृषि विषय एवं गृह विज्ञान में प्रारम्भ न करने तथा कृषि विषय में सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय उत्तीर्ण विद्यार्थियों को सीधे प्रवेश बी. एस. सी. एग्रीकल्चर प्रथम वर्ष में न मिलने के बाद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

16. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के बोर्ड ऑफ मैनेजमैंट द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बन्धित, निदेशक, कृषि विस्तार एवं निदेशक कृषि अनुसंधान तथा अन्य मुख्य कार्यालय, मुख्यालय बीकानेर पर लाये जाने के निर्णय के उपरान्त भी अभी तक इन कार्यालयों के बीकानेर स्थानान्तरित न करने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

17. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के अन्तर्गत कृषि अभियांत्रिकी विद्यालय में प्रवेश हेतु अलग परीक्षा आयोजित करने के बाद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा)

18. किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती की जानकारी देने के लिए ग्राम सेवकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शांतिलाल (राजसमन्द)

19. रेलमार्ग तहसील में हिन्दुस्तान जिंक

(श्री शांतिलाल)

के कारण उत्पन्न जल अभाव से कृषि व्यवसाय को धक्का लगने की स्थिति के बारे में चर्चा के लिये।

20. सरसों के भावों की कमी के कारण किसानों को हो रही हानि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

21. प्रदेश में किसानों को समय पर खाद, बीज एवं दवाईयां उपलब्ध कराने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

22. प्रदेश में कृषि विभाग में सेवारत अधिकारियों-कर्मचारियों की उपयोगिता जनहित में नहीं रहने से इन पर हो रही फिजूल खर्च पर चर्चा के लिये।

श्री घासी लाल (टोडारायसिंह)

23. किसानों को ऋण उपलब्ध कराने सम्बन्धी समस्या के समाधान हेतु विभागीय सहायता की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा)

24. कृषि विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र कुमार परमार (आसपुर)

25. डूंगरपुर जिले में कृषि की उन्नति हेतु प्रभावी कार्यवाही की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)

26. डूंगरपुर जिले में अकाल में फसल बचाने हेतु विभाग द्वारा कारगार कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. डूंगरपुर जिले में कृषि विकास की उन्नति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्भय लाल (रूपवास)

28. रूपवास में कृषि को बढ़ावा देने के लिये सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाया जाने एवं बोरिंग करवाने में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा)

29. किसानों को उन्नत किस्म का बीज समय पर उपलब्ध कराने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

30. कृषि हेतु कुआ बनाने में काश्तकारों को विभाग द्वारा कोई सहयोग नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

31. राज्य में कृषि उपज मंडियों का विकास करने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

32. कृषि मण्डियों द्वारा समय-समय पर दुकानों व रिहायसी प्लाटों के उचित आवंटन में व सड़क निर्माण आदि कराने में विफलता के उपरान्त भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी)

33. फसलों को होने वाली बीमारियों पर छिड़के जाने वाली कीटनाशक दवाईयों के अप्रभावी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

34. फसल बीमा योजना शीघ्र लागू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

35. कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा कृषकों को उनके उपज की राशि व्यापारियों से दिलाने हेतु प्रयास न किये जाने पर भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

36. कृषि उपज मण्डी समिति इटावा (कोटा) में रोण तथा जोरावरपुरा स्वीकृत सड़कों पर शीघ्र कार्य नहीं कराने पर भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए ।

37. कृषि उपज मण्डी समिति इटावा (कोटा) में पेयजल हेतु ट्यूब वेल तथा कुआं बनाकर विकास न करने पर भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर)

38. राज्य सरकार द्वारा जिला बांसवाड़ा में डग वेल स्कीम को धीमी गति से लागू करने पर चर्चा के लिये ।

39. जिला बांसवाड़ा में कृषि हेतु फव्वारा स्कीम लागू करने हेतु कृषकों को अनुदान देकर प्रेरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

40. बांसवाड़ा जिले में कृषि विभाग द्वारा खाद, बीज व मशीनों आदि का लाभ अनुसूचित जन जातियों को नहीं दिलाने की स्थिति पर चर्चा के लिये ।

41. बांसवाड़ जिले में माही की नहरों से सीपेज के कारण कृषि योग्य भूमि खराब होने से रोकने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये ।

42. जिला बांसवाड़ा में आदिवासी इलाकों में फलदार पौधों का विस्तार नहीं करने की स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री जुबेर खां (रामगढ़)

43. कृषि अनुसंधान केन्द्र नौगांवा (अलवर) को कृषि विद्यालय बनाने में विभागीय प्रयासों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

44. प्रदेश में कृषि बीमा योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती रमा पायलट (हिण्डोली)

45. कृषकों को अच्छी किस्म का खाद-बीज उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

46. जिला मुख्यालय सवाई माधोपुर में अब तक कृषि मण्डी यार्ड न बनने के फलस्वरूप सवाई माधोपुर की जनता

(श्री चुन्नीलाल)

में व्याप्त भारी असन्तोष पर चर्चा के लिये।

47. कृषि मण्डी सवाई माधोपुर के द्वारा बनाई गई सड़कों की नगण्य संख्या और इन पर किसी प्रकार का कार्य नहीं होने से किसानों व जनता में भारी रोष व्याप्त होने के बाद भी दी जाने वाली सहायता पर चर्चा के लिये।

48. जिला सवाई माधोपुर में किसानों की पैदावार को लाने व ले जाने के लिए किसी पंचायत हैड क्वाटर्स को कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा सड़कों से नहीं जोड़े जाने से किसानों में व्याप्त असन्तोष के बाद भी राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड को दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री गोपला सिंह (आहोर)

49. ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रो बेस उद्योग लगाने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. क्षारीय जमीनों को सुधार कर कृषि योग्य बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा)

51. किसानों को समय पर कृषि विकास हेतु ऋण दिलाने की व्यवस्था कराने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

52. ब्यावर कृषि उपज मण्डी समिति के कर्मचारियों द्वारा कृषकों द्वारा लाई गयी सामग्री के तौल में होने वाली हेरा फेरी न रोक पाने के उपरान्त भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

53. अजमेर जिले में कृषकों को शिक्षित करने के लिये पंचायत समिति मुख्यालय पर प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

54. किसानों को समय पर खाद-बीज उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

55. भीलवाड़ा कृषि फार्म का खेती हेतु भरपूर उपयोग न करने से हो रही आर्थिक हानि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

56. कृषकों को वर्षा ऋतु की फसल के समय विभाग द्वारा खाद-बीज समय पर मुहैया न कराने से हुई हानि के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

57. कृषि विकास पर राज्य भर में कारगर ढंग से ध्यान न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

58. कृषकों की उपज का भाव सही दिलाने तथा कम पानी से होने वाली खेती के सम्बन्ध में किसानों को समग्र

(श्री बंशीलाल पटवा)

पर सुझाव देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. भीलवाड़ा जिले में फलदार पौधों की नर्सरी हेतु राज्य सरकार की योजना को कृषि विभाग द्वारा समय पर क्रियान्विति न करने से किसानों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री शम्भुदयाल बड़गूजर (केकड़ी)

60. चूरू कृषि उपज मण्डी क्षेत्र के अन्तर्गत दो वर्ष पूर्व से स्वीकृत सम्पर्क सड़क कोटवाद ताल, धाधू से दान्चू दुधवाखारा से रणवा की ढ़ाणी सम्पर्क सड़क छाजुसर के निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं होने पर भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा)

61. पहाड़ी जिला डूंगरपुर में छोटी जोत में नये प्रकार के कृषि के तरीके विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मी लाल (आसीन्द)

62. कृषकों को उन्नत बीज खाद, औजार, पौध संरक्षण दवाइयां आदि समय पर सही तरीके से उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. कृषि के आधुनिक तरीके तथा नये तकनीकी ज्ञान को कृषकों तक पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घासी लाल (टोडारायसिंह)

64. क्षेत्र टोडारायसिंह में कृषि हेतु फव्वारा के लिए सबसीडी सुलभ करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. खाद बीज बुवाई से पूर्व हर वितरण एजेन्सियों में उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोतीलाल (सवाई माधोपुर)

66. सवाई माधोपुर विधान सभा क्षेत्र में विवाद में पड़ी कृषि मण्डी जो तीन वर्ष पूर्व बन जानी चाहिये थी, के अभी तक नहीं बनने पर भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

67. सवाई माधोपुर विधान सभा क्षेत्र में कृषि मण्डी से बनाये जाने वाली सम्पर्क सड़कों को समय पर पूर्ण न किये जाने पर भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

68. सवाई माधोपुर में कृषि अधिकारियों व सहायक कृषि अधिकारियों द्वारा असली व उन्नत खाद, बीज वितरित नहीं करवाये जाने के फलस्वरूप किसानों में व्याप्त आक्रोश पर चर्चा के लिये।

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर)

69. भरतपुर जिले में तिलहन उत्पादक सहकारी समितियों के सैकड़ों सदस्यों को दोषपूर्ण बीज से फसल नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

70. राज्य में कृषि नीति निर्धारित नहीं करने के बारे में चर्चा के लिये।

71. भरतपुर जिले में सरसों की फसल में हुए भारी नुकसान के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

72. कृषि उत्पादन के किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाये जाने में राज्य सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

73. फसलों के प्राकृतिक प्रकोप से नष्ट होने पर राज्य सरकार द्वारा समुचित क्षतिपूर्ति न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती मदन कौर (गुढ़ामालानी)

74. खजूर और खारक की खेती एवं ड्रिप सिचाई पद्धति के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. कृषि तकनीक के प्रचार, प्रसार और उन्नत कृषि उपकरणों को खेतों तक पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. विकसित देशों द्वारा अपनाये गये उन्नत हल से मृदा संरक्षण पर अनुकूल प्रभाव पर चर्चा के लिये।

77. जीरे और ईसबगोल की उन्नत खेती के लिये उन्नत बीज उपलब्ध कराने एवं रोग नियंत्रण पर अनुसंधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन)

78. प्रदेश में सभी तहसील स्तरों पर विभागीय पौध संरक्षण यूनिटें पुनः शुरू करवाई जाकर कृषक वर्ग को तकनीकी जानकारी गांव एवं खेत तक पहुंचाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. प्रदेश में आधुनिक तकनीक को ग्रामीण कृषकों तक पहुंचाने हेतु हर पंचायत स्तर पर ग्राम विस्तार कार्यकर्त्ता (पर्यवेक्षक) को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र लगवाया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. प्रदेश में कृषि पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित कर कृषक वर्ग के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. विभागीय अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में दौरे एवं रात्रि विश्राम तथा त्रिमाही कृषक दिवसों (फील्डडे) पर विशेष कार्यक्रम बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मी नारायण दवे (सोजत)

82. कृषकों से मेहन्दी क्रय कर विदेशों में निर्यात करने की समुचित

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

व्यवस्था करने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

83. मेहन्दी की फसल का उचित मूल्य निर्धारित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. मेहन्दी उत्पादन में बढ़ोतरी हेतु कृषकों को मेहन्दी लगाने में रियायत दर पर ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. मेहन्दी उत्पादक काश्तकारों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. मेहन्दी उत्पादक संघ की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली)

87. कृषि विभाग में तहसील स्तर पर कृषि प्रचार के लिये अनावश्यक पदों को समाप्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. किसानों को बीज व खाद समय निकलने के बाद व्यवस्था की जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

89. कृषि औजार बनाने वालों को कच्चा सामान लोहा आदि सस्ता मिलने के बाद भी किसानों को सस्ती कीमत पर औजार दिलाने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

90. जिपसम खाद आवश्यकता के आधार पर किसानों को सप्लाई करने में विभाग की असफलता की स्थिति पर पर चर्चा के लिये।

91. कृषि विज्ञान अनुसंधान केन्द्र गोनेड़ा कोटपूतली में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मनीराम (लूणकरणसर)

92. लूणकरणसर कृषि मण्डी एरिया में व्यापारियों को स्थान न देने तथा पुराने बाजार में पूरा कन्ट्रोल न होने से मण्डी शुल्क की चोरी होने की सम्भावनाओं पर भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

93. बीकानेर की ऊन मण्डी काफी समय से बनने के बाद भी शिफ्ट नहीं होने पर भी दिये जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

94. लूणकरणसर के काश्तकारों को उन्नत बीज, खाद एवं कीटनाशक दवाएं अनुदानित दरों पर दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में कृषि मण्डी द्वारा अपनी सड़कों के उचित रख-रखाव न करने पर भी दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

96. बीकानेर से अलग हुई खाजूवाला कृषि मण्डी की आमद का खाता खाजूवाला बैंक में कृषि मण्डी खाजूवाला के नाम से ही खोला जाने तथा उसी क्षेत्र के

(श्री मनीराम)

विकास को प्राथमिकता की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकरण (मेड़ता)

97. किसानों को उर्वरकों, कीटनाशक दवाईयों व प्रामाणिक बीजों के वितरण, सबसीड़ी एवं अन्य सुविधायें देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. कृषि विश्व विद्यालय, बीकानेर के उप कुलपति द्वारा जातिवाद, पक्षपात व अवैध रूप से प्राध्यापकों के चयन करने से उत्पन्न स्थिति पर भी दिये जाने वाले अनुदान पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं)

99. बेगूं कृषि उपज मण्डी का ट्यूब वैल चालू कर टंकी भरने एवं पेयजल संकट को दूर न करने के बाद भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

100. चित्तौडगढ़ जिले में किसानों को भूमि के खाते की पास बुक उपलब्ध कराने एवं पास बुक बताने पर खाद, बीज एवं कीटनाशक औषधियों पर अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. कृषि उपज मण्डी बेगूं द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत कराने एवं नई सड़के बनाने में असफलता के बाद भी दिये जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा)

102. कृषि उपज मण्डी समिति में सबसे अधिक आय देने वाले क्षेत्र गुढ़ागोड़ जी मण्डी तथा उदयपुरवाटी क्षेत्र से होने वाली आय को अनुपात के अनुरूप गुढ़ा तथा उदयपुरवाटी क्षेत्र में सड़कों के निर्माण में हुई भयंकर अनियमितता तथा पक्षपात कर सड़क निर्माण की घोर उपेक्षा के बाद भी दी जाने वाली सहायता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल जैन (अलवर)

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा)

103. गेहूं में रोली, जौ में रेसा, तिलहन में चेपा से फसलों को होने वाली बीमारी की रोकथाम के लिए तथा किसानों को राहत देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

104. अकृषि भूमि को कृषि योग्य बनाने की योजना बनाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा)

105. पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में कृषि कुओं में जल स्तर नीचे जाने पर भी विभाग द्वारा कोई वैकल्पिक योजना न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

106. प्रदेश में फसल बीमा योजना प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल (परबतसर)

107. जिला नागौर में कृषि उपज मण्डी समिति कुचामन सिटी द्वारा समान रूप से सड़कों के निर्माण नहीं कराने के बाद भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

108. जिला नागौर कृषि विभाग द्वारा खरीफ की फसल या रबी की फसल के समय खाद बीज के वितरण करने में बरती जा रही शिथिलता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज)

109 किशनगंज, शाहबाद में रेतावन से सेवनी सड़क निर्माण, किशनगंज से रानी बडोद, रामगढ़ से रामगढ़ माता जी तक, देवरी से मोपल, सहथल तलहरी से शाहबाद सड़क तक की स्वीकृति कृषि उपज मण्डी द्वारा नहीं करने के बाद भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

110. बांरा कृषि उपज मण्डी में किसानों की समस्या हल न करने व सचिव कृषि उपज मण्डी बांरा के कार्यस्थल पर उपस्थित न रहने के बाद भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

111. कृषि उपज मण्डी सड़क खाण्डा सहरोल, खिरिया सड़क की मरम्मत एवं सड़क निर्माण में गुणवत्ता की जांच कराने में शिथिलता के बाद भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

112. कृषि उपज मण्डी द्वारा देवरी से बीलखेड़ा माल सड़क, केलवाड़ा से लक्ष्मीपुरा, केलवाड़ा से ग्राम की सड़क (दाता) अधूरी सड़कों को पूरा करने एवं सड़क निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच की आवश्यकता के बाद भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

113. कृषि उपज मण्डी बांरा द्वारा मण्डी शुल्क का व्यय किशनगंज क्षेत्र व शाहबाद क्षेत्र में न कर बांरा क्षेत्र में ही व्यय करने के बाद भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री शिवजीराम (जहाजपुर)

114. माननीय पूर्व कृषि मंत्री महोदय द्वारा 7 मार्च, 1990 को जहाजपुर में की गई घोषणा के अनुसार मण्डी से धांधोला एवं जालमपुरा अप्रोच रोड़ का निर्माण न करवाने पर भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया)

115. कृषि उपज समिति जोधपुर की फल मण्डी में 40 किलो की जगह 44 किलो माल तुलवाकर कम लिखने के बाद भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

116. गंगानगर में गेहूं के बीज का भाव तय करते समय विभाग द्वारा केन्द्र के अनुदान का समायोजन न किये जाने पर

(श्री हेतराम बेनीवाल)

चर्चा के लिये।

117. गांव में केवल 4 कृषकों को ही छांट कर कृषि विस्तार कार्यक्रम का ज्ञान करवाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

118. कृषि विभाग के पेस्टी साइड्स पर दिये जाने वाले अनुदान में कम्पनियों से सांठ-गांठ कर किसानों से अधिक कीमत वसूलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री घासीलाल (टोडारायसिंह)

119. कृषि उपज मंण्डी समिति टोडारायसिंह द्वारा ग्रामीण सड़कें, अरियाली से हमीरपुर, इन्दोकिया से हमीरपुर, बोदुन्दा से टोडारायसिंह, पवालिया से भारनू व अन्य ग्रामीण सड़कों के निर्माण न किये जाने पर भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

120. कृषि उपज मण्डी समिति देवली द्वारा ग्रामीण सड़कें थावला से मालेडा, बीजवाड़ से रामथेला चौकी, देवली से बोरडा, कुशालपुरा से राजमहल, देवपुरा से गांवडी सड़कों के निर्माण न किये जाने पर भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

121. क्षेत्र टोडारायसिंह के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों हेतु नाली निर्माण व पाईप लाइन के लिये किसानों को सबसीड़ी देने में सुलभ प्रक्रिया बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

122. किसानों तक कृषि अनुसंधान के लाभ पहुंचाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. छोटे गरीब किसानों को खाद, बीज आदि में दी जाने वाली सबसीडी में कटौती नहीं किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजराज मीणा (दीगोद)

124. कोटा कृषि उपज मण्डी समिति कोटा की गौण मण्डी सुल्तानपुर के यार्ड की बाउन्ड्री वाल का निर्माण करवाने में शिथिलता पर भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

125. कोटा कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा अब तक मण्डी समिति क्षेत्र सुल्तानपुर में एक भी सम्पर्क सड़क नहीं बनाये जाने की स्थिति के बाद भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

126. कृषि उपज मण्डी समितियों की कमजोर आर्थिक स्थिति से जन-उपयोगी निर्माण कार्य नहीं करवा पाने पर भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

127. कोटा कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा निर्मित सड़कों की हालत बड़ी खराब है इनकी प्राथमिकता के आधार पर

(श्री बृजराज मीणा)

मरम्मत न करवाने के बाद भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा)

128. आदिवासी क्षेत्रों में कृषि को प्रमुखता प्रदान कर विकसित करने की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. जन जाति क्षेत्रों में कृषि को नवीनतम तरीकों से विकसित कर कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद (वैर)

130. तहसील वैर के लिंक रोड वैर से लखनपुर, लिंक समराय से गुढ़ाकर, समराया से डमरोड़ लिंक रोड, लिंक रोड मोरदा से सुहास तक को सड़क नहीं बनाने पर भी कृषि विपणन बोर्ड की दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

131. रूपवास विधान सभा क्षेत्र के गांव बोकोली से ओड़ेल जाट तक पक्की सड़क न बनाने पर भी कृषि विपणन बोर्ड को दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

132. तहसील रूपवास में कृषि मण्डी यार्ड नहीं बनाने पर भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

133. वैर तहसील के कस्बा भुसावर एवं वैर में कृषि उपज मण्डी नहीं खुलने से उत्पन्न जन आक्रोश पर भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री राजपालसिंह शेखावत (बनीपार्क)

134. कृषि उत्पादन के मामले में राज्य को सुसम्पन्न बनाने एवं हरित-क्रान्ति को नई दिशा प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

135. उन्नत किस्म के बीजों, उर्वरक, पौध संरक्षण उपाय एवं कृषि की नवीन तकनीक के उपयोग से राज्य में उत्पादन वृद्धि की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा)

136. कृषि एवं विपणन को बढ़ावा देने हेतु गांवों में अनाज के भण्डार हेतु भवनों के लिए ज्यादा धन राशि के आवंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. झुन्झुनू कृषि उपज मण्डी समिति में व्यापारियों को तुरन्त दुकानें आवंटित कर कार्य शुरू करने में विलम्ब के उपरान्त भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

138. अलसीसर एवं झुन्झुनू पंचायत समितियों में कृषि उपज मण्डी द्वारा स्वीकृत सड़कों का कार्य पूर्ण कराने में विलम्ब के उपरान्त भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(डा. चन्द्रभान)

139. किसानों को उन्नत एवं प्रमाणित बीज समय पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. झुन्झुनू जिले में शुष्क खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा)

141. वर्ष 77-78 में स्वीकृत कृषि मण्डी सड़क अजेता-रायथल का कार्य प्रारम्भ करने में की जा रही देरी से व्याप्त असंतोष पर भी दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिए।

142. बून्दी जिला मुख्यालय पर उपनिदेशक (कृषि) का पद पूर्ववत स्थापित करने में सरकारी उदासीनता पर चर्चा के लिये।

143. रायथल में सहायक कृषि प्रसार अधिकारी का पद सृजित किया जाने में हो रही देरी से क्षेत्र को होने वाले नुकसान की तरफ विभागीय ध्यान नहीं होने के कारण उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये।

144. मिट्टी की जांच करने हेतु जिला मुख्यालय बून्दी में प्रयोगशाला स्थापित करने में विभागीय विफलता से किसानों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

145. फसल बीमा योजना चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

146. टोंक जिले में विभाग की लापरवाही से उर्वरक एवं कीटनाशक दवाइयों पर समय पर अनुदान उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

147. टोंक विधान सभा क्षेत्र में सम्पर्क सड़कों की स्वीकृति जारी नहीं करने पर भी कृषि विपणन बोर्ड को दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

148. टोंक जिला मुख्यालय जो कि सब्जी उत्पादन का प्रमुख केन्द्र है, में फल फ्रूट मण्डी के तत्काल निर्माण में विलम्ब के उपरान्त भी कृषि विपणन बोर्ड को दी जाने वाली सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण)

149. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में काश्तकारों को उन्नत बीज बुवाई के समय उपलब्ध नहीं कराने से उनमें व्याप्त रोष पर चर्चा के लिये।

150. प्रदेश में फसल बीमा योजना लागू नहीं करने से किसानों में व्याप्त रोष पर चर्चा के लिये।

151. प्रदेश में कृषि पर्यवेक्षकों के अपने मुख्यालय पर नहीं रहने से काश्तकारों में व्याप्त रोष पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब सिंह (सुमेरपुर)

152. गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कृषि उत्पादों के विक्रय मूल्य में कमी से किसानों को हो रही आर्थिक हानि से

(श्री गुलाब सिह)

उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

153. कृषि उपज मण्डी समिति, सुमेरपुर में तौल कांटा पिछले तीन वर्षों से बन्द रहने से किसानों को हो रही आर्थिक हानि पर भी कृषि विपणन बोर्ड को दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

154. कृषि मण्डी यार्ड सुमेरपुर में नई दुकानों का किराया पुरानी बड़ी दुकानों से दुगने से अधिक होने से छोटे व्यापारियों को हो रही हानि पर भी कृषि विपणन बोर्ड को दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

155. सुमेरपुर कृषि उपज मण्डी समिति यार्ड में किसानों के लिये आवश्यक सुविधायें नहीं होने पर भी कृषि विपणन बोर्ड को दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

156. कृषि उपज मण्डी समिति सुमेरपुर की सलाहकार समिति की बैठक में लिये गये प्रस्तावों एवं निर्णयों में से एक की भी क्रियान्विति नहीं किये जाने से कृषकों एवं ग्राम ग्रामीणों को हो रही परेशानी पर भी कृषि विपणन बोर्ड को दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमका थाना)

157. नीमका थाना कृषि उपज मण्डी परिसर में किसान आवास गृह न होने से फैल रहे असंतोष पर भी कृषि विपणन बोर्ड को दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

158. नव निर्मित कृषि उपज मण्डी नीमका थाना में पूर्ण स्टाफ न होने पर भी कृषि विपणन बोर्ड को दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

159. कृषि सुपरवाइजर पाटन (सीकर) द्वारा अनुदान के बीज, खाद व फव्वारा सैटों में किये गये भ्रष्टाचार की शिकायत के बावजूद कार्यवाही न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

160. नीमका थाना उपखण्ड की कृषि उपज मण्डी समिति की सड़कों की मरम्मत न कराने पर भी कृषि विपणन बोर्ड को दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

161. नीमका थाना विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1991-92 की स्वीकृत कृषि उपज मण्डी को सड़कों का निर्माण नहीं कराने पर भी कृषि विपणन बोर्ड को दी जा रही सहायता के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री शिव किशोर सनाढ्य (उदयपुर)

162. राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के विरुद्ध शैक्षणिक प्रशासनिक व वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें होने पर उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये ।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा (फागी)

163. कृषि उप निदेशक का कार्यालय फागी या चाकसू में खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 36 व 37 पर विचार

श्री अध्यक्ष : मेरे पास 28 नाम बोलने वालों के हैं। इसलिए बोलते समय अपने समय का ध्यान रखें। श्री रघुवीर सिंह कौशल।

श्री रामनारायण वर्मा : आपने व्यवस्था दी थी कि यह-यह माननीय सदस्य भी बोलेंगे। उसी प्रायोरिटी से उनको पहले लें। पार्टी का नाम बाद में लें।

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था नहीं दी थी कि वह पहले बोलेंगे। वह बोलेंगे यदि सचेतकों ने नाम नहीं दिये हैं तो भी मैं नाम जोड़ दूंगा। वह जरूर बोलेंगे। श्री रघुवीरसिंह कौशल।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : अध्यक्ष महोदय, ग्राम सेवा सहकारी समिति सहकारिता रूपी भवन की नींव है। यदि ग्राम सेवा सहकारी समितियां मजबूत होंगी। तो को-आपरेटिव मूवमैण्ट मजबूत होगा। यदि ग्राम सेवा सहकारी समितियां कमजोर होंगी तो यह सहकारिता का भवन चरमराकर ढह जायेगा।

आज अध्यक्ष महोदय, ग्राम सेवा सहकारी समितियों को बैंक कर्जा देती है और कर्जा वसूल करती है। सहकारी समिति पर जितना कर्जा होता है उस हिसाब से ग्राम सेवा सहकारी समिति के जो सदस्य हैं वह जब पैसा जमा कराते हैं तो पहले, बैंक अपना ब्याज जमा करता है। मूल जमा नहीं करता है। जैसे एक सदस्य ने पांच हजार रुपये अपने मूल के और एक हजार रुपया ब्याज का जमा कराया तो मूल का पैसा मूल में जमा नहीं होता है मूल और ब्याज दोनों मिलाकर बैंक पहले अपना ब्याज चुकाती है तो ग्राम सेवा सहकारी समिति का जो मूल का पैसा आया उस पर तो ब्याज काटना बंद कर दिया और बैंक में ब्याज चालू रहा। आज स्थिति यह हो गयी है कि असल कर्जा है उसमें असंतुलन पैदा हो गया है। जितना पैसा बैंक सोसायटी में है उतना पैसा सोसायटी का सदस्यों पर नहीं है। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बात कह रहा हूं तो मंत्री महोदय को शायद अपनी बात समझा पाया या नहीं समझा पाया।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि बैंक का जितना रुपया सोसायटी पर उधार है उतना पैसा सोसायटी का अपने सदस्यों पर उधार नहीं है और यह जो असंतुलन पैदा हुआ पूंजी का इसका प्रमुख कारण यह है कि बैंक अपने ब्याज में ही सारा पैसा जमा करता है और सोसायटी में मूल पैसा उसमें आ जाता है तो मूल का पैसा मूल में और ब्याज का ब्याज में यदि जमा हो तो सोसायटी जिन्दा रह सकती है वर्ना आज सोसायटी की यह स्थिति हो गई है कि एक लुहावास सोसायटी है जिसमें कोई गड़बड़ घोटाला नहीं है और केवल इस गलत जमा खर्च के कारण उसमें 12 लाख का असंतुलन पैदा

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

हो गया है। याने बैंक का 12 लाख रुपया सोसायटी की तरफ ज्यादा कर्ज है, और सोसायटी का अपने सदस्यों की तरफ 12 लाख रुपया कम बकाया है। इतना पैसा सोसायटी पर कम कर्जा है। और बैंक मुनाफा बता रहे है। कोटा का बैंक जिसकी अच्छे बैंकों में गिनती है उसमें 4 करोड़ 8 लाख रुपये का असंतुलन है। बैंकों का सोसायटीज पर बकाया है जो सोसायटीज का सदस्यों पर है ही नहीं। अब बैंक अपने आपको धोखे में रख रहा है। बैंक अपने आप को प्राफिट में बता रहा है। इस 4 करोड़ 8 लाख का ब्याज होता है 56 लाख रुपये। यह 56 लाख रुपया अस्तित्व में है ही नहीं। यह 4 करोड़ 8 लाख रुपया अस्तित्व में है ही नहीं, जो अस्तित्व में नहीं है बैंक उसका ब्याज लगा रहा है उसको प्राफिट बता रहा हैं और उसका डिविडेंड बांट रहा है। आज अगर यह असलीयत पता नहीं लगाई गई तो यह सोसाइटीज थोड़े दिनों में कर्जे के नाम पर अपना बस्ता देंगी कि हमारे पास बस्ता है इस बस्ते को ले जाओ। मैं कोटा बैंक की सोसाइटीज अगर आपको गिनाने लगूं तो एक पंचायत समिति की मैंने यह 13 सोसाइटीज गिनाई हैं। किसी पर 12 लाख का असंतुलन है किसी पर 8 लाख का है, किसी पर 6 लाख का है किसी पर 4 लाख का है। इस प्रकार एक बैंक का 4 करोड़ 8 लाख रुपया है यदि एवरेज दो करोड़ माना जाये तो राजस्थान में 50 करोड़ रुपया ऐसा है जो अस्तित्व में नहीं है और बैंक इस पैसे का ब्याज लगाकर अपने आपको प्राफिट में बता रहा है। यह असंतुलन पैदा हो गया है और इसके कारण सोसाइटीज पर कर्जा बढ़ता जा रहा है। इसका नतीजा यह होगा कि थोड़े दिनों में सोसाइटियां चरमरा जायेंगी। कोटा में ऐसी सत्तर सोसाइटियां है। तो इस असंतुलन को ठीक करने के लिए यह आवश्यक है कि इसको इग्नोर न किया जाये, आंख बन्द नहीं की जाये, यह विभाग की जानकारी में है। अपेक्षा बैंक ने ऐसी सहकारी समितियों की सूची मांग ली है लेकिन आप आंख बन्द मत करो, यह कई वर्षों से चर्चा का विषय हो रहा है। सोसाइटीज चरमरायेंगी तो बैंक चरमरायेंगे, बैंकों ने फर्जी मुनाफे बताए हुए हैं। जब बैंक चरमरायेंगे तो एपेक्स बैंक चरमरायेगा। सोसाइटी की नींव हिल गई तो यह आपका सहकारिता का क्षेत्र चरमराकर ढह जायेगा, यदि आपने इस पर विचार नहीं किया। कम से कम अब आप आज से तो यह तय कर लें कि इस असंतुलन को ठीक करें। किसी सदस्य का पैसा मूल में जमा हो, ब्याज का पैसा ब्याज में जमा हो। यह असंतुलन बड़ा भयानक है। यह बड़ी गम्भीर समस्या है। अध्यक्ष महोदय, यही स्थिति मार्केटिंग सोसाइटीज की हो रही है। मार्केटिंग सोसाइटीज के बारे में मैंने मंत्री महोदय से भी निवेदन किया था, सलाहकार समिति में भी बताया, कि आप यह तो देखिये राजस्थान में मार्केटिंग सोसाइटीज चल सकती है। उनके पास सोर्स आफ इन्कम क्या बच गया है केवल एक मोनोपोली बिजिनेस, फर्टीलाइजर का। इसके अलावा और कोई दूसरा काम बचा नहीं है। सोसाइटीज

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

घाटे में चली जा रही हैं। 66 सोसाइटीज, यदि मैं गलत नहीं हूं तो, पर 4 करोड़ रुपये का घाटा है। तो आप यह तो तय कीजिए कि सोसाइटीज को जिन्दा कैसे रखना है। इनको इन्जेक्शन लगाना है या इनको मरने देना है। इन्जेक्शन लगाना है तो इन्जेक्शन लगाओ और यदि मरने देना है तो इनको मरने दो लेकिन आप कुछ निर्णय तो करो कि इनको मरने देना है। डूबना है तो इनको डुबाओ। परन्तु आप एक निर्णय करें, इसकी उपेक्षा न करें, इस तरफ आप आखें बन्द न करें। मार्केटिंग सोसाइटीज को डुबाने का कारण क्या है। मंत्री महोदय के आदेश। आपको चीनी का काम करना पड़ेगा। चीनी के काम में जोड़, गुणा, भाग, बाकी ले लीजिये कण्ट्रोल के आइटम में घाटा ही घाटा है। जोड़, गुणा भाग बाकी से घाटा है। दो-दो लाख रुपया एक-एक मार्केटिंग सोसाइटी को घाटा होता चला जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जब यह निर्णय ले लिया कि किसी भी मार्केटिंग सोसाइटी को बाध्य नहीं किया जायेगा कि वह चीनी का धन्धा करे। मैं जहां का रहने वाला हूं मेरी सोसाइटी में दो लाख रुपये साल के, दस साल में 20 लाख रुपया घाटा हो गया। अच्छी खासी चलती हुई सोसाइटी को चीनी ले डूबी है। तो आप ऐसे निर्देश देते हैं तो लाइबिलिटी भी वहन कीजिए। आपने यदि निर्देश देकर घाटा पहुंचाया है तो आप उत्तरदायित्व भी वहन कीजिए। उस घाटे को पूरा कीजिए और मार्केटिंग सोसाइटी को जिन्दा कीजिए। वरना मार्केटिंग सोसाइटी के पास काम क्या बच गया है और यह जो मोनोपोली बिजिनेस है फर्टीलाइजर का, यह भी अब फैक्टरियां सीधे सोसाइटीज को देने लग रही हैं। तो या तो आप तय करें कि मार्केटिंग सोसाइटीज के फंक्शन्स क्या होंगे। यह क्या करने योग्य हैं। इनको चलाना है तो इनको फाइनेंस करना पड़ेगा। पैसा आप देंगे या नहीं देंगे। लेकिन इस तरफ ध्यान ही नहीं है। हो रहा है तो हो रहा है। ग्राम सभाएं डूब रही हैं तो डूब रहीं हैं। मार्केटिंग सोसायटी डूब रही है तो डूब रही हैं। इससे काम नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, यदि ग्राम सेवा पर ध्यान नहीं दिया गया तो बड़ा भारी अन्याय हो जाएगा क्योंकि सहकारिता क्षेत्र ही आज हमारे प्रदेश में और देश में हरित क्रान्ति लाई है। आज सहकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जो बाजार के भावों में सन्तुलन बना कर रखता है। यदि, मार्केटिंग सोसाइटीज के पास फर्टीलाइजर नहीं हो, तो बाजार में भाव बढ़ जायेंगे। मार्केटिंग सोसाइटीज बाजार में भाव कण्ट्रोल करती हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा आपका यह उपभोक्ता भण्डार क्या कर रहा है। यदि कोई व्यापारी डेढ़ा मुनाफा कमाये तो आप कहेंगे मुनाफाखोर है और आपका भण्डार दुगना मुनाफा कमा रहा है $2\frac{1}{2}$ गुना मुनाफा कमा रहा है, तो क्या यह सहकारिता का क्षेत्र मुनाफा कमाने के लिए है। आपका उपभोक्ता भण्डार आज दो गुनी, तीन गुनी कीमत पर दवाएं बेच रहा है

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

इसके लिए दोषी कौन है। क्या यह मुनाफाखोरी नहीं हैं? मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सहकारिता विभाग ने आपसे असत्य वक्तव्य दिलवाए। आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जो वक्तव्य दिया है उसमें कितने........ (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप मंत्री जी के खिलाफ ब्रीच आफ प्रिवेलेज लाइए आप में है ऐसी हिम्मत ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मेरी हिम्मत की बात आप मत करो। मान्यवर, आपने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जवाब में कहा है कि आपको ग्लुकोस की बोतल....

श्री अध्यक्ष : कितने मिनट आप बोलेंगे ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आप जितने मिनट कहें।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास 31 आदमी हैं। दस मिनट एक आदमी बोलेगा तो 310 मिनट होते हैं इसका मतलब 9½ बजे और दस मिनट से जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ही टाइम बढ़ता जाएगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ओपनिंग बेट्समेन है।

श्री अध्यक्ष : ओपनिंग इसमें नहीं होते हैं....

श्री प्रद्युम्न सिंह चतुर्वेदी जी, ओपनिंग बेट्समेन कभी-कभी जीरो पर भी आउट हो जाते है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मान्यवर, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप भण्डार पर कण्ट्रोल करें। जिस भण्डार ने आपसे वक्तव्य में वह कहलवा दिया कि 18 रुपये में ग्लुकोस की बोतल वह खरीदते हैं। यह आपने वक्तव्य में कहा है और वक्तव्य की कापी मेरे पास है। यदि आप 18 रुपये 31 पैसे में बोतल खरीदते हैं तो आपने मेडिकल डिपार्टमेंट को 10 रुपये 25 पैसे में लाखों बोतले सप्लाई करने का टेण्डर कैसे दिया। यह उस कम्पनी की प्राइस-लिस्ट मेरे पास है जिसमें आपको 9 रुपये में बोतल मिलती है और आपने वक्तव्य में कहा है कि आपका क्रय मूल्य 18 रुपये 31 पैसे है जिसको आप 19 रुपये 99 पैसे में बेच रहे हैं। दूसरा मैं मंत्री महोदय आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने यह वक्तव्य में कहा है कि यह बोर्ड का निर्णय है। भण्डार का बोर्ड कौन है, भण्डार का बोर्ड है प्रशासक। प्रशासन ने कोई निर्णय नहीं लिया। यह निर्णय फर्जी है आपके एम. डी. ने लिया है, प्रशासक ने जब उनके पास यह प्रस्ताव गया यह स्पष्ट लिखा है कि जब तक गवर्नमेण्ट की परमिशन न मिल जाये तब तक इसको इम्पलीमेंट न किया जाये। यह प्रशासक ने इस पर लिखा है। प्रशासक ही बोर्ड है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह कौन सा बोर्ड है जिसने यह निर्णय लिया था। प्रशासक ने मना किया और फिर यह कह रहे हैं कि यह निर्णय

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

1 तारीख को हुआ और आदेश निकाल रहे हैं 28 तारीख में। यह 28 तारीख के आदेश की कापी मेरे पास है।

एक माननीय सदस्य : यह कौन से बोर्ड का है ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह उपभोक्ता बोर्ड का है। उपभोक्ता बोर्ड कोई है नहीं, प्रशासक हैं। प्रशासक बोर्ड है। प्रशासक ने इन्कार कर दिया और प्रशासक के इन्कार करने के बाद भी यह आदेश आज भी चल रहा है और मंत्री महोदय से कहलवाया गया कि यह बोर्ड का निर्णय है। तीसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि आपको कहा गया कि फाइल गुम हो गई, यहां ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया, आप कहते हैं कि फाइल गुम हो गई, पुलिस इस चिन्ता में है कि एफ. आई. आर. असत्य लिखाई गई उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय जिन्होंने एफ. आई. आर. लिखवायी है। और बोर्ड का निर्णय तो रजिस्टर में होता है फाइल में कैसे निर्णय होता है ? वह रजिस्टर खो गया क्या ? फाइल खोने की रिपोर्ट दर्ज है, बोर्ड का रजिस्टर तो है अभी वहां। मान्यवर मंत्री महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह गम्भीर स्थिति है कि आप 10 रुपए पच्चीस पैसे की बोतल बाइस रुपए में बेच रहे हैं। यह आप दूना फायदा उठा रहे हैं। इसी प्रकार ग्लूकोज चढ़ाने की नलकी 6 रुपए की बजाय 19 रुपए में बेच रहे हैं। यह मुनाफाखोरी का सबसे बड़ा उदाहरण है।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल बोर्ड ने, भण्डार ने जो रेट बढ़ायी है, किन परिस्थितियों में बढ़ायी है। पहले भी एक बार उपभोक्ता भण्डार ने यह कोशिश की थी कि रेट बढ़ायी जाय। जब ओतिमा बोदिया फाइनेंस सेक्रेटरी थीं उन्होंने आदेश दिया कि आप 10 प्रतिशत मुनाफे से ज्यादा मुनाफा नहीं ले सकते। यह फाइनेंस सेक्रेटरी का आदेश है। इसके बाद एक बार और आदेश हुआ जब कीमत बढ़ाने की बात आयी। तब भी सेक्रेटरी ने इन्कार कर दिया। आज आपके भण्डार के एम. डी. की यह औकात हो गयी कि फाइनेंस सेक्रेटरी का आदेश एक तरफ प्रशासक का आदेश नहीं और उन्होंने आदेश जारी कर दिए कि दूने और ढाई गुने भाव पर दवाइयां बेच दी जायं। अध्यक्ष महोदय, यह पैसा पड़ता किस पर है ? 80 प्रतिशत लोग सरकारी कर्मचारी हैं। दो करोड़ का जो मुनाफा कमाया जाएगा वह सरकार की जेब से आएगा। तो ये धोखा किसको दे रहे हैं ? मैं, मंत्री महोदय, इस विषय में आपको चेताना चाहता हूं कि आप इसकी जांच कराएं। जो तीनों बातें मैंने बतायी हैं। जो आप से गलत वक्तव्य दिलाया गया है; इसके लिए जिम्मेदार कौन है। मंत्री महोदय, आप कोआपरेटर रहे हैं, आप जानते हैं कि क्या सोसाइटी दूना मुनाफा कमा सकती है। आपको एक सूचना और दे दूं कि आपने मेडिकल डिपार्टमैण्ट को जो दी हैं 10 रुपए 25 पैसे में, यह कैसे दे दीं ? जब 18 रुपए में आपके पड़ता खाता है तो आप 10 रुपए 25 पैसे में कैसे दे रहे हैं ? आज बाजार में सस्ती मिल रही हैं दवाइयां, क्योंकि वे टैक्स नहीं जोड़ते, दूने फायदे में

(170)

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

बेच देते हैं और ये दूने फायदे में टैक्स जोड़ते हैं। इनकी बोतल मंहगी है। जो टेण्डर दिया है आपने मेडिकल डिपार्टमैण्ट में, इसमें 12 प्रतिशत कमीशन मिलता है, अध्यक्ष महोदय। मेडिकल डिपार्टमैण्ट को जो टेण्डर दिया है वह जिस दिन सैक्शन हो जाएगा, आपके यहां कागजों में लिखा-पढ़ी हो गयी है कि 12 प्रतिशत कीबजाय 4 प्रतिशत कमीशन मण्डार को मिलेगा। 8 प्रतिशत कहां जाएगा ? यह पता नहीं, 8 प्रतिशत कमीशन कहां जाएगा। ये जो सारी बातें हैं, मंत्री जी, इन पर आप गम्भीरता से विचार करें। समय का अभाव है वर्ना आपके मण्डार की एक-एक बात यहां रखने के लिए आज मसाला बहुत लाया था।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपके पास कोई मसाला नहीं है, एग्जास्ट हो गया मसाला आपका।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप तो सरकार का मण्डा तो फोड़ दो।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मैं समझ रहा हूं। मैं जब आपके जमाने की पोल खोलने लगूंगा कि आपके जमाने में क्या हुआ, सब चुपचाप बैठ जाओगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप तो खोल ही डालो। आप खोलिए।

श्री हरि सिंह (महुआ) : हम मांग कर रहे हैं, आप हमारी भी पोल खोलें।

श्री यदुनाथ सिंह : बी. जे. पी. और कांग्रेस मिली हुई हैं, ये नहीं खोल सकते एक-दूसरे की पोल। खोलो न फिर।

श्री अध्यक्ष : आप सभी लोग अपना अपना दिल खोल लीजिए।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, अब यह मण्डार कुछ और करतब दिखाने जा रहा है। चाकसू क्रय विक्रय सहकारी समिति से आइल मिल, जो लाखों रुपए के घाटे में है, परचेज कर ली है। अब उपभोक्ता मण्डार तेल मिल चलाएगा। अब उपभोक्ता मण्डार जवाहर नगर में एक होटल चलाएगा। अब उपभोक्ता मण्डार जे. डी. ए. का ए. सी. मार्केट, जो बिक नहीं रहा उसको खरीदेगा। दवाइयों में करतब बता दिए, अब इनमें करतब दिखाए जाएंगे। होटल चलाएगा होटल आपकी सुविधा के लिए। ए. सी. मार्केट चलाएगा, सुपर मार्केट। मण्डार के दिन आ गए हैं अब, यह इस बात का सबूत है।

मान्यवर, एक-दो सुझाव इस विषय में देना चाहूंगा। होलसेल मण्डार का फिजिकल वैरिफिकेशन किसने किया ? कब हुआ है ? क्या ऐसे आदेश नहीं हैं कि सहकारी विभाग का आदमी फिजिकल वैरीफिकेशन करे ? आप सात दिन में फिजिकल वैरिफिकेसन करा लीजिए, लाखों रुपए का घोटाला निकलेगा। डिपार्टमैण्ट के लोग उसका फिजिकल वैरिफिकेशन करते हैं। फिजिकल वैरिफिकेशन वास्तव में होता ही नहीं है, कागजों में फिजिकल वैरिफिकेशन होता है। आप इस होलसेल मण्डार को

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

बचाना चाहते हैं तो इसकी तरफ विशेष रूप से ध्यान दे लें, मंत्री महोदय, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। वैसे आप मुझे कुछ मजबूर-से दिख रहे हैं। मैं जो बात कह रहा हूं उससे आपको कुछ वेदना हो रही है या नहीं हो रही है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। इतना बोलने के बाद मैं आपके चेहरे की तरफ देखता हूं तो एक्शन रीएक्शन कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं माननीय सदस्य।

श्री हरिकुमार औदिच्य : जो आप चाह रहे हैं वही कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, आप प्रोवोक मत होइये, शान्त रहिए बोलिए आप।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय को सहकारिता में उन्होंने जो हलचल मचायी है उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। एक तो, प्रद्युम्न सिंह जी, यह हलचल मचायी है कि जिन अपेक्स सोसाइटीज के चुनाव आपने 20-20 साल तक नहीं कराये और कुछ तो ऐसी हैं जिनकी स्थापना से ही चुनाव नहीं हुए, मुझे मन्त्री महोदय पर यह विश्वास है, उन्होंने सदन में घोषणा की है कि 6 महीने के अन्दर-अन्दर सारी अपेक्स सोसाइटीज तक चुनाव हो जाए गे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : तभी तो अजमेर कोआपरेटिव सोसाइटी में नियमों की आग लगा दी। आप बात कर रहे हैं सिद्धांतों की।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : कौनसे नियम ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : नियमों के विरुद्ध आपके एक मन्त्री महोदय ने 6 महीने तक काम किया अजमेर बैंक के अन्दर। आप नियमों की बात कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। भर्त्सना कीजिए आप इन नियमों की।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : कौनसे नियमों की ? चुनाव की घोषणा बहुत शुभ लक्षण है। इन्होंने तो जब से स्थापना हुई है, कई तो ऐसी हैं अपेक्स सोसाइटीज कि जिनके चुनाव कराए ही नहीं। भूल ही गये थे। अपेक्स बैंक और अपेक्स मार्केटिंग के तो 18-18 साल से चुनाव नहीं हुए। मैं चुनाव के लिए सुझाव देना चाहता हूं कि चुनाव तो आप इलेक्शन डिपार्टमैण्ट से कराइए। आपका यह जो गड़बड़-घोटाला चुनावों में होता है, कुल मिलाकर ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, यह जो कोआपरेटिव का असिस्टैण्ट रजिस्ट्रार है यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों की शक्ति इसमें है। सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन यह करता है, चलाता यह है और उसको अवसायन में यह लाता है। चुनाव भी यही करवाता है। इसलिए यह प्रस्ताव जाना चाहिए विभाग से कि चुनाव डिपार्टमैण्ट से चुनाव हों। यदि आप सोसाइटी किसी कारण से

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

भंग भी करते हैं तो प्रशासक एक वर्ष से अधिक नहीं रहना चाहिए। एक वर्ष के अन्दर-अन्दर चुनाव हर हालत में हो जाने चाहिए। ये प्रशासक लगाकर भूल जाते हैं 2-4 साल तक। प्रशासक चलाते हैं तो कौनसा प्रशासक ने सोसाइटी को प्राफिट में ला दिया है।

दूसरा मेरा एक यह निवेदन था कि आप पांच साला एक मास्टर प्लान बनाएं कि आपको किस विषय के ट्रेनिंग के कितने लोग चाहिए। अब मार्केटिंग सोसाइटी के मैनेजर को लिया आपने। कहेंगे मन्त्री जी से तो चाहे जिस इंस्पेक्टर को भेज देंगे। वह तीन साल वहां ट्रेनिंग लेगा। जब वापस आ जाएगा तो दूसरा चला जाएगा। लाखों-करोड़ों की मार्केटिंग सोसाइटी में एक अनमोल व्यक्ति को आप बिजनेस करने के लिए भेज देते हो। कोई मार्केटिंग का कैडर नहीं आपके पास में। पांच साल तक किस-किस विषय के ट्रेण्ड लोगों की आवश्यकता है, आपके यहां ट्रेनिंग स्कूल हैं, आप उनमें स्पेशल ट्रेनिंग दिलवाइये। पांच साल का एक प्रोग्राम बनाइये।

ऐसे ही यह जो धारा 74 है इस धारा 74 पर आप जरूर विचार करें। यह धारा 74 बहुत गड़बड़ है। इस धारा 74 पर जरूर विचार करें कि क्या अधिकार धारा 74 में क्या होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए। धारा 74 की कार्यवाही ए. आर. के पास नहीं रखें। ए. आर. अच्छे-अच्छे गड़बड़-घोटालों को पी जाता है और छोटे-से में आफत खड़ी कर देता है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि को आपरेटिव में डिवीजनल प्लेसेज में कोर्ट होनी चाहिए धारा 74 के लिए, जहां लोगों को न्याय मिल सके। ऐसे ही सी. सी. बी. और पी. एल. डी. बी. को मिलाने के लिए चर्चा साल भर से कर रहे हैं मन्त्री महोदय। पर आज तक उसमें कोई प्रगति हुई हो, यह कुछ पता नहीं लगा। सलेक्शन बोर्ड आपने शुरू किया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि मार्केटिंग सोसाइटी और सी. सी. बी. बैंक के अध्यक्ष अपने-अपने आदमियों को जरूरत नहीं होते हुए भी रख लेते हैं जो उस संस्थाओं में भरे हुए हैं। सलेक्शन बोर्ड के पास यह आयेगा कि उनकी कितनी वेकेन्सीज हैं और उस वेकेन्सीज के हिसाब से ही अपाइण्टमेंट मिलेगा।

तो मैं सहकारिता के क्षेत्र में केवल इतनी बात करके एग्रीकल्चर पर ज्यादा समय नहीं लेकर एक-दो बात बताना चाहूंगा। यह हमारा सौभाग्य है कि हम तिलहन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर हैं और सोयाबीन उत्पादन में दूसरे नम्बर पर है। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि सोयाबीन का इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद भी सोयाबीन पर राजस्थान में कोई रिसर्च नहीं है। थोड़ी बहुत बोरखेड़ा फार्म पर रिसर्च हो रही थी, वह बन्द हो गई। हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने उसको कैसे खुद बन्द किया, पता नहीं लेकिन वह बन्द हो गई। मध्य-प्रदेश में रिसर्च हो रही है लेकिन मध्य प्रदेश में वह रिसर्च असिंचित क्षेत्र में सोयाबीन के बीज के लिये है। राजस्थान में जो सोयाबीन पैदा हो रहा है, वह हो रहा है सिंचित क्षेत्र में। तो सिंचित क्षेत्र की

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

सोयाबीन के लिये राजस्थान में अभी तक कोई रिसर्च वर्क नहीं हो रहा है। यह हमारे लिये दुर्भाग्य की बात है।

इसी प्रकार यह जो नर्सरी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, वह दूसरे प्रदेशों में तो चल रहा है। लेकिन हमारे राजस्थान में विचार करते-करते सात साल हो गये, कोई नर्सरी रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं बना। चाहे जैसे बीज को, चाहे जैसे पौधे को तैयार करते हैं और वे उसको बेच रहे हैं।

अब यह मिनि-किट्स हैं, + + + मिनी-किट्स हैं क्या चीज--सरकार का कोई बीज बिक नहीं रहा है, खराब हो गया तो मिनी-किट्स में लोगों को बेच दो। उसका कोई लाभ नहीं है। यह मिनीकिट्स सरकार का पैसा बर्बाद होने जैसा ही है। (व्यवधान) मुफ्त भी देते हैं लेकिन माननीय सदस्या वह उगता ही नहीं है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। सरकार मुफ्त दे रही है लेकिन हमारे पैसे की चीज है। सरकार कोई अपनी जेब से दे रही है क्या ?

ऐसे ही बीज निगम, मार्केटिंग सोसाइटी तो लगभग डिफंक्ट होती चली जा रही है। जिला स्तर पर एक डिपो बीज निगम का खोलना चाहिये। फ्रूट प्रिजर्वेशन की असिसटेंट डायरेक्टर के यहां ट्रेनिंग होनी चाहिये महिलाओं की। बड़े दुःख के साथ एक बात, अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि कोटा में पहले ट्रेनिंग....

श्री अध्यक्ष : दुख के बीच में थोड़ा सुख पाओ। दुख ही दुख पाओगे, तो परेशान हो जाओगे। थोड़ा सा सुख भी पा लीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कौशल साहब को एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना दीजिये, सारा झगड़ा समाप्त हो जायेगा। सच ए कॉम्पीटेंट मेन, इनका सारा टेलेंट व्यर्थ जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : मेरे हाथ में तो इनको एग्रीकल्चर कमेटी का मेम्बर बनाना था, वह मैंने बना दिया।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आपकी सिफारिश की कतई जरूरत नहीं है।

राजस्थान का फ्रूट प्रिजर्वेशन डवलपमेंट आफिस कोटा में हुआ करता था; आज दुर्भाग्य यह है कि वहां कोई डिप्टी डायरेक्टर भी नहीं है। पहले कोटा के लिये डिप्टी डायरेक्टर (होर्टिकल्चर) की पोस्ट थी, वह तो चली गई उदयपुर और अब के फिर कोटा के नाम पर बनी, वह मंत्रीजी ले गये जोधपुर। मतलब कोटा आज इस लायक नहीं रहा है। जहां झालावाड़ इलाका जो नागपुर कहलाता है, जहां बगीचे भरे पड़े हैं। जो नान-पोटेंशल एरिया है, वहां डिप्टी डायरेक्टर और कोटा में डायरेक्टर नहीं। असिसटेंट डायरेक्टर बारां में नहीं, बूंदी में नहीं। छोटे-छोटे स्थानों पर असिसटेंट डायरेक्टर हैं।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

मेरी समझ में नहीं आता कि क्या सोचकर ये दफ्तर खोलते हैं। कहां पोटेंशल है और कहां पोटेंशल नहीं है, यह तो देखने की बात है अध्यक्ष महोदय। आज कोटा इरिगेटेड इलाका है, वहां कोई एग्रीकल्चर कालेज नहीं और जहां एग्रीकल्चर में इरिगेशन नहीं, वहां एग्रीकल्चर कालेज खुल रहे हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में कृषि विभाग ने कई अच्छे काम किये हैं लेकिन मैंने कुछ कमियां बताई हैं, बीज पर से 10 क्विंटल....

श्री अध्यक्ष : आप 30 मिनट..

श्री रघुवीर सिंह कौशल : 5 मिनट। 5 मिनट भी नहीं दो मिनट में।

श्री अध्यक्ष : कोई आदमी एक घण्टा ले लेगा तो....।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कौशल साहब, आप में जरा भी नैतिकता है तो आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में यहां अपने विचार बतायें। आप वहां सिंडिकेट के मैम्बर हैं। वहां जो घपले हो रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी के अन्दर उस वाइस-चांसलर ने जो कुछ किया है, आप बोल नहीं रहे हैं वहां पर। अगर आप में जरा भी नैतिकता है तो उस पर प्रकाश डालिये यहां पर।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मैं मैनेजमेंट का मैम्बर हूं। इसलिये आप मुझे उकसा कर उत्तेजित नहीं कर सकते। मैं अपना विवेक नहीं खो सकता।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपकी आत्मा मर चुकी है, गिरवी रख दी है आपने।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं सौभाग्य से या दुर्भाग्य से उस यूनिवर्सिटी के मेनेजमेंट का मैम्बर हूं। इसलिये अभी नहीं बोल सकता। आप जब बोलें....

श्री यदुनाथ सिंह : आपके रहने का फिर क्या फायदा ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : तब आप बतायें कि कितनी कमियां हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप क्या महसूस करते हैं ? आपने मुख्य मंत्री को पत्र लिखा कि नहीं लिखा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप भी शामिल हैं उसमें।

श्री अध्यक्ष : आप समाप्त करिये। वे बोलने नहीं देंगे आपको।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप भी इस घपले में शामिल हैं।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : आपके कहने का मतलब यह है कि सारे घपले में आप भी शामिल हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मैं शरीक हूं या नहीं हूं, आप इस पर आरोप लगायें ... (व्यवधान)

डा. हरिसिंह : आपने आरोप लगाये हैं और आप कहते हैं मैं मेनेजमेंट का मैम्बर हूं। घपले में शामिल हूं, यह कहना चाहते हो ? या तो आप शामिल हो और शामिल नहीं हो तो उजागर कीजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जब आप मेमोरेंडम दे सकते हैं तो आप यहां क्यों नहीं बोल सकते। यहां भी बोलिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपकी कथनी और करनी में अन्तर है। आपसे यह उम्मीद नहीं थी, कौशल साहब।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय प्रद्युम्न सिंह जी, आप मुझे उतना उत्तेजित नहीं कर सकते कि मैं अपना विवेक खो दूं। मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। मैं मैनेजमेंट का मैम्बर हूं। अपने कर्तव्य से वाकिफ हूं और अपने कर्तव्यों से एक इंच पीछे नहीं हटता हूं जीवन में। आज भी जो मुझे करनी चाहिये, वह कर रहा हूं। लेकिन कुछ प्रोटोकोल है, कुछ नियम हैं, मैं मैनेजमेंट का मैम्बर होने के कारण नहीं बोल सकता हूं। मुझे जिसको पत्र लिखना है, उसको पत्र लिखता हूं। जो कार्यवाही करनी है, वह करता हूं। मुझे उत्तेजित करके मेरे माइंड का बेलेन्स आप खत्म नहीं कर सकते।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने जो पत्र में लिखा है, वह सत्य है या असत्य है? आपने जो पत्र में लिखा, जो तथ्य लिखे, वे सत्य हैं या असत्य हैं? आप यहां यह बता दीजिये सदन में।

डा. हरिसिंह : आप निष्ठावान होते उस कार्य के प्रति तो या तो अभी तक इस्तीफा दे देते। क्योंकि घपला हो रहा है और उसमें शामिल है। घपले में शामिल हैं आप। आप उजागर भी नहीं कर रहे हैं उसको।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में माननीय अध्यक्ष महोदय की ओर से प्रतिनिधि बनकर गया हूं। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जो नियमों के विरुद्ध है।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट बैठिये।

वित्तीय समितियों के निर्वाचन के कार्यक्रम में संशोधन

वित्तीय समितियों के निर्वाचन के कार्यक्रम में संशोधन हुआ है। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि चारों वित्तीय समितियों अर्थात जन लेखा समिति 1992-93, राजकीय उपक्रम समिति 1992-93, प्राक्कलन समिति (क) 1992-93 तथा प्राक्कलन समिति (ख) 1992-93 के निर्वाचन के कार्यक्रम में आंशिक संशोधन कर दिया गया है जो इस प्रकार है।

1.	मनोनयन पत्र प्रस्तुत करना	13 मार्च, 1992 से 27 मार्च, 1992 (म.पू. 11.00 बजे से म.प. 3.00 बजे तक)
2.	मनोनयन पत्र की जांच	28 मार्च, 1992 (म.प. 2.00 बजे)
3.	मनोनयन वापस लेना	30 मार्च, 1992 को म.प. 3.00 बजे तक
4.	मतदान, यदि आवश्यक हो	31 मार्च, 1992 को म.पू. 11.00 बजे से म.प. 3 बजे तक।
5.	मतपत्रों की गणना	31 मार्च, 1992 को म.प. 3.00 बजे से।

मांग संख्या 36 व 37 पर विचार

श्री सुरेन्द्र व्यास ।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कट-मोशन दिया है, वह तिलम संघ के विषय में दिया है । दो मेरे कट-मोशन्स हैं-एक तो परचेजेज के मामले में जो गड़बड़ी तिलम संघ के अन्दर हुई है और दूसरा अपाइण्टमेंट के मामले में ।

अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा, विगत विधान सभा सत्र में नियम 127 के अन्तर्गत मैंने एक 9 पेज का पूरा मोशन आपके समक्ष प्रस्तुत किया था । दुर्भाग्यवश वह मोशन नहीं रख सका, डिबेट में नहीं हो सका । वह फैक्ट्स इस सदन के सामने लाने के लिये मैं इस कट-मोशन के माध्यम से बोल रहा हूं ।

राजस्थान राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ लिमिटेड, जिसको तिलम संघ के नाम से मैं आपकी अनुमति से एड्रेस करूंगा, जो तिलम संघ के नाम से जाना जाता है, इसके रजिस्ट्रेशन से लेकर के आज तक जो भी कार्यवाही है, उनके फैक्ट्स मैं सदन के सामने रखूंगा और मैं समझता हूं कि **I shall be able to put the Chief Minister, blue-eyed man, in the dock before the House.**

श्री अध्यक्ष : **That will depend upon how you speak.**

श्री सुरेन्द्र व्यास : **I shall try and I am hopeful that I will be able to convince the House.**

अध्यक्ष महोदय, नियमों में इसके बाइलाज की अनिवार्यता है कि सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के वक्त में जब एप्लिकेशन राजस्थान सोसाइटी एक्ट, 1965 के तहत रजिस्टर्ड हुई और सैक्शन 4 में एप्लिकेशन देने और सैक्शन 6 में क्या-क्या एप्लिकेशन के साथ होना आवश्यक है । अब सैक्शन 8 (बी) आपकी अनुमति से पढ़कर सुनाना चाहता हूं :–"**If the Registrar is satisfied that the proposed bye-laws are not contrary to the provisions of this Act and the Rules.**"

अध्यक्ष महोदय, यह एक मैंडेटरी प्रोवीजन है जिसके अन्तर्गत रजिस्ट्रार को यह एग्जामिन करना पड़ता है कि जिस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन वह कर रहे हैं उसके बाइलाज इनकंसीस्टेंट तो नहीं हैं **With the Act, provisions of the rules or even the aims and objects of the society.**

अब सैक्शन 33 मैं आपकी अनुमति से पढ़ता हूं —"**The general body of a co operative society shall constitute a committee in accordance with the byelaws and shall entrust the management of the affairs of the society to such committee.**"

अध्यक्ष महोदय, कोई भी कमेटी का गठन सैक्शन 33 के अनुसार सोसाइटी का जनरल हाउस कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है, बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स भी नहीं कर सकता है । अब यह बाइलाज 9, दूरदर्शिता देखिए आप, कि जिस आदमी

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

ने यह सोसाईटी बनाई है जो ए. पी. एस. कई वर्षों से बैठे हुए हैं उनके दिमाग की उपज है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त का पहले इन्तजाम किया जाय। कौन तो एक्ट पढ़ेगा, कौन रुल्स पढ़ेगा, कौन ऐम्स पढ़ेगा और कौन आब्जेक्ट्स पढ़ेगा यह बाइलॉज दिखा देंगे और अपना मामला चलता रहेगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : श्री सुरेन्द्र व्यास पढ़ेगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सुरेन्द्र व्यास पढ़ेगा। वह तो इन्हें पता नहीं था ना कि सुरेन्द्र व्यास पढ़ेगा और मामला उठा लेगा। 'संघ के संचालक मंडल की बैठकों के मध्य संचालक मंडल में निहित शक्तियों का संचालक मंडल के अनुमोदन की प्रतीक्षा में निर्वाह कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जायेगा।" आगे, अध्यक्ष महोदय, और भी महत्वपूर्ण है, "कार्यकारिणी समिति में संघ के अध्यक्ष, संघ के प्रबन्ध संचालक होंगे।" ए.पी. एस. तो अध्यक्ष हैं इसके और इनके जुनियर सबोर्डिनेट एम. डी. है। दो आदमियों की कार्यकारिणी बना ली। उसके अन्दर आपने सबपावर्स डेलिगेट्स कर ली। पावर्स डेलिगेट कर नहीं सकते।

इस बाइलाज का नियम संख्या 8,10 (10) में आपको बताता हूं। अध्यक्ष महोदय, आवश्यकतानुसार, बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स की पावर्स पढ़ रहा हूं। बाकी तो रुटीन का काम था, बाइलाज जैसे सब सोसाइटीज के बनते हैं बना लिए। उसमें श्रीमानजी का कोई ताल्लुक था नहीं अलग से बनाना चाहते नहीं, आपको तो एक क्लाज इन्सर्ट करना था सब पावर्स मेरे पास आ जायें--

This is clause 8, Sub-clause X (10).

"आवश्यकतानुसार अपने में से उप समितियां बनाना; संघ के विशेष कार्य विभाग की देखरेख के लिए जो उप समिति या उप समितियां बनाई जावें और उसमें सदस्य सचिव या प्रबन्ध संचालक या प्रबन्ध संचालक द्वारा मनोनीत सम्बंधित विभाग और कोरम कुल सदस्यों का 1/2 होगा।" यह बाइलाज भी यह प्रोवाइड करता है अध्यक्ष महोदय, कि कमेटी बनेगी तो कोई स्पेसिफिक परपज के लिए, सिर्फ देखरेख के लिए। अध्यक्ष महोदय, आप इस बात से अवगत हैं और सदन के माननीय सदस्य भी इस बात को जानते हैं कि इमरजेंसी के अन्दर एम. डी. को पावर्स होती हैं लेकिन वह स्पेसिफाइड होती हैं। जनरल पावर्स नहीं होती है कि पूरी पावर्स बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स को डेलिगेट कर दे।

मैं अध्यक्ष महोदय, तथ्यों को रखने से पहले एक बात अवश्य निवेदन करना चाहूंगा। मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को अलग से नोटिस दिया था। नियमों के अन्तर्गत सम्बन्धित मंत्री को नोटिस देना अनिवार्य है। मुख्य मंत्रीजी का सीधा, परोक्ष रूप से कोई सम्बन्ध इससे नहीं था। लेकिन 127 का जो मेरा मोशन था पिछली विधान सभा सत्र में मैंने तब भी मुख्य मंत्रीजी को नोटिस दिया था और आज भी मुख्य मंत्रीजी को नोटिस दिया है। मैंने क्यों दिया है? अध्यक्ष महोदय,

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

वह इसलिए दिया है कि यह पत्र मैं आपकी अनुमति से पढ़कर सुनाना चाहता हूं इन मंत्री महोदय की हैसियत कैसी बिगाड़ कर रखी है इस चीफ मिनिस्टर ने। यह पत्र है—"मैंने यह अनुभव किया है कि तिलम संघ का लेखा-जोखा सही प्रकार से नहीं रखा जा रहा है। कम से कम मेरे समक्ष कार्य कलापों का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया गया है। तिलम संघ में जो नियुक्तियां की जा रही हैं उनकी मुझे कोई सूचना नहीं है। यह नियुक्तियां उपयुक्त ढंग से साक्षात्कार लेकर की जानी चाहिए।"....(व्यवधान)...

श्री चतुर्भुज वर्मा, माननीय मंत्री। नियुक्ति हेतु जारी की गयी विज्ञापन की एक प्रति मुझे भेजी जानी चाहिए।....

एक माननीय सदस्य : किसे लिखा है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह लिखा है प्रबन्ध संचालक, राजस्थान राज्य सहकारी तिलम संघ।

"मुझे जानकारी मिली है कि...." आप तसल्ली रखिये, एक-एक बात आ जाएगी।

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छे वकील हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मुझे जानकारी मिली है कि हाल ही में की गयी नियुक्तियों में कई अनियमितताएं बरती गयी हैं, नियुक्तियां अपने व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए दी गयी हैं। आप बतायें कि क्यों नहीं इन नियुक्तियों को निरस्त किया जाकर अनियमितताओं की जांच करवायी जाय। तिलम संघ में करोड़ों रुपये की पूंजी का विनियोजन है। इस प्रकार यदि तिलम संघ की कार्य प्रणाली रही तो सहकारिता क्षेत्र के लिए दुर्भाग्य की बात होगी।

"मुझे यह भी जानकारी मिली है कि तिलम संघ के उत्पादन को राजस्थान या उसके बाहर वितरण करने के लिए जो प्रणाली अपनायी गयी है उसे स्पष्ट नहीं किया गया है। यह प्रणाली निहित स्वार्थों को प्रेरित करती है, लाभ पहुंचाती है। इस प्रकार की शंकाएं सहकारिता के लिए नुकसानदेह होंगी। तिलम संघ के लिए मशीनरी खरीदने हेतु जो टैण्डर्स मांगे गए उनके सम्बन्ध में कृपया तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवायें। क्योंकि संघ में 300 करोड़ रुपये की पूंजी का विनियोजन इस वर्ष होगा। अतः मुझे सब बातों का संतोषजनक समाधान 15 दिन में अवश्य करवायें। चतुर्भुज वर्मा, सहकारिता मंत्री।"

इस पत्र के ऊपर मुझे कहते हुए बड़ा दुःख है, अध्यक्ष महोदय, कोई कार्यवाही नहीं हुई। मंत्रीजी को न तो कोई जवाब दिया गया ना कुछ जानकारी दी गई।

मेरी जानकारी में जून महीने में यह बात आई कि किस तरह से तिलम संघ के अन्दर गलत तरीके से नियुक्तियां की जा रही है तो मैंने तिलम संघ के अध्यक्ष श्री मीठालालजी मेहता को 16 जून, 1991 को एक पत्र लिखा। अध्यक्ष महोदय, मैं;

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

यह पूरा पत्र पढ़कर सदन का समय नहीं लगा लेकिन मैंने उनकी बोनाफाइड को तब तक डाउट नहीं किया, नहीं करना चाहिए था। एक फैक्ट मेरी नालेज में आया। मैंने पब्लिक रिप्रजन्टेटिव की हैसियत से उनको एक पत्र लिखा और उनका ध्यान आकर्षित किया कि इस प्रकार की नियुक्तियों में अनियमितताएं हुई हैं। एक विज्ञापन निकला 22-5-1991 को—In respect of one post of General Manager, Kota alongwith so many other vacancies.

अध्यक्ष महोदय, लास्ट डेट एप्लिकेशन की थी 25-5-1991। 27 मई, 1991 को कौरिजेंडम निकला। लास्ट डेट जा चुकी थी। उस कौरिजेंडम में 10 वर्ष के एक्सपीरियन्स की 2 साल घटा कर 8 वर्ष कर दिया। जिस आदमी को आप लेना चाहते थे वह सूट नहीं हुआ उस पर या आपकी किसी पर इच्छा जागृत हुई। लेकिन कौरिजेंडम में मैलाफाइड कहां नजर आई कि आपने उसकी डेट एक्सटेंड कर दी, और यह ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, आप मुझे क्षमा करेंगे एक दूसरा एडवरटाइजमेंट भी है, यह फैक्ट है कि लास्ट डेट निकलने के बाद कौरिजेंडम में निकाला जाता है, किसी में ऐजुकेशनल क्वालिफिकेशन में रिलेक्सेशन कर दिया, किसी में एक्सपीरियन्स में रिलेक्स कर दिया, किसी में रिक्वायरमेंट में रिलेक्स कर दिया। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, कइयों में आपने बढ़ा भी दिया, 10 साल की जगह 15 साल कर दिया। इस पत्र का जवाब मिलने से पूर्व 4 जुलाई को मैंने मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा कि यह लैटर मैंने श्री मीठालालजी मेहता को भेजा है। आप कृपया ध्यान दें। आशा तो मुझे नहीं थी, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी कोई कार्यवाही करेंगे लेकिन मैं अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन निर्धारित प्रक्रिया के साथ करना चाहता था, इसलिए मैंने मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा। अब मैं आपकी इजाजत से माननीय श्री मीठालाल जी का पत्र पढ़कर सुनाना चाहता हूं। गलतियां की इसमें कोई सवाल नहीं है, आप इस तरह का बचपना और+++ आपने यहां पर लिखा है। यह जो कोरिजेंडम इश्यू हुआ है, अध्यक्ष महोदय, जहां तक जनरल मैनेजर कोटा के पद का प्रश्न है उसमें अनुभव में 2 वर्ष को कम कर दिया गया है, क्योंकि इस योग्यता का हमारे पास आन्तरिक प्रत्याशी उपलब्ध था।

प्रार्थना पत्र देने की अन्तिम तिथि 5 जून, 1991 तक बढ़ा दी गई और इसमें जो संशोधन जारी हुआ था वह 25-5-1991 को हुआ था। चूंकि अन्तिम तिथि 5 जून, 1991 तक बढ़ाने का संशोधन केवल जनरल मैनेजर, कोटा के पद हेतु हाथ से लिखा हुआ था, आप, अध्यक्ष महोदय, इसको जरा नोट कीजिए कि वह हाथ से लिखा हुआ था, वह समाचार पत्र में नहीं छपा। अतः पुनः 27-5-1991 को एक संशोधन छापा गया। यह संशोधन गलती से सम्बन्धित समाचार पत्रों के खर्चे से ही स्थिति स्पष्ट करते हुए छापा गया। यानि एक्सक्यूज भी तो आपने ऐसा बचपने

+++शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

का लिया है। आप बोल्डली फेस करते कि हमने यह समझा कि कैण्डीडेट अवेलेबल है। पर यह पोजीशन नहीं ले आप, आप यह पोजीशन लेते हैं हमने हाथ से उस कोरीजेण्डम में लिखा था और चूंकि हाथ से लिखा हुआ करेक्शन **was not carried by the 'papers'.**

इसलिए उन्होंने अपने खुद के खर्चे से इस स्पष्टीकरण को छापा है। **At least I refuse to believe it.**

(4.00 म.प.)

अध्यक्ष महोदय मैं नहीं समझता हूं कि कोई इस बात पर विश्वास करता है। यह निश्चित रूप से जांच का विषय हो गया। सभी नियुक्तियां ऐसी की गई हैं।

अध्यक्ष महोदय, किसी को चोर साबित करने के लिए 101 चोरी साबित नहीं करनी पड़ती है। मैं एक एग्जाम्पल सदन के सामने रखना चाहता हूं कि तिलम संघ के अन्दर क्या हुआ। कितने पैसे खर्च करके कम्प्यूटर लाते हैं। कम्प्यूटर का मतलब, अध्यक्ष महोदय, इमोशन नहीं होता है उसके अन्दर, उसका कोई अपना और पराया नहीं होता है। जो क्वालिफिकेशन होगी, उसके हिसाब से, मैरिट के आधार पर निष्पक्षता से डिसपेशोनेटली डिटेल्ड-व्यू लेकर रिजल्ट देगा। उसी को कम्प्यूटर बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय, और किसको कम्प्यूटर बोलते हैं? यह कम्प्यूटर की रिजल्ट शीट है। अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर मैं पहले नीचे सुना दूं आपको

"He does not fulfil the minimum qualification criterion.

आगे कॉलम में—

He does not fulfil minimum experience criterion or

बाकी नो या यस। "सुधीर चन्नालिया, यस"। अध्यक्ष महोदय आप विश्वास कीजिए, मैं यह कागज मेज पर रख दूंगा। यह फाइल मंगाने का मैंने आपको आग्रह किया था, शायद मंगाई होगी आपने देखी होगी। **The only man found not only eligible but suitable for the job by the computer was Mr. Sudhir Chandalia.** सुधीर चन्डालिया को लिखा है "यस"। और, अध्यक्ष महोदय, सुशील कुमार भण्डारी के आगे लिखा हुआ 'ई'। 'ई' का मतलब **does not fulfil minimum experience criterion.**

यह आपका एक पहलू है। नियुक्तियों के लिए, अध्यक्ष महोदय, सलेक्शन कमेटी बनाने के पहले सैण्ट्रल इवेल्यूएशन होना चाहिए। इस तिलम संघ की कई परियोजनाएं चलती हैं। गंगानगर में भी है, बीकानेर में भी, सात परियोजनाएं इनकी कुल चलती हैं। कोटा में भी है, उन सबका एक ही काम है और एक ही प्रकार के अधिकारी और कर्मचारी वहां कार्यरत हैं। उनके उच्च पदों के ऊपर लोगों का चयन करने के लिए सैण्ट्रल कमेटी बनाकर के चयन करना चाहिए था। कोई कमेटी नहीं बनाई आपने। वैकेन्सीज एडवरटाइज कराकर, इन्डीविजुअल आइसोलेटेड एक-एक को की ताकि उसमें दूसरी कोई दिक्कत

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

नहीं हो और अपने मनमाने आदमी को ले लिया जाए।

अब, अध्यक्ष महोदय, मैं परचेजेज पर आता हूं। परचेजेज के मामले में यह एक सर्वविदित सिद्धान्त है, मैं नहीं मानकर चलता कि आपने कहीं पर इस प्रकार की कार्य प्रणाली देखी होगी कि जहां बिना परचेज कमेटी के कोई परचेज होती हो। जैसा मैं पूर्व में निवेदन कर चुका हूं कि बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स की मीटिंग तो इन्होंने बुलाई नहीं। तीन महीने में बुलाना अनिवार्य है, यह बायलाज में भी प्रोवाइडेड है। वह मीटिंग आपने नहीं बुलाई, न आपने अनुमोदन कराया। पूरी शक्ति आपने ग्रहण कर दी बायलाज नम्बर नाइन के जरिये और उसके अन्दर आप और आपके एक जूनियर सबआर्डिनेट में शक्ति निहित हो गई। न आपने परचेजेज के लिये परचेज कमेटी बनाई। मैंने नहीं सुना कि आज तक बिना परचेज कमेटी के करोड़ों रुपए की परचेजेज होती है। एक करोड़ तरेपन लाख, इसकी तो परचेज अलग हुई है, यह हुई है एन.एक्स.ई.सी. मैसर्स थर्मोसेट लिमिटेड बम्बई से। दस करोड़ की परचेज अलग हुई है, यह कोटा की परियोजना प्रोजेक्ट के लिए है। अध्यक्ष महोदय, सबसे आब्जक्शनेबल जो बात है, वह यह है कि स्टील आथोरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड, मैंने जैसा आपको निवेदन किया था कि कुल मिलाकर तिलम संघ के अन्दर 26 करोड़ की परचेजेज जून के महीने तक हो गई थी। निश्चित रूप से आज चालीस करोड़ से ऊपर परचेज हो चुकी होगी। स्टील आथोरिटी आफ इण्डिया से आप स्टील नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि, सब ओपन मार्केट के अन्दर साढ़े सात परसेंट कमीशन रिश्वत का सप्लायर्स देते हैं। स्टील आथोरिटी में इसका कोई प्रोवीजन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, दे नहीं सकते, सैण्ट्रल गवर्नमेंट आफ इण्डिया की अण्डरटेकिंग्स है तो, अध्यक्ष महोदय, क्यों नहीं देना चाहते? यह राजस्थान राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ लिमिटेड, जयपुर, यह कार्यकारिणी समिति निर्णय संख्या-24, कार्यकारिणी समिति का मतलब मीठालाल जी मेहता और उनके सबआर्डिनेट। अब आप सुनिए (व्यवधान) अध्यक्षजी बैठे हुए हैं, आप तसल्ली रखिए। मैं कुछ कहूंगा तो वह खुद मना कर देंगे। उनकी आज्ञा शिरोधार्य है। "स्टील आथोरिटी आफ इण्डिया केवल तीन माह पूर्व ही आवेदन पत्रों को विचारार्थ ले सकती है। अतः उससे स्टील आवंटन के लिए प्रतीक्षा करना अनावश्यक रूप से समय नष्ट करना है। इसके अलावा गंगानगर के सिविल कार्यों को पूरा करने के लिए अपेक्षित सभी सेक्शन्स स्टील अथोरिटी आफ इण्डिया के पास सम्भवतया उपलब्ध भी न हो। इसलिए महाप्रबन्धक स्टील की सेक्शनवार आवश्यकता का निर्धारण कर कम से कम 15 दिन का समय देते हुए उनके लिए निविदाएं आमन्त्रित करेंगे। यह विज्ञापन राजस्थान पत्रिका के सभी संस्करणों एवं टाइम्स आफ इण्डिया (दैनिक) संस्करणों में प्रकाशित किये जायेंगे। इसके लिए निविदा पत्र महाप्रबन्धक (सिविल) से अनुमोदित कराये जायेंगे।" किसी से पूछा आपने कि सेक्शन्स अवेलेबल है कि नहीं? **What he says may be correct.**

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहता हूं कि मेरे को जानकारी है लेकिन आप तलाश तो करते या आप बोल्डली कह दें कि हमको उनसे नेगोसिएशन नहीं करना है। आपने यह रिकार्ड में लिया है कि "सम्भवतया उपलब्ध नहीं होंगे" होते हैं राउण्ड-अबाउट वे में लिखने से मतलब क्या है? अगर आपको नहीं लेना है तो नहीं लेना, नहीं लूंगा मैं, मेरे को लेना है तो प्राइवेट पार्टी से... लेकिन आपने बाइलाज (9) बनाने के बाद भी कानून में खानापूर्ति करने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, मैं प्लेन एण्ड सिम्पल एक बात अर्ज करना चाहता हूं। बिना परचेज कमेटी के आपने परचेजेज किये। आपने बाइलाज नाइन से तमाम पावर खुद के अन्दर निहित कर लिए, शक्तियों का समावेश कर लिया। फिर आपने मनमाने ढंग से एक व्यक्ति के इशारे पर अपने सबको जब टेण्डर्स इन्वाइट कराकर किसी को क्या दे दिया, किसी को क्या दे दिया, चालीस करोड़ की परचेजेज हुई है। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्य, ट्रेजरी बेन्चेज में बैठने वाले व्यापार के मामले में समझते है, यह सब समझते हैं। साढ़े सात परसेंट कमीशन मिलता है। चालीस करोड़ का साढ़े सात परसेंट कितना हुआ? अध्यक्ष महोदय, तीन करोड़ रुपया।

श्री अध्यक्ष : आपको क्या पता?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मुझे पता इसलिए है कि अखबारों में रोज छपता है, बड़े बड़े आदमियों के लिए भी छपता है। मेरी हैसियत ही नहीं हुई, कभी तीन करोड़ रुपया लेने की।

श्री अध्यक्ष : साढ़े सात परसेंट का अखबारों में छपता है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्यों नहीं आता है? अखबारों में इस पर्टिकूलर डील के लिए नहीं आता है। यह कामन नालेज है। अध्यक्ष महोदय, आप इतना अनभिज्ञ न बनें। यह आपको भी जानकारी है। साढ़े सात की डील कभी आठ परसेंट हो जाती है...

श्री अध्यक्ष : मैंने आज तक किसी में कमीशन की जानकारी नहीं ली और न मुझे पता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं जानकारी रखता हूं, मेरा खुद का, डीलिंग हो या नहीं। अध्यक्ष महोदय, यह पर्टिकूलर डीलिंग के ऊपर डिपेण्ड है। साढ़े सात पर्सेण्ट से घटकर सात पर्सेण्ट भी रह सकता है और साढ़े सात से बढ़कर आठ पर्सेण्ट भी हो सकता है। तीन करोड़ रुपया कहां गया? तीन करोड़ रुपया अकेला मीठालाल मेहता हजम नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय, अकेला मीठालाल मेहता तीन करोड़ हजम नहीं कर सकता। अगर दो करोड़ रुपए मुख्य मन्त्री ने लिए हों, क्या जरूरी है कि नहीं लिए हों। Facts are speaking for themselves. अध्यक्ष महोदय, मैं आप ...

श्री अध्यक्ष : यह आरोप नहीं लगाया कि हजम नहीं कर सकते क्या? (व्यवधान)....

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, आरोप नहीं है, यह तथ्य है।

श्री अध्यक्ष : आगे चलिये । 20 मिनट हो गए आपके ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं समाप्त कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय । 27-9-91, 19-9-91 के बाद आती है । अध्यक्ष महोदय, 19-9-91 को यहां पर विधान सभा का सत्र समाप्त हुआ, इससे पहले मैंने 127 का मोशन रखा । वह मोशन नहीं लग पाया लेकिन मोशन का इमिजियेटली नोटिस आप गवर्नमेंट को देते हैं इसलिए यह सम्भव ही नहीं है कि मुख्य मंत्रीजी को इसकी जानकारी नहीं हो और तिलम संघ से सम्बन्धित अगर मामला था तो निश्चित रूप से मीठालालजी को भी जानकारी होगी । इसके बाद समझा बुझाकर के, कुछ करके इन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में, "संघ के उपनियम 9 में परिवर्तन कर निम्नलिखित पांच सदस्यों की कार्यकारिणी समिति बनाने हेतु पंजीयक सहकारी समितियों को अनुरोध करने का निर्णय लिया जाता है । अध्यक्ष, तिलम संघ, पंजीयक, सहकारी समितियां राजस्थान, एन. सी. डी. सी. के प्रतिनिधि, ओ. एन. सी. एस. के मनोनीत निदेशकों में से एक, एवं प्रबन्ध संचालक, तिलम, संघ, "यह पांच आदमियों की कार्यकारिणी बनाई थी । अध्यक्ष महोदय, यह मत समझिये कि यह बन गई है । यह प्रस्ताव पारित हुआ है । अध्यक्ष महोदय, अभी दूसरा विधान सभा का सत्र आयेगा, जल्दी क्या है ? 26 करोड़ की परचेजिंग हो चुकी है, कुछ परचेजिंग और हो जाने दो, एक आदमी के पास पावर रह जाने दो । दूसरा विधान सभा का सत्र आयेगा, फिर कर लेंगे तरमीम इसके अन्दर और यही होगा एग्जेक्टली । अध्यक्ष महोदय, जब 22 फरवरी को विधान सभा का सत्र आहूत किया गया तब फरवरी के दूसरे-तीसरे सप्ताह के अन्दर इसका बाईलाज के अन्दर अमेण्डमेंट करवा करके रजिस्ट्रेशन वहां कराया गया । मैं केवल अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के अन्दर भी रिजोल्यूशंस हैं, किस प्रकार से बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स ने उसको एंडोर्स करने से मना कर दिया, फिर आपने उनके लिए क्या-क्या सर्कुलर किये । पांच-पांच सौ रुपये फर्स्ट मीटिंग के, तीन सौ रुपये, नेक्स्ट डे की एडिशनल मीटिंग के, दो-दो सौ, पांच-पांच सौ, हजार रुपये आपने डाल कर दिये एक-एक ब्रीफकेस में । वह ऐसे किस्से हैं; अध्यक्ष महोदय मैं लक्ष्य भ्रमित हो जाऊंगा अगर सबको कहूंगा तो । अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक आदमी जिसकी स्क्वायरली जिम्मेदारी है उस आदमी को फिक्सअप करना चाहता हूं यहां पर । अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की जरूर तकलीफ है कि मुख्य मंत्री महोदय कोई नोटिस की बात चलाके, बहुत ज्यादा कभी मीठालाल जी मेहता का सवाल, आ जाता है वह बिल्कुल आइडेन्टीफाई कर लेते हैं । अध्यक्ष महोदय, आज यह परिस्थिति क्यों पैदा हुई ? यह परिस्थिति इसलिए पैदा हुई कि एक आदमी को आप नाजायज संरक्षण प्रदान करते हैं । कोई भी आदमी गिल्टी हो सकता है । मीठालालजी मेहता के गिल्टी होने से सीधे सीधे चीफ मिनिस्टर गिल्टी नहीं होते हैं । **But Chief Minister is guilty by his conduct.** जिस तरह से आप उनको प्रोटेक्ट करते हैं, आप उनको शील्ड करते हैं, अगर आप करप्शन को शील्ड करते हैं, करेप्ट

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

आफीसर को शील्ड करते हैं तो करप्शन की जिम्मेदारी है। अध्यक्ष महोदय, करप्शन की कोई एविडेन्स नहीं होती। बार-बार यही बात कहते हो, अध्यक्ष महोदय, कमरे में नोट गिने जाते हैं ? अध्यक्ष महोदय, एविडेन्स दो तरह की होती है। आई विटनेसेज और

(समय--समाप्ति--सूचक घंटी)

सर्कमस्टेंशल एवीडेंस I am concluding, half a minute; तो अध्यक्ष महोदय, सर्कमस्टेंशल एवीडेंस में कन्विक्शन हो जाता है मर्डर के केस के अन्दर भी। सर्कमस्टेंशल एवीडेंस, मैं समझता हूं, मैंने अपना पूरी तरह प्रूव कर दिया है और यह निश्चित रूप से गिल्टी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि इतने सीरियस इश्यू का माननीय मुख्य मंत्रीजी चाहें तो जवाब दें। मैं कोई बात गलत कहता हूं तो I am open to correction. I know that there is no scope for correction, but even then I am open to correction. अगर मुख्य मंत्रीजी कोई करेक्शन करना चाहें सूचना के आधार पर, लेकिन मुख्य मंत्रीजी इन मंत्रीजी से जवाब दिलवायेंगे जिन मंत्रीजी की हैसियत आपने पहले ही बिगाड़ रखी है, तो न तो कोई इसकी सार्थकता है, न इसका कोई महत्व है, ना इसका परिणाम है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हो गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक सेन्टेन्स और बोलूंगा। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, मैं अपनी डिबेट यहां कन्क्लूड करता हूं। अध्यक्ष महोदय, कुछ स्पेसिफिक इश्यूज, आपके पास बहुत मोशन्स आते हैं, आपका एक जिम्मेदारी का पद है, उनको एग्जामिन करके स्पेसिफिक इश्यूज को हाउस के सामने आना चाहिए। पब्लिक इण्टरेस्ट के अन्दर है यह। **People of Rajasthan have a right to know.** ऐसे इश्यूज को आप जरूर लगाने की कृपा करें। ....(व्यवधान) मैं समझता था यह सब्स्टेंटिव मोशन आता तो ज्यादा अच्छा होता (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, आज कृषि और सहकारिता की मांगों पर विचार करने के अवसर पर मैं सोच रहा था कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में राज्य सरकार ने यह कहलवाया था कि राजस्थान प्रदेश, जो कृषि प्रधान प्रदेश है, के लिए हम इसी सत्र में कृषि नीति के सम्बन्ध में एक ड्राफ्ट प्रारूप प्रस्तुत करेंगे, मैं सोचता था कि आज जब कृषि की मांगों पर चर्चा होने जा रही है, इससे पहले कृषि नीति का प्रारूप निश्चित रूप से हमको मिल जायेगा। उन्होंने कहा था कि हम इसके ऊपर सदस्यों के विचार जानना चाहते हैं और विचार जानने के बाद कृषि नीति को व्यापक रूप से क्रियान्वित करेंगे। लेकिन मुझे दुःख है कि आज जब कृषि की मांगों पर विचार हो रहा है तो राज्य सरकार इस बात में असफल रही है और किसी प्रकार का भी कोई ड्राफ्ट प्रारूप कृषि नीति के सम्बन्ध में उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया है। केवल बातों से ही तो पेट भरता नहीं है।

(श्री नत्थीसिंह)

पैदावार कैसे बढ़ेगी, कृषि की क्या नीति हैं, आप कर नहीं पाते तो यह मैं समझता हूं कि बातों से ही हमको बहलाना चाहते हैं। यह चलेगा नहीं।

योजना के बारे में अपने प्रगति प्रतिवेदन में एक बात आपने कही है 63 पृष्ठ पर कृषि और उससे सम्बन्धित क्षेत्रों के विकास के लिए किए, जो सर्वांगीण कृषि विकास परियोजना हम बना रहे हैं, उसमें 514.37 करोड़ रुपये की योजना तैयार की जाकर विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के माध्यम से विश्व बैंक को प्रस्तुत की गई। इस योजना में सकल उत्पादन, भूमि सुधार, जल विकास, चारा विकास, फल व सब्जी विकास, भू-जल, पशुपालन, भेड़ प्रजनन, सहकारिता, मछली पालन, आदि कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये। विश्व बैंक के मिशन ने परियोजनाओं के प्रारूप को तैयार करने के लिये कुछ अध्ययन प्रस्तावित किये थे। जिन पर भी गत वर्ष विचार किया गया। अब यह योजना करीबन तीन सौ करोड़ रुपये की होगी। जिसके अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यक्रम पर विश्व बैंक दल से विचार विमर्श किया जा रहा है। परियोजना की शीघ्र स्वीकृति की सम्भावना है। वर्ष 1992-93 के लिए बजट में 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।" अध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में इस बात को लेकर बड़ी चर्चा रही है, चाहे हम विश्व बैंक से ऋण लें, चाहे हम आई. एम. एफ. में ऋण लें, सन् 1947 में जो राजनीतिक रूप से आजादी हमें प्राप्त की, क्या आर्थिक रूप से हम फिर पराधीन होने जा रहे हैं? इस बात पर हम निगाह रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि बजट में प्रावधान कर दिया। इस योजना को पार्ट एण्ड पार्सल बना दिया आपने, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का है पचास करोड़ रुपये का प्रावधान इस साल कर रहे हैं, परन्तु आज तक यह नहीं बताया गया कि विश्व बैंक के साथ आपकी क्या शर्तें तय हुई हैं, क्या कण्डीशन्स विश्व बैंक ने लगाई हैं। इसके सम्बन्ध में हमारे जो अभी कृषि आयुक्त एवं सचिव हैं, श्री मीठालालजी मेहता, उनसे पी. टी. आई. के संवाददाता ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, "The World Bank loan of about hundred million dollar to the desert State of Rajasthan for agriculture development is likely to be cleared later this week when its visiting-appraisal team will start reviewing the final comprehensive plan of the State agriculture from tomorrow here." फिर उसके बाद कहते हैं कि चार साल में हम इसको करेंगे। इसके साथ-साथ दूसरी बात जो उनसे पूछी जाती है, वह बात साफ तौर पर यह पूछी जाती है कि कण्डीशन्स क्या हैं। तो कहते हैं

"On a question of world bank loan condition and disbursement policy, Mr. Mehta categorically denied that there was any hard condition for seeking world bank loan for agriculture projects in the State."

(186)

(श्री नत्थीसिंह)

कोई हार्ड कन्डीशन नहीं थी। साफ्ट कन्डीशन क्या थी ? इस सदन से सर्वोपरि कोई नहीं है इस राजस्थान में और इस सदन में जब आप बजट ला रहे हैं, बजट को पारित कराने जा रहे हैं, एग्रीकल्चर की ड्राफ्ट नीति लाने से आप कतरा रहे हैं, तब वर्ल्ड बैंक की क्या शर्तें थीं उनको बता क्यों नहीं रहे हैं ? उनको रहस्य में क्यों रख रहे हैं ? और जब आगे आपको पूछा गया तो आपको कहना पड़ा कि " **The State was advised by the World Bank officials on their last visit in November last that the State should improve its financial efficiency, work for better cost recovery and give no more subsidies to farmers.**"

उन्होंने आपको कहा कि आप कास्ट रिकवरी करिये अपनी फाइनेंसियल स्थिति को स्ट्रेंथन कीजिये और किसानों को किसी प्रकार अनुदान मत दीजिए। यह भी सवाल पूछा गया इनसे कि क्या इन्हीं की शर्तों के तहत आपने बिजली की रेट, सिंचाई की रेट बढ़ाने की बात कही। उन्होंने मना तो किया कि नहीं, लेकिन यह बात सही है कि उसी के बाद में बिजली की रेट बढ़ाई गई, सिंचाई की रेट बढ़ाने की बात की गई। तो मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान में हमारी कर नीति को और कृषि नीति को क्या विश्व बैंक के लिए गिरवी रख दिया गया है ? उसके निर्देशों से चला रहे हैं और इस सदन को अंधेरे में रखा जाता है। इस सदन को उन शर्तों से क्यों नहीं परिचित कराया जाता ? आज पूरे हिन्दुस्तान में जब हम कहते हैं कि 25 ऐसी शर्तें लगाई हैं आप क्यों नहीं कहते ? यह कौनसी सरकार है ? अध्यक्ष महोदय, यह वह सरकार है जो 26 तारीख से आन्दोलन करने जा रही है कि हिन्दुस्तान में जिस तरह का बजट बनाया गया है उसमें बहुत खराबियां हैं। इनके बड़े नेता, बीजेपी के बड़े नेता कल लोक सभा में बोल रहे थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और उन्होंने स्पष्ट कहा। उन्होंने कहा कि हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, उनके शब्द हैं अंग्रेजी में,

"**Did we dream of an India which would have to depend upon the mercy of the world Bank and I.M.F.**"

यह आपके वाजपेयी जी कहते हैं। अब मर्सी पर डिपेण्ड नहीं रहना चाहते। कहते हैं कि हमारी सारी आजादी खतरे में है और वह ही सरकार, उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब विश्व बैंक से 300 करोड़ रूपये लेने की बात करती है और कहते हैं कि कोई हार्ड कंडीशन नहीं है तो उन शर्तों को छिपाते क्यों हो ? मेरा पहला सवाल तो यह है। क्या आपकी नीति है, यह स्पष्ट करिये इस सदन के सामने।

दूसरी बात जो मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहता हूं, नीति विषयक एक बहुत बड़ी बात कही गई है इसमें। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बात आई थी तब इन्होंने कहा, आपने कहा कि बरसात पर हम तो निर्भर हैं। अच्छी बरसात हुई तीन वर्ष, अच्छी फसल हो गई और अब के वर्षा अच्छी नहीं हुई तो फसल भी खराब हो गई। फसल खराब होने के साथ साथ हमारे 118 लाख हैक्टेयर की बजाय 100 लाख हैक्टेयर में बुवाई हुई और रबी में 59.40 लाख हैक्टेयर की बजाय 55.40

(श्री नत्थीसिंह)

लाख हैक्टेयर में बुवाई हुई और उत्पादन घटकर 42 लाख टन रह गया। हम बरसात पर निर्भर है उसके बावजूद यहां आप कहते हैं, सारे प्रेस रिपोर्टस में एक बात बड़ी जोर से कही गई है कि सरसों में हमारा प्रदेश का हिन्दुस्तान में प्रथम स्थान है हमनें सरसों की पैदावार बहुत बढ़ाई है। बहुत खुशी की बात है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें सरकार का क्या योगदान है सरसों की पैदावार बढ़ाने में? बरसात के भरोसे किसान है, किसान की मेहनत है और अब की बार इन्होंने इसमें बताया है कि तीन तरह की हमारी भोगोलिक स्थिति है। पूर्वी राजस्थान में जहां सरसों काफी अच्छी होती रही है, अबकी बार वर्षा जोर से हुई बाद में और सरसों का ढेर हो गया। हमारे यहां पर जहां खेत में 10 मन प्रति बीघा होना चाहिये, था, आज दो मन का एक बीघा में सरसों का रवा बन गया है। हमारी सरकार किसानों की बहुत हिमायती है जहां किसान सरसों की फसल में बरबाद हो गया, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके मुआवजे के लिए उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कोई प्रावधान है क्या? इस बजट में तो कहीं नजर नहीं आता। आप किसानों को किस तरह से प्रोत्साहन देना चाहते हैं, यह आपकी नीति कहीं है नहीं। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि आखिरकार किसानों को पानी चाहिये, उसके लिए आपने कह दिया हमारे इन्टर स्टेट रिवर्स के झगड़े हैं, पानी वहां मिलता नहीं, जितना पानी है, 24 प्रतिशत सिंचाई होती है। पाताल तोड़ कुओं की कोई व्यापक स्कीम आप बना नहीं रहे, पानी का इन्तजाम नहीं, किसानों की फसल नष्ट हो, उसको आप मुआवजा दे नहीं, फसल बीमा का सवाल नहीं और पिछली बार भी मैंने कहा था कि हरियाणा में ओले पड़ जाय तो 300 रूपये बीघा की क्षतिपूर्ति और राजस्थान में ओले पड़ जायें तो 23 रूपये बीघा की क्षतिपूर्ति। यह हमारे राजस्थान का हाल है तो कैसे आप तरक्की करना चाहते हैं? (व्यवधान)

अब मैं पूछना चाहता हूं कि आप किसानों को कोई सुरक्षा नहीं देना चाहते, पानी नहीं देना चाहते। आप कहते हैं कि खाद बहुत दी गई, पता नहीं मेहता साहब को छेड़ दिया व्यास जी ने, वह चले गये। इसी सदन में मैंने एक बात उठायी थी पिछली बार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर... तिलम संघ में तिलम सहकारी समितियां बनाई और तिलम सहकारी समितियां भरतपुर जिले में भी 13 बनी हैं और 13 तिलम सहकारी समितियों को बाजार भाव से ज्यादा 20 रुपये क्विंटल के हिसाब से बीज दिया गया। मैंने कहा कि तिलम संघ ने दिया तो उन्होंने मुझे कहा कि तिलम संघ ने नहीं, वह तो एन. डी. डी. बी. ने दिया होगा। किसी ने दिया हो लेकिन सैकड़ों किसानों की तिलहन उत्पादन सहकारी समितियों में एक दाना पैदा नहीं हुआ, सरसों के पेड़ खड़े रह गये, सब नष्ट हो गये। मैं पूछना चाहता हूं कृषि मंत्रीजी से आपके माध्यम से, सभापति महोदय, क्या कृषि विभाग का, राज्य सरकार का यह दायित्व नहीं है कि एन. डी. डी. बी. बीज दें या कृषि विभाग बीज दें या प्राइवेट लोग बीज दे, अगर किसानों को नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति

(श्री नत्थीसिंह)

का जिम्मा आखिरकार किसके ऊपर है ? या

(4.25 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आपके पास कोई साधन नहीं हैं ? किसानों को पूरी तरह से आपने राम भरोसे छोड़ रखा है। अनुदान आप देंगे नहीं क्योंकि विश्व बैंक आपको मना कर रहा है। मत दीजिये अनुदान लेकिन आप क्या कौनसी नीति बना रहे हैं जिससे किसानों को उत्पादन का सही दाम मिले ?

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सहकारिता का प्रतिवेदन हमको मिला है, उस प्रतिवेदन में एक बात कही गई है। यह कहा गया है कि "राजस्थान में कृषि-जिंसों जैसे तिलहनों के उत्पादन का काश्तकारों को उचित मूल्य दिलवाने हेतु तिलम संघ को वर्ष 1991-92 में तिलहन उत्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपये दिये गये हैं जिससे कृषकों को उचित मूल्य दिलवाया जाकर उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर तेल उपलब्ध करवाये जा सके।" अब मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि पिछली बार तिलम संघ ने बाजार भाव पर किसानों से सरसों खरीदा और उसे दामों का भुगतान कर दिया। इस साल आपने क्या सर्कुलर निकाला है, रेमुनरेटिव प्राइस देने की तो बात ही नहीं कहते, किसानों को कितना दिया जाय, अब की बार आपने कह दिया कि दो ऑप्शन देते हैं आपके लिए एक ऑप्शन तो यह है, जो सर्कुलर इनका है किसानों के लिये, वह है कि किसान सरसों की बिक्री की 60 प्रतिशत राशि चैक द्वारा प्राप्त कर ले और 40 प्रतिशत राशि 3 महीने बाद 15 प्रतिशत ब्याज सहित हमसे ले ले अथवा किसान 60 प्रतिशत सरसों संघ को बिक्री कर 40 प्रतिशत जमा करवा दे और 3 महीने समाप्त होने के बाद में किसी भी दिन, उस दिन के भाव से संघ को बिक्री कर दे और संघ भण्डारण चार्जेज काटकर राशि का भुगतान करेगा। यानि किसान को इतना मालदार समझ लिया है आपने कि आपको 60 प्रतिशत के दाम लेकर के 40 प्रतिशत के लिए बाट देखता रहेगा और आपके यहां लाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आप किसानों को सही दाम दिलवाना चाहते हैं क्या ? तिलम संघ या हमारी क्रय विक्रय सहकारी समितियों के लिए हमारे सदस्य अभी उधर से बात कर रहे थे कि उनका क्या रहेगा, केवल खाद बेचते हैं। जब इन क्रय विक्रय सहकारी समितियों का गठन किया गया था तो सबसे बड़ा उद्देश्य था कि किसानों को उसकी फसल का सही मूल्य मिले इसलिए उसे पलेज की सुविधा देने के लिए, जो माल उसका है, भाव अच्छे नहीं है, 65 प्रतिशत वहां रखे, 65 प्रतिशत दाम मिल जायेंगे उसको, बाकी अच्छे भाव हो तब बेच दें। यह नीति थी इसके पीछे जिसको तो हम पूरी तरह भूल गये। वही हाल तिलम संघ का है। वह किसानों को एक्सप्लोइट करने की बात करता है बजाय किसानों की मदद करने के, उनको सही भाव दिलवाने के। इसी तरह की संस्था बना करके आप कहते हैं, पिछले दिनों हमारे सहकारिता मंत्रीजी ने कहा, हमारी

(श्री नत्थीसिंह)

कई सहकारी संस्थाएं बड़ा लाभ कमा रही हैं। कैसे लाभ कमाया है ? ट्रेडिंग करके। सस्ते में माल खरीद लिया और जब भाव अच्छे आये तब बेच दिया। लेकिन इससे किसानों को, क्या फायदा हुआ ? उसको आप सही दाम दिलवा पा रहे हो या नहीं, उसकी सुरक्षा आप करवा पा रहे हो या नहीं ? आपकी कोई दिशा नहीं है और दिशा नहीं होने के कारण एक तरह से हम दिशा विहीन रूप से जा रहे हैं।

ऐसी सूरत में मेरा आपसे निवेदन है कि यह कृषि नीति यहां कोई नहीं बना पाये और दिशा विहीन रूप से जा रहे हैं। इस तरह किस तरह से इस प्रदेश की तरक्की हो, ऐसी बात मुझे नहीं लगती। यह जो सही तरह से भाव मिले, इसकी व्यवस्था की थी जनता दल की सरकार ने और भाव अच्छे दिलवाये थे फसल के वक्त लेकिन आज जब फसल आ रही है, किसानों की पैदावार के दाम गिर रहे हैं और दोनों तरफ, यहां तो आप कह रहे हैं कि 60 प्रतिशत दे दो, 40 प्रतिशत बाद में देंगे और उधर भारत की सरकार है, वह कह रही है कि हम गेहूं का आयात कर रहे हैं। पहले गेहूं एक्सपोर्ट कर दिया, अब गेहूं इम्पोर्ट करेंगे ताकि किसानों को सही दाम नहीं मिले। तो यह हम कहते हैं कि किसान को राम ही मारता है, अब तो किसान को यह सरकार ही मारने लग गई। दिल्ली में बैठी सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, ये दोनों की दोनों किसान विरोधी सरकार हैं। किसान के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। इसको हम किसी भी हाल में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, मैंने कहा कि...(व्यवधान) हम बहुत से काम करेंगे। घबराते क्यों हैं अब आप ? निश्चित रूप से हम जनता को खड़ा करेंगे इस बात के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं किसानों को सही दाम दिलवाने की व्यवस्था करते ? यह कहते हैं कि 10 करोड़ रुपये दे दिये, क्या हो जायेगा 10 करोड़ रुपये से ? फिर आप उसी दिन के भाव से खरीदते हैं। आप यह करिये कि, हम किसानों को रेमुनरेटिव प्राइस देंगे। इसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है ? कोई व्यवस्था आपने बजट में, आपके प्रगति विवरण में नजर नहीं आती। इसलिए जब तक किसानों को पानी नहीं दें, किसानों को सही दाम दिलवाये नहीं, किसानों की सुरक्षा नहीं करे, तब तक कुछ नहीं और फिर खाद पर सब्सिडी नहीं देंगे। नहीं दें तो यहां पर राजस्थान की सरकार से कहता हूं कि हिम्मत करो आप तो वही हैं, जो एक प्रस्ताव यहां लाए थे और प्रस्ताव यह किया था कि जो खाद की सब्सिडी बंद की है, वह गलत है। आपने प्रस्ताव पर हमारा साथ दिया उस वक्त और एक बार घोषणा भी कर दी थी कि जहां-जहां बी. जे. पी. की सरकार है वहां-वहां बी. जे. पी. की सरकार यह अनुदान देगी लेकिन 24 घण्टे के बाद माननीय अडवानी साहब इस बात से इन्कार कर गए। यदि आप अनुदान नहीं देते हैं तो आप करिए, यह नीति बनायें, भारत सरकार पर दबाव डालिए। आपने उद्योग की उदार नीति बनाई है, उनको सारी सुविधायें दी हैं, जब माल एक्सपोर्ट करें, इम्पोर्ट करें तो कंसेशन्स दिए

(श्री नत्थीसिंह)

हैं उदारवादी नीति में, लेकिन खेती के लिए आप क्या कर रहे हैं? कृषि को उद्योग घोषित किया जाय और कृषि के जो सहकारी संगठन हैं उनको आजादी दीजिये कि किसान की फसल इकट्ठी करें.... (व्यवधान) उचित दामों पर लें और किसान के सहकारी संगठनों को छूट दें कि अच्छी कीमत पर बेचें अपनी फसल को विश्व बाजार में और वहां से खाद लायें, कीटनाशक औषधियां लायें तो आपको विदेशी मुद्रा भी मिलेगी। और किसान को सही तौर पर अपने माल की कीमत भी मिलेगी। लेकिन आप वह नहीं करना चाहते। आप उद्योग को बंधनमुक्त कर रहे हैं लेकिन कृषि उद्योग को जंजीरों से बांध रहे हैं। इसलिए आप देश की तरक्की नहीं कर सकते। मैं कहना चाहता हूं कि देश की तरक्की के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था, केवल एक ही रास्ता है और वह रास्ता है जो खेत और खलिहान से होकर जाता है। खेत-खलिहान की जब तक समृद्धि नहीं होगी तब तक देश की समृद्धि नहीं हो सकती। लेकिन आप उल्टा चल रहे हैं। विदेशी कर्ज के चक्कर में राजस्थान की सरकार भी अपने आपको डुबो देना चाहती है।

मैं दूसरी बात अर्ज करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार किसान विरोधी सरकार है। पिछले दिनों में देखने में आया कि किसानों की जमीनों को अधिगृहित करने पर कलक्टर्स उनकी कीमत तय करते हैं। भारत सरकार ने कानून बनाया है कि मार्केट प्राइस पर किसान की जमीन अधिगृहीत की जायेगी लेकिन आपके सब कलक्टर्स ने एक तरकीब कर रखी है कि मार्केट प्राइस तय मत करो। जो करते हैं वे ही करते हैं। अभी स्टाम्प की बात चल रही थी। स्टाम्प ड्यूटी लेने के लिए वहां भी दर तय नहीं करते। रजिस्ट्री के लिए फाइल आती है, सब रजिस्ट्रार से कलक्टर फाइल मंगा लेता है उस पर इम्पाउण्ड कर लेता है कि यह कम कीमत है लेकिन यह नहीं खोलता कि कितनी कीमत है। क्योंकि नगर सुधार न्यास को, आवासन मण्डल को किसान से अधिगृहीत की हुई जमीन की मार्केट प्राइस नहीं देनी पड़े। किसान की जमीन आप लोगे एक रुपए में, वह बिकेगी 3 रुपए में। भरतपुर में 80 हजार की कीमत आप किसान को दे रहे हैं और 3-3 लाख की कीमत में बाजार में बेच रहे हैं। इस तरह की बात किसान के साथ क्यों की जा रही है? इसलिए की जा रही है कि आपके हृदय में, दिल में किसान के लिए कोई पीड़ा नहीं है।

एक बात और कहना चाहता हूं। अभी मुझे बताया गया 3-4 वर्ष पहले 400 कृषि सुपरवाइजर्स के लिए विज्ञापन निकाला गया। चार साल होने जा रहे हैं, कभी तो कहते हैं कि इनकी हम प्रतियोगी परीक्षा लेंगे, कभी कहते हैं साक्षात्कार लेंगे लेकिन आज तक उनका कुछ हुआ नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर आपकी नीति क्या है? आप कन्फ्यूजन में क्यों हैं?

कृषि मंत्रालय के अन्दर एक कृषि विपणन बोर्ड भी आता है। यह ठीक है कि जो लिंक रोड हैं उनको बनाने के लिए यह विपणन बोर्ड पी. डब्ल्यू. डी. से ज्यादा

(श्री नत्थीसिंह)

काम कर रहा है लेकिन कोई नीति के आधार पर नहीं है। आपने एक गांव से दूसरे गांव की 4 किलोमीटर की रोड सेंक्शन कर दी। आपने सेंक्शन की, डेढ किलोमीटर जंगल में रह गई, दूसरी सड़क पोलिटिकल आधार पर मंजूर कर दी और वह सड़क पड़ी ही रही। गांव मिल नहीं रहे हैं, जंगल में सड़क पड़ी है आखिर इस योजना से क्या फायदा हुआ ? कृषि उपज मण्डी जो सड़क बनाती है आज वो उखड़ गई हैं, उनकी मरम्मत का प्रावधान ही नहीं है, आखिरकार इनकी दशा को सुधारो। जब तक आप अपना वचन पूरा नहीं करेंगे, आपने कहा चुनाव करायेंगे। कराए नहीं और कराओगे भी नहीं। कभी कहते हैं कि पंचायतों के बाद करायेंगे। मेरी मान्यता है कि आप कराओगे नहीं क्योंकि आप समझते हैं कि अफसर ही सब कुछ है। लोकतन्त्र में आपका विश्वास ही नहीं है। आप तो कृषि मंत्रीजी को चिट्ठी ऐसी लिखी हारी-हारी, जैसा अभी माननीय सुरेन्द्र व्यास ने बताया कि ऐसी चिट्ठी लिखी। इससे अच्छा तो है चतुर्भुजजी आप धाकड़ हैं, मंत्रीमण्डल को ठोकर मारो, इस्तीफा दो, सामने आओ और कहो कि इस तरह की नौकरशाही हावी हो रही हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह हिम्मत होनी चाहिए। + + + की तरह कुर्सी से चिपककर बैठे हो, इससे आप देश की सेवा नहीं कर सकते। (व्यवधान) मैंने मारी है ठोकर।

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नत्थीसिंहजी मुझे आश्वासन दें कि जिन्दगी में दल-बदल नहीं करेंगे।

श्री नत्थी सिंह : हमने दल-बदल नहीं किया, हमने कुर्सी को छोड़ा है और दल-बदल कर भी जो गए हैं उसके सहारे आप कुर्सी पर बैठे हैं। + + + आनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। पूरा कीजिए।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सोच-समझकर तो बोला करो मन्त्रीजी। आप बिना सोचे ही बोल जाते हैं। (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : मैं थोड़ी सी बात सहकारिता के विषय में करना चाहता हूं और वह यह है कि...

डा. चन्द्रभान : वह तो पोलिटिकल एडजस्टमेंट था कोई सात फेरे थोड़े ही लिए थे आपके साथ।

श्री कैलाश मेघवाल : नाता कर लिया आपने। (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : जिन्होंने हमारे को छोड़कर आपके साथ जुड़ावा कर लिया उनको भी आपने निहाल नहीं किया। दो तो रो रहे हैं और बाकी के पछता रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (इंदिरा गांधी नहर मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नत्थीसिंह जी खुद दिशाहीन हो रहे हैं, उनकी कोई दिशा नहीं है।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री नत्थी सिंह : आप पर भजनलाल जी का बहुत असर है, आप उनके अनुगामी चेले बन गए हैं। अब शांत रहो, मैं जानना चाहता हूं आपको।

श्री यदुनाथ सिंह : ये भंवरलाल जी बार-बार बोल रहे हैं इनको चुप कराइये। (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : एक सबसे बड़ा सहकारिता को जो इस देश में जो नुकसान हुआ है वह है आन्दोलन के साथ एक्सपेरिमेन्ट किया गया है। पहले कभी कहा वन-विलेज-वन-सोसाइटी, कभी कहा बहुउद्देश्यीय सोसाइटी, कभी कहा वाइबल यूनिट, कभी कहा फार्मर्स सर्विस कॉपरेटिव और आज हमारे मंत्री जी चर्चा कर रहे हैं, मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि हम कर्मचारियों को मना रहे हैं कि हम सी. सी. बी. और पी. एल. डी. बी. दोनों को एक कर देंगे। कर तो दोगे लेकिन किसी ने उसका एक्सपीरियंस देखा जाकर? किया है आंध्र में और वे माथा पकड़कर रो रहे हैं। सत्यानाश हो गया, कोई सा बैंक नहीं चल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं केवल प्रयोग के लिए प्रयोग मत करिए और किसी हठवादिता में मत फंसिए। किसान को फायदा कैसे होगा, सही रूप में ऋण कैसे मिलेगा। घाटे में रहने वाले दोनों को मिला देंगे, जैसा अभी माननीय कौशल जी कह रहे थे कि असामान्य स्थिति बन गई है, इम्बैलेंस हो गया है सोसाइटीज में क्योंकि लोगों पर तो कर्जा है नहीं, सदस्यों पर और वहां बैंक कर्जा दिख रहा है। यदि आपने दोनों बैंक मिलाये, आपकी सरकार में तो दम नहीं है कि उनका घाटा पूरा करके सब्सिडी दे दे। आप बैंकों के व्यवस्थापकों का फैसला कर नहीं पाये, उनको तनख्वाह दिला नहीं पाये और आप उनके घाटे को पूरा नहीं करेंगे, तो दोनों बैंक अशक्त हो जायेंगे। कमजोर-कमजोर को मिलाओगे तो एक कमजोर हो जायेगा और हमारे प्रदेश में जो किसानों को ऋण मिलता है, उसका एक तरह से चैनल ही बंद हो जायेगा। इस खतरे पर आप विचार कीजिए, उसके बाद कोई फैसला कीजिए जो हित में हो।

दूसरा जो नुकसान कॉपरेटिव को हुआ है जब सहकारिता, सहकारिता नहीं की तो सहकारिता बना दी। सहकारिता आंदोलन लोकतंत्र का आंदोलन है, स्वेच्छा पर चलने वाला आंदोलन है और इसके चुनाव ही बंद कर दिए। 18 वर्षों से इन्होंने नहीं कराये तो 2 वर्षों से आपने कौनसा निहाल कर दिया? एपेक्स बैंक की सोसाइटियों के चुनाव करये, सी. सी. बी. के नहीं करा रहे हैं। 3-3 बार ऑर्डिनेंस बदल दिए। पहले किया एक साल का, अब 2 साल का। मैं पूछना चाहता हूं कि आप अगर इन दोनों बैंकों को एक करना चाहते हैं तो मंत्री महोदय को कौनसा डर था? वे बिल लाते, हाउस में रखते, उस पर विचार होता, उसके बाद फैसला करते। लेकिन यह नहीं करेंगे, ऑर्डिनेंस लायेंगे। ऑर्डिनेंस के जरिए कर देंगे और फिर कहेंगे कि इसको पास कर दो। यह अध्यादेश का राज, जिसकी हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री रोज आलोचना करते थे कि अध्यादेश का राज निन्दा के योग्य है लेकिन आज अध्यादेश के ऊपर जीवित हैं। यह बहुत बुरी बात है, यह

(श्री नत्थी सिंह)

आप लोकतंत्र से हट रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं प्रयोग मत करिए। लाते हो तो सदन के अन्दर लाओ, सदन में विचार करो और फैसला करो।

मैं चुनाव के बारे में कहना चाहता हूं कि चुनाव निर्धारित समय पर हों। पहले चुनाव की प्रक्रिया थी, नियम था हमारे बाइलॉज में। चुनाव वह ही सहकारी संस्था कराती थी जिसके चुनाव होते थे। राजनीतिक तौर पर आवाज उठी कि वेस्टेड इंटरेस्ट कब्जा कर लेते हैं और चुनाव का काम विभाग को दे दिया। अब पोलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया। अब पोलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण 18 वर्षों से चुनाव नहीं हो रहे हैं। चाहे कोई पार्टी की सरकार आ जाय, किसी न किसी बहाने से चुनाव को टालेगी। वह कहेगी कि अफसर के जरिए हमारा हुक्म ज्यादा चलेगा। यह गलत है। इसलिए माननीय कौशलजी जो बात कह रहे थे, मैं उसी बात का समर्थक हूं कि चुनाव के लिए राजस्थान का जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है उसको सारा काम दिया जाना चाहिए। वह ही चुनाव कराये और एक बार जिसकी मियाद खत्म हो, उसके पहले ही चुनाव हो जाना चाहिए और जो सुपरसेशन करते हैं, प्रशासक लगाते हैं, वे बिलकुल गलत बात है। प्रशासक लगाना ही नहीं चाहिए। सुपरसेशन की पावर रजिस्ट्रार को नहीं होनी चाहिए और कोई विशेष परिस्थिति में सुपरसीड करना पड़ता है तो कोई प्रशासक नहीं लगे। जो शीर्ष सहकारी संस्था है, वह जैसे राज्यपाल, जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, जब 356 लागू होता है, तो अगर जरूरत नहीं पड़े, सुपरसीड करना नहीं पड़े तो शीर्ष सहकारी संस्था उसका प्रशासन टेक ओवर करे। और जल्दी ही छह महीने की जैसी मियाद है, छह महीने में सही काम करके वापस संस्था का संचालक मण्डल आ जाना चाहिए। आज आपने एक कानून बनाया। उपाध्यक्षजी, कानून यह बनाया कि कि सरकारी अधिकारी को लगायेंगे और सरकारी अधिकारी के बाद, डेपुटेशन पर गये हुए लोग बना दिये प्रशासक और आप कहते हो, कि वह भी सरकारी कर्मचारी है। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है, हाई कोर्ट स ने तय किया है कि डेपुटेशन पर किया गया अधिकारी, प्रतिनियुक्ति पर गया अधिकारी पब्लिक सर्वेन्ट की तारीफ में नहीं आता। आई. ए. एस. के लिए हुआ है, आर. ए. एस. के लिए हुआ है, उसके बाद भी आप समझते नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि यह प्रथा ही बंद होनी चाहिए और सुपरसेशन जो हो, उसकी अपील की पावर गवर्नमेंट को नहीं ट्रिब्यूनल को होनी चाहिए। ट्रिब्यूनल सुने और औचित्य इसका तय करे। एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं इस विषय में....

श्री उपाध्यक्ष : आखिरी बात।

श्री नत्थी सिंह : आखिरी तो नहीं है, दो-तीन है बस।

श्री उपाध्यक्ष : काफी लम्बा हो रहा है।

श्री नत्थी सिंह : हां, बहुत जल्दी कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : लम्बा हो रहा है, प्लीज।

श्री नत्थी सिंह : मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं। देखो मैं इसलिए कह रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय ...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : काफी बढ़िया बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सहकारिता का तो पूरा खजाना है इनके पास।

श्री नत्थी सिंह : मैं जल्दी करूंगा, ऐसी बात नहीं है। मैं यह कह रहा हूं कि सहकारिता में रहे हैं हमारे मंत्रीजी, ऐसी बात नहीं है लेकिन इतने बड़े-व्यापक यह संशोधन करें, एम. एल. ए., एम. पी. प्रधान, प्रमुख, उन सब को डिबार करें, वह भी बिल लाकर नहीं, ऑर्डिनेंस के जरिये, ऐसी प्रथा नहीं चले, इसके लिए मैं आपको सावधान करना चाहूंगा।

एक बात मैं जो कहना चाहता हूं, जैसे अभी हमारे कोटा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, अगर कोपरेटिव सोसाइटीज को, चाहे वह विलेज कोपरेटिव हो, चाहे केन्द्रीय संस्थाएं हों, चाहे बैंक्स हों, चाहे अपेक्स बैंक्स हों, इनको सुधारना चाहते हैं तो ऑडिट व्यवस्था में, कोपरेटिव की जो ऑडिट व्यवस्था है उसमें आमूल-चूल परिवर्तन करो। आज क्या होता है, आज सबसे बड़ी बेईमानी होती है, आपका एक-एक ऑडिटर दस-दस साल तक एक सोसाइटी का आडिट करता है। वहां के व्यवस्थापक और वह आपस में मिल जाते हैं और बड़ी गड़बड़ियां होती है। हमने पकड़े हैं। जब बोर्ड आये चुने हुए, एक-एक संस्था में चार-चार, पांच-पांच खाते पकड़े गये जो उन्होंने बिल्कुल बैलेन्स शीट से हटा दिये क्योंकि उधर आडिटर और व्यवस्थापक मिल गये। इम्बैलेंस इसलिए भी हुआ। इसलिये कोई भी आडिटर एक वर्ष में एक बार ही सोसाइटी का करे आडिट, दूसरी बार उसको आडिट करने का मौका नहीं मिले, दूसरा आडिटर जाना चाहिये और वह आडिटर रजिस्ट्रार कभी नहीं हो। आडिटर कोपरेटिव के स्टाफ से बिल्कुल अलग हो, उसका अलग तंत्र होना चाहिये स्टेचुटरी वह करे, रिपोर्ट दे। तब जाकर कोई सुधार आयेगा, इससे पहले सुधार आयेगा नहीं।

एक बात, जो डेपुटेशन की प्रथा है, क्यों आप इसको खत्म नहीं कर रहे हैं? एक तरफ तो आप कहते हैं कि सोसाइटीज का कैडर बनायेंगे और डेपुटेशन पर आ रहे हैं, तनख्वाह भी वहां से लेते हैं, भत्ते भी वहां से लेते हैं। 74 आता है जब क्या हुआ? जो नॉन-ऑफिसियल्स थे उन पर चलाते हो, चलाओ खूब, लेकिन श्रीमान्जी, 13 वर्ष तो प्रशासक तब रहे और 18 वर्ष तक शीर्ष संस्थाओं में है, अब फिर प्रशासक लगा दिये। यह जो गड़बड़ी करते हैं, इन पर 74 चला कभी? यहां का मामला था, जयपुर का, यहां के जो प्रशासक थे कलक्टर, उन्होंने सारी कारें ही एयरकण्डीशन्ड करा लीं सरकारी, बैंक के खर्चे पर। औरों ने क्या किया? मार्केटिंग में जो एस. डी. ओज. लगे वह पंखे ले गये, एयर कण्डीशनर ले गये। क्या-क्या नहीं किया। किसी पर आज तक 74 की कार्यवाही नहीं हुई। सरकारी अधिकारी बड़े भारी

(श्री नत्थी सिंह)

पुनीत-पवित्र हैं, उन पर नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, आप अभियान चलाइये। जब से यह प्रशासक लगे हैं, पहले से लेकर अब तक, इनके जमाने में कितनी गड़बड़ियां हुई हैं, उन पर निश्चित रूप से 74 की कार्य-वाही करिये, उनको दण्डित करिये ताकि आखें हो उनकी भी और नॉन-ऑफिसियल्स की। तब जाकर काम चलेगा, इससे पहले नहीं।

एक बात मैं अंत में और कहना चाहूंगा। अगर आप सोसाइटीज को बचाना चाहते हो तो आपने हमको कहा था कि 30 सितम्बर तक फैसला कर देंगे व्यवस्थापकों का। फैसला जो आपने किया है वह कुछ नहीं उससे कुछ नहीं हुआ। सोसाइटीज की हालत बदतर हो रही है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि उस पर पुनर्विचार करिये और आपने इसमें अपने डाक्यूमेंट में कहा है, हमने बड़ी सब्सिडी दी है, हमने बहुत इमदाद दी है, गांव-गांव में सहकारी गोदाम बनाये हैं, मंत्रीजी, देखिए तो सही कि इन सहकारी गोदामों की क्या दशा है। वह दो ही काम आते हैं, या तो गांव में बारात आ जाय तो वह ठहर जाती है या गधा, जिनको कहीं जगह नहीं मिलती, वह उनमें घुस जाते हैं। इन सहकारी गोदामों को आप मार्केटिंग सोसाइटीज को प्लेज रखवाने की सुविधा दीजिए, किसानों का माल प्लेज रखिये, इस प्रथा को चलाइये, बनाइये ताकि किसान वहां प्लेज रखे और उसको 65 प्रतिशत तक दीजिए और उपभोक्ता भण्डारों की चीज भी वहां जाये। तब तो आज पैसा है, खर्च कर दो और बाहर से पैसा मिलता है, आप खर्च कर दो और उपयोग में आये नहीं, इससे कोपरेटिव कभी स्वावलम्बी होगा नहीं।

मैं आपकी नजर की तरफ देख रहा हूं, मैं बहुत जल्दी मेरी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं, बी. जे. पी. की सरकार अगर जनतंत्र के प्रति आस्थावान है, विदेशी दासता में इस देश को न दे, आर्थिक दासता में न दें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप तो सामने देखो।

श्री नत्थी सिंह : 26 तारीख का और उसका आन्दोलन केवल प्रचारात्मक ही नहीं है, उसमें कोई निष्ठा भी है तो मेहरबानी करके, जो आज तक विश्व बैंक की शर्तें हमारे सदन के सामने नहीं रखी, उनका खुलासा करिये। किसान को सुरक्षा दीजिए। पानी और उसका इंतजाम नहीं हो सकता है आपसे तो कम से कम उनकी फसल को सुरक्षा मिले, उनको बीज देने पर जो नष्ट हो जाय और जो और तरह से बीमारियां लगे, उनके प्रति आश्रित थे, यह कोई काम आप कर नहीं पा रहे हैं, न तो कृषि चलेगी, न सहकारिता। हिन्दुस्तान में जो बेरोजगारी चल रही है, उस बेरोजगारी को मिटाने का कोई रास्ता नहीं है। जब तक हम कृषि पर आधारित कुटीर उद्योगों को नहीं चलायेंगे, हमारे देश में तो हाथ ज्यादा है, यह जो आप ला रहे हैं, जो मल्टीनेशनल्स इस देश में आ रही हैं और जिसकी तरफ आपके बड़े अफसर भी हाथ बढ़ा रहे हैं, बड़े गुणगान कर रहे हैं विश्व बैंक का, कुछ दिन बाद हमको

(श्री नत्थी सिंह)

यह बात महसूस होगी कि यह जो मल्टी नेशनल्स और दूसरी संस्थाएं होती है, पहले कर्जे में दबाती हैं एक देश को, उसके बाद धीरे से उसकी राजनीति और प्रशासन तंत्र में प्रवेश करती हैं, फिर फौज में प्रवेश करती हैं और उसके बाद आपकी सारी अर्थव्यवस्था पर कब्जा करती हैं। अगर खेती पर भी कब्जा कर लिया, उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि तीन प्रतिशत लोग खेती करते हैं अमेरिका में और 6 प्रतिशत लोग खेती करते हैं ब्रिटेन और यूरोप में, हिन्दुस्तान में 80 प्रतिशत लोग खेती करते हैं, हमारी और उनकी नीतियां एकसी नहीं हो सकती। उनके लिए तो मार्केट चाहिए, प्रयोगशाला चाहिए, वह आयेंगे, हमारे यहां पर प्रयोगशाला बनायेंगे कि कैसे वह तरक्की करें लेकिन हमको तो खेती को वह इन्स्ट्रूमेंट बनाना है कि हमारे हाथों को काम मिले, खेती पर बोझ भी कम हो और खेती के उद्योग धन्धे भी लगे। ऐसी कोई नीति, कोई दिशा मुझे इस बजट में नहीं मिलती। इसलिए मुझे मजबूरन अपने कटौती प्रस्ताव मूव करने पड़ते हैं और कहना पड़ता है कि यह सरकार एक दिशाहीन सरकार है और निष्ठाहीन सरकार है, जिसकी बातों का हम समर्थन करने में असमर्थ हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री चुन्नी लालजी इन्दलिया। चुन्नीलालजी, एक मिनट, प्लीज।

सदन की कार्यवाही

सदन की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 36 और 37 के विचार और पारण होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन का समय सदन की सहमति से मांग संख्या 36 और 37 पारित होने तक बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय मांग संख्या 36 व 37 पारित होने तक के लिए बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 36 और 37 पर विचार

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 36 और 37 पर मेरे कटौती प्रस्तावों के जरिये मैं अपने विचार सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं। पहले मैं कृषि पर मेरे विचार रखूंगा।

राजस्थान बनने के बाद सरकार चाहे किसी पार्टी की हो, कृषि पर अगर सही तरीके से ध्यान देती और बजट का पैसा खर्च करती तो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से कृषि के मामले में राजस्थान तरक्की करता और पश्चिमी राजस्थान में सदियों से पड़ने वाले अकाल को भी हम कमजोर करते। खैर, मैं चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्रीजी, जो खास तौर से जोधपुर के हैं और पश्चिमी राजस्थान के गांवों से उनका लगाव भी है, इनके पास

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

दो महकमे हैं, कृषि और बिजली, दोनों ही किसानों के महकमे हैं, मैं यह चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा, मंत्रीमण्डल में हो, चाहे भारत सरकार से इंतजाम करें। जहां धरती के नीचे मीठा पानी है, उसमें कुएं बनाकर, पाताल तोड़ ट्यूब वैल बनाकर, पश्चिमी राजस्थान की इस धरती के नीचे मीठा पानी है, पियाल फोड़ कर उस पानी को ऊपर लाइये। उस पानी को आप ऊपर लायेंगे तो राजस्थान के जो पश्चिमी जिले हैं—जोधपुर, बीकानेर, चूरू, बाड़मेर, जैसलमेर आदि, वहां हरियाली होगी। उपाध्यक्ष महोदय, किसान मजबूत होगा तो निश्चित रूप से देश मजबूत होगा। गांव के लोगों की माली हालत सुधरेगी और किसान सरकार को कुछ न कुछ देगा, देश को अनाज देगा, निश्चित रूप से देश मजबूत होगा। मैं कृषि मंत्रीजी से चाहूंगा, कि आप पश्चिमी राजस्थान के हैं, जिन इलाकों में नीचे पानी मीठा है, आप एक स्कीम बनाइये। आज चाहे सरकार किसी की हो, इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, न कोई प्लान बनाया गया है, न कोई योजना बनाई गई है जिससे पश्चिमी राजस्थान में पड़ने वाले अकाल को हम कमजोर कर सकें। मैं कृषि मंत्रीजी से आशा करता हूं कि आप नयी योजना राजस्थान में बनाइये। इस बजट में तो इतना प्रावधान आपके नहीं है लेकिन फिर भी आप चेष्टा कीजिए कि राजस्थान में कुओं के जरिए से निश्चित रूप से, उपाध्यक्ष महोदय, हमको कामयाबी मिलेगी। इन वर्षों में पश्चिमी राजस्थान के चूरू, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, झूंझुनू, सीकर आदि जिलों में कुओं से काफी हमारे काश्तकारों का सुधार हुआ है। अगर सरकार समय रहते पहले ध्यान देती तो मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से वहां का किसान मजबूत होता और सदियों से पड़ने वाले अकाल में हमारा जो पशुधन चारे के अभाव में मर गया है, अगर खेतों में कुएं होते तो गर्मी के दिनों में, अकाल के दिनों में हमारी भी गाय और भैंस को हरा चारा मिलता लेकिन जिन लोगों के हाथ में यह सरकार रही है उन लोगों का गांव की तरफ कम ध्यान रहा है। वे दिल्ली की तरफ और देश के जो बड़े-बड़े पूंजीपति, धनवान लोग हैं, उनके वहां वोट हमारे लेते हैं गांव के परन्तु यहां आकर के उनका विचार बदल जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से लड़की अपने पीहर में होती है तो वह लड़की है और ससुराल चली जाती है तो वह बहू हो जाती है। जब माननीय सदस्य सदन के सदस्य होते हैं, वे एम. एल. ए. हैं। माननीय सदस्य जब सदन के सदस्य से ट्रेजरी बेंच पर चले जाते हैं तो गांव का और हमारा जो ताल्लुक है, सम्बन्ध है, वह छिन्न-भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है। मंत्री बनने के बाद, वह बहू तो आप कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूं, वे वही भाषा बोलेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, जो उधर से कागजों में लिखा हुआ प्रस्ताव होगा। उससे आसे-पासे नहीं जा सकते वे। लाइन पर चलेंगे और लाइन पर ही बोलेंगे। इसलिए मंत्रीजी, मैं आपसे तो आशा रखता हूं कि आप अपनी अन्तरात्मा से पश्चिमी राजस्थान के अकाल को समाप्त करने में काम करोगे।

क्रि

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

पश्चिमी राजस्थान में बहुत किसान लीडर पैदा हुए हैं, बहुत, मैं नाम गिनाना नहीं चाहता आपको। बड़े-बड़े लीडर और लौह पुरुष पैदा हुए हैं यहां लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, उन बड़े-बड़े लीडरों ने अकाल को समाप्त नहीं किया। उनकी मंशा थी कि अगर गांव में अकाल खत्म कर दिया तो गांव का आदमी बराबर की हैसियत में आयेगा, वह मुकाबला करेगा इसलिए गांव के लोगों को, चाहे कोई भी सरकार हो, उन्होंने कमजोर रखा है लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि अब जो समय है, यह समय रहते हुए आपको आगे बढ़ना है और मैं इसी आशा के साथ आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कृषि के बारे में आगे बढ़ेंगे। काश्तकार उपाध्यक्ष महोदय, इस देश की आत्मा है, रीढ़ की हड्डी है। किसान की झोपड़ी में जो पैदा होता है गरीब के घर में, गरीब मां का जो बेटा है, वह नेफा और लद्दाख सेना में जाता है। किसी टाटा बिड़ला और डालमिया का जो लड़का है, वह कोई नेफा और लद्दाख सीमा पर जाकर इस देश की आजादी की रक्षा करने की हिम्मत नहीं करते, उन लोगों का कोई विचार है। इसलिए अगर आप देश को मजबूत चाहते हैं, हिन्दुस्तान की आजादी को मजबूत देखना चाहते हैं तो आप किसान की मदद कीजिए। आज गांव में पैदा हुआ किसान का बेटा नेफा और लद्दाख में राइफल लेकर खड़ा है लेकिन उसकी बूढ़ी मां के लिए दवाई का इन्तजाम नहीं, खेत में पीने का पानी नहीं, खेत में पानी देने का सवाल नहीं। आप इन मुद्दों की तरफ, मंत्री महोदय, निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सहकारिता पर थोड़ा-सा और समय लूंगा। कृषि की मेरी बात यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार जब जवाब दे तो उन मुद्दों पर जरूर जवाब दें। तो मैं सहकारिता की बात कह रहा था। उपाध्यक्ष महोदय, सहकारी आन्दोलन की इस प्रान्त में खास तौर से क्यों जरूरत पड़ी? वह समय मुझे याद है पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहनलाल सुखाड़िया के जमाने में सहकारी आन्दोलन को इसलिए शुरू किया गया कि उस पुराने जमाने में, रियासतों के वक्त में अंग्रेजों के जमाने में बोरा प्रथा एक हुआ करती थी और बोरा अपनी मर्जी से ब्याज लेता। इसलिए ज्योंही हिन्दुस्तान को आजादी मिली और आजादी मिलते ही उन्होंने शोषण समाप्ति करने के लिए यह सहकारी आन्दोलन, इस राजस्थान में कोआपरेटिव एक्ट लागू किया गया। इससे बड़े पूंजीपति लोग और वे गांव के बोरे बड़े नाराज हुए। उपाध्यक्ष महोदय, ज्यों ही बोरे को पता लगा कि सहकारी आन्दोलन के जरिए से तुम भी अन्दर घुस जाओ, कई वर्षों तक तो उन्होंने ग्राम सेवा सहकारी समिति का विरोध किया लेकिन वे ब्याज पर पैसा देने वाला बोरा भी ग्राम सेवा सहकारी समिति का सदस्य बना और उन्होंने ग्राम सेवा सहकारी समिति में कब्जा कर लिया। कब्जा कर के उस सहकारी समिति के जरिए से जिस तरीके से गांव का शोषण हो रहा है, जिससे आज सहकारी आन्दोलन हमारा समाप्त होता जा रहा है, मैं चाहूंगा, सहकारी मंत्रीजी, आप इस ग्राम सेवा सहकारी समिति को ग्राम पंचायतवाइज अगर सहकारी समिति

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

बनाओगे तो निश्चित रूप से शोषण कम होगा। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि जैसे नयी आपके सामने ग्राम पंचायतें आ रही हैं, आप पंचायत राज्य मंत्री हैं, सहकारी समिति बनाइये और इस एक्ट में कोई नया संशोधन लाइये। अन्त्योदय परिवार के लोगों को प्रायोरिटी दीजिए, महिलाओं और हरिजनों को प्रायोरिटी दीजिए। यदि आप उन्हीं बोरों को, शोषण करने वालों पर ब्रेक नहीं लगायेंगे तो आप कुछ भी बना लेना; वे लोग आपके काबू से बाहर हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि सहकारी मंत्रीजी, आप इस ओर ध्यान दें। इस सहकारिता के जरिए से राजस्थान में हो रहे शोषण को समाप्त करें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, मैं आपका आभारी हूं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरा कटौती प्रस्ताव श्रीमती सुमित्राजी की मार्फत पेश कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री कैलाश मेघवाल।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह सरकार का जवाब आ रहा है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, जवाब नहीं आ रहा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह कटौती प्रस्तावों पर बोल रहे हैं क्या ? इनका कटौती प्रस्ताव है क्या ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सुमित्राजी की जानकारी के लिए मैं निवेदन कर दूं कि मुझे इण्टरविन करने का अधिकार है और मैं....

व्यवस्था का प्रश्न

अन्य मंत्री कटमोशन के वाद-विवाद में भाग नहीं ले सकते

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइण्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि कटौती की मांग संख्या जब चलती है, कटौती के प्रस्ताव जब प्रस्तुत होते हैं तो जो कोई बोल सकता है कट मोशन्स पर ही बोल सकता है। कोई मंत्री कट मोशन पर नहीं बोल सकता, रख नहीं सकता, और बोल नहीं सकता और इण्टरविन भी नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार के सामान्य नियम और परम्परायें हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या परम्परा है ?

श्री उपाध्यक्ष : सदन की यह परम्परा है कि कोई भी सदन का माननीय सदस्य बोल सकता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप यह गलत परम्परा डाल रहे हैं। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। यह नयी परम्परा है, अस्वस्थ परम्परा है। स्वस्थ परम्परा नहीं है। कट-मोशन का क्या मतलब होता है ? पहले यह तो बताइये।

श्री हेतराम बेनीवाल : क्या माननीय मंत्रीजी का जवाब दे रहे हैं ? कट मोशन कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, यह जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : तो क्या कर रहे हैं ? इसमें दो ही स्टेज हैं, या तो कट मोशन जो रखे वे बोलें और या जो जवाब देना चाहे वह बोलें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मंत्री का कोई कट मोशन नहीं है और मंत्री कट मोशन पर नहीं बोल सकते है। यह गलत परम्परा मत डालें आप। .. (व्यवधान) ...

श्री हेतराम बेनीवाल : यह आधा जवाब दे रहे हैं. (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : क्या यह सदन के सदस्य नहीं है क्या ?

श्री हेतराम बेनीवाल : बिल्कुल सदस्य हैं। कट मोशन पर बोलें, हम स्वागत करते हैं उनका .. (व्यवधान)....नहीं, वे जवाब को मैच्योर कर रहे हैं क्या ?....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : उसी हैसियत से बोल रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रिमण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी है और मैं उस नाते से, मंत्रिमण्डल का सदस्य होने की जिम्मेदारी के नाते से बोल रहा हूं और मुझे इण्टरविन करने का पूरा अधिकार है।....(व्यवधान)....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : You have the right of reply.....(व्यवधान).... उपाध्यक्ष महोदय, आप यह गलत परम्परायें डाल रहे हैं। मेहरबानी करके गलत परम्परायें नहीं डालें। आज दिन तक कभी ऐसा नहीं हुआ .. (व्यवधान)....

श्री हेतराम बेनीवाल : पहले जवाब किस बात का देना। कट मोशन सुन लीजिए हमारे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आसन व्यवस्था दे पहले, उसके बाद बोलने के लिए कहिये। किसी और को बुलवाइये... (व्यवधान)....

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं दे रहा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई पहली बार बोलने का अवसर नहीं मिला है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पहली बार है। कट मोशन पर पहली बार। राजस्थान विधान सभा के इतिहास में पहली बार.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, पहली बार नहीं बोला है। इस प्रकार की अनुमति पहले दी गयी है और माननीय सदस्य इण्टरविन कर सकते हैं डिबेट को।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप एक गलत परम्परा डाल रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, पहली बार नहीं हुआ है।... (व्यवधान)....

श्री हेतराम बेनीवाल : डिबेट को इण्टरविन कर सकते हैं किस स्टेज पर ? इन्होंने कट मोशन दिया नहीं, कट मोशन

(श्री हेतराम बेनीवाल) पर बोल नहीं रहे। जवाब देना नहीं तो फिर क्या है? परम्परा कौन-सी है?....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, पहली बार नहीं हो रहा है....(व्यवधान)....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं कह रही हूं पहली बार, कट मोशन पर पहली बार.... (व्यवधान) आप गलत परम्परा डाल रहे है। We object to it.

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप बहस करवा रहे हैं। एक तरफ मांग रख दी, एक तरफ कट मोशन है। अगर मांग पर बोलना चाहे तो अन्त में बोलें। चाहे यह बोलें, दो बोलें, मुख्य मंत्रीजी बोलें, जितने सारे मंत्री बोलें, हमें कोई एतराज नहीं।

श्री कैलाश मेघवाल : बीच में बोल सकते हैं, इण्टरविन कर सकते हैं...(व्यवधान)....

श्री हेतराम बेनीवाल : किस पर बोल सकते हैं?

श्री कैलाश मेघवाल : विषय पर बोल रहा हूं।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप विषय बताइये कि क्या विषय है? विषय हमारे सामने एक है कि इन्होंने मांग रख दी। हम कट मोशन रख रहे हैं। कट मोशन पूरे हो जाय तब आप बोलें। कट मोशन से पहले कैसे बोलेंगे?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कौनसे नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं? पहले तो आप यह बताइये। आसन बताये जरा।

श्री उपाध्यक्ष : हां, मैं बताऊंगा, आप फरमाइये, क्या कह रहे हैं?...(व्यवधान)....

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी अपने सदन में ऐसी परम्परायें रही हैं कि माननीय मंत्रीजी किसी भी डिबेट में शामिल हो सकते हैं। और शकधर कोल की पुस्तक जो हमारी गाइड लाइन है।

श्री हेतराम बेनीवाल : किसी भी परम्परा का क्या मतलब हुआ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या मतलब हुआ?

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : क्यों नहीं बोल सकता।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप कोई भी शब्द नहीं बोल सकते हैं। किसी पर नहीं नहीं बोलेंगे।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप उद्धृत करियेगा।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : कोल शकधर की पुस्तक के पेज 126 में यह उल्लेखित है कि "Ministers can participate in the debate of the House if they are members of that House"

इसके अलावा हमारे जो नियम हैं वह

(श्री ओमप्रकाश गुप्ता)

साइलेन्ट हैं इस बारे में न वह मना करते हैं, न इस बारे में कोई उल्लिखित करते हैं। कोई भी ऐसा नियम नहीं है जिसके अन्तर्गत माननीय मंत्री को डिबेट में भाग लेने के लिए मना किया गया हो। हमारी आज जो डिबेट हो रही है, इसमें आसन ने व्यवस्थाएं दी थीं कि कई एडजोर्नमेंट मोशन थे, वह भी डिबेट में शामिल हो गये, इसलिए मोशन पर आज डिबेट हो रही है, उसमें एडजोर्नमेंट मोशन भी है, कट मोशन भी है और इस नाते माननीय मंत्री को अधिकार है कि वह इसमें पार्टीसिपेट कर सकते हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मंत्रीजी बोलना चाहते हैं, नहीं बोल सकते हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप जरा पढ़कर बताइये ना। रुल मौन है, मौन का मतलब कट मोशन पर बोलने के लिए आप उन्हीं को परमीशन देते हैं, जो कट मोशन रखे। कटमोशन रखने के बाबत....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : राजस्थान विधान सभा के नियमों में आप कौन से नियम से कह रहे हैं। राजस्थान विधान सभा की नियमावली में बताइये आप।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, कौन से नियम में नहीं बोल सकते ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कट मोशन पर नहीं बोल सकते, कतई नहीं बोल सकते।

श्री हेतराम बेनीवाल : जो डिबेट मांगों पर होगी, उसमें मांग रखेंगे, उसके बारे में जो दूसरे सदस्य बोलेंगे, मांग पर वाद-विवाद में हिस्सा वही लेगें जो कट मोशन पर बोले।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या कह रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं जैसा आपको निवेदन किया गया है कि कट मोशन पर माननीय मंत्री पार्टीसिपेट नहीं कर सकते और डिबेट के अन्दर मिनिस्टर इंटरवीन करना चाहे तो निश्चित रुप से कर सकता है। मैं मुख्य सचेतक जी की बात से असहमत नहीं हूं लेकिन जनरल डिबेट का रूल अलग है, बजट डिबेट का रूल अलग है। एक बात और निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि यदि माननीय मंत्री डिबेट में इंटरवीन करना चाहते है संभवतया जो मैं समझ पाया हूं वह असल मुद्दा...

श्री कैलाश मेघवाल : मैं आपके ही आरोपों का जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, आप जवाब नहीं दे सकते, जवाब मुख्य मंत्रीजी देंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : मंत्रिमण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी है। आपने इतने आरोप लगा दिये....

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप मंत्रीजी से इस्तीफा लीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : आपने सदन को गुमराह किया है। असत्य तथ्यों के आधार पर आरोप लगाये हैं, मुझे पूरा अधिकार है। मंत्रिमण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : You resign first; you resign from the ministership.

श्री कैलाश मेघवाल : मैं आपके एक-एक आरोप का जवाब दूं। (व्यवधान) आपने जिस कारण से ...(व्यवधान) जिस तरह से आरोप लगाये हैं, उसको सुनने के लिए तैयार रहिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : फिर इस पर बहस कराइये। अगर वाकई ऐसा है तो इस पर बहस इनीशियेट कराइये। आप प्रस्ताव रखिये।

श्री कैलाश मेघवाल : आप सुनने के लिए तैयार रहिये। अपनी ताकत होनी चाहिए जब नोटिस देकर आरोप लगाते हैं, उसका जवाब सुनने की तैयारी रखिये। उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि....

श्री उपाध्यक्ष : सुमित्राजी वह इन्टरवीन कर सकते हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं उन्हीं आरोपों का जवाब दूंगा। उन्होंने जिस तरह से....

श्री उपाध्यक्ष : डिमाण्ड पर नहीं बोलते हैं, कट मोशन पर ही बोल रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : असत्य तथ्य, नियमों के विरूद्ध तथ्य निहित स्वार्थों, किसी भी दुर्भावना के कारण यह सारे आरोप लगाये हैं, मैं उनका जवाब देने के लिए तैयार हूं। मुझे हस्तक्षेप करने का अधिकार है।

श्री हेतराम बेनीवाल : अगर वाकई यह सच्चाई है फिर बहस होनी चाहिए। बहस के बाद आप जवाब देंगे। बहस में अधिकार सबको है। जो चार्जेज लगे हैं, उसके बारे में बहस की जाये, निश्चित तौर पर हम तैयार हैं। बहस करवाइये, उसके बाद चाहे 20 बार इन्टरवीन करिये, सारा मंत्रिमण्डल इन्टरवीन करे, हमें कोई एतराज नहीं है। अगर आप मांगों का सहारा लेकर यह कहना चाहें, यहां पर बहस हो जाने दीजिए, उस इशू पर बहस करवाइये। ठीक है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आन ए पाइण्ट आफ आर्डर।

श्री कैलाश मेघवाल : सिद्धांतों के आधार पर मुझे इन्टरवीन करने का पूरा अधिकार है और मैं इन्टरवीन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, इन्टरवीन करने के लिए आपको अलाऊ किया जाता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : There is joint responsibility of the cabinet. Any member of the cabinet can intervene in the debate.

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी, आप उसके बाद इन्टरवीन करें।

श्री हेतराम बेनीवाल : हाउस की परम्परा है उसके मुताबिक आप अपनी रूलिंग दीजिये कि आपने इसका जो निर्णय किया

(२०४)

(श्रीहेतराम बेनीवाल)

है, उसके आधार पर आपने बहस इनीशियेट की, क्या किया, आप बता दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें कोई डिमाण्ड पर बोलने वाली बात नहीं है। केवल इन्टरवीन करने के लिए जो तथ्य आये हैं....

श्री हेतराम बेनीवाल : नहीं या तो बहस करवाइये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : A minister cannot intervene.

श्री हेतराम बेनीवाल : हम अपने विचार रखेंगे और उसके बाद....

श्री सुरेन्द्र व्यास : Lat the Speaker permit. You cannat permit. स्पीकर साहब के ऊपर छोड़िये, यह क्या बात हुई।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय व्यास जी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपको स्पीकिंग आर्डर देना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : I am on the Chair. I have every right. It is not a matter....

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं आप चेयर पर हैं।

श्री उपाध्यक्ष : I have every right to dispose of the matter.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह सीधा आरोप लग रहे हैं।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, आसन की व्यवस्थाओं को इस प्रकार चेलेन्ज करना आसन का अपमान है। and the hon'ble Member should not ask in Such a way.

श्री उपाध्यक्ष आप व्यवस्थाएं देखिये। (व्यवधान) व्यवस्थाएं हमने भी देखी हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : He cannot participate. Let the Chief Minister reply. उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी व्यवस्था यह है कि इसमें कोई भी जवाब दे सकता है, मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं दे सकता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, इसमें जोइण्ट रेस्पोसिबिलिटी है कोई भी माननीय मंत्री जवाब दे सकता है। जरूरी नहीं है कि मुख्य मंत्रीजी ही जवाब देवें। (व्यवधान) नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। कोई भी मंत्री जवाब दे सकता है। अगर माननीय कैलाश जी मेघवाल इसका जवाब देना चाह रहे हैं तो आप सुनिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : गलत बात है। हमें तो सुनिये आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, तो आप सुनेंगे उनको। माननीय कैलाश जी मेघवाल।

(श्री उपाध्यक्ष)

(व्यवधान) सदन की परम्परा है, सामान्य नियम है, आपका पहला जो ऐतराज है सुमित्रा जी यह कट मोशन पर नहीं बोल रहे हैं, अन्य बात भी कह रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, हमें सुनिये पहले आप। आप हमें सुनेंगे उसके बाद आप व्यवस्था दीजिए। माननीय मुख्य मंत्रीजी आप यहां आ गये हैं, मैं आसन की मार्फत आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि कट मोशन का एक खास मतलब होता है, मंत्री को कट मोशन देने का अधिकार नहीं होता है और मंत्री कट मोशन के ऊपर अपनी बात नहीं कह सकता है। जो एलीगेशन लगाये हैं, आप चाहे कैलाश जी मेघवाल, जो आपके सिचाई मंत्री हैं, आप चाहें कि वह जवाब दें तो मांगों का जवाब उनसे दिलवा दीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है और उस समय सारी चीजों का स्पष्टीकरण हो जायेगा लेकिन आप नयी परम्परा, आपको तो आठ विधान सभाओं में बैठने का अनुभव है। क्या कभी भी पहले इस प्रकार से कट मोशन के दौरान मंत्री के भाषण से, मंत्री के रिप्लाई से पहले क्या किसी मंत्री ने इस प्रकार से इंटरवीन करके कट मोशन में यह परम्परा डाली है। मेहरबानी करके यह गलत परम्परा तो मत डालिये आप।

(5.09 सायं)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यदि वह जवाब देना चाहते हैं तो दोनों मांगों का जवाब शौक से दें। आप दिलवाइये उनसे और उस समय सारी चीजों को स्पष्ट करें लेकिन कट मोशन के ऊपर मंत्री के इंटरवीन करने वाली न तो कोई नियमों में प्रावधान है और यह गलत परम्परा है। इस परम्परा को आप न डालें, तो अच्छा होगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या जवाब दोगे ?

श्री कैलाश मेघवाल : यह तो आपकी आत्मा कचोट रही है कि जवाब आने वाला है। सुनने की तैयारी रखिये। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : गलत बात है। कट मोशन में मिनिस्टर इंटरवीन नहीं करेगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या बोलेंगे आप ? (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : सुनने में क्या ऐतराज है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आपस में तो झगड़ा मत करिये आप कम से कम।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप कैसे खड़े हो गये।

श्री अध्यक्ष : सुमित्राजी ने कहा, उसका जवाब आप देना चाहें, दीजिए कोई भी। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : यही सही है कि मंत्रिमंडल का सदस्य कोई कट मोशन नहीं दे सकता लेकिन यह बात भी सही

(206)

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

है कि मंत्रिमंडल का सदस्य कोई डिबेट में किसी भी समय इंटरवीन कर सकता है।

श्री नत्थीसिह (कुम्हेर) : इन्टरवीन नहीं कर सकता।.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज। सुमित्राजी। आपको मैंने मौका दिया है। आप सुनिये पहले।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री) : किसी मंत्री को डिबेट में इन्टरवीन करने से नहीं रोका जा सकता।। मैं मुख्य मंत्री के नाते कई विभागों के संबंध में बोला हूं, आज भी बोला हूं, पहले भी बोला हूं।

श्री नत्थीसिह : आप बोल सकते हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं बोल सकता हूं तो कैलाश मेघवाल क्यों नहीं बोल सकते। इसमें फर्क क्या है।....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : प्लीज।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मेरी सुनिये। यह एक राइट है। डिमाण्ड की बात नहीं। दे या नहीं दे, डिबेट में इन्टरवीन कर सकता है। यह कोई रूल्स की अवहेलना नहीं है, यह परम्पराओं की अवहेलना नहीं है। किसी माननीय सदस्य को कोई विशेष बात कहनी हो तो आप उसका मुख बन्द नहीं कर सकते। यह एक लिबर्टी है।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : यह हाउस की कोई ऐसी परम्परा नहीं है जिसमे इस तरह से....

श्री भैरोंसिह शेखावत : परम्पराओं की मैं आपको बताऊं। कई बार बोला हूं, मैं खुद बोला हूं। मुझे बता दीजिये कौन से रूल्स में वायलेशन हो रहा है। कोई रूल्स में वायलेशन नहीं है। जैसे आपने कहा कि कट मोशन नहीं दिया। मैं ऐसा समझता हूं इस सदन की परम्परा है कि जो सदस्य कट मोशन देते हैं वह सारे कट मोशन भी एक साथ **they are taken to be moved** और उसके बाद में पार्टी अपना टाइम अलाट करती है उसमें कई मेम्बर तो ऐसे भी होते हैं जिनके कटौती मोशन नहीं है उनको बोलने की इजाजत दी जाती है। यह भी एक परम्परा है।....

श्री सुरेन्द्र व्यास : राइट नहीं होता।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यदि हाउस की परम्परा का राइट.... (व्यवधान)....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पिछली बार से पड़ी है परम्परा उससे पहले यह परम्परा भी नहीं थी।

श्री अध्यक्ष : सुमित्राजी आप पूरा सुन लीजिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मेरे समझ में नहीं आता या तो मैं इनका ही डिक्टेशन मानूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप बोलिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं। इस सदन की परम्परा मुझे भी देखते हुये हो गये। इस सदन में जो कट मोशन देते हैं, कट मोशन काफी संख्या में आते हैं। इस हाउस में कई बार सदन की व्यवस्था है, अध्यक्ष की व्यवस्था है कि यह कट मोशन पढ़ कर नहीं सुनाये जायेंगे। जिन माननीय सदस्यों ने कटौती मोशन दिये हैं they are taken to be read और उसके बाद पार्टी व्यवस्था करती है कि इन कटौती मोशन पर कौन बोलेगा, कट मोशन जिन्होंने नहीं दिया उनमें कौन बोलेगा इसमें आपत्ति क्या है और यदि कैलाश मेघवाल बोलते हैं तो आपको आपत्ति क्या हो रही है। अगर मान लीजिये आपने कोई आरोप लगाये हैं और उसका यह जवाब देना चाहते हैं, मैं समझता हूं आप में तो आरोप लगाने की क्षमता है तो सुनने की भी क्षमता होनी चाहिये। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। जहां तक सुमित्राजी विरोध कर रही है। मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं कि न परम्पराओं की अवहेलना है, न नियमों की अवहेलना है, मंत्री, मेम्बर भी है और मेम्बर के नाते, मंत्री के नाते वह इन्टरवीन कर सकता है मुझे इसमें कोई आपत्ति की बात नजर नहीं आती। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक-एक बोलेंगे। प्लीज। आप बैठिये। पहले आप मुझे सुन लें। देखिये, एक बड़ा नया सवाल खड़ा हुआ है। .... (व्यवधान) ... आप बैठिये। आप इसको लाइटली मत लीजिये। नया सवाल खड़ा हुआ है। आप उसमें बोलना चाहे तो अपने विचार रखिये। एक-एक रखिये और इस पर लाइट डालिये। देखिये, इसमें यह बहुत इजी नहीं है। माननीय केदारजी।

श्री केदारनाथ शर्मा (श्रीगंगानगर) : अध्यक्षजी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी अपना इस बारे में, रूल्स के बारे में, परम्पराओं के बारे में बात कही। मैं बात मानता हूं कि रूल साइलेंट है और आज तक परम्परा भी कोई नहीं है। क्योंकि नयी परम्परा आप कायम करने जा रहे हो इसलिये आप सोच-विचार करके सब को मौका मिल जाय। पर, माननीय मुख्य मंत्रीजी मंत्री कन्सर्ड बैठे हों, खुद मुख्य मंत्रीजी सारी इस डिबेट को सुन रहे हों और एक तीसरा आपका मंत्री इन्टरवीन कर सकता है पालिसी मैटर्स, पर्सनल इन्टरेस्ट पर। यह प्रोप्राइटी का सवाल है न कि परम्परा का सवाल, न यह रूल्स का सवाल है। मंत्री जब स्वयं बैठे हैं विभाग का और जब दूसरा मंत्री इन्टरवीन करता है तो यह प्रोप्राइटी में कोई अच्छा ट्रेडीशन पैदा नहीं होगा। बाकी रूल्स साइलेंट है। यह मैं मानता हूं परम्परा भी नहीं है। मुझे खुद को इस हाउस का अनुभव है इसलिये मेरा आपसे निवेदन है माननीय मुख्य मंत्रीजी कि ऐसी परम्परा मत कायम करें। जब आपका मंत्री बैठा है, आप बैठे हैं आप जवाब दे सकते हो, कैलाशजी बड़े कंपीटेंट हैं मगर लोग क्या कहेंगे, वह प्रोप्राइटी क्या होगी। यह डीसेंसी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय नत्थीसिंह।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि कोई मंत्री बोले इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जाइंट रेस्पोन्सिबिलिटी है लेकिन आम विवाद हो, राज्यपाल का हो, बजट पर हो और कोई बात हो तब तो दूसरी बात है लेकिन डिमाण्ड्स डिपार्टमेण्ट की चल रही है, कट मोशन है, मंत्री कन्सर्ड मौजूद हैं या तो वह कह दें कि किसी कारण-वश वह अक्षम है, बीमार है या बोल नहीं सकते या कोई और कारण है तब तो उनका जवाब पूरा ही दे दें मेघवालजी हमको कोई ऐतराज नहीं है कतई पूरी डिमाण्ड्स का जवाब वह दे, अथोराइज्ड कर दें तब तो बात दूसरी है। लेकिन आप एक तरह ऐसी परम्परा डाल कर सम्बन्धित मंत्री के ऊपर भी रिफ्लेक्शन्स डाल रहे हैं कि वह अपनी बात.... (व्यवधान) .... और यह नयी बात आप कर रहे हैं, आपको अधिकार है, आपके यहां कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर होता तो उसको भी अधिकार है या कन्सर्ड मंत्री को। यह परम्परा आपकी चाहे जो मंत्री खड़ा हो जाय। उनसे कोई दर्जा ज्यादा नहीं है उनका, वह कोई कमजोर नहीं है, विभाग का जवाब दे सकते हैं, मुख्य मंत्री दे सकता है लेकिन चाहे जिस मंत्री को आप उनका सुपर बोस बना दें ऐसी परम्परा नहीं होनी चाहिये। ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज। फिर आप इसको सीरियनेसस मत कहिये। देखिये, या तो नान-सीरियस करते हैं तो फिर मैं जा रहा हूं।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह सीरियल है।

श्री अध्यक्ष : सीरियस हैं तो सीरियस डिबेट करिये, **don't diffuse it** जो बोल रहा है, सुनिये। आप इसको लाइटली मत लीजिये इस बात को। आप आसन की स्थिति को नहीं समझ रहे हैं। हां, आप बोलिये।

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जिस बिन्दु पर अभी यहां पर चर्चा चल रही है, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी डिपार्टमेंट की जब डिमाण्ड चलती है तो इस सदन के माननीय सदस्य अपने कट मोशन देते हैं और कट मोशन पर जिनके कट मोशन आये हुये हैं आसन की ओर से उनको इजाजत दी जाती है कि वह अपने कट मोशन पर इस डिमाण्ड के ऊपर कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं तो वह रखें। अपने यहां पर एक प्रैक्टिस रही है, अध्यक्ष महोदय, चूंकि काफी बड़ा नम्बर होता है कट मोशन देने वालों का और सदन का समय कम है तो यह व्यवस्था कर दी कि संबंधित दलों के चीफ व्हिप्स नाम देते हैं बोलने वालों के और आसन से उन लोगों को बोलने की इजाजत दी जाती है और वह बोलते हैं। वैसे रूल के हिसाब से देखा जाय तो यह जो परम्परा है हमारी अन्यथा कट मोशन पर बोलने का अधिकार सभी कट मोशन वालों को है और समय के अन्दर जो सदन में माननीय सदस्य स्पीकर की आई केच करता है उसको स्पीकर अलाउ करता है फौरन देख कर कि हां आप बोलिये, आप बोलें। तो कट मोशन जब है तो कट मोशन वाले ही

(श्री हीरालाल देवपुरा)

बोलते हैं, दूसरा बीच में कोई नहीं बोलता चाहे वह मंत्री हो, चाहे कोई दूसरा भी हो। दूसरी बात, डिबेट तो है नहीं, जनरल डिबेट के ऊपर बहस होती है, सामान्य बहस के वक्त जनरल डिबेट होती है उस बीच में इन्टरवीन करने के लिये किसी भी मिनिस्टर को अधिकार है और आम तौर पर मंत्री अपने विभाग के बारे में कोई बात आयी है उसके लिए वह इन्टरवीन करके अपनी बात कहता है। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है उसकी जनरल बहस होती है, उस धन्यवाद के प्रस्ताव पर बहस होती है उस बहस में डिपार्टमेंट की कोई बात आयी तो संबंधित मंत्री उस बात को लेकर इन्टरवीन करके अपनी बात कह सकते हैं। आम तौर पर कभी यह नहीं हुआ कि कट मोशन चल रहे हैं इस सदन में, मंत्री के कोई कट मोशन नहीं होते, मंत्री कट मोशन देता नहीं और देना भी नहीं चाहिये, परम्परा भी नहीं है। कोई कट मोशन नहीं है तो उस वक्त इस बीच में आकर के इन्टरवीन करने का अधिकार नहीं है। जहां तक जवाब देने का प्रश्न है। यह माननीय मुख्य मंत्रीजी का अपना प्रीरोगेटिव है, वह जिस मंत्री को चाहे कह सकता है कि आज कि आज की डिमाण्ड का जवाब फलां दें, तो वह दें लेकिन कभी ऐसा नहीं रहा कि संबंधित मंत्री, विभाग के मंत्री सदन में है और उन मंत्री के बजाय किसी दूसरे मंत्री ने कोई जवाब दे दिया ऐसा उदाहरण आज तक, अभी तक नहीं आया लेकिन मैं कह रहा हूं जवाब दिलवा सकते हैं लेकिन जब कभी ऐसा मौका आया कोई ऐसी उलझन बात आयी है मुख्य मंत्रीजी को पूरा अधिकार है कि सदन में अपनी बात को पूरी तरह कहे, किसी भी डिपार्टमेंट की बात कहें इसको ना नहीं कर सकते। जवाब के टाइम अगर कोई बात ऐसी है जिस पर मुख्य मंत्रीजी समझते हो, मंत्रिमण्डल यह समझता हो कि पर्टिकुलर मिनिस्टर उसका जवाब दें। देवें जवाब। लेकिन कट मोशन के बीच में इन्टरवीन की दृष्टि से यदि बोलने की बात है मैं सोचता हूं कि यह परम्परा के विपरीत होगी। यह सदन में रही नहीं है और कट मोशन देने की जो व्यवस्था है उसके भी विपरीत होगा कि मंत्री बीच में आकर कट मोशन के बीच में आकर बोल रहा है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह नयी परम्परा नहीं कायम की जाय।

श्री अध्यक्ष : आप में से किसी को बोलना है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप बोल चुके हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं दो बात निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : बोलिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो बात निवेदन करना चाहता हूं। एक तो जनरल डिबेट, यह पर्टिकूलर डिमाण्ड की डिबेट अलग चीज है। अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने भाषण में स्पष्ट रूप से कहा था, मंत्रीजी का वह पत्र मैंने सदन के समक्ष पढ़ कर सुनाया था और यह आग्रहपूर्वक सदन के माननीय सदस्यों को

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

आपके माध्यम से निवेदन किया था कि इन तथ्यों का जवाब सम्भवतः संबंधित मंत्री भी नहीं दे सकता। तथ्यों का जवाब चाहिये, अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी दें तो मैं उनका कृतार्थ होऊंगा अन्यथा अगर आपको+++करवानी है और इसके लिये आप चाहते हैं मैं इसके लिये इन्टरवीन करूं, मैं कभी फैक्ट्स के बाहर नहीं बोलता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप क्या बोल रहे हैं। पाइंट आफ आर्डर पर बोलिये। प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं पाइंट आफ आर्डर पर ही बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : No, Please sit down.

आप इस पाइंट आफ आर्डर पर बोलिये। आपने तो अपनी बात शुरू कर दी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं इसी पर बोल रहा हूं। अध्यक्ष महोदय यह स्पष्ट है। वह मेरे चार्जेज का जवाब देना चाहते हैं उन्होंने खुद कहा कि मैं आपके चार्जेज का जवाब देना चाहता हूं और आप जो कह रहे हैं समझने की चेष्टा कीजिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। वह यह खुद कह रहे हैं, मंत्री महोदय कह रहे हैं, कैलाश मेघवाल खुद कह रहे हैं कि मेरे चार्जेज का जवाब देना चाहते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि मेरे चार्जेज का जवाब स्वयं मुख्य मंत्रीजी दें कोई दूसरा जवाब दे पायेगा यह आपसे छुपा है क्या? डाक्टर हरिसिंह के रिश्तेदार हैं इसलिए उन्होंने उठा दिया, सुरेन्द्र व्यास के रिश्तेदार, बहनोई का ट्रान्सफर नहीं किया इसलिए उठा दिया।

श्री अध्यक्ष : फिर आपने शुरू कर दिया। क्या विषय चल रहा है। और आप क्या बोल रहे हैं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस बात पर सदन में चर्चा हो रही है। मेरा निवेदन है कि यह आज तक के इतिहास में न तो इस तरह की कोई परम्परा रही है। जैसा माननीय प्रोफेसर केदार साहब ने कहा यह क्वेश्चन आफ प्रोप्रायटी है। कट मोशन का जहां तक सवाल है चूंकि कोई भी माननीय सदस्य कट मोशन दे सकता है लेकिन सरकार में बैठा हुआ मंत्री कट मोशन नहीं दे सकता। उसका कारण यह है कि कट मोशन में यह व्याख्या की जाती है कि इस मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। इस मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय यह इस विषयक कोई मंत्री कोई पक्ष रखता है तो मैं समझता हूं कि मंत्री को बोलने का अधिकार नहीं है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जब से विधान सभा बनी है ज्यादातर सदनों में रहे हैं और हमेशा इस सदन को नियमों के तहत, परम्पराओं के तहत चलाने में बहुत बड़ा सहयोग रहा है। सदन के माननीय नेता किसी भी बात पर

+++शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

कोई बात रखते हैं तो उसका बहुत बड़ा वजन होता है। उससे नयी परम्परा कायम होती है। नये ट्रेडीशन भी कायम होंगे। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सदन से यह निवेदन है कि नयी परम्परा इस तरह से कायम नहीं की जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। देखिए इसमें चूंकि रूल बहुत सायलेण्ट हैं और परम्पराओं पर भिन्न-भिन्न मत सामने आये हैं। दोनों तरफ से माननीय सदस्यों ने कहा उसमें एक तरफ से तो यह कहा जा रहा है कि परम्परा है, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है नहीं है। लेकिन इसका जो बेसिक सिद्धांत है वह यह है कि आज केवल दो बातें हैं। कट मोशन और मांग जिसको कट मोशन देने का अधिकार है, वह कट मोशन पर बोलेगा और जिसको मांग का जवाब देने का अधिकार है वह मांग पर बोलेगा। यदि मंत्री को कट मोशन देने का अधिकार नहीं है तो वह उस केटेगरी में आयेगा कि वह मांग का जवाब देने के लिए सक्षम हैं। जोइंट रेस्पोंसिबिलिटी की वजह से जहां तक मांग का जवाब देने का सवाल है—वैसे सामान्यत: डिमाण्ड्स पर जो इस सम्बन्ध से परम्परा है वह यह है :—

"Whereas during the general discussion on the budget the House is at liberty to discuss the budget as a whole or any question involved therein, at the stage of discussion on Demands for Grants in respect of a Ministry, the debate is essentially confined to a matter which is under the administrative control of the Ministry and to each head of the Demand as is put to the vote of the House. During discussion on the Demands for grants, it is open to Members to disapprove a policy pursued by a particular Ministry or to suggest measures of economy in the administration of that Ministry or to focus attention of the Ministry to specific local grievances."

"During the general discussion on the budget no motion is moved nor is the budget put to the vote of the House."

अब इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कण्ट्रोल उस मिनिस्टर का है जो इसका इन्चार्ज है। मेरी सम्मति यह है, मेरी व्यवस्था यह है कि कट मोशन में जिसको कट मोशन देने का अधिकार नहीं है, वह नहीं बोल सकता है।

मांग संख्या 36 व 37 पर विचार

श्री नवनीतलाल नीनामा।

श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल) : अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 36 और 37 पर मेरे सुझाव देना चाहूंगा। मान्यवर, आपके माध्यम से यह निवेदन है कि सहकारी समितियों के जब चुनाव होते हैं तो उन चुनावों में परिवर्तन करने का,

212

(श्री नवनीतलाल नीनामा) -

परिवर्तन करके चुनाव कराने का मेरा सुझाव है। सुझाव यह है कि सहकारी समितियों के चुनाव होते है उसमें वार्ड नहीं होते हैं। एक ही वार्ड में एक ग्राम पंचायत से लेकर पांच ग्राम पंचायत होती है और मतदाता भाग लेते हैं और उम्मीदवार भी भाग लेते हैं। अतः मेरा सुझाव है कि पंचायतों की तरह सहकारी समितियों के भी वार्ड बनाये जाकर के चुनाव की व्यवस्था करायी जाय। क्योंकि इस चुनाव में ऐसी व्यवस्था है कि विधान सभा व लोक सभा के चुनाव से भी यह महंगा चुनाव है। देहातों में अनपढ़ वोटरों में इतनी परेशानी है कि एक एक व्यक्ति को 9-9 वोट देने होते हैं तो वहां अनपढ़ और गांवों में रहने वाले व्यक्ति को नौ वोटों को याद रखने में बड़ी परेशानी होती है। अतः मेरा सुझाव है कि सहकारी समितियों के चुनाव एक वार्ड में नहीं होकर ग्राम पंचायत वाइज वार्ड के रूप में कराये जाय। यह मेरा एक सुझाव है।

मान्यवर, कृषि के सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि हमारा राजस्थान देश का एक कृषि अंग है। यहां पर दो तरह से खेती होती है, सूखे से और पानी से खेती होती है। मेरा निवेदन है कि जहां तक बरसात के आधार पर जो खेती हुआ करती है उसमें मेरा यह सुझाव बनता है कि जहां तक वनों के बिना पानी नहीं है और पानी के बिना वन नहीं है। मेरी यह मांग है कि जहां वन दिनों दिन नष्ट होते जा रहे हैं उसकी रक्षा की जाय पानी से खेती करने वाले पेड़ हैं उससे ज्यादा पानी मिले और पानी के आधार पर खेती का विकास हो। अतः मेरा यह निवेदन है कि मैंने इसी सत्र में

(5.23 सायं)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

विधान सभा में जो सवाल लगाये थे और उन सवालों में राज्य सरकार के वन विभाग की तरफ से उत्तर आया है उसमें प्रश्न यह था कि वन कहां कहां लगाये गये हैं? कौन से जिलों में कितने वन लगाये गये हैं और जितने वन लगाये गये हैं उसमें कितने पेड़ पौधे जिन्दा हैं? जिसका उत्तर सही नहीं आकर पटल पर रखा जाना सम्भव नहीं है। मेरा निवेदन है कि करोड़ों रुपया केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार का खर्चा होता हो पानी को पैदा करने वाले पेड़ पौधे लगाने हों और उसमें इस प्रकार का उत्तर आये तो इससे मेरी मांग बनती है कि पानी को पैदा करने वाला जो पेड़ है उसकी रक्षा के लिए विशेष ध्यान रखा जाय।

मान्यवर, किसानों की खेती पानी और सूखी दो तरह से होती है। राजस्थान राज्य में 213 तहसीलों के माध्यम से जो खेती की निगरानी की जा रही है आज उन में से 122 तहसीलें ऐसी हैं जहां भू नपती की मियाद बाहर निकल चुकी है। जहां पर इन दिनों सेटलमेण्ट, पैमाइश जरूरी है। अतः मेरी मांग है कि इस प्रकार मियाद के बाहर जो तहसीलें निकल चुकी हैं उन में तत्काल भू नपती करायी जाय। कारण अभी गांवों और देहातों में रहने वाले किसान खेतों की नपती के

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

अभाव में नाजायज कोर्ट और तहसील में जाकर खड़ा रहेगा। अतः मेरा सुझाव है कि जिन तहसीलों की सैटलमेंट बकाया है उनकी भू-नपती कराई जाये और साथ ही साथ किसान का न्याय करने के लिए स्थानीय कोर्टों में स्थानीय भाषा समझने वाले मजिस्ट्रेट को रखा जाये ताकि साधारण अनपढ़ किसान को न्याय देने में सुविधा हो, ऐसी मेरी मांग है। मान्यवर गत सितम्बर, 1991 में वन विभाग, रेवेन्यू और चारागाह, इस प्रकार की जमीन के खुलासे के लिए हमारे वन मंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी जहां पर यह निर्णय लिया गया था कि उदयपुर डिवीजन में रहने वाले आदिवासी किसानों के नाजायज कब्जे थे उससे जो परेशानी है उसे दूर करने के लिए निर्णय लिया गया था। राजस्थान के सभी जिलाधीशों को निर्देश दिए गए जहां पर कहीं कहीं कमेटियां बनाई जाकर निर्णय किया जा रहा है। लेकिन मेरा इसमें एक निवेदन है कि मैंने बांसवाड़ा, डूंगरपुर व उदयपुर के वन अधिकारियों से सम्पर्क किया जहां यह जानकारी आई है कि उन कमेटियों में क्षेत्रीय विधायक, प्रधान, सहायक वन अधिकारी, तहसीलदार आदि अधिकारी हैं। उन अधिकारियों से मैंने सम्पर्क करके जानकारी ली कि इस काम में शिथिलता क्यों है। तो इनका यह कहना है कि इन कमेटियों का छोटा रूप किया जाये। बड़े अधिकारियों के लिए हर गांव, खेत और जंगल के कोने कोने में जाकर के नपती करना संभव नहीं है। अतः मेरी यह मांग बनी है कि स्थानीय, पटवारी सरपंच व जन प्रतिनिधि जो जानकारी रखने वाले हों इनको ऐसा अधिकार दिया जाये कि वह मौके पर जा करके निर्णय करें ताकि इनका खुलासा हो। मान्यवर, मैंने जानकारी के लिए जिला बांसवाड़ा के वन अधिकारी जी से सम्पर्क करके वहां का आंकड़ा लिया है। तो अभी 911 मामले ही इनके रिकार्ड में आ पहुंचे हैं। मैंने गांव और खेतों में, जंगलों में, लोगों से सम्पर्क किया तो वहां पर नाजायज कब्जे की जमीन ज्यादा है, मामले ज्यादा है। यह कम क्यों है? तो अधिकारियों का यह कहना है कि स्थानीय पटवारी हमें बराबर समय नहीं देते हैं। अतः मेरा सुझाव और मांग है कि ट्राइबल इलाके में उदयपुर डिवीजन में जो ऐसे किसान हैं जो जंगल की भूमि पर कब्जा करके अपना पेट पालते हैं। वन के अधिकारी जहां जंगल नहीं है वहां जमीन का खुलासा करना चाहते हैं लेकिन रेवेन्यू अधिकारी मौके पर नहीं जाते हैं और बड़े अधिकारियों की बैठक पूरी नहीं होती है। अतः मेरा सुझाव है कि इन कमेटियों को छोटा रूप दिया जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मान्यवर, किसानों की समस्या के लिए सैटलमेंट के साथ ही साथ खेतीहर औजार के बारे में मेरी यह मांग है कि खेती करने के लिए खेती से सम्बन्धित जो लकड़ी है, वह किसान अपने खेत के किनारे पैदा करके वह लकड़ी काटता है जिस पर भी नाजायज तौर से वन विभाग की आपत्ति बनती है। तो खेती के संबंध में काम

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

आने वाले जो किसान लकड़ी काटते हैं, अपने खेत में पैदा करते हैं तो उनको ऐसी छूट होनी चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है।

मान्यवर, खेती में भी जब बरसात का महीना आता है पानी गर्ज करके ऊपर से बरसने लगता है, तब सहकारी समितियां खाद बीज का रिकार्ड रखने वाले अधिकारी उसकी जानकारी लेने के लिए आफिसों में पता लगाते हैं। मेरा यह निवेदन है कि जब आसमान से बरसात होती है, बरसात होते ही किसान को हल जोतना होता है। अतः मेरा सुझाव है कि खाद और बीज बरसात का समय नजदीक आते ही किसान के घर में चला जाना चाहिए, ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए।

मान्यवर किसान के अनाज की कीमत इस प्रकार होनी चाहिये वहां बीज किस भाव से मिलता है, खाद किस भाव में मिलती है पानी की पिलाई क्या लगती है, किसान की मजदूरी क्या है, इस प्रकार की तुलना करके स्थानीय किसानों की एक कमेटी बनाकर के भाव में लेन देन करने के लिए इनको सुविधा दे देनी चाहिये।

मान्यवर, किसानों से ही सम्बन्धित मेरे जिले की तरफ आपका मन खींचना चाहूंगा। बांसवाड़ा जिला, डूंगरपुर जिला और उदयपुर जिला यह ऐसे जिले हैं जहां अभी साधारण कुछ तालाब बने हैं बाकी कई जगह जमीन ऐसी सूखी है और बरसात के आधार पर है। अतः मेरा यह निवेदन है कि जहां जहां पर डैम बनाये गये हैं और जिस गांव में नहर गई है उस गांव की जमीन को कमाण्ड घोषित कर दिया गया है। अतः मेरा सुझाव है कि गांव को कमाण्ड घोषित नहीं किया जाये उस जमीन को घोषित की जाये जिसमें पानी जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : नीनामाजी, आप काफी विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री नवनीतलाल नीनामा : जहां पानी नहीं जाता है उस जमीन को कमाण्ड से बाहर कर देना चाहिए....

श्री उपाध्यक्ष : विषयान्तर मत होइये। सहकारिता पर बोलिये अगर बोलना है तो।

श्री नवनीतलाल नीनामा : मान्यवर, किसानों के लिए मेरा एक और सुझाव है। दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो अकाल के वक्त कुएं खोदे गये वे कुएं अभी अधूरे पड़े हुए हैं। अतः मेरा सुझाव है कि तालाब और कुएं अकाल राहत के तहत लें। जून में काम बन्द कर दिया गया और वह कुएं अपूर्ण रहे। तो मेरा यह सुझाव है कि अकाल में सड़क, या और कोई काम लिया जाये, सड़क अधूरी हो तो उस पर गाड़ी चल सकती है, कुआं अधूरा हो तो उसका उपयोग नहीं होता, तालाब अधूरा है तो उसका उपयोग नहीं होता है। इसलिए पानी से सम्बन्धित जो योजनाएं है हैं उन योजनाओं को अकाल के तहत काम खोल कर उसको पूर्ण करने की योजना में लिया जाये, उसका अधूरा छोड़ने से सरकार का नाजायज खर्चा होता है। अतः

(श्री नवनीतलाल नीनामा)

मेरा सुझाव है कि अकाल में लिये गये काम पूरे करने की योजना में आये, ऐसे ही काम लिये जायें, ऐसा मेरा सुझाव है।

श्री उपाध्यक्ष : नीनामा जी, अब आप विराजिये। नीनामाजी पूरा कीजिये।

श्री नवनीत लाल नीनामा : सिंचाई के छोटे तालाब के रूप में....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नीनामा जी, सिंचाई इसमें नहीं आती है। आपने सारे ही एग्रीकल्चर के बाहर के टापिक बोले हैं।

श्री नवनीत लाल नीनामा : निवेदन ऐसा है सिंचाई भी आसमान के पानी से होती है।

श्री उपाध्यक्ष : कभी अकाल का बोल जाते हैं, कभी पेड़ों का बोल जाते हैं।

श्री नवनीत लाल नीनामा : यह फसलें सूख रही हैं तालाब के पानी की अव्यवस्था के कारण तो तालाब का नाम तो मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि वह पानी से संबंध है....

श्री उपाध्यक्ष : वह सिंचाई में आता है उसी में आयेगा, इसमें नहीं आयेगा।

श्री नवनीत लाल नीनामा : सिंचाई में तो आयेगा। खेती होती नहीं है इसलिए मेरा निवेदन है कि माही डैम की कैनाल अधूरी पड़ी हुई है। भूंघरा नाम की कैनाल जहां के किसान खेती के हिस्सेदार में अपने खेत के किनारे बैठे हुए है, किसानों को सहयोग देने के लिए, खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए उन नहर पर ध्यान दिया जाये। इसी तरह से पीपलखूंट गांव में मेहर नाम का तालाब टूट गया है जहां पर तीन गांव बेरोजगार हो गये हैं वह अपने खेत छोड़ कर दूसरे गांव में मजदूरी के लिए चले गये हैं। अतः मेरा यह सुझाव है कि तालाब की मरम्मत कराकर के वहां के स्थानीय किसानों को खेती करने की सुविधा दी जाये। आपने मेरे को समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंहजी महुआ।

श्री हरि सिंह (महुआ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि और सहकारिता से सम्बधित मांगों के इस वाद-विवाद में मैं भी अपने आप को सम्मिलित कर रहा हूं। मैं कुछ बोलूं उससे पहले राजस्थान प्रदेश के कृषि वैज्ञानिकों को धन्यवाद देना चाह रहा हूं जिन्होंने कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रान्ति की, विश्व स्तर की क्रान्ति की, नयी नयी खोज की और देश को खाद्यान्न के मामले में स्वावलम्बी बनाया। लेकिन उसके साथ ही, मान्यवर, कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसान के प्रति जितनी उदासीनता बरती उसके लिए मुझे अर्ज करना पड़ेगा। पिछले साल बजट में खाद की कीमत एक साथ बढ़ा दी गई। केन्द्र सरकार का यह निर्देश था कि होलसेल डीलर या रिटेलर के पास आज जितना भी खाद उपलब्ध है वह पूर्व रेट्स पर बेचा जायेगा। यह अकाउन्ट लेना था जिला कृषि अधिकारियों को। मान्यवर, पूरे राजस्थान में जो रिटेलर विक्रेता थे खाद के या थोक विक्रेता थे, उनका पता नहीं चला, ओवरनाइट वह खाद उन्होंने कब विक्रय कर दिया। विशेष बात यह है कि जिस समय खाद का विक्रय दिखाया गया था उस समय आफ

(श्री हरिसिंह)

सीजन था, उस समय किसान की खाद की कोई मांग थी ही नहीं। उसके बाद आज तक कृषि अधिकारियों ने किसी व्यापारी से यह नहीं पूछा कि आपने खाद कहां-कहां पर दिया और अगर पूछा है तो मामला गोलमाल कर दिया। मैं मेरे जिले का अनुरोध कर रहा हूं। चार लाख कट्टे उस दिन रिटेलर्स के पास थे। सहकारी समितियों की बात अलग है। मैं मार्केटिंग सोसाइटीज की बात नहीं कर रहा, जो प्राइवेट डीलर्स थे उनके पास चार लाख कट्टे थे। उन चार लाख कट्टों में से एक कट्टा भी किसानों को पूर्व निर्धारित दरों पर नहीं बेचा गया। यह निश्चित बात है कि केन्द्र सरकार ने दर बढ़ाई थी, लेकिन वितरण व्यवस्था राजस्थान सरकार के हाथ में थी, कृषि विभाग के हाथ में थी, सप्लाई विभाग के हाथ में थी। दोनों विभाग इस मामले में फेल रहे। किसान का शोषण होता रहा, किसान के साथ धोखा किया गया और किसान को ऊंची रेट पर खाद खरीदने के लिए आपने मजबूर किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और अनुरोध करना चाह रहा हूं आपके माध्यम से सरकार से कि यह तो सही है कि सरसों का उत्पादन हमारे राजस्थान में बहुत अच्छा है, प्रथम नम्बर पर है। लेकिन जितना हम सोच रहे हैं उतना नहीं है। उतना ही हो जाता, लेकिन कृषि विभाग की उदासीनता से भरतपुर, अलवर और सवाई माधोपुर जिलों में कम से कम चार मन से लेकर पांच मन तक प्रति बीघा उत्पादन कम हुआ। सरसों में सफेद रोली लग गयी। गांव-गांव में कृषि पर्यवेक्षक रहते हैं। किसी कृषि पर्यवेक्षक ने ऊपर अपने अधिकारी को इत्तला दी या नहीं दी, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। जहां 10-12 मन प्रति बीघा की सरसों बारानी में हमको मिलती थी, अब जब खलिहानों में तैयार कर रहे हैं तो हमारी आंखें खुली हैं कि हम बहुत बड़ा धोखा खा गये और इस रोग ने किसान का बहुत बड़ा सत्यानाश कर दिया। आज 6-7 मन प्रति बीघा से ज्यादा सरसों किसान को नहीं मिल रही है। 28 लाख टन सरसों का जो हमारा लक्ष्य था वह घटकर फिर नीचे रह जाएगा। कृषि विभाग की उदासीनता इसके लिए जिम्मेदार है।

मैं कृषि विभाग पर इतना ही अनुरोध करना चाह रहा हूं। सहकारिता विभाग के सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अनुरोध करना चाह रहा हूं कि सहकारी समितियों के आप चुनाव करवा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। हमने प्रजातान्त्रिक प्रणाली अपनायी, प्रजातांत्रिक मूल्यों को अंगीकार किया है। उपाध्यक्ष महोदय, रूल आफ लॉ को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। जब गवर्नमेंट ही रूल आफ ला पर कुठाराघात करे तो फिर यह पूरे के पूरे प्रजातांत्रिक मूल्य और प्रजातन्त्र, यह बेइमानी रह जाती है। मैं सहकारी समितियों के चुनावों में कुछ गड़बड़ियों की तरफ, उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, विशेषकर नांदोती तहसील, जिला सवाई माधोपुर की दो सहकारी समितियों और महुआ तहसील की एक सहकारी समिति की तरफ। जी.एस.एस. दलपुरा,

(श्री हरिसिंह)

जी.एस.एस., शशिबलदारा और जी.एस.एस., खेड़लाबुजुर्ग, जो महुआ तहसील की सहकारी समिति है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं दलपुरा और खेड़लाबुजुर्ग सहकारी समितियों के चुनाव के सम्बन्ध में इसलिए कुछ नहीं कहूंगा, इसलिए मैं मजबूर हूं कुछ कहने से क्योंकि मामला हाई कोर्ट में है, सब-जुडित है। इसलिए मैं चुप्पी साधता हूं। लेकिन जी.एस.एस., शशिबलदारा जो नांदोती तहसील की सोसायटी है उसका प्रोसेस हाई कोर्ट और रजिस्ट्रार से पूरा हो चुका है, इसलिए मैं उस पर खुलकर बात करना चाहूंगा और आप से एक-दो मिनट समय का अनुरोध करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, शशिबलदारा सहकारी समिति के चुनाव का प्रोग्राम घोषित हुआ। 18-2-1991 तारीख तय की गयी थी नामिनेशन फार्म पेश करने की। 19-2-1991 तय की गयी थी नामांकन पत्र की स्क्रूटनी और उनकी वापसी के लिए। 23-2-1991 तय की गयी थी चुनाव के लिए। उपाध्यक्ष महोदय, इस सोसाइटी के चुनाव करवाने के लिए श्री रमेशचन्द मीणा कार्यकारी निरीक्षक को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। सोसाइटी का 18 तारीख को जो नामिनेशन लेना था, उस दिन वहां पर निर्वाचन अधिकारी नहीं पहुंचे। गांव वाले तलाश करते रहे, कोई अता-पता नहीं। तो मजबूरी में तारीख 19-2-91 को उस गांव के रहने वाले श्री गंगासहाय त्रिवेदी, जो जिला सवाई माधोपुर सी.सी.बी. के चेयरमैन भी थे, जाइण्ट रजिस्ट्रार, भरतपुर के पास गये। उन्होंने जाकर उनसे अनुरोध किया कि मान्यवर, हमारे यहां जो निर्वाचन अधिकारी आपने नियुक्त किया है वह आज तक गांव में नहीं पहुंचा है। हम गांव वालों को वहम यह है कि वह कहीं दूसरी जगह फर्जकारी करके हमारे चुनाव की घोषणा करवा रहा है या चुनाव करेगा। श्री त्रिवेदी ने उस समय यह भी अनुरोध किया जाइण्ट रजिस्ट्रार से कि आप कोई भी पर्यवेक्षक आज ही शशिबलदारा गांव में भेजिये। जाइण्ट रजिस्ट्रार को दूसरा कोई पर्यवेक्षक मिला या नहीं मिला, लेकिन जाइण्ट रजिस्ट्रार महोदय स्वयं भरतपुर से शशिबलदारा आये और गांव में आकर उन्होंने उसका निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने, उपाध्यक्ष महोदय, इस चुनाव के सम्बन्ध में अपनी टिप्पणी रजिस्ट्रार महोदय को दी। उस टिप्पणी के कुछ अंश मैं आपकी इजाजत से पढ़ना चाहूंगा। "चूंकि कोई अन्य अधिकारी उपलब्ध नहीं था और शिकायत एवं शिकायतकर्त्ता के महत्व को समझते हुए संयुक्त रजिस्ट्रार स्वयं ही मौके गये पर तो पाया कि समिति का कार्यालय काफी समय से खुला ही नहीं, काफी धूल जमी हुई थी। किसी प्रकार के कागज, नोटिस आदि चस्पा करने के निशान भी नहीं थे। ग्राम पंचायत को भी कोई सूचना चुनाव सम्बन्धी नहीं थी। कोई मुस्तरी ढोंढी पिटवाकर चुनाव करवाने की भी बात नहीं पायी गयी। नोटिस डाक द्वारा भेजना नहीं पाया गया। किसी अखबार में भी प्रकाशित करवाना नहीं पाया गया।"

उपाध्यक्ष महोदय, यह स्थिति थी क्योंकि निर्वाचन अधिकारी नहीं था और जाइण्ट रजिस्ट्रार, भरतपुर वहां से नांदोती

(श्री हरिसिंह)

आये। नादौती सेण्ट्रल कोआपरेटिव बैंक की ब्रांच है। उस ब्रांच के मैनेजर को एक पत्र निर्वाचन अधिकारी के नाम लिखकर दे गये कि उनको ताकीद करें कि आप निर्वाचन अधिकारी को 23-2 को भरतपुर भेज दो। उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि 22 तारीख से विधान सभा सत्र शुरू हो गया था और सरकार ने यह निर्देश दिया था कि 22 तारीख से विधान सभा सत्र शुरू हो गया है इसलिए समितियों के चुनाव की प्रक्रिया 22 तारीख से पहले जहां थी वहीं रोक दी जाय। इसका तात्पर्य यह हुआ कि 23-2-1991 को जिस समय चुनाव होना था उस पर रोक लग गयी। फिर वह पत्र जाइण्ट रजिस्ट्रार का निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंच गया। निर्वाचन अधिकारी भरतपुर पहुंच गये। भरतपुर पहुंचने के बाद निर्वाचन अधिकारी ने उनको रिपोर्ट की लिखित में....

(5.50 सायं)

(श्री रघुवीर सिंह कौशल, सभापति, पदासीन)

कि मैंने शशिबलदारा ग्राम सेवा सहकारी के समिति चुनाव नहीं करवाये हैं। यह लिखित में जाइण्ट रजिस्ट्रार, भरतपुर को उन्होंने कहा और वहां पर यह बात उनको लिखकर के दे आये लेकिन चूंकि मैं आपकी आज्ञा से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, मंत्रीजी ने स्वयं के कानून-कायदों को ताक में रख कर के इस सोसाइटी के चुनाव में रुचि ली। निर्वाचन अधिकारी को अपने कार्यालय में बुलाया, वहां के ए.आर. को अपने कार्यालय में बुलाया, तिलम संघ में पोस्टेड ए.आर. केडर के मि. रामफल को अपने कार्यालय में बुलाया और 22 तारीख को सहकारिता मंत्रीजी ने जोइण्ट रजिस्ट्रार, भरतपुर से टेलीफोन पर कहा कि मुझे गंगा सहाय त्रिवेदी नाम के अहिरावण को नेस्तनाबूद करना है, इसको मिटाना है। इसलिये इस चुनाव की घोषणा आप 19 तारीख में करिये। अफसोस की बात यह है, सभापति महोदय, कि जोइण्ट रजिस्ट्रार, भरतपुर ने जो अपना गोपनीय प्रतिवेदन रजिस्ट्रार को दिया है, उसमें इन्होंने रजिस्ट्रार महोदय को अंकित किया है। मैं आपकी आज्ञा से उस प्रतिवेदन के अंश पढ़कर सुनाना चाह रहा हूं।

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय सदस्य, तारीख बताओ जो आपकी असलियत खुल जाय। तारीख बताओ सदन को कि रिपोर्ट रजिस्ट्रार को कब दी। गलत मत चलो, सही चलो, यह सर्वोच्च संस्था है।

श्री हरिसिंह : हां, तारीख मैं बताऊंगा। मैं यह रिपोर्ट भी आपकी सेवा में पेश कर दूंगा। आपने विभाग से मंगा ली होगी।

श्री चतुर्भुज वर्मा : तारीखवाइज बोलो कि इस रोज कहा। कल कहा, आठ दिन बाद कहा, एक महीने बाद कहा। कब रिपोर्ट आई है ?

श्री हरिसिंह : यह मार्च के महीने में रिपोर्ट है।

श्री चतुर्भुज वर्मा : तारीख बताओ कि कौनसी डेट को रजिस्ट्रार के पास आई और रिटायर होने के कितने दिन पहले दी। आप पूरा सदन को बताओ।

श्री हरिसिंह : मंत्री महोदय, आपको जवाब देने का समय मिलेगा। अगर आप इण्टरफियर करेंगे, (व्यवधान)

श्री चतुर्भुज वर्मा : मैं जवाब दूंगा।

श्री हरिसिंह : आप जवाब दीजिये, मैं यही तो चाह रहा हूं। मैं जवाब मांगने के लिये यह बात कह रहा हूं। आप अपने जवाब में बता देना। माननीय सभापति महोदय, मैं वह पढ़ कर सुनाना चाहता हूं जो उन्होंने टिप्पणी भेजी है और टिप्पणी उनको मजबूरी में भेजनी पड़ी। यह निश्चित बात है....

श्री सभापति : कृपया समय का ध्यान रखें, 12 मिनट हो गये।

श्री हरिसिंह : समय का ध्यान रख रहा हूं। एक टिप्पणी उन्होंने भेजी, यह निश्चित बात है कि उन्होंने बाद में भेजी है, मैं उसका अंश आपको पढ़कर सुनाना चाह रहा हूं" दिनांक 22-2-91 को सम्मानीय मंत्री महोदय का टेलीफोन आया जिसमें उन्होंने व्यक्त किया कि वे गंगा सहाय त्रिवेदी नाम के अहिरावण को ठिकाने लगाना चाहते हैं और दिनांक 19-2-91 में ही चुनाव करा देना चाहते हैं। इस पर मैंने उनसे अनुरोध किया (मैंने मतलब जोइण्ट रजिस्ट्रार ने), मैंने मंत्रीजी से अनुरोध किया कि ऐसी कार्यवाही को प्रोत्साहन नहीं दें। जब मंत्री महोदय ने दिनांक 22-2-91 को टेलीफोन किया, उस समय विभाग के दो राजपत्रित अधिकारी श्री रामफल मीणा, श्री कंचन लाल मीणा, और श्री आर. के. देवराला यहां मौजूद थे। उनमें से एक ने इस तथ्य की वहां उपस्थित होने की पुष्टि मेरे से की, पूछने की"। यह उन्होंने अपना प्रतिवेदन भेजा रजिस्ट्रार महोदय को। मंत्रीजी ने आउट-आफ-वे जाकर...

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं सभापति महोदय, आपसे अनुरोध करना चाह रहा हूं कि मि. दहारड़ा वहां ए. आर. थे, इनके प्रमोशन की फाईल अटकी हुई थी। मंत्री महोदय ने उनको यह लोभ दिया था कि तुम्हारे प्रमोशन की फाइल मैं क्लियर करूंगा, आप शशिबलदारा सोसाइटी का चुनाव 19 तारीख को घोषित कराइये। श्री रामफल मीणा वहां तिलम संघ में थे और उसके बाद में उनका प्रमोशन हुआ है, मि. दहारड़ा का प्रमोशन किया।

श्री चतुर्भुज वर्मा : यह सदन की प्रतिष्ठा का सवाल है। अगर माननीय सदस्य शपथपूर्वक सदन में यह कह दें, अगर वे रिकार्ड से कह दें तो मैं रिजाइन कर सकता हूं और आज भी रिजाइन करने के लिये तैयार हूं।

श्री हरिसिंह : उसके ठीक दो महीने बाद में मि. दहारड़ा का प्रमोशन हुआ, उनको डी. आर. बनाया गया।

श्री सभापति : आप डायरेक्ट बात नहीं करें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री चतुर्भुज वर्मा : आप तो राजनीति में माहिर हैं।

श्री सभापति : आप मेरी ओर देखिये। आप डायरेक्ट बात नहीं करें।

श्री हरिसिंह : मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, सभापति महोदय, मैं तो इधर देख ही नहीं रहा हूं। इधर देखने लायक चीज है ही नहीं। मैं, सभापति महोदय, आपसे अनुरोध कर रहा हूं (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? देखिये, समय समाप्त हो गया।

श्री हरिसिंह : मि. दहारड़ा का प्रमोशन कर दिया गया। मि. रामपाल मीणा जो वहां दूसरे व्यक्ति थे, वे तिलम संघ में पोस्टेड थे, ए. आर. केडर के थे। उनको प्रलोभन दिया था कि दहारड़ा का प्रमोशन करके तुम्हें ए. आर., सवाई माधोपुर लगा देंगे और वह आज भी सवाई माधोपुर में मौजूद हैं। बाद में उनका ट्रांसफर इन्होंने कर दिया, जब सदन में यह चर्चा हुई तो उनका ट्रांसफर उदयपुर कर दिया लेकिन अभी भी वह मूंछों पर ताव देकर कह रहा है कि मैं मंत्रीजी का आदमी हूं, मैंने मंत्रीजी के कहने से गलत काम किया है और मंत्रीजी से मेरा ट्रांसफर कैंसिल करवा के रहूंगा। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं इसके सम्बन्ध में एक जानकारी और देना चाहूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समय समाप्त हो गया।

श्री हरिसिंह : मंत्रीजी कहेंगे कि जो जोइण्ट रजिस्ट्रार था, वह रिटायर होने जा रहा था। रिटायर हो गया। मैं सभापति महोदय, एक निवेदन करूंगा कि रिटायर होने के बाद जब सदन में एक प्रश्न के जवाब में यह चर्चा आई, मंत्रीजी ने रजिस्ट्रार को टेलीफोन किया और उस अधिकारी को जो पेंशन की फाइल थी, उसको रुकवा दिया। रजिस्ट्रार महोदय, का उस फाइल पर दर्ज किया हुआ है। इससे ज्यादा शर्म की स्थिति और क्या हो सकती है? दूसरी बात और यह भी कहेंगे कि जोइण्ट रजिस्ट्रार भरतपुर थे, वे गंगा सहाय त्रिवेदी से मिले हुए थे। मैं सिर्फ दो बात कोट करना चाह रहा हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री परसादी लाल मीणा : हमारी पार्टी के केवल 4 सदस्यों के नाम हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, 16 मिनट हो गये। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

श्री हरिसिंह : अभी मंत्रीजी अपने जवाब में यह बात कह सकते हैं कि जोइण्ट रजिस्ट्रार और गंगा सहाय त्रिवेदी की मिलीभगत हो सकती है। इन जोइण्ट रजिस्ट्रार ने गंगा सहाय त्रिवेदी के खिलाफ दिनांक 20-4-1991 को एक फैसला सुनाया, मैं उसकी 4 लाइन पढ़ कर सुनाना चाह रहा हूं, "मैं कुंजबिहारी लाल, सयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, भरतपुर, खण्ड भरतपुर, राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 34 (8) के

(श्री हरिसिंह)

अन्तर्गत सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री गंगा सहाय त्रिवेदी, अध्यक्ष, सवाई माधोपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड को राजस्थान सहकारी संस्थान अधिनियम, 1965 की धारा 34 (4) के अन्तर्गत निर्योग्य घोषित करता हूं जिसके फलस्वरूप गंगा सहाय त्रिवेदी, सवाई माधोपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, सवाई माधोपुर के अध्यक्ष एवं संचालक मण्डल के सदस्य से पृथक किये जाते हैं।" यह मंत्रीजी कह सकते हैं कि गंगा सहाय त्रिवेदी के खिलाफ किया है। वे ईमानदार अधिकारी थे, गंगा सहाय त्रिवेदी के खिलाफ फैसला दिया। लेकिन मैं इस फैसले की....

श्री सभापति : 17 मिनट हो गये, बहुत समय हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा बोलते हैं। 17 मिनट हो गये।

श्री हरिसिंह : मैं एक मिनट चाह रहा हूं।

श्री सभापति : अच्छा, एक मिनट बोलिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मेरे 5 मिनट दे दीजिये।

श्री सभापति : आपके पांच मिनट तो ले चुके।

श्री हरिसिंह : इस रजिस्ट्रार के फैसले के विरोध में श्री गंगा सहाय त्रिवेदी संविधान के अनुच्छेद 226 एवं 227 के तहत स्पेशल रिट उन्होंने हाई कोर्ट में दायर की और हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा है कि

"As a result of above discussion, I allow this writ petition and quash the order dated 3rd April, 1991." उसके बाद में गंगा सहाय त्रिवेदी को सोसाइटी के चुनाव के लिये हाई कोर्ट जाना पड़ा और हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि रजिस्ट्रार स्वयं इसकी जांच करें, इन्क्वायरी करें और 75 में इसकी सुनवाई करें। रजिस्ट्रार महोदय, स्वयं शशिबलदारा गये और शशिबलदारा जाने के बाद में विस्तृत जांच की और जांच के बाद इस नतीजे पर पहुंचे, इन्होंने यह निर्णय दिया कि शशिबलदारा सोसाइटी का चुनाव जो फर्जीदारी से किया गया था, उस चुनाव को रद्द किया जाता है और चुनाव को दुबारा करवाने की उन्होंने घोषणा की है। मंत्री महोदय, आपकी जो काली करतूत थी, आपने प्रजातन्त्र का गला घोंटा, प्रजातांत्रिक मूल्यों की आपने अवहेलना की। मैं उन रजिस्ट्रार को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा की। मैं इसी के साथ अपने कटौती प्रस्तावों का समर्थन करते हुए इनकी मांग का विरोध करता हूं।

श्री सभापति : श्री अर्जुनदास मदान।

डा. चन्द्रभान : सभापति महोदय, पोइण्ट आफ आर्डर। आज अजमेर की घटना के ऊपर अभी 6 बजे सरकार की ओर से स्टेटमेंट आना था। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जब इस घटना की चर्चा हुई

(डा. चन्द्रभान)

तो घोषणा की थी कि 6 बजे सरकार इस पर बयान देगी। 6 बजे रहे हैं। इसलिये सरकार की ओर से बयान आना चाहिये।

श्री समापति : माननीय मुख्य सचेतक महोदय।

श्री ओम प्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक): साढ़े छह बजे।

श्री सभापति : तो अब साढ़े छह बजे के लिये कहला दिया है उन्होंने।

डा. चन्द्रभान : सभापति महोदय, यह घटना बड़ी गम्भीर है। दो बजे की बात थी। सरकार को पूरी जानकारी एक घण्टे में.... । मुख्य मंत्रीजी आ गये हैं।

(6.00 सायं)

श्री समापति : माननीय सदस्य, सूचना एकत्र करने में कुछ समय लग जाता है। छह और साढ़े-छह में ज़्यादा अन्तर नहीं होता। आप विराजिये।

श्री अर्जुन दास मदान।

श्री अर्जुनदास मदान (लाड़पुरा) : माननीय सभापति महोदय, सहकारिता आन्दोलन जब चला था तो एक आस्था थी, परिकल्पना थी लोगों के दिमागों में कि यह एक ऐसा आन्दोलन होगा जहां पर घिसे-पिटे आदमी, जहां पर एक मजबूत आदमी को आश्रय और प्रश्रय मिलेगा। और निश्चित रूप से कई स्थानों पर मिला भी, मैं ऐसा मानता हूं, किन्तु राजस्थान में पहले से जो परम्पराएं चलती चली आ रही हैं उनसे ऐसा लगता है कि मानो यह जनतंत्र का आन्दोलन, सहकारी आन्दोलन न होकर एक सरकारी आन्दोलन बन कर रह गया है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं कि कई अधिनियमों में आज ऐसे प्रावधान हैं जो सहकारी आन्दोलन का गला घोंटते हैं। जैसे 1965 के सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत धारा 74 है। धारा 74 के अन्तर्गत कानून की प्रक्रिया में किसी आदमी को अपराधित घोषित करके, मान लीजिए उसने गबन किया है, उस पर चार्ज लगाकर अदालत में खड़ा किया जा सकता है। जब को-आपरेटिव एक्ट के अन्तर्गत 3 चीजें हमारे पास हैं—हम आडिट करवा सकते हैं इन्सपेक्शन करवा सकते हैं, इन्क्वायरी करवा सकते हैं। उसके बाद धारा 74 के अन्तर्गत किसी आदमी को दंडित करने के लिए कम से कम हम यह सोचे, यह तो विचार करें कि ऐसी कौनसी स्थिति आ गई कि धारा 74 लगाना जरूरी है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप यदि थोड़ा सर्वे करें और चिन्तन करें तो हम ऐसा पाते हैं कि जितने भी लोगों के ऊपर दोष लगाया जाता है वह हाई कोर्ट में जाकर 80 प्रतिशत केस समाप्त हो जाते हैं। किन्तु धारा 74 के अन्तर्गत इस प्रकार से सारे पैसे बर्बाद करने के उपरान्त, समय अप व्यय करने के उपरान्त और लोगों को कठघरे में खड़े करने के उपरान्त यदि 80 प्रतिशत केस भी पूरा नहीं कर पाते हैं तो आप स्वयं कल्पना कर लीजिए कि यह धारा 74 जो को-आपरेटिव अधिनियम,

(श्री अर्जुनदास मदान)

1965 के कानून के अन्तर्गत है वह कहां तक तर्क संगत है।

मेरा ऐसा ध्यान है कि मई 1989 में एक कमेटी भी बनाई थी सरकार ने जिसमें यह माना गया था कि किसी भी प्रकार की प्रक्रिया धारा 74 के अन्तर्गत चालू करने से पहले यह देखा जायेगा, उसका रिव्यू किया जायेगा कि केस बनता भी है या नहीं, प्राइमाफेसी केस बनता है या नहीं। किन्तु आप देखेंगे कि उसके अन्तर्गत भी केवल मात्र सरकारी अधिकारी बैठ जाते हैं। और केवल मात्र चाबीलाल को कुंजीलाल कहने से कोई समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। मान्यवर, सम्भवतः आप मेरी बात को मानेंगे, स्वीकार करेंगे अगर धारा 74 के अन्तर्गत इस प्रकार की प्रक्रिया चलती चली गई, सारे प्रावधानों के होते हुए हम लोगों के ऊपर नियन्त्रण करने के लिए, अंकुश लगाने का यही एक तरीका बनाते चले जायं तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है।

दूसरा मैं आपसे कहता हूं कि धारा 32 के अन्तर्गत किसी भी प्रस्ताव को खंडित करने की असिस्टेंट रजिस्ट्रार को पावर्स हैं। माननीय सभापतिजी, कौनसी संस्था कैसे चलेगी, कौनसा घर कैसे चलेगा, मेरे परिवार का नियम है कि मेरी पुत्रवधू कोई घूंघटवाली आनी चाहिए या मान लीजिए बुर्के वाली आनी चाहिए, फिर मैं क्यों चाहूंगा कि बॉब कट ही आये या बाल कटी आये। उसका निर्णय करने का अधिकार मेरे को है, मेरा घर मुझे चलाना है, जिस संस्था का प्रतिपादन मैं कर रहा हूं, जिस संस्था को मैं चला रहा हूं। जिस संस्था को कार्यकारिणी निर्वहन के रूप में चलाती है उसका निर्णय करता है असिस्टेंट रजिस्ट्रार और धारा 32 के अन्तर्गत यह निर्णय कर लिया जाता है कि इस प्रस्ताव को खण्डित कर लीजिए। केन्द्रीय सरकार ने सारे अधिनियमों में एकरूपता लाने के लिए 1956 में राजा कमेटी का एक प्रस्ताव रखा था और उसमें यह कभी सुझाव नहीं दिया गया था कि धारा 32 किसी कानून के अन्तर्गत होनी चाहिए। आंध्र में नहीं है, पंजाब में नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, केरल में नहीं है, तमिलनाडू में नहीं है, एम.पी में नहीं है लेकिन मेरे राजस्थान में से।

तीसरा कानून की धारा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वह है 19 नवम्बर की। मैं यदि चुनाव लड़ना चाहता हूं, मेरे पास बहुमत नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे 200 लोगों को सदस्य बना दीजिए। आप इसके अध्यक्ष हैं आप मना कर देते हैं। मैं पटाता हूं किसी तरह से, गलत और सही तरीके से असिस्टेंट रजिस्ट्रार को और 200 लोगों को सदस्य बनवा लेता हूं। मैं चुनाव लड़ता हूं, आप कल्पना कर लीजिए कि मेरे प्रस्ताव में जिन 200 लोगों को सदस्य बनवाता हूं और धारा 19 के अन्तर्गत असिस्टेंट रजिस्ट्रार बिना पूछे-ताछे सदस्य बना लेता है। मैं चुनाव जितता या नहीं जितता लेकिन धारा 19 के अन्तर्गत जिन लोगों को मैंने सदस्य बनवाया है वह निश्चित रूप से मेरा ही तो समर्थन करेंगे। धारा 19

(श्री अर्जुनदास मदान)

असिस्टेंट रजिस्ट्रार को शक्ति नहीं देती कि वह बने हुए सदस्यों के नाम डिलीट कर दे या काट दे लेकिन अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके वह यदा कदा नाम भी काट देते हैं, जहां चुनाव लड़ने वाला यह इच्छा रखता है कि वह चुनाव में वोट न डालें। मैं आपसे कहता हूं कि धारा 19 के अन्तर्गत जितने प्रारूप हैं चुनाव के, आपको हर तरह के केस मिल जायेंगे। मैं चुनाव बिना लड़े जीत सकता हूं, मैं लोगों के नाम कटवा कर चुनाव जीत सकता हूं, यह प्रजातंत्र का मखौल नहीं है तो क्या है?

इस तरह के कई प्रावधान हैं 1965 के कानून के अन्तर्गत जो आज नई परिस्थितियों के अन्दर रिव्यू चाहते हैं नये चिन्तन और मन्थन का।

मैं चौथी बात, माननीय सभापतिजी, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि प्राइमरी सोसाइटीज के चुनाव तो हमारे मंत्री महोदय ने किये किन्तु अपेक्स बैंक के चुनाव आज तक नहीं हुए हैं। मुझे हालांकि उन्होंने सदन में घोषणा कर दी इस बारे में कि 6 महीने के भीतर भीतर मैं सारे चुनावों को सम्पन्न करवा दूंगा, किन्तु मुझे संदेह है, माननीय मंत्री महोदय, आपकी कैपेसिटी पर। आपकी ईमानदारी पर शक नहीं कर रहा हूं किन्तु मैं इतना निवेदन कर देना चाहता हूं कि ये जितने सीनियर आफिसर्स होते हैं ये अरबी घोड़े हैं, हर आदमी को अपनी पीठ पर नहीं बैठने देते हैं। पहले उच्च को मारते हैं कि सवारी में दमखम है या नहीं सही तरह से पीठ पर बैठने का, और जब ये देख लेते हैं कि सवारी में दमखम है, लगाम को सम्भालना भी जाता है तो वह सवारी का मजा भी देते है। क्योंकि उन लोगों को क्या होता है कि दो-दो कारें मिल जाती हैं, दो-दो टेलीफोन मिल जाते हैं और नाना प्रकार की सुविधाएं मिल जाती हैं जो प्राइमरी सोसाइटीज में नहीं मिलती हैं। इसलिए उनका चुनाव कराने के लिए तो आपका समर्थन करते हैं और अपेक्स सोसाइटीज के चुनाव कराने के लिए आपका समर्थन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनकी सुविधाओं पर कुठाराघात होता है।

मैं आपसे केवल मात्र यही निवेदन करूंगा कि आपने जो घोषणा की है उसकी यदि आप पूर्ति कर सकें तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी।

इसके बाद मैं आता हूं सोसाइटीज के उन नियमों पर, उन प्रावधानों पर जो आज सारे सदन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। तिलम संघ पर ही थोड़ा सा विचार करें। आज 17.22 प्रतिशत भूमि थी उस पर हमने तिलम का उत्पादन किया और आज राजस्थान तीसरे नम्बर पर आ गया। किन्तु मैं आज भी आपसे कहता हूं कि सोयाबीन का प्रोडक्शन, तिलम का प्रोडक्शन, आज सरसों का प्रोडक्शन इतना हुआ है कि वह निश्चित रूप से इस बात की मांग करता है कि नये नये कल कारखानें बनाये जायं। आपने इस तिलम संघ के माध्यम से कई जगह

(श्री अर्जुनदास मदान)

फैक्टरियां तो खोली, किन्तु मैं आज भी कह सकता हूं कि आज जैसे झालावाड़ है, बून्दी, सवाई माधोपुर यह कुछ जिले ऐसे हैं जो आज इस बात को मांग कर रहे हैं क्योंकि टोटल प्रोडक्शन का 3 प्रतिशत ही तिलम संघ के माध्यम से तेल बनाने का काम कर रहे हैं। यह निश्चित रूप से मांग करता है कि इस दिशा में प्लान रखना चाहिए। क्योंकि सोसाइटीज का मतलब, मेरी दृष्टि से, माननीय सभापतिजी, ऋण बांटना नहीं है। मैं आज केरल की प्राइमरी सोसाइटीज के तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वहां पर कोई भी सोसाइटी, ऋण देने में विश्वास नहीं करती है। लोगों को सुविधाएं देती हैं, जैसा तिलम संघ के माध्यम से हमने लोगों को सुविधाएं देने की व्यवस्था की है। आज हम लोगों के घरों पर जाकर तिल्ली खरीदते हैं, मण्डी कमेटी का टैक्स उनका बचाते हैं, आवागमन के खर्च हम उनके ऊपर नहीं लगाने देते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि किसान घर बैठा हुआ हमें तिलम दे देता है।

आज इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि लोन देने के अतिरिक्त हम लोगों को सुविधाएं दें कि वह अपना माल का पैसा लगा सकें, बजाय ऋण लेने के वह वापस सोसाइटीज में जमा करवायें। तब तो सोसाइटीज का जीवन उन्नत हो सकेगा। नहीं तो सदैव सदैव के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह इनके ऊपर बनेगा।

मैं अन्तिम बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं एक दलहन का उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आज मोठ का 80 प्रतिशत उत्पादन राजस्थान करता है। इसके अतिरिक्त चने के उत्पादन में राजस्थान पूरे देश में दूसरे या तीसरे स्थान पर आता है। माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वह इस ओर ध्यान दें तिलम की तरह दलहन का भी यदि को-आपरेटिव के माध्यम से कोई ऐसी व्यवस्था बैठा सकें जिससे कि किसानों को अधिक लाभ मिल सके। 1 लाख टन की 10 यूनिट भी यदि आप खड़ी कर दें तो मैं मान सकता हूं कि देश में राजस्थान पहले नम्बर पर आयेगा। परमात्मा की कृपा से आप बचपन के मेरे दोस्त हैं, माननीय मंत्री महोदय, और बहुत पुराने लोगों में से आपको जानता हूं। आप में दमखम है लेकिन आप लोगों को वह अहसास नहीं कराते हैं। भगवान को आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। मेरे में तो हो सकता है कि इतनी आस्था, इतनी भक्ति और शक्ति न हो कि भगवान का साक्षात्कार कर सकूं और मुझे विश्वास है कि आपने भी भगवान को नहीं देखा होगा। किन्तु नहीं देखा है तो भी वह धरती के लोगों को इस बात का अहसास कराता है। किसी का जवान बेटा मार देता है, किसी को बच्चियां ही बच्चियां दे देता है और किसी को ऊपर चढ़ा कर पटकी मारता है। इसका परिणाम यह होता है कि इन्सान यह सोचता है कि मेरे से ज्यादा शक्ति रखने वाला कोई आदमी है और तब जाकर के भगवान में आस्था होती है। आप अहसास ही नहीं कराते हैं कि मैं मंत्री हूं। मैं यह निवेदन करूंगा कि

(श्री अर्जुनदास मदान)

आपने यह अहसास कराना बन्द कर दिया। यदि, सभापति महोदय, भगवान ने धरती के लोगों को यह अहसास कराना बन्द कर दिया होता तो मैं आज यह मान सकता हूं कि धरती पर ईश्वर का अहसास करने वाले, ईश्वर को ईश्वर कहने वाले लोग कम होते। ईश्वर को मैं इसलिए मानता हूं और आप भी इसलिए मानते हैं कि वह लोगों अहसास कराता है। मंत्री महोदय, आप यदि अहसास करा सके तो मेरा विश्वास है कि बहुत उपयुक्त होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैं तो वैसे ही बहुत कम बोलता हूं। और आप मुझे यदि आज्ञा दें तो केवल मात्र....

श्री सभापति : आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मुझे भी सुनना अच्छा लग रहा है। पर माननीय सदस्य मेरा कर्तव्य मुझे बाध्य कर रहा है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय सभापतिजी, जब आप अच्छा बोल रहे थे तब मैं आप की उस समय पैरवी कर रहा था, जैसे इनकी कर रहे हैं।

श्री सभापति : आप अपना काम कीजिए। मैं अपना काम कर रहा हूं।

श्री अर्जुनदास मदान : ठीक है, मान्यवर। आज तो मैं कहता हूं सरकार और आपके सहकारी विभाग के ऊपर एक कलंक है जो निश्चित रूप से लोगों को बहुत दारुण स्थिति में लाता है, कष्ट देता है। बराबर ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है कि लगता है सहकारिता के प्रति भी विश्वास ही लोगों का उठ जाएगा। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि जितनी भी गैर सरकारी समितियां बनी हैं आप उनसे डिक्लियरेशन लीजिए, कितनी भूमि आपको मिली थी, आज आपके पास कितनी है, किन किन लोगों को आपने अलाट की। उनकी कितनी कितनी आय थी ताकि कम से कम एक सही प्रारूप तो आपके सामने आए। आज जिन लोगों को जरूरत है उनको लगता है कि कोई दूसरी व्यवस्था हमारे सामने है ही नहीं।

इसके अलावा मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ सुझाव हैं मेरे। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार देने का प्रयास कर रहा हूं। यदि कुछ तर्क संगत लगे तो उन्हें आप अपना लीजिएगा नहीं तो आपकी जंचे तो जैसे और प्रस्ताव आप कटगडे में फेंक देते हैं इनको भी आप फेंक देंगे। मैं आपसे केवल मात्र इतना निवेदन करता हूं कि सहकारी अधिनियम जितने भी बने हैं उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। जैसा मैंने आपसे कहा राजा कमेटी सैण्ट्रल गवर्नमेंट ने 1956 में बनाई थी। उस समय पुनरावलोकन करने के लिए विचार मन में आया था कि इस कानून में कितना परिवर्तन किया जाए। सहकारिता के क्षेत्र में राजाओं की स्टेट में अलग अलग नियम थे। भरतपुर में सबसे पहले कानून बना। दूसरा सहकारी अधिनियम दूसरे नम्बर पर रजवाड़ो में बना तो कोटा स्टेट में बना।

(श्री अर्जुनदास मदान)

किन्तु छोटे छोटे नियमों के प्रारूप का निर्धारण करने के लिए 1956 में जो राजा कमेटी बनी थी उसी के अनुरूप आज आपको पुनरावलोकन करने के लिए किसी नई कमेटी का गठन और निर्माण करना पड़ेगा। हर परिस्थिति में जो चीज आज है कल के दिन में भी सूट करेगी ऐसा नहीं है क्योंकि हर चीज परिवर्तनशील है। मैं तो आपसे केवल मात्र इतना निवेदन करना चाहता हूं, मान्यवर मन्त्री महोदय, कि जीवन का धर्म मौत है, समय का धर्म परिवर्तन है और मिलने का धर्म बिछुड़ना है। और आपका और हमारे धर्म भी केवल मात्र इतना ही है कि हम अपनी स्टेट के लिए, अपने प्रान्त के लिए जितना भी अधिक से अधिक कर सकते हों, गरीबों के लिए जन जन के लिए जो दूर बैठा हुआ है, जो पहाड़ की कंदराओं में बैठा हुआ है अपने जीवन की सांसे गिनता है, यदि उसके लिए आप और हम सारे लोग जितने इस सदन में बिराजे हैं, चाहे मेरी दांई तरफ के हो, चाहे बांई तरफ के हो, चाहे आगे के हो चाहे पीछे के हो, उनको एक बार फिर विचार करना होगा, मन्थन करना होगा इस स्टेट की उन्नत के लिए, इसकी प्रगति के लिए हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं।

अन्त में मैं आपको सुझाव दे रहा हूं। सबसे पहला मेरा सुझाव यह है कि सहकारी अधिनियम पर आप उनका पुनरावलोकन करें और जितनी भी धाराएं हैं जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया 75 है, 32 है, 19 है, 36 है। मेरा भी को-आपरेटिव से सम्पर्क रहा है। मैं राजनीति में तीन साल से आया हूं किन्तु सोसाइटी में निश्चित रूप से जहां भी मैं नौकरी करता था मेरा सोसाइटियों के माध्यम से थोड़ा सा सम्बन्ध है। अपने विचार में उसके अनुरूप आपको निवेदन कर देना चाहता हूं। जैसा बारां से आने वाले विधायक महोदय ने कहा था, सभापति जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यह जितने भी चुनाव हैं यह केवल मात्र चुनाव आयोग के माध्यम से होने चाहिए, यह विभाग के माध्यम से नहीं होने चाहिए। यह मेरा दूसरा सुझाव है।

तीसरा सुझाव मेरा यह है कि सदस्यता का जो अनुमोदन होता है वह ए. आर. से आप हटाकर ग्राम सभा के अन्दर ला दें। ग्राम सभा केवल मात्र उस प्रस्ताव को स्वीकार करे, उसका अनुमोदन करें, उसका समर्थन करे।

जितनी भी सहकारी संस्थाओं में दिए गए कर्ज हैं उस पर आप केवल मात्र व्यक्ति विशेष को, जो भी उसमें केबिनेट में चला जाता है या उस कार्यकारिणी में चला जाता है, उसी को आप देते हो जैसा कि भरतपुर से आने वाले माननीय नत्थी सिंह जी यह बात कर रहे थे। मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। जो सरकारी आदमी बैठा हुआ है, जिसने उस संस्था को दस साल तक चलाया, पांच साल तक चलाया, वह तो निरलेप होकर के चला जाता है और आज दूसरा आदमी जो जन प्रतिनिधि के रूप में बैठता है उसको आप दोषी ठहरा देते हैं। दुर्भाग्य यह है कि जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती है उनमें सरकारी कर्मचारी

(श्री अर्जुनदास मदान)

आप नोमिनेट करते हैं। मान लीजिए 12 की एक कार्यकारिणी बनी उसमें 9 तो चुने हुए और 3 सरकारी हाकिम होंगे। अगर सरकारी आदमी भी बैठाने हों तो आप बैठाएं। मैं यह नहीं कहता कि धरती बांझ हो गई, सारी बुद्धि भगवान की कृपा से उन्हीं सरकारी अधिकारियों में चली गई ऐसी बात नहीं है। जन प्रतिनिधियों में भी कुछ बुद्धि होगी, चुने हुए लोग भी जो आते हैं उनको भी भगवान ने कुछ दी होगी ऐसा सोचिएगा।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज आप गुजरात में चले जाइए। गुजरात में कोई भी नोमिनेशन सरकारी अफसरों का नहीं होता, वहां पर सरकार करती जरूर है लेकिन सरकार जन प्रतिनिधियों में से करती है। सहकारिता के क्षेत्र में कौन-कौन लोग ऐसे हैं जिनको इसका अनुभव है, उन लोगों का नोमिनेशन होता है। और हमारे यहां नोमिनेशन केवल मात्र सरकारी लोगों का होता है। सारी बुद्धि का ठेका भगवान ने उन्हीं को ही दे दिया और धरती उनको पैदा करने के बाद बांझ हो गई और जैसा कोई दूसरा पैदा होने वाला ही इस धरती पर नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसा मत सोचिएगा। सहकारिता के क्षेत्र में जो भी अनुभवशील प्राणी हैं, यदि सरकार को नोमिनेशन करना है तो उन लोगों का नोमिनेशन कीजिएगा जिन लोगों ने सहकारिता के क्षेत्र में कोई अपना योगदान दिया हो।

चौथा सुझाव मेरा यह है कि....

श्री सभापति : कितने सुझाव बाकी हैं ?

श्री अर्जुनदास मदान : बहुत हैं, जितने लेना चाहो दे दूं। पर मैं केवल मात्र 6 देना चाहता हूं। मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने ओवर ड्यूज कम किए हैं और दो करोड़ रुपए की वसूली की है। लेकिन ओवर ड्यूज जितने कम होते चले जाएं आप उस ओवर ड्यूज को कम कीजिएगा और सरकारी कारणों से उन पर नियन्त्रण लगाइए।

उपभोक्ता संघ में जो कुछ भी माल बिकता है वह केवल मात्र प्राइमरी सोसाइटीज के माध्यम से आए ताकि मार्केटिंग की प्राब्लम, जो छोटी छोटी संस्थाओं को होती है, वह उपभोक्ता संघ के माध्यम से दूर हो, वह माल बिके और इनकी शरण में छोटी छोटी सहकारी समितियां पल्लवित हों। इस बात का भी आप ध्यान रखें।

अन्तिम निवेदन एक और मैं आपसे करना चाहता हूं कि जितनी भी डिफेक्ट सोसाइटीज हैं, बन्द पड़ी हैं दस-दस साल से, आप उनको लिक्विडेशन में लाइए। उनका जितना पैसा है उनको आप सहकारी संघ में लगाइए। सहकारी भवन बनवाइए जहां पर किसान जाकर रुक सके, बैठ सके, सो सके, अपने माल को लेकर मण्डी में जाए और रात भी उसको काटनी पड़े तो सहकारी भवन में जाकर सोए ताकि उसको लगाव हो कि जिस सोसाइटी का मैं सदस्य हूं उसी सहकारी संस्था के माध्यम से मैं आज शरण में हूं। यहां मुझे

(श्री अर्जुनदास मदान)

विस्तर भी मिलता है, मुझे सब चीजें मिलती हैं। तो मेरा सुझाव है कि जितनी भी सोसाइटीज डिफक्ट पड़ी हैं उन सोसाइटीज को लिक्विडेशन में लाकर उनका जो कुछ भी पैसा आता है वह आप दिलाकर संस्थाओं में लगाइए। यह आप से निवेदन है मेरा।

मेरा एक और निवेदन है कि तिलहन की तरह दलहन की सहकारी मिलों का आपको निर्माण करना चाहिए। और गृह निर्माण समितियों के ऊपर आप अंकुश लगाइए घाटे में चलने वाले जितनी होल सेल क्रय विक्रय सहकारी समितियां जहां पर 90 प्रतिशत पैसा सरकार का लगा हुआ है मेरा आपसे आग्रह है कि पचास प्रतिशत लोगों का हो और पचास प्रतिशत सरकार का हो नहीं तो फिर क्या होगा कि 90 प्रतिशत लगा हुआ सरकारी पैसा भी धीरे-धीरे छीजत में चलता चला जाएगा। धीरे-धीरे घाटे में चलता चला जाएगा।

ऊन के क्षेत्र में, आज 65 प्रतिशत ऊन राजस्थान पैदा करता है लेकिन आज धीरे-धीरे ऊन की कीमत गिरती चली जा रही है। ऊन का धंधा करने वाले लोगों को कोई संरक्षण नहीं मिलता। इसके लिए मेरा आपसे सुझाव है कि आप ऊन मार्केटिंग फेडरेशन जो बनाया था उसको पुनर्जीवित कीजिए उसमें वापिस सांस लाइए ताकि वह जीवित हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा।

श्री सभापति : श्रीमती मदन कौर।

श्रीमती मदन कौर (गुढ़ामालानी) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग के सालाना प्रगति प्रतिवेदन और अगामी वर्ष के प्रस्तावित कार्यक्रम यहां बिलकुल साधारण सी प्रक्रिया का रूप ले चुके हैं। प्रगति रिपोर्ट में अधिकांश भाग तो इस पर होता है कि खाद्यान्नों, दलहन और तिलहन की फसलों के नीचे इस साल कितना क्षेत्रफल रहा। इसके पहले साल में कितना रहा था। और साथ ही कितनी मात्रा में खाद और कीटनाशक दवाईयों का हमने उपयोग किया। यह सारे विवरण देखकर तो ऐसा लगता है कि राज्य सरकार हमारे प्रदेश की कृषि की मूलभूत समस्याओं से सर्वथा अनभिज्ञ है। आज के बदले हुए हालात कृषि विभाग से कुछ और तरह की दायित्व की मांग करते हैं। जिस तेज गति से हमारे प्रदेश की उपजाऊ कृषि भूमि का क्षेत्रफल और कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है उसके प्रति किसी भी सरकार को और हमारी प्रादेशिक सरकार को चिन्ता होनी चाहिए।

आज पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों में देखें तो वहां कृषि का उपजाऊ क्षेत्र बड़े पैमाने पर कंकड़ और चट्टानों के रूप में बदलता जा रहा है और दूसरी तरफ मरुस्थलीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उपजाऊ भूमि रेत के टीलों के नीचे दबती चली जा रही है। नदी नालों से तो कृषि भूमि का ह्रास हो ही रहा है। आज स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि मामूली सी बरसात हमारे गांव और कस्बों की आबादी भूमि को त्रस्त कर रही है। और इतना सब होने के बावजूद

(श्रीमती मदन कौर) . . .

भी यह राज्य सरकार इस समस्या की तरफ कतई सचेष्ट नहीं है। मान्यवर, तरह-तरह के खाद, उन्नत बीज, कीटनाशक दवायें और इनका बढ़ता हुआ उपयोग क्या हमारे मिट्टी की उर्वरा शक्ति को पूरा कर सकेगा ? अव्वल तो ये पूरक पदार्थ बहुत ही मंहगे हैं और साधारण किसान के सामर्थ्य में हैं भी नहीं, फिर इन चीजों की भी तो अपनी सीमायें हैं। यह मृदा की मूल संरचना इतनी छिन्न-भिन्न हो चुकी हो तो फिर यह पूरक पदार्थ जो खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयां व सिचाई के रूप में डालते हैं कैसे हमारे अनाज के उत्पादन के स्तर को बनाये रख सकेंगे ? आद्य सभी बढ़ती हुई आबादी और घटता हुआ अनाज का उत्पादन 21वीं सदी में प्रवेश करने के साथ ही कहीं हम भुखमरी की सदी में प्रवेश तो नहीं कर रहे हैं। मान्यवर उपजाऊ भूमि बहुत बहुमूल्य सम्पदा है जिसकी एक इन्च परत बनने में सौ साल से अधिक समय लगता है और विनाश होता है रातों रात। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि भूमि की मूल संरचना को बनाये रखने के लिये आपको प्राथमिकता से जो भी साधन आपके पास उपलब्ध हों, जो विधि आपके पास उपलब्ध हो, उन सारी विधियों और साधनों से मृदा की मूल संरचना को बनाये रखने भरपूर प्रयत्न किये जाना चाहिए। हमारे प्रदेश में हवाई सर्वेक्षण से प्राप्त प्रदेश के नक्शे उपलब्ध हैं उनका उपयोग करें। जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनका आइडेन्टीफिकेशन करें और उन क्षेत्रों में खास तौर से मौसमी फसलों के उगाने पर प्रतिबन्ध लगायें। उनके बजाय वहां स्थाई वनस्पति को प्रोत्साहित करें, जैसे फलों के पौधे, बांस की खेती या वृक्षारोपण उस तरह की वनस्पति। अगर संवेदनशील क्षेत्रों से इस तरह उपयोग नहीं किया तो हमारी अधिकांश उपजाऊ भूमि धीरे-धीरे अनोलांद बनती जायेगी। और हम कृषि उत्पादन का स्तर बनाये नहीं रख सकेंगे। चाहे कितना ही खाद हम लगा लें, चाहे कितने ही सिंचित साधन पैदा कर लें चाहे कितनी ही कीटनाशक दवाइयां और उन्नत बीज हम काम में ले लें। इसलिए मेरा निवेदन है कि आज समय आ गया है कि हमारे कृषि विभाग को अपनी प्राथमिकतायें पुनः निर्धारित करनी होगी। मैं जानती हूं कि कृषि विभाग के अन्तर्गत एक भू संरक्षण निदेशालय काम कर रहा है, कणाबन्दी के काम करते हैं, कन्टूर रिजेज बनाते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग का काम भी हाथ में लेते हैं, खड़ीनों का निर्माण करते हैं और जो क्षारीय भूमि है उसमें जिप्सम का उपयोग भी करते हैं। यह सारे काम ठीक हैं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं लेकिन इन सब कार्यक्रमों की अपनी सीमायें हैं। जब हमारी मृदा की मूल संरचना खराब हो जाती है तो यह सारी चीजें उसमें ज्यादा उपयोगी नहीं होगीं।

मैं आपका ध्यान विकसित देशों में जो हल काम में लेते हैं इसके सम्बन्ध में खींचना चाहूंगी। विकसित यूरोपीय देशों में बीज का रोपण और खाद का उपयोग एक विशेष प्रकार के उन्नत हल से किया जाता है। इसमें भूमि की जो ऊपरी तह है उसको कम से कम छेड़ा जाता है लेकिन हमारे यहां रिवाज और ही है। हमारे

(श्रीमती मदन कौर)

कृषि वैज्ञानिक भी यही सलाह देते हैं कि भूमि की जुताई तीन-तीन, चार-चार बार और कहीं-कहीं पर छः-छः बार करने की सलाह देते हैं। इस प्रकार बारम्बर जुताई से तो तेज हवायें चलने पर उपजाऊ महीन मिट्टी बहकर चली जायेगी, इसी तरह से जब तेज बरसात आयेगी, बारिश में भी जो महीन उपजाऊ मिट्टी है जिसे हम सॉयल का नाम देते हैं वह बह कर खतम हो जायेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि जो विकसित यूरोपीय देशों में यह उन्नत हल चला है, उसका अध्ययन करें और तदनुसार हमारे किसानों को हमारी जमीन के सम्बन्ध में मार्गदर्शन करें। इसके अलावा मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में भू-संरक्षण हेतु जमीन गणाबन्दी जो भी करें वे सेवण घास से करें। मैं खास तौर से कृषि मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, वह जोधपुर जिले के रहने वाले हैं और फलौदी से भी जानकारी है। पहले यह रिवाज था कि बीकानेर और फलौदी में लोग गणाबन्दी करते थे सेवण घास से और इसके दोहरे लाभ थे। एक तरफ से हमारी मिट्टी नहीं उड़ेगी और दूसरी तरफ पशुओं के लिए सेवण घास के माध्यम से पौष्टिक चारा मिलेगा। इस रिवाज को पुनः प्रोत्साहित करें। और इसके साथ ही साथ रेतीले क्षेत्रों में जहां-जहां टीले हैं, पड़त भूमि है, वहां राज्य सरकार को, कृषि विभाग को पनता बबूल पौधे लगाने का प्रयास करना चाहिए। सेवण घास लगाने का काम करें इजराइली बबूल का प्लान्टेशन किया जाये तो उस जमीन को बचाया जा सकेगा। इससे हमारे पशुओं के लिये भी पौष्टिक चारा उपलब्ध हो सकेगा।

इसी तरह भूमि संरक्षण के मामले में निवेदन करना चाहती हूं कि नदी नालों के तट पर काश्त होती है और पहाड़ी क्षेत्रों में जहां बालरू काश्त होती है मैं समझती हूं कि बालरू काश्त यानी शिफ्टिंग कल्टिवेशन, यह काश्त पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित है उसको भी हमें रोकना पड़ेगा। मैं इसको और ज्यादा एक्सप्लेन कर दूं, अगर आप समय दें, तो कर दूं। पहाड़ी क्षेत्र में जो विभिन्न जातियां हैं वहां पहाड़ी क्षेत्रों की जो वनस्पति है उसको जला देते हैं और जलाने के बाद मक्की का बीज लगा देते हैं और जलाने के बाद एक साल से अधिक काश्त होती नहीं फिर अगले टुकड़े को लेते हैं उसको जलाते हैं फिर बीज उसमें डालते हैं इस तरह से हमारी कृषि उपजाऊ योग्य भूमि के पहाड़ी क्षेत्र में है वह बर्बाद होती जा रही है और बरसात के मौसम में सारी उपजाऊ जमीन धीरे-धीरे कोरी चट्टान और कंकर के रूप में बदल जायेगी, इसलिए वहां इस शिफ्टिंग प्लांटेशन के प्रचलन को प्रतिबन्धित करना होगा उन्हें प्रोत्साहित करना होगा कि वे मौसमी फसलें न लगा कर स्थाई वनस्पति, फलदार पौधे लगायें, बांस की खेती करें वृक्षारोपण करें और जब तक उनको उसकी काश्त मिले तब तक राज्य सरकार उनके पेट पालन के लिए कोई न कोई दूसरी मजदूरी व्यवस्था करें।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ

(श्रीमती मदन कौर)

मैं अपने क्षेत्र की कुछ बातों की तरफ राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। हमारे यहां बाड़मेर जिले में कुछ ही समय से भू-तल में पानी मिला है। गुडामलानी क्षेत्र में, चौहटन तहसील में, वहां भू तल में अभी कुछ नया-नया ही पानी मिला था। इसके सम्बन्ध में मैं दो सुझाव आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूं। पहला तो यह कि उस क्षेत्र का काश्तकार ऐसी सिंचाई प्रथा का आदी नहीं है इसलिए किस न किसी तरीके से उनको मार्गदर्शन मिलना चाहिए कि क्या फसल लगाये, कौनसा खाद डाले, किस तरह की खेती करे। यह उनको बताना चाहिए। दूसरा निवेदन यह करना चाहती हूं कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पानी है लेकिन किसानों को इस बात का अन्दाज नहीं है कि कितनी गहराई पर कितनी मात्रा में उनको पानी उपलब्ध होगा। तो राज्य सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि उन क्षेत्रों में एक्सपेरीमेन्टल ट्यूब वेल खोद कर किसान का मार्गदर्शन करें। उसके बाद किसान कर्ज लेकर जैसे-तैसे कुये खोद कर कृषि पैदावार की बढ़ोतरी में सहायक हो सकता है।

इसके अलावा, मान्यवर, बाड़मेर और जालौर जिले में जीरे और इसबगोल की खेती होती है। यह वाणिज्यिक फसल है इसके सम्बन्ध में न तो कोई उन्नत बीज है न रोग नियन्त्रण की कोई व्यवस्था है। अनेक कृषि विश्वविद्यालय हैं, आप उनसे कहिये कि वाणिज्यिक फसलें हैं और बड़ी कीमती फसलें हैं, इसके रोग नियन्त्रण का कोई रास्ता निकालें, उन्नत बीज अगर कोई निकल सके तो वह भी किया जाना चाहिये।

इसी के साथ साथ कृषि विभाग का यह भी दायित्व है कि वह अपने कृषकों को उनकी फसलों की पूरी कीमत दिलवा सके। आज हालात क्या है कि बाड़मेर जिले के काश्तकार अपने जीरे की फसल लेकर गुजरात की उंझा मण्डी में जाते हैं क्योंकि वहीं एक मण्डी है जहां जीरे का और इन फसलों का अच्छा भाव मिलता है। अब होता क्या है कि बाड़मेर जिले से जालौर में प्रवेश करने से पहले गांडव आता है। गांडव में सैल टैक्स वाले, कामर्शियल टैक्स वाले अपनी चौकियां लगाकर बैठ जाते हैं और 3-3, 4-4 दिन तक काश्तकारों की जीरे की फसल, इसबगोल की फसल को वहीं रोके रखते हैं। इसका नतीजा यह निकलता है कि इन किसानों को वहां जाना बड़ा भारी मंहगा पड़ता है। और वजह क्या है? वजह यह है कि सांचौर में कृषि मण्डी बनी। उस कृषि मण्डी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के आदमी यह चाहते हैं कि यहां रोके रखें ताकि मजबूरन लोग सांचौर मण्डी में जाकर बेचेंगे। अगर सांचौर मण्डी में काश्तकारों को अच्छा भाव मिले तो वे पागल थोड़े ही हैं कि वे उंझा जाकर बेचें? कृषि मण्डी सांचौर में आपकी ठीक से व्यवस्था नहीं है और इसी वजह से वे लोग उंझा ले जाते हैं। यह कृषि विभाग का दायित्व है कि जो लोग अपनी फसल को लेकर जाय उनको निर्विघ्न वहां से जाने दें। आपकी प्रमाणीकरण की व्यवस्था है,

(श्रीमती मदन कौर)

सर्टिफिकेट देने की है, तो वहां पर की जा सकती है।

इसी के साथ साथ, सभापति महोदय, तिलम संघ के मामले में थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगी। तिलम संघ की ब्रांच आपने जालोर में खोल रखी है। जालोर में सरसों और रायड़ा की फसल होती है। बाड़मेर जिले में भी पचपदरा, गुढ़ामलानी, चोहटन और सिवाना, इन चारों तहसीलों में, जो जालोर से लगते हुए इलाके हैं, वहां पर बड़ी मात्रा में रायड़ा, जो सरसों की ही एक प्रजाति है, होती है। इसलिए इसकी भी ठीक कीमत मिले, इसलिए जालोर में जो शाखा है उसका ज्यूरिडिशन बाड़मेर जिले की इन चारों तससीलों को मिलाकर कर दिया जाय तो यहां के काश्तकारों को भी सुविधा मिल सकती है।

मैं आपका और अधिक समय नहीं लेती हुई इतना सा निवेदन करना चाहती हूं कि कृषि विश्वविद्यालय कृषि मेले लगाता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब कृषि मेले लग चुके होते हैं, तब किसानों को इस बात की जानकारी होती है। मैंने कृषि विश्वविद्यालय के कुछ अधिकारियों से इस सम्बन्ध में बात की, उनका कहना यह है कि हम तो डी. पी. आर. को अपनी बात कह देते हैं कि हम कृषि मेले लगाने जा रहे है लेकिन डी. पी. आर. इस सम्बन्ध में कुछ ध्यान नहीं देता। जब कोई वी. आई. पी. वहां जाता है, वहां समारोह जब समाप्त हो जाता है, तब अखबारों में आता है। तो कृषि मेलों का लाभ काश्तकारों को मिलना चाहिये, वह मिल नहीं पाता है।

अन्त में, सभापति महोदय, एक सुझाव और देना चाहूंगी कि जोधपुर में सेन्ट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट पिछले 40 साल से काम कर रहा है। क्या लाभ मिला काश्तकारों को उसका, अगर आप इस सेन्ट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट को कृषि विश्वविद्यालय में परिवर्तित नहीं करा सकते तो कृपया इतना एक काम तो आप जरूर कीजिये कि जोधपुर विश्वविद्यालय में आप एग्रीकल्चर फैक्ट्री नये रूप में खोलें अन्यथा हमारा सारा मारवाड़ क्षेत्र कृषि अनुसंधान से, कृषि सेवाओं से वंचित रह जाता है। मारवाड़ में रबी की खेती है, खरीफ की खेती है, अकाल भयंकर पड़ता है। अगर एग्रीकल्चर संस्थान कोई नई राय दे सके, शुष्क खेती के नये रास्ते निकाल सके, तो निश्चित रूप से हमारे मारवाड़ में भी अकाल का असर कम पड़ेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हूं।

शासकीय वक्तव्य

अजमेर में हुये दंगों के सम्बन्ध में

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : सभापति महोदय, अजमेर की घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य देने के लिए मैंने सदन को आश्वासन दिया था। उसी आश्वासन के अनुरूप जो कुछ मुझे सूचना अभी तक प्राप्त हुई है, उस आधार पर एक वक्तव्य सदन में दे रहा हूं।

आज दिनांक 24 मार्च, 1992 को

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लगभग प्रातः 11. 30 बजे राजकीय महाविद्यालय अजमेर के परिसर में पुस्तकालय के पास श्री सलीम एवं फकरू एम. ए. प्रथम वर्ष के छात्र उपस्थित थे। वहां श्री दशरथ सिंह को आया देखकर पूर्व दिवस की कहासुनी से नाराज सलीम ने दशरथ सिंह पर चाकू निकालकर गुस्से में हमले का प्रयास किया। दोनों की कहासुनी को सुनकर श्री सुरेन्द्र सिंह जो पुस्तकालय में अध्ययन कर रहा था, बचाव के लिए भाग कर आया। उसी समय महफूज पुत्र कमरबख्त निवासी इमामबाड़ा एम. ए. प्रथम वर्ष छात्र भी वहां आ गया। इनमें विवाद बढ़ा एवं इसी आपाधापी में सलीम ने अपने चाकू में वार किया जिसमें श्री दशरथ सिंह के हाथ से चोट लगी किन्तु वह चोट के प्रभाव को पीछे होकर बच गया एवं बचाव में आये हुए सुरेन्द्र सिंह के पूरे जोर से चाकू पेट में लगा जिससे उसकी पसलियों को काटता हुआ चाकू लिवर में घुस गया तथा एक फेंफड़े को छेद दिया जिस पर श्री सुरेन्द्रसिंह घायल होकर गिर पड़े। सूचना पर तत्काल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची एवं वरिष्ठ अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंचे एवं घायल छात्रों के उपचार के लिए सारी संभव व्यवस्था की। श्री सुरेन्द्र सिंह को तत्काल चिकित्सा सहायता हेतु राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया और श्री दशरथ सिंह का भी प्राथमिक उपचार कराया गया। कुछ देर पश्चात श्री सुरेन्द्र सिंह ने जो आपरेशन थियेटर में थे, चोट की गम्भीरता के कारण से प्राण छोड़ दिये। घटना पर पुलिस ने भी तुरन्त एहतियातन कानूनी व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस व्यवस्था की तथा विश्वविद्यालय परिसर में भी शांति हेतु कदम उठाये।

ज्ञात हुआ है कि श्री सुरेन्द्र सिंह की मृत्यु के पश्चात् उसका पोस्टमार्टम कराया गया और शव को अंतिम संस्कार हेतु उसके पिता श्री हनुमान सिंह निवासी मनोहरपुर जोबनेर एवं उनके परिवार जनों को सौंप दिया गया जिसे लगभग 4 बजे जीप द्वारा अन्य परिवारजनों के साथ श्री हनुमान सिंह अपने पुत्र के शव को दाह संस्कार हेतु अपने गांव के लिए लेकर रवाना हो गये। मनोहरपुर जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के अति निकट है, उस बात को ध्यान में रखते हुए, कानूनी व्यवस्था की दृष्टि से वहां भी पुलिस द्वारा व्यवस्था की गई है। रिपोर्ट के अनुसार घटना के कारणों के बाबत ज्ञात हुआ है कि कल दिनांक 23 मार्च, 1992 को श्रमजीवी कालेज के प्रथम वर्ष के छात्र श्री दशरथ सिंह उसके दोस्त श्री अशोक यादव जो राजकीय महाविद्यालय के प्रथम वर्ष डी. डी. सी. के छात्र हैं, से मिलने गाया था। वहां पर उसकी किसी बात पर सलीम से कहासुनी हो गई एवं उस कहासुनी से नाराजगी की परिणति आज इस दुर्घटना में हुई है। ज्ञात हुआ है कि दिवंगत छात्र श्री सुरेन्द्र सिंह के पिता श्री हनुमान सिंह अजमेर विश्वविद्यालय में सहायक सचिव के पद पर कार्यरत हैं जो लोगों में काफी अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। वहीं दिवंगत छात्र श्री सुरेन्द्र सिंह भी अच्छे छात्रों में माने जाते हैं। उसके प्रति अधिकांश छात्रों में संवेदना है। इस बात को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दयानन्द आयुर्वेदिक कालेज छात्र संघ के अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह छाबाजाट और उनके सहयोगियों ने इस घटनाक्रम में हमदर्दी के नाम पर मतैक्य है। लगभग 150 छात्रों ने श्री सुरेन्द्र सिंह की मृत्यु के पश्चात् एकत्रित होकर नाराजगी में नया बाजार, मदार गेट, पुरानी मंडी क्षेत्र की अधिकांश हिन्दु दुकानें बंद कराई एवं मदार गेट पर कुछ हल्का पथराव भी हुआ जिस पर पुलिस द्वारा बरती गई सतर्कता से उस स्थिति पर तत्काल काबू पाया गया और पुलिस की व्यापक उपस्थिति को देखकर छात्र तितर-बितर हो गये। किन्तु छात्रों एवं उनके समर्थकों में घटना से रोष व्याप्त है। स्थानीय प्रमुख राजनैतिक संगठनों के वरिष्ठ नेताओं ने जन प्रशासन को सहयोग देकर शांति व्यवस्था में योगदान दिया है। प्रशासन द्वारा अजमेर में उपलब्ध पुलिस बल को सभी सम्भावनाओं को ध्यान में रखकर उपर्युक्त स्थलों पर लगाया गया है एवं श्री दशरथ सिंह की रिपोर्ट पर मुकदमा नम्बर 70/92 अन्तर्गत धारा 307, 302, 147, 148, 149 आई. पी. सी. दर्ज किया है जिसमें श्री फकरू, सलीम एवं महफूज के नाम, दो अन्य के नाम इस घातक हमले में शामिल होना बताया है। नामजदगी पर तीनों मुलजिमों महफूज, सलीम एवं फकरु को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है तथा अन्वेषण कार्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अभिदर्शन में प्रगति पर है। व्यापक रूप से घटना का मूल कारण छात्रों में तात्कालिक रूप से पैदा हुई आपसी बात की नाराजगी ही जाना जा रहा है तथा इसमें साम्प्रदायिक जैसे कारणों का होना प्रतीत नहीं हो रहा है। नवीनतम स्थिति के अनुसार नगर में घटना को लेकर साम्प्रदायिकता या साम्प्रदायिक तनाव जैसी स्थिति

(6.40 सायं)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

प्रकाश में नहीं आई है। घटना को शरारती तत्व साम्प्रदायिक रूप नहीं दे सके, इसके लिए प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है। कानून-व्यवस्था पर उच्च स्तरीय कार्यवाही हेतु महानिरीक्षक पुलिस श्री फूलसिंह यादव अजमेर पहुंच चुके हैं। नवीनतम सूचना के अनुसार स्थिति पूर्ण नियंत्रण में है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हरिशचन्द्र कुमावत। वाद-विवाद पर बोलेंगे आप? कृषि और सहकारिता पर नहीं बोलना है आपको?

श्री हरिशचन्द्र कुमावत : नहीं बोलना।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मांगीलाल मेघवाल।

मांग संख्या 36 व 37 पर विचार

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोरायपाटन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आज इस पवित्र सदन में मांग संख्या 36 सहकारिता और 37 कृषि पर जो बजट पर डिबेट हो रही है उस पर मैंने जो कटौती प्रस्ताव दिए हैं उन पर अपने

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

विचार व्यक्त करते हुए कुछ सुझाव दूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा बड़ा प्रदेश है। इतने बड़े भू-भाग में 50 प्रतिशत क्षेत्र ही कृषि के अन्तर्गत आता है। मेरे से पूर्व वक्ता गुढ़ामालानी से आने वाली माननीय सदस्या ने जो विचार व्यक्त किए थे, विशेषकर सोइल कन्जर्वेशन पर, मैं उसी बात को सदन के सामने प्रस्तुत करते हुए आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस राजस्थान में ऐसी जमीन, जिस पर खेती नहीं होती, वो करीब 18 लाख हेक्टेयर जमीन है। उस में 7.29 लाख हेक्टेयर क्षारीय है, 3.41 लाख हेक्टेयर लवणीय है, 2.36 लाख हेक्टेयर सीपेज वाली है और 2.52 लाख हेक्टेयर खालदड़ों की जमीन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतने बड़े भू-भाग में 18 लाख हेक्टेयर जमीन है जिसको सुधारा जाकर खेती में काम में लिया जाय और खेती के माध्यम से गरीब प्रदेश का, गरीब किसान का हित किया जाय। इस तरह की योजनायें बननी चाहिए थीं। सौभाग्य से अब इस ओर प्रयास हो रहा है और राजस्थान में भू-संरक्षण का अलग निदेशालय कायम हो रहा है और इस ओर प्रगति हो रही है। केन्द्रीय मदद से बीहड़ सुधार कार्यक्रम के तहत जो योजनाएं चल रही थीं, उनको न जाने किन कारणों से बंद कर दिया गया। इस क्षेत्र की जमीन का कटाव हो रहा है और किसान की सोना उगलने वाली धरती नदी-नालों के माध्यम से बह-बहकर समुद्रों में जा रही है।

राजस्थान में विशेष करके चम्बल और चम्बल के आसपास की नदियों के सहारे का क्षेत्र, कोटा बूंदी, सवाईमाधोपुर, धौलपुर और भरतपुर का 6600 किलोमीटर परिधि क्षेत्र ऐसा है जहां भारी खालों के माध्यम से जमीन बहती जा रही है। इतने बड़े भू-भाग को सुधारने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1000 किलोमीटर परिधि क्षेत्र लेने का लक्ष्य रखा गया था और उसके लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में 27.60 करोड़ रुपए रखे गए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस 27 करोड़ में केवलमात्र परिधि वन के लिए 10 करोड़, भूमि समतलीकरण, जो 20 हजार हेक्टेयर का लक्ष्य था, उसमें 5 करोड़, कंदराओं पर वृक्ष लगाने की योजना थी उसमें 11 करोड़। इतनी बड़ी धरती के कटाव को रोकने के लिए पेड़ जरूरी हैं। पेड़ लगाने के लिए फोरेस्ट विभाग, सामाजिक वानिकी, स्वयं किसान ये सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो उन स्कीम्स के तहत पेड़ लगा सकते हैं। 27 करोड़ में से यह 11 करोड़ रुपए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, सारे अधिकारियों को, सारे केन्द्र के लोगों को एक हमने पत्र देकर निवेदन किया था। चाहे केन्द्र सहायता न दें, मैं तो मांग करूंगा, मरू विकास के नाम से, सूखा संभावित क्षेत्र के विकास के नाम से केन्द्रीय सहायता इस साल भी दी जा रही है। इसको क्यों बंद किया गया, यह सरकार जाने, यह उसका काम है लेकिन मैं तो निवेदन करूंगा कि इस महत्वपूर्ण स्कीम को पुनः चालू किया जाय,

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

केन्द्र को सहायता के लिए आग्रह किया जाय। नहीं दे तो राजस्थान सरकार द्वारा इस स्कीम को चलाया जाय। इसे 3 वर्ष हो गए हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का विरोध करने वाला मैं ही इस सदन में था, मैंने सदन में कहा, मैंने लिखा-पढ़ी की। अब इसका मतलब यह नहीं होता है कि कुछ कमियां रही हैं, कुछ भ्रष्टाचार हुआ है उसके कारण इस स्कीम को बन्द कर दिया जाय। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग करूंगा कि बीहड़ सुधार की योजना को पुनः चालू किया जाय और जो राजस्थान में 18 लाख हेक्टेयर जमीन है उसकी स्पेशल योजना बनाई जाय।

अब मैं राजस्थान के बेरोजगारों की बात करूंगा। मैं शिक्षित बेरोजगारों की बात नहीं करूंगा, मैं उन मजदूरों की बात नहीं करूंगा जो शहर में ठेला चलाते हैं, शहर में मजदूरी करते हैं। मैं उन लोगों की बात करूंगा जो गांवों में रहते हैं गांवों में मजदूरी करते हैं। गांव का शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी है, उस आदमी को अगर एक हेक्टेयर जमीन दी जाय तो राजस्थान के 18 लाख लोगों को जमीन मिलेगी और इससे इस प्रदेश की गरीबी दूर होगी और गरीब प्रदेश का विकास होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अभी भी कृषि मण्डी के माध्यम से बनने वाली सड़कें हैं, वे बहुत हैं। विशेष करके मेरे क्षेत्र केशोरायपटन की बात करूंगा। मान्यवर, मेरे यहां जो कृषि लायक क्षेत्र है वह 96749 हेक्टेयर है। एक लाख हेक्टेयर खेती के क्षेत्र में से 52640 हेक्टेयर जो कमाण्ड एरिया है, सिंचित क्षेत्र है जिसमें लाखों टन अनाज, दलहन, तिलहन, मसाले और इस प्रदेश की सबसे बड़ी सहकारी मिल मेरे विधान सभा क्षेत्र में है। दुर्भाग्य से हमारे यहां अविकसित मण्डी होने के कारण कोटा की मण्डी में फसल बेची जाती है और सारा माल कोटा में जाता है। केवल मात्र मेरे विधान सभा क्षेत्र से 80 लाख रुपया मण्डी टैक्स के रूप में कोटा में जमा होता है। यह न जाने कैसी विसंगति है। एक हाई एण्ड फास्ट रूल बना दिया कि जिस मण्डी का पैसा है वह उसी में लगेगा। उसका दुष्परिणाम हम भोग रहे हैं कि हमारे यहां कोई सड़कें नहीं बन रही हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है। 1960 में मेरे विधान सभा क्षेत्र में चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में पानी दिया गया और तबसे लाखों टन अनाज पैदा हो रहा है। कापरेट और केशोरायपाटन की मण्डी 1976-77 में मण्डी घोषित की गई। इतने लम्बे समय के बाद आज दिन तक केवल एक किलोमीटर सड़क कृषि मण्डी से बनी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कितनी बड़ी विषमता की बात है। इतनी विशाल राशि और इतने लम्बे समय से हम वहां जमा करा रहे हैं। और एक मापदण्ड बना रखा है हार्ड एण्ड फास्ट। ऐसे मापदण्ड को बदलिए। अभी जो जिला विकास शुल्क मण्डी के नाम से है, मैं आपसे विशेष आग्रह करते हुए निवेदन करूंगा कि जिले में भी हमारे यहां हम ज्यादा एक करोड़ की लेते हैं जिसमें आधा प्रशासनिक खर्चा आ जाता है। आधा हमें मण्डी के रूप में मिलता है वो भी आज

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

कोई हो नहीं रहा है। इसलिए मेरी मांग है कि उसकी एक इकाई इस प्रदेश को रखा जाय और प्रदेश से कृषि मण्डी के माध्यम से गांवों में सड़कों के लिए पैसा दिया जाय। मैंने अभी जब इसका प्रस्ताव भिजवाने की बात की तो वहां के प्रशासक कहने लगे कि इसमें 18 पर्सेन्ट तो ब्याज है। कृषि मण्डी का पैसा कृषि विपणन संघ को ब्याज पर देंगे। 18 पर्सेन्ट ब्याज मिला उसके बाद सड़क उनके द्वारा बनाई जायेगी। 20 पर्सेन्ट उनका मैनेजमेंट चार्ज होगा। अब 20 पर्सेन्ट वो मैनेजमेंट का ले रहे हैं, 18 पर्सेन्ट ब्याज ले रहे हैं। इसलिए मेरी सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग है कि ऐसे क्षेत्र को, जो लाखों टन अनाज पैदा करता है, जो किसान वहां का लाखों रुपया शुल्क में जमा कराता है और आपके नियमों में बंध करके टुकर-टुकर झांकता रहे यह नहीं होना चाहिये। मेरे यहां पैदल जाने का रास्ता नहीं है। तो ऐसी विशाल परिस्थियों वाले क्षेत्र में पूरे राजस्थान प्रदेश को इकाई मान करके यहां से पैसा दिया जाये ताकि ऐसे उपेक्षित क्षेत्रों का विकास किया सके। मान्यवर, इसके अलावा इस एग्रीकल्चर में, जैसे सैरी कल्चर हैं ऐसी छोटी-छोटी चीजों को नहीं लिया जा रहा है। राजस्थान में 40 टन रेशम की खपत है हमारे यहां विभिन्न जिलों में, बूंदी, कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में सैरीकल्चर, रेशम कीट पालन की खेती होती है। उत्पादन होता है आधा टन। मान्यवर, आधा टन उत्पादन हमारे प्रदेश में हो रहा है जबकि यहां पर खपत है 40 टन। कोटा डोरिया साड़ी आज सम्पूर्ण भारत वर्ष में विकसित हैं, वह इस रेशम से बनती है। रेशम का उत्पादन नहीं हो रहा है और रेशम की खेती के लिए केवल मात्र एक छोटा सा क्षेत्र चाहिए। एक एकड़ में, आधा एकड़ में खेती की जा सकती है, उन पेड़ों के नीचे घास पैदा की जा सकती है जिससे जानवर पाल सकते हैं, उसमें सब्जी पैदा की जा सकती है और छोटी फसल भी ली जा सकती है। यानि कम से कम क्षेत्र में डबल क्राप ली जा सकती है। एक विकलांग व्यक्ति भी उनकी पत्तियों को तोड़ कर लाकर कीड़ों को खिला सकता है। कोई वृद्ध भी खिला सकता है, मेरी मां-बहन है वह भी खिला सकती है और छोटे बच्चे भी लाकर के, शहतूत की पत्तियां लाकर कीड़ों को खिला कर इस खेती को बढ़ावा दे सकते हैं। राजस्थान में बहुत बड़ा स्कोप है। तो सैरी कल्चर को भी कृषि विभाग के अन्डर में लेकर, शायद लिया है, इसको विशेष प्रोत्साहन दिया जाय। यहां से कृषि विभाग के अधिकारियों, कृषि प्रसार अधिकारियों को और जो कृषि पर्यवेक्षक हैं उनको बंगलौर-मैसूर में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाय। जो लोग भेजे जा रहे हैं उनमें भी कभी किन्हीं को कहीं डेपुटेशन पर देते हैं, इस तरह की नीति बंद की जाय और सैरी कल्चर के माध्यम से जितना भी इस राजस्थान का विकास हो वह होना चाहिए। मान्यवर, आज आधुनिक युग में तकनीकी खेती है, पौध संरक्षण की यूनिटें जो राजस्थान में तहसील स्तर पर थी वह बंद कर दी गई हैं। अब आज एक दवाई की शीशी मिलती है, इस में 300 एम.एल. दवाई है, इसका वन पर्सेन्ट घोल होना चाहिए, अनपढ़ किसान, राजस्थान में वैसे

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

ही शिक्षा का अनुपात कम है और उन में भी किसान, किसान भी गांव का, अब वह क्या जाने कि कितना प्रतिशत घोल होगा। इतनी महत्वपूर्ण दवाई है, अगर वह सही उपयोग नहीं कर सकते तो दवा का पैसा भी गया, फसल भी नहीं हुई। तो सही तकनीकी सलाह देने वाला जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का आदमी है वह पंचायत स्तर पर जाये, पंचायत समिति स्तर पर पुनः पौध संरक्षण की यूनिटें लागू की जायें और उनको स्प्रे-डस्टर्स आदि जो सयंत्र हैं पौध संरक्षण के काम में लेने वाले, वह मुहैया करवाये जांय, किसान को सही तकनीक दी जाय और उनके माध्यम से फसल को बचाया जाय। तो मेरी मांग है कि पौध संरक्षण में जितनी भी यह यूनिट्स हैं इनको वापस चालू किया जाय।

मान्यवर, राजस्थान में कृषि महकमा एक बहुत बड़ा महकमा है। आज 43 साल बाद तक भी राजस्थान जैसे प्रदेश में हम पंचायत स्तर पर एग्रीकल्चर का वर्कर नहीं दे पाये। आज राजस्थान में साढ़े सात हजार के करीब ग्राम पंचायतें हैं पर कृषि पर्यवेक्षक के जो पद हैं वह केवल मात्र साढ़े चार हजार हैं। साढ़े चार हजार में कोई फार्म पर बैठा रखा है, कोई आफिस में बैठा रखा है, कहीं डिस्पेज कर रहा है, खेत में जाने वाला एग्रीकल्चर का कार्यकर्त्ता आज हर ग्राम पंचायत में नहीं जाता हैं। कैसे तकनीकी शिक्षा उनको दी जायेगी? हमारा अनपढ़ किसान क्या ज्ञान सीखेगा। अधिकारी है, कोई जीप से उतरता नहीं नीचे, अधिकारियों की बड़ी फौज इकट्ठी कर रखी है। आज प्रथम श्रेणी के जो अधिकारी हैं वह राज्य में 84 हैं। सैकण्ड ग्रेड के अधिकारी यहां पर साढ़े पांच सौ-छह सौ के आस-पास हैं और दूसरे भी जितने अधिकारी हैं, जो केवल वाचिंग कम्पनी हैं, जो कारों में घूमते हैं, जो रोड से नीचे नहीं उतरते, टेलीफोन मेन्टेन करते हैं, उनके नौकर अलग हैं, उनका फर्नीचर अलग है, उनको लम्बा भत्ता मिलता है। ऐसे लोग, जो किसान को जानते नहीं, खेत में जाना अपनी शान के बाहर समझते हैं, उनकी टीम भी, करीब दो हजार लोग हैं। तो मान्यवर, यह दो हजार अधिकारी इन चार हजार कृषि पर्यवेक्षकों पर बैठे हुए हैं, दो के ऊपर एक, क्या मतलब है इससे। अगर सही अर्थ में इस गरीब प्रदेश के, अशिक्षित प्रदेश के किसान को आप सलाह देना चाहते हैं तो मैं पुरजोर शब्दों में सरकार से मांग करूंगा कि राजस्थान की हर ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक दिया जाय। ग्राम पंचायत स्तर पर जब जायेंगे तो वह उनको तकनीकी सलाह देंगे, उनके सम्पर्क में रहेंगे। है कोई राजस्थान में ऐसी एजेन्सी, जो किसान तक जाती है? कोई नहीं जाता है। एक मात्र यह जो पर्यवेक्षक है यह किसान तक जाता है। इसलिए मेरी मांग है कि जितना भी यह स्टाफ है इसको पंचायत स्तर पर रखा जाय।

आज जिला स्तर पर दस-दस डी.एल.ओज. बैठे हैं। राजस्थान में अंगुलियों पर गिनने काबिल एम.एस.सी.एजी. होंगे। सब की समान योग्यता है—बी.एस-सी. एजी.। बी.एस.सी.एजी. कर ली, ए.ई.ओ., सहायक कृषि अधिकारी, फिर प्रमोशन हो गया दूसरी स्टेप पर, कृषि विशेषज्ञ।

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

परसों हम यहां बैठे थे, एक एस.एम.एस. था, खारची से आने वाले माननीय सदस्य ने उनसे पूछा कि आप क्या हैं तो बोले कि मैं एस.एम.एस. हूं। तो बोले—अच्छा किसके, तो कहा कि एग्रीकल्चर के। इन्होंने उनसे पूछा कि गेहूं के और जौ में कमी क्या है, वह मुंह झांकने लगा टुकुर-टुकुर। मैंने उनसे पूछा कि आप यह बताइये कि रजगे और बरसीन के पत्तों में कैसे जानकारी होगी, वह मेरा मुंह झांक रहे हैं। अब ऐसे विशेषज्ञ अगर राजस्थान में रखें जायेंगे तो क्या किसान को सिखायेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को पंचायत समिति स्तर पर भेजा जाय, किसान के बीच में भेजा जाय ताकि वह किसान की सही बात समझ सकें, वह खुद भी ट्रेनिंग ले लें। वह खुद ही नहीं जानते हैं कि मक्की के और ज्वार के पौधे में झरनेट होते समय क्या अन्तर है। जब यही नहीं जानते तो वह कैसे किसान को पढ़ायेगा। तो मेरी मांग है कि जहां सहायक कृषि अधिकारी, फिर विषय विशेषज्ञ दूसरा स्टेप, फिर तीसरा जाकर जिला कृषि अधिकारी या विस्तार अधिकारी, फिर उसके बाद सहायक निदेशक, उप निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक ही योग्यता के लोग-बाग अपना पद बनाने के लिए, अपना पैसा लेने के लिए, अपनी सुख-सुविधाओं के लिए आठ सीढ़ियां चढ़ जाता है। और फिर, कैसे पद बना रखे हैं—विशेषज्ञ कपास, विशेषज्ञ सोयाबीन, प्लांट प्रोडक्शन, तिलहन, दलहन, हर वनस्पति के नाम से अधिकारी बैठा दिये गये। एक-एक जिला लेवल पर बीस-बीस अधिकारी बैठा दिये गये, यह क्या कर रहे है, क्या किसान का भला कर रहे हैं? तो मेरी मांग है कि वर्षों पहले इस तरह की जो कमियां रही हैं, जो इस तरह की विसंगतियां रही हैं, मैं सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग करूंगा कि इन विसंगतियों को दूर किया जाय और सही अर्थों में इस गरीब प्रदेश के किसानों को सही तकनीक दी जाय, उनका सही उपयोग हो। इस तरह की व्यवस्था करिये।

मैं इतना सा कृषि पर निवेदन करते हुए मांग संख्या 36, सहकारिता पर निवेदन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : अब वह विषय रहने दीजिए न आप। एग्रीकल्चर पर ही बहुत है।

श्री मांगीलाल मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में एक मात्र शक्कर का कारखाना....

श्री उपाध्यक्ष : आप तो एग्रीकल्चर में ही मास्टर हैं, सब विषय में क्यों टच कर रहे हैं।

श्री मांगीलाल मेघवाल : मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैं, केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल है....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, टाईम अधिक हो गया है, बीस मिनट हो गये हैं।

श्री मांगीलाल मेघवाल : माननीय उपाध्यक्षजी, करोड़ों का कारखाना और उसमें जो मोलासिस, उसको उपयोग करने

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

के लिए वहां डिस्टलरी प्लांट की स्कीम थी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हम तो दो बजे तक चला लेंगे माननीय सुमित्राजी, बीस-तीस वक्ता और हैं यहां पर।

श्री मांगीलाल मेघवाल :— उपाध्यक्ष महोदय, उस सहकारी शुगर मिल में, केशोराय पाटन में डिस्टलरी प्लांट की स्वीकृति दी जाय। अभी यहां आबकारी मंत्री महोदया नहीं है, मैने उनकी मांगों पर भी यह लिखा है कि उनके लाइसेंस की जल्दी स्वीकृति दी जाय और वहां डिस्टलरी प्लांट को चालू किया जाय ताकि वहां जो मिल है वह बारह महीने चल सके। उपाध्यक्ष महोदय, इस शुगर मिल समिति में अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं। मेरी अधिकारियों से बात हुई है, मंत्री महोदय से भी मैंने निवेदन किया है कि इसके चुनाव कराये जायं। अभी वहां इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। उसका मैनेजमेंट सही हो उसकी स्कीम बने। अब वहां जो कच्चा माल गन्ना है वह केवल मात्र तीन महीने पैदा होता है। कौन सी लांग वेरायटी है, कौन सी शार्ट वेरायटी है, कौन सा गन्ना पैदा करना चाहते हैं, किस में शक्कर की प्रतिशत ज्यादा है इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। बस ले-देकर के एक-दो वेरायटी चल रही है कभी भी पैदा करो, मैचोरिटी पीरियड होता नहीं, उस गन्ने को आप पेलोगे, उसका शक्कर प्रतिशत आता नहीं, रिकवरी आती नहीं। घाटा हो रहा है। पांच-पांच दिन तक केन्द्रों पर गन्ना पड़ा रहता है। इस तरह की अव्यवस्था है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल की उस व्यवस्था को सुधारा जाय। वहां वाटर लाग्ड एरिया है, वहां आज गन्ना कैसे निकालेगा किसान, वहां हजारों टन गन्ना पैदा होता है। जब पैदल गाड़ी जा नहीं सकती, पैदल आदमी जा नहीं सकता तो लाखों टन गन्ना कैसे ढोकर के किसान अपने खेत से निकाल कर वहां पर लायेगा? तो मेरी मांग है कि जो सहकारी शुगर मिल का क्राइटेरिया है पन्द्रह किलोमीटर, उस पन्द्रह किलोमीटर की परिधि में सड़क बनाई जाय। कागजों में सम्पर्क सड़कें बनाई, पैसा लगा दिया, वाटर लाग्ड एरिया है, बरसात आई, फ्लड आती है, बह जाती है। पानी आता है उससे सारी मिट्टी बह जाती है, इस तरह की कच्ची मिट्टी है। तो मेरी मांग है कि वहां गन्ने की स्कीम्स बनाई जायं, इस प्रकार सड़कें बनाई जायं, ताकि किसान अपना कच्चा माल वहां तक ले जा सके। और उस सहकारी शुगर मिल के चुनाव कराये जाय।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद मांगीलाल जी।

माननीय श्री रामनारायण वर्मा।

श्री मांगीलाल मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात।

श्री उपाध्यक्ष : कौन सी?

श्री मांगीलाल मेघवाल : इसी तरह से, राजस्थान में अनुसूचित जाति के लोगों

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

का भला करने वाली राजस्थान अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम, जो सहकारी विकास निगम है जिसमें आठ आई.ए.एस. डाइरेक्टर बिठा रखे हैं। आठ आई.ए.एस. अधिकारियों को डाइरेक्टर बनाये रख रखा है। कहने के नाम से वह शिड्यूल कास्ट है। उपाध्यक्ष महोदय, 1980 से लेकर अब तक 125 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम के माध्यम से राजस्थान के गरीब लोगों के उत्थान के लिए आये हैं पर बहुत दुख का विषय है कि 26 करोड़ रुपये तो हमारे बिना यूटिलाइजेशन के पड़े हैं। कहीं हम कहते हैं कि हमारे लिए अस्पताल खोल दो, हमारे सड़क बना दो, हमारे स्कूल खोल दो, हमारे यहां कोर्ट खोल दो तो कहते हैं कि पैसा नहीं है। और वहां पैसा पड़ा है। इसलिए मेरी मांग है कि यह जो सहकारी निगम है उस कोपरेटिव के चुनाव कराये जांय, उस कोपरेटिव की मेम्बरशिप रखी जाय ताकि इस तरह के + + + नहीं पलें और जो वर्षों से लूट हो रही है, अनुसूचित जाति के पैसे का हक खा रहे हैं लोग-बाग, उसको बंद किया जाय और गरीब लोगों को उसका बैनीफिट दिया जाय। दुकानें बन रही हैं, जंगल में बना रहे हैं, कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं। 48 करोड़ रुपया डी आर.डी. को एडवान्स दे दिया जिसका कोई हिसाब नहीं, जिसके कोई यूटिलाइज सर्टिफिकेट नहीं केवल वहां वैधानिक, चुनी हुई अगर संस्था रहेगी तो वह उसका हिसाब लेगी उसमें उस संस्था के लोग बैठेंगे वह उसको चलायेंगे। उसका सही उपयोग होगा इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग करूंगा कि उस राजस्थान सहकारी विकास निगम के चुनाव कराये जाय और उस पर हो रहे भ्रष्टाचार को रोका जाय और उसका सही उपयोग राजस्थान के कोने-कोने में बैठे एस.सी. के लोगों को ही ऐसी व्यवस्था की जाय। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामनारायण वर्मा।

(7.00 रात्रि)

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : सम्माननीय उपाध्यक्ष जी, सहकारिता और कृषि डिमाण्ड्स पर वाद-विवाद हो रहा है। काफी बातें मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य साहेबान ने कहीं। कृषि में क्या हो रहा है ? सहकारिता में किस तरह से राजनैतिक इन्टरफेयरेंस हो रहा है, दखलंदाजी हो रही है यह सारी बातें सामने आयी हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं किसी बड़े ऑफिसर के खिलाफ या मंत्रीगण के खिलाफ कोई बात नहीं कहते हुए, चूंकि सारी बातें सदन जानता है मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि इन सारी बातों पर थोड़ा ध्यान दिया जाय। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि, मैं तो एक निश्चित बात अर्ज करना चाहता हूं कि जिस तरह से शासकीय दल के लोग, कहा जाता है बड़ी मछली छोटी मछली को निगलती है समुद्र में हमारे बूंदी जिले को निगल रहे हैं वह मंत्री कोटा के, बैठकर के, अभी हमारी

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री रामनारायण वर्मा)

बूंदी के मंत्रीजी नहीं हैं। एक उप निदेशक का दफ्तर था हमारे बूंदी में, आज आप बैठे हुए हैं, सीट पर नहीं हैं, माननीय सहकारिता मंत्रीजी, आप क्या करते हो? आप चुप रहें तो ठीक है डिवीजन का मामला है मैं कुछ कहना नहीं चाहता आप थोड़ा दड़बे में रहें। दड़बा किस को कहते हैं? जैसे मुर्गी दड़बे से निकलती है तो फिर क्या हालत होती है....

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं निवेदन कर रहा था, मेरे को इन्टरवीन नहीं करें तो ठीक रहेगा, जिस तरह से बड़ी मछली छोटी मछली को निगलती है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बूंदी के डिप्टी डाइरेक्टर कृषि का मामला है, कृषि का वहां से दफ्तर को तोड़ करके, जबकि बूंदी जिला तो एक तरफ तो हम कहते हैं साहब विकास है, कृषि की इतनी उन्नति है, कृषि में यह हो रहा है, बूंदी जिले में इतना इरिगेटेड एरिया है, बड़ा दुर्भाग्यशाली दिन है वह जबकि हमारे जो मंत्री बूंदी से आये हैं मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि इसको अब ठीक करें और नया दफ्तर खुलवायें। कोटा चला गया, यही नहीं माननीय उपाध्यक्षजी, उसके लिए तो मंत्रीजी कर देंगे वापस डिप्टी डाइरेक्टर आ जायेगा वह भले ही बारां गया हो या मुख्यालय में आ गया हो वह तो है लेकिन मृदा के परीक्षण के लिए बूंदी जिले के किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, कहा जाता है आप कोटा जाकर के मृदा का परीक्षण करवा लीजिये और जगह जाकर करवा लीजिये। यदि बूंदी को ऐसा जिला मानते हो आप जो कृषि में काफी कुछ उसकी देन है राजस्थान में तो मिट्टी के परीक्षण के लिए, वहां क्यों नहीं लेबोरेटरी डालते, छोटी लेबोरेटरी डाल दीजिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो सरकार को यह चाहिए कि जो जिला कृषि में जितना ज्यादा ईल्ड देता है, कृषि के लिए राजस्थान की बेहबदी में जितना योगदान देता है वहां उस तरह के दफ्तरों को निश्चित तौर पर डाला जाय। ऐसा नहीं किया जाय, केन्द्रीय परिवर्तित योजनाओं में कृषि के नाम पर जहां 100 प्रतिशत अनुदान मिलता है, दुर्भाग्य की बात है कि ऑफिसरों में बांट दिया जाता है। किसान तक नहीं पहुंचता। केशोरायपाटन से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसे कहा कि वहां से जो आते हैं यह कौनसे एस.एस. हैं, यह कौन-से यह हैं, उनकी तनख्वाह में दे दिया जाता है। किसान के खेत में जा कर के कौन अफसर काम करता है? यह सही है आज ऐसे अफसर हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हैं और चना और मनी का अन्तर तो बता ही नहीं सकते, बाकी बहुत-सी किस्मों का अन्तर नहीं बता सकते। वे लोग जो और गेहूं का अन्तर नहीं बता सकते उनका टैस्ट नहीं होता। उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। कम से कम राजस्थान में, इस मामले में मैं इन्दिरा गांधी नहर विकास मंत्री से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आप कम से कम ऐसे अफसरों को इंदिरा गांधी नहर के जहां जहां है वहां लगाकर के उनको परीक्षण दीजिए ताकि राजस्थान में थोड़े ढंग के अफसर तो हों। गांव के लड़कों को आप कृषि विभाग में नौकरी नहीं देना

(श्री रामनारायण वर्मा)

चाहते, कोई बात नहीं है। आदिवासी हरिजनों के साथ आप क्या अन्याय कर रहे हो? कृषि विभाग में अडवरटाइजमेंट निकलता है, इतने सहायक कृषि अधिकारियों का है यदि उसमें से उचित नहीं पाये गये तो हम दूसरों से भर लेंगे। एक तरफ तो चार-पांच अक्टूबर, मैंने पहले भी निवेदन किया था माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चीफ मिनिस्टर कांफ्रेंस में यह निर्णय हुआ था इन लोगों को नौकरियां दी जाय। यहां उल्टा हो रहा है राजस्थान में। हम से कहते हैं कि हरिजनों के पक्ष में काम कर रही है सरकार। जरा आप कथनी और करनी में अन्तर मत कीजिए इन लोगों का भला कीजिए। वोट लेने के लिए प्रचार मात्र मत कीजिए। मैं ऐसे उदाहरण आपको दूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बूंदी में यह घोटाला कोई को-आपरेटिव में नहीं हो रहा है, मंत्रीजी आप निश्चित रहें यह घोटाला कृषि विभाग में भी हो रहा है। चावल की पेडी कि जो आपका जिस की जो होती है, जिसको हम खरीदते हैं, जिसका हिस्सा लेते हैं उस चावल की उपज बूंदी जिले में होती है। यह बात सही है। बूंदी जिले में जो उपज होती है उसमें से कुछ प्रतिशत हम वितरण की दुकानों के लिए लेवी के रूप में भी लेते हैं। माननीय उपाध्यक्षजी, डेढ़ लाख क्विंटल, माननीय कृषि मंत्रीजी, यह साधारण घोटाला नहीं है, आप हमारी तरफ देखकर मत रह जाइये, आप इसमें जांच करवाइये। आप किसान के बेटे हो। आपके ऊपर आज दिन तक लांछन नहीं लगा है। क्या इसमें भी किसी बड़े आदमी की हिस्सेदारी है? जो आपकी जानकारी में डेढ़ लाख क्विंटल चावल वहां आया, केवल कृषि उपज मण्डी समिति के कर्मचारियों ने उसकी किस्म नहीं लिखने के लिए लाखों रुपये बरबाद किये गये हैं सेठों के द्वारा। कोई जांच नहीं हुई इसकी आज की तारीख तक। डेढ़ लाख क्विंटल में 3 करोड़ का घोटाला हुआ है। 100 रुपये क्विंटल का यदि मान लिया जाय माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 200 रुपए क्विंटल का फर्क है, अन्तर है। सारा का सारा चावल वहां नहीं आता है। 60 प्रतिशत दूसरा चावल आता है 40 प्रतिशत बासमती आता है। हम भी किसान के बेटे हैं। हमारे रिश्तेदारों के यहां भी होता है, हमारे यहां भी होता है लेकिन आप क्या करते हो? आप देख नहीं रहे हो। डेढ़ करोड़ रुपये को जिस तरह से बरबाद किया जा रहा है, जिस तरह से रिश्वतों में लुटवाया गया है सेठों के द्वारा, आप मुंह ताक रहे हो। यह सही है कि यह सेठों की सरकार है। मैं माफी चाहता हूं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों की जिस भाषा में आप बोल रहे हो हम भी दुखी हैं और आप भी दुखी हैं लेकिन हम सुखी इसलिए हैं कि हमारा जमाना आने वाला है। आप लोग जिस तरह की बात कर रहे हैं, कृषि उपज मण्डी समिति में उस कर्मचारी के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे, उसको कितना दण्डित करेंगे? यह चीजें देखने की है, यह चीजें करने की है। आप करिये। उसकी किस्म क्यों नहीं लिखी गयी? आप बासमती को तो सूंघते ही आ जायेंगे कि बासमती नहीं है तो उसको सादा लिख दीजिए, आप उसको पाकिस्तानी लिख दीजिए लेकिन

(श्री रामनारायण वर्मा)

किसी ने नहीं लिखा है माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

यहां खाद की बात आयी। बड़ा बावेला मचा, साहब हम प्रस्ताव पास कर दें। ऊपर बड़े नेता शासकीय दल के जो वहां विपक्ष में बैठे हैं वे कहते हैं साहब यह तो देश की आर्थिक स्थिति भी खराब है। सही है माननीय उपाध्यक्ष जी, 15 दिन का वेतन भी चुकाने का पैसा भारत सरकार के पास नहीं था। सोना गिरवी रख दिया गया था। क्या अब हमें जैसे यहां देश के निवासी को गिरवी रखा जाता? यह सही है कि माननीय नरसिंहरावजी ने देश को संभाला और जो सब उनकी प्रशंसा कर रहे हैं वे भी प्रशंसा के लायक हैं कि वे सही बात तो कह रहे हैं लेकिन यह साथ के साथ ही खाद पर जो पैसा किसानों के पास जाना चाहिए था आपने सेठों को पहुंचा दिया। सेठों की ही सेठों की वकालत करते हो। मैंने पहले भी कहा है कि आप खाद में 15 रुपया कट्टा 50 किलो में 15 रुपया आज भी किसानों को दे सकते हो।

आप चूंगी समाप्ति की बात करते हो। 2 प्रतिशत चूंगी आप समाप्त कर दीजिए इसमें क्या है किसानों को 2 प्रतिशत देते हो तो। डेढ़ सौ रुपए का कट्टा है 3 रुपये का फायदा हो जायेगा। आप बिक्री कर समाप्त कर दीजिए। हरियाणा में मेरा जहां तक ख्याल है सेल्स टैक्स नहीं लगता माननीय उपाध्यक्षजी, सेल्स टैक्स क्यों नहीं माफ कर देते आप खाद में? क्यों नहीं करना चाहते आप, कथनी और करनी में अन्तर क्यों है आपके? यह सारी की सारी बातें हैं जो देहबूदी की बात करते हैं किसान की, किसान के हितों के खिलाफ बात करते हैं। कोऑपरेटिव में भी थोड़ा-सा कहना है मुझे, आप घण्टी बजा देते हो मैं कम समय लेते हुए एक बात आपको कहूंगा माननीय कृषि मंत्रीजी, 1977-78 में एक कृषि उपज मण्डी समिति का रोड मंजूर हुआ था। माननीय केशोरायपाटन से आने वाले विधायक सही कहते हैं, हमारे बूंदी में क्या हो रहा है? अन्याय हो रहा है, इंजस्टिस हो रहा है। कम से कम मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप हमारे बूंदी के हो, आप हिण्डोली में भी वर्षों तक रहे हो, आप हमें प्रेम देते हो, आप वहां से लोक सभा के सांसद भी रहे हो आप इस अन्याय को छोड़िये। हमारा बूंदी का 50 प्रतिशत प्रोडेक्शन कृषि का कोटा मण्डी में जाता है। आप हमें अनुदान देने की बात कर सकते हैं। आप यह क्यों कहते हो वहां से लोन दिला दें। आप वहां का पैसा जो बूंदी जिले का कृषि उपज का वहां जाता है आप कुछ ऐसा सिस्टम कर दीजिए ताकि बूंदी में सड़कों पर चलने की बात करें। आप इसके बारे में जो इस तरह की मण्डियां हैं, जो बड़ी मण्डियां हैं, जहां जाकर के कृषि उपज दूसरे जिले की बिकती है निश्चित रूप से उसमें से कुछ हिस्सा उस मण्डी को दिया जाय जिस मंडी के एरिया में से यह जाये। एक रोड है अजेता, रायसर। दोनों पंचायत हैड क्वार्टर हैं। हमने कहा है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से कहना चाहूंगा

(श्री रामनारायण वर्मा)

कि इस बात के टेण्डर्स भी इनवाइट हुए हैं और यह उस एरिया की रोड की बात कर रहे हैं जिस एरिया में, जिन 10-12 पंचायतों में एक पैसा आज की तारीख तक कृषि उपज समिति का नहीं लगा है। जो कृषि उपज मंडी समिति बूंदी में मैक्जिमम प्रोडक्शन देते हैं, एग्रीकल्चर का, हिण्डोन के यहां से सबसे ज्यादा आता है। उस रोड के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं यदि आप इस बारे में, 77-78 में पैसा मंजूर हुआ था और मेरे पास एक अखबार की कापी है, धरती करे पुकार, 20 जनवरी सन् 1978 का है। 16-2-78 को निविदाएं खोली गई हैं। निविदाएं आयी हैं और अजेता और रायसर, इसके बीच में कोई दूसरा गांव नहीं है। दोनों पंचायत हैड क्वाटर्स हैं और आपकी रिक्वायरमैण्ट्स को भी फुलफिल करते हैं। क्या आप पोलिटिकली दूसरी रोड्स मंजूर करने की बात करते हैं, उन दोनों पंचायत हैड क्वाटर्स में और मैं आपसे यह भी कह देना चाहता हूं अजेता वह गांव है जहां से कांग्रेस को वोट नहीं मिले। आप यदि कांग्रेस के खिलाफ काम नहीं करना चाहें तो अजेता को दूसरे गांव से जोड़ दीजिए। यह सारी बात है। इन रोड को आप प्रायोरिटी में निकालेंगे और इसको सबसे पहले मंजूर करेंगे। मैं आपसे कोपरेटिव की बात कह दूं, काफी देर से हो-हुज्जत हो रही थी सहकारिता में क्या हो रहा है। बड़ा बवंडर किया, हम यह कर देंगे। भैरोंसिंह जी जब विपक्ष में थे। विपक्ष के नेता और आज के तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी कहते थे और यह हो जायेगा, 2 करोड़ यह चंदा दे दें, वह दे दें, इस तरह की बातें और चर्चाएं सुनते थे लेकिन यहां हाउस में क्या कहा, हम सहकारी समितियों को नियमित कर देंगे। आप नियमित कर देंगे 441 को। केवल 41 सहकारी समितियों को नियमित करने की बात आप कर रहे हैं। शहरी विकास मंत्रीजी बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाह रहा हूं बाकी की कापरेटिव सोसायटीज की बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं। 80--82 के पहले जिन सोसायटीज ने पैसा जमा करा दिया, रजिस्ट्रेशन हो गया, उनकी क्यों नहीं बात कर रहे हैं आप। मैं आरोप नहीं लगाता, तथ्य है इस बात का। गृह निर्माण सहकारी समितियां, दूसरी सहकारी समितियां व्यक्ति विशेष का नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, आप समझ जायेंगे। आपके माध्यम से मैं अर्ज कर रहा हूं सत्ता पक्ष के बहुत से लोग समझ जायेंगे। उन सहकारी समितियों को रेगुलराइज किया जा रहा है, जिसमें बड़े-बड़े नेता लोग, बड़े-बड़े अफसर लोग और सदन में बैठने वाले कुछ लोगों के भी हित निहित हैं। यह सब मत कीजिए, भेदभाव मत कीजिए, सबको बराबर का सम्मान दीजिए। औरों को भी आप रेगुलराइज कीजिए यदि आप यह मानते हो कि इनसे विकास की गति ठीक मिलेगी, सही ढंग से इनको रेगुलराइज किया जायेगा तो। एक बात यहां आयी थी कि जिस तरह की राजनीतिक दखलदांजी कोपरेटिव में हो रही है, मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा था उपाध्यक्ष जी। उसी आधार पर आपने, आसन ने मुझे आदेश

(श्री रामनारायण वर्मा)

दिया कि इसके बारे में बोलें, झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक का।

श्री उपाध्यक्ष : पहले बोल देना चाहिए था आपको। पर बोल जाइये आप, जल्दी कीजिए।

श्री रामनारायण वर्मा : मैंने उसका स्थगन प्रस्ताव रखा। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, उस पर यह आया है, मिस्टर एस. के. जैन हैं। नाम दिया है बाकायदा। उसको झालावाड़ से हटा दिया गया। कुछ दिनों के बाद वापस लगा दिया गया। क्यों हटाया गया? उसके खिलाफ चार्जेज बहुत थे। राज्य अन्वेषण ब्यूरो का नाम बहुत लेते हैं। उसमें भी जांच चल रही है और यदि किसी को शक हो, मैं राज्य अन्वेषण ब्यूरो के जो अफसर हैं, उनके पत्र की एक प्रति मैं आपको पढ़कर सुना दूं। मिस्टर वासुदेव भट्ट हैं, उनका 30-1-92 का है मान-नीय सहकारिता मंत्री जी मैं उपाध्यक्ष जी के माध्यम से आपको निवेदन करना चाहता हूं 30-1-92 का लैटर है। उसमें जांच है, वह लोग क्या कर रहे हैं, आपने इस बारे में ध्यान नहीं दिया। इतने घोटाले, कोटा होलसेल उपभोक्ता भंडार, या वहा के उपभोक्ता भंडार से चीजें खरीदी जाती हैं। बिना किसी के दस्तखतों के उसमें बिल दिये जाते हैं। एक बिल है मेरे पास। बाजार में कीमत सौ रुपया, बिल है दो सौ रुपये का, इस तरह से कोई अधिकारी कमाई करे और उसको प्रेस्टीज बनाये। मैं तो कहता हूं इतना बढ़िया अफसर है, उसको निजी सचिव बना दें, लेकिन वहां लोगों को लूटने के लिए, उस बैंक का भट्टा बैठाने के लिए वहां नहीं डालें और क्यों? उसने मेरे को एक चिट्ठी भेजी है। उसका पक्ष क्यों लिया जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा था व्यक्तिगत बात है। मेरे को गाड़ी वहां भेज देना, एक गाड़ी मैं कोटा से मंगा लूंगा, इस तरह की चिट्ठियां लिखकर कि गाड़ी भेज दें आप बिना चिट्ठी लिखे भी और यदि सहकारिता मंत्रीजी कह दें मैंने ऐसी चिट्ठी नहीं लिखी, मैं इनकी दस चिट्ठियां सदन की मेज पर रख सकता हूं, क्या आप जांच करायेंगे इस बात की।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज आरोप लगाना है तो लिखकर दीजिए।

श्री रामनारायण वर्मा : नहीं आरोप नहीं है आथेन्टिक है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं आरोप है यह।

श्री रामनारायण वर्मा : आथेंटिक है यह।

श्री उपाध्यक्ष : ना ना प्लीज। अगले की तैयारी करने का मौका दीजिए। अगला भी तैयार होकर आता है। नहीं इस तरह से आरोप मत लगाइये आप। प्लीज ऐसा नहीं करें। यह सदन का नियम है, परम्परा है कि किसी केबिनेट के माननीय मंत्री, मंत्रिमंडल पर आरोप लगाया जाता है तो पहले लिखित में दिया जाता है। मैं अलाऊ नहीं करूंगा इसको।

श्री रामनारायण वर्मा : एक चिट्ठी

(श्री रामनारायण वर्मा)

है उसका स्थानांतरण क्यों किया गया था।

श्री परसादीलाल मीणा : बहुत आरोप लगाये जा चुके पहले।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप हमारे सबके मुख बंद कर दो।

श्री उपाध्यक्ष : ना ना मुख बंद करने वाली बात नहीं, व्यवस्था की बात कह रहा था। यह नियम मैंने नहीं बनाये हैं। इस सदन ने ही बनाया हैं। मेरे कोई अपने नियम नहीं है। सदन ऐसा चाहता है कि आरोप लगाया करें, मुझे उसमें कोई दखलंदाजी करने का अधिकार नहीं है लेकिन इस प्रकार का ठीक नहीं है।

श्री रामनारायण वर्मा : उनका ट्रांसफर क्यों किया गया था। एक सहकारिता विभाग की चिट्ठी है, इनके अफसर यहां बैठे होंगे तो वह तो सुन ही लेंगे। माननीय मंत्रीजी यहां बैठे हैं, चिट्ठी में लिखा था, एक रामप्रसाद बोहरा भूतपूर्व विधायक है, उनको सहायक शासन सचिव ने मैं तारीख भी बता दूं, 26-9-91 को चिट्ठी में लिखा था झालावाड़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के प्रबन्ध संचालक श्री एस. के. जैन को बैंक से हटाने और जांच कराने के सम्बन्ध में। उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि एस. के. जैन, प्रबन्ध संचालक, झालावाड़, केन्द्रीय सहकारी बैंक, झालावाड़ के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच और परिणामों के आधार पर प्रबंध संचालक राजस्थान सहकारी बैंक, जयपुर के अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये। इनका स्थानान्तरण भी बैंक से निकट भविष्य में किया जा रहा है। कौनसा निकट भविष्य है? छह महीने होने को आये। यही नहीं है उपाध्यक्ष जी, हमारा दुर्भाग्य है यह आपके अफसरों से पूछिये।

श्री उपाध्यक्ष : जबाब देने का आपको अधिकार है। आप बिराजिये। आपको पूरा अधिकार है बोलने का।

श्री रामनारायण वर्मा : आपके कोपरेटिव सेक्रेटरी से पूछिये उनके डिपार्टमैण्ट से ऐसी चिट्ठी कैसे जारी हुई आप उस पर कुंडली मार कर बैठे हैं, दबाकर निपटाने के लिए और यही नहीं उपाध्यक्ष जी...

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्री) : वह रामप्रसाद बोहरा कौन है?

श्री रामनारायण वर्मा : यह विधायक हैं, इस सदन के माननीय सदस्य रहे हैं। हमारा दुर्भाग्य है उसके खिलाफ जांच हुई वहां के संभागीय अंकेक्षण अधिकारी ने जांच की, उसको दोषी पाया गया।

श्री उपाध्यक्ष : वर्मा साहब पूरा कीजिए। तीस मिनट हो गये हैं।

श्री रामनारायण वर्मा : दोषी पाये जाने के बाद रजिस्ट्रार ने उसे सही माना है। रजिस्ट्रार ने अपेक्स बैंक में जांच भेज दी और नेता लोग आप कह दीजिए अपनी छाती के हाथ लगाकर के कि आपने अपने अधिकार का और अपने प्रभाव का

(श्री रामनारायण वर्मा)

दुरुपयोग नहीं किया। आपने अपैक्स बैंक वालों से जांच को ड्राप कराया। या तो उस अधिकारी के खिलाफ जांच कीजिए कि उसने गलत रिपोर्ट कैसे दे दी। या फिर रजिस्ट्रार के खिलाफ जांच कीजिए, आपमें माद्दा हो तो, आपके अफसर आपकी बात मानते हों तो। आप चिठ्ठियां लिखते हैं अफसरों को सर ये कर दीजिए, यह प्रजातन्त्र का अपमान है, इस सदन का अपमान है। आप मंत्री हो, हमारे प्रति उत्तरदायी हो। ऐसे अफसरों को मत रखिये उन अफसरों को आप बड़ा से बड़ा प्रोसेस दे दीजिए, जहां खाने कमाने का मौका हो। मैं इसी के साथ बातें बहुत हैं....

श्री उपाध्यक्ष : बस समाप्त कीजिये अब।

श्री रामनारायण वर्मा : कृषि में आखिरी....

श्री उपाध्यक्ष : आपका कॉल अटेंशन मोशन, सारी बातें आ गयी हैं, समाप्त कीजिए अब। माननीय दिलसुख राय चौधरी।

श्री रामनारायण वर्मा : डी.पी.ए.पी. का प्रोग्राम है उसमें....

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज कल्ला साहब सहयोग कीजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आज मैंने सेक्रीफाइस किया है उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : हर माननीय सदस्य निपुण हैं कई बातें कह सकते हैं। हर माननीय सदस्य विद्वान हैं, घंटों ही बोल सकते हैं लेकिन यहां पर बोलने वाले (व्यवधान)....

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, हम चेयर का प्रोटेक्शन चाहेंगे। चेयर भी इस तरह से प्रोटेक्शन नहीं देगी तो बोलने वाले माननीय सदस्य को.... (व्यवधान) आप मेहरबानी करके प्रोटेक्शन दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट में अपनी बात पूरी करिये। परसादीलालजी बिराजिये आप।

श्री परसादीलाल मीणा : सुनो तो आप। हमारे दल की ओर से कल्ला साहब आज नहीं बोल रहे हैं, उनका समय इनको दे दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं यह इस प्रकार का समय अलाट नहीं होगा। इसमें इस प्रकार समय नहीं है।

श्री रामनारायण वर्मा : उपाध्यक्ष जी, एक डी.पी.ए.पी. प्रोग्राम है। भारत सरकार से भी पैसा आता है। राजस्थान सरकार को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा एरिया के प्रपोजल्स भारत सरकार को भेजे, यह नहीं भेज रही है। मैंने सभी तरह से जैसे सांगोद में, कोटा की सांगोद से ज्यादा खराब हालत है। हमारे जिले के मंत्रीजी भी इस बात को सुन रहे हैं वह करेंगे तो उस डी.पी.ए.पी. प्रोग्राम में आप प्रपोजल्स भिजवाइये। नैनवां सब तरह से फिट है। आपने सदन के माध्यम से हमसे कहा है कि यहां बरसात नहीं होती, अधिकतर अकाल पड़ा रहता है। यहां की जनता

(श्री रामनारायण वर्मा)

गरीब है, भुखमरी है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है आप बीसलपुर का पानी तो पता नहीं कहां ले जा रहे हो; जयपुर में जैसे जयपुर की जनता प्यासी रह जायेगी। उसे चम्बल का नहीं दे रहे हो, यदि वह दे देते तो हम कहते नहीं, कोई बात नहीं थी। बाकी आप डी.पी.ए.पी. प्रोग्राम के लिए इसको प्रेस्टीज मत बनाइये। जो भी मंत्री हैं, कृषि का इसमें विकास होगा। नैनवां की धरती आज की तारीख में कुछ पैदा नहीं करती। वहां के 5-7 हजार आदमी अकाल की मार से जयपुर और दिल्ली में पड़े हुए हैं। उपाध्यक्ष जी, सरकार में थोड़ा सा माद्दा होना चाहिए कि गरीबों का भला करें, गरीबों को मजदूरी दें। ऐसे प्रोग्राम्स डालें ताकि प्रोग्राम्स के माध्यम से लोग उसमें काम कर सकें। डी.पी.ए.पी. प्रोग्राम को आप नैनवां में भी कीजिए और आप तो रिकमण्ड कर दीजिए कराकर हम लायेंगे। सरकार में जब क्षमता नहीं है, जैसे शिक्षकों का मामला, राष्ट्रपति जी तक क्यों नहीं लाया गया? यहां से इन्क्वायरीज हम करवा रहे हैं। सरकार में यदि क्षमता नहीं है तो हम साधारण आदमी करवाकर लायेंगे आप प्रोग्राम में यह कर दीजिये। इसी के साथ में बहुत-बहुत धन्यवाद। जय-हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री दिलसुखराय चौधरी।

श्री दिलसुखराय चौधरी (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सहकारिता और कृषि की मांग पर चर्चा हो रही है उस पर मूल मेरे कटौती प्रस्ताव में उनके समक्ष मैं दो बात कहना चाहता हूं। कहने को तो मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी बातें कह दी। कृषि के बारे में कई लोगों का कहना तो यह है कि खाली कृषि के अन्दर तो, जैसे पूर्व वक्ता मांगीलालजी मेघवाल ने बताया वैसे ही सब काम सिर्फ कागजों में होता है कुछ प्रेक्टिकल तो होता नहीं है। जो कागज तैयार करते हैं उनको मालूम नहीं कि कृषि क्या है और खेती कैसे होती है। अभी-अभी रिपोर्ट आयी है आपके विभाग की, खेती के उसमें कुछ जिले चयन किये हैं। उसमें लिखा है भारत सरकार द्वारा चयनित जिला चना में–श्री गंगानगर, चूरू, झुंझनूं, जयपुर, अलवर, चित्तौड़, कोटा, सीकर, झालावाड़, भरतपुर, सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा और मूंग के अन्दर लिखा है—चूरू, झुंझनूं, जयपुर, जोधपुर. नागौर, सीकर कोटा, सवाई माधोपुर और उड़द के लिये लिखा है—चूरू, झालावाड़ और भीलवाड़ा....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : चूरू में उड़द पैदा होगी क्या?

श्री दिलसुखराय चौधरी : चूरू में उड़द, यह कृषि का काम तो ऐसा है, यह सिर्फ काम कागजों में होता है। चूरू के माननीय मंत्री बैठे हैं, चूरू के माननीय उप मुख्य सचेतक हैं। पहले तो यह जवाब दे कि चूरू में कितनी उड़द पैदा होती है और कितनी हो सकती है। तो आंकड़े आपके कागजों में है। कृषि का मालूम नहीं है। जो वहां पर कृषि के आंकड़े देने वाले बैठे हैं वह आंकड़े देते हैं और उनको मालूम नहीं कि कृषि क्या होती है। जो कोई

(श्री दिलसुखराय चौधरी)

कृषि की बात जाने वही बता सकता है। कृषि की ज्यादा बात क्या करूं। ज्यादा बात तो माननीय सदस्यों ने बता ही दी।

अभी मण्डी की चर्चा चली। मेरा तो यह सुझाव है कि तहसील हैड क्वार्टर पर, पंचायत हैड क्वार्टर पर मण्डी अलग होनी चाहिये। मेरे सब डिविजन फतेहपुर, रामगढ़ और लक्ष्मणगढ़, यह तीन शहर आते हैं। एक मण्डी है और माननीय मंत्री महोदय को मैं बताना चाहता हूं कि कम से कम 4-5 साल हो गये, वहां फतेहपुर में मण्डी को बने हुये और वह मण्डी यह काम में आती है कि वहां आसपास में जो गरीब बस्तियां बसी हुयी है इन लोगों के मल मूत्र जाने के लिये काम में लेते हैं और गधे बैठते हैं। और कोई काम में नहीं आती। पांच साल हो गये उस मण्डी को बने हुये।

जैसा अभी बताया, मण्डियों की मार्फत सड़कों के बारे में। हमारे सब डिविजन में जितना पूरा एरिया आता है मण्डी के नीचे। इस दो साल के अन्दर इस सरकार ने और पहले जो सरकार थी उसने आज तक मण्डी की तरफ एक इंच भी सड़क नहीं बनायी है। बनाये कहां से। मंत्रीजी को कहते हैं कि सड़क बनाओ तो वह कहते हैं कि बजट नहीं हैं। बजट कहां से आये। मण्डी बना कर रख दी। कम से कम वहां दुकानें अलाट करे, मण्डी चालू करें तो सरकार को लाखों रुपये की उस मण्डी से आमदनी हो सकती है। परन्तु यह व्यवस्था लागू करवाने की सरकार की इच्छा लगती नहीं है।

दूसरी बात, हमारे सीकर में कृषि विभाग ने एक कार्यालय खोल रखा है भू-संरक्षण का। भू-संरक्षण इकाई सीकर में काम कर रही है। सीकर जिले में दो इकाई हैं। एक सीकर में है और एक श्रीमाधोपुर में है। उनको यह मालूम नहीं है कि कौनसा एरिया किस के नीचे है और कौन सा एरिया किस के नीचे आता है। सीकर जिले में 8 पंचायत समितियां हैं। श्रीमाधोपुर में कार्यालय कर रखा है उसके नीचे खण्डेला और श्री माधोपुर की दो पंचायत समिति हैं सीकर में जो कार्यालय कर रखा है उसमें 6 पंचायत समितियां लगा रखी है। नीमकाथाना पंचायत समिति भी सीकर के कार्यालय के नीचे है। उन अधिकारियों को और मंत्री को यह मालूम नहीं है कि श्री माधोपुर से नीमकाथाना कितनी दूर है और सीकर से नीमकाथाना कितनी दूर है। तो कृषि के मामले में अधिकारी ऐसे हैं, मेघवालजी ने बताया खाली सर्टिफिकेट लेकर आ जाते हैं। उनको न तो भूमि का मालूम है कि किस जगह उपजाऊ है, किस भूमि पर कौन सा बीज बोया जा सकता है। बाजरे का बीज आता है और जो अधिकारियों से मिल कर सर्टिफाइड करवा ले जाते हैं जिनका कमीशन तय हो जाता है उसको तो गवर्नमेंट पास कर देती है। बीज की हालत यह है कि पान की दुकान पर भी बीज बेचने वाले मिल जायेंगे, पालिस करने वाले के पास बीज की थैली मिल जायेगी, बूट पालिस करने वाले के पास बीज मिल जायेंगे। तो फिर उत्पादन कहां से होगा। कम से कम माननीय मंत्री महोदय को इस पर तो कुछ न कुछ अंकुश लगाना चाहिये। कुछ सीमित दुकानें होनी चाहिये जहां पर बीज मिल सके। बरसात जब होती है तो किसान मजबूरी में चाहे

(श्री दिलसुखराय चौधरी)

ठेले के पास, चाहे चाय वाले के पास, चाहे पालिस वाले के पास मिले, मजबूरी में लेना ही पड़ता है। इसलिये मेरा तो यह सुझाव है कि किसान को खुद को प्रोत्साहित करना चाहिये बीज तैयार करने के लिये।

खाद के ऊपर सिर्फ सेल्स टैक्स राजस्थान में है हिन्दुस्तान में कहीं भी नहीं लगता। तो यह राजस्थान की सरकार किसान विरोधी सरकार है। सिर्फ मांगें मनवाने के लिये मांग रख देते हैं। हम कुछ बोलना चाहे वह बोल देते हैं। मंत्रीजी पहले भाषण तैयार करवा लेते है पढ़ देते हैं कि हमने यह कर दिया। लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक बिठा करके। तो मेरा यह सुझाव है कि पांच बजे बाद में सदन की कार्यवाही चाहे डिमाण्ड किसी की भी हो चलनी ही नहीं चाहिये। विधान सभा चलती है तो मेरा अनुमान है कि रोजाना कम से कम लाखों रुपये खर्च होते हैं। तो गरीब जनता के लाखों रुपये खर्च करके यह मांग मंववाने का कोई औचित्य नहीं है।

सहकारिता के बारे में मेरा सुझाव यह है, माननीय मंत्रीजी हमारे सीकर में, मैं तो सीकर की बात बता रहा हूं, वैसे है तो राजस्थान में सभी जगह पर है। एक तो केन्द्रीय सहकारी बैंक और एक सहकारी भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक का मतलब यह है कि जो भूमिधारी होगा वही उसका मेम्बर होगा। तो माननीय मंत्री महोदय कम से कम यह तो जांच कराये कि जो भूमि विकास बैंक के मेम्बर हैं उनके पास कितनों के पास जमीन है और कितनों के पास नहीं है। हमारे सीकर में तो यह स्थिति है कि जिस जगह तीन हजार मेम्बर है वहां 1500 भूमिधारी मिलेंगे और 1500 भूमिहीन है। जो व्यापारी है, जो व्यापार करते हैं। तो कम से कम मेरा यह सुझाव है कि कुछ न कुछ आप अधिकारियों को निर्देश देकर इसकी जांच करायें। ...(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात मत करिये।

श्री दिलसुखराय चौधरी : आपको सम्बोधित करके कह रहा हूं; उनको नहीं कह रहा हूं। भूमि विकास बैंक में दूसरी बात यह है कि हमारे सीकर में कई पंचायत समितियां ऐसी है, जो नाबार्ड योजना है उसके तहत कहते हैं कि यहां तो डार्क जोन है। इसका मतलब पानी नीचे नहीं है। काश्तकार अपने पैसे से कुआं खोदते हैं तो उसमें तो डार्क जोन लागू नहीं होता और पानी निकलता है और भूमि विकास बैंक से लोन लें तो वह कहते हैं कि डार्क जोन है, आपका एरिया उसमें आता नहीं। तो कम से कम नाबार्ड योजना के तहत जो डार्क जोन घोषित कर रखा है वहां सर्वे करायें।

आखिर में सुझाव यह है कि काश्तकार लोन लेता है ग्राम सेवा सहकारी समिति की मार्फत और भूमि विकास बैंक की मार्फत कुआं बनाता है तब लेता है। तो वह कहते हैं कि ग्राम सेवा सहकारी समिति का नोड्यूज लाओ। अब नोड्यूज काश्तकार कहां से लावे। उसके हिस्से की राशि में हजार,

(श्री दिलसुखराय चौधरी)

दो हजार लोन पर भूमि विकास बैंक वाले कुआं बनाने के लिये लोन देते नहीं है। क्योंकि एक तो वह डार्क जोन हो गया। पम्प सैट के लिये, फव्वारें के लिये भूमि विकास बैंक लोन देती है। काश्तकार को ट्रैक्टर की जरूरत होती है तो वह भूमि विकास बैंक के पास जाता है। जब वह कहते हैं कि हमारा तो टारगेट पूरा हो गया। अब दुबारा टारगेट आये तब देखा जायेगा। आज काश्तकार की स्थिति यह है कि वह दूसरे कामर्शियल बैंक से भी लोन नहीं ले सकता और जो कापरेटिव बैंक हैं उनके टारगेट पूरे हो गये। तो काम सिर्फ कागजों में ही होता है वहां सहकारिता का कोई लेना देना नहीं है। अब काश्तकार की मुश्किल यह है कि अपनी जमीन गिरवी रख देगा। अब काश्तकार को ट्रैक्टर की जरूरत है तो वह कह देते हैं कि नोड्यूज लावो जो वह ला नहीं सकता। इस काम में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कुछ न कुछ सुधार करें। आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रोफेसर सांवर लाल। (अनुपस्थित)

श्री हेतराम बेनीवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, असल में मेरा एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था। मैं समझता हूं कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर जो माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया है, आज आपकी व्यवस्था के अनुसार आपने दोनों चीजों को मिला दिया है। वास्तव में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस तरह का है कि माननीय मंत्रीजी ने जो कुछ मुझे कहा है, लिखित में दिया है, मैं उस पर कुछ सवाल पूछूं और मांग के संबंध में मैंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं, मेरे कटौती प्रस्ताव पर मैं बोलूंगा। यह दोनों भिन्न भिन्न चीजें हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी राज्य सरकार की जो कृषि के संबंध में धारणा है, नीति है वास्तव में कृषि नीति न हिन्दुस्तान की सरकार की तय है न हमारी राज्य की तय है। कृषि नीति के नाम पर हम ने कुछ प्रचारात्मक तरीके से अपने कुछ पाइंटस बना रखे हैं जिससे हम किसानों को यह दिखा सकें कि हमने तुम्हारे लिए नीति तय की है। हम आपको यह मदद करेंगे। वास्तव में जो हमारा दृष्टिकोण है राज्य सरकार का, सत्ता में बैठे लोगों का दृष्टिकोण है। जब तक वह किसान के हितैषी, उसका उत्पादन किस प्रकार बढ़े, उसके उत्पादन का मूल्य क्या हो,

वह मूल्य किस प्रकार निर्धारित हो, किस प्रकार मदद की जाय, किस प्रकार अनुदान दिया जाये, यह सारी चीजें जब तक तय नहीं करें, हम किस प्रकार उसकी इमदाद करेंगे, जब तक तय नहीं होगा, तब तक हम नहीं कह सकते हैं। मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया उसमें मेरा छोटा सा सवाल था, मुझे बड़ा अजीब जवाब मिला है। मैं समझता हूं इससे सरकार की जो नीति है वह दृष्टिगत होती है, अनुदान आप किस को देंगे, किस को मदद करेंगे, यह राज्य सरकार की

(श्री हेतराम बेनीवाल)

नीति में, केन्द्रीय सरकार का असर था, मैं समझता हूं केन्द्रीय सरकार ने खुद ने सारे देश के लोगों के सामने घोषणा की थी कि छोटे किसानों को, गरीब किसानों को उनसे खाद के बढ़े हुए मूल्य नहीं लेंगे आपने भी उसका अनुमोदन किया है परन्तु राज्य सरकार ने खाद पर जो केन्द्रीय सरकार की कीमत है उससे एक पैसा भी कम नहीं किया। यहां तक की जो सैल्स टैक्स है वह खाद पर लगाया, वह भी लिया। अब यह दूसरे कृषि के वैज्ञानिक उपकरण इस्तेमाल होते हैं—मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यह था कि वैज्ञानिक उपकरणों पर जो अनुदान दिया जाता है उसमें भ्रष्टाचार होता है, जो पेस्टीसाइड दिया जाता है उसमें अनुदान के नाम पर राज्य सरकार एक लिमिटेड कम्पनी की तरह काम करती है। मैं इस सिलसिले में कहना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह राज्य सरकार के अनुदान का कच्चा चिट्ठा है जो मेरे पास है। यह उन्होंने आॅडर्स जारी किये हैं। मेरे को जवाब दिया है वह यह दिया है कि अनुदान जो हम देते हैं वह उस लिहाज से देते हैं कि जो बाजार में उसका मूल्य है उसके हिसाब से तय करते हैं और सोसाइटी को निर्देश देते हैं लाभ होता है वह सोसाइटी को होता है। माननीय चतुर्भुज वर्मा बैठे हैं उनसे पूछ लीजिए। कितनी क्रय विक्रय सहकारी समितियां हैं गंगानगर में जो मुनाफे में चल रही है। जो दवाइयां बेचती है सब की सब घाटे में चल रही है। किसी पर 10 लाख का कर्जा है, उस पर देखें। किसी पर पांच लाख का कर्जा है। यह अनुदान की राशि कहां जाती है ? यह इनका आदेश जारी हुआ है, इन्होंने आदेश जारी किया है जो एम. आर. पी. है मेक्सीमम रिटेल प्राइज है जो चीज पर लिखा हुआ है उसके अनुसार उसमें से वह चीज घटायेंगे जो डिस्कट कमीशन आफर्ड बाइ मेन्युफेक्चरर जो मेन्युफेक्चरर कमीशन आफर है उसको घटायेंगे। इसका फैसला कौन करेगा ? इसका फैसला करेंगे राज्य सरकार के अधिकारी। मंत्री महोदय, अब लिख रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आपको पता है कि जो पेस्टीसाइड पर सब्सिडी दी जाती है गंगानगर जिले में पिछले साल 70 लाख की सब्सिडी दी गयी है। यह जिन चीजों पर मिली है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन सारी चीजों की कीमत बाजार में कम थी, ताज्जुब की बात है कि सोसायटी की मेरे पास रसीद है। एम. आर. पी. 350 रुपये पर लीटर और असल प्राइज 211 रुपया। बाजार में जिस पर एम. आर. पी. लिखी हुई है एक लीटर पर 350 लिखी हुई है और बाजार के अन्दर बिकती है 211 रु. 150 रुपए एम. आर. पी. ऊपर लिखी हुई है तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अधिकारी हैं राजस्थान में जो इस बात का फैसला करते हैं कि अनुदान किस रकम पर मिलेगा और वह लागत क्या है ? इसके बारे में तय होगा। यह कहते हैं कि हम ने सौदेबाजी करके—आपस में सौदेबाजी करते हैं राजफैड के अधिकारी और डायरेक्टर, एग्रीकल्चर यह बैठकर लिखित जवाब दिया कि सौदेबाजी करते हैं कि आपकी दी हुई प्राइज बाजार के अन्दर 50 रुपए से

(श्री हेतराम बेनीवाल)

लेकर 100 रुपए लीटर कम पर मिलती है तो आप किस बात की सौदेबाजी करते हैं। आप एक बात की सौदेबाजी करते हैं कि आधा मैन्युफेक्चरर और आधा आपकी जेब में जाय और कोई दूसरी सौदेबाजी नहीं है। मैं यह कह सकता हूं गंगानगर के बाजार में जो चीजें बिकती है। मेरे पास 50 रसीदें हैं आप देख लीजिए इन सब में 100-150 रुपए लीटर दिया है। उससे कम पर किसानों ने खरीदी आप जांच करा लीजिए। इस तरह सारी की सारी सब्सिडी दो की जेब में जाती है। एक आपके अधिकारियों की जेब में जाती है और एक मैन्युफेक्चरर की जेब में। किसान हमारा मुंह ताकते रह जाता है। उसको सब्सिडी चार पांच रुपये के हिसाब से मिलती है।

दूसरा यह कहना चाहूंगा। दूसरा सवाल यह पूछना चाहूंगा कि हम गांवों के अन्दर भेजते हैं कृषि विस्तार अधिकारी उन अधिकारियों को यह सूचना देते हैं कि तुम तीस आदमियों से मिलो। एक हजार के पीछे, राजस्थान सरकार ने एक कृषि विस्तार पर्यवेक्षक लगा रखा है। उसकी ड्यूटी यह है कि वह 30 परिवारों से मिलेगा। चार दिन में। बाकी 970 क्या करेंगे? यह जाता है और उनसे मिलता नहीं है, 970 से मिलता नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप उस क्षेत्र के अन्दर तीस बड़े-बड़े धनी किसानों को छांट लेंगे, जागीरदारों को छांटेगा उन्हीं के पास जायेगा, उन्हीं को सब्सिडी का दो रुपया देगा, उन्हीं को प्लाट लगायेगा, उन्हीं को सारी टेक्निकल एज्यूकेशन देगा यह नीति सरकार की है। यह नीति बताती है कि राजस्थान को सरकार किस तरह कृषि विस्तार गांव के लोगों तक पहुंचाना चाहती है। यह उन्होंने अपने जवाब में दिया है कि वह 30 लोगों तक ही जा सकता है इसलिए 30 तय किये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 30 के सिवाय अगर कोई मिल गया। किसान से सम्पर्क करता है इसलिए इस अवधि में यदि कोई अन्य किसान मिलता है तो उससे भी पूछताछ करता है। यह वहां के बाकी किसानों को मोबिलाइज नहीं करेगा, मीटिंग नहीं करेगा। उसकी ड्यूटी सिर्फ यह है। इसका मतलब यह है कि राजस्थान की सरकार की कृषि नीति है प्रोटेक्टिव लोगों के लिए जो बड़े-बड़े किसान लोग हैं उनके लिए आपने नीति तय की है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : दूसरे उनसे सीख लेते हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : उनसे क्या सीखेंगे। वह तो सारा हजम कर जाते हैं। बीज, खाद, सब्सिडी सब हड़प जाते हैं और गरीब काश्तकार पिछड़ा रह जाता है।

मैं दूसरी चीज इस मामले में यह कहना चाहूंगा मैंने अपना जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था उसमें मेरा सुझाव, मेरी सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि कृषि के क्षेत्र में जो राजस्थान की सरकार ने एक डिपार्टमेंट तय किया है, विभाग तय किया है वह जो निर्धारण करता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने कृषि के जो बीज हैं उन पर सैल्स टैक्स

(श्री हेतराम बेनीवाल)

कम करके बहुत बड़ा एलान किया था कि सारी खरीफ की फसलें हैं उन सबके बीज पर जो सेल्स टैक्स कम होगा। मेरे पास आर्डर है राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में जो भाव तय किये हैं। अभी इस फसल के लिए उसमें कपास के बीज का तय हुआ है 25 रुपये पर किलोग्राम जो नरमा आर. जे.-8 देशी कपास है। उन दोनों की रेट तय की है। 25 रुपया के. जी.। सात रुपया किसान से खरीदा था, किसान से खुद से बीज खरीदा सात रुपये के. जी. और आपने उस पर तीन रुपये किलोग्राम सब्सिडी दी। उसके बाद आपने रेट रखी 25 रुपये प्रति किलो। यह आपकी किसान के प्रति नीति है। किसान को फायदा पहुंचाने की नहीं जो प्रायवेट प्रोड्यूसर, आपकी सीड सर्टिफाइट ऐजेन्सी से जो सर्टिफिकेट लेती है यह उसके साथ मिलकर बनायी हुई नीति है। उनके साथ तय करके बनायी गयी नीति है। उनके साथ मिलकर चलायी गयी है तो असल में यह आपकी लिमिटेड कम्पनी की तरह काम करती है। भैरोंसिह जी की लिमिटेड कम्पनी है। यह तरीका है आपका ?

किसान के प्रति अगर आपको हमदर्दी है तो जो बीज आपने चार महीने पहले 7 रुपये में लिया उसको आप 10 रुपये में बेच लो, 11 रुपये में बेच लो, 12 रुपये में बेच लो, 25 रुपये रेट रखा है। मैंने पिछली बार भी सवाल खड़ा किया था कि गेहूं का रेट माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 800 रुपये रखा है। 371 रुपये में सर्टिफाइड बीज किसानों से खरीदा और चार महिने बाद आपने उसको 800 रुपये में बेचा। हम उम्मीद करते थे कि केन्द्रीय सरकार ने उसमें 200 रुपये सब्सिडी दी है आप सब्सिडी भी हजम कर गये इसके बावजूद भी सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि आपकी सीड कार्पोरेशन यह सारा कुछ करने के बाद घाटे में चल रही है यह पैसा कहां जाता है यह किस की जेब में जाता है यह सबसे बड़ी बात है। मैं यह चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि इस बात की जांच हो कि जो हमारी नीति है वह आम किसान तक पहुंचती है कि नहीं....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

एक निवेदन करना चाहूंगा माननीय सहकारी मंत्रीजी भी नाराज होंगे। नाराज इसलिए कि सहकारी मंत्री जी की मुझे वह घोषणा अब तक याद है भ्रष्टाचार के खिलाफ और + + + लड़ते भी हैं पर इनकी पार नहीं पड़ती। मैंने हाउस में जो कुछ सुना है अगर सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग अगर वाकई आपकी पार्टी में, माननीय भंवरलाल जी, प्रजातन्त्र है और आप प्रजातन्त्र मूल्यों की आप कोई कद्र करते हैं। आपके इलैक्टेड मैम्बर्स ने इस डिपार्टमेंट के बारे में जो कुछ कहा है आप 5 पर्सेन्ट भी मान लो तो मैं समझता हूं कि

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हेतराम बेनीवाल)

आप प्रजातन्त्र के मूल्यों की कद्र करते हैं। निश्चित रूप से प्रजातन्त्र के मूल्यों की आपके यहां कोई कद्र नहीं। आपके यहां यह स्थिति है कि जो आफिसर तय करेंगे, जो आई. ए. एस. अधिकारी तय करेंगे वही स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा उसकी मजबूरी है। तिलम संघ का मामला जो उठाया था, मेरे पास एक ऐसा मामला आया है। जहां आपका प्रोजेक्ट लगा हुआ है माननीय वर्मा जी वहां हमारे कर्मचारी यूनियन हैं। मुझे उन्होंने चिट्ठी भेजी है। उन्होंने लिखा है कि जो खरीद की गई है उस खरीद का बड़ा अजीब तरीका निकाला है। उन्होंने खरीद 9-3-92 को की है और पेमेंट किया है 11-1-92 के हिसाब से। यह क्या तमाशा है कि आप 9-3-92 को तो आप चीज खरीद करो और उसका पेमेंट उस रेट से करो जो 11-1-92 को रेट था। 11-1-92 को एक बोरी सोयाबीन की उनके पास नहीं थी। किसी जगह स्टाक में नहीं थी। ठेकेदारों के थ्रू आपने खरीद की है ठेकेदारों के पास एक बोरी सोयाबीन की नहीं थी। यह हजारों रुपये के बिल्स मेरे पास हैं 11-1-92 रेट 900, 2-12-92 रेट 919 इसके बाद जो बिल है तीसरे महीने के उसमें रेट अच्छा दिया रेट सोयाबीन के गिर गये और जब रेट गिरे तब आपने सारी सोयाबीन खरीदी और पेमेंट उस रेट से दिया जिस वक्त आपके रेट 900 और 950 रुपये थे, यह बिल बताते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह और है वहां के सुपरवाइजर की चिट्ठी है वह लिखता है कि इसमें 40 परसेन्ट कंकड़ हैं, पत्थर हैं। यह बिल नं. है एक ग्रेडिंग की है जिसमें 40 परसेन्ट रेत, कंकड़ और दूसरी फारेन मैटीरियल है सोयाबीन में उसके ऊपर लिखा हुआ है एक ग्रेडिंग करके 913 रुपये का बिल है। यह क्या तरीका है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तिलमसंघ सोयाबीन प्रोजेक्ट के बारे में यह खुशी थी हमको कि सहकारी संस्थान बड़े मुनाफे की ओर बढ़ रहे हैं उसकी आज यह स्थिति होगी। आप यह देखोगे कि चार छः महीने के अन्दर वह चरमरा करके रह जायेगा। पूरी की पूरी खरीद का ब्योरा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे यहां हनुमानगढ़ में एक स्पिनिंग मिल है उसमें 211 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। यहां को आपरेटिव सोसाइटीज हैं उनमें घोटाले हुए। घोटालों के बारे में राज्य सरकार की नीति यह है कि उन्होंने मुकदमे दर्ज कराये, इन्क्वायरी की और इन्क्वायरी करने के बाद 74 की कार्यवाही करने के बाद भी जितने सरकारी अधिकारी हैं सारे के सारे नौकरी में हैं सारे के सारे की तरक्कियां हुई हैं, किसी को कोई नोटिस नहीं दिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम समझते हैं कि यह जो सहकारी संस्थायें हैं इन सहकारी संस्थाओं के ऊपर तक चुनाव कराये जायें अगर आप वाकई इनको जिन्दा रखना चाहते हैं तो पूरी सहकारी संस्थाओं को चाहे वह सहकारी मिल हो चाहे कोई फैडरेशन हो, चाहे कोई भी संस्था हो, हिम्मत करो इस बात की, इन आई. ए. एस. लाबी के खिलाफ, अगर वाकई आप इसको बचाना चाहते हैं। आई. ए. एस. लाबी क्या चाहती है यह तो बड़े बड़े धन्ना सेठों

(श्री हेतराम बेनीवाल)

के साथ इनकी सांठगांठ है यह देश के अन्दर और आपके प्रान्त में एक भी को-आपरेटिव सोसाइटी को जिन्दा। नहीं रहने देगें यह हम जानते हैं। इसलिए अगर आप वाकई ईमानदारी से चाहते हैं कि इन संस्थाओं को जिन्दा रखना है तो इनके ऊपर से नीचे तक मजबूती से चुनाव कराओ। चुनाव करवा करके ऐसे चुने हुए नुमाइंदों को सौंपो जिनकी कम से कम यह हमदर्दी तो हो कि दो के दो रुपये लिखें, चार के चार लिखे। उनका तो हाल यह है कि वह बेचेंगे कुछ बताएंगे कुछ। इसलिये मुझे आपसे निवेदन करना है कि सहकारी संस्थान में जो हमारे प्रदेश की हालत है और जो सहकारी संस्थाओं के बारे में विश्वास है आम लोगों में वह दिन, ब दिन गिरता जा रहा है। गांव के अन्दर सोसाइटीज हैं चाहे गांव के अन्दर कोई भी सहकारी संस्थान हो उसमें विश्वास इसलिए उठता जा रहा है कि हमने उनको अधिकार नहीं दिये। हमने उनको पूरी सुविधाएं नहीं दी। मैं यह उम्मीद करूंगा आप जिन संस्थानों में मुनाफे हो सकते हैं वह सारी उनके द्वारा वितरण करवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये प्लीज।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहूंगा आप उनको चीनी देते हैं, आप उनको वह चीज देते हैं जिसमें वह डूब जायें, जिसका कोई कमीशन नहीं हो। आप वह चीज उनको नहीं देते जिसमें उनको मुनाफा हो। इसलिए राज्य सरकार को यह तय करना चाहिये कि प्रायोरिटी के तौर पर पूरी सुविधा इनको देकर यह जो हमने अजगर पाल रखे हैं उनसे इनको बचायेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री बंशीलाल जी पटवा।

एक माननीय सदस्य : सारे अजगर हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : सारे तो नहीं है, एक अजगर ही काफी है।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 36 व 37 पर हम विचार कर रहे हैं और हर साल बजट के दौरान मांग पर चर्चा होती है और इस तरह के सारे सुझाव आते हैं लेकिन गहराई में जायेंगे तो कृषि के क्षेत्र में वैसे कई काम हमने अच्छे किये हैं लेकिन जो कारगर ढंग से कृषि के क्षेत्र में किसानों की जो मदद होनी चाहिये थी वह नहीं हो पाई। किसान खरा कमाता है और खोटा खाता है। किसान को खाद अच्छा मिले बीज अच्छा मिले, कृषि विभाग की ओर से कई व्यवस्थाएं इस तरह की समय समय पर हम प्रसारित करते रहते हैं टी.वी. पर देखो और देखो। लेकिन स्थिति यह है कि आज हमने यह समझ लिया कि इस ढंग की योजनाएं बना रहे हैं। आयातित तकनीकी के आधार पर हम किसानों की मदद करना चाहते हैं कृषि के क्षेत्र में तरक्की करना चाहते हैं। अच्छाई यदि विदेशीय तनीकी में हैं तो हम लें लेकिन ऐसा समझें कि किसान में कोई बुद्धि नहीं है, किसान क्षुद्र से क्षुद्र बुद्धि

(श्री बंशीलाल पटवा)

वाला है। आपके सामने गुड़ रख दो गोबर रख दो वह पहचान कर लेगा और पुराने हमारे पुरखों ने जो कृषि के क्षेत्र में जो तरीके अपनाये उन तरीकों को हम छोड़ते जा रहा हैं और नये-नये तरीके हम इजाद कर रहे हैं। ऐसी महंगी तकनीकी उन पर थोप रहे हैं जिसके कारण कृषि के क्षेत्र में जो हम तरक्की करना चाहते हैं हम नहीं कर पा रहे हैं। किसान को पानी चाहिये किसान को बिजली चाहिये और आज जो विवरण कृषि विभाग की ओर से भेजा गया है उसमें सिचाई के अंक, हम बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन सिचाई के अंक हम किस तरह से बढ़ायेंगे, क्या आधार है। आखिर में हम कोई तालब बनायेंगे, कई और प्रोजेक्ट हैं तो किस तरह से हम उसका लाभ ले सकते हैं यह सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। एक एक बूंद पानी का हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। धरती के भीतर जो भूमिगत पानी है उसका उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं लघु सिचाई योजनाएं हम किस तरह से बना सकते हैं फव्वारा खेती पर हम जोर देते हैं। सारी बातें करते हैं, लेकिन ये सारे रिजल्ट्स कागजों में हैं। यथार्थ पर आधारित और धरती से जुड़ी हुई योजनाएं जब तक नहीं बनाएंगे, हम रिजल्ट्स नहीं ले सकेंगे।

आज हालत यह है कि राजनीतिक निर्णय थोपे जाते रहे हैं। इस देश में ऐसे भी लोग पैदा हुए जो सफेदे के पौधे और चन्दन के पौधें में कोई फर्क नहीं समझते हैं। झाबुआ का किस्सा है साल-दो साल पहले का। वहां पर चन्दन का पेड़ था। कटाई हो रही थी। किसी ने शिकायत कर दी। बहुत बड़े नेता वहां पर पहुंचे। जांच की तो सफेदे के पौधों पर तख्तियां कृषि विभाग की नर्सरी वालों ने लगा दी और कह दिया कि यह चन्दन है। और वे मान बैठे। ऐसे नेताओं के भरोसे तो इस देश की कृषि आगे बढ़ नहीं सकती। कोई पूछे कि लाल मिर्च महंगी बिकती है या हरी मिर्च महंगी बिकती है, तो कहते हैं कि लाल मिर्च महंगी बिकती है। ऐसे भी इस देश में पैदा हुए जिन्होंने कहा कि लाल मिर्च की बुआई करो। यह पता नहीं कि हरी से लाल बनती है। ऐसे भी नेता पैदा हुए इस देश में जो कृषि के बारे में पता नहीं क्यों क्या चर्चाएं करते हैं इस तरह की कि मैंने इस बार मूंगफली की फसल देखी, लड़ालूम लग रही है। मूंगफली की फसल जड़ में पैदा होती है, पेड़ के पौधे पर नहीं लगती। जब तक उड़द के पौधे का ज्ञान नहीं, ज्वार के पौधे का ज्ञान नहीं, थ्योरिटिकल बात कितनी भी कर लें, प्रैक्टिकली किसान के खेत पर जाकर यदि कोई चीज समझाएंगे नहीं, उसके साथ जुड़ेंगे नहीं तब तक कृषि क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ सकते। सिचाई के अंक आगे बढ़ेंगे कैसे? बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना लिये आपने। कैचमैण्ट एरिया में दूसरे प्रोजेक्ट खड़े कर लिये। कोई छोटा डैम है तो आपने वेस्ट वीयर और खड़ी कर ली, पाल और खड़ी कर ली और आपके वे सारे बड़े प्रोजेक्ट बेकार हो रहे हैं। सिचाई के अंक कैसे बढ़ाएंगे? कृषि विभाग को सिचाई विभाग से रिलेट करिये, बिजली विभाग से रिलेट करिये।

(श्री बांशीलाल पटवा)

पंचायत समिति के कई तालाब ऐसे हैं जिनमें पानी की आवक ज्यादा है। उन पर हम बड़े प्रोजेक्ट बना सकते हैं, सिचाई के अंक बढ़ाने की दृष्टि से हम पानी का उपयोग कर सकते हैं। इस दृष्टि से हम इस तरह का नहीं। पिछली अवधियों में इस तरह भी हुआ कि हमने किसानों को ऐसा बीज दिया कि उसका अंकुरण ही नहीं हुआ। किशान बर्बाद होते रहे हैं। प्रयोगशालाओं में मिट्टी की परख करते हैं, परीक्षा करते हैं। सारी चीजें हैं, लेकिन कृषि विभाग में बैठे हुए ए. ए. ओ. न तो खेत पर जाते हैं न गावों में जाते हैं। उनको प्रोग्राम तो दिया जाता है लेकिन वहां जाते नहीं। हालत यह है कि घर बैठे ही अपने आंकड़े और अंक तैयार करते रहते हैं। यह आखिर इस देश में कब तक चलेगा, किसानों के साथ धोखा-धड़ी ? राजस्थान कृषि प्रधान प्रदेश है। सारा देश कृषि प्रधान देश है हमारी अर्थ नीति कृषि से जुड़ी हुई है। किसानों के साथ आज दिन तक हम धोखाधड़ी करते आये हैं, यह कब तक चलेगा ? मान लो हमने कोई काम किया भी है तो उसका रिजल्ट तो निकलना चाहिए। यदि रिजल्ट लेना चाहते हैं तो हमको स्वदेशी नीतियों पर जोर देना पड़ेगा। आयातित नीतियां लागू करें लेकिन वे उपयोगी हों तो लागू करें अन्यथा स्वदेशी नीति पर आएं।

इसके अतिरिक्त कोआपरेटिव सैक्टर है। चलाया जब तो हमने इसके अच्छे उपदेश बताये। आज सारे देश में कोआपरेटिव मूवमैण्ट है, लेकिन हमारे यहां तो हालत ऐसी खराब है, ग्राम सेवा सहकारी समितियां तो इतनी जर्जर हो चुकी हैं तो वहां पर सड़ांध नजर आती है। ऐसी दुर्दशा हो रही है जिसको हम सुधार नहीं सकते। सरकार ने चुनाव कराये, यह तो बहुत अच्छी बात है। होलसेल भण्डार हैं, क्रय विक्रय सहकारी समितियां हैं, उनकी हालत देख लीजिए, बड़ी दयनीय है। अरबन एरिया में जो सहकारी समितियां बनी हुई हैं उनमें सरकारी वस्तुएं, अनाज, चीनी वगैरह का वितरण कराते हैं। वहां पर जो व्यवस्थापक बैठा रखे हैं उनको 250 रुपये देते हैं। बारदाने को आप जोड़ लीजिए तो भी पूरा पड़ता नहीं, करप्ट प्रैक्टिस करते हैं। घर बैठे राशन कार्ड में सारा भर लेते हैं। करप्ट प्रैक्टिस का सिलसिला जारी रखने के लिए हमने इन सोसाइटीज को जीवित रखा है। कोआपरेटिव मूवमैण्ट को यदि जिन्दा रखना चाहते हैं तो हमको आमूलचूल परिवर्तन करने पड़ेंगे। उनको इण्डिपैण्डेण्टली खड़ा करना पड़ेगा। उनके चुनाव किसी इण्डिपैण्डैण्ट बाडी के जरिये होने चाहिए। कोआपरेटिव सैक्टर में जितने भी जाइण्ट रजिस्ट्रार बैठे हैं उन्होंने राजनीतिक अखाड़े बना रखे हैं, एक दूसरे के खिलाफ आदेश देते रहते हैं। आखिर में यदि हम प्रगति करना चाहते हैं तो सामूहिक जिम्मेदारी के आधार पर कोआपरेटिव मूवमैण्ट को चलाना पड़ेगा। इस दृष्टि से सामूहिक और लोगों की भागीदारी अधिक से अधिक हो। उसी तरह कृषि के बारे में यदि हम नीति बनाना चाहते हैं तो किसान को भागीदार

(श्री बंशीलाल पटवा)

बनाना पड़ेगा। वह किसान जो खेती समझता है, जो धरती पर बैठकर मेहनत करता है, खरा कमाता है खोटा खाता है, जिसको उपज के भाव पूरे नहीं मिलते हैं। हालत खराब है गांवों में जाओ तो। मेरे क्षेत्र में अरबन एरिया के साथ साथ रूरल एरिया पड़ता है। 60 वर्ष की किसान की औरतें मिडल पढ़ी-लिखी हैं। उनको अगर ब्यूटीफुल की स्पेलिंग पूछें तो धड़ल्ले से बोल देंगी। अम्ब्रेला की स्पेलिंग पूछें तो धड़ल्ले से बोल देंगी।

ऐसे किसान बैठे हैं, ऐसी औरतें बैठी हैं उनका उपयोग किस तरह से कर सकते हैं, उनको हम किस तरह से अधिकाधिक भागीदार बना सकते हैं। यह टीवी पर तो आप रोज बताते हो, इससे कोई सार नहीं है। किसान के खेत पर जाकर हम जब तक उससे नहीं जुड़ेंगे, उसको वास्तविकता से परिचित नहीं कराएंगे तब तक किसान की दृष्टि से कृषि के क्षेत्र में तरक्की नहीं कर सकते। यह जो कोआपरेटिव मूवमैण्ट में करप्ट प्रैक्टिस वाली बात चल रही है, इसको यदि रोकना चाहते हैं तो हमको फिर से समीक्षा करनी पड़ेगी, काम्पीटैण्ट व्यवस्था करनी पड़ेगी।

जिन्होंने गबन किये हैं उनको देखना पड़ेगा, उनको सजा देनी पड़ेगी। हम छोटे कर्मचारी ज्यादा पैदा करें। अफसर पैदा करने की बजाय छोटे व्यक्ति ऐसे पैदा करें जो किसान से जुड़ें, कोआपरेटिव सैक्टर से जुड़ें। आज यह सफेदे का पौधा किसान नहीं लगाता, आप और हम लगा रहे हैं। वह बराबर कहता है कि इसको मत लगाओ क्योंकि यह पानी सोख लेता है, वाटर लेवल नीचे चला जाता है। लेकिन किसान की बात कोई नहीं मानता।

हमारे देश में फलदार पौधों की पिछले साल गवर्नमैण्ट ने स्कीम शुरू की, बहुत अच्छी स्कीम शुरू की। लेकिन उसमें भी काफी देरी की गयी। जमीन की उपलब्धता को लेकर, पानी की समस्या को लेकर हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाएं, कोई भी व्यवस्था करें, कोई भी योजना बनाएं। वे यथार्थ पर आधारित होने चाहिए। जहां पानी है वहां हम फलदार नर्सरी लगाएं। जहां पानी नहीं है और राजनीतिक आधार पर निर्णय लेंगे तो गलत होगा। मेरा निवेदन है कि यथार्थ के आधार पर हम इस देश को खड़ा करना चाहते हैं तो कृषि नीति भी यथार्थ पर आधारित होनी चाहिए। किसान को भागीदार बनाएं। कोआपरेटिव सैक्टर में कारगर निर्णय लेने के लिए यदि सख्ती से भी पेश आना पड़े तो हम पेश आएं।

चूंकि चरित्र का अभाव है, चरित्र के अभाव के कारण कोआपरेटिव सैक्टर सारा खराब हो चुका, यह मूवमैण्ट फेल्योर हो चुका है। इसको जिन्दा रखना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ करें और कृषि के क्षेत्र में भी कारगर प्रयत्न करें। यही बात कहकर बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं क्योंकि सभी कृषि के एक्सपर्ट विराजमान हैं। कृपया आप अपने एक्सपर्ट्स से

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

पूछकर उत्तर दें तब एक बात का जवाब दें कि जोधपुर रीजन, मारवाड़ क्षेत्र में 90 प्रतिशत खेती ट्रैक्टरों से होती है तो क्यों होती है ? ट्रैक्टर से वह खेती होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ? इन दो का जवाब इनसे पूछकर दिलवा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मनीराम सियाग।

(8.00 रात्रि)

श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 36 और 37 पर जो विचार विमर्श हो रहा है, उसमें मैं आपके माध्यम से कटमोशन प्रस्तुत करते हुए मेरे विचार व्यक्त कर रहा हूं। मांग संख्या 36 पर तो इतना ही कहूंगा कि सहकारिता का भौतिक रूप से ढांचा चाहे किसी तरह से खड़ा कर लिया जाय, जब तक लोगों की मानसिकता सहकारिता के प्रति नहीं बनेगी और सरकार मानसिकता बनाने में सफल नहीं होगी तब तक यह भौतिक ढांचा तैयार करने से कोई सहकारिता आन्दोलन सफल होने वाला नहीं है।

मैं विशेषकर मांग संख्या 37 पर अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूं जिसमें मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी कृषि नीति पर विभिन्न प्रकार की स्टेट लेवल की बातें कहीं है। मैं प्रेक्टिकली मेरे क्षेत्र में जो कमियां है और काश्तकारों को जो दिक्कतें आ रही हैं, उस बारे में एग्रीकल्चर टेक्निकल हैण्ड्स के कुछ सुझाव मांगना चाह रहा हूं। मेरा क्षेत्र मूंगफली प्रधान क्षेत्र है, उसमें ज्यादातर खेती मूंगफली की की जा रही है। उसमें एक विशेष तौर पर बीमारी प्रचलित है। लोगों को तो इस बात का धोखा रह जाता है कि सेम प्रभावित क्षेत्र है और बीच में जो मूंगफली का थोड़ा भाग जला है, वह हो सकता है सेम प्रभावित हो। उसमें लट विशेष प्रकार की पड़ जाती है। उस लट से पेचेज में वह फसल जल जाती है। मेरे यहां बीकानेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है, उसमें एग्रीकल्चर के विशेषज्ञ भी उपलब्ध है लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पता नहीं, वे किस दुनिया में बस रहे हैं कि आज तक उस क्षेत्र में इस बीमारी के प्रति काश्तकारों को सचेत नहीं कर पाये।

दूसरा मेरा निवेदन है कि सेम प्रभावित क्षेत्र होने के नाते जमीन में क्षार बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है और बीकानेर के क्षेत्रीय आयुक्त ने भी पिछले वर्ष अक्टूबर तक 150 टन एग्रीकल्चर ग्रेड जिप्सम की मांग की थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस मांग के पेटे किसी भी सक्षम अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। जो क्षार जमीन में दिन-व-दिन बढ़ता जा रहा है, उससे काश्तकारों को फसल का जो नुकसान हो रहा है। उस पर भी आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मेरा निवेदन है कि निकट भविष्य में इस तरह की विभाग कोई गलती नहीं करें और एग्रीकल्चर ग्रेड जिप्सम समय काश्तकारों को उपलब्ध कराये।

दूसरा मेरा निवेदन है कि जो मिनवि-

(श्री मनीराम सियाग)

कट्स और जो कल्चर बांटा जाता है, वह समय पर उपलब्ध कराया जाय और कोई रिजेक्ट बीज को भरकर मिनीकट्स में जब फसल काटने पर आती है तो थैलियों पर फार्मलिटी के तौर पर पकड़ा दी जाती है, उसका कोई उपयोग नहीं है और फालतू ही सरकार के करोड़ों-लाखों रुपये बर्बाद हो जाते हैं।

माननीय कृषि मंत्रीजी हमारे साइड के विराजमान हैं, क्योंकि भरतपुर वालों से उम्मीद कम रहती है, इसलिये उनसे विशेष आग्रह है कि खाजूवाला में कृषि मण्डी अभी नई गठित हुई है। उसका जितना भी आमद का पैसा है, वह करीब-करीब बीकानेर कृषि उपज मण्डी काम में ले रही है, अलग से खाता भी नहीं खुलवा रही है खाजूवाला में। इसलिये माननीय मंत्रीजी से मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि तुरन्त खाजूवाला की आमद को वहां के क्षेत्र के विकास के लिये अलग ही खाता खुलवाये और वहां उपयोग में लें।

दूसरा मेरा उनसे अनुरोध है कि पिछले वर्ष खाद की बड़ी गड़बड़ी हुई थी। बड़ी मात्रा में रिजेक्ट खाद, बेकार खाद, जिसका बाद में काश्तकारों को पता चला, फसल पर, वह फसल पकनी तो दूर रही उल्ट वह उससे जल गई, कोई असर नहीं हुआ। बड़े पैमाने पर वह खाद जब्त भी की गई। जो खाद विक्रेता थे, जो अनाधिकृत रूप से बेच रहे थे, उन पर आपने आज तक कोई कारगर कार्यवाही भी नहीं की। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अब भी समय रहते ऐसे लोगों पर जरूर कार्यवाही करें जिससे आगे आने वाले समय में इस तरह की उनकी हौसला अफजाई नहीं हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा निवेदन है तिलम संघ के बाबत। इस वर्ष नया-नया बीकानेर में प्लांट लगा है। मूंगफली की खरीद मेरे क्षेत्र में की गई। उस खरीद में लोगों को यह पता नहीं था कि किस तरह से खरीद होनी है, काश्तकारों को क्या पैसा मिलना है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। काश्तकारों को पता तक नहीं चला कि हमारी मूंगफली के क्या पैसे आने चाहिये थे और क्या दिये जा रहे हैं। एक कमेटी का नाम लिया गया, एक समिति गठित की गई। उसने किसी नियम के तहत कुछ व्यापारियों को ही लाइसेंस जारी करवा दिये, कृषि मण्डी के माध्यम से और उन व्यापारियों के माध्यम से फसलें खरीदी जाने लगी। उस मूंगफली का उचित मूल्य किस पर्सेंटेज के बीज पर, कितना प्रतिशत मूंगफली बैठती है, उस पर कितना पैसा मिलना चाहिये, उन काश्तकारों को पता ही नहीं चलने दिया और बाद में जितना भी बन पड़ा, वह देने की जो नियत बनी उस कमेटी की, उन्होंने वह पैसा दे दीया कि आपका तो इतना ही बैठा है जबकि मौके पर ही उसका प्रतिशत निकाला जाना चाहिये और उनको यह निश्चित रूप से पता चलना चाहिये कि अमुक मूंगफली के यह भाव हैं।

(समय-समाप्ति सूचक-घण्टी)

तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाह रहा हूं।

(श्री मनीराम सियाग)

साथ ही कृषि मंत्री महोदय और सहकारिता मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो मैंने कट मोशन्स दिये हैं, उनका जवाब समय पर आये और जो इनके अलावा मैंने बातें आपके माध्यम से रखी है, उन पर भी कारगर रूप से कार्यवाही हो। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हीरालाल जी आर्य।

श्री हीरालाल आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एक कृषि प्रधान प्रान्त है। राजस्थान में 80 प्रतिशत जनता खेती और खेती से सम्बन्धित कार्यक्रमों पर निर्भर करती है। यहां की खेती अक्सर वर्षा पर निर्भर करती है और खेती अक्सर बारानी जमीन पर होती है। विभिन्न प्रकार के प्रयास करने के बावजूद भी खेती में सिंचाई के साधन बहुत कम उपलब्ध हो पाये हैं।

श्री सम्पत सिंह : एक तो वैसे ही रात बहुत हो गई, दूसरे माननीय सदस्य बहुत धीरे-धीरे बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब स्पीड बढ़ायेंगे। स्पीड बढा देते हैं।

श्री हीरालाल आर्य : जिससे कृषि में जो विकास और उन्नति होनी चाहिये, वह नहीं हो पा रही है। लेकिन फिर भी राजस्थान में वर्षा पर निर्भर है होने की वजह से कभी यहां अतिवृष्टि होती है और उसमें फसलें नष्ट होती है और कभी अनावृष्टि से अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कभी-कभी असमान वर्षा, कहीं पर ज्यादा हो जाती है और कहीं पर कम होती है. इसके बावजूद भी यहां की जो खेती है, पिछले साल के जो आंकड़े उठाकर देखें तो उससे लगता है कि कृषि और खाद्यान उत्पादन में आशातीत प्रगति की है। खाद्यान्न ही नहीं बल्कि तिलहन के क्षेत्र में तो जो रिकार्ड उन्नति की है वह निश्चित रूप से सराहनीय है। तो राजस्थान में तिलहन की दृष्टि से बहुत ही विकसीत हालत होने से बहुत अच्छी प्रगति हुई है।

श्री मदन लाल सैनी : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य अखबार पढ़ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सदन में अखबार नहीं पढ़े।

श्री हीरालाल आर्य : कृषि के क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार के अनुसंधान किये जा रहे हैं विभिन्न प्रकार की जमीन के आधार पर, उसमें अनुसंधान किये जाने से अच्छी भूमि की किस्म के आधार पर उन्नत खाद बीज का प्रयोग किये जाने से खेती की उन्नति और अच्छे स्तर पर की जा रही है। इसके बावजूद भी उत्पादन हो रहा है पिछले सालों की वनस्पति हम देखते हैं उत्पादन के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। उससे उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। उत्पादन में वृद्धि होने से राजस्थान का यद्यपि विस्तृत भू-भाग जिसमें अधितर रेगिस्तान है, रेगिस्तानी होते हुए भी इतना अन्न यहां पैदा किया जाता है कि जिससे राजस्थान

(श्री हीरालाल आर्य)

खाद्यान्नों की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि कृषि विशेषज्ञ और किसान अपनी मेहनत करके यहां जो पैदा कर रहे हैं वह अपने आप में एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करता है।

कृषि के क्षेत्र में सिंचाई की आधुनिक खेती को नालियों के माध्यम से, असमतल जमीन को समतल करके फव्वारों से सिंचाई के माध्यम से जो खेती में प्रोग्रेस की जा रही है। खेती को उन्नत करने के लिए राजस्थान में करीब 300 करोड़ रुपये की एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना लागू की जा रही है। विश्व बैंक की सहायता से इसको निश्चित रूप से स्वीकृति प्राप्त होगी उससे राजस्थान में कृषि का विकास होगा। इस योजना के अन्तर्गत फल विकास, पशुधन नस्ल सुधार, मत्स्य विकास, जमीन जो खारी और लवणीय हो गई है उसका विकास, पौध संरक्षण, अनुसंधान और विभिन्न प्रकार का सर्वेक्षण का कार्य किया जा सकेगा। जिससे निश्चित रूप से खेती में उन्नति होगी। लेकिन हम जानते हैं कि किसान को कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उसको मेहनत की सही कीमत नहीं मिल पाती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह किसान की ही हिम्मत है कि वह अपनी सारी मेहनत, सारी पूंजी को खेतों में बिखेर देता है। कभी यहां पर अतिवृष्टि से, कभी कम बारिश होने से, कभी प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की मेहनत व्यर्थ चली जाती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों की मेहनत व्यर्थ न जाये, इसके लिए किसानों की फसल का बीमा होना अति आवश्यक है। ताकि प्राकृतिक आपदाएं होने पर किसानों को उसकी फसल का वास्तविक मुआवजा दिया जा सके, उसको किसी प्रकार का नुकसान न हो, उसे लाभान्वित किया जा सके।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसान द्वारा जो फसल उत्पादित की जाती है वह सही समय तक बाजार में पहुंचे लेकिन सड़कों का विकास नहीं होने की वजह से वह अपनी फसल को समय पर बाजार तक नहीं पहुंचा पाता है और इससे उसको सही और वास्तविक कीमत नहीं मिल पाती है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि किसान की जो कीमतें तय होती हैं उसमें किसानों का प्रतिनिधि भी कीमतें तय करने में होना चाहिए। ताकि किसान कड़ी मेहनत के साथ खाद, बीज, औषधियां, महंगी कीटनाशक दवाइयां उसको उसकी मेहनत का वास्तविक प्रतिफल नहीं मिल पाता है वह उसको मिल सके। इसके लिए आवश्यक है कि कृषि उपज मण्डियां जो काम कर रही हैं वह ठीक तरह से उन्नत हों। मेरे इटावा क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी है जो एक बहुत बड़ी कृषि उपज मण्डी है और वह करीब 15-20 सालों से काम कर रही है लेकिन उसमें अभी तक भी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने से व्यापारियों, किसानों और पशुओं को काफी असुविधा होती है। वहां पर पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए एक ट्यूब-वैल बनाया गया था लेकिन विभाग की

(श्री हीरालाल आर्य)

लापरवाही की वजह से वह ट्यूबवैल कोलेप्स हो गया और कृषि विपणन अधिकारियों ने उस ट्यूबवैल की पूरी खुदाई होने के पहले ही उसकी कीमत चुका दी और वह ट्यूबवैल अभी काम नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से दो साल बाद उच्च जलाशय का निर्माण करवाया गया वह भी धीरे-धीरे क्षतिग्रस्त होता जा रहा है। ट्यूबवैल के अभाव में वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था के लिए वहां पर कुए का निर्माण कराया गया। वह कुआं भी पूरा खुदा नहीं। मैंने कई बार इस बारे में कहा कि कुआं पूरा नहीं खुदा है इससे काफी असुविधा हो रही है लेकिन अधिकारी कहते हैं कि कुआ पूरा खुद गया है। मैं मांग करना चाहूंगा कि इस बात की जांच की जानी चाहिए कि कुआ अधूरा खुदा फिर पेमेंट क्यों कर दिया गया, इस पर लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था क्यों नहीं की गई ? इसके बावजूद भी वहां पर ट्यूबवैल को गहरा कराने के लिए प्रयत्न किया गया। उसका काम अधूरा पड़ा हैं उसके बावजूद भी पेमेंट कर दिया गया। एक तरफ अधिकारी कहते हैं कि कुआं पूरा हो गया, ट्यूबवैल पूरा हो गया और दूसरी बार ट्यूबवैल खुदा वह पूरा नहीं खुदा और पूरा काम समझ कर पेमेंट कर दिया गया। इस प्रकार से लाखों रुपये पीने के पानी की समस्या दूर करने के लिए खर्च किए गए लेकिन अभी तक पीने के पानी की सुविधा मुहैय्या नहीं कराई गई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के क्षेत्र में जो अनाप-शनाप आपा-धापी चल रही है, अनाप-शनाप कीट नाशक दवाइयों के उपयोग से और अधिक उत्पादन आपा-धापी से ज़मीन का स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है लेकिन इसकी तरफ कृषि विशेषज्ञों का बिल्कुल ध्यान नहीं है। कई बार बीहड़ नदियों के किनारे खेती होने की वजह से किसानों के खेतों में कन्दराएं बढ़ती जा रही हैं, जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट होती जा रही है, धीरे-धीरे उत्पादन कम होता जा रहा है लेकिन इस गम्भीर समस्या की ओर विभाग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मेरे इलाके में, कोटा, बूंदी और झालावाड़ में केन्द्रीय परिवर्तित योजना के रूप में बीहड़ सुधार के नाम से, बीहड़ रोकने के लिए एक योजना चल रही थी। पिछले सालों बीहड़ सुधार का कार्यक्रम केन्द्रीय परिवर्तित योजना के तहत किया जा रहा था किन्तु इस योजना को केन्द्रीय सरकार ने पैसा देना बन्द कर दिया है। जिससे बीहड़ बढ़ रहे हैं, कन्दराएं बढ़ रही हैं। उनको ठीक करने के लिए डेम्स बन रहे थे, पक्के स्ट्रक्चर्स बन रहे थे वह काम एकदम बन्द कर दिया गया है। इसलिए मैं राज्य सरकार से मांग करना चाहूंगा कि केन्द्र ने इस योजना के लिए पैसा देना बन्द कर दिया है तो या तो सरकार केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालें कि वह इसके लिए पैसा दे और यदि केन्द्रीय सरकार इस योजना को चालू नहीं करती है तो प्रान्तीय सरकार अपने स्तर पर इस योजना को चालू रखें। ताकि जो जमीन समाप्त होती जा रही है, बीहड़ बढ़ते जा रहे हैं उनको रोका जा सके और जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट होने से किसानों का उत्पादन जो कम हो रहा है उसको रोका जा सके। यह महत्वपूर्ण कार्य है जिसको अवश्य किया जाना चाहिए।

(श्री हीरालाल आर्य)

इसके अतिरिक्त सिंचाई के क्षेत्र में ऊपर और थार बढ़ते जा रहे हैं, खाले और जमीन को समतल करने की व्यवस्था की जा रही है लेकिन एग्रीकल्चर के माध्यम से सायॅल कन्जरवेशन के माध्यम से जो खाले बनाए गए हैं उनकी कीमतें इतनी अधिक है कि किसान वह चुका नहीं सकते हैं। इन खालों की कीमतें चुकाने के लिए सरकार अपनी तरफ से व्यवस्था करे। इस प्रकार से जमीन की लेवलिंग की जानी है, चकबन्दी की जानी है, जो अनकमाण्ड जमीन है, बारानी जमीन है उसमें भी खेती हो सके। इसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं, जैसे केन्द्रीय जल ग्रहण की जो स्कीम है उसके तहत ली जाय और जो पीपल्दा क्षेत्र की बारानी भूमि है उसमें भी सिंचाई की जा सके।

मेरा निवेदन है कि कृषि की दृष्टि से किसानों की जो जमीन समतल की जानी है सायॅल कन्जरवेशन के माध्यम से जमीन ठीक हो गई थी। लेकिन अब क्योंकि योजनाबद्ध किए जाने से इस बात की बहुत आवश्यकता है लेकिन कृषि विभाग केवल अपने कृषि अनुसंधान तक ही सीमित रहता है। केवल अपना उत्पादन बढ़ाने तक ही सीमित रहता है। लेकिन जमीन जो दिनों दिन समाप्त होती जा रही है, दिनों दिन उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट होती जा रही है और खाद के उपयोग से और अधिक नहरों में सिंचाई की वजह से जो जमीनों में ऊसर और थार आ रहा है उस जमीन के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए भी विशेष रूप से विभाग को ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार का मेरा निवेदन है।

इसी प्रकार से किसानों को जो अपनी जमीन और उत्पादन के लिए वास्तव में पैसे दिए जाने चाहिए थे वह पैसे नहीं देकर खेती को उन्नत करने के लिए जिस तरह से प्रयास किए जाने चाहिए इसी बाबत फसल बीमा योजना लागू करने की, किसानों को अपने उत्पादन की सही कीमत दी जाए इस प्रकार के अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। आपने मुझे समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री रामकरण सिंह (अनुपस्थित)

श्री उपाध्यक्ष : श्री बिरदाराम चौधरी।

श्री बिरदाराम चौधरी (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 36 और 37 जो सहकारिता और कृषि के सम्बन्ध में है उस पर जो मेरे कटौती प्रस्ताव दिए हुए हैं उन पर इस सम्बन्ध में विचार व्यक्त करना चाहूंगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है और विशेष तौर से राजस्थान राज्य में 80 प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं, जो स्वयं कृषि करते हैं या खेतीहर मजदूर हैं। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है और यदि कृषि पर ध्यान दिया जाएगा और किसान पर ध्यान दिया जाएगा तो देश अन्न के हिसाब से आत्म निर्भर बनेगा। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा ही दुःख है कि आज कृषि की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राजस्थान में ज्यादातर कृषि वर्षा पर निर्भर है और राजस्थान के अन्दर भी अलग-अलग जोन हैं जहां पर एक तरफ सिंचाई होती है, नदियों से सिंचाई होती है। एक तरफ रेतीला रेगिस्तान भी है वहां पर सिर्फ वर्षा

(श्री बिरदाराम चौधरी)

पर निर्भर है। वर्षा भी बहुत कम होती है और एक तरफ पहाड़ी एरिया है। तो कृषि विभाग का यह कर्त्तव्य है आज जो यह मांग पास कराना चाहते हैं और इनका उद्देश्य यह है कि यह जो कृषि है उसको कैसे उपजाऊ बनाया जाए, कैसे इसकी व्यवस्था की जाए। लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

अलग-अलग महकमें बना दिए। हालांकि कागजों के अन्दर ऐसा लग रहा है कि जो प्रगति रिपोर्ट आई है उससे कि कृषि की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। उसमें भू-संरक्षण का अलग बना दिया, मरु विकास का अलग बना दिया, लेकिन आप मौके पर जाकर देखिए वहां पर क्या कभी कोई कृषि अधिकारी पहुंचता है।

मैं ज्यादा लम्बी बात नहीं करना चाहता। मैं मेरे नागौर जिले की और विशेष तौर से परबतसर तहसील में मकराना पंचायत समिति की बात करना चाहूंगा। आज कृषि मन्त्री जी यहां बिराजे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब जवाब दें तब बताएं कि मकराना पंचायत समिति क्षेत्र के अन्दर नागौर जिले का जिला कृषि अधिकारी किस-किस गांव में गया, कब-कब गया, क्या हमारे क्षेत्र के अन्दर अच्छा बीज आया बीज की कहां-कहां पर अधिकृत दुकानें हैं, और क्या वह बीज अच्छा है कि नहीं है। वह प्रमाणित बीज है कि नहीं है, उसकी कभी जांच की?

हमारे वहां बरसात कम होती है, प्राकृतिक आपदाएं वहां होती हैं कई बार अनावृष्टि हो जाती हैं, कई बार अतिवृष्टि भी हो जाती है और कई बार ऐसा होता है कि कोई कीड़-मकोड़े लग जाते हैं जैसे इस साल हमारा नागौर जिला था जो सबसे ज्यादा प्रभावित था कातरे से। कातरे से 80 प्रतिशत फसल को नष्ट कर दिया और, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताऊं कि लोगों ने जनता से कातरे के लिए यह व्यवस्था की है, प्राकृतिक आपदा के लिए व्यवस्था है, बजट है और मद रखी है, पैसा है लेकिन वह दवाई कब आती है, आपने यहां पर विधान सभा में सत्र हुआ था सितम्बर, 1991 के अन्दर और कातरा हुआ जुलाई के अन्दर।

कातरे की मियाद होती है 25-26 दिन और जुलाई के अन्दर लास्ट में खत्म हो गया। दवाई कब आती है, अगस्त के लास्ट वीक में। मैं जिला कलक्टर से मिला था 8 सितम्बर को, 9 सितम्बर को तो मैंने कहा आप गांवों में जाइए, आप गिरदावरी कीजिए, कातरे ने चौपट कर दिया है। यह अकाल की बात चलती है तो कलक्टर महोदय क्या कहते हैं कि हमने तो कातरा मार दिया, कातरे की दवाइयां भेज दी। मैंने कहा कब तो, कहा कभी भी भेज दी। उसी समय नागौर जिले के डी.एम. को बुलाया गया वहां और बात की गई तो कहा कि हमने तो दवाई भेज दी, कहां भेजी कोई पता नहीं है। तो इस प्रकार जो पैसा बरबाद किया जाता है जहां इनको पता ही नहीं।

विशेष तौर से कृषि विभाग का यह

(श्री बिरदाराम चौधरी)

कार्य है कि कौनसे क्षेत्र में कौनसी जमीन ऐसी है जहां पर मूंग की खेती हो सकती है, कहां पर मोठ की खेती हो सकती है, कहां पर ग्वार की खेती हो सकती है, कहां पर बाजरे की खेती हो सकती है। हमारा जो जिला है नागौर जिला, विशेष तौर से पूर्व की तरफ बाजरा बहुतायत में होता है। लेकिन आज बाजरे की उपज के लिए क्या कार्य किया गया? आज बीज आता है बाजरे का, अभी दिलसुख रायजी ने बताया था कि जब बाजरे की फसल आ जाती है निनाण करते हैं तब बाजरे का बीज आता है, ज्वार का तो बीज आता ही नहीं है, मोठ का बीज आता नहीं है और यही मूंग की स्थिति है। तो यदि इस कृषि को और बढ़ाना है, पैदावार बढ़ानी है तो इसकी तरफ विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया आपने घण्टी बजा दी। विशेष तौर से यह बात है जैसे यहां पर कृषि की बात है, भूमि की बात है, हमारी भूमि क्षारीय भूमि है, लवणीय है। मैं बताऊं कृषि मन्त्री महोदय आज एक भी आदमी, जो विशेषज्ञ आपने लगा रखे हैं हमारे क्षेत्र में नहीं आया। कोई किसी तरह की मिट्टी का परीक्षण नहीं किया, कोई मिट्टी की प्रयोगशाला है नहीं। मैं गांव में सरपंच भी रहा आठ साल तक प्रधान भी रहा और आज विधायक हूं।

मैं बताना चाहूंगा मेरे क्षेत्र के अन्दर आज तक तो यह जो कृषि प्रसार अधिकारी हैं किसी गांव में नहीं देखा, यह कृषि पर्यवेक्षक है उनको नहीं देखा। यह किसी गांव में जाते नहीं। बैठकर रिपोर्ट बना लेते हैं कि इतना बाजरा पैदा हुआ, इतना यह हुआ और लिस्ट ले लेते हैं यदि ऐसा होगा, जो आदमी कृषि विभाग में नौकर लगा हुआ है, वह किसानों से नहीं जुड़ेगा और जाकर जमीन पर नहीं बैठेगा और किसानों से सलाह मशविरा नहीं करेगा। तब तक यह किसानों की पैदावार नहीं बढ़ सकती है और न किसानों का भला हो सकता है।

अब भू-संरक्षण जो विशेष तौर से यह महकमा बना रखा है कि जमीन को कटाव से रोके, पेड़ लगाए, उपजाऊ बनाए, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत बताऊं कि आज कहां-कहां पर काम चल रहे हैं, किसी पंचायत समिति के विकास अधिकारी को पता नहीं, किसी तहसीलदार को पता नहीं, किसी विधायक को पता नहीं, जन प्रतिनिधि को पता नहीं, मैंने भू-संरक्षण के बारे में यहां विधान सभा के अन्दर प्रश्न रखा था और मैंने मांग की थी।

मैंने बताया था कहां-कहां काम चल रहे हैं। ऐसे-ऐसे काम सत्तर-सत्तर लाख के काम एक राबड़ियां जगह ऐसी बताई परबतसर में सत्तर लाख का काम बताया और वहां पर क्या करेंगे, एनीकट्स बनाएंगे, पेड़ लगाएंगे और कटाव को रोकेंगे। आज मैं देखकर आया हूं वहां पर एक पेड़ नहीं है। मेरे मकराना एरिया के अन्दर पचास लाख से ऊपर का वहां बजट है और तीस लाख रुपए खर्च कर दिए। आज वह कहां काम करते हैं कुछ

(श्री बिरदाराम चौधरी)

पता नहीं है। नागौर के अन्दर तो इस प्रकार का मोनिटरिंग नहीं होता है और जांच नहीं होती है। मैं यह बताऊं कि नागौर के जो अधिकारी हैं उनको ही पता नहीं होगा कि वहां ढूंढें कि कहां पर काम हो रहा है, यह भी पता नहीं रहता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के यह जो कार्य हैं और जब यह गांवों में नहीं जाएगें और सभी लोगों का तालमेल नहीं होगा तब तक कृषि का भला नहीं हो सकता।

आज किसान मारे-मारे फिरते हैं, आज किसान के पास क्या है? हर आदमी सोचता है पैदावार होती है लेकिन आज एक किसान के पास दो धोती मिलेगी, एक कमीज मिलेगा एक साफा मिलेगा और शादी करेंगे बच्चों की तो एक तोला सोना नहीं दे सकता लेकिन किसान की हालत क्यूं है ऐसी इसलिए कि उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। कृषि महकमा बना हुआ है यह बैठे-बैठे कार्यवाही करके अपना कार्य करता है। मैंने विशेष तौर से आपको खाद बीज की बात बताई और जैसे यह फसल बीमा की बात है। आज किसान मेहनत करता है और आस लगाये बैठता है और जुलाई में जून के पूर्व खेती करके फसल तैयार होती है, बीच में कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी क्या हो जाता है। यह बहुत जरूरी है कि किसानों को पनपाने के लिये उनको जिन्दा रखने के लिये यह फसल बीमा की योजना है उसको शीघ्र लागू किया जाय। हर किसान को इसके अन्दर भागीदार बनाया जाये।

हर पंचायत समिति के अन्दर एक किसान मेला लगना चाहिए और किसानों को शिक्षा देनी चाहिए। आज किसान के बच्चे पढ़े-लिखे हैं, मैट्रिक है कोई एम.ए. हैं, लेकिन उनको ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती जैसी मैं कह रहा हूं। किसानों का मेला लगना चाहिए और किसानों को भागीदार बनाये और यह बतायें कि यह एरिया है यह क्षेत्र है उसमें मूंग हो सकता है, इसमें बाजरी हो सकती है, इसमें मोठ हो सकता है तो किसान शिक्षा लेंगे और उसकी उपजाऊता को बढ़ायेंगे। किसानों की माली हालत सुधर सकती है। उपाध्यक्ष महोदय यह....

श्री उपाध्यक्ष : पूरा कीजिए। 15 मिनिट हो गये।

श्री बिरदाराम चौधरी : एक ही जो सरकार है। मैं निवेदन करूंगा जब तक सरकार की समझ और उनका सोच किसानों के प्रति नहीं होगा तब तक यह सारी योजनायें कागजों तक ही रहेगी। इसलिए किसानों का यदि विकास करना है और कृषि को बढ़ावा देना है तो कृषि नीति है उसको विशेष तौर से किसानों को लाभान्वित करने के लिए ध्यान देना चाहिए। मैं दूसरी बात यह कह रहा हूं कि एक कृषि मण्डी बनी हुई है, जो किसानों की उपज वहां आती है वह किसानों की उपज के ऊपर ही चलती है।

लेकिन कृषि मण्डी, आज हमारे क्षेत्र कुचामन में कृषि मण्डी है और इसका क्षेत्र लगता है परबतसर, गच्छीपुरा, हमने मांग की थी पिछली बार भी की थी कि यह बहुत दूर पड़ती है। उस मण्डी के अन्दर हम से

(श्री बिरदाराम चौधरी)

टैक्स लेते हैं। गच्छीपुरा के अन्दर 40 कि.मी. वहां पर डीग के अन्दर पचास किलो मीटर, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग किसानों के लिए नहीं होता है। मैंने मांग की थी कि गच्छीपुरा जो हमारा क्षेत्र है उसके अन्दर एक सबयार्ड बनाया जाये और यह जवाब भी आया था कि सब यार्ड गच्छीपुरा में बनाने की हमारी योजना है लेकिन अभी तक चालू नहीं हुई है।

मेरा निवेदन है कि किसानों को राहत दिलाने के लिए और किसान अपनी उपज को ले जा सके कृषि मण्डी में। तहसील और हैड क्वार्टर परबतसर है वहां पर एक कृषि मण्डी बने और जो उसका एरिया है जैसे डीग तक अच्छी फसल होती है वहां पर उसका यार्ड बने। जो कृषि मण्डी की सड़कें बनाई हैं उसमें। मैं उपाध्यक्ष महोदय आपको बताना चाहूंगा। इसके अन्दर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए यदि ऐसा हुआ तो किसानों की उसमें आस्था नहीं रहेगी। कृषि मण्डी की तरफ से जो सड़कें बन रही हैं।

आज मेरा विधान सभा क्षेत्र जो मकराना है, मकराना पंचायत समिति है उसमें पांच किलोमीटर सड़क का पैसा नहीं लगा। आज परबतसर में नहीं लगा तो ऐसा क्यों। यदि किसानों को भागीदार बनाना है तो उस कृषि मण्डी की जो उपज है, जो उसका पैसा है वह सब जगह जहां पर उसका एरिया लगता है वहां पर अलग-अलग किसानों के फायदे के लिये अपनी उपज ला सके। इसके लिए मैंने मांग की थी पहले। बोरावड़ से मकराना और दागणवा, जाठडी और आसपुरा यह सड़कें मन्जूर हुई थी कृषि मण्डी से लेकिन वह निरस्त कर दी गई और यह हमको बताया दिया गया कि वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता की वजह से हम उसको नहीं कर सकते। मेरा निवेदन है कि विशेष तौर से राजनैतिक पाइन्ट से नहीं देखे और किसानों के हिसाब से देख कर पूरे एरिये के अन्दर करे।

श्री उपाध्यक्ष : समय सीमा का ध्यान रखिये। प्लीज।.. (व्यवधान)....

श्री रघुवीरसिंह कौशल : बोलने दीजिए नहीं तो यह भी नहीं रहेंगे।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता का नाम लेने वाला एक भी नहीं रहा यहां श्रीमान्।

श्री बिरदाराम चौधरी : कृषि का जो वास्तविक संबंध है वह सिचाई से है और बिजली से है। आप यदि बिजली की बहुतायतता नहीं करोगे, बिजली नहीं पहुंचेगी तो खेती का सुधार नहीं हो सकता है किसान की माली हालत नहीं सुधर सकती है। सिचाई का जहां तक सवाल है, सिचाई के साधन उपलब्ध नहीं होंगे तो कृषि नहीं हो सकती तो इस प्रकार यह भी जरूरी है कि जहां पर पानी है और मीठे कुए हैं वहां पर बहुतायत से किसानों को जमीन मुहैया करवाई जाये ताकि किसान कृषि पर आधारित हो सके और अच्छी उपज दे सके। दूसरी मेरी जो मांग है, सहकारिता के बारे में....

श्री उपाध्यक्ष : आपने, बहुत बोल लिया, कृपया विराजें आप। बीस मिनिट हो गये।

श्री बिरदाराम चौधरी : एक मिनट साहब, सहकारिता के बारे में मैंने जो चार कटौती प्रस्ताव दिये हैं मैं निवेदन करूंगा उनका मेरे को जवाब मिले। एक बात मैं कहूंगा कि एक स्थिति ऐसी है सहकारिता की, लोग कहते हैं कि इसका तो भगवान ही मालिक है। मेरे मकराना के अन्दर एक आर्टीजन सहकारी समिति है और वह दस्तकारों की है उस सहकारी समिति को चार मार्बल की खानें अलाट हुई है और आज इन चार खानों में से सहकारी समिति के पास एक भी खान नहीं है। जो इसके पदाधिकारी थे उन्होंने अपने अपने नाम करवा ली। मैंने पिछली बार विधान सभा में प्रश्न रखा था कि कौन कौनसी खानें हैं तो एक खान बताई कि सहकारी समिति के पास में है और दूसरी कोई नहीं है। अबकी बार रखा तो दो खानें बताई है और यह कह रहे हैं कि उसमें सहकारी समिति को लाभ हो रहा है। मतलब 15 रुपये, 20 रुपये, जब एक खान का मालिक मार्बल की खान काटता है उसको लाखों रुपये की कमाई होती है इस सहकारी समिति के अन्दर पचास रुपये ही दे रहे हैं तो इस प्रकार जो सहकारी समितियां हैं उनका व्यक्तिकरण हो गया। उसका पदाधिकारी था आज वह पदाधिकारी नहीं है, खान ले ली है और आज वह काट रहा है। इस पर मेरा निवेदन है कि आपको विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए और उसकी जांच करवानी चाहिए। आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री, चुन्नीलाल गरासिया (अनुपस्थित), श्री लक्ष्मीनारायण दवे (अनुपस्थित), श्री दयाराम परमार, (अनुपस्थित) श्री राजेन्द्र महलोत (अनुपस्थित) श्री शिव किशोर सनाढ्य (अनुपस्थित)। सारी ट्रेजरी बेन्चेज मे बोलने वाले चार पांच नाम रह गये हैं।

श्री मदन लाल सैनी : मेरा नाम पहले था। मैं बीच में चला गया था। मेरा नाम चला गया।

श्री उपाध्यक्ष : आखरी वक्ता हैं, श्री मदन लालजी सैनी।

श्री मदन लाल सैनी (गुढा) **:** उपाध्यक्ष महोदय, विषय 36 और 37 की मांग के, समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि अब खेती के, बारे में, सहकारिता के बारे में राम अलापने वाले कांग्रेस के लोगों को आज इस समय बड़ा दुःख हो रहा है कि उनका परिवार नियोजन हो गया है। देश बहुत कोशिश कर रहा है कि परिवार नियोजन बढ़ना चाहिए लेकिन हाउस में आज कांग्रेस का परिवार नियोजन हो गया। आज कांग्रेस की ओर से सुनने वाला केवल एक माननीय सदस्य है और मैं समझता हूं वह भी चले जायेंगे (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि डार्क जोन के बारे में राजस्थान में और जिन क्षेत्रों में डार्क जोन घोषित किया गया है। मैं मेरे क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूं... कि खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट को

(श्री मदन लाल सैनी)

जाने वाला पानी का अतुल भण्डार है वहां दर्जनों कुओं से खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट को पानी दिया जाता है और हमारी जांच रिपोर्ट इस प्रकार की आती है कि यह डार्क जोन है, यहां भूगर्भ जल नहीं है। इस बात की जांच होनी चाहिये। यदि डार्क जोन है तो खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट को दिया जाने वाला पानी बंद होना चाहिए। खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट को दिया जाने वाला पानी बंद नहीं होता तो डार्क जोन बंद होना चाहिये।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि लवणीय, क्षारीय और रेगिस्तानी क्षेत्र से प्रभावित जमीनों की जांच के लिए इस प्रकार की समिति बननी चाहिए कि वहां किस प्रकार की खेती हो सकती है ताकि किसान को बरबादी से रोका जा सके और इस प्रकार की नर्सरियां बननी चाहिये जो सब्जी के बीजों की, सब्जी की नर्सरियां तैयार करें, फलदार पेड़ों की नर्सरी तैयार करें। किसानों को इस प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोगों के तरीकों के बारे में, दवाइयों के प्रयोग के बारे में, बीजों के प्रयोग के बारे में शिविर लगाकर उनको जानकारी दी जानी चाहिये और इस प्रकार के मोबाइल वाहन होने चाहिये जो किसानों को इस प्रकार की जानकारी दें।

आज व्यावहारिक ट्रेनिंग देने वाले अधिकारी नहीं है। आज डिग्री होल्डर तो मिल जायेंगे लेकिन इस जमीन से जुड़े हुए अधिकारी नहीं हैं। वे आई. ए. एस. अधिकारी हो सकते हैं लेकिन उनको पता नहीं हल किस प्रकार से पकड़ा जाता है। कई माननीय सदस्य बता रहे थे, खेती के अनुभव उन अधिकारियों के बारे में इस प्रकार के अधिकारियों से इस क्षेत्र का भला नहीं हो सकता। इस प्रकार के अधिकारियों को छांट कर, जो खेती के विषय को देखते हों ऐसे अधिकारियों को लाना चाहिये जो खेती को समझते हों, जिनके मन में किसान के प्रति दर्द हो इस प्रकार के लोगों को लाना चाहिये।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा, पूरे पानी को उपयोग करने की सरकार की मंशा है और एनीकट बनाकर, बांध बनाकर और इस प्रकार से कई क्षेत्रों में, मेरे क्षेत्र में जोधपुरा, चुनारी घाट, खेतूड़िया नाला, खोह, बागोंडी में बांध बनाकर भूमि कटाव को रोकना चाहिये और फव्वारा पद्धति को और अधिक प्रोत्साहन देना चाहिये ताकि अधिक फव्वारे लगाकर पानी का अधिक उपयोग हो। आज खेती में बीमारी बढ़ रही है। जौ में रेशा लग गया, गेहूं में रोली लग गई है, सरसों में चेपा लग गया है। इसके कारण से बड़ी हानि हो रही है। इसकी क्षतिपूर्ति का अंदाज लगाकर किसान की क्षतिपूर्ति करनी चाहिये। मान्यवर, मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि जिस देश का किसान गिर गया, वह देश खड़ा नहीं हो सकता और जिस देश का किसान खड़ा है वह देश गिर नहीं सकता।

इस प्रकार से किसान की स्थिति को यदि बचाया नहीं गया तो इसके भयंकर परिणाम होंगे और सरसों के गिरते भावों को बचाने के लिए, किसान को उपज का

(श्री मदनलाल सैनी)

पूरा मूल्य देने के लिए, 250 करोड़ रुपया जो हमने तिलहन खरीदने के लिए तय किया था, वह तिलहन तुरन्त खरीदना चाहिये। सरसों, और तिलहन बाजार में आने लग गया और उसके कारण से किसान के सामने सरकार खरीददार के रूप में नहीं है, इस प्रकार की चर्चा है। सरकार को तुरन्त इस ओर ध्यान देकर सरसों के बीज तुरन्त खरीदने चाहिये। ऋण पद्धति को सरल किया जाना चाहिये। आज इस प्रकार के ऋणदात्री शिविर लगाये जाने चाहिये, मौके पर ऋण देना चाहिये। पाइप के लिये भी, खेतों में पाइप के लिये सब्सिडी देनी चाहिये। किसानों को पास बुक के आधार पर सारी सुविधाएं दी जानी चाहिये। बैंकिंग ऋणों पर 6 वर्ष का ब्याज न लगे, इस प्रकार की जो व्यवस्था उद्योगों के लिए है, खेती में भी दिये जाने वाले ऋण में 6 वर्ष तक की छूट होनी चाहिये। चैक के स्थान पर नकद पेमेंन्ट होना चाहिये। इसके कारण से कंम्पनियों की मनमानी और ऊंची रेट पर दी जाने वाली स्थितियां बदल जायेंगी।

मान्यवर, कृषि उपज मण्डियों का निर्माण हो रहा है। व्यापारी, किसान और उपभोक्ताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार का निर्माण कराया जाना चाहिये। 10-10 किलोमीटर शहर से दूर, जो किसानों के लिए सुविधाजनक नहीं है, व्यापारी और उपभोक्ताओं के लिए भी सुविधाजनक नहीं है। इस प्रकार के स्थानों पर बनाई गई कृषि उपज मण्डियों की जांच होनी चाहिये और यदि वे उचित स्थान पर नहीं हैं तो उनको बेच कर दूसरे उचित स्थान पर कृषि उपज मण्डियों का निर्माण कराया जाना चाहिये। जो भवन बन रहे है उन भवनों के बारे में मेरा यह कहना है, वहां पर सड़कों की भी व्यवस्था नहीं है, पानी और बिजली की सामान्य सुविधा भी नहीं है, उन सुविधाओं को भी देखना चाहिये।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि झुंझनू जिले में आज इस बात की आवश्यकता है कि खेती तो बढ़ रही है लेकिन वहां पर खेती के बारे में ज्ञान नहीं है। वहां पर खेती से सम्बन्धित एक भी कालेज नहीं है, सरकारी कालेज खुलना चाहिये और एग्रीकल्चर कालेज झुंझनू जिले में खुलना चाहिये। कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना गांव-गांव में होनी चाहिये, खदान और जंगल पर आधारित होना चाहिये।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा सरकार भवनों के लिए, सरकारी काम के लिए और दूसरे कामों के लिए जमीनों का अधिग्रहण करती है लेकिन ये अधिग्रहण करना ठीक नहीं है। आज ग्रीन बैल्ट पर अधिग्रहण हो रहा है, किसान की जोत कम हो रही है और इस प्रकार की स्थिति में सरकार को मकान बनाने की जो आवश्यकता है, सरकार को जमीन पर नहीं फैलकर ऊपर आकाश में जाना चाहिये। और बहुमंजिली मकानों का फैसला करना चाहिये कि सरकार के जो क्वार्टर बनेंगे वो फ्लैट सिस्टम में बनेंगे और बंगले सिस्टम को खत्म करना चाहिये।

(श्री मदनलाल सैनी)

हमारे देश की आवश्यकता है खेती के लिए जमीन बचाने की, उस जमीन को बचाने के लिए बहुमंजिले मकान बनाने की जरूरत है। मास्टर प्लान में जो ग्रीन बेल्ट को लिया जाता है, उस किसान को पूरी जमीन नहीं दी जाती और अभी मान्यवर, जो जमीन ली गई और थल सेना फायरिंग रेंज की जो जमीन ली गई, उसमें पैसा क्या दिया गया 1000 रुपये और दूसरा 1500 रुपया दिया गया, 2000 रुपया बीघा, यह अलग-अलग किस्म की जमीनों के लिए दिया गया और चार पार्टियों को 32,000 बीघा का दिया गया। यह रेट कम है। यदि किसान इसे बाजार में बेचता सीधा तो, बाजार मूल्य किसान को नहीं मिलेगा तो उसकी तो वो एन. बी. सी. है। वो बिड़ला वहां पर एन.बी.सी. से काम करता है लेकिन किसान अपने खेत में हल चलाकर अपने परिवार का पेट पालकर करता है इसलिए उसका बाजार मूल्य उसको मिलना चाहिये। उसको इण्डस्ट्रीज मानकर इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये कि उसको पूरा उसका मूल्य मिल सके।

मान्यवर, एक बीमारी और है जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, उससे कुछ माननीय सदस्य चौंक सकते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान ही किसान से खेती की जमीन खरीद सके। आज इस प्रकार के धन्ना सेठ पैसे के बल पर, ज्यादा पैसे देकर, लालच देकर किसान की जमीन को खरीद लेते हैं और उसे खेती के अयोग्य घोषित कर देते हैं। जमीन पड़ी रहती है, वहां पर खेती नहीं हो सकती। यह इस देश पर आने वाला एक संकट है। दिल्ली की सरकार ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को जो छूट दी है, उसके कारण से बहुराष्ट्रीय कम्पनियां यहां आएंगी और उसका परिणाम होगा इस देश को डाउन करने के लिए या अनाज के उत्पादन को कम करने के लिए हजारों बीघा जमीन खरीदकर तो रख लेंगे और वहां पर जमीन में खेती नहीं होगी। इसके कारण से देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी।

मान्यवर, किसानों को बिजली दिये जाने के बारे में मैं कहना चाहूंगा, 15-20 दिन का समय है, फसल पकने पर है, 12 घण्टे उनको बिजली दी जानी चाहिये फसल बीमा लागू करने की बात है, वो करिये। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जिन लोगों की जमीन सीलिंग में आई, वो जमीन भूमिहीन लोगों को बांटने में हमने कोताही बरती है, उन पर सख्ती से एक्शन लेकर उस जमीन को भूमिहीनों को देना चाहिये। गांव-गांव को सड़क से जोड़ना चाहिये। यह मेरा कहना है। ग्रामीण क्षेत्र में जो समितियां बनी हैं, उसमें खाद्य तेल, गांवों को देने वाले अखाद्य तेलों पर बिक्री कर माफ करना चाहिये। मान्यवर मेरा यह भी कहना है कि हमने कृषि उपज मण्डियों का तो निर्माण किया लेकिन हमने सब्जी मण्डी का निर्माण नहीं किया।

अपवाद स्वरूप राजस्थान में दो-चार हैं लेकिन कौनसी और कहां पर योजना बनी। सब्जी बाजार में 4 किलोमीटर दूर जाकर नहीं बिक सकती, वो तो शहर में बिकेगी। बाकी व्यापारियों की तो

(श्री मदनलाल सैनी)

दुकानें हैं जो पुश्तैनी रूप से सब तरह के धंधे कर सकते हैं लेकिन किसान, जो सब्जी लेकर आता है वह प्रारम्भ में कहीं ठेला लगाता है, उसको दुकान नहीं मिल सकती। म्युनिसिपैलिटी का आदमी मोबाइल ठेले का सर्टिफिकेट देता है, उसको लाइसेंस नहीं मिलता। ट्रैफिक वाला उसको परेशान करता है। जयपुर में देख लीजिये, कहां सब्जी मंडियों का निर्माण हुआ। इसलिये छोटी-छोटी मंडियां जो बड़े स्थान हैं, वहां पर उनका निर्माण होना चाहिये कि वहां पर कहीं 100 लोग, कहीं, 50 लोग अपनी सब्जी की बिक्री का धंधा कर सकें।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा सहकारिता आंदोलन आज जो प्रारम्भिक स्टेज में है, एक आंदोलन है, एक प्रक्रिया में है, इसमें सुधार हो रहा है यह भी प्रसन्नता की बात है। जिसका राजनैतिकरण हो गया था उसको भी रोका गया है।

मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि वर्षों से चुनाव नहीं हुए, वो चुनाव भी हमने करवाये हैं। गांव और शहर में इससे एक हवा बनने लगी है। आज सहकारिता पर चर्चा हो रही है यानि सरकार कुछ कर रही है। जब कुछ करेंगे तो उसके परिणाम आयेंगे परिणाम अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं। पिछले समय में कुछ किया नहीं किया, इस डिपार्टमेंट को आइडल रखा गया। जैसा होता है वैसा होने दो। इस नीति के कारण से उस पर चर्चा नहीं होती थी, आज चर्चा हो रही है।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा ऋण माफ हमने किया लेकिन उदयपुरवाटी क्षेत्र में एक को आपरेटिव सोसाइटी में 1985 तक का ऋण माफ हुआ, 1987 तक का ऋण माफ नहीं हुआ, उसको नोटिस जारी हो गये हैं। उस नोटिस के बारे में माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगा, आप उचित कार्यवाही करें। मैं सुझाव देना चाहूंगा, पटवारी स्तर तक ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन होना चाहिये, रिक्त पदों को तुरन्त भरना चाहिये, प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करानी चाहिये, ऋण, खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयां बेचने वाले लोगों को देना चाहिये, बकाया वसूली की तुरन्त व्यवस्था होनी चाहिये। खादी, खादी को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक खादी की को आपरेटिव सोसाइटी बननी चाहिये। गांव के लोगों को वहीं रोजगार मिलेगा।

तिलम संघ में नियुक्तियों को लेकर बड़ी अंगुली उठाई जा रही है, इसको भी चैक करना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि खाद्य सामग्री के वितरण में भी को-आपरेटिव सोसाइटी पर अंगुली उठाई जा रही है। उसको भी चैक करना चाहिए। गृह निर्माण सहकारी समितियों के बारे में आपने अंकुश लगाने की कोशिश की है लेकिन और आवश्यकता है। इस पर और अंकुश लगाया जाना चाहिए। उपभोक्ता संघ की दवाइयों के गड़बड़ घोटाले के बारे में इस सदन में कई बार चर्चा हुई है। वहां के जो एम. डी. हैं वो अपने को तीस मार्का समझते हैं अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं हैं। वहां कोई प्रशासन चलाना नहीं चाहता।

(श्री मदनलाल सैनी)

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं, अखबारों की कटिंग्स मेरे पास है, समय कम है। मैं यह कहना चाहता हूं इस प्रकार से उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है। आवश्यकता तो इस बात की थी कि लोगों को सस्ती दवाई मिलेगी लेकिन सस्ती दवाई के स्थान पर दुगुनी रेट पर और बिना अप्रूव कराए और केवल एक आदेश से बोर्ड का गलत नाम लेकर अप्रूव किया जा रहा है। शहर में सस्ती दवाइयां मिल रही हैं लेकिन वहां महंगी दवाइयां मिल रही हैं। जो कर्मचारी बेईमानी में साथ नहीं देते ऐसे कर्मचारियों का निलम्बन किया गया और इन एम. डी. साहब का डेयरी फेडरेशन में और कृषि विपणन बोर्ड में भी इन पर आरोप हैं। उन आरोपों की जांच हो रही है।

मान्यवर, यह आज भी फर्जी दवाई बेचते हैं। एस.एम.एस. की दुकानें बन्द रहती हैं और जनता को दूसरी जगह जाने को मजबूर होना पड़ता है। मंत्री महोदय, आपकी छवि है आप हिम्मत के साथ इस प्रकार के अधिकारियों के खिलाफ न जाने क्यों एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। मैं चाहूंगा इस प्रकार के अधिकारी हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाय और मार्जिन मनी बढ़ाने के लिए दिल्ली में जो बैठक हुई सेन्ट्रल गवर्नमेंट के साथ उसमें आपके माननीय अधिकारी नहीं गए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि वे अधिकारी क्या कर रहे थे? अधिकारियों का काम था राज्य के लिए काम करना। वह बैठक में नहीं गये शायद उस बैठक में उनको कोई लाभ दिखाई नहीं दिया होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं आर. एस. डब्ल्यू. सी. वेयर हाउस के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। वहां के एम. डी. ने यहां असत्य जवाब दिया है। मुझे इस विषय पर बोलने के लिए आज विशेष रूप से माननीय अध्यक्ष जी यहां व्यवस्था देकर गए हैं। मैं उसी विषय पर अब बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सहयोग कीजिए।

श्री मदनलाल सैनी : वहां 480 टिन आये। वे 480 टिन गोदाम में जाने चाहिए थे वे गए नहीं और वे एक महीने तक दांये-बांये पड़े रहे और जब विधान सभा में सवाल आया कि वे टिन पूरे जमा क्यों नहीं हुए तो पता नहीं टूटे-फूटे टिन ले आये, गिनती कर दी गई और आज स्थिति यह है कि उसके कारण से कर्मचारियों को सस्पेण्ड किया गया और कहा गया कोई गड़बड़ नहीं हुई। सारे के सारे कर्मचारियों का ट्रान्सफर किया गया। हैण्डलिंग एजेंट जो था खण्डेलवाल, उसके साथ में मिली भगत के कारण इस प्रकार की अनियमितताये चीनी, तेल और कई अन्य चीजों में हुई। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि रेलवे हाउसिंग को-आपरेटिव सोसाइटी, जयपुर के चुनाव वर्षों से नहीं हुए। आपको भी प्रार्थना पत्र दिया है उसको भी देखिए और मान्यवर मैं यह कहना चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सैनी जी, प्लीज। आपने काल अटेंशन मोशन की

(श्री उपाध्यक्ष)

बात कही थी और कहां आ गए आप। पहले कह रहे थे कि लास्ट बात यह कहूंगा। बहुत कह चुके। कृपया सहयोग कीजिए। (व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : और किसी माननीय सदस्य का काल अटेंशन मोशन है तो मैं अलाउ करूंगा। इसके अलावा अलाउ नहीं करूंगा। श्री चुन्नीलाल गरासिया। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : मेरा भी काल अटेंशन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सराफ साहब, बिराजिये। चुन्नीलाल जी गरासिया बोलेंगे। आपका होगा तो बुला देंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इनका काल अटेंशन नहीं है, आप रेकार्ड देख लें। है ही नहीं इनका।

श्री उपाध्यक्ष : आसन की व्यवस्था है काल अटेंशन वाले बोलेंगे। माननीय गरासिया जी बोलिए आप। (व्यवधान) क्या चाहते हैं आप। 10 माननीय सदस्यों के नाम हैं। क्या इकतरफा बोलेंगे आप? मेरे पास 10 के नाम हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : मेरा भी नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय चुन्नीलाल गरासिया बोल नहीं रहे हैं क्या आप? दवे साहब बिराजिए आप। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : मेरा ध्याना-कर्षण था।

श्री उपाध्यक्ष : मैं बुला दूंगा काल अटेंशन पर।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 131 के अन्तर्गत मैंने सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया था कर्मचारियों के आन्दोलन के विषय पर और मुझे समय दिया है। आज कॉपरेटिव की मांग भी है। सर्व प्रथम मैं कॉपरेटिव मूवमेंट राजस्थान में जिस समय प्रारम्भ किया गया था....

श्री उपाध्यक्ष : आप काल अटेंशन मोशन पर ही बोल रहे हैं क्या?

श्री चुन्नीलाल गरासिया : हां, बोल रहा हूं। मैं इस पर बाद में बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : पहले आप काल अटेंशन पर बोलिए, मैं अलाउ नहीं करूंगा बाकी आपको।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : सरकार ने तो जवाब दिया है उससे मैं संतुष्ट तो हूं लेकिन मैं चाहूंगा कि कर्मचारी उस मूवमेंट का कर्णधार होता है, नींव का पत्थर है अगर उसकी व्यक्तिगत समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो मूवमेंट को जिस लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते हैं, जिस रूप में हम देखना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि कोई कमी-खामी रह गई। सरकार ने जो

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

जवाब दिया है कि हम इस दिशा में बहुत जल्दी से जल्दी निर्णय लेने वाले हैं। मैं उसके लिए मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा।

आज जो कॉआपरेटिव विभाग की मांग है उस पर मैं अपने सुझाव मंत्रीजी को और सरकार को देना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गरासिया जी, आप पाइन्ट पर आइये।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : मैंने काल अटेंशन पर अपने विचार रखे हैं। जो सरकार ने मुझे जवाब दिया है उससे मैं संतुष्ट हूं और आगे चाहूंगा कि को आपरेटिव के मूवमेंटपर कर्मचारियों .. (व्यवधान) मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्यगण डिस्टर्ब न करें।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात कहिए।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : 131 में जो जवाब दिया गया है और कर्मचारियों के प्रति सरकार बड़ी आत्मीयता के साथ सोच रही है उसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं। आज सहकारिता की मांग है। इतने वर्षो बाद भी राजस्थान में सहकारिता सफल क्यों नहीं हुई ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको काल अटेंशन के लिए कहा और आप दूसरी बात कह रहे हैं। बिराजिए। माननीन मदन दिलावर।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : इस पर मैं संतुष्ट हूं। अब मुझे कुछ बोलने तो दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या कह रहे हैं आप। माननीय गरासिया जी, कृपया बिराजिए। माननीय मदन दिलावर।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : मुझे कुछ कहने तो दें।

श्री उपाध्यक्ष : इसका उत्तर मिल जायेगा। कृपया सहयोग दीजिए मैं उनको बुला चुका हूं। माननीय दिलावर जी बोलिए आप। (व्यवधान) मैं दूसरा नाम ले चुका हूं।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : मेरा कटौती प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सहयोग कीजिए। माननीय मदन दिलावर।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : मैं कृषि विश्वविद्यालय के लिए आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। राजस्थान में केवल एक कृषि विश्वविद्यालय है जबकि हिमाचल प्रदेश जो क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा है, वहां जब दो विश्वविद्यालय हो सकते हैं। उदयपुर से राजनीतिक रूप से बीकानेर में कृषि विश्वविद्यालय ले जाया गया। मैं चाहता हूं इस तरह से राजनीतिक भावना से इस कृषि विश्वविद्यालय की जो हत्या हुई मैं चाहूंगा उदयपुर में इसके अवशेष रह गए हैं वे वापस जिन्दा हो जायें। मैं चाहूंगा सरकार इस तरफ ध्यान दे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मदन दिलावर।

(9.00 रात्रि)

श्री मदन दिलावर (ग्रेटर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मेरे पास जवाब आया है उसके संदर्भ में मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया है बिन्दु क्रमांक 4 और 7 का कि समिति द्वारा 16 भूखण्ड स्वामियों के आवेदन-पत्र पर उनके नाम प्लाट स्थानान्तरित किए गए। (व्यवधान) ध्यान से सुनिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पाइन्ट टू पाइन्ट पढ़ रहा हूं। समिति के सदस्यों एवं भूखण्ड स्वामियों ने प्लाटों को स्थानान्तरित किया है। यद्यपि यह कार्यवाही संस्था के उपनियम संख्या 42 (6) के विपरीत है। इन स्थानान्तरणों पर समिति द्वारा स्थानान्तरण शुल्क 500 रुपए वसूल किया गया। समिति के रेकार्ड में 33 लाख रुपया एकत्रित किया जाना प्रमाणित नहीं होता। क्योंकि मैंने 33 लाख का आरोप लगाया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिन्दु पर माननीय मंत्रीजी से मुझे यह पूछना है कि जब यह नियमों के विपरीत हुआ है तो आप उसमें क्या कार्यवाही करेंगे और यह 33 लाख रुपए लेकर के आवंटन गलत तरीके से किए हैं। वो जिसने चोरी की है वह रजिस्टर में क्यों दर्ज करने लगा? इसलिए जो 33 लाख के घोटाले की जानकारी आप किस प्रकार से लगायेंगे? इसी प्रकार से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक प्लाट जो आवंटित था राजकुमारी पुत्री रामसिंह के नाम और उसने दूसरा प्लाट भी आवंटित करा लिया श्रीमती राजकुमारी वाइफ ऑफ बन करके सहकारी समिति में और एक ही परिवार में दो प्लाट आवंटन किए। और मूल आवंटी को हटा दिया गया। तो यह हजारों रुपये की हेरा-फेरी करके एक ही परिवार में यानि पति और पत्नी को दो आवंटित किये, इसके खिलाफ माननीय मंत्री महोदय क्या कार्यवाही करेंगे। इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन और है कि हरिमोहन पुत्र श्री राधाकिशन शर्मा के प्लाट का विवाद था, बिन्दू नम्बर पांच। बिन्दू नम्बर पांच में यह विवाद है और उपाध्यक्ष महोदय, जो सहकारी समिति का मेम्बर था उसके प्लाट को निरस्त कर दिया गया और निरस्त यह कह कर किया कि इन्होंने निश्चित समय पर राशि जमा नहीं करायी। जबकि यह मेरे पास जांच की कॉपी है, जो प्रार्थी था उसने एक प्रार्थना पत्र दिया था और प्रार्थना-पत्र की जांच होने के बाद जो आरोप प्रार्थना-पत्र में उसने लगाये थे वह निर्णय यह हुआ कि इसको नियमानुसार राशि लेकर पुनः आवंटित कर दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, उस आदेश की पालना नहीं हुई और यह भी माना है माननीय मंत्री महोदय ने एक बिन्दू में कि निश्चित रूप से इसमें हेरा-फेरी हुई है और लगभग 56 लोगों के नाम बदल कर दूसरों को आवंटित किये हैं। तो माननीय मंत्री महोदय, से मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या ऐसे भ्रष्ट लोगों को, जो गृह निर्माण सहकारी समिति के नाम से इस प्रकार के घोटाले कर रहे हैं, गरीब लोगों के पेट पर लात मार रहे हैं, क्या ऐसे लोगों को आप हथकड़ी लगा कर जेल के सींखचों में ठूंसने की इच्छा रखते हैं? यदि हां तो कब एफ.

(श्री मदन दिलावर)

ग्राई. ग्रार. दर्ज करवायेंगे ? कब आप उनको जेल के सींखचों में ठूसेंगे ? उपाध्यक्ष महोदय, यह + + + है, खा-खा कर फैल रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, ऐसे लोगों को तुरन्त जेल के सींखचों में ठूंस देना चाहिए अन्यथा यह तो गरीब लोगों को बरबाद करते रहेंगे।

मुझे माननीय मंत्री महोदय से बहुत अपेक्षा है, आप काफी शुद्धता इसमें लाये हैं और काफी प्रयास आपने किया है। मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस केस में भी इस प्रकार का विचार करें, इस प्रकार की कार्यवाही करें तो ठीक रहेगा। इसी प्रकार से मेरा एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और है, तीन हैं श्रीमान् मेरे, तीन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं, अभी एक तो समाप्त हुआ उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिए-बोलिए। जल्दी बोलिए आप।

श्री मदन दिलावर : इसी प्रकार से जोधपुर की बहुचर्चित नवीन गृह सहकारी समिति के मामले में मेरा ध्यानाकर्षण है, जोधपुर का। इसमें जवाब दिया गया है कि निश्चित रूप से इसमें घोटाला हुआ है और हमने कार्यवाही की है और एफ. आई. आर. दर्ज करवा दी। उपाध्यक्ष महोदय, एफ. आई. आर. तो दर्ज करवा दी लेकिन वह एफ. आई. आर. ठण्डे बस्ते में पड़ी हुई है। जब जांच पूर्ण हो गई, घोटाला हुआ है, करोड़ों रुपये का घोटाला किया है, गरीबों के पेट पर लात मारी है तो एफ. आई. आर. को बन्द बस्ते में न रखें, जल्दी उसको हथकड़ी लगा कर घुमा कर जेल की सींखचों में ठूंसें।

उपाध्यक्ष महोदय, नहीं तो यह + + + पनपते रहेंगे और यह गरीब काश्तकार लोग, छोटे-छोटे लोग मरते रहेंगे। माननीय मंत्रीजी से मैं अपेक्षा करता हूं कि मैं जल्दी ही उन लोगों को हथकड़ियों में देखूंगा, उनको जेल की सींखचों में देखूंगा, ऐसी मेरी इच्छा है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले एक थोड़ा और मैं सहकारिता के विषय पर बात कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : ना-ना, काल अटेंशन पर ही बोलेंगे आप। बोल चुके हैं। माननीय कालीचरण जी सराफ। प्लीज बिराजिए।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट लूंगा। सवाई माधोपुर अरबन कोपरेटिव का गठन पिछले वर्ष 9-2-91 को हुआ था यानि एक साल हो गया उसमें मनोनीत किया था और एक साल होने के बाद उसको नहीं हटाया गया। नहीं हटाया गया तो उपाध्यक्ष महोदय, जिसको अध्यक्ष मनोनित किया था वह दूसरों को सदस्य बनने नहीं दे रहा है, बनने नहीं देना चाहता और बाकी लोगों को अटका रखा है कि निश्चित प्रफोर्मा आप लाइए तो आपको सदस्य बनने दिया जायेगा।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री मदन दिलावर)

उपाध्यक्ष महोदय, पर जो उनके लोग थे यानि जो उनके सपोर्टर थे, जो उनको वोट देना चाहते थे वह तो उस प्रफोर्मा पर सदस्य बन गये हैं लेकिन जिनके लिए यह लगता है कि यह तो मेरे को वोट नहीं देने वाला है, उपाध्यक्ष महोदय, वह इसका नाम लेकर उनको मेम्बर नहीं बनने दे रहे हैं और प्रफोर्मा उपलब्ध नहीं है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मेरी सारी बातों का जवाब दिलवायें और क्या उनको सदस्य बनायेंगे, क्या उस अधिकारी को, जो इस प्रकार से मनोनीत किया हुआ है, उसको हटायेंगे और क्या सदस्य बनाने की कार्यवाही प्रारम्भ करवायेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह मेरा जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। माननीय कालीचरण जी सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 131 के अन्तर्गत एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था। मैं आपकी परमीशन चाहूंगा कि दो मिनट तो मैं इस पर बोलूंगा, एक मिनट और बात कहनी है यूनिवर्सिटी के बारे में, उस पर बोलूंगा, तीन मिनट दे दीजिए बस, ज्यादा नहीं बोलूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, सूरजपोल गेट के बाहर सूरजपोल अनाज मण्डी स्थित है, उसके बगल में एक कच्ची बस्ती है। जे.डी.ए. ने जब उस कच्ची बस्ती का नक्शा एप्रूव किया तो उसने स्कूल के लिए एक जमीन आरक्षित की और एक सड़क निकालने के लिए उन्होंने नक्शे में दर्शाई जगह। कृषि उपज मण्डी ने वहां पर दीवार बना कर सड़क को रोक दिया जिससे वह दिल्ली बाई पास रोड़ से न मिल सके और जो स्कूल के लिए आरक्षित जमीन थी उस पर भी उन्होंने डोला खेंच दिया।

मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से अब सरकार का ध्यान आकर्षित किया तो जो कृषि उपज मण्डी का जवाब आया है, उन्होंने कहा है कि जे.डी.ए. से हमने यह जमीन खरीदी है। जे.डी.ए. के अधिकारियों से बात करते हैं तो वह कहते हैं कि जमीन नहीं बेची, यह हमने स्कूल और सड़क के लिए रिजर्व की है। तो इन दो विभागों के झगड़े में वहां कच्ची बस्ती के निवासी परेशान हो रहे हैं तो इसके बारे में मंत्रीजी जवाब दें। नम्बर एक। यह तो कॉल अटेन्शन के बारे में मैं एक मिनट बोला हूं। दूसरा उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, जो बीकानेर में स्थित है उसका अनुसंधान निदेशालय जयपुर में दुर्गापुरा में स्थित है। वहां के जो कुलपति हैं वह इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं कि इसको स्थानान्तरित करके बीकानेर से लाया जाय। उन्होंने एक प्रस्ताव प्रबन्धक मण्डल के सामने रखा और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने उस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। जब प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया तो कुलपति महोदय को इस बात का प्रयास नहीं करना चाहिए था।

परन्तु कुलपति महोदय ने क्या किया कि अब वह निदेशालय तो वहां स्थानान्तरित कर नहीं सकते तो उन्होंने जो निदेशक नियुक्त किया एक साल के लिए मिस्टर जोशी को, उनका कार्यालय बीकानेर में बना दिया। अब बिना निदेशक के निदेशालय कैसा और बिना निदेशालय के निदेशक कैसा? तो मुझे ऐसा लगता है कि

(श्री कालीचरण सराफ)

अभी उन्होंने निदेशक को वहां नियुक्त कर दिया और धीरे-धीरे यहां से निदेशालय वहां ले जाने की उनकी मंशा है। तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि पहले भी एक बार इस प्रकार की बात चली थी तो दिग्विजय सिंहजी तब कृषि मंत्री थे उन्होंने सदन में आश्वासन दिया था कि इस अनुसंधान निदेशालय को यहां से स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा। तो आज भी मैं यह चाहूंगा कि मंत्रीजी यहां पर यह आश्वासन दें क्योंकि इसका बहुत जबरदस्त विरोध हो रहा है, जयपुर से इस अनुसंधान निदेशालय को स्थानान्तरित नहीं किया जाय। बस इतनी ही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री लक्ष्मीनारायण दवे।

श्री यदुनाथ सिंह : यह तो ऑटोनोमस बॉडी है....

श्री हेतराम बेनीवाल : यह तो ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी के बारे में इस तरह के विचार कैसे....

श्री कालीचरण सराफ : कृषि मंत्रीजी ने आश्वासन दिया है। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने रिजेक्ट कर दिया इसको और उसके बाद भी वह उसको ले जाना चाहते हैं। यह कैसे चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए सराफ साहब। माननीय दवे साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे आप यह बता दीजिए कि कर्मचारी विरोध कर रहे हैं या जनता विरोध कर रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां बोलिये आप।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह नेता विरोध कर रहे हैं, और कोई विरोध नहीं कर रहे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह मान लो कि हम सब विरोध कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो मात्र दो मिनट ही आपका समय लूंगा। जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार में, सन् 1969 से अब तक, भण्डार की न तो कभी आम सभा हुई न कभी इसके चुनाव हुए। अधिकारियों की मिलीभगत के कारण सन् 85 तक होलसेल भण्डार का कभी भी आडिट नहीं हुआ। सन् 85 के बाद में इसका आडिट किया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार में गबन और अनियमितता के मामले के कारण राज्य सरकार और संस्थान को करीबन 50 लाख रुपए का घाटा हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भण्डार उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराने का जोधपुर का सब से बड़ा संस्थान है। इस संस्थान में 4 बार गबन घोटाले की और अनियमिततायें की, जो अधिकारियों के कारण, जो कर्मचारियों के कारण जो अनियमिततायें और घोटाले किये गये

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

वह 4 बार जांच की गयी। यह अनियमिततायें और यह घोटाले सन् 81 से 87 तक हुए और इसमें 50 लाख रुपए तक का गबन और घोटाला हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : सवाल कीजिए न आप।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् 92 में घोटाले चलते राज्य सरकार एवं हिस्सेदारों के 10 लाख रुपए की हिस्से राशि डूब गयी। उसके बाद में 18 लाख रुपए के गबन के मामले उस उपभोक्ता भण्डार के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध निकले। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उपभोक्ता भण्डार की करीब 15 लाख रुपए की देनदारियां हैं। राज्य सरकार में ग्रामीण उपभोक्ता योजना के तहत कुल 80 हजार रुपए और 50 हजार रुपए की मार्जिन धनराशि का भी दुरुपयोग किया गया। सन् 1986 तक 27 लाख रुपए का घाटा सामने आया।

उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद में सन् 92 में इसकी जांच श्रीवास्तव, जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनके द्वारा की गयी और उनकी जांच के बाद में इस उपभोक्ता भण्डार के अन्दर जो विक्रय काउन्टर थे जो उपभोक्ता भण्डार में सबसे ज्यादा वस्तुएं और अच्छा सैल था इन अधिकारियों की मिलीभगत के कारण और तत्कालिक कांग्रेस की मिलीभगत के कारण उसके अन्दर जो सब से अच्छा काउण्टर था वह बिना नियम के, बिना कोई निविदा जारी किये कोई टेण्डर आयें वह वहां पर प्राइवेट लोगों को दे दिया गया और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मेडीशियन की दवाइयां थीं, जो आवश्यक थीं उपयोगी थीं, जो टाइमबार दवाइयां, मेडीशियन थीं उनको इन्होंने खरीद कर के इस उपभोक्ता भण्डार का भट्टा बैठा दिया। 83-84 में प्रधान व्यवस्थापक ने 21 हजार रुपए की अवधि पार दवाइयां खरीद कीं और सन् 84 और 85 में 88 हजार रुपए की दवाइयां बदलवानी चाही लेकिन इन्होंने अधिकारियों की मिलीभगत के कारण इनको रिप्लेसमेण्ट नहीं किया गया जिससे इस उपभोक्ता भण्डार को 85 हजार रुपए का घाटा हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् 85 और 86 में 67 हजार रुपए की दवाइयां अवधि पार चली गयी और 67 हजार रुपए का इस उपभोक्ता भण्डार को घाटा हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंकेक्षण रिपोर्ट, जो सन् 92 में की गयी आडिट रिपोर्ट के अन्दर 17 लाख 19 हजार रुपए का इसमें गबन और घोटाला पाया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो प्रशासनिक अधिकारी जो तत्कालीन वहां पर थे उन्होंने जो अभी 92 में, मैं माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस उपभोक्ता भण्डार में जो सन् 81 से लेकर के 86 के बीच में जो गबन घोटाले हुए जिस प्रकार की अनियमितता की गयी, कई स्वीच और नाना प्रकार के जो माल खरीदे गये और जिनका कि इस उपभोक्ता भण्डार में कहीं पर भी कैश बुक में, कोई कहीं पर इन्द्राज नहीं है और माननीय मंत्री महोदय ने सन् 92 में

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

एक इन्क्वायरी की और वह इन्क्वायरी पूरी हो गयी है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो इस जांच में दोषी पाये गये अधिकारी हैं उनके विरूद्ध तत्काल अविलम्ब कार्यवाही की जाय और डिसिप्लेन रिएक्शन लेकर उनका तत्काल निलम्बन किया जाय और उन लोगों के विरूद्ध पुलिस में कार्यवाही करने का कष्ट करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया न आपने अब। माननीय दवे साहब, विराजिये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब मेरे विधान सभा क्षेत्र सोजत के बारे में कुछ कहना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सहकारिता मंत्रीजी, बोलिये। विराजिये दवे साहब.... (व्यवधान).. आप व्यवस्था नहीं मान रहे हैं दवे साहब। माननीय दवे साहब, विराजिये। सहकारिता मंत्रीजी, बोलिये। माननीय दवे साहब, प्लीज।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

माननीय मुख्यमन्त्री श्री भैरोंसिंह शेखावत का तिलम संघ में कमीशन के बारे में स्पष्टीकरण

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी अनुपस्थिति में और अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में मुझे बिना पूर्व सूचना दिये तिलम संघ के प्रसंग में मेरे ऊपर कुछ आरोप लगाये हैं, मैं उनका स्पष्टीकरण करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य से यह आशा नहीं करता था कि वे इस प्रकार के आरोप लगायें और आप आरोपों में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करें जो भाषा मैं किसी सभ्य पुरुष से एक्स्पेक्ट नहीं कर सकता। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जानते हैं कि उनके पिताजी भी मेरे साथ विधायक रहे हैं....

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं आप वह बात नहीं करेंगे। आप पर्सन टू पर्सन बात करेंगे....

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये न। सुनिये न आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : I will not interrupt you, but you will not kindly drag my late father.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप इण्टरप्ट करें तो....(व्यवधान)....आप मेरी सुनिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : No. No. Talk on the merits.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय व्यास जी विराजिये आप प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि वे वर्षों तक साथ रहे हैं लेकिन मुझे भैरोंसिंह के नाम से सम्बोधित नहीं किया है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने भी नहीं किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रोसिडिंग्स देख लीजिए....(व्यवधान)....

श्री सुरेन्द्र व्यास : मिस्टर भैरोंसिंह कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रोसिडिंग्स देख लें। हां वह ठीक है....

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज व्यास जी, सुनिये पहले। पेशेन्स रखिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने कहा नहीं उपाध्यक्ष महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, खैर उनकी भाषा उनको शोभा दे मुझे उसमें आपत्ति नहीं है। जो जिस भाषा का प्रयोग करता है उसी भावना से लोग उसको समझते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यहां तिलम संघ का जिक्र किया। साढ़े 7 करोड़ रुपए का, 7 करोड़ रुपए का कमीशन आता है और वह कमीशन....

श्री सुरेन्द्र व्यास : साढ़े 7 प्रतिशत।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : साढ़े 7 प्रतिशत कमीशन की बात कही गयी और यह कहा गया कि यह कमीशन एम. एल. मेहता अकेले नहीं खा सकते. इसमें मुख्य मंत्री का भी हाथ है। अब मुझे यह समझ में नहीं आता कि साढ़े 7 प्रतिशत कमीशन की बात आयी कहां से? उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले तिलम संघ के बारे में बताना चाहूंगा। कोटा तिलम संघ, तिलहन संघ में 88-89 में इसमें 5 करोड़ 87 लाख रुपए का घाटा था। 89-90 में 2.22 करोड़ रुपए का घाटा था....

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह डिवेट का विषय नहीं है.... (व्यवधान)....

श्री कैलाश मेघवाल : बोलने की +++ नहीं है, +++ करते हो। बैठ जाओ। (व्यवधान)....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, आपको बोलने की जरूरत नहीं है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज आप सुनिये। (व्यवधान)....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कुल मिलाकर 7 करोड़ 79 लाख का घाटा हुआ....(व्यवधान)....अब आप बैठ जाओ चुपचाप अब आप बैठ जाओ। बैठ जाओ, कोई जरूरत नहीं है....(व्यवधान)....कोई जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : जो शब्द है एक्सपन्ज कर दीजिए।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : उपाध्यक्ष महोदय, यूज ही नहीं कर सकते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठे रहो मैं कर देऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : शिष्ट भाषा का प्रयोग कीजिए।

एक माननीय सदस्य : गलत बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 90–91 में

+++शब्द माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इसी तिलम संघ में 3.42 लाख रूपये का लाभ हुआ और 91-92 में एक करोड़ 45 लाख रूपये का लाभ हुआ तो एक बात तो सदन मानकर चलेगा कि पिछले दो वर्षों का घाटा 7 करोड़ 79 लाख था उस घाटे के उपरान्त 90-91 में और 91-92 में इस संघ को प्रोफिट में लाया गया। (व्यवधान)... कीमतें बढ़ती तो घाटे की तरफ भी कीमतें बढ़ जाती। ऐसी कोई बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तिलम संघ के सम्बन्ध में इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट है उसका एक पत्र आया। मैं सदन के सामने उस पत्र के दो सेंटेन्स पढ़कर सुनाना चाहूंगा I am planning to document and analyse the selected cases where the cooperatives have been managed excellently well or where a sick cooperative has been made into a healthy one. The important managerial lessons from the chosen cooperatives will be shared with the national and International audience comprising the senior managers, leaders and also policy makers in cooperative sector. We have learned that the experience of your organisation has much to touch others in the cooperative sector. If you agree I and my colleagues would like to spend around a week visiting your organisation to learn from your experiences.

इससे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि तिलम संघ की किस प्रकार की स्थिति है, किस प्रकार की व्यवस्था है और किस प्रकार की इच्छा थी। उपाध्यक्ष महोदय, इस तिलम संघ में 4 अधिकारी लगे हुए हैं।

एक एम. एस. मेहता, एक लगे हुए थे मिस्टर मैथ्यू, एक लगे हुए थे श्री निवासन, वह आज भी हैं और एक हैं श्री गर्ग। मैं इस सदन के किसी भी सदस्य को चुनौती देकर कह सकता हूं कि चारों अधिकारी ईमानदार हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इन ईमानदार अधिकारियों के विरुद्ध यह अभियान क्यों चलाया जा रहा है। पहले जो मंत्री रहे हैं, वैद्य जी अभी हैं नहीं, देवपुरा जी हैं नहीं, प्रद्युम्नसिंह जी बैठे हैं, मैं समझता हूं चारों अधिकारियों को वह भी अच्छी तरह से जानते हैं और सभी की यह मान्यता होगी कि ईमानदारी के प्रश्न पर इनकी तरफ कोई अंगुली नहीं उठा सकता है। अब आज उन चारों को, एक को नाम से, तीन को बिना नाम से इंगित किया जाकर उन पर चार्ज लगाया जाता है तो मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि ईमानदार अधिकारी निश्चित रूप से डिमोरलाइज होंगे और इस प्रकार का डिमोरलाइजेशन यदि सदन के माध्यम से होता है तो मुझे खेद के साथ कहना पड़ेगा कि हम जनता की सेवा नहीं करना चाहते हैं।

हम जनता में किस प्रकार का वातावरण बने प्रशासन के बारे में और वह प्रशासन जनता की किस प्रकार से सेवा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कर सके, इस विषय में चिन्ता नहीं करना चाहते हैं। हम किसी न किसी को टारगेट बनाकर, उस टारगेट को हिट करना और ईमानदार अधिकारियों को निरुत्साहित करना, यदि इस प्रकार की स्थिति है तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ईमानदार है, वह न तो किसी से गुली होगा, न किसी से ब्लेकमेल होगा और न इस प्रकार के मनगढंत आरोपों से निरुत्साहित होगा।

मैं ऐसा समझता हूं कि यदि आरोप हैं और यदि आरोप हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इसी सदन में था। मैं सेक्रेटेरिएट गया था इस काम के लिए एक अमेरिकन टीम आयी हुई थी और कोटा में एक इण्डस्ट्री लगाने की उनसे बातचीत चल रही थी। मुझे यहां से सूचना दी गई कि इस प्रकार का आरोप लगा है। मैंने कैलाश जी मेघवाल को कहा कि कागज मेरी टेबिल पर पड़े हैं। कागज देख लो और जवाब देख लो। जब मेघवाल जी जवाब देने लगे, आपत्ति उठायी गई कि मेघवाल जी जवाब नहीं दे सकते। मैं ऐसा समझता हूं भय था कि जिस प्रकार की भाषा में उन्होंने आरोप लगाये, उससे तीखी भाषा में कैलाश जी मेघवाल उनका उत्तर दे सकते थे। मेरे पास इस प्रकार की भाषा नहीं है, लेकिन मैं तथ्य सदन के सामने रखना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, लगभग 105 करोड़ रुपये विश्व बैंक की ओर से, यूरोपियन आर्थिक समुदाय के सहयोग से यह तिलम् संघ की गतिविधियां चल रही हैं। परियोजना देने, ठेके देने की भी एक निश्चित प्रक्रिया है। यदि कोई टेण्डर आमंत्रित किया जाता है तो राजस्थान के अधिकारी टेण्डर आमंत्रित नहीं करते। तिलम् संघ में एक कंसलटेंट है और एन.एच.ई.सी., नेशनल हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, बहुत ख्याति प्राप्त और हिन्दुस्तान में, मैं कह सकता हूं एक इस प्रकार का मान्यता प्राप्त व्यक्ति है, जिस व्यक्ति पर आप और मैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई अंधा आदमी भी अंगुली नहीं उठा सकता।

आज यदि परचेज के मामले में किसी प्रकार की कोई अनियमितता हुई हो तो आप इन्डायरेक्टली उस अधिकारी के ऊपर भी चार्ज लगा रहे हैं कि उनकी कंसलटेंसी के अन्दर, या उनसे इवेल्यूशन कराकर सारे टेण्डर इनवाइट किये जायें, टेण्डर इनवाइट करने से पहले स्पेसिफिकेशन क्या होंगे, इसमें कंसलटेंट की राय ली जाती है। कंसलटेंट की राय आने के बाद टेण्डर इनवाइट किये जाते हैं। टेण्डर जब 50 लाख रुपये से ऊपर हैं तो वर्ल्ड बैंक में जाते हैं और यदि 50 लाख से नीचे हैं तो टेण्डर इनवाइट करने के बाद उनकी अप्रूवल के लिए एन.सी.डी.सी. के पास जाते हैं। एन.सी.डी.सी. के अधिकारी इस कोपरेटिव, हमारे तिलम् संघ के मैम्बर हैं और इसके बावजूद भी यदि 50 लाख के नीचे के टेण्डर हैं तो एन.सी.डी.सी. में जायेंगे और 50 लाख से ऊपर के हैं तो वह वर्ल्ड बैंक में जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, सारी परचेजेज को

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लेकर कितनी करोड़ रुपये की परचेज हुई, कितने करोड़ रुपये का कमीशन आया होगा और इस कमीशन में इस प्रकार से इतना बंटवारा हुआ, मतलब आपकी दृष्टि में वर्ल्ड बैंक पर भी अंगुली उठायी जा सकती है, आपकी दृष्टि में एन.सी.डी.सी. पर भी अंगुली उठायी जा सकती है, आपकी दृष्टि में जो बहुत ही क्वालिफाइड कंसलटेंट हैं, उसके ऊपर भी अंगुली उठायी जा सकती है, हमारे अधिकारी तो बहुत छोटे हैं। लेकिन आज वर्ल्ड बैंक के लोगों के ऊपर आप अंगुली उठायें, आप एन.सी.डी.सी. के अधिकारियों के ऊपर अंगुली उठायें, आप बहुत ही क्वालीफाइड इंजीनियर के ऊपर, जो एन.सी.डी.सी. की तरफ से नियुक्त हैं, उसके ऊपर अंगुली उठायें तो इसका सारांश यह निकलेगा कि राजस्थान को न तो एन.सी.डी.सी. से कोई पैसा मिले, न कोई वर्ल्ड बैंक से पैसा मिले, न यूरोपियन आर्थिक समुदाय से हमको किसी प्रकार का पैसा मिले और राजस्थान जिस प्रकार की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था में चल रहा है, उसी अवस्था में पड़ा रहे और यहां किसी प्रकार के विकास के काम न हों।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां मैंने जैसे निवेदन किया कि कंसलटेंट की सहायता से बिड डाक्यूमेंट भी बनाये जाते रहे हैं। बिड, जिनका राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार किया जाता है। अब न इस प्रकार की हमारी बिड है। अच्छे-अच्छे हिन्दुस्तान के अखबारों में वह प्रकाशित होता है और बिड्स के ऊपर ऑफर भी मांगे गये। इसी प्रकार से टेण्डर आने के बाद उनका टेक्निकल इवेल्यूशन होता है और इवेल्यूशन करने के बाद तिलम संघ के तीन अधिकारी की इस ढंग की बनी हुई एक समिति इस पर विचार करती है। तुलनात्मक विवरण तैयार करती है और विवरण तैयार करने के बाद एन.सी.डी.सी. को भेजती है। एन.सी.डी.सी. से अप्रूवल आता है तो यहां की एक्ज्यूकेटिव कमेटी, जो सबकी लोयेस्ट रेट है, उस लोयेस्ट रेट के आधार पर टेण्डर मंजूर किये जाते हैं।

अब मैं यह सदन पर छोड़ता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था में कहां और किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ और भ्रष्टाचार हुआ तो आप यह समझते हैं कि जो हमको रुपया दे रहे हैं, जिनकी रुपयों की सहायता के आधार पर हम इस प्रकार का काम कर रहे हैं, वह लोग अंधे हैं, वह सात करोड़ का कमीशन खाने देंगे, वह सारी परचेज में सब प्रकार की गड़बड़ होने देंगे, मैं समझता हूं कि यह कहना उचित नहीं है।

आप गाली हमको देते हो, समझ में आता लेकिन आप ऐसी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को गाली दे रहे हैं, जिन संस्थाओं से रोज हमारा काम पड़ता है, कभी हम बिजली के लिए पैसा लेना चाहते हैं, कभी अरावली के डवलपमैण्ट के लिए पैसा लाना चाहेंगे, कभी राजस्थान के ओल डवलपमैण्ट के लिए पैसा चाहेंगे, आपने उनके ऊपर भी इनडारेक्टली आरोप लगाया, मैं ऐसा समझता हूं कि यह उचित नहीं है और सदन को इस प्रकार के कदम

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की ज्यादा से ज्यादा निन्दा करनी चाहिए ताकि वर्तमान में कम से कम राजस्थान इस दृष्टि से बदनाम नहीं हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा निवेदन किया कि कहीं भी अगर ठेका दिया जाता है, निर्माण सामग्री ठेकेदार इकट्ठा करता है। वह इस कारपोरेशन की, तिलम् संघ की जिम्मेदारी नहीं है लेकिन ऐसी स्थिति में गंगानगर में एक प्रश्न उपस्थित हुआ। जिस कांट्रैक्टर ने गंगानगर का कांट्रैक्ट लिया था, वह बीच में छोड़कर चला गया, अब उस कांट्रैक्टर के ही पीछे पड़े रहते तो काम में निश्चित रूप से डिले होता इसलिए हमने कांट्रैक्टर की जगह काम करवाया और काम कराने के लिए टेण्डर इनवाइट किये। यह नहीं है कि टेण्डर इनवाइट नहीं किये। किस से काम करायें, किस से काम नहीं करायें जायें, सिविल वर्क्स हमने ब्रिज कारपोरेशन से कराये और बाकी के काम टेण्डर इनवाइट करके कराये। विभाग ने भी काम करा है, अब उस काम में सारा खर्चा अनुमानतः 20-25 लाख का होगा। 20-25 लाख ये 7 पर्सेण्ट पहले, 24 लाख या 24 करोड़ कितना बकाया था। उसमें 7 पर्सेण्ट 24 करोड़ का तो प्रश्न ही नहीं है। 20-25 लाख रुपये में 7 पर्सेण्ट, मेरी समझ में नहीं आता, यह 7 पर्सेण्ट की बात कहां से आयी है। सुरेन्द्र जी. इतना कह सकता हूं कि कोई कमीशन मिलता है या नहीं मिलता, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है लेकिन मैं आपकी प्रशंसा करूंगा कि कौन कौन कहां से कमीशन खाता है, इसकी डायरेक्टरी आपके पास है।

अब यह डाइरेक्टरी क्यों है मैं कह नहीं सकता। अब ऐसी स्थिति में आप स्वयं अन्दाजा लगा लें कि हम किस प्रकार से बात करेंगे। इसके लिये भी गंगानगर में जनरल मैनेजर, नेशनल हैवी इंजीनियरिंग को-आपरेटिव लिमिटेड के सहायक अभियन्ता तथा वित्त अधिकारी की एक समिति बनायी गयी जिसने नियमानुसार टेण्डर जारी कर लोहा अन्य निर्माण सामग्री खरीदी। आपका यह एतराज है कि भारत सरकार से लोहा क्यों नहीं खरीदा। मेरा खुद का अनुभव है और खास तौर से जोधपुर के माननीय सदस्य जब...

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने थोड़े ही कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब मैं बोल रहा हूं। आपने मर्जी आवे सो कह दिया। मैंने तो वह सुना ही नहीं था। स्टील अथोरिटी आफ इण्डिया....

श्री सुरेन्द्र व्यास : प्रोसीडिंग आपने पढ़ी होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसे नोटिस, आपके जैसे नोटिस देने वाले को फाड़ कर फेंकता हूं, पढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता।.. (व्यवधान) .. हां, वह बिल्कुल सही है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये कहना चाहता हूं कि जहां पर इस प्रकार नियमानुसार टेण्डर जारी करके सामान खरीदा गया उस स्थिति के अन्दर आप कह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

रहे हैं कि इसमें इतना कमीशन खा गये। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने स्टील अथोरिटी आफ इण्डिया से लोहा खरीदने की बात कही कि स्टील अथोरिटी आफ इण्डिया से लोहा खरीदा जाय। मुझे खुद को अनुभव है, जोधपुर में जोधपुर लिफ्ट स्कीम है उसके लिये कई दिनों से मैं परेशान था। सीमेण्ट के पाइप खरीदना चाहा तो एक कम्पनी दूसरी कम्पनी के खिलाफ दावा पेश कर देती, कोई स्टे ले आते आखिर गवर्नमेंट ने फैसला किया कि स्टील अथोरिटी से पाइप खरीदें। उन्होंने कहा कि तीन महीने पहले हम नहीं दे सकते, तीन महीने में भी आपको साइज देनी पड़ेगी, साइज हमसे एप्रूव करानी पड़ेगी और एप्रूव कराने के बाद स्टील अथोरिटी तीन महीने के अन्दर यह सप्लाई करेगी। मैंने कोशिश की कि हमारे यहां काम चल रहा है। किसी तरह से भी हमको जल्दी से जल्दी जो आपके पास बना हुआ माल है वह दे दिया जाय।

अब मैं नाम तो नहीं लेऊंगा लेकिन कई अधिकारी जो वहां बैठे थे पर्सनली उनसे बातचीत करके उनके ऊपर वालों से बातचीत करके कि किस प्रकार से हमें जल्दी से जल्दी लोहे के पाइप मिल जाय इस बात की कोशिश की है। अब आप कहें कि स्टील अथोरिटी से क्यों नहीं खरीदा। मार्केट में अगर खरीदे तो मार्केट के अन्दर तो कम्पीटिटिव रेट आयी है और कम्पीटिटिव रेट्स में जो लोवर टेण्डर है जिसकी सबसे ज्यादा लोवेस्ट रेट है उस लोवेस्ट रेट से माल खरीदा जायेगा। आज राजस्थान में एक विभाग में नहीं अन्य कई विभागों में टेण्डर इन्वाइट किये जाते हैं। टेण्डर इन्वाइट करने का एक प्रोसीजर है उस प्रोसीजर में लोवेस्ट रेट वाले को हम स्वीकार करते हैं। इसमें कौन सी आपत्ति हो गयी।

यहां यह नहीं कहा गया कि लोवेस्ट सामान नहीं खरीदा, यहां यह नहीं कहा गया कि सामान कोई बढ़िया क्वालिटी का नहीं था, यहां पर यह नहीं कहा गया कि सामान स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं था, यहां यह कहा गया कि उन्होंने स्टील अथोरिटी से क्यों नहीं खरीदा और इसमें सारी गोलमाल हो गयी। मेरी समझ में नहीं आती....

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक बात बता दो, बाइलॉज क्यों बनाया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं सब बता दूंगा आप चिन्ता मत करो। आप तकाजा क्यों कर रहे हो। मेरी मर्जी आये जैसे बोलूंगा। आपके डिक्टेशन से बोलने वाला नहीं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, साहब, आपकी जैसी इच्छा हो, आपकी मर्जी आये जो बोलो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिए कह रहा हूं कि उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कमीशन का मामला है, यह सदन अन्दाज लगा लें कि कमीशन इस मामले में खाया गया है या कमीशन की कहीं बात चल रही है कि किस प्रकार से इस धन्धे को उठाओ और इसमें जितने भी इन्वोल्व लोग हैं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उनको डराओ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह तो डाइवर्ट कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डाइवर्ट करने की बात नहीं है, कोई डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : भ्रष्टाचारियों को प्रोटेक्शन दे रहे हो आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं। आप ही ईमानदार हो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप भ्रष्टाचारियों को प्रोटेक्शन दे रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : कल्ला साहब बिराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यहां ईमानदार आप दो ही बैठे हैं और कोई नहीं है।

एक माननीय सदस्य : कांग्रेसियों बैठो।... (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : आज ऐसा है....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठ जाओ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हम भी दबने वाले नहीं है मुख्य मंत्री जी। आप कागज को फाड़ देंगे, यह कर देंगे, यह आपको शोभा नहीं देता।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं सब कुछ कहूंगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप सदन के नेता है। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी इस तरह से कह रहे हैं, नोटिस को फाड़ दूंगा यह कोई अच्छी बात है।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, इनको बैठाओ। बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं।....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : व्यासजी बिराजें।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (सादुलपुर) : यह कह रहे हैं कि मैं कागज फाड़ कर फैंक दूंगा। हम डरा रहे हैं इनको। यह तो आप डरा रहे हैं। हम कहां डरा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

श्री बुलाकीदास कल्ला : फैक्ट के बारे में तो बोल नहीं रहे हैं और डाइवर्ट करके बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पर्चेज कमेटी का बतायें।

श्री उपाध्यक्ष : बता देंगे जब आयेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं सबका बता रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या बता रहे हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पर्चेज कमेटी में कोई अकेला आदमी नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : चार अधिकारियों का नाम क्यों लेते हैं। ....(व्यवधान)....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, आप बाउण्ड कर सकते हैं या नहीं....

श्री सुरेन्द्र व्यास : मर्जी आये जो बात करते हो।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज आप बैठिये, विराजिये माननीय व्यासजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मर्जी आये जिस समय आरोप लगा दें, सुनने के लिए तैयार नहीं हो।

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि कोई एक आदमी क्रय नहीं करता। क्रय समितियां बनी हुयी है, हर लेवल पर बनी हुयी है। क्रय समितियों में ईमानदार से ईमानदार अधिकारी हैं। आज उनके ऊपर आप चार्ज लगायें मेरी समझ में नहीं आता कि उन पर चार्ज लगाने से कौनसा आप जनता का हित कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : नियुक्तियों के बारे में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कह यही रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा चार्ज लगाया आपने कि यहां पर नियुक्तियां की गयी और नियुक्तियों में ओसवाल जाति के लोगों को लिया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने नहीं कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके कागजों में सब में है।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने नहीं कहा था।

श्री उपाध्यक्ष : अब नहीं कहा होगा, सुनिये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता दूंगा वह।

श्री मदन दिलावर (अटरु) : नकल करके पास होकर तो यहां आये हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावरजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने ओसवाल कभी नहीं कहा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 43 व्यक्तियों की अधिकारी स्तर पर नियुक्तियां हुयी है मैंने जातिवाद सारा हिसाब निकाला....

श्री सुरेन्द्र व्यास : जातिवाद इसमें कुछ भी....

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिये व्यासजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें सर्वाधिक व्यक्ति ब्राह्मण जाति के हैं और वह आठ हैं। एक ही अधिकारी ओसवाल है, दो मुसलमान है, पांच कायस्थ है और तीन राजपूत हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : जाट एक भी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और चार पंजाबी है उसमें आप हो सकते हैं। मैं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इतना निवेदन कर रहा हूं कि मैंने जब यह लिस्ट ली, मैंने कहा राजपूतों के नाम बता दें, कहीं शेखावत नहीं मिल जाय और शेखावत मिल गया तो उल्टा संकट खड़ा हो जाय। मैं समझता हूं इसमें कोई शेखावत नहीं मिला। अब इस आधार पर मैं कहूं कि नियुक्तियां, इसमें भी कमीशन आ गये होंगे। 43 में से नियुक्ति, एक ओसवाल आया, ओसवाल सलेक्शन से आया बिना सलेक्शन के कोई ओसवाल आया नहीं। कम्प्यूटर में सारी मेरिट्स को जब फीड किया गया... (व्यवधान).... मैं बता रहा हूं ना, यूं क्यों कर रहे हो। यह क्या आदत है। मेरी आदत नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : I am sorry. I never mind.

मेरी प्रार्थना तो यह थी....।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय व्यासजी विराजें आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने अपना कह दिया। मैं आप पर चार्ज नहीं लगा रहा हूं। मैं अपने तथ्य रख रहा हूं। मैं आप पर चार्ज नहीं लगाऊं तो आप खड़े होकर कह दें। मैं चार्ज नहीं लगा रहा हूं, मुझे कहना है, इसलिये मैं कह रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, एक आदमी का चिण्डालिया नाम था... (व्यवधान)... हां, मैं कह रहा हूं। मैं आपकी बात सब कह दूंगा छिपाऊंगा नहीं। कम्प्यूटर में फीड किया गया शायद 13 या 12 आदमियों की मेरिट्स फीड की गयी थी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : 15 की थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 15 की होगी उसमें एक आदमी का नाम था। नाम आया एक का तो इसी एम.एल. मेहता ने देखा कि यह चिण्डालिया ओसवाल ही है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह मैंने नहीं कहा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कह रहा मेरी बात, आप सुनिये। चार्ज मुझे मालूम है। आप सुन लीजिये आपके चार्ज का जवाब मिल जायेगा। चण्डालिया भी ओसवाल। अब 13 में से या 15 में से एक नाम आया। नाम आया तो एम.एल. मेहता ने देखा कि कम्प्यूटर में कोई गड़बड़ है। यह सही मैरिट लिस्ट एक ही आदमी पर आकर टिक गयी। तो उन्होंने कहा कि इसको दुबारा जांच करायें, जांच करने के बाद में सलेक्शन कमेटी बैठी और सलेक्शन कमेठी में जिनका वह नाम दे रहे हैं उस व्यक्ति का सलेक्शन हुआ। मध्य प्रदेश में वह सर्विस करता था वहां उसको ज्यादा वेतन मिलता था, थोड़ा सा कम वेतन देकर एक्सपीरियंस का लाभ लेने के लिये उस आदमी को यहां रख लिया उस पर आपत्ति हो रही है। अब मैं समझता हूं एक ओसवाल के लिये यदि इतना सारा इनकम्बेट करना हो कि कम्प्यूटर में फीड किया जाय, एडवरटाइजमेंट निकाला जाय और कहीं न कहीं ओसवाल मछली की तरह से पकड़ा जाय और पकड़ने वाले एम.एल. मेहता उसको उठा कर सीधा कृषि पर बैठा दें। इतना ओसवालों से आपको नफरत नहीं होनी चाहिये। इतना मैं आपको कह देना चाहता हूं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : निकाल दो आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी आपके पड़ौस में नहीं बैठने लगे हैं आप अपने आप ही छोड़ भागेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, अब तीसरा क्वेश्चन इनका आता है कि बाइलाज किसने कैसे बनाया। बाइलाज के लिये आप कह रहे हैं। इसलिये किया गया कि तिलम संघ के अध्यक्ष एम.एल. मेहता बन गया। मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि 3-7-1990 को बाइलाज बने, बाइलाज बनने के लिये इसमें कम से कम 8 अलग-अलग सोसाइटीज हैं कोटा की, मेड़ता की, जालौर की, बीकानेर की, गंगानगर की, गंगापुरसिटी की, झुंझुनूं की और उसमें आठवां एक फतेहपुर और शामिल है। इन आठ के रिप्रेजेंटेटिव मिल कर सारी कमेटी अपांट करते हैं, कमेटी बाइलाज बनाती है। बाइलाज रजिस्ट्रार के पास जाते हैं। रजिस्ट्रार उस संघ को रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ उसके बाइलाज भी रजिस्टर करता है। बाइलाज का रजिस्ट्रेशन हुआ 3-7-1990 की और मेहता अध्यक्ष बने हैं 23-10-1990 को चार महीने बाद। अब उसमें आपत्ति किस बात की है? आपको मैं पूछ नहीं रहा हूं आप तो सुनते जाओ। इसमें आपत्ति किस बात की है एम.एल. मेहता अध्यक्ष बन गये तो किस को चिढ़ क्यों हो गयी। यह समझ में नहीं आता है। उपाध्यक्ष महोदय, सीनियर और ऑनेस्ट और कॉम्पीटेण्ट आफिसर उसको यदि चेयरमैन बना दिया तो इसमें जलन किस बात की है। और उस बात को लेकर कहते हैं उन्होंने सारे बाइलाज इसलिए बनाये और रजिस्ट्रेशन से पहले हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया इस प्रकार की इमेजनरी बातों से, मैं सुरेन्द्रजी, आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा आपका अधिकार है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपसे पूछूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : काहे के लिए। पूछने की जरूरत हो और उपाध्यक्ष महोदय, अलाऊ करें तो पूछ लेना। मैं आपसे केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम थोड़ा एक ध्यान रखकर चलें आपने मेरे ऊपर चार्ज लगाया और चार्ज लगाकर कहा कि कमीशन अकेला मेहता नहीं खा सकता....

श्री सुरेन्द्र व्यास : स्वाभाविक है, अकेला नहीं खा सकता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : स्वाभाविक है, अकेला नहीं खा सकता, मैंने भी खाया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उन्होंने खाया होगा तो आपने भी खाया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यही तो कह रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं प्रद्युम्न सिंहजी आप पर छोड़ता हूं। आप कहेंगे यह ओसवाल है इसलिए न्याय नहीं कर सकते मैं पूनमचन्द जी पर छोड़ता हूं....

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं फैक्ट्स पर चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं आपको फैक्ट्स की जरूरत नहीं आपके पास कोई

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

फैक्ट्स है ही नहीं। कोई फैक्ट्स नहीं है। आप बेबुनियाद मनगढ़ंत और इस प्रकार के आरोप लगाते हैं उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या तमाशा है ?....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज व्यासजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस प्रकार के आरोप लगाते हैं जिन आरोपों में कहीं सत्य नाम की चीज नहीं। और मैं, आज आपको फिर कहता हूं यही तिलम संघ चलेगा और जिन अधिकारियों की आपने बेईमान होने की बात कही है यह बेईमान अधिकारी नहीं हैं। यह राजस्थान के ऐसे श्रेष्ठ अधिकारी हैं तीनों चारों। जिसमें आपको तो श्रेष्ठता से कोई मतलब नहीं, आपको तो ईमानदार अधिकारी से चिढ़ है मैं ऐसा समझता हूं....

श्री सुरेन्द्र व्यास : दो का कहां कहा है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कहा है समितियों के नाम से कहा है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : दो का तो ताल्लुक ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मेरी सुनिए।....

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज। कृपया बिराजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब यह दो तो ईमानदार हैं ना ? दो तो ईमानदार हैं जो आप कह रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इनका कोई ताल्लुक नहीं है यह कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैथ्यू और श्रीनिवासन ईमानदार हैं क्या ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं उपाध्यक्ष महोदय, इनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह समितियों के सदस्य हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कार्यकारिणी के सदस्य नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय व्यास जी, बिराजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना निवेदन कर दूं कि इस प्रकार के आरोप लगाकर।

श्री उपाध्यक्ष : आपको कोई गलतबयानी का... नो प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं आप चाहे कितना ही इस प्रकार के आरोप लगा लें आपको इस बात का अधिकार है। नियम संगत अधिकार है आपको अगर आप में हिम्मत होती तो मुझे कम से कम यह चार्ज लगाने से पहले आप मुझे इस बात की सूचना देते कि इस कमीशन में ...मुझे उपाध्यक्ष महोदय कोई सूचना नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : दी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे कोई सूचना नहीं दी है। आपने अध्यक्षजी को

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कहा होगा अध्यक्षजी ने मुझे कोई सूचना नहीं दी है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्षजी को मैंने दो कापी दी हैं एक आपके लिए दी है (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने अध्यक्ष जी को लिखा होगा अध्यक्ष जी ने मुझे कोई सूचना नहीं दी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मुख्यमंत्री जी आप गलत बयानी मत कीजिए, कापी दी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपने कोई सूचना नहीं दी है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं मैंने दी है। उपाध्यक्ष जी आप सेक्रेटरी से पूछ लीजिये आप सेक्रेटरी से पूछ लें (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Now it is a reflection on the Assembly Secretariat.

यह विधान सभा सचिवालय पर रिफलेक्शन है। जो आप कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे अध्यक्ष जी ने कोई सूचना नहीं दी। आपने सूचना नहीं दी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मुख्यमंत्री जी आप विधान सभा सचिवालय पर रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, तमाशा क्या है? मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय.....(व्यवधान).....जिससे यह स्थिति पैदा हुई है...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप विधान सभा सचिवालय से मालूम कराइये। नहीं उपाध्यक्ष महोदय, आप विधान सभा सचिवालय से पता कराइये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सचिवालय पर आरोप है। (व्यवधान) यह आपको कह रहे हैं कि दो कापियां दी है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप चेयर को गाइड नहीं कर सकते।

एक माननीय सदस्य : सुरेन्द्र जी कह रहे हैं आपको दो कापी दी है, नियमानुसार दी है .. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : भ्रष्टाचार में लिप्त हो आप लोग (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : पाइंट आफ ऑर्डर (व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, चालीस साल तक इन लोगों ने राजस्थान में भ्रष्टाचार फैलाया। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चालीस साल तक इन लोगों ने भ्रष्टाचार फैलाया। अब कोई बात सुनने को तैयार नहीं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज 2 कृपया सहयोग कीजिए। कृपया सहयोग कीजिए, प्लीज।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पाइंट आफ आर्डर सर।

श्री डूंगरराम पंवार : वह वकील हैं इनकी आदत ही कमीशन खाने की है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, कमीशन खाने की आदत है इसलिए चिल्ला रहे हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज क्या पाइंट आफ आर्डर है ?

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, उनको बैठाइये (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। प्लीज सिट डाउन बैठिये (व्यवधान) माननीय कोगटा जी बैठिये आप (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, सचिवालय के सम्बन्ध में जो भी बात कही उसको एक्सपंज किया जाय। यहां सचिवालय को डिस्कस नहीं कर सकते। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, सचिवालय के सम्बन्ध में जो कहा उसको (व्यवधान) उसको आप एक्सपंज करे। (व्यवधान) यह जो प्रदर्शन कर रहे हैं यह कोई शिष्टता का प्रदर्शन नहीं है मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय इनको बैठाइये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठिये। माननीय गुलाबसिंहजी बैठिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है... मैंने उठाया है।

एक माननीय सदस्य : कल्लाजी ने उठाया है।

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : आपने भी उठाया होगा, पहले कल्लाजी ने उठाया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उजला अरोड़ा

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रही हूं। यहां पर सचिवालय के सम्बन्ध में बात कही गयी। सचिवालय को यहां डिस्कस नहीं कर सकते हैं। आप उसको एक्सपंज कीजिये। आप आज्ञा दीजिये वह शब्द एक्सपंज किया जाय। सचिवालय के संबंध में जो कहे गये (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय कैलाश मेघवालजी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, आपने पहले मेरे को समय दे दिया। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उस पर व्यवस्था दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : हां आप कहिऐ क्या

(श्री उपाध्यक्ष)

आपका व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : पहले आप मेरी बात पर व्यवस्था दीजिए। सचिवालय के सम्बन्ध में कही गयी बात को एक्सपंज कराने की बात कही। है

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : पहले कल्लाजी का है वह बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सचिवालय के सम्बन्ध में बात कही है तो एक्सपंज कर दीजिये (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप पहले मेरे पाइंट आफ ऑर्डर पर व्यवस्था दीजिए (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सुन लिया गया है बैठिए आप। हां कहिए क्या व्यवस्था है ?

श्री राजेन्द्र पारीक : व्यवस्था दीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठते क्यों नहीं है। आप गाइड करेंगे क्या मुझे ? बैठिए आप (व्यवधान)

श्री जुबेर खां : आपका यह + + + है उपाध्यक्ष महोदय (व्यवधान) आप सदस्य से इस तरह का व्यवहार करते हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए (व्यवधान)

श्री जुबेर खां : उपाध्यक्ष महोदय, सरासर गलत बात है यह।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब—

श्री डूंगरराम पंवार : भाई ना करो बैठ जाओ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज ! माननीय कल्ला साहब। माननीय डूंगररामजी, हां, कल्ला साहब।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अभी माननीय मुख्यमंत्रीजी यह रिप्लाई दे रहे थे उस वक्त उन्होंने यह कहा कि मुझे नोटिस नहीं दिया गया। माननीय सदस्य से नोटिस दिया है। अब आपको हाउस को यह बताना चाहिए कि वास्तव में इन्होंने नोटिस दिया था या नहीं था। एक तो मेरा पाइंट यह है। दूसरा मेरा पाइंट यह है कि माननीय मुख्यमंत्रीजी भाषण देते हुए बैठे और अपने सदस्यों को उसका रहे थे (व्यवधान) कि आप सारे खड़े हो जाओ यह उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नो।

एक माननीय सदस्य : गलत चार्ज है बिल्कुल।

श्री कुन्दनलाल मिगलानी : यह गलत बात है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : गलत चार्ज

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हरिकुमार औचित्य)

है बिल्कुल। बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : सबके सामने किया है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : बिल्कुल नहीं किया है।

श्री उपाध्यक्ष : नो माननीय कल्ला साहब नो (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : +++ बोलने ही बैठे हैं कांग्रेस... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब आप ऐसा मत बोलिए। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : नेता को अपने माननीय सदस्यों को समझा कर रखना चाहिए अब आप इसके बारे में जवाब दीजिए (व्यवधान) व्यवस्था दीजिए।

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय कल्लाजी आप सोच समझकर चार्ज लगाया करो।

श्री डूंगरराम पंवार : ... यह कल्ला कहां से सीख कर आये हो कल्लाजी (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय किशनारामजी.... माननीय गुलाबसिंहजी.... (व्यवधान) माननीय सैनी साहब बिराजें।

श्री मदनलाल सैनी : यह सुरेन्द्रजी.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आॅर्डर पर कोई पाइंट आफ आॅर्डर नहीं होता है आप इस पर व्यवस्था दीजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरे पाइंट आफ आॅर्डर का तो निस्तारण कीजिए आप।

श्री कैलाश मेघवाल : पाइंट आफ आॅर्डर (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक साथ दो पाइंट आफ आॅर्डर नहीं आ सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार का नोटिस मिला हो उसकी अभी जानकारी ले रहे हैं अभी जानकारी नहीं है। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह क्या ? सेक्रेटरी यहां बिराजे हुए हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप सचिवालय का नाम इंगित नहीं कर सकते हैं। इतने वरिष्ठ होकर के मंत्री रहकर के आप यह बात कर रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : मेरा एक पाइंट आफ आर्डर है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपको जानना है तो अन्दर जाकर जानिए सीधा।

श्री कैलाश मेघवाल : मेरा पाइंट आफ आॅर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कैलाशजी मेघवाल। (व्यवधान) क्या करेंगे आप।

(श्री उपाध्यक्ष)

जानकारी ले रहे हैं। जानकारी अभी नहीं है। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आॅर्डर है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

कई माननीय सदस्य : बैठ जाइये नीचे....

श्री उपाध्यक्ष : सुरेन्द्र जी बैठ जाइये, पहले कैलाश जी बोलेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह हाउस चलने का तरीका है ...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। ...प्रश्न यह है कि मांग संख्या 36 सहकारिता के संबंध में ...

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत बात है यह बहुत गलत बात है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ... 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के निमित्त....

श्री कैलाश मेघवाल : आन ए पाइंट आफ आर्डर ...मेरा पाइंट आफ आॅर्डर है

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा करता हूं। बोलिए मेघवाल साहब आप क्या कह रहे हैं? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री कालीचरण सराफ : माननीय कैलाश जी का पहले पाइंट आफ आॅर्डर है पहले कैलाश जी बोलेंगे, उनको बोलने दीजिये....

श्री हेतराम बेनीवाल : बिना स्पीकर की परमिशन के न बोलें....

श्री उपाध्यक्ष : आप फरमाइये, माननीय प्रद्युम्न सिंह जी....

श्री कालीचरण सराफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कैलाश जी का पाइंट आफ आॅर्डर है आपने नाम पुकार लिया पहले कैलाश जी बोलेंगे, उसके बाद प्रद्युम्न सिंह जी बोलेंगे। यह कोई बात हुई।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रद्युम्नसिंह जी बोल रहे हैं, प्लीज कोआपरेट कीजिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न आया, मुझे कहीं एतराज नहीं है आप व्यवस्था का प्रश्न न उठाइये लेकिन हाउस में इस किस्म के टेम्पर्स हाई हों, एक बात मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कही और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अन्दर इन्होंने एक बात कही। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसका उत्तर दिया। इस सदन के लिए निर्णय लेने की बात है कि जो आरोप लगाये गये और माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो तर्कसंगत उसका उत्तर दिया अब इसके ऊपर टेम्पर हाई करने से कोई परपज तो सर्व होगा नहीं इससे तो माननीय उपाध्यक्ष

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

महोदय, मेरा निवेदन यह है कि नोटिस वाली एक बात है वह एक रिकार्ड की बात है। इसमें नाहक बहस की जावे और सदन का समय जाया हो अगर है तो आप बता दें अगर नहीं हैं तो ठीक हैं। नं. एक। अब इस मामले के अन्दर इतना समय सदन का जाया करके इस मामले को तूल देना, मेरा तो आसन से अनुरोध है और मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रोसीडिंग्स चले लोगों ने आज पूरे दिन महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं।

माननीय मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी कुछ और कहना चाहें उनको कहने दिया जाये। माननीय मंत्री महोदय को जवाब देना है मंत्री महोदय जवाब दें उनको बैठकर सुनें। गवर्नमेंट का रिप्लाई आ गया, इधर से बात कह दी, मैं इसीलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं अब खाली एक फैक्ट है इस पर आप व्यवस्था दे दीजिये, मामला वहीं समाप्त होता है नोटिस दिया या नहीं दिया, यह रिकार्ड की बात है इसमें कोई गलती तो हो नहीं सकती।

श्री उपाध्यक्ष : यह बात सही है कि माननीय सुरेन्द्र जी व्यास ने नोटिस दिया था लेकिन इस नोटिस की कापी सहकारिता मंत्री जी और माननीय मीठालाल जी को भेजी गई है। माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बारे में कोई सूचित नहीं किया गया है....(व्यवधान) इट इज एन आफिशियल रिकार्ड....

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय मैंने लिखा है माननीय मुख्य मंत्री जी को प्रति नहीं दी....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इस सचिवालय से सहकारिता मंत्री जी और मीठालाल जी मेहता को कापियां भेजी गई हैं.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह किस व्यवस्था से यह बोलने के लिए खड़े हुए हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पूनम चन्द जी विश्नोई साहब बोल रहे हैं, प्लीज।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 272 है उसमें कापी वो दी ही जानी चाहिये एक अध्यक्ष को और दूसरी सम्बन्धित मंत्री को। दो दी जानी चाहिये और वह पूरी तरह से दी हैं सैक्रेटेरियेट किसको भेजे, मीठालाल जी मेहता को जाना जरूरी नहीं थी। दूसरी बात, इनका कहना यह है कि मुख्य मंत्री जी के लिए भी उसके नीचे लिखा हुआ है। एक बात मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा आप तो बहुत अनुभवी हैं 40 साल का आपका अनुभव है जो पद और प्रतिष्ठा आपने पाई है वह इस माध्यम से पाई है। आरोप प्रत्यारोप इस सदन में लगते रहे हैं तो कृपा करके ठीक है बहुत सी बातें बहुत कटु होती है, कटु ढंग से कहीं भी जाती हैं थोड़ा धीरज रखकर आप जवाब दीजिये, यह मेरा आपसे नम्र निवेदन है। ताकि इतनी कटुता नहीं आये और माननीय सदस्य हैं आसन के माध्यम से आप कुछ कहना चाहते हैं तो आसन के माध्यम से कहिये लेकिन डरा धमका कर इस तरह की बात

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

करें यह अपने को शोभा नहीं देती । धन्यवाद ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विश्नोई जी ने बात कही मेरे में कोई कटुता नहीं है । इतना तो आप समझेंगे, मेरी अनुपस्थिति में ....

श्री पूनमचंद विश्नोई : आपको इधर का अनुभव ज्यादा है उधर का कम है धीरे-धीरे आप आदि हो जायेंगे । आप सुखाड़िया जी को याद करो, दामोदर जी को याद करो तो कितनी बातें कहीं जाती थी लेकिन हंसते-हंसते ही जवाब देते थे । आप भी कृपया हंसते-हंसते जवाब दें....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हंसते-हंसते ही मैंने जवाब दिया है । अच्छा होता यह जानकारी मुझे पहले ही मिल जाती तो मैं पूरी तरह से तैयार रहता और यहीं उपस्थित रहता । मेरी आपत्ति केवल इतनी ही है कि अगर मुझे सूचना होती.... (व्यवधान) मेरी बात सुनलें...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय व्यास जी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यहीं रहता और सुरेन्द्र जी का पूरा भाषण सुनता और उसी समय मैं उसका कान्ट्राडिक्शन कर देता । खैर सूचना दी या नहीं दी यह कोई विवाद का विषय नहीं है । विवाद का विषय इसलिए है कि अगर मेरी मौजूदगी में इस तरह की बातें कही जाती मैं तत्काल उसका खण्डन कर सकता था । उससे मैं महरूम रहा हूं और मैं समझता हूं इस बात को तो विश्नोई साहब भी स्वीकार करेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे और कुछ कहना नहीं है मैंने सबकुछ कह दिया, मैं इतना ही कह सकता हूं कि यह आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है, आरोप बिल्कुल मनगढंत है, इन आरोपों में कतई तनिक मात्र भी सत्यता नहीं है और मैं यह नहीं कह सकता कि किस मैलाफाइड इन्टेंशन से यह चार्जेज लगाये हैं यह सदन के अनुमान के लिए मैं छोड़ता हूं और मैं इसी बात के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सहकारीता मंत्री जी ।

मांग संख्या 36 (सहकारिता) का पारण

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के अन्दर इस सदन के अन्दर 106 प्रश्नों के माध्यम से और 16 ध्यान आकर्षण प्रस्तावों के माध्यम से....

एक माननीय सदस्य : प्रश्न नहीं, कटौती प्रस्ताव ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : 150 कटौती प्रस्तावों के माध्यम से 24 माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये । पक्ष वालों ने भी, विपक्ष वालों ने भी राजस्थान की बहबूदी के लिए सहकारिता का प्रचार प्रसार हो इसके लिए सुझाव दिये । यह बात भी निश्चित है कि सहकारिता एक आन्दोलन है, निरन्तर प्रक्रिया है और इसके अन्दर पीछे बुराइयां आयेगी इसको

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

आगे सरकाने का अपना दायित्व होना चाहिये ।....

एक माननीय सदस्य : पढ़ा हुआ मान लिया जायें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलने दीजिये आप ।

(10. 00 रात्रि)

श्री चतुर्भुज वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, एक सहकारिता को जितना आसान आन्दोलन यह समझ रहे हैं मेरा ख्याल है माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आज की तारीख में आज के समय में आज के परिप्रेक्ष्य में सहकारिता के माध्यम से जनता की सेवा करने के अलावा कोई दूसरा चारा ही नहीं है । आप देख लीजिये, जो वाद-विवाद का विषय होता है, ऊंची बुद्धि का वाद आता है साम्यवाद, जो समाप्त हो गया उसकी यहां पर चर्चा होती है । इसके बीच में केवल एक सहकारिता बचती है ।

मैं समझता हूं सहकारिता को अगर सीखना है अपनी बुद्धि से, अपने विवेक के द्वारा, तो मैं मानदीय सदस्यों से आशा करता हूं कि उनको अच्छे उपयोगी सुझाव मुझे देने चाहिए । मैं उनको मानने के लिए तैयार हूं । ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से, जो 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है, माननीय रघुवीर सिंह जी ने कहा, वास्तव में सहकारिता की रीढ़ की हड्डी ग्राम सेवा सहकारी समिति है । ग्राम सेवा सहकारी समिति सहकारिता की रीढ़ की हड्डी है, इसमें कोई शंका नहीं । बैंगलोर में वास्ट लेवल पर सभी कोआपरेटिव मिनिस्टर्स का माननीय कृषि मंत्री ने एक सेमीनार बुलाया था । उसके अन्दर भी मैंने यह कहा था कि ग्राम सेवा सहकारी समिति को सुदृढ़ नहीं करोगे तब तक सहकारिता का विकास नहीं होगा । क्यों ? जिस प्रकार नाबार्ड हमें लोन देता है 60 प्रतिशत, दस-साढ़े दस प्रतिशत पर और हमें 40 प्रतिशत साढ़े तेरह प्रतिशत पर जनता को देना पड़ता है ।

हम एक घाटे की व्यवस्था की ओर जा रहे हैं । इसलिए हमने इसके अन्दर परिवर्तन करके, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, इसको हमने बहुद्देश्यीय ग्राम सेवा सहकारी समिति की है ताकि इसको प्राफिट में लाकर साधन बढ़ाकर रोजगार भी दे सकें । समिति के जो व्यवस्थापक हैं; यह मैं भी मानता हूं कि आज उनको भरपेट रोटी नहीं मिलती है और उनकी मांगें वाजिब हैं । लेकिन जब देने का साधन नहीं हो आज की तारीख में, जो हमें थोड़ी-बहुत कमाई करके भी नहीं दे सकते हों तो हम कहां से देंगे ? 26 में से हमारी 22 बैंक बैठ रही हैं, सारी क्रय-विक्रय सहकारी समितियां बैठ रही हैं । यह मैंने एक दिन में तो नहीं बैठा दीं सारी की सारी ।

श्री यदुनाथ सिंह : थोड़ा धीरे बोलो ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि हमारी 26 में से 22 कोआपरेटिव बैंक जब

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

बैठ चुकीं, क्रय-विक्रय सहकारी समितियां घाटे में गयीं, भूमि विकास बैंक घाटे में गयी तो हम किसान की सेवा कैसे कर सकेंगे, मुझे बता दो सब ? कोई उपाय नहीं है, पैसा देने वाला कोई नहीं है। हमारे पास हिस्सा पूंजी हो तो हमें पैसा मिल सकता है। वर्ना कोई भी देने वाला नहीं।

माननीय नत्थी सिंह जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय नत्थी सिंह जी से कि भरतपुर के अन्दर हम पांच करोड़ के घाटे के नीचे जा चुके हैं। उनकी हिस्सा राशि डूब रही है, भूमि विकास बैंक की डूब रही है। हमने पुनर्विकास की एक योजना बनायी है। किसानों को क्यों नुकसान होना चाहिए। आपने कोआपरेटिव बैंक को लिक्विडेशन में ला दिया, भूमि विकास बैंक को लिक्विडेशन में ला दिया। जनता का नुकसान होगा, किसानों का नुकसान होगा। पैसा देने का हमारे पास साधन नहीं होगा तो कहां से कर्जा लेंगे ? किसान किस तरह से आगे बढ़ेगा। इन थोथी बातों से दूर हटकर मैने एक निश्चय किया था कि मैं कोआपरेटिव का राजनीतिकरण नहीं होने दूंगा। इसमें मैंने कौनसा बुरा काम किया था ?

माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने प्रधानों, एम.एल.एज. और एम.पीज. को इसलिए रोका है ताकि ये दो-दो पदों पर नहीं रहें। माननीय सदस्यों ने कहा कि मैं बड़ा विवेकशील हूं और हाई कोर्ट में एडवोकेसी करता हूं। उन्होंने भी एक बात कही कि सेंसर मोशन लाया जाएगा, माननीय रमजान खां जी को नहीं हटाया। मैंने कौनसा काम किया था ? माननीय रमजान खां जी, पूर्व...

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस बारे में मोशन लगा हुआ है इस सदन में, इसलिए अभी उस पर चर्चा कतई नहीं हुई है। अगर आप इस चर्चा को खोलेंगे यहां पर तो आप कृपया उत्तर सुनने के लिए भी, माननीय मंत्री महोदय, तैयार रहें। अगर आप कहेंगे तो मैं अभी शुरू कर दूंगा डिबेट इसके ऊपर। अध्यक्ष महोदय का निर्णय आना है इसके ऊपर। सेंसर मोशन आया हुआ है इस पर।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इस इश्यू को छेड़ो ही मत आप। उपाध्यक्ष महोदय, सेंसर मोशन आया हुआ है इसके ऊपर। इस इश्यू पर कोई नहीं बोला।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सहकारिता मंत्री जी, प्लीज ओवर इट।

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रकरण को छोड़ता हूं प्रद्युम्न सिंह जी के आदेश से।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मदनलाल जी दिलावर ने, माननीय रघुवीर सिंह जी कौशल ने, माननीय नत्थी सिंह जी ने जोधपुर भण्डार का....

श्री बुलाकीदास कल्ला : नाम से कैसे पुकारते हैं, कांस्टीट्यूएंसी से पुकारें।

श्री यदुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पास करवाओ डिमाण्ड ।

श्री उपाध्यक्ष : ये बोलना चाहते हैं। माननीय, सदन की ऐसी भावना है पूरा कर दीजिए, जल्दी कीजिए ।

श्री यदुनाथ सिंह : हो गया, हो गया। हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आपकी भावनाओं का आदर कर रहा है सारा सदन ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने चोरों कोहटाने का इन्तजाम किया। गबन घोटाले का इन्तजाम किया कि गबन-घोटाला नहीं होगा ।

श्री यदुनाथ सिंह : सब बढ़िया चल रहा है। हां पक्ष जीता ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : मैंने बिल लाकर उसका संशोधन किया ।

श्री हेतराम बेनीवाल : गबन-घोटाले का इन्तजाम किया ? यह करेक्शन करवा लो आप ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : ये बार-बार क्यों व्यवधान पैदा कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दवे साहब, सबको सारा अधिकार है बोलने का। उनको अधिकार है कहने का। वे कह सकते हैं ओवर करने के लिए। दे हैव एवरी राइट ।

एक माननीय सदस्य : सारा सदन सन्तुष्ट है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सहकारिता मंत्री जी, ओवर कर दीजिए न ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : मैं कह रहा हूं, पांच मिनट लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की इच्छा है ओवर कर दीजिए ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : बोलने का अधिकार तो है मेरा ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापक जो थे वे रिकार्ड ही नहीं देते थे। मैं गबन-घोटालों की कैसे जांच करता ? मैं आर्डिनेंस इसीलिए लाया कि रिकार्ड इनको देना पड़ेगा। वर्ना सजा का प्रावधान किया। रिकार्ड प्राप्त करने से क्या हुआ कि आज की तारीख में पांच महीने में पौने दो करोड़ की वसूली हुई है ।

श्री यदुनाथ सिंह : फायदा ही फायदा चल रहा है, साहब, डिमाण्ड पास कराओ ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : सारे घोटालों पर चैक लगा। जैसे माननीय लक्ष्मीचन्द जी ने जोधपुर के बारे में कहा, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि जोधपुर के उपभोक्ता भण्डार में सन् 1981 से 1987 तक, जिन्होंने रिकार्ड नहीं दिया उसकी पूरी जांच कराकर एफ.आई.आर. दर्ज करा दी और उनके खिलाफ धारा 74 की कार्यवाही प्रारम्भ... (व्यवधान)

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता के अन्दर में आपका विश्वास लेकर चलता हूं और कहता हूं कि आप लोगों को ईमानदारी से मुझे सहयोग करने की उम्मीद करनी चाहिए।

श्री यदुनाथसिंह : सहयोग है पूरा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। ओवर कर रहे हैं।

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तिलम संघ के बारे में ज्यादा प्रकरण में नहीं जाऊंगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसके बारे में बहुत कुछ कह दिया, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं....

श्री हरिसिंह (महुआ) : पत्र के बारे में बताओ।

श्री यदुनाथ सिंह : आप चिट्ठी के बारे में बताओ।

श्री उपाध्यक्ष : हीरालाल जी, प्लीज। हां, मंत्रीजी, बोलिये।

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तिलम संघ में हमने सहकारी समिति के माध्यम से सरसों की वसूली का काम प्रारम्भ कर दिया, खरीदना प्रारम्भ कर दिया कल की तारीख से। आज की तारीख से।

श्री यदुनाथ सिंह : मैं कह रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, सब चीज सही चल रही है।

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय हरिसिंह जी ने एक बहुत बड़ा आरोप मेरे ऊपर लगाया था कि एक ज्वाइण्ट रजिस्ट्रार को टेलीफोन किया। माननीय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, फैसला उन्हीं से कराना चाहता हूं कि जो आदमी सात दिन पहले रिटायरमैण्ट के ऊपर जा रहा हो, 10-11 महीने बाद और सात दिन पहले लिखकर देता है कि मेरे साथ। उस आदमी के खिलाफ हाई कोर्ट ने भी 500 रुपए का जुर्माना मिसकण्डक्ट के बारे में कर रखा है।

श्री हरिसिंह : आप फैक्ट्स को ट्विस्ट कर रहे हैं। कास्ट का दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हरिसिंह जी, स्पष्टीकरण देते समय नहीं बोलेंगे आप।

श्री हरिसिंह : मैं अगर फैक्ट्स को पेश कर रहा हूं ...

श्री उपाध्यक्ष : वे स्पष्टीकरण दे रहे हैं। आप बोल चुके, वे उत्तर दे रहे हैं। (व्यवधान) प्लीज सहयोग कीजिये। इसका कोई एण्ड नहीं है (व्यवधान) जो इन्होंने कहा है, उसका उत्तर दे रहे हैं।

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन तथ्यों में कोई सारांश नहीं है। सारा + + + प्रकरण है और बदनाम करने के लिये किया गया है।

+ + + शब्द माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(308)

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह+++ शब्द असंसदीय है।

श्री उपाध्यक्ष : +++प्रकरण कहा है। +++ नहीं कहा है, प्रकरण कहा है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : +++असंसदीय है। आप पुरानी प्रोसिडिंग्स निकाल लें। +++शब्द असंसदीय है, अध्यक्ष महोदय ने कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : +++प्रकरण कहा है, +++अकेले काम में नहीं लिया है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसको निकाला जाय कार्यवाही से।

श्री उपाध्यक्ष : +++को एक्सपंज कर दीजिये। कल्ला साहब ज्यादा जोर दे रहे हैं। बड़ा ध्यान रखते हैं आप। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि नियम 119 के तहत सैंसर मोशन लाये और माननीय सदस्य ने आरोप भी लगाया कि मैंने जोइण्ट रजिस्ट्रार को टेलीफोन किया। साल भर पहले इसी विधान सभा के अन्दर अतारांकित प्रश्न के माध्यम से उसी चैयरमेन के बारे में यहां प्रकरण आया था। मैंने यह विश्वास दिलाया था कि मैं जांच करूंगा, सब कुछ करूंगा। वह प्रकरण सामने आने लगा, जब हथकड़ी का टाइम आ गया, जब आरोप का टाइम आ गया, धारा 74 चालू हो गई तो अब वह बचेगा कैसे ?

श्री हरिसिंह : हाई कोर्ट से बरी होकर आया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हरिसिंहजी, क्या चाह रहे हैं आप ? बिराजिये।

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट में मामला गया ही नहीं अभी। हाई कोर्ट में चुनाव का मामला गया था, चुनाव का प्रकरण गया था।

तो इस सारे प्रकरण से बचने के लिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक ही रास्ता था कि किस प्रकार से मुझे यह किया जाय। उन्होंने एक तीर से तीन शिकार किये। (व्यवधान) एक सेकण्ड, कल्ला साहब, सुनने का माद्दा रखो।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये।

+++शब्द माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। जो सवाई माधोपुर का चैयरमैन थे वह चाहते थे कि मेरे साथी का भी तबादला होना चाहिये, मेरे सेक्रेटरी का होना चाहिये। तो यह प्रकरण कहां गया? इस प्रकार आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश की। इसके पीछे यह काण्ड है, और कोई काण्ड नहीं है। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : गलत आरोप लगाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को जिम्मेदारी से जवाब देना चाहिये। वेग चार्ज लगा रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप कैलाशजी मेघवाल से जवाब दिलवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। माननीय मंत्रीजी उत्तर दे रहे हैं। थोड़ा सहयोग कीजिए। (व्यवधान)

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चाहे ग्राम सेवा सहकारी समिति हो, चाहे अरबन बैंक हो, चाहे भूमि विकास बैंक हो, चाहे अन्य कोई बैंक हो या कोई संस्था हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सदन को पूरा विश्वास देता हूं कि कोआपरेटिव सेक्टर के अन्दर, संस्थाओं के अन्दर जितना मुझसे स्वयं से परिश्रम और सहयोग हो सकेगा, वह सहयोग करने का पूरा प्रयत्न करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या–36–सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 78,76,50,000/- रुपये (रुपये अठत्तर करोड़ छियत्तर लाख पचास हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

माननीय कृषि मंत्रीजी, कुछ कहना चाहेंगे। सदन की भावना है कि पास कर लिया जाय। आप संक्षेप में फरमाइये।

मांग संख्या 37 (कृषि) का पारण

श्री रामनारायण विश्नोई (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्यों का आभार प्रदर्शित करूंगा कि उन्होंने कृषि के लिये बहुत ही उपयुक्त सुझाव दिये और अपनी यह भावना जाहिर की कि राजस्थान कृषि प्रधान प्रदेश होने की वजह से कृषि के ऊपर विशेष तौर से ध्यान दिया जाना चाहिये। मैं इस सम्बन्ध में यही निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से पिछले दो साल के अन्दर जो आंकड़े हमारी तरफ से प्रस्तुत किये गये हैं, उसको देखने से हम यह खास तौर से कह सकते हैं कि राजस्थान के अन्दर कृषि उत्पादन का भविष्य बहुत ही ठीक है। सरकार की तरफ से विशेष तौर से कृषि विकास के महत्व को देखते हुए पिछले साल के बजट के अन्दर 77.76 करोड़ रुपये के स्थान पर इस दफा 87.75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो करीब 12 प्रतिशत ज्यादा बढ़ा दिया गया है।

(श्री रामनारायण विश्नोई)

बहुत से सदस्यों ने यह जाहिर किया कि किस प्रकार से कृषि के उत्पादन को बढ़ाया जाय क्योंकि करीब 342 लाख हैक्टेयर के क्षेत्रफल का यह प्रदेश अभी तक आधे हिस्से में बहुत मुश्किल से खेती कर पा सका है और आधे हिस्से के अन्दर 2100 करोड़ रुपये लगाने के बावजूद भी हम 25 प्रतिशत सिंचाई के साधन उपलब्ध करा सके हैं। करीब-करीब 75 पर्सेण्ट एरिया बारानी खेती पर निर्भर है। इसी उद्देश्य से दो-तीन विशेष योजनाएं राजस्थान के अन्दर शुरू की गई है—जल ग्रहण विकास योजना, जिसके लिये भू-संरक्षण के साथ एक नया डायरेक्टोरेट 1991 के अन्दर शुरू किया गया था जिसमें आने वाले 4 सालों में 200 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। यह विशेष तौर से इसलिये होगा कि जो ऊबड़-खाबड़ बारानी भूमि है, जिस पर पानी टिकता नहीं था, उस पानी को एकत्रित करने के लिये काश्तकार को स्वयं को ही यह अनुदान दिया जायेगा ताकि वह अपनी भूमि पर मेड़बन्दी करके अपनी भूमि के अन्दर जो नाले चल रहे हैं उनको बंद कर पानी को किसी तरह से उपयोग में ला सके।

इसी उद्देश्य से अब की दफा फव्वारा सिंचाई, पक्के निर्माण के उपयोग के अन्दर भी वृद्धि की गई है और जो हमारी तरफ से आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं—फव्वारा सेटों का वितरण 1989-90 के अन्दर 1960 की संख्या में किये गये थे जिस पर 103 लाख रुपये की सहायता दी गई थी, उसी को 1990-91 में 3-4-49 और 1991-92 में सम्भवतः 4,300 फव्वारा सेट वितरित किये जायेंगे जिस पर 250 लाख रुपये की सहायता दी जायेगी। इसी प्रकार एक नई योजना सिंचाई पाइपलाइन बिछाने की 1990-91 के अन्दर 3.14 लाख मीटर थी जिस पर 63.30 लाख रुपये खर्च किये गये, उस पर इस साल 1991-92 के अन्दर 5 लाख मीटर और 80 लाख रुपये खर्च किए जायेंगे।

श्री नत्थीसिंह : ये आंकड़े तो किताब में लिखे हुए हैं। यहां सदन में जो प्रश्न उठाये हैं, उनका जवाब दें तो ठीक है। यह आंकड़े तो हमने सब पढ़ रखे हैं। यहां जो प्रश्न उठाये गये हैं, उनका स्पेसिफिक जवाब दीजिए आप।

श्री रामनारायण विश्नोई : उसका जवाब दे रहा हूं मैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि सरकार की तरफ से जो प्रयास किये जा रहे हैं, वह कृषि उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के उद्देश्य से किये जा रहे हैं।

कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य श्री नत्थी सिंहजी ने इस बात की भी सराहना की कि सर्वांगीण कृषि विकास योजना राजस्थान के अन्दर शुरू की जा रही है और इस योजना के अन्दर करीब 300 करोड़ रुपये विश्व बैंक से लोन लेकर काम किया जायेगा। इस योजना में मुख्य रूप से तिलहन विकास, चारा विकास, कृषि वानिकी, कृषि विस्तार हेतु प्रशिक्षण केन्द्र के सुदृढ़ीकरण, कृषक और कृषक

(श्री रामनारायण विश्नोई)

महिलाओं को प्रशिक्षण, कम्प्यूटरीकृत सूचना केन्द्रों का विस्तार, ग्रामीण सड़कों का विकास, जलोत्थान सिंचाई, भू-जल विकास, कृषि अनुसंधान, फल विकास और पशु नस्ल सुधार, भेड़, ऊन व मछली विकास तथा सहकारिता क्षेत्र में कुशलता लाने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। माननीय सदस्य ने यह चिन्ता व्यक्त की कि विश्व बैंक की इसके लिये क्या शर्तें तय की गई हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सम्प्रभुत्ता और देश की सम्प्रभुत्ता को किसी तरह गिरवी नहीं रखा जायेगा। ऐसी किसी भी प्रकार की कोई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी जिससे हमारी सम्प्रभुत्ता को कोई आंच आये।

श्री नत्थी सिंह : शर्त बतायें हमको।

श्री रामनारायण विश्नोई : वर्ल्ड बैंक की शर्तें यह है कि जो पैसा आप लो, उससे उत्पादन बढ़ना चाहिये, उसका लाभ मिलना चाहिये। सब्सिडी के तौर पर वह पैसा नष्ट नहीं किया जाना चाहिये जो कि पिछले सालों के अन्दर दिया जाता रहा है। सबसे बड़ी समस्या यह है, सबसे बड़ा प्रश्न यह है, सबसे बड़ी कंडीशन यह है वर्ल्ड बैंक की। सब्सिडी के तौर पर बर्बाद नहीं होने देंगे, सबसे बड़ी शर्त यह है.... (व्यवधान)...

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय मंत्री महोदय, एक मिनिट।

श्री हेतराम बेनीवाल : किस शर्त पर यह बताइए आप (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : आपने कृषि आयोग को यह कहा है कि...(व्यवधान) और नहीं है ठोस है लेकिन हम यह पूछना चाहते हैं कि वह ठोस शर्तें क्या हैं, वह स्पेसिफिक आनी चाहिये। वह इस सदन से छिपानी नहीं चाहिए, वह साफ तौर से आनी चाहिए, वह आ क्यों नहीं रही हैं ?

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय उपाध्यक्षजी, जैसा मैंने निवेदन किया कि शर्त इस बात की होगी कि यह पैसा सब्सिडी के तौर पर नहीं जा कर कृषि उत्पादन के काम में आवे और उसका रिटर्न ठीक से मिले। यह सबसे बड़ी शर्त होगी ...

श्री भंवरलाल शर्मा (सिंचाई मंत्री) : वह राज्य सभा ने स्वीकार कर ली शर्तें आज ?

श्री रामनारायण विश्नोई : अभी शर्तें सैंक्शन होंगी, शर्तों में कोई इस प्रकार की बात नहीं आयेगी जिससे हमारी कोई (व्यवधान) ...

श्री हेतराम बेनीवाल : भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बैठे हैं....

श्री मदनलाल सैनी : शर्तें स्वीकार कर रही है दिल्ली में बैठी हुई सरकार, दिल्ली की गवर्नमेंट, उससे तो पहले पता कर लीजिए ....(व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : आज आप हाउस में पास कर रहे हैं...

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप क्या कर रहे हैं, आप मत करिए। आप क्यों कर रहे हैं? आप पास मत कीजिए।

श्री डूंगरराम पंवार : आप तो पूरे देश को गिरवी रख रहे हैं यहां तो केवल खेती की ही बात चल रही है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप राजस्थान को गिरवी रख रहे हैं, (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हेतरामजी साहब, कृपया मंत्रीजी के जवाब को सुनिए।

श्री रामप्रताप कासनिया : हम तो राजस्थान को गिरवी नहीं रख रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया मंत्रीजी के जवाब को सुनिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष जी, एक विरोधाभास है ...

श्री मदनलाल सैनी : हम तो अपने साधनों को बढ़ा कर, उत्पादन बढ़ा कर विकास करना चाहते हैं। उत्पादन के बढ़ने से राजस्थान के विकास के पक्षधर।

श्री हेतराम बेनीवाल : हम तो यह चाहते हैं कि राज्य सरकार में बहुत बड़ी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी इसी 26 तारीख को.... (व्यवधान) ...

श्री डूंगरराम पंवार : माननीय हेतराम जी, आप साम्यवादी नहीं रहे। आप मलवादी हो गए, आप लोग।

श्री हेतराम बेनीवाल : आपको पता नहीं है क्या पाइन्ट है? जो शर्तें हमारे ऊपर आई. एम. एफ. के लोन के द्वारा थोपी जा रही है....

एक माननीय सदस्य : अच्छा नहीं है।

श्री हेतराम बेनीवाल : हिन्दुस्तान की आर्थिक नीति के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन का प्रोग्राम बनाया सारे देश में, आप-आप यहां....(व्यवधान) आपकी क्या नीति है?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिए।

श्री मदनलाल सैनी : हम राष्ट्रवादी हैं और आपकी तो जड़ें....

श्री उपाध्यक्ष : आप जवाब नहीं सुनना चाहते हैं क्या?

श्री मदनलाल सैनी : माननीय हेतराम जी, आप क्या बोलते हैं? आप तो खुराक रूस से लेते हैं और आज कल रूस की खुराक भी अच्छी नहीं है, स्वास्थ्यकर नहीं है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हेतराम जी साहब, आप बिराजिए।

श्री नत्थीसिंह : आप श्री अटलबिहारी वाजपेयीजी का परसों का भाषण पढ़ो। रूस की बात तो छोड़ो, अटलजी की बात तो मानो ... (व्यवधान)

श्री मदनलाल सैनी : माननीय सदस्य, आप भी रूस से खुराक लेते थे।....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कृषि मंत्री जी।

श्री हेतराम बेनीवाल : पटलजी से पूछो पहले।

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा संक्षिप्त कीजिए।...

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार की कोई कंडीशंस नहीं लगाई जायेंगी जिनसे कि हमारे गौरव पर आंच आती हो, प्रभुसत्ता पर किसी प्रकार की आंच आती हो।

श्री केदारनाथ शर्मा : हम इनकी मांग पास कर देते हैं, हमें एक बात बता दीजिए कि जो हमारा फूड मार्केट है उसको ग्लोबल मार्केट से लिंक करने जा रहे हैं क्या? क्या यह सही है कि लिंकेज के बाद आपका सेल्फ रिलायन्स हमेशा के लिए समाप्त हो जायेगा? आप इसका हमें आश्वासन दे दीजिए, हम एक मिनट में आपकी मांग पारित कर देते हैं।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय उपाध्यक्षजी, जितनी ....

श्री भंवरलाल शर्मा (इन्दिरा गांधी नहर मंत्री) : पास क्या कर देते हो, वोट है हमारे पास।

श्री हेतराम बेनीवाल : आपके समझ की बात नहीं है। व्यवधान मंत्री हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, माननीय शर्मा साहब। क्या बोल जाते हैं आप? ऐसा अच्छा नहीं है। (व्यवधान)....

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय उपाध्यक्षजी, सर्वांगीण कृषि विकास योजना का प्रारूप तैयार करके 300 करोड़ रुपये वर्ल्ड बैंक से सहायता लेकर राजस्थान के कृषि विकास के लिए जो करने की कार्यवाही की जा रही है वह कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए ही है और उससे कोई हमारे प्रदेश का नुकसान होने वाला नहीं है। मैं, माननीय उपाध्यक्षजी, यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक कृषि .. (व्यवधान)....

श्री नत्थीसिंह : जो राज्यपाल महोदय से कहलवाया था कृषि नीति का प्रोग्राम और आज कृषि पर बहस हो गई और कृषि नीति का प्रारूप आया ही नहीं, सदस्यों की चर्चा करवा रहे थे आप।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय उपाध्यक्षजी, कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य, श्री नत्थीसिंहजी ने यह भी कहा कि कृषि नीति का प्रारूप प्रस्तुत किए जाने वाला था। मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कृषि नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। मंत्रिमण्डल के सामने रखा जाकर सदस्यों के पास कापी भेजी जायेगी और जल्दी ही कृषि नीति राजस्थान के अन्दर घोषित कर दी जायेगी...

श्री हेतराम बेनीवाल : इसी सत्र में?

श्री रामनारायण विश्नोई : यह कोई जरूरी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : और क्या चाह रहे हैं हम?

श्री रामनारायण विश्नोई : सदस्यों की राय ली जाकर....

(314)

श्री हेतराम बेनीवाल : फिर क्या मतलब है ? हाउस में बोलो फिर ।..

श्री नत्थीसिंह : राज्यपाल महोदय ने कहा है कि इसी सदन में चर्चा होगी । भाषण पढ़ो आप राज्यपाल महोदय का, उससे कैसे मुकर रहे हैं आप ? मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि हम पेश करेंगे और चर्चा करवायेंगे ।.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों के सामने एक बात और रखना चाहूंगा कि कृषि विभाग की तरफ से कृषि विपणन विभाग बहुत ही सुचारु रूप से कार्य कर रहा है और मुझे इस बात का हर्ष है कहते हुए, कृषि विपणन विभाग के अन्दर मंडी शुल्क, एक बिन्दु पर मण्डी शुल्क नवम्बर, 1991 से लगाकर करीब 32 प्रतिशत मण्डी शुल्क की आय में वृद्धि की गई है और यह वृद्धि होने की वजह से राजस्थान के अन्दर, जो माननीय सदस्य चिन्ता व्यक्त कर रहे थे, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर सड़कों का विकास नहीं हो रहा है, यह पैसा सड़कों के विकास के अन्दर लगाया जायेगा ।

माननीय सदस्यों ने एक चिन्ता यह व्यक्त की कि बहुत सी कृषि मण्डी समितियां ऐसी हैं जिनकी आय बहुत ज्यादा है और बहुत सी कृषि मण्डी समितियां ऐसी हैं जहां पर आय कम है इस वजह से हमें विकास का लाभ नहीं मिलता है । मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्षजी, आपके माध्यम से, कि ऐसा प्रावधान किया जा रहा है जिस प्रावधान के जरिए एक जिले का पण्ड बनाया जायेगा और उस पण्ड से कृषि उपज मण्डी समितियों की आय कम है उन कृषि उपज मण्डी समितियों के विकास के लिए जिन कृषि उपज मण्डी समितियों की आय ज्यादा है वह पैसा भी वहां पर खर्च किया जायेगा ।.... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : यह कैसे करेंगे आप ? (व्यवधान) कैसे ले जायेंगे आप ? नहीं, नहीं । सवाल ही नहीं उठता है । कई मंडियों में माल आता ही नहीं है ।

श्री मदनलाल सैनी : गांवों का विकास नहीं होना चाहिए ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री जगतसिंह दायमा : माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि गांवों का विकास ही नहीं हो ।

श्री मदनलाल सैनी : गांवों का विकास होने से इनका पेट दुःख रहा है ।

श्री परसादीलाल मीणा : मंत्री महोदय कुछ समझते तो हैं नहीं और ले जायेंगे, कैसे ले जायेंगे ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज । उन्हें बोलने दीजिए ।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष जी.... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी, समझते नहीं हैं....

श्री उपाध्यक्ष : कैसे नहीं समझते हैं ? प्लीज ।

श्री परसादीलाल मीणा : जिन इलाकों से माल नहीं आता और जिन इलाकों में ज्यादा इन्कम होती है वह कैसे ले जायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : यह गत वर्ष की घोषणा की हुई है ।

श्री मदनलाल सैनी : पूरे जिले के गांवों को फायदा दिया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : यह साल का मामला नहीं है, गई साल की घोषणा है ।

श्री परसादीलाल मीणा : आप गंगानगर का पैसा दूसरी जगह ले जायेंगे....

श्री जगतसिंह दायमा : मंत्रीजी किसान के बेटे हैं, वह समझते हैं कृषि नीति ।

श्री मदनलाल सैनी : गांव का पैसा गांव के विकास के लिए काम में आयेगा ।

श्री रामप्रताप कासनिया : मंत्रीजी कैसे नहीं समझते हैं, क्या वह भेड़ चराते हैं ? (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावरजी माननीय श्री ओम प्रकाशजी गुप्ता, सचेतक जी । प्लीज, हर समय व्यवधान पैदा करना, मैं सोचता हूं, अच्छी बात नहीं है । वह गलती करेंगे तो आप भी करेंगे क्या ? आप ट्रेजरी बेंचेज पर बैठते हैं ।

श्री राजेन्द्र पारीक : एडवाइजरी कमेटी कब तक गठित हो जायेगी ?

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय उपाध्यक्षजी, यह इसलिए किया जा रहा है कि एक बिन्दु पर मण्डी शुल्क लगाने की वजह से कई मण्डियों की आमदनी जिले के अन्दर बढ़ गई और छोटी मंडियों की आमदनी कम हो गई, इसलिए जिले का अलग फण्ड बनाकर वह लगाया जायेगा....

श्री उपाध्यक्ष : हां, यह इस साल की व्यवस्था है ।

श्री रामनारायण विश्नोई : इस अवसर पर मैं यह कहना पसन्द करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष जी, यह जो सारा काम मंडी समितियों का और मण्डी समितियों की आय बढ़ने का जो हो रहा है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा और मेरा पिछले थोड़े दिनों का अनुभव है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ कि यहां के जो कृषि सचिव हैं और दूसरे डाइरेक्टर जैन हैं, दूसरे अधिकारी हमारे यहां पर जो डाइरेक्टरेट में लगे हुए हैं वह बराबर निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं, उनके किसी भी काम में कमी महसूस नहीं हुई है । अभी पिछले काफी अर्से से यह मांग उठती जा रही थी कि कृषि उपज मण्डी समितियों के अन्दर करीब पिछले 8-8, 10-10 साल से अनियमित कर्मचारी डेली वेजेज पर जो काम कर रहे थे उनकी सेवाओं को नियमित नहीं किया जा रहा था । अभी करीब 300 कर्मचारियों को लाभान्वित करने के लिए

(श्री रामनारायण विश्नोई)

यह आदेश दे दिए गए हैं कि इनकी सेवाएं नियमित कर दी जायं। (व्यवधान) पांच साल की सर्विस के जितने भी कर्मचारी थे वह सब ले लिए गए हैं।

इसी प्रकार माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की कि सुपरवाइजरों की भर्ती नहीं की जा रही है। सुपरवाइजर्स की भर्ती वास्तव में नहीं की गई पिछले अर्से के अन्दर। वह इसलिए नहीं की गई थी कि सुपरवाइजर्स की भर्ती के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रख दी गई थी और सुपरवाइजर के लिए सोचा गया कि अगर सुपरवाइजर जैसी छोटी पोस्ट में भी हायर सैकण्डरी के आदमी नहीं आ सकेंगे तो बड़ी कठिनाई पैदा हो जाएगी। इसलिए हायर सैकण्डरी उसमें क्वालिफिकेशन करके सुपरवाइजर जल्दी भर्ती किए जायेंगे और 400 की बजाय 600 सुपरवाइजर्स भर्ती किये जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या-37, कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 1,53,76,47,000/- (एक अरब तिरेपन करोड़ छिहत्तर लाख सैंतालीस हजार) तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल बुधवार, दिनांक 25 मार्च, 1992 को प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तद्नन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 10.32 बजे बुधवार, दिनांक 25 मार्च, 1992 को प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 518 का विवरण

क्र. सं.	नाम तहसील	नाम माह	राशन सामग्री				
			लेवी चीनी (मात्रा मैं. टन	चांवल मैं. टन	गेहूं मैं. टन	खाद्य तेल मैं. टन में)	केरोसीन (मात्रा कि. ली. में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	संगरिया	सितम्बर, 91	—	10	—	—	48 के. एल.
	"	अक्टूबर, 91	91	—	—	10	48 के. एल.
	"	नवम्बर, 91	—	—	—	10	67.5 के. एल.
	"	दिसम्बर, 91	80.2	10	—	—	72 के. एल.
	"	जनवरी, 92	23.2	—	50	—	57 के. एल.
	"	फरवरी, 92	48.4	—	50	—	57 के. एल.
2.	सादुलशहर	सितम्बर, 91	36	—	—	—	52 के. एल.
	"	अक्टूबर, 91	74.5	—	50	—	53 के. एल.
	"	नवम्बर, 91	36	—	—	—	64 के. एल.
	"	दिसम्बर, 91	24.5	—	—	—	52 के. एल.
	"	जनवरी, 92	33.8	—	—	—	64 के. एल.
	"	फरवरी, 92	—	—	—	—	53 के. एल.

परिशिष्ट-2

तारांकित प्रश्न संख्या 523 का विवरण

परिशिष्ट-"अ"

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के उत्थान हेतु योजनायें :—

विशिष्ठ योजना संगठन के माध्यम से

1. इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में कृषि भूमि आवंटन (उप निवेशन)
2. इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्र में भूमि आवंटन
3. ओ. एफ. डी. वर्क्स (सी. ए. डी. विभाग)
4. अनुसूचित जाति के परिवारों को घरेलू विद्युत कनेक्शन

ए. अनुसूचित जाति के परिवारों को उद्योग हेतु कनेक्शन

बी. अनुसूचित जाति के परिवारों को कृषि हेतु विद्युत कनेक्शन

5. डेयरी विकास
6. खादी एवं ग्रामोद्योग
7. **हाथकर्घा विकास (उद्योग विकास)**
   1. करघों को सक्रिय करना
   2. करघों को आधुनिकरण
   3. सहकारिता क्षेत्र में हाथ कर्घा विकास
8. **रोजगार हेतु प्रशिक्षण**
   1. बुनकरों को प्रशिक्षण
   2. शैक्षक प्रशिक्षण
9. **औद्योगिक ऋण एवं सहायता**
   1. राजस्थान वित्त निगम द्वारा
   2. बैंकों द्वारा ऋण
   3. उद्योग हेतु रीको द्वारा प्लाट आवंटन
   4. शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार
   5. सरप्लस भूमि आवंटियों को सहायता
10. **सृजन कार्यक्रम (मैसिव कार्यक्रम)**
    1. लघु सिचाई
    2. भूमि विकास
    3. कृषि विभाग

राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम द्वारा संचालित योजनायें :–

1. सामुदायिक पम्पसेट योजना
2. व्यक्तिगत पम्पसेट योजना
3. ब्लास्टिंग एवं बोरिंग योजना
4. दुकान योजना
5. शिल्प शाला योजना
6. उन्नत कृषि यन्त्र उपलब्ध कराना
7. साधारण व अर्द्ध स्वचालित हाथ कर्घा
8. बुनकर शाल योजना
9. कुक्कुट पालन योजना
10. उन्नत नस्ल की गायें उपलब्ध कराना
11. उन्नत नस्ल की भैंस उपलब्ध कराना
12. विद्युत योजना

(1) शैक्षणिक उत्थान
   1. पूर्व मैट्रिक/उत्तर मैट्रिक छात्रवृति
   2. अन्तरजातीय विवाह को प्रोत्साहन

(2) वाल्मिकी ग्राम विकास योजना

(3) अनुसूचित जाति बेरोजगार वृतिका

(4) विकलांग छात्रवृत्ति

(5) विकलांग, विधवा व वृद्धावस्था पेंशन

(6) विकलांगों को कृत्रिम उपकरण उपलब्ध कराना

(7) अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम द्वारा संचालित योजनायें।

परिशिष्ट-3

तारांकित प्रश्न संख्या 257 की सूची

परिशिष्ट "क"

राजस्थान को-ग्रापरेटिव डेयरी फैडरेशन में विगत 5 वर्षों में प्रतिनियुक्ति पर लगाये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	नाम व पद	पैतृक विभाग
1.	श्री एन.के. वर्मा, प्रबन्ध संचालक	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
2.	श्री रामावतार, नियन्त्रक	वित्त विभाग, राजस्थान
3.	श्री एम.एल. ग्ररोड़ा, ग्रो.एस.डी.	राज. राज्य विद्युत मण्डल
4.	श्री एन.एस. चौहान, ग्राई.डी.ग्रो.	सहकारिता विभाग
5.	श्री एम.सी. चतुर्वेदी, संयुक्त निदेशक	,, ,, सांख्यिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6.	श्री जे.के. सोनी, सहायक ग्रभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग
7.	श्री पूरणमल व्यास, मूल्यांकन ग्रधिकारी	मूल्यांकन संगठन, शासन सचिवालय।
8.	श्री ग्रार.पी. गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी	निदेशालय कोष एवं लेखा राज., जयपुर।
9.	श्री बी.एल. बैराठी, सहायक लेखाधिकारी	,, ,,

1	2	3
10.	श्री हरकीरतसिंह, सहायक रजिस्ट्रार	सहकारिता विभाग
11.	श्री आर.के. मोदानी, सहायक लेखाधिकारी	निदेशालय कोष एवं लेखा राज., जयपुर।
12.	श्रीमती रेणु माथुर, सहायक रजिस्ट्रार	सहकारिता विभाग
13.	श्री एस.पी. जैन, सहा. निदेशक (प्रचार)	जनसम्पर्क विभाग
14.	श्री शिवसिंह, च. श्रेणी कर्मचारी	खाद्य विभाग
15.	श्री बी.एल. शर्मा, प्रबन्ध संचालक	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
16.	श्री तपेन्द्र कुमार, निदेशक (प्रशासन)	,, ,,
17.	श्री जे.एस. सुराणा, सहायक लेखाधिकारी	निदेशालय, कोष एवं लेखा
18.	श्री एम.एल. जैन, ओ.ई.डी.ओ.	सहकारी विभाग
19.	श्रीमती साधना दूबे, सहायक पंजीयक	,, ,,
20.	श्री ए.के. पाण्डे, प्रबन्ध संचालक	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
21.	श्री एस.एन. सिंह, निदेशक (प्रशासन)	,, ,,
22.	श्री एच.के.एल. खट्टर, वित्तीय सलाहकार	वित्त विभाग
23.	श्री के.सी. शर्मा. एक्स.ईएन.	सार्वजनिक निर्माण विभाग
24.	श्री आर.एस. राघव, सहायक अभियन्ता	,, ,,

1	2	3
25.	श्री जे.एस. महावल, सहायक पंजीयक	सहकारिता विभाग
26.	श्री राधेश्याम शर्मा, निरीक्षक	” ”
27.	श्री मोहन बी. हिंगोरानी, निरीक्षक	” ”
28.	श्री रामभरोसे शर्मा, निरीक्षक	” ”
29.	श्रीमती मंजू गर्ग, कम्प्यूटर	सांख्यिकी विभाग
30.	श्री राधेश्याम शर्मा, उद्यान निरीक्षक	सार्वजनिक निर्माण विभाग
31.	श्री के.सी. काला, सहायक निदेशक (प्रचार)	जनसम्पर्क विभाग
32.	श्री एस.पी. मित्तल, प्रबन्ध संचालक	एन.डी.डी.बी. आणंद
33.	श्री के.पी. गर्ग, वित्तीय सलाहकार	वित्त विभाग, राजस्थान

परिशिष्ट 4

समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर ।

भूतपूर्व सैनिक की सेवामुक्ति

524. श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि निदेशालय पशुपालन विभाग, जयपुर द्वारा किसी भूतपूर्व सैनिक को सेवा से हटाया गया है ? यदि हां, तो किन आरोपों के तहत ? आरोप विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

पशुपालन निदेशालय द्वारा किसी भी भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी को सेवा से नहीं हटाया गया है । आरोपों के विवरण का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन

525. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य में राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन की स्थापना कब हुई और दिनांक 31-12-91 तक इसकी लाभ-हानि की क्या स्थिति है ?

(2) क्या यह सही है कि फैडरेशन भारी घाटे के कारण इसके सामने वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है व कर्मचारियों को वेतन देने की भी स्थिति में नहीं है ?

(3) राज्य में स्थित डेयरी फैडरेशन के अन्तर्गत जिला संघों के फैडरेशन में कितनी-कितनी राशि बकाया है या उधार ली हुई है और क्या डेयरी फैडरेशन इन्हें चुकाने की स्थिति में है ?

(4) क्या यह सही है कि फैडरेशन की स्थिति दयनीय होने के कारण इसे राष्ट्रीय डेयरी डवलपमेन्ट बोर्ड को देने का विचार कर लिया है ? यदि हां, तो समझौता किस प्रकार किया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन की स्थापना दिनांक 3-10-77 को हुई । फैडरेशन का वर्ष-वार लाभ-हानि खाते का विवरण संलग्न है । वर्ष 1991-92 के खाते अभी वर्ष समाप्त न होने की वजह से तैयार नहीं हुए है ।

(2) यह सही है कि फैडरेशन के सामने वित्तीय कठिनाई है लेकिन वेतन भुगतान नियमित किया जा रहा है ।

(3) जिला संघों के फैडरेशन में बकाया नहीं है एवं न ही संघों से फैडरेशन ने उधार ले रखा है ।

(दुग्ध विकास राज्य मंत्री)

(4) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से फैडरेशन के लिये वित्तीय पुनर्स्थापना योजना बनाने के लिए कहा गया है तथा उनसे फैडरेशन की व्यवस्था के बारे में सहयोग लिया जा रहा है। समझौते पर विचार-विमर्श अभी चल रहा है तथा अभी तक उसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेट
"सरस संकुल" जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-17

वर्षवार लाभ-हानि का विवरण

वर्ष		कुल लाभ/घाटा	
1978-79	+	17,957.27	अकेक्षित खातों के आधार पर
1979-80	—	1,00,48,239.34	
1980-81	—	1,48,80,810.51	
1981-82	—	1,54,32,396.70	
1982-83	—	2,70,10,109.42	
1983-84	—	2,78,20,383.58	
1984-85	—	2,05,01,862.18	
1985-86	—	5,21,96,717.46	
1986-87	—	7,58,87,898.47	
1987-89	—	10,03,72,011.22	
1989-90	—	3,76,06,617.00	अन अकेक्षित खातों के आधार पर
1990-91	—	5,13,66,399.73	
कुल	—	43,23,05,487.34	

ग्राम नाटई (शाहबाद) में बंगाली विस्थापित परिवार

526. **श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज) : क्या पुनर्वास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1976 में बारां जिले की शाहबाद तहसील के ग्राम नाटई में बंगाली विस्थापित परिवारों को बसाया गया था ?

(श्री हेमराज मीणा)

(2) क्या इनको 10-10 बीघा भूमि आवंटित की गई थी ? आवंटित भूमि बंजड़ होने से सं. 2035 व 36 में इन्होंने कोई भूमि काश्त नहीं की ?

(3) क्या भूमि काश्त न करने के बाद भी सिचाई कर इनके खाते में इन्द्राज कर दिया गया ?

(4) क्या यह भी सही है जब सिचाई सुविधा प्राप्त नहीं थी तो इनसे सिंचाई कर क्यों वसूल किया गया ?

(5) कितना सिचाई कर सं. 2035 व 36 में वसूल किया गया और यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) यह सही है कि ग्राम नाटई में 133 बंगाली विस्थापित परिवारों को बसाया गया था तथा उन्हें 10-10 बीघा भूमि आवंटित की गई थी। आवंटित व्यक्ति आवंटित भूमि पर काबिज हैं।

(3) अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई खण्ड बारां ने ग्राम नाटई में प्रथम बार नाटई तालाब से कृषकों को संवत् 2035 में फसल खरीफ में पानी देना प्रारम्भ किया तथा संवत 2035 व 2036 में जो रकबा सिचाई किया, उसकी सूचना निम्न प्रकार है:—

क्र. सं.	संवत्	फसल	सिंचित रकबा	मांग
1.	2035	खरीफ	921 बीघा	12894.00
2.	2036	रबी	1152 बीघा 2 बिस्वा	13825.00
3.	2036	खरीफ	1160 बीघा 14 बिस्वा	16971.20
	कुल योग		3234 बीघा 1 बिस्वा	43690.20

(4) जी, नहीं। सिचाई सुविधा उपलब्ध थी। इसलिए जिन्होंने सिंचाई की उनके नाम सिचाई कर की मांग कायम की गई।

(5) संवत् 2035 में 103 कृषकों के नाम सिचाई कर की मांग कायम की गई। अलबत्ता वसूली किसी से भी नहीं हुई। संवत 2036 में 117 कृषकों के नाम

(पुनर्वास राज्य मंत्री)

सिंचाई कर की मांग कायम की गई जिसमें से केवल श्री रामसिंह आत्मज श्री जगन्नाथ से खसरा नम्बर 186 की राशि रुपये 168/- वसूल हुई। संवत् 2035 व 2036 के सिंचाई कर के 43522/- रु. बकाया हैं।

क्रय विक्रय सहकारी समिति, छीपाबड़ोद के अध्यक्ष पर अनियमितता का आरोप

527. **श्री नन्द किशोर शर्मा** (छबड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या छीपाबड़ोद (बारां जिला) क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष श्री रामचन्द्र मीणा पर खाद व अन्य राशि में की गई अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई थीं ? क्या इसकी जांच की गई ? यदि हां, तो जांच के बाद क्या कार्यवाही की गई और जांच में क्या-क्या अनियमितताये पायी गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि जांच के बाद आरोप/गबन की शिकायतें सही पाई गई और 2 वर्ष बाद राशि जमा कराई गई ? यदि हां, तो दोषी के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। शिकायत प्राप्त होने पर जांच कराई गई है। जांच निष्कर्षों के अनुसार श्री रामचन्द्र मीणा अध्यक्ष, छीपाबड़ोद क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. ने अजनावर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., से 38 कट्टे डी. ए. पी. व 2 कट्टे यूरिया कीमतन 7149 रुपयों के दिनांक 1-4-90 को छीपाबड़ोद क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. के सदस्यों को प्रदर्शन (कल्चर) के लिए वितरण करने हेतु प्राप्त किये थे। इस राशि के पेटे 5100.00 रुपये अप्रैल 91 में एवं 2049.00 जुलाई, 91 में जमा कराये थे। इसी प्रकार श्री मीणा द्वारा छीपाबड़ोद क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., से दिनांक 1-6-89 को 7000.00 रुपये बीज क्रय करने हेतु एडवान्स प्राप्त कर 5-3-90 तक इस राशि का दुरुपयोग कर 6706/- रुपये वापस जमा कराये है एवं 294.00 रु. 10-3-92 तक भी जमा नहीं हुए है।

(2) जी नहीं। किन्तु राशि का दुरुपयोग 9 माह से 15 माह तक की अवधि तक का किया गया है। अध्यक्ष द्वारा राशि का दुरुपयोग के लिये सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, बारां द्वारा अध्यक्ष के विरुद्ध मामला सहकारी अधिनियम 1965 की धारा 74 में 31-12-91 को दर्ज किया जा चुका है।

अभावग्रस्त जिलों में पशु सेवा शिविर

528. **श्री हीरालाल इन्दौरा** (केशरीसिंहपुर) एवं **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या बाढ़ एवं अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

(1) प्रभावग्रस्त जिलों में सितम्बर, 1991 से लेकर अब तक कितने पशु, पशु सेवा शिविरों में रखे गये? पशुओं की संख्या तथा उस पर व्यय की गई राशि तथा चारा अनुदान पर माहवार व्यय की गई राशि की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत दो वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं से राहत मद में केन्द्र सरकार से राज्य को कितनी-2 राशि प्राप्त हुई? राज्य सरकार ने उक्त राशि का उपयोग किस प्रकार किया?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर, 1991 में (अभाव वर्ष 2048 में) बीकानेर जिले में पशु शिविर खोले जाने की स्वीकृति दी गई थी जिला जैसलमेर में 2 पशु शिविर माह फरवरी, 92 में स्वीकृत किये हैं। पशुओं की संख्या तथा उस पर व्यय की गई राशि एवं चारा अनुदान पर व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) केन्द्र प्रदत्त अकाल राहत राशि वर्ष 1989-90 में 33.95 करोड़ रुपये एवं वर्ष 1990-91 में 93 करोड़ रुपये थी। उक्त राशि में से 89-90 में तथा 90-91 में व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(328)

(1) जिला बीकानेर :—

क्र. सं.	माह	शिविरों की संख्या	रखे गये पशु संख्या	पशु सेवा शिविर को भुगतान की गई राशि	चारा परिवहन की भुगतान की गई राशि
1.	सितम्बर, 91	—	—	—	—
2.	अक्टूबर, 91	8	3321	—	—
3.	नवम्बर, 91	8	3668	—	—
4.	दिसम्बर, 91	11	4689	681044	—
5.	जनवरी, 92	15	6524	487508	881061
6.	फरवरी, 92	16	7385	939232	3576650

(2) जिला जैसलमेर :—

विभाग द्वारा 2 पशु शिविर जिला जैसलमेर में खोले जाने की स्वीकृति 25-2-92 को जारी की गई है। प्रत्येक पशु शिविर में 500-500 पशु रखने की स्वीकृति दी गई है। प्रति पशु प्रतिदिन 4 रुपये के हिसाब से अनुदान दिया जावेगा। जिला कलक्टर जैसलमेर द्वारा पशु शिविर शीघ्र शुरू करने की कार्यवाही की जा रही है। अब तक इस मद में कोई व्यय नहीं किया गया है।

वर्ष 1989-90 एवं 90-91 में किया गया व्यय का विवरण

(करोड़ों में)

क. सं.		वर्ष 89-90	वर्ष 90-91
1.	पेयजल व्यवस्था	21. 0575	11. 4025
2.	चारे की पूर्ति	0. 20	00. 0002
3.	राहत कार्य	7. 2010	26. 1300
4.	बाढ़/ओलावृष्टि आदि	0. 9250	3. 4253
5.	अग्नि सहायता	0. 2834	0. 3472
6.	निदेशन तथा प्रशासन	0. 7261	0. 6935
7.	अन्य	1. 17	0. 2009
	योग :-	31.5630	42. 1996

ग्रामीण क्षेत्रों में राशन की चीनी की मात्रा

529. **श्री अर्जुन दास मदान** (लाडपुरा) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 425 ग्राम चीनी का वितरण किया जाता है ?

(2) क्या सरकार के पास ग्रामीण क्षेत्रों से इस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई है कि उन्हें 425 ग्राम चीनी प्रति व्यक्ति न दी जाकर 400 ग्राम ही दी जाती है ?

(3) क्या सरकार इस शिकायत को दूर करने के लिए प्रति व्यक्ति 400 ग्राम चीनी देने का विचार रखती है ?

(4) क्या सरकार उपरोक्त 25 ग्राम चीनी प्रति व्यक्ति की गई कटौती का समायोजन विशेष त्योंहारों पर प्रति व्यक्ति 500 ग्राम या 600 ग्राम चीनी देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 425 ग्राम चीनी वितरण किये जाने के आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी हुये किये हैं।

(2) चीनी की उपलब्धता कम होने पर 425 ग्राम निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में भी चीनी वितरण कराने के आदेश जिला कलक्टर्स को राज्य सरकार द्वारा दिये हुये हैं।

(3) चीनी की उपलब्धता पर ही 425 ग्राम चीनी दी जानी संभव है।

(3) केन्द्र सरकार से विशेष त्योहारों के लिये अतिरिक्त चीनी का आवंटन प्राप्त होने पर ही निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में चीनी का वितरण कराया जाना संभव होता है।

चक नं. 4-डी. एस. एम. के. अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की खातेदारी भूमि संबंधी प्रकरण

530. **श्री चुन्नीलाल इंदलिया** (नोखा) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चक नं. 4 डी. एस. एम. के अनुसूचित जाति के 4 व्यक्तियों की भूमि पुख्ता आवंटन व खातेदारी होते हुए भी राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री भैरोंसिंह ग्राम खरबरा तहसील लूणकरणसर (बीकानेर) द्वारा उन्हें पानी देने से मना करवा दिया है ?

(2) क्या अधिकारियों ने इन हरिजनों से यह हल्फनामा भी लिया है कि इन व्यक्तियों को फलां स्थान से नक्का दे दिया जावे तो मैं स्वयं वहां कच्चा खाला बनाकर पानी लगा लूंगा, परन्तु वहां पर भी राजेन्द्र सिंह ने पानी देने से रोक दिया है ?

(3) क्या सरकार गरीब हरिजन काश्तकारों को अपने खेत पर पानी देने की

(श्री चुन्नीलाल इ दलिया)

व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) यह सही है कि चक 4 डी. एस. एम. "बी" में अनुसूचित जाति के चार व्यक्तियों को चार मुरब्बों में भूमि आवंटित है। श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री भैरोंसिंह ग्राम खरबारा तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर द्वारा उनको पानी देने से मना नहीं किया गया था, केवल सीधे ही इस नहर की बुर्जी नं. 23. 700 पर नये मोगे से पानी देने पर आपत्ति की थी। विभाग भी तकनीकी कारणों से इस आपत्ति से सहमत है।

(2) जी हां। एक काश्तकार श्री शिवजीराम जिसको कि सबसे अधिक भूमि आवंटित है, उसका हलफनामा लिया गया था, कि चक 4 डी. एस. एम. "बी" के खाले से नाका दिया जावेगा तो मैं स्वयं कच्चा खाला बनाकर पानी लगा लूंगा। मूल स्वीकृत स्कीम चक 4 डी. एस. एम. "बी" के अनुसार ये चारों मुरब्बे असिंचित रकबे में शामिल थे। कमाण्ड में न लेने का मुख्य कारण आर्थिक/तकनीकी है। तथा इसकी वजह से पूरा चक ही पक्के खालों से वंचित हो ताजा है। अतः इस भूमि को सिंचित सुविधा चालू रखने के लिये नाका मुरब्बा नं. 189/64 के किला नं. 5 से कच्चे खाले के माध्यम से पानी देने का निर्णय किया गया है। यह सत्य नहीं है कि राजेन्द्रसिंह ने पानी देने से रोक दिया है। उसने केवल नहर की बुर्जी 23.700 पर नये मोगे से पानी देने हेतु आपत्ति प्रकट की थी। फिर भी काश्तकार को पानी देने हेतु दिनांक 23-1-92 को आदेश पारित कर दिये गये हैं। जिसके अनुसार प्रार्थी श्री शिवजीराम पुत्र श्री रावतराय अपना कच्चा खाला खोदकर सिचाई सुविधा प्राप्त कर सकता है।

(3) जी हां। सरकार समस्त काश्तकारों में कोई भेदभाव नहीं रखती है व इन कृषकों को पानी देने के आदेश दे दिये गये हैं।

बेगूं क्षेत्र में पंचायतवार भू-आवंटन

531. **श्री चुन्नी लाल धाकड़ (बेगूं) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बेगूं विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 में किस-किस पंचायत में किन-किन लोगों को भूमि का अलोटमेंट किया गया ? पूरा नाम व पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त भू-आवंटन के समय कोई जन प्रतिनिधि भी मौजूद था ? यदि नहीं, तो जिन-जिन भू-आवंटन में केवल सरकारी अधिकारी ही थे उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या ऐसे भू-आवंटन को रद्द किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बेगूं विधान सभा क्षेत्र में वर्ष

(राजस्व मंत्री)

1990-91 एवं 91-92 में ग्राम पंचायत जालखेड़ा में एक, पंचायत सामरिया में 26, पंचायत गोपालपुरा में 12 एवं पंचायत जावदा में 8 व्यक्तियों को कुल 47 व्यक्तियों को भूमि आवंटन किया गया है। नाम, पते सहित सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त भूमि, आवंटन के समय पंचायत जालखेड़ा के आवंटन के समय जन प्रतिनिधि क्षेत्रिय विधायक स्वयं उपस्थित थे। पंचायत जावदा के केम्प पर जन प्रतिनिधि के रूप में सरपंच ग्राम पंचायत जावदा स्वयं उपस्थित थे। अन्य केम्प पंचायत सामरिया एवं गोपालपुरा में राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के अनुसार आवंटन सलाहकार समिति का कोरम पूरा होने पर आवंटन किया गया है, जिससे किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही अथवा भूमि आवंटन को निरस्त करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

आवंटन का विवरण वर्ष 91-1992

उपखण्ड बेगूं

क्रमांक	पंचायत	नाम आवन्टी	मोजा	रकबा (बीघों में)	आवंटन दि.
1.	2.	3	4	5	6
1.	जालखेड़ा	श्री लालचन्द/प्रभूलाल मीणा	बम्बोरी	9-05	31-10-91
2.	सामरियां	,, सिसराम/हरिया गेवार	ना. खेड़ा	2-17	19-12-91
3.	,,	,, शंभुलाल/नन्नूराम मेवाड़ा	,,	5-00	,,
4.	,,	,, भैरूलाल/रतिराम गुजर	,,	5-00	,,
5.	,,	,, भीजा/रामा गुजर	भ्र. झोंडी	8-00	,,
6.	,,	,, नाथू/रामा गुजर	,,	8-00	,,
7.	,,	,, कमला/नाथू गुजर	,,	8-00	,,
8.	,,	,, नारायण/नाथू गुजर	,,	5-00	,,
9.	,,	,, कालू/मगना गुजर	,,	8-00	,,
10.	,,	,, दासू/भगमा गंवार	ना. खेड़ा	5-16	,,

1	2	3	4	5	6
11.	सामरियां	श्री मांगीलाल/मागुता गुजर	ना. खेड़ा	5-00	19-12-91
12.	,,	,, कनीराम/नन्दा गुजर	गोरलां	8-00	,,
13.	,,	,, नन्दा/मांगीलाल गुजर	,,	15-00	,,
14.	,,	,, हीरालाल/मूरा गुजर	,,	8-16	,,
15.	,,	,, माधु/मूरा गुजर	,,	9-00	,,
16.	,,	,, देवा/मूरा गुजर	,,	9-00	,,
17.	,,	,, प्रताप/ओंकार गुवार	सुवानिया	2-04	,,
18.	,,	,, पन्ना/मार्वसिंह	,,	7-09	,,
19.	,,	,, उदयलाल/मांगीलाल दरोगा	,,	2-10	,,
20.	,,	,, मगन/कालू दरोगा	,,	3-00	,,
21.	,,	,, धीसा/रत्ता बलाई	,,	3-15	,,
22.	,,	,, छीतर/रत्ता बलाई	,,	3-15	,,
23.	,,	,, नाथू/बालू बलाई	,,	8-00	,,
24.	,,	,, हीरालाल/मार्वसिंह गंवार	,,	5-00	,,
25.	,,	,, बंशीलाल/प्यार चन्द धाकड़	,,	1-03	,,

1	2	3	4	5	6
26.	सामरियां	श्री किसन/मीजा गुजर	मारना	7-00	19-12-91
27.	,,	,, चुन्नीलाल/देवा बलाई	,,	2-05	,,
28.	गोपालपुरा	,, रामलाल/देवी बलाई	थागणमउ	5-00	21-12-91
29.	,,	,, जगमाल/देवी बलाई	—	5-00	,,
30.	,,	,, भंवरलाल/मुज्जा रेगर	—	5-00	,,
31.	,,	,, जगन्नाथ/रामलाल चमार	—	10-00	,,
32.	,,	,, मोहन/किसना बलाई	—	5-00	,,
33.	,,	,, बदरीलाल/गोकल मेघवाल	—	5-00	,,
34.	,,	,, गोपाल/वेषा बलाई	—	5-00	,,
35.	,,	,, कचरू/किसना मेघवाल	—	5-00	,,
36.	,,	,, शंभूलाल/काना बलाई	—	5-00	,,
37.	,,	,, शांतिलाल/काना मेघवाल	—	5-00	,,
38.	,,	,, रामलाल/ओंकार कालबेलिया	—	5-00	,,
39.	,,	,, नन्दलाल/भैरू मेघवाल	गोपालपुरा	1-10	,,

ह.
उपखण्ड अधिकारी
बेगूं

335

वर्ष 90–91 में किए गये आवंटन की सूची

क्रम	पंचायत	नाम आलोटी	मोजा	रकबा	आवंटन दि.
1.	जावदा	मथरा/बालू कुमावत	माण्डाकुई बस्ती	6-00	8-2-91
2.	—	नारायण/मूरा ,,	—	7-00	—
3.	—	नन्दा/रूपा ,,	—	7-00	—
4.	—	मूरा/होकमा ,,	—	5-00	—
5.	—	बालू/होकमा ,,	—	5-00	—
4.	—	रूपा/होकमा ,,	—	5-00	—
7.	—	मांगीलाल/भैरू ,,	—	7-00	—
8.	—	धन्ना/रूपा ,,	—	7-00	—

ह.
उपखड अधिकारी, बेगू
(चित्तौड़गढ़)

ध्वनि प्रदूषण की रोक थाम

532. श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(1) क्या यह सही है कि सरकार की ओर से ध्वनि प्रदूषण एवं अन्य प्रदूषण पर रोक के लिए कोई कार्यवाही नहीं करने के कारण प्रदेश में ऐसे प्रदूषणों में भारी बढ़ोतरी हुई है ?

(2) क्या जयपुर शहर में ध्वनि प्रदूषण की कोई रोकथाम नहीं होने के कारण दिन प्रति दिन इस प्रदूषण को बढ़ावा मिल रहा है ?

(3) इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने क्या ठोस कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

उद्योग से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण के सम्बन्ध में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा अभिमानक निर्धारित नहीं किये गये हैं जिसके अभाव में इस प्रकार के प्रदूषण पर रोक के लिये कार्यवाही करना सम्भव नहीं है। वाहनों से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण की रोकथाम का दायित्व मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत परिवहन विभाग को सौंपा गया है।

(2) उद्योगों से उत्पन्न जल एवं वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिये राज्य मण्डल पूर्णतया सजग एवं प्रयत्नशील है। इसी के फलस्वरूप अब तक चिन्हित जल प्रदूषण करने वाले 346 वृहत एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों में से 126 ने जल प्रदूषण को नियन्त्रित करने हेतु पूर्ण व्यवस्था कर रखी है। 50 उद्योगों ने अपने व्यावसायिक उच्छिष्ठ को शून्य रखने की व्यवस्था अपनाई हुई है। जबकि 42 उद्योगों ने जल प्रदूषण नियन्त्रण की आंशिक व्यवस्था कर ली है। इसी प्रकार राज्य मंडल द्वारा चिन्हित वायु प्रदूषण करने वाले वृहत एवं मध्यम श्रेणी के 429 उद्योगों में से 142 उद्योगों ने वायु प्रदूषण नियन्त्रण की पूर्ण अथवा आंशिक व्यवस्था कर ली है। जबकि 178 इकाईयों में वायु प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण लगाने की आवश्यकता नहीं है।

जी नहीं। मण्डल द्वारा फरवरी, 90 में कराये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में एम्बियेन्ट नोईड लेविल निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया गया, परन्तु शहरी क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र एवं संवेदनशील क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पाई गई।

(3) उद्योगों से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु कार्यवाही मानकों के निर्धारित होने के पश्चात् ही संभव है तथापि इस सम्बन्ध में लोकचेतना जागृत करने हेतु राज्य मण्डल समय-समय पर प्रयत्न करता रहा है।

बस्सी में माड़ा योजनान्तर्गत कराये गये कार्य

533. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में माडा योजना के अन्तर्गत 1980 से अब तक किस-किस ग्राम में क्या-क्या कार्य करवाये गये ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार माडा में रहे अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस-किस कार्य को कब तक पूर्ण करवाया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या बस्सी सांभरिया रोड से घिनावाला तक निर्मित रोड का डामरीकरण किया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बस्सी में माडा के तहत सड़कों का निर्माण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में माडा योजना के अन्तर्गत 1980 से अब तक कराये गये कार्यों का ग्रामवार विवरण परिशिष्ट 1 में दिया गया है ।

(2) जी हां । अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर एवं उपलब्ध धनराशि के आधार पर पूर्ण कराये जावेगें ।

(3) माडा योजना के तहत वर्तमान में बस्सी सांभरिया रोड से घिनावला रोड तक डामरीकरण कराने के कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं । उपलब्ध राशि के आधार पर तथा प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्यवाही की जा सकेगी ।

(4) जी हां । प्रस्ताव प्राप्त होने पर धनराशि की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार स्वीकृति जारी कर निर्माण करवाया जा सकेगा ।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में माडा योजना के अन्तर्गत 1980 से अब तक कराये गये कार्यों का विवरण :—

क्र. सं.	नाम कार्य	नाम ग्राम
1	2	3
1.	कूप निर्माण	1. विमलपुरा
		2. जगदीशपुरा
		3. श्री किशनपुरा
		4. नन्दलालपुरा
		5. जगरामपुरा
		6. महेशपुरा
		7. कुशलपुरा
		8. कांकरिया
		9. केशोपुरा
		10. कुशलपुरा
		11. हीरापुरा
		12. खेजड़ा खुर्द
		13. त्रिलोकी नाथपुरा
		14. महाराजपुरा
		15. बद्री नाथपुरा
		16. बालमुकन्द पुरा
		17. देहलादा
		18. महाराजपुरा
		19. विमोदीलाडपुरा
		20. बलरामपुरा
		21. बाढयादगारपुरा
		22. रमजानीपुरा
		23. श्यामपुरा

(340)

1	2	3
		24. मैनपुरा
		25. अजमेरीपुरा
		26. चकबानपुरा
		27. नागललाड
		28. गढका वाडा
		29. बाढमहाराजपुरा
		30. रामचन्द्रपुरा
		31. बाढबावनपुरा
		32. बाढमुरलीपुरा
		33. रूपनगर
		34. गोठ का वास
		35. बाढ चौहान
		36. खोरी
		37. चारणावास
		38. काशीपुरा
		39. टोडामाटा
		40. कानेश
		41. बावडी का बास
		42. धीगड का वास
		43. गुठामीना
		44. मूगडली
		45. शंकरपुरा
		46. विराजपुरा
		47. सियाकावास
		48. त्रिलोकपुरा
		49. सांवलिया वाला
		50. रेडियावाला

1	2	3
		51. जयराम का वास
		52. बिहारीपुरा
		53. हूरडा
		54. चित्तोड़ा
		55. निमोरा
		56. बरोडा
		57. महाराजपुरा
		58. चाँदपुरा
		59. बिहारीपुरा
		60. देवापुरा
		61. सिन्दोली
		62. वृक्षावाला
		63. गोकलपुरा
		64. दयारामपुरा
		65. घाटा
		66. श्यामपुरा
		67. मोन्याधाला
		68. चैनपुरा
		69. लालगढ़
		70. चापडिया
		71. मावावाला
		72. भर
		73. लालपुरा
		74. उगावास
		75. माकरी
		76. भरवैपुरा
		77. चोरवाड़ा

1	2	3
		78. भणातपुरा
		79. किशनपुरा
		80. गोरडी
		81. भबरूपुरा
		82. हरध्यानपुरा
		83. हरडी
		84. बूढथल
		85. मनोहरपुरा
		86. दोपुर
		87. देवापुरा
		88. चतरपुरा
		89. अभयपुरा
		90. हिम्मतपुरा
		91. ठिठोल
		92. हरचन्दपुरा
		93. खेराजवाला
		94. चकमाधोगढ़
		95. डेढपुरा
2.	प्राथमिक शाला भवन निर्माण	1. रमजानीपुरा
		2. विमलपुरा
		3. जगदीशपुरा
		4. गोठ का वास
		5. हीरापुरा
		6. खेजडी खुर्द
		7. श्यामपुरा
		8. चितौडी
		9. चारणवास

1	2	3
		10. विमलपुरा
		11. उजावास
		12. घाटा
		13. श्यामपुरा
		14. चैनपुरा
		15. सांख
		16. कानडवास
		17. निमोरा
		18. अभयपुरा
		19. जयराम का वास
		20. ग्वालनी
		21. भटेसरी
3.	एनीकट	1. निमोदा महाराजपुरा
		2. नैनपुरा
		3. ठीकरिया मीणा
		4. भपावडा
		5. गोविन्दपुरा
		6. बाढयादपुरा
		7. हीरापुरा
		8. नई का नाथ चित्तौडी
		9. फूटावाला
		10. निमोरा
		11. झर
		12. किशनपुरा
		13. बावडी का वास
		14. विमलपुरा
		15. अभयपुरा

1	2	3
		16. घीगा का वास 17. मोन्यावाला
4.	सड़क	1. ठीकरियामीना 2. आश्रम छात्रावास झर से ग्राम झर तक रोड़ 3. नेशनल हाई वे से बिहारीपुरा तक रोड़ 4. मनोहरपुरा से देवापुरा
5.	निर्मित आश्रम छात्रावास में निर्माण कार्य	1. ठीकरिया मीना छात्रावास में बहु-उद्देशीय हॉल का निर्माण 2. झर आश्रम छात्रावास में बहु-उद्देशीय हॉल का निर्माण 3. बाउण्ड्रीवाल आश्रम छात्रावास झर

पाली जिले के छात्रावास

534. **श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण)** : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला पाली के सोजत, रायपुर, जैतारण, आनन्दपुर कालू में समाज कल्याण छात्रावास हैं? यदि हां, तो प्रत्येक छात्रावास में कितने-कितने छात्र हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) नियमानुसार प्रत्येक छात्र को कितना राशन, आर्थिक सहायता, कपड़े, पुस्तकें इत्यादि सहायता के रूप में दी जाती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त सभी छात्रावासों में नियमानुसार राशन, पुस्तकें, कापियां, कपड़े इत्यादि नहीं मिल रहे हैं तथा खाना भी घटिया मिलता है ? यदि हां, तो सरकार इस स्थिति को सुधारने की क्या कार्यवाही कर रही है ?

(4) क्या उक्त छात्रावासों की जांच वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 से अब तक की गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा पाली में सोजत, जैतारण एवं आनन्दपुर कालू में ही छात्रावास स्वीकृत हैं रायपुर में नहीं। उक्त छात्रावासों की स्वीकृति एवं प्रवेशित छात्र संख्या निम्न प्रकार है :—

क्रमांक	छात्रावास का नाम	स्वीकृत छात्र संख्या	प्रवेशित छात्र संख्या
1.	राज. अनुसूचित जाति छात्रावास, सोजत	50	50
2.	,, जैतारण	55	55
3.	,, आनंदपुरकालू	25	25
4.	राजकीय विमुक्त एवं घुमन्तु जाति छात्रावास सोजत	25	25

(2) छात्रावास में रहने वाले छात्र/छात्राओं को भोजन, वस्त्र, तेल, साबुन, जूते, पोशाक आदि सुविधायें प्रदान करने हेतु 250/- रुपये प्रति छात्र प्रति माह उपलब्ध कराये जाते हैं तथा कक्षा 6 से 8 तक 40/- रुपये तथा कक्षा 9 से 12 तक तक 60/- रुपये प्रति छात्र प्रति सत्र पुस्तकें एवं स्टेशनरी हेतु एक मुश्त नकद उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा छात्रावास में रहने वाले छात्र/छात्राओं को निःशुल्क आवासीय सुविधा व बिस्तर आदि भी उपलब्ध कराये जाते हैं।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां, उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार 1990-91 में अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षणों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम बाप (फलोदी) में पुलिया निर्माण

535. **श्री पूनम चन्द विश्नोई** (फलोदी) : क्या जोधपुर लिफ्ट नहर (पेय जल सम्बन्धी) राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर लिफ्ट नहर पर फलोदी तहसील के बाप गांव की सरहद में आर.डी. 39 पर एक पुलिया निर्मित की जा रही है?

(2) क्या यह सही है कि यह पुलिया केवल 6 फीट चौड़ी है जिससे इस पर से ट्रेक्टर आदि वाहन नहीं निकल सकते?

(3) क्या यह पुलिया बाप ग्राम से मोडली ग्राम के रास्ते पर है?

(श्री पूनम चन्द विश्नोई)

(4) क्या यह सही है कि बाप ग्राम के सैकड़ों निवासियों के खेतों और उनके गांव के बीच यह छोटी पुलिया होने से गाड़ी, टैक्टरों आदि को ले जाने में भारी कठिनाई होगी ?

(5) क्या सरकार इस पुलिया के आकार को बढ़ायेगी ताकि टैक्टर, गाड़ी आदि आसानी से जा सकें ?

उत्तर

(1) उल्लेखित पुलिया का निर्माण कर दिया गया है ।

(2) पुलिया 5 फीट चौड़ी है, एवं यह मनुष्यों व पशुओं के उपयोग हेतु ही बनायी गयी है ।

(3) जी नहीं । पुलिया का निर्माण बाप ग्राम के निकटस्थ ढाणियों में निवास करने वाले ग्रामीणों के उपयोग हेतु है ।

(4) सन्दर्भित पुलिया वाहनों के आवागमन हेतु नहीं बनाई गई है ।

(5) वाहनों के आवागमन हेतु एक पुलिया आर.डी. 42 किलोमीटर पर निर्मित की गई है ।

स्वायत्तशासी महाविद्यालय, अजमेर द्वारा आयोजित परीक्षा में अनियमितता

536. **श्री हरीश झामनानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या मुख्य (उच्च शिक्षा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि स्वायत्तशासी महाविद्यालय, अजमेर में वर्ष 1989-90 की परीक्षाओं में भारी गड़बड़ हुई तथा दोषी प्राचार्य को अजमेर से स्थानान्तरण कर बांसवाड़ा भेजा गया ? यदि हां, तो तत्कालीन प्राचार्य द्वारा की गई अनियमितताओं, भ्रष्टाचार व गड़बड़ी के मामलों में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

स्वायत्तशासी महाविद्यालय, अजमेर की वर्ष 1989-90 की परीक्षा उत्तर पुस्तकों के पुनर्मूल्यांकन में हुई गड़बड़ी की जांच अभी जारी है सम्बन्धित प्राचार्य का स्थानानान्तरण अजमेर से बांसवाड़ा पूर्णत: प्रशासनिक कारणों से जनहित में किया गया था । उक्त प्राचार्य के विरुद्ध अनियमितताओं, भ्रष्टाचार व गड़बड़ी का कोई प्रकरण नहीं होने से किसी प्रकार की कार्यवाही करने का औचित्य नहीं था ।

भरतपुर में आयल काम्पलेक्स योजना की स्वीकृति

537. **श्री नत्थीसिंह** (कुम्हेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि एन. डी. डी. बी. द्वारा भरतपुर में आयल काम्पलेक्स लागू करने की योजना की स्वीकृति हुई थी ? यदि हां, तो इसकी क्या लागत थी ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त

(श्री नत्थी सिंह)

काम्पलेक्स को भरतपुर से अन्यत्र स्थानान्तरित करने के आदेश सरकार द्वारा किये गये थे ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त संयंत्र को भरतपुर में ही लगाने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की सहायता से 12.60 करोड़ रुपये का एक तेल संयंत्र अलवर भरतपुर व धौलपुर क्षेत्र के लिये लगाया जाना था।

(2) भरतपुर के पास पर्यावरणीय कारणों से संयंत्र नहीं लगा पाने से वैकल्पिक रूप से संयंत्र अलवर में लगाने का निर्णय लिया गया है इसके लिये राज्य सरकार द्वारा भूमि का आवंटन कर दिया गया है।

(3) संयंत्र अब अलवर में ही लगाया जा रहा है।

बीकानेर कैनाल की मरम्मत

538. श्री केदारनाथ शर्मा (श्री गंगानगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर कैनाल की समुचित मरम्मत के लिए कितनी राशि खर्च होगी ?

(2) मरम्मत के लिए पंजाब सरकार से क्या समझौता हुआ ?

(3) कितने वर्षों में मरम्मत का कार्य सम्पन्न हो जाएगा ?

(4) 1992 की वार्षिक योजना में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1988 के तखमीने के अनुसार बीकानेर नहर (गंग कैनाल) की पुनः लाईनिंग की अनुमानित लागत 53.70 करोड़ रुपये हैं।

(2) इन्दिरा गांधी फीडर-गंगनहर, लिंक नहर बनाकर, बीकानेर नहर की पुनः लाईनिंग करने के प्रस्ताव की पंजाब सरकार ने सिद्धान्त रूप से सहमति दी है।

(3) कार्य प्रारम्भ होने के बाद 4-5 वर्षों में पूर्ण हो सकेगा।

(4) 1992-93 के वर्ष में योजना के अन्तर्गत 3.50 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। इस राशि को आवश्यकतानुसार बढ़ाया/घटाया जा सकेगा।

टोंक में केरोसिन तेल का ब्लेक

539. श्री लक्ष्मीलाल (आसीन्द) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इंडियन आयल डीलर राजस्थान पैट्रोलियम, टोंक

(श्री लक्ष्मीलाल)

द्वारा 7,30,000 लीटर करोसीन तेल ब्लेक करने का मामला प्रवर्तन स्टाफ द्वारा पकड़ा गया और जिला रसद अधिकारी, टोंक को इस मामले में निलम्बित किया गया तथा प्रवर्तन निरीक्षक का स्थानान्तरण हुआ था ?

(2) क्या कलक्टर, टोंक व उपखंड अधिकारी, टोंक ने खाद्य विभाग को इस मामले में कोई रिपोर्ट भेजी जो गलत थी ? यदि हां, तो इस बारे में आगे क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) यह सही है कि इंडियन आयल डीलर राजस्थान पैट्रोलियम, टोंक द्वारा 7,30,000 लीटर कैरोसीन तेल ब्लैक करने का मामला पकड़ा गया था एवं जिला रसद अधिकारी, टोंक को इसी मामले में निलम्बित किया गया किन्तु टोंक जिले के प्रवर्तन निरीक्षकों के स्थानान्तरण केवल इस मामले में नहीं कर प्रशासनिक कारणों से किये गये।

(2) कलक्टर, टोंक ने खाद्य विभाग को इस मामले में जो रिपोर्ट भेजी, वह गलत नहीं थी।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट योजनायें

540. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या इंदिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कोलायत, गजनेर, पोकरण, साहबा, चूरू और फलोदी लिफ्टों की मूल योजना किस आधार पर बनाई गई थी ? मूल योजना बनाने वाले इंजीनियर कौन-2 थे तथा उनकी क्या-2 सिफारिशें थीं ?

(2) मूल योजना में उक्त लिफ्टों की लम्बाई, चौड़ाई और गहराई कितनी-2 निर्धारित की गयी और कितने क्यूसेक्स पानी की मात्रा वहन करने की क्षमता बनाई गयी थी ? क्या वर्तमान में उक्त लिफ्टों की जल प्रवाह क्षमता में कोई परिवर्तन किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या-क्या परिवर्तन किए जा रहे हैं। सार संक्षेप सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1974 में द्वितीय चरण में लिफ्ट नहरें जोड़ने की सिफारिश की। इसके अनुरूप राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ 7(19) ओ एण्ड एम/जी आर-5/75/3188 दिनांक 5 मई, 1975 से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का कार्य वेपकोज को दिया गया। यह प्रतिवेदन मई, 1976 में मुख्य सचिव, राजस्थान को दिया गया इस प्रतिवेदन के प्रस्तुत करने वाले अभियन्ताओं के नाम इस प्रकार हैं :—

1. श्री कंवरसैन
2. श्री बलवन्त सिंह नाग
3. श्री ओ. पी. चड्ढा
4. श्री हरीसिंह

इनके साथ श्री रणवीर सिंह, निदेशक कृषि, राजस्थान, जयपुर भी मूल प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वालों में थे।

(इंदिरा गांधी नहर मंत्री)

इस प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार थी :—

1. द्वितीय चरण के छः लाख हैक्टेयर के प्रवाह क्षेत्र को 3.5 लाख हैक्टेयर तक सीमित करना।

2. लिफ्ट नहरों द्वारा 90 मीटर लिफ्ट करके 3.89 लाख हैक्टेयर में सिंचाई करना।

3. कृषि पद्धति (क्रापिंग पैटर्न) को बदलते हुए कृषि-(मिक्स फार्मिंग) पद्धति को अपनाना।

(2) उपरोक्त प्रतिवेदन जो मई, 1976 में प्रस्तुत किया गया था उस पर दिसम्बर, 1976 में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि लिफ्ट की सीमा 60 मीटर रखते हुए 2.6 लाख हैक्टेयर क्षेत्र शामिल किया जावे। इसके पश्चात् 11-2-78 की बैठक में मंत्री मण्डल ने केवल फलों क्षेत्र में ही परियोजना कार्य जारी रखने का निर्णय लिया। जून, 1983 में पुनः मंत्री मण्डल में निर्णय लिया गया कि 60 मीटर लिफ्ट तक 2.9 लाख हैक्टेयर क्षेत्र शामिल किया जाये। इस निर्णय की पालना में द्वितीय चरण का प्राक्कलन भारत सरकार से वर्ष 1987 में स्वीकृत हुआ जिसमें 60 मीटर लिफ्ट की सीमा रखने व उसके अनुरूप 3.12 लाख हैक्टेयर क्षेत्र इन लिफ्टों के लिए रखा गया तदनुसार कार्य प्रगति पर है। इस स्वीकृति प्राक्कलन के अनुसार इन लिफ्ट नहरों के प्रमुख आंकड़े परिशिष्ट "क" पर सदन की मेज पर रख दिये गये हैं। ये सभी आंकड़े नहरों के महबूब सेक्सन बनाये जाने पर आधारित हैं। इसके पश्चात् तकनिकी कारणों से महबूब सेक्शन को बदल कर ट्रपेजाइडल किया गया जिसके अनुसार प्रमुख आंकड़े परिशिष्ट "ख" पर सदन की मेज पर प्रस्तुत हैं और तदनुसार कार्य प्रगति पर है।

वर्तमान में उक्त जलोत्थान नहरों की जल प्रवाह में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा। सिंचित योग्य क्षेत्र के कुछ भाग में धरातल के नीचे बहुत नजदीक कठोर धरातल (हार्ड-पान) होने के सम्बन्ध में "वैपकोज" द्वारा इसका अध्ययन किया जा रहा है। उनसे अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

SALIENT FEATURES OF RAJASTHAN MAIN CANAL & BRANCHES परिशिष्ट-"क"

(LIFT AREAS)

S. No.	Particulars	Unit	Sahawa Lift Canal	Gajner Lift Canal	Bangarsar Lift Canal	Kolayat Lift Canal	Phalodi Lift Canal	Pokaran Lift Canal
1.	Off Take From Main Canal	RD	109	749.6	880.0	958.5	1121.0	1201.5
2.	Length	RD	109.5	32.10	10.4	31.4	32.0	26.0
3.	Discharge At Head	Cumeos	25.22	12.66	2.156	19.80	14.469	5.824
4.	Full Supply Depth At Off Take	Metre	3.8	2.95	1.50	3.45	3.10	2.20
5.	Bed Width At Off Take	Metre	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero	Zero
6.	Bed Slope		1 in 10000	1 in 10000	1 in 10000	1 in 10000	1 in 10000	1 in 10000
7.	Bed Side Slope		2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1
8.	CCA (Ha)	Ha	97049	49537	8500	77756	56750	22700
9.	Irrigation Potential	Ha	77639	39630	6800	62205	45400	18160
10.	Cost	Crores Rupees	97.58	30-36	5-13	70.86	48.62	23.76

परिशिष्ट–'ख' | प्रपत्र–'ख'

Salient Features of Lift Conols Under Construcotion in Indira Gandhi Nahar Project

S.No.	Descriptions	Sahwa Lift	Gajner Lift	Bangarsar Lift	Kolayat Lift	Phalodi Lift	Pokran Lift
1.	Discharge	21.742 Cumees	11.13 Cumees	2.296 Cumees	17.399 Cumees	12.782 Cumees	5.831 Cumees
2.	F. S. D.	2.65 Mtrs.	1.95 Mtr.	1.1 Mtrs.	2.00 Mtrs.	2.07 Mtrs.	2.2 Mtrs.
3.	F. B.	0.762 ,,	0.762 ,,	0.6096 ,,	0.762 ,,	0.762 ,,	0.60 ,,
4.	Bed-widlk	5.3 ,,	3.9 ,,	2.2 ,,	7.00 ,,	4.14 ,,	0.00 (Mehboob)
5.	Bed-slope	1 in 12,000	1 in 10,000	1 in 10,000	1 in 10,000	1 in 10,000	1 in 10,000
6.	Bank-widlk-L/R	7 396/4.956	7.396/3.733	4.95/1.75	6.095/3.66	7.37/3.715	7.927/5.488
7.	Velroity	0.724 M/Sec.	0.647 M/Sec	0.4417 M/Sec	0.700 M/Sec	0.67 M/Sec	0.592 M/Sec
8.	Side-Slope	2:1	2:1	2:1	2:1	2:1	1:5:1

बेरी आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की सिफारिशें

541. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) एवं **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बेरी आयोग (भूमि सम्बन्धी जांच) द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को लागू करने के संबंध में सरकार ने तीन सदस्यीय गठित बेरी कमेटी से राय मांगी थी ? यदि हां तो कब एवं क्या ? क्या राय प्राप्त हो गई ?

(2) क्या यह सही है कि बेरी कमेटी द्वारा आयोग ने प्रतिवेदन में सम्मिलित सिफारिशों को लागू करने हेतु सुझाव दिये गये हैं ? यदि हां, तो कमेटी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि सरकार बेरी समिति की सिफारिशों से सहमत है ? यदि हां, तो इन्हें कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गठित बेरी समिति को बलदेव प्लाजा प्रकरण, जयपुर, जोधपुर की बी. जे एस. कालोनी, नगर परिषद् जोधपुर की सीमा में सम्मिलित 16 ग्रामों के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकरणों पर विचार की सिफारिशें सुझाने हेतु निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो इन पर क्या सिफारिशें की गई हैं ? सिफारिशों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । बेरी कमेटी की राय मई, 1991 में प्राप्त हो गई है ।

बेरी कमेटी की रिपोर्ट का परीक्षण राज्य स्तर पर किया जा रहा है ।

(2) चूंकि यह मामला अभी विचाराधीन है, अतः इस स्टेज पर समिति की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखना जनहित में उचित नहीं है ।

(3) बेरी कमेटी की सिफारिशों का अभी राज्य स्तर पर परीक्षण किया जा रहा हैं । कमेटी की सिफारिशों पर अभी तक राज्य सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है ।

(4) बलदेव प्लाजा, जयपुर, प्रकरण में बेरी समिति की रिपोर्ट प्राप्त की गई है । यह रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन है । ऐसी स्थिति में रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की प्रति सदन की मेज पर रखना जनहित में उचित नहीं होगा ।

बी. जे. एस. कालोनी, जोधपुर तथा नगर परिषद के 16 गांवों के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकरणों की जांच कर सुझाव देने हेतु कोई मामला बेरी समिति को नहीं सौंपा गया है ।

वन विभाग की भूमि पर काश्तकारों को खातेदारी अधिकार

542. **श्री दयाराम परमार** (खेरवाड़ा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वन विभाग की भूमि जिन काश्तकारों के कब्जे में है उनको खातेदारी हक दिलवाने की कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो अभी तक क्या

(श्री दयाराम परमार)

कार्यवाही हो गई है और कब तक कार्यवाही पूर्ण होकर खातेदारी हक मिल जायेंगे ?

(2) क्या यह भी सही है कि मौके देखने के लिए जो कमेटियां बनाई हैं उन कमेटियों को वन विभाग के अधिकारी ठीक तरह से सहयोग नहीं कर रहे हैं ? इसलिए अधिकतर मौके नहीं देखे जा सके हैं ?

(3) उदयपुर जिले के विभिन्न रेंजों का मौका देखने का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 1-7-1980 के पूर्व से आदिवासी क्षेत्रों में वन भूमि पर लगातार काबिज आदिवासी परिवारों के कब्जों का नियमन किया जाना प्रस्तावित है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार के स्वीकृति मिलने के पश्चात ही विधिवत नियमन पूर्ण होगा।

(2) जी नहीं।

(3) उदयपुर जिले में विभिन्न रेंजों में मौका देखे गये प्रकरणों का विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" के अनुसार रख दिया गया है।

उदयपुर जिले में विभिन्न रेंजों में मौका देखे गये प्रकरणों का विवरण :

नाम रेंज	मौका देखे गये प्रकरणों की संख्या
कुम्भलगढ़ (सोगन्दो क्षेत्र)	3
सलूम्बर	305
ओगणा	12
उदयपुर (पश्चिम)	मौका देखने के लिए नियत तिथि पर मनोनीत सदस्य उपस्थित नहीं होने के कारण कोरम अपूर्ण रहा एवं मौके नहीं देखे जा सके।
खेरवाड़ा	
कोटडा	
देवला	
परशाद	
झाडोल	
उदयपुर (पूर्व)	—
गोगुन्दा	7
कुरावड	—
सीतामाता अभ्यारण्य रेंज धरियावद	56
फुलवाडी की नाल अभ्यारण्य रेंज कोटडा	116
कुम्भलगढ़ अभ्यारण्य रेंज कुम्भलगढ़	8
धरियावद	165
बाँसी	64

अनुदानित छात्रावासों/संस्थाओं में अनियमितताएं

543. डा. चन्द्रभान (मण्डावा), **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (झुंझुनूं) एवं **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य के अनुदानित छात्रावासों व संस्थाओं में से किन-किन के विरुद्ध भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हुई ? जांच में कौन-कौन सी संस्थाएं दोषी पाई गई ? सूची सदन की मेज पर रखें। दोषी पाई गई संस्थाओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(2) इन संस्थाओं/व्यक्तियों से कितनी धन राशि वसूल की गई तथा शेष राशि कब तक वसूल करली जायेगी ?

उत्तर

(1) राज्य के 40 अनुदानित छात्रावासों एवं 42 अनुदानित संस्थाओं जिनका विवरण परिशिष्ट 'अ' के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया है, के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की शिकायतें/विशेष निरीक्षणों के दौरान जानकारी प्राप्त हुई। जांच निरीक्षणों के दौरान दोषी पाई गई संस्थाओं की सूची एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) उपरोक्त संस्थाओं से अब तक 44,526/– रुपये की वसूली करली गई है तथा शेष प्रकरणों में वसूली की कार्यवाही जारी है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य के नव सृजित पशु चिकित्सालय

544. श्री सम्पतसिंह (नगर) : क्या पशु पालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्तमान वर्ष में कितने पशु चिकित्सालय शुरू किये गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पशु चिकित्सालय शहरों में रखने का क्या औचित्य है ?

(3) जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर एवं सभी जिला मुख्यालयों शहरों पर पशुओं के उपचार के लिए एक वर्ष में दवाइयों का क्या प्रावधान रखा जाता है ? दवाइयों की वितरण इत्यादि की जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चालू वित्तीय वर्ष में नये पशु चिकित्सालय नहीं खोले गये हैं।

(2) शहरी क्षेत्र के पशुओं की चिकित्सा हेतु शहरों में पशु चिकित्सा संस्था भी खोलना आवश्यक होता है।

(3) जयपुर, कोटा, जोधपुर एवं उदयपुर में कार्यरत पोलीक्लिनिकों को दवाइयों हेतु प्रतिवर्ष औसतन 2.50 लाख रुपये तथा अन्य जिला मुख्यालय के चिकित्सालयों को औसतन 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष दवाइयों हेतु प्रावधान किया जाता है। जिला अधिकारी द्वारा पशुओं की संख्या चिकित्सालय संस्था की मांग तथा उपलब्ध बजट के अनुसार दवाइयां उपलब्ध करा दी जाती हैं। जानकारी सदन की मेज पर रख दी गई है।

राजस्थान सरकार

निदेशालय, पशुपालन, राज. जयपुर।

क्रमांक एफ. 9/148/लेखा/क्रय-ब/88-90/8242-8855 दिनांक 9-11-90

समस्त मांग पत्र अधिकारी,
पशुपालन विभाग, राज.

विषय :—औषधियों एवं उपकरणों आदि की अनुमोदित सूची दिनांक 31-3-1992 तक के सम्बन्ध में।

संलग्न सूची के अनुसार औषधियों एवं उपकरणों आदि की दरें दिनांक 31-3-1992 तक के लिये अनुमोदित सूची के अनुसार अपनी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर क्रय आदेश निम्न निर्देशों को ध्यान में रखते हुये दिये जावे :—

यह दरें पशु पालन/भेड़ व ऊन विभाग में लागू होंगी :—

1. यह सूची दिनांक 31-3-1992 तक ही प्रभावशील है। किसी फर्म में अभी तक अनुबन्ध नहीं किया है। अतः जब तक निदेशालय से भुगतान आदेश जारी नहीं किये जावे तब तक किसी भी फर्म को भुगतान नहीं किया जावे, इसे अत्यावश्यक समझा जावे।

2. समस्त जिला पशु पालन अधिकारी एवं प्रभारी पशु पॉली क्लिनिक कोई भी क्रय आदेश जारी करने से पूर्व अपने अधीनस्थ संस्थाओं से लिखित में मांग (जिसे रिकार्ड पर रखा जावे) लेने के पश्चात तीन अधिकारियों की कमेटी गठित कर प्राप्त मांग, भण्डार की स्थिति (Stock Position) एवं उपलब्ध बजट प्रावधान को ध्यान में रखते हुये क्रय की जाने वाली औषधियों एवं उपकरणों की वास्तविक मांग को सुनिश्चित करेंगे। यथा सम्भव एक औषधि एवं उपकरण की क्रय रु. 5,000/- से अधिक के क्रय आदेश एक बार में जारी नहीं करेंगे। आवंटित बजट से अधिक की देनदारियां किसी भी स्थिति में उत्पन्न नहीं की जावें। अन्यथा आवंटन से अधिक देनदारियों की वसूली सम्बन्धित अधिकारी से की जावेगी। एक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। किसी आईटम की क्रय वास्तविक मांग से अधिक नहीं की जावे एवं किसी भी आवश्यक आईटम का अभाव भी नहीं रहे।

3. ऐसी औषधियां जिनके गुणों आदि के क्रम में आपको कोई शिकायत हो, की सूचना निम्नलिखित प्रोफार्मा में इस निदेशालय को वरिष्ठ लेखाधिकारी के नाम से प्रेषित करेंगे।

क्र.सं.	आइटम	औषधि का नाम	फर्म का नाम	बैच सं.	कालातीत दिनांक	शिकायत का विस्तृत विवरण
1	2	3	4	5	6	7

4. प्राप्त सभी औषधियों का इन्द्राज भण्डार पंजिका में मय बैच नम्बर एवं कालातीत दिनांक (Date of Expiroy) के करेंगे।

5. बैन्डेज एवं गॉज की क्रय वित्त (सी.एस.पी.ओ.) विभाग, राज. जयपुर के आदेश क्रमांक प. 7 (वित्त) सी एस.पी.ओ./85/206 दिनांक 4-4-88 के अनुसार राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लि., जयपुर एवं राजस्थान राज्य हैण्डलूम डवलपमेंट कार्पो. लि., जयपुर से उनकी अनुमोदित दरों पर की जावे।

6. प्रथम व कुछ आइटमों में द्वितीय दोनों ही न्यूनतम दरें प्रेषित की जा रही है। जिससे क्रय आदेश प्रथम न्यूनतम अनुमोदित फर्म को ही किया जावे तथा प्रथम फर्म द्वारा माल सप्लाई नहीं करने पर उसकी जोखिम क्रय द्वितीय फर्म से की जावे तथा प्रथम व द्वितीय दरों के अन्तर की वसूली प्रथम फर्म से की जावे। यदि प्रथम फर्म का कोई भी बिल बकाया न हो तो वसूली की जाने वाली राशि की सूचना संतोषप्रद प्रतिवेदन के साथ इस राशि के विषय में निदेशालय को दिनांक 30-4-92 तक भेजी जावे। इन निर्देशों से भली-भांति सूचित होते हुए ध्यान रखा जावे कि यदि द्वितीय फर्म से की गई क्रय की वसूली प्रथम फर्म से नहीं की गई हो तो वह राशि सम्बन्धित अधिकारी से वसूल की जावेगी। हर स्थिति में सप्लाई आदेश प्रथम स्तर पर अनुमोदित फर्म को ही दिया जावे। अन्यथा विभाग को हुई हानि के अतिरिक्त निर्देशों की अवहेलना मानते हुए सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

7. ड्यूटी फ्री आइटमों के सप्लाई आदेश के साथ ड्यूटी फ्री (Duty free) एवं चुंगी मुक्ति प्रमाण-पत्र निर्धारित (प्रोफार्मा) में आवश्यक रूप से क्रय आदेश के साथ ही भेजे जावें।

8. कैमिकल्स एवं औषधियों को प्राप्त करते हुये इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जावे कि वे अनुमोदित ब्राण्ड/मैक तथा अनुमोदित स्पेशीफिकेशन एवं सूची में अंकित आई.पी (बी.पी./यू.एस.पी.) (वी.पी. वेट/वी. वेट सी.) स्तर का तथा तोल व नाप की ही हो अन्यथा स्वीकार नहीं की जावे।

9. सप्लाई आदेश में स्पष्ट कर दिया जावे कि फर्म बिल में इस आशय का प्रमाण पत्र देवे कि बिल में अंकित औषधियों एवं उपकरण आदि उनमें अंकित

दर से कम कीमत पर किसी भी ग्राहक को नहीं बेची है। प्रमाण पत्र के अभाव में बिल पारित नहीं किया जावे।

10. किसी भी फर्म में छपे (Printed) सप्लाई आदेश पर कोई भी मांग पत्र अधिकारी हस्ताक्षर नहीं करेंगे एवं कार्यालय से ही पूर्व में निर्धारित प्रपत्र (प्रोफार्मा) में ही सप्लाई आदेश दिये या भेजे जावें। प्रत्येक सप्लाई आदेश की प्रति निदेशालय को भी उसी दिन आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे।

11. फर्म को सप्लाई आदेश रजिस्टर्ड डाक से भेजे जावें। साधारण डाक से अथवा यू.पी.सी. से नहीं भेजे जावें। सप्लाई आदेश की रजिस्ट्री डिस्पेच की तारीख को ही की जावे। सप्लाई आदेश दिये जाने के पश्चात उसे रद्द नहीं किया जावे। यदि फर्म सप्लाई नहीं करती है तो निविदा शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जावे।

12. ऐसी औषधियां एवं उपकरण जो अनुमोदित नहीं है वे किसी भी मात्रा में बिना निदेशालय की स्वीकृति के क्रय नहीं किये जावें केवल पॉलिक्लिनिक व प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में समस्त प्रकार की ऐसी औषधियां जिनकी दरे अनुमोदित नहीं हैं आपातकाल (इमरजेन्सी) में वर्ष भर में रु. 3,000.00 तक की क्रय कर सकेंगे।

13. किसी भी फर्म को सप्लाई आदेश यथा सम्भव रु. 1000.00 से कम राशि का नहीं दिया जावे।

14. संलग्न सूची में अंकित फर्मो के साथ दी गई शर्तों एवं छूट का विशेष ध्यान रखा जावे, यदि कोई अधिकारी विशेष छूट का लाभ प्राप्त नहीं करता है तो उस राशि की वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से की जावेगी।

15. निर्देश संख्या 6 (छः) पर पुनः ध्यान देवें कि द्वितीय न्यूनतम दर वाली फर्म से क्रय तभी की जावे जबकि प्रथम न्यूनतम दर वाली फर्म सप्लाई नहीं करती है एवं ऐसी स्थिति में अन्तर की राशि प्रथम अनुमोदित फर्म से वसूल की जावेगी।

16. शर्तों के अनुसार सम्भावित हानि आदि की कटौती फर्म के बिलों से काटकर भुगतान किया जावे।

17. इस अनुबन्ध के अन्तर्गत वसूल की जाने वाली राशि की सूचना (प्रत्येक फर्म की पृथक-पृथक) सन्तोषप्रद प्रतिवेदन के साथ 30-4-92 तक आवश्यक रूप से भेजी जावे।

18. विवाद रहित माल का भुगतान फर्म को माल प्राप्ति के 15 दिवस में आवश्यक

रूप से कर दिया जावे। टूट-फूट की सूचना फर्म को तत्काल प्रेषित की जावे। खराब माल फर्म को एक सप्ताह में लौटा दिया जावे। इस टूट-फूट व कमी की सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा फर्म को माल प्राप्ति के एक सप्ताह में आवश्यक रूप से दी जावे अन्यथा आप निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे।

19. निविदा शर्तें आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित की जा रही है। इसकी तथा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों की कठोरता से पालना की जावे।

20. यह भली-भांति नोट कर लें कि संलग्न अनुमोदित सूची दिनांक 31-3-92 तक ही प्रभावशील है। एवं यदि इस तिथि को नहीं बढ़ाया जाता है और किसी मांग पत्र अधिकारी द्वारा सप्लाई आदेश दिये जाते हैं तो उसे आदेशों की अवहेलना समझते हुये उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

21. जिला पशुपालन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, पशु अनुसंधान केन्द्र, बस्सी तथा प्रभारी अधिकारी पॉलीक्लिनिक अपने अधीनस्थ चिकित्सालयों/अनुभाग अधिकारी से उनकी मांग प्राप्त करने के पश्चात ही स्वीकृत बजट प्रावधान की सीमा में ही उनके अनुसार क्रय आदेश जारी करेंगे। इसका विवरण अपने पास निम्न प्रोफार्मा में निरीक्षण हेतु हर समय तैयार रखेंगे।

क्र.सं.	औषधि/औजार आदि का विवरण					आदेशित माल की मात्रा	विशेष विवरण
	केटलाग संख्या	नाम	मात्रा जो भण्डार में उपलब्ध है	मांग जो प्राप्त हुई	क्रमांक दिनांक		
1	2	3	4	5	6	7	8

22. इस वर्ष अनुमोदित सूची के अन्तर्गत औषधियां आदि की क्रय केवल वे ही अधिकारी कर सकेंगे जिनके लिये यह औषधियां अनुमोदित की गई हैं। यह अनुमोदन सामान्य (जनरल) पॉलि क्लिनिक, लेबोरेट्रीज तथा फार्म के लिये पृथक-पृथक किया गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य औषधि/उपकरण आदि का क्रय किया जाना आवश्यक समझा जावे। तो क्रय से पूर्व इसका औचित्य बताते हुये स्वीकृति निदेशालय से प्राप्त करेंगे।

(I) सामान्य (जनरल) सूची : इसके अन्तर्गत अनुमोदित औषधियां/उपकरणों की क्रय समस्त मांग पत्र अधिकारी कर सकेंगे।

(II) पॉली क्लिनिक की सूची : इसके अन्तर्गत अनुमोदित आइटमों की क्रय

समस्त प्रभारी अधिकारी पॉलिक्लिनिक प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय तथा ग्राम आधार योजना कर सकेंगे।

(III) लेबोरेट्री केमिकल्स की सूची : इसके अन्तर्गत अनुमोदित केमिकल्स व उपकरणों की क्रय संयुक्त निदेशक, प्रादेशिक पशु चिकित्सा जैविक इकाई/प्रभारी अधिकारी पशु धन अनुसंधान केन्द्र, बस्सी, रोग अनुसंधान अधिकारी, कुक्कुट, सर्रा तथा सामान्य सम्बन्धित जिला पशु पालन अधिकारी, डाईग्नोस्टिक लैब तथा सर्रा नियन्त्रण लैब एवं एक्स-रे हेतु सहायक निदेशक, (प्रशिक्षण) ग्राम आधार योजना, प्रधानाचार्य पशु पालन विद्यालय, अधीक्षक पोल्ट्री फार्म, सहायक निदेशक, रेडियोलोजी प्रभारी, ग्राम आधार योजना कर सकेंगे।

(IV) फार्मस् की सूची : इसके अन्तर्गत औषधियों की क्रय समस्त फार्मस् के अधिकारी कर सकेंगे।

23. आपके कार्यालय से सम्बन्धित महालेखाकार/विभागीय निरीक्षण दलों द्वारा फर्मों के विरुद्ध निकाली गई राशि की कटौती फर्मों को भुगतान किये जाने वाले बिलों में से आवश्यक रूप से कर ली जावे। वसूली न करने पर आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी रहेगी।

24. निदेशालय द्वारा जारी किये गये अन्य निर्देशों के अतिरिक्त निम्नांकित परिपत्रों आदि का भी कठोरता से पालन किया जावे :—

(1)	एफ. 9/71/लेखा/क्रय-ब/88-89/2426-2543			दि. 23-6-89
(2)	,,	,,	2308-2425	,,
(3)	,,	,,	2544-2661	,,

(4) एफ. 9/136/लेखा/क्रय-ब/89-90/9036-63 दि. 15-9-89

(5) एफ. 9/71/लेखा/क्रय-ब/89-90/8559-8689 दि. 1-11-90

संलग्न :—उपरोक्तानुसार

(के. एल. मीना)
निदेशक

क्रमांक एफ. 9/148/लेखा/क्रय-ब/88-89/8742-8855 दिनांक 9-11-90
प्रतिलिपि :

1. महालेखाकार, राज. जयपुर।
2. निदेशक, भेड़ ऊन विभाग, राज. जयपुर।
3. डीन, पशु चिकित्सा एवं विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर।

4. विभागाध्यक्ष पशु उत्पादन कृषि महाविद्यालय, उदयपुर/जोबनेर।
5. प्रभारी विभागीय निरीक्षण-दल संख्या-एक, दो, तीन।

संलग्न :-उपरोक्तानुसार

ह.
निदेशक

बारां में सहायक समाहर्ता का रिक्त पद

545. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बारां) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बारां में सहायक समाहर्ता का पद कब से रिक्त है ? क्षेत्र की जनता की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुये सरकार इस पद को कब तक भरने का विचार रखती है।

उत्तर

बारां में सहायक जिलाधीश एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट का पद 5-9-91 से रिक्त है। इस पद को शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है।

सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा सचालित दवाई की दुकानें

546. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के द्वारा संचालित दवा की दुकानें कब से आरम्भ की गई थीं इन्हें आरम्भ करने के पीछे सरकार का मूल उद्देश्य क्या था ?

(2) क्या सरकार की जानकारी में है कि सन् 1981 से 1984 तक संघ द्वारा संचालित दवाइयों की दुकानों में फर्जी दवाइयों का वितरण किया गया ? यदि हां, तो यह दवाइयां किन फर्मों से क्रय की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि चैकिंग सुपरवाइजर द्वारा फर्जी दवा वितरण व दवाइयों की अधिक कीमत वसूल करने की जांच की गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें। जांच के पश्चात् क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही है कि फर्जी दवाइयों का वितरण जिस सुपरवाइजर द्वारा किया गया था अब यह कार्य उनसे हटा लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में उपभोक्ताओं को विशेषकर राज्य कर्मचारियों को अच्छी दवाइयां उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने की दृष्टि से राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. द्वारा वर्ष 1975 में कार्य प्रारम्भ किया गया।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं।

(4) जी, नहीं।

अकाल से प्रभावित बाड़मेर, जैसलमेर तथा बीकानेर जिले

547. **श्रीमती मदन कौर** (गुडामालानी) : क्या बाढ़ एवं अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों में कितने गांवों में अकाल की स्थिति है ? क्या वहां अकाल घोषित कर दिया गया है ?

(2) उपरोक्त जिलों की कितनी जनसंख्या अकाल और सूखे से प्रभावित है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिलों में अब तक क्या राहत पहुंचाई गई है और उस पर कितना व्यय किया गया ?

(4) बाड़मेर जिले में जनवरी, 1992 में कितने लोगों को राहत कार्यों पर रोजगार उपलब्ध कराया गया और कहां-कहां ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले के 1636 गांवों में जैसलमेर जिले के 575 गावों में तथा बीकानेर जिले के 583 गांवों में अकाल की स्थिति है तथा राज्य सरकार द्वारा वहां अभाव स्थिति की घोषणा कर दी गई है।

(2) बाड़मेर जिले में 14.33 लाख
जैसलमेर जिले में 2.47 लाख
व बीकानेर जिले में 7.90 लाख
जन संख्या सूखे से प्रभावित है।

(3) उक्त जिलों में चल रहे विभागीय कार्यों पर लगे लगभग 39 हजार श्रमिकों के अतिरिक्त राहत कार्यों के अन्तर्गत बाड़मेर व बीकानेर जिलों के लिये पन्द्रह-पन्द्रह हजार व जैसलमेर जिले के लिये 7000 श्रमिकों के नियोजन की स्वीकृति दी जा चुकी है। खादी संस्थाओं के माध्यम से इन जिलों में बुनकर व कातिनों को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है जिसके लिये खादी संस्थाओं को 15.79 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इन जिलों में पशु संरक्षण के लिये बिना लाभ हानि के आधार पर सहकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से चारा वितरण हेतु चारा डिपो खोलने की स्वीकृति दी गई है जिसके लिये 93.20 लाख रुपये बिना ब्याज के ऋण राशि उपलब्ध कराई गई है। बीकानेर जिले में 50,000 दुधारू पशुओं के लिये तथा बाड़मेर व जैसलमेर में दस-दस हजार दुधारू पशुओं को अनुदानित दर पर पशु आहार उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई है। इसके अन्तर्गत 2 किलो प्रति पशु प्रतिदिन आहार उपलब्ध कराया जाता है तथा राज्य सरकार एक रुपया प्रतिकिलो अनुदान देती है। बीकानेर जिले में चारा परिवहन पर अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। बीकानेर में 10,000 पशुओं के लिए व जैसलमेर में 1000 पशुओं के लिये पशु शिविर कैम्प खोलने की स्वीकृति दी गई है। गौशाला के पशु व उन्नत नस्ल के साण्डों के संरक्षण हेतु अनुदान राशि उपलब्ध कराई जा रही है। बीकानेर में 17 ऊंट गाड़ी, बाड़मेर में 31 टैंकर्स व जैसलमेर में 12 टैंकर्स से दूरदराज के गांवों में पेयजल व्यवस्था की जा रही है। इन जिलों में पशु संरक्षण, राहत कार्य,

(बाढ़ एवं अकाल सहायता मंत्री)

पेयजल व्यवस्था आदि पर अब तक 436.12 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है।

(4) जनवरी, 1992 में विभागीय कार्यों पर ही रोजगार उपलब्ध कराया गया था। बाड़मेर जिले में राहत कार्य फरवरी, 92 में स्वीकृत किये गये थे। अतः जनवरी, 92 में राहत कार्यों पर नियोजन नहीं हुआ था।

कंवरसेन लिफ्ट नहर की बुर्जी

548. **श्री मनीराम सियाग** (लूणकरणसर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कंवरसेन लिफ्ट नहर की बुर्जी 394 के बायें स्थित ग्राम बंधा एवं बुर्जी 397 के दायें किनारे स्थित किस्तूरिया ग्राम की कृषि भूमि को सिचाई में लेने हेतु सन् 1983 में सर्वे करने हेतु तत्कालीन संबंधित अधीक्षण अभियन्ता ने आदेश प्रसारित किये थे ?

(2) क्या यह सही है कि बुर्जी 397 के दायें किनारे स्थित ग्राम किस्तूरिया को सन् 1989 में सिचाई में ले लिया गया लेकिन बुर्जी 394 के बायें किनारे स्थित ग्राम बधा की करीब 1,500 एकड़ भूमि कमांड योग्य होते हुए भी अब तक कमांड में नहीं ली गयी है ?

(3) क्या यह सही है कि यह क्षेत्र अकाल संभाव्य क्षेत्र है तथा इसकी कृषि भूमि भी अधिक उपजाऊ है जहां तिलहनी व दलहनी फसलें सिचाई सुविधा मिलने पर हो सकती हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस गांव की 80 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों की है ? यदि हां, तो क्या सरकार सरकारी नीति के अन्तर्गत ऐसी श्रेणी के लोगों की आर्थिक दशा सुधारने हेतु इस स्कीम को प्राथमिकता से तत्काल स्वीकृति देने का विचार रखती हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। सिचाई सुविधा के प्रसार क्षेत्र को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सर्वे के आदेश प्रसारित किये थे।

(2) जी हां। परन्तु सर्वे कार्य सम्पन्न किया जाकर सिचाई सुविधा देने हेतु प्रकरण विचाराधीन है। इस क्षेत्र को सिचाई सुविधा प्रदान करने के लिए माईनर का निर्माण करना होगा जिसके लिए राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक है।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

झालावाड़ में हवाई अड्डे हेतु भूमि का आवंटन

549. **श्री अनंग कुमार जैन** (झालरापाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

झालावाड़ शहर में हवाई पट्टी अथवा

(श्री अनंग कुमार जैन)

हवाई अड्डे के लिए कोई भूमि एलाटेड है ? यदि हां, तो कौनसे खसरा नम्बर की तथा कब एलाट की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

झालावाड़ शहर में हवाई पट्टी के नाम से खसरा नम्बर 2462 की 106 बीघा 16 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 588:2 की 5 बीघा 09 बिस्वा कुल 112 बीघा 05 बिस्वा भूमि स्टेट के समय से ही चली आ रही है। हवाई पट्टी के नाम से शहर झालावाड़ में उपरोक्त भूमि के अलावा कोई आवंटन या आरक्षण नहीं हुआ है।

सालरिया तथा गुराड़िया कलां योजनाओं में वृक्षारोपण

550. **श्री बाल चन्द आर्यवीर** (डग) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि (सालरिया योजना) 2–(गुराड़िया कलां योजना) के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम पर अब तक काफी धनराशि खर्च की जा चुकी है लेकिन वर्तमान में वहां पर एक भी पेड़ पौधा नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारी को निलम्बित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सालरिया में रुपये 5.62 लाख व्यय कर वर्ष 1980-81, 1986-87 व 1991-92 में क्रमशः 100 हैक्टर, 100 हैक्टर, एवं 50 हैक्टर क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया गया है तथा क्रमशः 20%, 40% एवं 61% पौधे जीवित है।

ग्राम अंगारी में एनिकट निर्माण स्थल का चयन

551. **श्री रमाकान्त शर्मा** (थानागाजी) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम अंगारी में जहां एक ओर कल 100 मीटर दूरी पर नाले पर बांध बंधा हुआ है और दूसरी ओर दो किलोमीटर दर एनिकट बना हुआ है वहां भी माडा कार्यक्रम के अन्तर्गत तीसरा एनिकट बनाया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि जिस जगह यह तीसरा एनिकट बनाया जा रहा है और उससे जो पानी का भराव होगा वह जमीन किसानों को आवंटित की जा चुकी है ?

(3) क्या यह सही है कि 100 मीटर दूर बने हुये कच्चे बांध का भराव इस प्रस्तावित एनिकट की जगह तक आता है ?

(4) क्या यह सही है कि स्थानीय विधायक ने राजकीय धनराशि का दुरुपयोग न हो। अतः इसे माडा क्षेत्र में ही अन्य उपयुक्त जगह बनाने हेतु बार-बार अनुरोध किया है ?

(5) यदि हां, तो क्या कारण है कि

(श्री रमाकान्त)

भू-संरक्षण विभाग ने एनिकट को वहां ही बनाने का मानस बना रखा है ?

(6) क्या सरकार इस हेतु जिला भू-संरक्षण अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करना चाहेगी ?

उत्तर

(1) ग्राम अंगारी में एक और कुल 100 मीटर की दूरी पर नाले पर बांध बना हुआ नहीं है। ग्राम अंगारी में दूसरी ओर दो किलोमीटर से अधिक दूरी पर एक एनीकट बना हुआ है एवं माडा कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम अंगारी में एक एनीकट बनाया जा रहा है।

(2) एनीकट सरकारी भूमि पर बनाया जा रहा है। यह सही है कि एनीकट से जो पानी का भराव अपेक्षित है उसमें से कुछ जमीन किसानों को आवंटित की जा चुकी है।

(3) जी नहीं।

(4) यह सही है, किन्तु प्रस्तावित स्थान पर निर्माण को धनराशि का दुरुपयोग कहना सही नहीं है।

(5) ग्राम पंचायत एवं स्थानीय जनता के प्रस्ताव पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की स्वीकृति के अनुसार भू-संरक्षण विभाग द्वारा एनीकट बनाया जा रहा है।

(6) जी नहीं।

सवाई माधोपुर में वृद्धावस्था पेन्शन

552. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर में वृद्धावस्था, अपाहिज, विधवा महिला एवं विकलांगों को कितनी-कितनी पेन्शन दी जा रही है ? गत दो वर्षों में कितने-कितने व्यक्तियों को उक्त प्रकार की पेंशन दी गयी ? वर्ग वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में पेन्शनर्स को कई बार कई महिनों तक पेंशन नहीं मिलती है और तहसील के चक्कर लगाने पड़ते हैं ? क्या सरकार इस व्यवस्था को ठीक कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सवाईमाधोपुर जिले में वृद्धावस्था, अपाहिज, विधवा महिला एवं विकलांग पेन्शनरों को 100/- रुपये प्रतिमाह व संयुक्त पेन्शनरों को 150/- रुपये प्रतिमाह पेन्शन दी जाती है। गत दो वर्षों में इस जिले में वर्गवार निम्न प्रकार पेंशन दी गई है :—

पेंशन का वर्ष	1989-90	90-91
(i) वृद्धावस्था	845	625
(ii) विधवा महिला	1068	859
(iii) अपग अपाहिज	345	203

(समाज कल्याण राज्य मंत्री)

(2) टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में वृद्धावस्था, अपंग, विधवा पेन्शन प्रत्येक दो माह में एक बार भुगतान की व्यवस्था की हुई है। टोडाभीम नगर पालिका क्षेत्र को छोड़कर शेष तहसील क्षेत्र के पेंशनरों को भुगतान मनीआर्डर द्वारा प्रत्येक दो माह में नियमित रूप से भिजवाए जाने की व्यवस्था है इसलिए तहसील में चक्कर लगाने की पेन्शनरों को आवश्यकता नहीं है। माह फरवरी, 92 की पेन्शन राशि का भुगतान किया जा चुका है।

परिशिष्ट-5

अतारांकित प्रश्न संख्या 798 की प्रति

राजस्थान सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(प्रशासनिक सुधार, अनु0 3)

क्र. प. 6. (9)प्र. सु. 3/90 जयपुर, दिनांक 5 अप्रेल, 1990

आज्ञा

गत कई वर्षों से लगातार राजस्व आय की तुलना में राजस्व व्यय में वृद्धि होती रही है। राज्य सरकार ने इस स्थिति को सुखकर नहीं माना है, अतः राजस्व व्यय को यथासम्भव कम करने का निर्णय किया है। राजस्व व्यय के पुनरीक्षण हेतु निम्नानुसार एक उच्च स्तरीय शीर्ष समिति के गठन की राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1.	श्री ललित किशोर चतुर्वेदी	अध्यक्ष
2.	श्री चन्दनमल वैद	सदस्य
3.	श्री माणकचन्द सुराणा	सदस्य
4.	श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल	सदस्य
5.	श्री माधवसिंह दीवान	सदस्य
6.	श्री मंगल बिहारी	सदस्य
7.	वित्त आयुक्त	सदस्य
8.	श्री राजेन्द्र जैन	सदस्य-सचिव

उपरोक्त शीर्ष समिति के अतिरिक्त एक अन्य समिति (श्री राजेन्द्र जैन

समिति) के गठन का भी राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। जो उपरोक्त शीर्ष समिति के मार्गदर्शन में कार्य करेगी। उस समिति के गठन के आदेश अलग से प्रसारित किये जा रहे हैं।

शीर्ष समिति यह भी सुझाव देगी कि राज्य के आय स्त्रोत किस प्रकार बढ़ाये जा सकते हैं एवं किन किन विभागों एवं कार्यक्रमों में खर्च की कमी करने की सम्भावना है। विभागों के साथ साथ राजकीय उपक्रमों की समीक्षा भी की जावेगी।

समिति विशेष रुप से यह भी दिशा निर्देश दे सकती है कि कौन कौन से विभाग या कार्यक्रम आज के परिप्रेक्ष्य में अनुपयोगी या कम उपयोगी रह गये हैं, अतः उनको बन्द या समाप्त कर दिया जावेगा।

शीर्ष समिति का प्रशासनिक विभाग वित्त विभाग होगा।

आज्ञा से,

ह.
(ए यू. चेलानी)
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(प्रशासनिक सुधार, अनु. 3)

क्र. प. 6 (9) प्र. सु. 3/90 जयपुर, दिनांक 5 अप्रेल, 1990

आज्ञा

राज्य सरकार के समस्त व्यय, विशेष रूप से गैर आयोजना व्यय, के पुनरीक्षण हेतु नियमानुसार एक समिति के गठन की राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

1. श्री राजेन्द्र जैन, — अध्यक्ष
   राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

2. वित्त आयुक्त — सदस्य

3. सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के शासन सचिव — सदस्य

4. आयुक्त एवं विशिष्ठ शासन सचिव, आयोजना विभाग — सदस्य

5. विशिष्ठ शासन सचिव, वित्त विभाग — सदस्य

6. आय-व्ययक अधिकारी एवं उप शासन सचिव वित्त विभाग — सदस्य-सचिव

समिति विकासीय और गैर विकासीय दोनों ही प्रकार के चालू कार्यकलापों के औचित्य की जांच कर समय समय पर अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

विभिन्न विभागों का पुनरीक्षण समिति द्वारा निम्न क्षेत्रों में किया जायेगा :—

(क) आज के सन्दर्भ में अनावश्यक या कम आवश्यक योजनाओं को इंगित कर उन्हें संशोधित अथवा बन्द करने के सम्बन्ध में सिफारिश।

(ख) ऐसे विभाग/कार्यालय/योजनायें, जहां आवश्यकता से अधिक स्टाफ है उनमें कमी करने की सिफारिश।

(ग) आयोजना से गैर आयोजना मद में हस्तान्तरित दायित्वों का पुनरीक्षण कर उन्हें चालू रखे जाने के औचित्य के बारे में अपनी सिफारिश।

(घ) आयोजना योजनाओं एवं आयोजना व्यय का पुनरीक्षण कर परिहार्य व्यय को समाप्त करने के बारे में सिफारिश करेगी।

समिति जांच के दौरान विशेष रूप से निम्न बिन्दुओं को मद्दे नजर रखेगी :–

(1) वाहनों की संख्या में कटौती।

(2) टेलीफोन की संख्या में कटौती तथा टेलीफोन में लगे एस. टी. डी. की सुविधा की यथासम्भव कटौती।

(3) सरकारी कार्यालय जो किराये के मकानों में चल रहे हैं उनके के बारे परीक्षण व सिफारिशें।

(4) कार्यालयों के अतिरिक्त घरों पर काम कर रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बारे में जांच।

(5) निर्धारित फार्मों का पुनः निरीक्षण एवं स्टेशनरी के उपयोग में कमी हेतु सुझाव।

इस समिति के अतिरिक्त एक अन्य शीर्ष समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया है (जिसके आदेश अलग से प्रसारित किये जा रहे हैं) उसके मार्गदर्शन में उपरोक्त समिति कार्य करेगी ।

आज्ञा से,
ह.
(ए. यू. चेलानी)
उप शासन सचिव

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 812 की प्रति

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Department of personal & Administrative Reforms

(Administrative Reforms Group-VII)

THE RAJASTHAN ENGINEERING SUBORDINATE SERVICE (IRRIGATICN BRANCH) RULES, 1967

(Corrected uq to 30-6-1978)

(Publishep by Authority)

Price: 1.45 P.

Government Press, Udaipur.

GROUP—III

1. Dy. Collector	100% by promotion	Zilledar	Zilledar experience
2, Zilledar	75% by ,,	25% Moharrir, Should have	Must be a Graduate
% Subetituled for :- 2. Zilledar	100% by direct recruitment	Must be a graduate and shall have to pass an sn-itinl Department, recruitment test. OR Should have passed Matriculation examination and 5 years expericne as Moharrir girdawar or Inspector in Irrigation Department.	
promotion	Girdawar Inspector Patwari Revenue Munshies Revenue Clerks—	passed Matriculation examination and 4 years experience as Moharrir	and should have to pass au initial Department Examination.

1	2	3	4
		Girdawar or Inspector of Irrigation Deptt. OR Should have Passed Matriculation Examination and have nine year's Service as Patwari in Irrigation Department where there is no post of Girdawar or Moharrir OR Should have passed Matriculation examination and have 9 year's service as Patwari in Irrigation Department where there	

1	2	3	4
vide Notification No. F. 15 (ii) (40) Irg./68, dated 21-2-76.		is no post of girdawar or Mohorrir." OR Should have passed Matriculation Examinatian and have 9 year's service, 3 year's must be as out of which Patwari in Irrigation and 6 year's as a Revenue Clerk out of which at last 3 years as Revenue clerk or Revenue Munshi in Irrigation Deptt. with sasitfac.	

परिशिष्ट-7

अतारांकित प्रश्न संख्या 816 की सूची

आसीन्द तहसील के सिंचाई तालाबों की सूची

क्र. सं.	कार्य का नाम	क्र. सं.	कार्य का नाम
1.	दुल्हेसागर दुल्हेपुरा तालाब	30.	राम सागर बी. के. सरेरी
2.	मोती बोर का खेडा	31.	नारायणपुरा तालाब
3.	करजालिया तालाब	32.	अहीरों का खेडा तालाब
4.	गुलखेडा तालाब	33.	नवल सागर कुराडो का खेडा
5.	मेघसागर मोटरास तालाब	34.	मदन सागर माखों का खेडा
6.	उण्डा तालाब मोटरास	35.	पालड़ी तालाब
7.	गिरधर सागर भैरूखेडा	36.	देवपुरा तालाब
8.	शिवासागर आकडसादा	37.	गुलाबसागर लाछुडा तालाब
9,	बनी सागर जोधगढ़	38.	चतरभुज सागर लाछुडा
10.	गिरधर सागर सापोला	39.	जाली तालाब
11.	देवसागर पाटन तालाब	40.	मालास तालाब
12.	दण्ड तालाब कालियास	41.	फतेहसागर तिलोली
13.	गोविन्दपुरा तालाब	42.	तातोलिया तालाब तिलोलिया
14.	पाटन तालाब	43.	अर्जुन सागर तालाब
15.	ओजिवाणा तालाब जोगीधरा	44.	बडा तालाब मेफलियास तालाब
16.	गुलाबसागर रामपुरा	45.	चतरभुज सागर रघुनाथपुरा
17.	विनोद सागर बदनौर	46.	बठेडा तालाब
18.	अक्षय सागर बदनौर	47.	गणेशपुरा तालाब
19.	नायला तालाब	48.	मालासेरी तालाब
20.	छातोला तालाब भोजपुरा	49.	हताण तालाब
21.	गडवई तालाब	50.	शम्भूगढ़ तारोला
22.	बाजूदा तालाब	51.	खातोला तालाब
23.	मोतीपुरा तालाब	52.	अर्जुन सागर मेफलियास
24.	दण्ड तालाब	53.	गोपालसागर आसीन्द
25.	भवानी सागर कालियास	54.	फूल सागर बरसनी
26.	दुल्हेसागर माल का खेडा	55.	बडा तालाब बरसनी
27,	देवसागर निम्बाहेडा	56.	खुमान सागर बरसनी
28.	सत सागर निम्बाहेडा	57.	दुल्हे सागर आसीछ आसीन्द
29.	अमर सागर निम्बाहेडा	58.	खारी बांध

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 820 का विवरण

परिशिष्ट "अ"

सन् 1989 से अब तक पंचायत समितिवार स्वीकृत, पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों की सूची

जिले का नाम :–पाली

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	स्वीकृत कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या	अपूर्ण कार्यों की संख्या
1.	मारवाड ज.	13	10	3
2.	देसूरी	17	13	4
3.	पाली	33	21	12
4.	सोजत	17	14	3
5.	बाली	18	14	4
6.	रोहट	23	15	8
7.	रायपुर	11	7	4
8.	रानी	2	2	—
9.	जैतारण	7	3	2
10.	सुमेरपुर	37	19	18
	योग :—	178	120	58

जिला :—उदयपुर

क्र. सं.	पंचायत समिति का नाम	स्वीकृत कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या	अपूर्ण कार्यों की संख्या
1.	भीम	8	5	3
2.	राजसमन्द	12	3	9
3.	आमेट	4	3	1
4.	कुम्भलगढ़	5	1	4
5.	खमनौर	9	1	8
6.	बड़गांव	8	2	6
7.	रेल मगरा	7	2	5
8.	देवगढ़	11	2	9
	योग :— C/F	64	19	45

(374)

1	2	3	4	5
	योग B/F	64	19	45
9.	मावली	10	6	4
10.	मीण्डर	11	1	10
11.	गिर्वा	7	1	6
12.	सराड़ा	12	1	11
13.	सलुम्बर	3	—	3
14.	कोटडा	17	8	9
15.	झाडोल	6	2	4
16.	गोगुन्दा	11	8	3
17.	खैरवाडा	13	8	5
18.	धरियावद	6	2	4
	योग :—	160	56	104

जिला : चित्तौड़गढ़

1.	बेगू	9	4	5
2.	भैंसरोड़गढ़	2	2	—
3.	गंगरार	8	4	4
4.	राझमी	6	3	3
5.	भूपालसागर	8	6	2
6.	कपासन	13	11	2
7.	चित्तौड़गढ़	10	—	10
8.	निम्बाहेड़ा	5	—	5
9.	मंदेसर	4	—	4
10.	छोटी सादड़ी	1	—	1
11.	बड़ी सादड़ी	3	—	3
12.	प्रतापगढ़	6	—	6
13.	अरनोद	1	—	1
14.	डूगला	2	—	2
	योग :—	78	30	48

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 822 की प्रति

राष्ट्रीय लोक संगीत विद्यालय, बाड़मेर हेतु मरूधर लोक कला केन्द्र को ख. नं. 1650 में आवंटित भूमि के सम्बन्ध में श्री हर प्रसाद अग्रवाल, सदस्य, राजस्व मण्डल के द्वारा की गई जांच रिपोर्ट, की प्रति।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 4(106) राज/3/88 दिनांक 1-12-88 के द्वारा मा. अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, अजमेर को लिखा गया कि बाड़मेर में राष्ट्रीय लोक संगीत विद्यालय हेतु मरूधर लोक कला केन्द्र को भूमि आवंटित की गई है और सहायता मद से निर्माण के लिए कुछ धनराशि आवंटित की गई है, जिसके सम्बन्ध में मा. सदस्य, राजस्थान विधान सभा श्री गंगाराम चौधरी के प्रश्न के उत्तर में राजस्व मंत्री महोदय ने उच्च स्तरीय जांच करने का आश्वासन दिया है तथा राज्य सरकार ने उपरोक्त प्रकरण की जांच राजस्व मण्डल के सदस्य से कराने का निर्णय लिया है। इस पत्र में राज्य सरकार ने चाहा है कि जांच निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर कराई जावे—

1. सिंचाई विभाग की आवंटित बाड़मेर की आराजी ख. नं. 1650 की 11 बीघा 65 बिस्वा भूमि लोक कला केन्द्र को हस्तान्तरित करने की कार्यवाही में क्या अनियमितता बरती गई तथा इसके लिए कौन दोषी है।

2. राहत मद से 12.00 लाख राशि की स्वीकृति राष्ट्रीय लोक संगीत विद्यालय, बाड़मेर को किस आधार पर की गई तथा उसमें क्या अनियमितता बरती गई, उसके लिए कौन दोषी है ?

मा. अध्यक्ष महोदय ने इस जांच का कार्य मा. सदस्य श्री ए. के. पाण्डे को सुपुर्द किया। उनके प्रशिक्षण पर चले जाने के कारण इस जांच का कार्य मुझे सौंपा गया। मैंने इस जांच के संदर्भ में बाड़मेर की यात्रा की तथा वहां मा. श्री गंगाराम जी चौधरी, जिला कलक्टर, बाड़मेर, उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर तथा मरुधर लोक कला केन्द्र के पदाधिकारियों से चर्चा की और संबंधित भूमि का निरीक्षण भी किया। चूंकि यह जांच ईन्क्वायरी एक्ट के तहत नहीं थी इसलिये दस्तावेजी अथवा अन्य सबूत प्रस्तुत करने के लिए कोई विज्ञप्ति प्रसारित नहीं की गई। और जिला कलक्टर कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड व ऊपर अंकित व्यक्तियों से जानकारी तक ही जांच को महदूद रखा गया।

बाड़मेर की आराजी ख. नं. 1650 का मौका देखा गया। यह भूमि शहर से काफी दूरी पर स्थित है। इस भूमि पर कुछ हिस्से में बाउण्ड्री की दीवार बनी हुई है,

एक कोने में एक कमरा बना हुआ है जो सिचाई विभाग द्वारा बनाया गया था। रेकार्ड के अनुसार इस ख. नं. में से जिला कलक्टर, बाड़मेर ने अपने आदेश दिनांक 3-7-88 के द्वारा केवल 03 बीघा 14 बिस्वा भूमि राष्ट्रीय लोक संगीत विद्यालय, बाड़मेर के हक में आवंटित की है। यह आदेश उप शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) जयपुर के पत्र क्रमांक प. 2(230) राज/3/87 दिनांक 7-1-88 के क्रम में दिया गया है तथा जिला कलक्टर ने अपने आदेश में यह भी अंकित किया है कि ख. नं. 1650 रकबा 15 बीघा में से सिचाई विभाग को आवंटित भूमि 100 × 200 वर्ग मीटर अथवा 11 बीघा 06 बिस्वा भूमि को छोड़कर यह आवंटन है और राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कालेजों, चिकित्सालयों धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ) नियम, 1963 में निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत अध्यक्ष, मरुधर लोक कला केन्द्र बाड़मेर को आवंटन की स्वीकृति दी जाती है। इस प्रकार जिला कलक्टर, बाड़मेर द्वारा लिखित आदेश के अन्तर्गत केवल 03 बीघा 14 बिस्वा भूमि ही इस संस्था को आवंटित की गई है।

भू-खण्ड के निरीक्षण के समय यह कहा गया कि आवंटन कितनी भी भूमि का हुआ हो, परन्तु सारे भू-खण्ड पर ही राष्ट्रीय लोक कला विद्यालय का कब्जा है। इस संदर्भ में भू-खण्ड पर बनी हुई बाउण्ड्री को देखने से यह शिकायत सही मालुम दी क्योंकि बाउण्ड्री का जितना हिस्सा भी बना है, वह कुछ हिस्से पर नहीं होकर सामान्य रूप से भू-खण्ड की सीमा पर बना है। इस प्रकार सारे भू-खण्ड पर ही लोक कला केन्द्र का कब्जा है। हालांकि उसे केवल 03 बीघा 14 बिस्वा भूमि ही आंवटित की गई थी। इस स्थिति में यह देखना आवश्यक हो गया है कि क्या लोक कला विद्यालय के द्वारा इस कब्जे के प्रकरण में कोई अधिकारी दोषी है अथवा नहीं।

जहां तक सिचाई विभाग को आवंटित 11 बीघा 06 बिस्वा भूमि का प्रश्न है, मेरी अधिशाषी अभिन्यता, सिचाई विभाग, बाड़मेर से भी वार्ता हुई जो भूमि के निरीक्षण के समय भी उपस्थित थे। उनका भी यह निवेदन था कि इस भू-खण्ड पर कार्यालय भवन बनाने से बहुत कठिनाई होगी क्योंकि शहर से इतनी दूर आने में सभी संबंधित लोगों को कठिनाई होती है। विशेषकर ऐसी अवस्था में जबकि यातायात की सुविधा भी नहीं है। सम्भवतः इसी संदर्भ में सहायक अभियन्ता, सिचाई विभाग, बाड़मेर ने जिला कलक्टर से निवेदन किया कि इस भू-खण्ड के बदले अन्य भूमि आवंटन की जावे और जिसे उचित समझते हुए जिला कलक्टर बाड़मेर ने अपने पत्र क्रमांक 12(3)(8) राजस्व/86/4220 दिनांक 11-6-87 के द्वारा राज्य सरकार को निवेदन किया था। इस संदर्भ में राज्य सरकार (सिचाई विभाग) के विचार को भी देखना उचित होगा जिनके पत्र क्रमांक 4330-33 दिनांक 13-7-1988 के द्वारा उप शासन सचिव ने अति. मुख्य अभियन्ता, सिचाई विभाग, जोधपुर को राज्य सरकार की स्वीकृति भेजी कि सिचाई विभाग को आंवटित भूमि तथा उक्त भूमि पर बने हुए

भवन को राष्ट्रीय लोक कला विद्यालय को दो भू-खण्ड जिनका क्षेत्रफल 40×70 फुट हों, जिला कलक्टर की मार्फत बदले में दे दिया जावे तथा सिंचाई विभाग के द्वारा भवन निर्माण पर जो खर्चा हुआ है वह राष्ट्रीय लोक कला विद्यालय से ले लिया जावे। इससे स्पष्ट होता है कि सिंचाई विभाग भी इस भू-खण्ड में उन्हें आवंटित भूमि को बदले में देने में सहमत थे।

उपरोक्त परिस्थिति में ही जबकि सिंचाई विभाग इस भू-खण्ड से संतुष्ट नहीं थे, सम्भवतः जिला प्रशासन ने लोक कला विद्यालय को सारे भू-खण्ड पर कब्जा करने से नहीं रोका तथा अनियमित कब्जे को नहीं हटाया। परन्तु जब राजस्व विभाग ने अक्टूबर 1988 में जिला कलक्टर को लोक कला विद्यालय को पूर्व में आवंटित 03 बीघा 14 बिस्वा भूमि का आवंटन भी "अबेयेन्स" में रखने का आदेश दिया जब निर्देश होते ही जिला कलक्टर, बाड़मेर ने तहसीलदार, बाड़मेर को दिनांक 15-10-1988 को आदेश दिया कि वह ख. नं. 1650 की पूरी भूमि पर 15 बीघा पर कब्जा कर लेवें। इसकी पालना में पटवारी हल्का ने तहसीलदार, बाड़मेर को दि. 20-10-1988 को रिपोर्ट प्रस्तुत की कि उसने उसी दिन 20-10-88 को ख. नं. 1650 की पूरी भूमि 15 बीघा पर कब्जा कर लिया है।

उपरोक्त विवरण से जो स्थिति स्पष्ट होती है वह इस प्रकार है कि सिंचाई विभाग को उन्हें ख. नं. 1650 में आवंटित 11 बीघा 06 बिस्वा भूमि राष्ट्रीय लोक कला विद्यालय को बदले में देने में कोई एतराज नहीं था। जिला कलक्टर ने केवल 03 बीघा 14 बिस्वा का ही लिखित आवंटन किया है परन्तु संस्था ने लगभग सारे खसरा पर कब्जा कर लिया था। इस सारे प्रकरण का संबंध एक समाज सेवी पंजीकृत संस्था से है तथा तत्कालीन जिला कलक्टर, बाड़मेर को निजी स्वार्थ में बदनीयती से कार्य करने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

जांच का दूसरा बिन्दु राष्ट्रीय लोक संगीत विद्यालय, बाड़मेर की राहत मद से 12.00 लाख रुपये राशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, बाड़मेर ने एक स्वीकृति क्रमांक सहा/कार्य/87/10938 दिनांक 16-6-1987 प्रसारित की है। इसमें सम्पूर्ण कार्य की अनुमानित लागत रुपये 4.00 लाख श्रम एवं रुपये 4.00 लाख सामग्री के रूप में, कुल रुपये 8.00 लाख आंकी गई है तथा स्वीकृति केवल रुपये 2.00 लाख श्रम और 2.00 लाख सामग्री (लोक कला मण्डल द्वारा) की स्वीकृति दी गई है। इस प्रकार स्वीकृति केवल 2.00 लाख रुपये की राज्य कोष से दी गई है। बाद में जिला कलक्टर ने अपने आदेश क्रमांक/सहा/19359-60 दिनांक 12-8-1988 के द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बाड़मेर को यह

आदेश दिया कि राजस्व विभाग द्वारा सिंचाई उप खण्ड की पूर्व आवंटित भूमि के हस्तान्तरण आदेश पारित कर दिये जाते हैं तो मरुधर लोक कला केन्द्र द्वारा इस निमित श्रम मद पर किये गये व्यय का भुगतान नियमानुसार कर दिया जावे। पुनः दिनांक 21-10-1988 को जिला कलक्टर ने आदेश निकाल कर इस प्रकरण में जांच चलने के कारण श्रम मद पर स्वीकृत राशि का भुगतान अग्रिम आदेश तक रोक दिया।

उपरोक्त स्थिति में यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय लोक संगीत विद्यालय, बाड़मेर के हक में राहत मद से 12.00 लाख रुपये की कोई स्वीकृति प्रसारित नहीं की गई है बल्कि केवल 2.00 लाख रुपये की स्वीकृति प्रसारित की गई है। अकाल राहत मद से ऐसे निर्माण कार्य किये जाते हैं जो सार्वजनिक सम्पत्ति के हों, जैसे स्कूल भवन, पंचायत घर, पीने के पानी के कुए, तालाब, सड़क, वृक्षारोपण, इत्यादि। सरकारी संस्थाओं के भवन निर्माण तथा भवन विस्तार के कार्य भी लिये जाते हैं। इस प्रकरण में 4.00 लाख रुपये की जो स्वीकृति दी गई है, वह राष्ट्रीय लोक संगीत विद्यालय बाड़मेर के हित में दी गई है। हालांकि यह संस्था कला के क्षेत्र में उन्नति के लिये प्रयत्नशील है फिर भी नियमों के अन्तर्गत इसके लिये अनुदान देना उचित नहीं कहा जा सकता।

जांच के दोनों बिन्दुओं पर पूरी तरह से विचार करने पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अनियमितता तो स्पष्ट होती है परन्तु तत्कालीन जिला कलक्टर की कोई बदनियती मालुम नहीं देती।

(379)

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न संख्या 824 की सूची

कार्यालय (समाहर्ता) कलक्टर, झुंझुनू

आदेश

विषय :- प्रार्थना पत्र सरपंच ग्राम पंचायत माखर बाबत गतसाल आवंटन की गई भूमि को पुनः इस वर्ष आवंटन किये जाने हेतु ।

मैं कैलाशदान एस. उज्वल, जिलाधीश, झुंझुनू हस्त सिफारिश श्री उपमंडलाधिकारी झुंझुनू दिनांक 6-9-66 व श्री भू-कर संग्राहक तहसील झुंझुनू में क्रमांक 741 दिनांक 5-4-61 के ग्राम माखर अन्तर्गत तहसील झुंझुनू में स्थित भूमि खसरा नम्बर 360 तादादी 268 ।।।)3 बीघा व 360/479 तादादी 23)। कुल 291 ।।।) 4 बीघा गैर मुमकिन नदी में से सिर्फ 158) एक सो अठावन बीघा गैर मुमकिन नदी का वास्ते कृषि हेतु आवंटन किया जाने के लिये प्रकार परिवर्तन किया जाकर भविष्य के लिये 158 बीघा का प्रकार बारानी सोयम स्थापित किया जाता है।

उल्लेखित भूमि 158) बीघा का प्रकार भविष्य में राजस्व अभिलेख में बारानी सोयम स्थापित किया जाकर राजस्व कर 00-62 न0प0 (दस आना) वसूल किया जावेगा । बाकी 133 ।।।)4 बीघा का प्रकार गैर मुमकिन नदी ही रहेगा ।

ह0 :

कलक्टर, झुंझुनू

क्रमांक 2665से 67 राजस्व — दिनांक 10-6.66

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

1. श्री उप मण्डाधिकारी, झुंझुनू
2. श्री भू-कर संग्राहक (तहसीलदार) झुंझुनू को भेजकर लिखा जाता है कि उल्लेखित भूमि में से सिर्फ 158) एक सो अठावन बीघा भूमि का प्रकार राजस्व रेकार्ड से बारानी सोयम अंकित कर दस आना प्रति बीघा राजकीय कर धनराशि प्राप्त की जावे । भूमि वास्ते कृषि नियमानुसार आवंटन की जावे ।
3. श्री सरपंच ग्राम पंचायत माखर तहसील झुंझुनू

कलक्टर, झुंझुनू

परिशिष्ट-11

अतारांकित प्रश्न संख्या 827 की सूची

राज्य में तहसीलें तथा नायब तहसीलें स्थापित करने के लिए
जिला कलक्टरों से प्राप्त प्रस्तावों की सूची

क्रम सं.	नाम जिला	वर्तमान तहसील का नाम	नई तहसीलों एवं उप तहसीलों के प्राप्त प्रस्ताव	
			तहसील	उप तहसील
1	2	3	4	5
1.	जयपुर	जयपुर	1. कालवाड़	1. बगरूकलां
		सांभर	2. किशनगढ़ रेनवाल	2. नारायना
2.	अलवर	लक्ष्मणगढ़	3. कठूमर	—
		तिजारा	4. मिवाडी	—
3.	धौलपुर	धौलपुर	5. सेपऊ	—
		बसेड़ी	6. सरमथुरा	—
4.	भरतपुर	रूपवास	—	3. उच्चैन
		नगर	—	4. सीकरी

1	2	3	4	5
5.	झुंझनू	बुहाना	7. बुहाना	
		चिड़ावा	—	5. सूरजगढ़
6.	अजमेर	अजमेर	8. पीसांगन	—
		केकड़ी	9. भिनाय	—
		ब्यावर	10. मसूदा	—
			11. जवाजा	—
		किशनगढ़	12. रूपनगढ़	—
7.	नागौर	नागौर	13. मुन्डवा	—
		परबतसर	14. मकराना	—
		डीडवाना	—	6. खुनखुना
		डेगाना	—	7. मैरून्दा
		जायल	—	8. डेह
8.	भीलवाड़ा	माण्डलगढ़	—	9. बीगोद
		जहाजपुर	—	10. खजूरी
		माण्डल	15. करेड़ा	—
		माण्डलगढ़	16. बिजोलिया	—
9.	टोंक	टोंक	17. पीपलू	—

381

1	2	3	4	5
10.	गंगानगर	करणपुर	—	11. केसरीसिंहपुर
11.	बीकानेर	कोलायत	—	12. बज्जू
		बीकानेर	18. पूंगल	—
12.	चूरू	सरदारशहर	—	13. मानीपुरा
13.	जोधपुर	ओसियां	—	14. तिवरी
		फलौदी	—	15. बारां
		जोधपुर	19. लूणी	—
14.	जैसलमेर	जैसलमेर	20. फतेहगढ़	16. खुहड़ी
15.	जालौर	जालौर	21. सायला	—
		सांचौर	—	17. चितलवाना
16.	बाड़मेर	बाड़मेर	—	18. रामसर
		चौहटन	—	19. सेड़वा
		बायतू	—	20. गिड़ा
		गुडामालानी	—	21. धोरीमन्ना
		पदचदरा	—	22. जसोल
17.	पाली	मारवाड़-जंक्शन	—	23. माण्डा

1	2	3	3	6
		सोजत	—	24. बगड़ी
		पाली	—	25. रानी
18.	सिरोही	सिरोही	—	26. कालन्द्री
		रेवदर	—	27. मण्डार
19.	बारां	किशनगंज	—	28. नाहरगढ़
		मांगरोल	22. अन्ता	—
20.	कोटा	रामगंज मण्डी	—	29. चेचट
		सांगोद	—	30. कनवास
21.	झालावाड़	गंगधार	—	31. डग
		अकलेरा	23. मनोहर थाना	—
		झालरापाटन	24. बैंकोनी	—
22.	बून्दी	केशवरायपाटन	25. इन्द्रगढ़	—
23.	सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर	26. चौथ का बरवाड़ा	—
		बोंली	27. मलराना डूंगर	—

383

1	2	3	4	5
		करौली	28. मासलपुर	—
			29. मण्डरायल	—
		सपोटरा	30. करणपुर	—
		खण्डार	—	32. बहरावण्डा कला
24.	राजसंमद	नाथद्वारा	31. बड़गांव	33. खमनोर
25.	उदयपुर	गोगुन्दा	—	34. सायरा
		झाड़ोल	—	35. फलासियां
		सराड़ा	—	36. जयसमद (मु. वीरपुरा)
26.	चित्तौड़गढ़	अरनोद	—	37. दलोट
		चित्तौड़गढ़	—	38. बस्सी
		भदेसर	—	39. भादसोड़ा
		कपासन	32. भोपालसागर	—
		बेगूं	33. रावतभाटा	—

1	2	3	4	5
27.	बांसवाड़ा	कुशलगढ़	—	40. सज्जनगढ़
		बांसवाड़ा	—	41. दानपुर
		बागीदोरा	34. आनन्दपुरी	—
		घाटोल	35. पीपलखूंट	—
28.	डूंगरपुर	सीमलवाड़ा	—	42. चीखली
		डूंगरपुर	36. बीछीवाड़ा	—

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 831 की सूची

परिशिष्ट– "क"

वर्ष	वन क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल	व्यय राशि
1985–86	बड़ी रंध	500 हैक्टयर	11.58 लाख
	पांचोली	1500 हैक्टयर	
1986 87	रोधई गढवार	2000 हैक्टयर	9.53 लाख
1987 88	किलो उटगिरी	2000 हैक्टयर	
	देवगिरी	2000 हैक्टयर	12.066 लाख
	कानरदा	4000 हैक्टयर	
	योग	12000 हैक्टयर	33.176 लाख

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 835 की सूची

परिशिष्ट "अ"

वर्ष 1991 में विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत भवनों की जिलेवार सूची

क्र. सं	नाम जिला	स्वीकृत भवन	क्र. सं.	नाम जिला	स्वीकृत भवन
1.	अजमेर	530	5.	बाड़मेर	1189
2.	अलवर	350	6.	भरतपुर	73
3.	बांसवाड़ा	394	7.	भीलवाड़ा	1273
4.	बांरा	976	8.	बीकानेर	501

क. सं.	नाम जिला	स्वीकृत भवन	क. सं.	नाम जिला	स्वीकृत भवन
9.	बून्दी	185	21.	जोधपुर	723
10.	चित्तौडगढ़	410	24.	कोटा	793
11.	चूरू	419	25.	नागौर	505
12	दौसा	293	24.	पाली	625
13.	धौलपुर	514	25.	राजसमंद	399
14.	डूंगरपुर	130	26.	सवाई माधोपुर	923
15.	गंगानगर	1359	27.	सीकर	197
16.	जयपुर	879	28.	सिरोही	572
17.	जैसलमेर	687	29.	टोंक	584
18.	जालौर	262	30.	उदयपुर	631
19.	झालावाड़	192		योग:-	16934
20.	झुंझुनू	366			

परिशिष्ट "ब"

जिला बाड़मेर, जैसलमेर में वर्ष 1991 में विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत कार्यों का पंचायत समितिवार विवरण

जिला बाड़मेर

क. सं.	नाम पंचायत समिति	स्वीकृत कार्य	क.सं.	नाम पंचायत समिति	स्वीकृत कार्य
1.	बाड़मेर	317	8.	शिव	432
2.	बालोतरा	159		योग:-	2093
3.	बायतु	393		जिला जैसलमेर	
4.	सिवाना	161	1.	जैसलमेर	272
5.	सिणधरी	229	2.	सम	322
6.	चोहटन	274	3.	सांकड़ा	172
7.	धोरीमन्ना	128		योग :-	766

(388)

परिशिष्ट "ब"

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 837 की सूची

ग्राम पंचायत मूंगडा द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण (पंचायत समिति घाटोल)

क. सं.	नाम कार्य	एस्टीमेट बजट राशि	व्यय श्रम	सामग्री	योग	मजदूरी का औसत भुगतान कारीगर	श्रमिक	सीमेंट (बैग)	ईंटे	बजरी (घ. मी.)	पत्थर (घ. मी.)
वर्ष 1989–90											
1	प्राथमिक विद्यालय भवन, मूंगडा (मरम्मत)	12000	5829	6835	12655	30	12	55	1500	8	—
2.	कन्या प्राथमिक विद्यालय, मूंगडा	12000	5580	6435	12015	30	12	55	1500	8	—
3.	प्रा. विद्यालय भवन सोमपुर,	55000	20210	39193	59403	30	13	50	14000	26	71
4.	प्रा. विद्यालय भवन, घाटे की नाल	60000	22520	38815	61335	30	15	80	8000	68	79
5.	प्राथमिक विद्यालय, गोरछा	60000	4660	10020	14660	30	14	50	2000	30	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	वर्ष 1990–91										
1.	प्रा. विद्यालय भवन, गोरछा	60000	20830	25663	46493	30	14	—	5000	—	70
2.	प्रा. विद्यालय घाटे की नाल, बरामदा	25000	12240	12763	25003	30	14	50	2000	5	—
3.	प्रा. विद्यालय, बपटीया	60000	23710	36287	59997	30	13	112	10000	50	50
4.	प्रा. विद्यालय गोरछा, बरामदा	26000	13480	12502	25982	30	13.50	56	6000	5	—
5.	प्रा. विद्यालय, बपटीया (मरम्मत)	10000	4940	5060	10000	30	14	25	4000	5	—
6.	प्रा. विद्यालय, गरनावर	55000	19670	31112	50802	30	14	110	8000	10	30
7.	तालाब घाट, मूंगडा	30000	8300	5200	13500	—	16	60	—	20	50
8.	सड़क कार्य, गोरछा	50000	10400	—	10400	—	14	—	—	—	—

जवाहर रोजगार योजना सामान्य कार्य (20%)

क्र.सं.	नाम कार्य	एस्टीमेट बजट राशि	व्यय श्रम	व्यय सामग्री	मजदूरी का औसत भुगतान योग	मजदूरी का औसत भुगतान कारीगर	मजदूरी का औसत भुगतान श्रमिक	सीमेंट (बेग)	ईंटें	बजरी (घ.मी.)	पत्थर (घ. मी.)
	वर्ष 1990-91										
1.	एनीकट गाडी घाटा	130000	77960	52000	129960	35	22	520	—	70	158
2.	नाली निर्माण मूंगडा	90000	53999	36000	89999	35	22	200	20000	50	—
3.	प्राथ. विद्यालय गणेशपुरा	50000	29992	20000	49992	35	22	100	540	10	—
4.	शाला भवन मूंगडा	90000	53989	36000	89989	35	22	150	20000	15	10
5.	एनीकट गोरछा (अपूर्ण)	64000	38400	25600	64000	35	18	210	—	20	25
6.	एनीकट घाटे की नाल	130000	77966	52000	129966	35	20	400	—	50	155
7.	सार्व. कूप गणेशपुरा	19000	11400	7600	19000	35	20	30	—	10	40
8.	सार्व. कूप गोरछा	19000	3240	5000	8240	35	15	—	—	10	25
9.	सार्व.कूप गरनावर	19000	11400	7600	19000	35	20	30	—	10	40
10.	सार्व. कूप घाटे की नाल	19000	3240	5000	8240	35	15	—	—	10	25
11.	एनीकट सोमपुर	150000	89972	60000	148972	35	20	400	—	80	120
12.	सर्वजनिक कूप सोमवर (आडीवाट)	19000	3240	5000	8240	35	15	—	—	10	25
13.	कन्या प्राथमिक विद्यालय मूंगडा	45000	27000	18000	45000	35	20	100	2000	20	10

परिशिष्ट-15

अतारांकित प्रश्न संख्या 839 का विवरण

सहकारी विभाग, राजस्थान,
जयपुर

क्रमांक फा. 15(10) सविरा/बैंक-2/88 दिनांक : 3-11-89

1. प्रबन्ध संचालक,
   राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि.,
   जयपुर।

2. संयुक्त रजिस्ट्रार,
   सहकारी समितियां.........

3. उप/सहायक रजिस्ट्रार,
   सहकारी समितियां.........

4. प्रबन्ध संचालक,
   केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.,.........

विषय : फसली ऋण प्रणाली के अन्तर्गत अल्पकालीन ऋण हेतु अधिकतम ऋण सीमा बाबत।

इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 10-3-87 के द्वारा राज्य के विभिन्न बैंकों को खण्ड "अ" भाग व खण्ड "ब" भाग में विभक्त करते हुए तथा कोटा एवं श्री गंगानगर जिलों को अलग रखते हुए सहकारी संस्था के माध्यम से दिये जाने वाले अल्पकालीन ऋणों के लिए अधिक सीमा निर्धारित की गयी थी और अंग भाग "अ" (नकद ऋण) अंग भाग "अ" (जिन्स ऋण) के लिए प्रति एकड मानदण्ड निर्धारित किये गये थे। तत्पश्चात् इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 27-4-87 द्वारा "ब" अंग भाग के लिए सभी बैंकों को अपने जिले की तकनीकी ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर मानदण्ड निश्चित करने हेतु अनुमति दे दी गई थी और केवल नकद ऋण के लिए निर्धारित मानदण्ड और ऋण साख सीमा रखी गई थी।

उक्त मानदण्ड एवं अधिकतम अल्पकालीन ऋण सीमा निश्चित किये हुए लगभग 2½ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और इस बीच कृषि उत्पादन की लागत एवं कृषि कार्यों पर होने वाले व्ययों में काफी बढ़ोतरी हुई है। बैंकों से यह भी जानकारी मिली है कि कृषि भूमि में गोबर का खाद कहीं संस्थागत रूप में तो उपलब्ध नहीं हो पाता

जिससे कि उसका पुनर्भरण अंग भाग ,'ब" में हो सके । अतः गोबर खाद भी कृषकों को नकद में खरीद कर खेतों में डालना जरूरी हो जाता है । यह तथ्य भी सामने आया है कि कृषक को अपनी फसल के लिए कुछ समयावधि में किसी खाद विशेष की आवश्यकता होती है जैसे डी.ए.पी. वह खाद सहकारी संस्थाओं में उपलब्ध नहीं होने के कारण, कृषकों को बाहर से ही खरीदकर काम में लेनी होती है ।

उपरोक्त सभी पहलुओं पर केन्द्रीय सहकारी बैंकों के अध्यक्षों की दिनांक 7-10-89 को हुई बैठक में विस्तार से चर्चा हुई थी और यह अनुभव किया गया था कि अंग भाग "अ" के लिए जो अधिकतम ऋण की सीमा वर्तमान में निर्धारित है वह उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपर्याप्त है और इसमें संशोधन किये जाने की आवश्यकता है ।

अतः विचार विमर्श उपरान्त, पूर्व में निर्धारित साख सीमा संशोधित किया जाना आवश्यक समझा गया है और पूर्व में जो अल्पकालीन ऋण अंग भाग "अ" के लिए जो मानदण्ड निश्चित किये गये थे उसमें भी बढ़ोतरी आवश्यक हो गई है । अब पूर्व में जो अंग भाग "अ" के लिए (नकद ऋण) अधिकतम मानदण्ड निर्धारित किये गये थे इसमें 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी केन्द्रीय सहकारी बैंक अपने स्तर पर कर सकेंगे किन्तु अल्पकालीन ऋणों के लिए अधिकतम ऋण सीमा विभिन्न खण्डों के लिए निम्न प्रकार होगी :—

क्र. सं.	नाम खण्ड	"अ" खण्ड के बैंक		"ब" खण्ड के बैंक		"स" खण्ड के बैंक (कोटा, गंगानगर)	
		पूर्व	संशोधित	पूर्व	संशोधित	पूर्व	संशोधित
1.	खरीफ के लिए नकद	3000	3500	3000	3500	3000	4000
2.	रबी के लिए नकद	2000	2500	1000	1500	3000	4000
3.	कुल योग नकद	5000	6000	4000	5000	6000	8000
4.	"ब" अंग भाग	7000	7000	6000	6000	9000	9000
	कुल योग साख सीमा	12000	13000	10000	11000	15000	17000

उपरोक्त संशोधन के अनुसार केन्द्रीय सहकारी बैंक अपने स्तर पर निर्णय लेकर ऋण वितरित करने हेतु अधिकृत होंगे।

ह.
(टी.आर. वर्मा)
रजिस्ट्रार

(394)

क्रमांक : 15 (10) सविरा/बैंक-2/88 दिनाक 3-11-89

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. शासन सचिव, सहकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप महाप्रबन्धक, नाबार्ड, जयपुर।
4. क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी, सहकारी समितियां..............
5. स्पेशल आडिटर, सहकारी समितियां.... ....
6. समस्त अधिकारी, प्रधान कार्यालय, जयपुर।
7. निजी सहायक, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
8. अध्यक्ष, सहकार संगम, जयपुर।

ह.
उप रजिस्ट्रार (बैंकिंग)

सिंचित व असिंचित क्षेत्रों में बोई जाने वाली प्रमुख फसलों के लिये अल्पकालीन ऋणों के प्रति एकड़ मानदण्ड

क्र.सं.	नाम फसल	सिंचित			असिंचित		
		अ	ब	योग	अ	ब	योग
1.	गेहूं	250	150	400	200	100	300
2.	मक्का	....	....	....	300	100	400
3.	बाजरा	....	....	....	200	50	250
4.	कपास	300	200	500	....	....	....
5.	जौ	250	150	400	250	100	350
6.	ज्वार	....	....	....	150	50	200
7.	सरसों	350	200	550	250	100	350
8.	चना	250	300	550	200	200	400
9.	मूंगफली	300	400	700	250	350	600
10.	तिल	....	....	....	200	100	300
11.	सोयाबीन	....	....	....	300	300	600

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	दालें	....	...	....	150	150	300
13.	मिर्च	750	250	1000	....	....	....
14.	गन्ना	800	800	1600	....	....	....
15.	सब्जियां	300	300	600	...	....	....
16.	अफीम	400	400	800	....	....	....
17.	ग्वार	....	....	....	150	100	250
18.	चावल	450	450	900	250	200	450
19.	अन्य फसलें	300	300	600	200	200	400

परिशिष्ट–16

अतारांकित प्रश्न संख्या 847 का विवरण

परिशिष्ट "क"

कक्षावार छात्रवृति की दरों का विवरण

1. राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृति :—

क. सं.	कक्षा	दर प्रतिमाह प्रति विकलांग
1.	1 से 4	40/-
2.	5 से 8	50/-

2. भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृति :—

क. सं.	कोर्स का प्रकार	डे-स्कोलर के लिए	हास्टलर्स के लिए	केवल नेत्रहीनों के लिए रीडर भत्ता
1.	कक्षा IX, X, प्री-यूनिवर्सिटी कोर्स व आई.ए./आई.एस.सी./ त्रि-वर्षीय कोर्स (बी.ए., बी.एस.सी. आदि) के प्रथम वर्ष के लिए	85/-	140/-	50/-

1	2	3	4	5
2.	बी. ए./बी.एस.सी./बी-काम आदि (द्वितीय एवं तृतीय वर्ष कोर्स	125/-	180/-	75/-
3.	बी. ई./बी. टेक./एम. बी. बी. एस./एल. एल. बी./बी. एड./ डिप्लोमा-इन-प्रोफेशनल एण्ड इंजीनियरिंग स्टडीज आदि) इन-प्लान्ट ट्रेनिंग	170/-	240/-	100/-
4.	एम.ए./एम.एस.सी./एम. कॉम/ एल.एल.एम./एम.एड. आदि	170/-	240/-	100/-

इसके अतिरिक्त विश्पशोधीय विकलांगों को प्रोस्थेटिक/आर्थोटिक एड के संधारण हेतु रुपये 25/- एवं 50/- की दर से ट्रान्सपोर्ट एलाउएन्स प्रतिमाह प्रति विकलांग दिया जाता है।

परिशिष्ट–17

अतारांकित प्रश्न संख्या 848 का विवरण

परिशिष्ट "क"

गत छः वर्षों में घी की विक्रय दरों का विवरण :—

क. सं.	दिनांक	एक किलो पॉलिपैक में	एक किलो टिन में	दो किलो टिन में	5 किलो टिन में	15 किलो टिन में (दर रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	10-4-86	38.00	42.00	83.00	205.00	[illegible]
2.	26-6-86	41.00	43.00	85.00	210.00	[illegible]
3.	28-7-86	47.00	51.00	101.00	250.00	–
4.	29-9-86	51.00	55.00	109.00	270.00	–
5.	15-5-87	52.25	56.35	111.05	276.00	–
6.	2-8-87	60.00	64.00	127.00	315.00	–

1	2	3	4	5	6	7
7.	11-4-89	57.00	64.00	127.00	315.00	--
8.	16-5-89	60.00	64.00	127.00	315.00	900.00
9.	17-1-90	56.00	62.00	123.00	305.00	840.00
10.	21-4-90	,, ,,	,, ,,	,, ,,	,, ,,	727.50
11.	1-9-90	60.00	64.00	127.00	310.00	855.00
12.	10-10-90	64.00	68.00	135.00	330.00	थोक बिक्री बन्द थी।
13.	15-12-90	66.00	70.00	139.00	340.00	(×)
14.	19-1-91	72.00	79.00	157.00	385.00	थोक बिक्री बन्द थी।
15.	18-5-91	75.00	79.00	157.00	385.00	,, ,,
16.	21-6-91	78.00	82.00	163.00	400.00	,, ,,
17.	7-8-91	85.00	89.00	177.00	435.00	,, ,,
18.	24-9-91	90.00	94.00	187.00	460.00	,, ,,
19.	8-1-92	86.00	90.00	179.00	440.00	,, ,,
20.	4-2-92	85.00	90.00	179.00	440.00	,, ,,

1	2	3	4	5	6	7
21.	29-2-92 (लगातार)	80.00	90.00	179.00	440.00	थोक बिक्री बन्द थी ।
						दर 15 किलो दिन में रुपये प्रति किलो
	(×) एक समय में ही 9 मै. टन या उससे अधिक उठाने पर—					54.75
	एक समय में ही 3 से 8.985 मै. टन उठाने पर					55.00
	एक ही समय में 2.985 मै. टन उठाने पर					55.25

परिशिष्ट "ख"

गत छः वर्षों में घी के उत्पादन का विवरण :

क्र. सं.	वर्ष	उत्पादन (मै. टन में)
1.	1986--87	2142
2.	1987--88	1490
3.	1988--89	1457
4.	1989--90	2316
5.	1990--91	1877
6.	1991--92 (फरवरी, 92 तक)	1534

परिशिष्ट 'ग'

वर्ष 1990–91 के घी बेचान के कारण :–

550 मै. टन घी को मुख्यतः निम्न कारणों से विभिन्न पार्टियों से दरें आमंत्रित करके बेचा गया।

1. फैडरेशन के पास मार्च, 1990 के अन्त तक घी एवं पाउडर का लगभग 10 करोड़ रुपये का स्टॉक जमा हो गया था। 10 करोड़ रुपये के स्टॉक पर कार्य-शील पूंजी बैंक अथवा अन्य स्रोत से लेने से ब्याज का भार अधिक होता अतः यह निर्णय लिया गया कि 1300 मै. टन स्टॉक में से लगभग 550 मै. टन घी का विक्रय तुरन्त किया जावे जिससे कि दुग्ध उत्पादकों को दूध का भुगतान कर राहत दिलायी जावे एवं ब्याज के भार को कम किया जा सकें।

2. 1300 मै. टन घी के स्टॉक में से 550 मै. टन घी ऐसा था जो कि माह सितम्बर, 89 से मार्च, 90 तक उत्पादित था। चूंकि यह घी लगभग 6 माह पुराना हो गया था और घी की गुणवत्ता स्वाभाविक रूप से दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी इसलिए संयंत्रों से इसका बेचान तुरन्त करना आवश्यक था।

3. दुग्ध उत्पादकों के दूध के बकाया भुगतान जो लगभग दो तीन माह के बीच विलम्ब हो गया था दुग्ध उत्पादकों के असंतोष को दूर करना अत्यंत आवश्यक था।

4. विभिन्न संयंत्रों पर घी के अत्यधिक स्टॉक एकत्रित होने से संयंत्रों पर भण्डारण की समस्या विकट रूप ना ले ले इससे बचने के लिए भी यह आवश्यक था कि घी का बेचान तुरन्त किया जावे अतः 550 मै. टन घी का बेचान किया गया।

वर्ष 1986-87 में घी के बेचान करने के कारण :-

वर्ष 1986-87 में अलवर डेयरी संयंत्र पर 38.5 मै. टन घी जो स्टॉक में था वह सबस्टेण्डर्ड घोषित किया गया था। यह घी बदबूदार एवं रेनसिड था। वर्तमान में व उक्त घी के खराब होने की जांच राज्य सरकार द्वारा की जा रही है।

परिशिष्ट-18

अतारांकित प्रश्न संख्या 849 की सूची

परिशिष्ट "क"

दुग्ध अवशीतन केन्द्र, मालपुरा :-

दुग्ध संकलन केन्द्र

1.	कोटड़ी	दुग्ध समिति	11.	बिलेड़ा	दुग्ध समिति
2.	सवारिया	,, ,,	12.	चेवर	,, ,,
3.	उनियारा	,, ,,	13.	बरोल	,, ,,
4.	उनियारा	,, ,,	14.	पारली	,, ,,
5.	बड़ा देवल	,, ,,	15.	गनवर	,, ,,
6.	काटोली	,, ,,	16.	बालापुरा	,, ,,
7.	झाड़ली	,, ,,	17.	आवड़ा	,, ,,
8.	बगड़ी	,, ,,	18.	देवड़ावास	,, ,,
9.	लाम्बाहरीसिंह	,, ,,	19.	बनकाखेड़ा	,, ,,
10.	रूपाहेली	,, ,,	20	मोर	,, ,,

21.	मान्दोलाई	दुग्ध	समिति
22.	पवालिया	,,	,,
23.	कचोलिया	,,	,,
24.	नगर	,,	,,
25.	मोरला	,,	,,
26.	थड़ी	,,	,,
27.	पीपलू	दुग्ध	समिति
28.	घोली	,,	,,
29.	कुरांड	,,	,,
30.	बोरखड़ी	,,	,,
31.	टोरड़ी	,,	,,
32.	राजपुराबास	,,	,,
33.	सास	,,	,,
34.	रानोली	,,	,,
35.	अरनिया	,,	,,
36.	भावता	,,	,,
37.	हाथकी	,,	,,
38.	अजमेरी	,,	,,
39.	कठमाना	,,	,,
40.	वाउडी	,,	,,
41.	तीसरिया	,,	,,
42.	पन्द्राहेडा	,,	,,
43.	सिधोलिया	,,	,,
44.	हमीरपुर	,,	,,
45.	सोडा	,,	,,
46.	कलमडा	,,	,,
47.	भगवानपुरा	,,	,,
48.	नानेर	,,	,,
49.	तुन्देड़ा	दुग्ध	समिति
50.	जेठानी	,,	,,
51.	रीन्डलिया	,,	,,
52.	किशनपुरा	,,	,,
53.	बागपुरा	,,	,,
54.	दाबडदुम्बा	,,	,,
55.	नागिरदा	,,	,,
56.	मासू	,,	,,
57.	टोपा	,,	,,
58.	लाम्बाकला	,,	,,
59.	तीतरिया	,,	,,
60.	देशमा	,,	,,
61.	देशमी	,,	,,
62.	ताँतियां	,,	,,
63.	प्रतापपूरा	,,	,,
64.	लाम्याजुनारदार	,,	,,
65.	अरनिया	,,	,,
66.	कुरथल	,,	,,
67.	पीपल्या	,,	,,
68.	बासेड	,,	,,
69.	गनेती	,,	,,
70.	बालापुरा	,,	,,
71.	आटोली	,,	,,
72.	बापुन्दा	,,	,,
73.	पराना	,,	,,
74.	रजवास	,,	,,
75.	नटवाड़ा	,,	,,
76.	गिरधारीपुरी	,,	,,
77.	बगड़ी	,,	,,

(2) दुग्ध अवशीतन केन्द्र, गंगापुर :–

दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां :

1. दादनपुर दुग्ध समिति
2. पडलाखीप ,, ,,
3. मन्नौज ,, ,,
4. बालाहेडी ,, ,,
5. घवान ,, ,,
6. गोडला ,, ,,
7. खंडीप ,, ,,
8. जिन्सीकापुरा ,, ,,
9. नागललाट ,, ,,
10. मैंसा ,, ,,
11. पाखर ,, ,,
12. हल्दैना ,, ,,
13. डाबर ,, ,,
14. कैपला ,, ,,
15. महावीर जी ,, ,,
16. खेडा ,, ,,
17. राजौर ,, ,,

(3) दुग्ध अवशीतन केन्द्र, सवाई माधोपुर

(इन्स्टेण्ट चिलर द्वारा)

दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां :

1. सावटा दुग्ध समिति
2. तलावडा ,, ,,
3. दौलतपुरा ,, ,,
4. दुमेदा ,, ,,
5. जयलालपुरा ,, ,,
6. कैलाशपुरी ,, ,,
7. श्यामपुरा ,, ,,
8. नायपुर ,, ,,
9. ऐडा ,, ,,
10. पादडा दुग्ध समिति
11. सुरेली ,, ,,
12. सेदरी ,, ,,
13. तालडा ,, ,,
14. खवा ,, ,,
15. मोर डूंगरी ,, ,,

(4) आईस फैक्ट्री, टोंक,

दुग्ध संकलन केन्द्र :

1. हाडीकला दुग्ध समिति
2. झिराना ,, ,,
3. बरोनी ,, ,,
4. पहाड़ी ,, ,,
5. मुन्डिया ,, ,,
6. डारडातुर्की ,, ,,
7. झिलाय ,, ,,
8. निवारिया ,, ,,
9. मेहन्दवास ,, ,,
10. छान ,, ,,
11. गैरोली ,, ,,
12. बरोली ,, ,,
13. नवरंगपुरा ,, ,,
14. मंडावर ,, ,,
15. रजवास ,, ,,
16. नटधाड़ा ,, ,,
17. गिरबारीपुरा ,, ,,
18. कडोला ,, ,,
19. बम्बोर ,, ,,
20. डारडाहिंद ,, ,,
21. अरनिया नील ,, ,,
22. पन्द्राहेडा ,, ,,
23. नया गांव ,, ,,
24. ढिकोलिया ,, ,,
25. चिरोज ,, ,,

406

शुद्धि—पत्र

क्रम सं.	स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1.	149	11	श्री बुकाकीदास	श्री बुलाकीदास
2.	215	3	श्री जुबेर खान	श्री जुबेर खां
3.	218	8	श्री जुबेर खान	श्री जुबेर खां
4.	219	1	श्री जुबेर खान	श्री जुबेर खां
5.	221	1	श्री जुबेर खान	श्री जुबेर खां
6.	222	24	श्री जुबेर खान	श्री जुबेर खां
7.	306	15	(नोरण)	(नोखा)
8.	670	5	श्री जुबेर खान	श्री जुबेर खां
9.	695	2	अतारांकित प्रश्न संख्या 10 की प्रति	अतारांकित प्रश्न संख्या 824 की सूची